राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या: 17

गुरुवार,

23 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल।

प्रश्न संख्या 376

श्री मानवेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

नहीं, नहीं, एब्सेंट हैं तो नो। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में कृषि विपणन बोर्ड द्‌वारा स्वीकृत सड़कें

377. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि विपणन बोर्ड द्‌वारा सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2013 से किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें बनाई गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चौमूं विधान सभा क्षेत्र में उक्त बोर्ड द्‌वारा वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2017 तक कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त बोर्ड द्‌वारा नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में

(कृषि मंत्री)

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2013 से अब तक बनाई गई सड़कों की विधान सभा क्षेत्र अनुसार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) चौमू विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा वर्ष 2013 से अब तक बनाई गई सड़कों की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्मित की जाने वाली नवीन स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जैसा जवाब दिया उस जवाब से मैं संतुष्ट हूं। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो सड़कें कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा निर्मित की गयी हैं, वे सड़कें गुणवत्ता में तो ठीक हैं, लेकिन पहली बार साइडों में से वे कम्प्लीट सड़कें टूट चुकी है। उन सड़कों की अभी तक जो निर्धारित समय सीमा है, गारंटी पीरियड में है, वह गारंटी पीरियड भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी बार भी ये सड़कें इसी प्रकार रहीं तो वे सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी जिन संवेदकों ने सड़कों का निर्माण किया था और अब तक जो सड़कें पहली बार इसमें टूटी हैं उसके लिए उन संवेदकों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या उन्हें पुन: रिपेयरिंग करने का विचार रखते हैं?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सड़क संवेदक द्वारा बनायी जाती है और उसकी जो गारंटी अवधि होती है, यदि उस अवधि के बीच में कोई भी सड़क टूट जाती है या किसी कारण से क्षतिग्रस्त होती है तो लाइबिलिटी पीरियड में उसको ठीक करने का उसका दायित्व बनता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई आपकी सड़कें हैं, आप मुझे सूची दे दें, लाइबिलिटी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

पीरियड में है तो निश्चित रूप से उनको पूरी तरह से ठीक कराने का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर कई मण्डियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। वे मण्डियां टैक्स के रूप में भी और अन्य रूप में काफी विकसित हैं। उन मण्डियों के विकास के लिए, चाहे सड़क का विकास हो, चाहे मण्डी का आंतरिक विकास हो, चाहे मण्डी का दूसरी जगह का विकास हो, ऐसी मण्डियां जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, क्या मंत्री महोदय उन मण्डियों को राज्य सरकार के द्वारा या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा ग्रांट दिलाकर या उनको फाइनेंस कराकर, लोन दिलाकर ऐसा विकास करने का विचार रखते हैं? इकोनोमिक रूप से जो भी आप ग्रांट दिलाओगे, उससे निर्धारित समय सीमा के ऊपर भी पूरी कर सकती है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि ऐसी मण्डियां जो वित्तीय दृष्टि से मजबूत हैं, सड़कों का ऋण लें। मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा, मण्डी समिति का काम सड़क बनाना नहीं है। धारा 19 में एक स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि मण्डी समिति का जो फण्ड होगा, उस फण्ड की यदि अन्य एक्टिविटीज में आवश्यकता नहीं है, उसके बाद ही किसान पथ के रूप में ऐसे छोटे-छोटे रास्ते, किसान की फसल को लाने-ले जाने या उसके आने-जाने में जहां तकलीफ होती है। बड़ी सड़क हम नहीं बनाते, तीन किलोमीटर के नीचे-नीचे जहां मण्डी में राशि उपलब्ध होती है। लेकिन सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है, पहला काम है, यदि उस मण्डी ने कोई भूमि की अवाप्ति की है तो उसकी उपलब्ध राशि को पहले उस पर खर्च किया जाएगा। दूसरा, यदि उसके भवन का निर्माण, उसका यार्ड निर्माण होना है, राशि उस पर खर्च की जाएगी। तीसरा, उसके संचालन पर होने वाला सारा व्यय, एस्टेब्लिशमेंट, मैनेजमेंट, सैलेरी, वेतन-भत्ते में खर्च होंगे। उसके बाद फिर कोई राशि बचती है तो मण्डी चुनाव जब होते हैं तो मण्डी चुनाव का सारा पैसा सरकार के द्वारा नहीं, मण्डी समिति के कोष से हम लोग चुनाव का खर्चा पूरा करते हैं। उसके बाद किसानों को विपणन से संबंधित मार्केटिंग

(श्री प्रभू लाल सैनी)

का या उनको कहीं बाहर भेजने का काम, उस पर हम लोग खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उसके प्रावधान बने हुए हैं कि किसी भी मण्डी में 24 प्रतिशत पैसा, जो आपकी बचत है उसका 24 परसेंट पैसा रोड्स पर खर्च किया जाएगा, 36 प्रतिशत उसकी भूमि, उसके यार्ड पर खर्च होंगे। 20 प्रतिशत हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट पर खर्च होंगे और 20 परसेंट पैसा है वह भूमि अवाप्ति पर खर्च होगा। लेकिन सड़क की प्रायोरिटी हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। यदि किसी मण्डी में इस प्रकार के कोई काम नहीं होते तो उसमें मण्डी समिति का यदि प्रस्ताव प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्यवाही करते हैं। ऐसी सड़कें जरूरी होती हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने आप नियमों के अंतर्गत करते हैं। लेकिन फिर भी यदि मण्डी को किसानों के हित में कोई फैसला करना पड़ता है तो मण्डी समिति अपने स्तर पर यदि वह लोन लेती है, कहीं से भी लेती है तो इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुकाने की लाइबिलिटी, सारा ब्याज उस मण्डी को देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड की सिर्फ 4 सड़कें तीन वर्षों में बनी हैं, ये चारों ही सड़कें अभी तक अधूरी हैं, उनको कब तक पूर्ण कराएंगे? किसान के हित से जुड़ा है और निश्चित रूप से माल ले जाने के लिए ही मण्डी की वे सड़कें काम आती हैं, उसके बारे में मुझे बताएं प्लीज।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी सड़कें अधूरी हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि सड़क की एस्टीमेटेड कॉस्ट होती है, जिस लैंथ में उसकी स्वीकृति होती है, तो मैं समझता हूं कि अधूरी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सैंक्शन ही, जैसा मैंने निवेदन किया, तीन किलोमीटर से ज्यादा हम दे नहीं सकते। छोटे रोड्स होते हैं, जैसे 300 मीटर है, 500 मीटर है जो गांवों को बाहर सड़क से जोड़ने वाले हैं ऐसे रोड इसमें सम्मिलित करते हैं। चूंकि अभी पूरी स्थिति

(श्री प्रभू लाल सैनी)
मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं कि आपकी सड़कों का क्या कारण है, लेकिन फिर भी अधिकारी भेजकर मैं उनको दिखवा लूंगा और राशि उपलब्ध होने की स्थिति में निश्चित रूप से समय पर पूरा करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कृषि मण्डी में पर्याप्त बजट है और कृषि मण्डी की छोटी-छोटी सड़कें बनी हुई हैं, वे सड़कें टूटी हुई हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उन सड़कों को वापस ठीक करा देंगे? आज से 7-8 साल पहले जो सड़कें बनी थी वे सड़कें टूट गई हैं, एक-एक फीट उनमें गड्ढे हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1974 से लेकर 2010 तक जो सड़कें बनी थीं, उनका एक फैसला तत्कालीन सरकार के द्वारा लिया गया था कि मण्डी समिति के लगभग 15295 रोड पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिये थे। प्रत्येक वर्ष में 25 करोड़ रुपये हम लोग मण्डी समिति की सड़कों की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को देते हैं। 2014 तक 116 करोड़ रुपये मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हम लोगों ने कर दिये हैं। जो सड़कें 1974 से लेकर 2010 तक बनी हैं, जो मेंटिनेंस काबिल हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को हमने पैसे ट्रांसफर कर दिये हैं क्योंकि वे रोड भी पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सभी सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डी समिति की सड़कें जो 116 करोड़ रुपये के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्र में जहां भी मेंटिनेंस योग्य होंगी, हम पीडब्ल्यूडी से कहेंगे, उनके आधार पर कार्यवाही कराएंगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मण्डी में 15 करोड़ रुपये पड़े हैं। मंत्रीजी यह कह रहे हैं................(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत। जवाब आ गया। विराजिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो कृषि विपणन बोर्ड का स्टेट फण्ड

(श्री निर्मल कुमावत)

का पैसा है उससे पूरे प्रदेश में विभिन्न सड़कें स्वीकृत हुई हैं, कुछ विधान सभा क्षेत्र यदि वंचित हैं तो क्या आप उनमें स्टेट फण्ड देने की मंशा रखते हैं सड़कों के लिए? इतना-सा बता दें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 22 (i) यह प्रावधान करती है कि मण्डी समिति में ऐसी बड़ी मण्डियां, सुपर ए, ए, बी तक की जो मण्डियां हैं उनसे ऐसी छोटी मण्डियां जो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं हैं उन मण्डियों के लिए कुछ 30 परसेंट 20 परसेंट और 10 परसेंट के लगभग पैसा एक्ट के प्रावधान के अनुसार लिया जाता है। जहां तक एम.डी.एफ. का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी छोटी मण्डियां जिनकी आमदनी ठीक नहीं है और सरकार यह समझती है कि वास्तव में इनको किया जाना जरूरी है तो उसमें भी हम लोगों ने यह कर रखा है कि एम.डी.एफ. की सारी राशि कृषि उपज मण्डियों में सुधार पर हम लोग खर्च करेंगे। जो छोटी मण्डियां हैं, कमजोर मण्डियों को ऋण भी हम देंगे। कृषि विपणन के सम्बन्ध में शिक्षा का प्रचार-प्रसार भी एम.डी.एफ. से हम करते हैं। छोटी मण्डियों में मण्डी यार्डों का निर्माण हम करते हैं और आखिरी में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के बारे में भी इस राशि में से खर्च होता है। इसके बाद जो राशि बचती है उसमें एम.डी.एफ. के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर, मण्डी समिति के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी स्वीकृतियां जारी करती हैं। यदि इसी प्रकार का होगा तो निश्चित रूप से 2017-18 का वर्ष है उसमें चिह्निकरण सड़कों का हम करेंगे और किसान हित में जो भी अच्छा फैसला होगा उसको हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हमीर सिंह भायल।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जैसे आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर.....

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप जवाब बिलकुल मत देना। जवाब देने की जरूरत नहीं है। नोट करने की भी जरूरत नहीं है मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना परमिशन के बोल रहे हैं, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) विराजिये आप। जवाब मत दीजिये आप। जवाब ही नहीं आयेगा। (व्यवधान) नोट भी मत कीजिये और जवाब भी नहीं आयेगा।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं और नोट भी नहीं हो रहा है। (व्यवधान) श्री हमीर सिंह, मैंने हमीर सिंह जी को पुकारा है।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: किसका? नो, बैठिये आप। नो-नो, मेरी बिना परमिशन के, नहीं, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, बैठिये आप। प्लीज। ये मेरी बिना परमिशन के बोल रहे हैं उनका आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूं। मैंने हमीर सिंह भायल को पुकारा है।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल। हां, अब चालू कीजिये।

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन एवं अन्य परिलाभ देने की योजना

378. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा गत वित्तीय वर्ष में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गत वित्तीय वर्ष में एक भी केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिलाओं को 58 वर्ष पूर्ण करने पर सेवा से हटाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त महिलाओं को पेंशन

(श्री हमीरसिंह भायल)

एवं अन्य परिलाभ दिये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में उक्त लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) जी हां। विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में 42 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 07 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

(3) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिलाओं की आयु को 58 वर्ष पूर्ण मानकर सेवा से नहीं हटाया जा रहा है। विभाग के दिशा निर्देशानुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवा से पृथक् किया जाता रहा है।

(4) जी नहीं। ये राज्य कर्मचारी न होकर मानदेय कार्मिक हैं, इन्हें पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही लाभ देने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी में जो महिलाएं लगी हुई हैं उनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या? दूसरा, चयन की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों को देने का विचार रखते हैं क्या और क्या नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही बताया है कि बाड़मेर जिले में ये 42 हैं, ये नये आंगनबाड़ी केन्द्र ही खुले हैं और आपके विधान सभा क्षेत्र में 07 नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि सिवाना में पूर्व में 15 आंगनबाड़ी

(श्रीमती अनिता भदेल)

केन्द्र ऐसे हैं जो खुले हुए हैं लेकिन अभी तक अक्रियाशील हैं। 15 तो बड़े आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और 04 मिनी आंगनबाड़ी हैं, इस प्रकार से कुल 19 आंगनबाड़ी केन्द्र आपके यहां ऐसे खुले हुए हैं जो अभी तक क्रियाशील नहीं हो पाये हैं। 07 अभी स्वीकृत किये हैं। यदि ये क्रियाशील हो जाते हैं तो आपको 19 नये आंगनबाड़ी केन्द्र और मिल जाएंगे।

दूसरी बात आपने चयन प्रक्रिया के सन्दर्भ में कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमारी चयन प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है और ग्राम सभा से अनुमोदन होने के पश्चात् ही उनका चयन किया जाता है। ग्राम सभा में वो सारे प्रस्ताव जाते हैं और मैरिट के आधार पर जो महिलाएं उस चयन के सर्कुलर के अनुसार पात्रता रखती हैं उन महिलाओं का उसमें चयन होता है।

आपने नवीन आंगनबाड़ी के बारे में पूछा है तो वो पहले आपको बता दिया गया है।

एक आपने मानदेय के बारे में भी पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले बजट में ही हमारी जितनी मानदेयकर्मी थीं, उन सबका मानदेय बढ़ाया है। कार्यकर्ता का 400 रुपये और सहायिका का 250 रुपये मानदेय बढ़ा है। इस साल भी हमारा नया बजट आया है उस बजट में भी इंसेंटिव बेस्ड मानदेय की बढ़ोतरी की है। यदि वो काम करेंगी तो उसके अकोर्डिंग उनका मानदेय निश्चित रूप से बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। हो गया? पूरक प्रश्न, श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के कितने प्रस्ताव आपके पास पैण्डिंग हैं और उनको कब तक खोलेंगे? इसके अलावा कितने भवन रहित हैं जिनको आप भवन स्वीकृत करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा मुख्य मुद्दा निवेदन करना चाहूंगा कि 08 मार्च को महिला दिवस था। बाड़मेर में महिलाओं का सम्मेलन था और उस सम्मेलन में रात का बासी खाना खिलाया गया। चार कार्यकर्ताओं ने वहां कहा कि यह रात का बासी खाना क्यों खिला रहे हो तो उन चार ही

(श्री मेवाराम जैन)

कार्यकर्ताओं को निलम्बित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में जब महिला ने सिर्फ इतनी ही बात कही कि रात का बासी खाना खिला रहे हो तो उन चारों कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया गया है। क्या मंत्री महोदय, वापस उनको वहां लगाओगे और इस तरह का जिन्होने बासी खाना खिलाया, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। यह जवाब आ जाने दो।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तीन प्रश्न किये हैं। पहला प्रश्न तो आपने आंगनबाड़ी केन्द्र के कितने प्रस्ताव आये हैं उनकी बात कही है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के नये प्रस्ताव आते रहते हैं लेकिन उनका परीक्षण कराने के लिए यदि वो जनसंख्या के नोर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो चूंकि आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत किये जाते हैं तो वो वहां से प्रस्ताव टर्न-डाउन हो जाते हैं। मैं पुन: माननीय सदस्य को बता रही हूं। यह मैं वापस दुबारा रिपीट कर रही हूं कि अभी मैंने सिवाना का बताया था, पूरे बाड़मेर जिले में 166 ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जो अभी तक क्रियाशील नहीं हो पाये हैं और अलग-अलग समय में उनकी स्वीकृतियां हुई हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि ये जो 166 आंगनबाड़ी केन्द्र पहले से स्वीकृत हैं उनको हम क्रियाशील बनायें, उन पर कार्यकर्ताओं का चयन करें क्योंकि कार्यकर्ता वहां पर मिलती नहीं हैं और इसके कारण से ये क्रियाशील नहीं हो पाये हैं।

दूसरा प्रश्न आपने भवन रहित की बात कही है। मैंने पिछली बार भी सदन में यह बात कही थी कि जितने भवन रहित हमारे आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, यदि स्थानीय निकाय से हमें उनका पट्टा मिल जाता है तो हम हर साल, पिछले साल भी हमने एक हजार भवन स्वीकृत किये थे, उसके पहले भी हमने एक हजार भवन स्वीकृत किये थे और इस बजट में भी हमारे पास में पर्याप्त स्वीकृति है। यदि आप वहां पट्टा या एन.ओ.सी. लाकर दिलाएंगे तो जितने आप निवेदन करेंगे उतने भवन हम स्वीकृत करेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

तीसरी बात, आपने कही है बासी खाने की। क्योंकि यह बात उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई थी, अभी-अभी इन्होंने बताई है। यदि आप मुझे इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे तो जो भी इसमें दोषी व्यक्ति है, उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। यदि यह बात सही पाई जाती है कि बासी खाना खिलाया गया तो निश्चित रूप से उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। दूसरा पूरक प्रश्न, संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी भवन जितने भी प्राइवेट जगह में चल रहे हैं उनको सरकार की ओर से कितना किराये का भुगतान किया जाता है? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी भवन जितने भी राज्य सरकार की ओर से आबंटित हैं, उनके बिल का भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है और यह किसके द्वारा वहन किया जाता है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न तो आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति का है, फिर भी मैं सोजत से आने वाली माननीय सदस्या को बता देती हूं। आपने यह कहा है कि जो निजी किराये के भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं उनका किराया कितना है?.......

निश्चित रूप से जो आंगनबाड़ी भवन किराये पर चल रहे हैं, उनका किराया बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जानकारी में लाना चाहूंगी कि उस पुराने किराये को परिवर्तित करके सरकार ने अब 3,000 रुपये तय कर दिये हैं शहरी क्षेत्र में कि 3,000 रुपये तक का एक किराये का भवन आंगनबाड़ी केन्द्र का ले सकते हैं। हमारा विभाग लगातार इसमें काम कर रहा है कि जो-जो नये आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए हम भवन चिह्नित कर रहे हैं, नये भवन हम उसमें ले रहे हैं, जो हमें अच्छा भवन मिल जाये 3,000 रुपये में, चूंकि पर्याप्त किराये में भवन मिल जाता है।

दूसरी बात आपने कही है कि भुगतान की प्रक्रिया क्या है? भुगतान की

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्रक्रिया विभागीय स्तर पर ही होती है और हर महीने जिस प्रकार से किराया तय होता है, उस किराये के आधार पर हर महीने हम भुगतान की प्रक्रिया को करते हैं और लगभग हर साल की यही प्रक्रिया रहती है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्र राजनैतिक प्रभाव से आज भी खोले जा रहे हैं, पहले भी खोले जा रहे थे। आबादी के अनुपात को नहीं देखा गया है। आपके मार्फत मैं जानना चाहूंगा कि वापस पुनर्सीमांकन करके जहां आंगनबाड़ी केन्द्र गांव में, गांव बड़ा है उसमें एक आंगनबाड़ी केन्द्र है, गांव छोटा है उसमें दो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। क्या सरकार पुनर्सीमांकन करना चाहती हैं? व्यवस्थित आबादी के अनुपात में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलें, यह मंशा सरकार की है या नहीं है?

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले सरकार यहां से राशन भेजती थी जो भी बना-बनाया सामान, अब ठेकेदार वहां खुद बनाकर आपूर्ति करते हैं और उनकी जो क्वालिटी है, वे मापदण्डों का ध्यान नहीं रखते हैं तो प्रदेश में ठेकेदार जो राशन सप्लाई करते हैं, उनके सैम्पल लिये गये या नहीं लिये गये? उनकी जांच हुई या नहीं हुई? कितनी जांच हुई? क्या कार्यवाही की गई? जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्र राजनैतिक प्रभाव से हमने तो नहीं खोले हैं, अब आपकी सरकार के समय खुले होंगे तो वह बात अलग है, इसलिए आपको अनुभव है। हमने नोर्म्स के आधार पर ही, जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले हैं।

दूसरी बात आपने कही है। आपकी विधान सभा क्षेत्र में भी हमने खोले हैं सर, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि राजनैतिक आधार पर हमने खोले हैं।

तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहूंगी कि राशन की जो बात है, राशन...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आंगनबाड़ी केन्द्र कहां खोले हैं आपने? मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहां खोले हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): पहले आप मेरी बात सुन लें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं पूछ रहा हूं आबादी के अनुपात में नहीं है। आबादी के अनुपात में आंगनबाड़ी केन्द्र प्रदेश में नहीं है। कहीं बड़ा गांव है, एक आंगनबाड़ी केन्द्र है। छोटे गांव में आपने दो खोल रखे हैं और आप पुनर्सीमांकन करना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? यह कह रहा हूं मैं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया, माननीय सदस्य, आपको विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगी कि यह 166 आंगनबाड़ी केन्द्र बाड़मेर में ऐसे हैं जो, जैसे मान लो कोई स्कूल खुल गया, एक भी बच्चा नहीं आ रहा, स्कूल में टीचर वहां अपोइंटेड है, इस प्रकार की स्थिति है कि 166 आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं...

श्री अध्यक्ष: अब यह नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वही सवाल है मेरा। सवाल वही है। वही सवाल है मेरा।

श्री अध्यक्ष: आप जान रहे हैं कि व्यवस्था ठीक चलती है। (व्यवधान) मेवाराम जी, बैठिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं, आप बताओ तो सही।

श्री अध्यक्ष: मेवारामजी, बैठिये। नहीं, नहीं, आप कर चुके। आपका सवाल आ गया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): बाड़मेर जिले में 166 आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं माननीय सदस्य, जो खुलने के बाद भी क्रियाशील नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: नो। आप मिल लीजिये। आप चाहे जैसा जवाब आये, यह जरूरी नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): वहां किसी कार्यकर्त्ता का चयन नहीं हो पा रहा है तो मेरा तो आपसे आग्रह है कि सबसे पहले यह जो पहले खुले हुए हैं ना 166 आंगनबाड़ी केन्द्र, उनको हम खोल लें, वहां कार्यकर्ताओं का चयन कर लें, सहायिका का चयन कर लें तो वह क्रियाशील हो जायें।

दूसरी बात, आपने राशन, पोषाहार के संबंध में की है। पोषाहार के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिये हैं कि आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही पोषाहार का वितरण कर सकते हैं। इसलिए पहले जो केन्द्रीकृत पोषाहार वितरण की व्यवस्था हुआ करती थी, वह 2015 से हमने बंद कर दी है और उसके बाद में पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह का गठन करने के पश्चात्, उनके माध्यम से पोषाहार की सप्लाई हो रही है और इसकी क्वालिटी को एन्श्योर करने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सारे नियम बनाये हैं, सर्कुलर्स बनाये हैं और उनके तहत उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्वालिटी को एन्श्योर करने के लिए बहुत चैकलिस्ट हमने की है। आप अनुमति दें तो यह 10-15 पाइंट्स हैं, मैं आपको पढ़कर बता देती हूं...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम बनाने से थोड़े ही चलता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं। सुखरामजी, नहीं। बिलकुल नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने जांच कितनी की है, सैम्पल कितने लिये? डर पैदा हो तब ना। नियम से क्या होता है।

श्री अध्यक्ष: सुखराम जी, इस तरह नहीं। बिलकुल नहीं चलेगा यह। सुखरामजी, बिलकुल नहीं चलेगा यह। नो। आप अपना जवाब दीजिये। यह नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं सहमत हूं, 100 प्रतिशत सहमत हूं कि नियम बनाना एक बात है और प्रेक्टिकली इन नियमों को अंजाम देना दूसरा विषय है पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमने नियम बनाने के

(श्रीमती अनिता भदेल)

साथ-साथ, आपने इन दिनों देखा होगा कि व्हाट्स-एप ग्रुप पर अब आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्ता और महिला सुपरवाइजर हैं, वे फोटो खींचकर भेजती हैं। आपको मैं पिछले एक साल की लगातार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लाखों की संख्या में फोटो बता सकती हूं।

दूसरी बात, हर माह दो बार औचक निरीक्षण जो हमने तय किया है, उसको हम 100 प्रतिशत औचक निरीक्षण करते हैं... (व्यवधान) और तीसरी बात...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अभी तक आपने उसका सैम्पल नहीं लिया। लेबोरेट्री से जांच नहीं कराई। फोटो से क्या होता है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। सुखरामजी जो बोल रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, वह अंकित नहीं हो।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आप सुन लें मेरी बात। (व्यवधान) आप विश्वास नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। आपकी आदत खराब हो गई है। आप बार-बार खड़े हो जाते हो, क्या मतलब है यह। नो नो नो। आपका ठीक नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: यहां जो व्यवस्था है, वैसी चलेगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का नाम तो सुखराम है लेकिन ये 24 घंटे दुखराम क्यों रहते हैं? गुस्सा क्यों करते हैं और बिना कारण के बोलते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया ना, मैं उसका जवाब दे देती हूं। आप बार-बार कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में कितनी जांच की, नमूने कितने जांच किये? तो हमने 5,349 प्रयोगशाला में नमूनों की जांच कराई है। कुछ जिलों में निश्चित रूप से उनमें कमी पाई गई है और जिनमें कमी पाई गई है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

उन जिलों में विशेष औचक निरीक्षण द्वारा उसको ठीक करने में विभाग लगातार लगा हुआ है। यह सतत प्रक्रिया है और इसको विभाग लगातार कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री विद्याशंकर नंदवाना।

पीपल्दा में नये मार्गों पर निजी बसों का संचालन

379. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्रामीण परिवहन सेवा एवं रोडवेज द्वारा कौन-कौनसे मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी बस संचालकों के लिए नये मार्ग खोलने की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने नये मार्ग खोले गये हैं तथा उक्त नये मार्गों पर बसों का संचालन कब से किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: हां, दीजिये। हां दीजिये जवाब।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) (श्री युनुस खान (परिवहन मंत्री) के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में निगम द्वारा निम्न मार्गों पर उनके सामने अंकितानुसार दैनिक परिचक्रों का संचालन किया जा रहा है:-

क्रमांक	मार्ग	संचालित परिचक्र
1.	कोटा से श्योपुर वाया इटावा	18
2.	कोटा से डूंगरली करवाड़ वाया इटावा	06
3.	कोटा से दुर्जनपुरा वाया इटावा	04
4.	कोटा से ककरावदा वाया इटावा	02
5.	कोटा से खातौली इटावा	10
6.	कोटा-गैता वाया इटावा	02
7.	बारां खातौली वाया इटावा	10
8.	बारां श्योपुर वाया इटावा	04

9.	बारां करवाड़ वाया इटावा	04
10.	बारां दिल्ली वाया श्योपुर	02
11.	बारां जयपुर वाया श्योपुर	02
12.	बारां इटावा वाया गणेशगंज	02
13.	कोटा मांगरोल वाया बड़ौद सुल्तानपुर	04 ग्रामीण सेवा, निगम की
14.	बारां कोटा वाया रायथल सिसवाली बड़ौद सुल्तानुपर	02 ग्रामीण सेवा, निगम की

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पीपीपी मोड की ग्रामीण परिवहन सेवा की कोई बस सेवा संचालित नहीं है किन्तु दो मार्गों पर (06 परिचक्र) निगम की ग्रामीण मिडी बस सेवा संचालित है।

(2) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा निजी बस संचालकों के लिए नये मार्ग खोलने की स्वीकृति दी गई है। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में खोले गये नये मार्गों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (1) के जवाब में यह बताया है कि इस विधान सभा क्षेत्र में 14 रूट इनके द्वारा स्वीकृत हैं। साथ ही आपने यह भी बताया है कि ग्रामीण परिवहन सेवा की कोई बस सेवा संचालित नहीं है किन्तु दो मार्गों पर 06 परिचक्र निगम की ग्रामीण मिडी बस सेवा संचालित है। इन्होंने "मिडी" शब्द लिखा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस रूट का आपने वर्णन किया है, इस रूट पर लगभग 25 प्राइवेट बसें सुल्तानपुर से कोटा के लिए चलती हैं और लगभग 12 बसें श्योपुर से संचालित होती हैं और उनमें 06 बसों का परमिट हैं, बाकी सारी बसें अवैध रूप से चलती हैं। माननीय मंत्री महोदय, क्या इस सारी व्यवस्था में सुधार के लिए कोई प्रयास करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, माननीय सदस्य ने कहा है, कोटा इटावा खातौली

(श्री बाबूलाल वर्मा)

रूट पर बसें रोडवेज की भी चल रही हैं और पहले माननीय सदस्य ने ग्रामीण सेवा के लिए कहा था, प्राइवेट बसों का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत लोक परिवहन सेवा है, वे तीन बसें इस पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में चल रही हैं वो हैं कोटा-इटावा, कोटा-खातौली और इटावा-बूंदी। ये तीन बसें आपके पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में लोक परिवहन सेवा की चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 2015-16 के बजट में नये रूट खोलने की भी घोषणा की थी और उस बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा यह थी कि जिस जगह सड़कें तो काफी बन गयी, लेकिन सड़कें बनने के बाद भी परिवहन सेवाओं का अभाव था तो अब 1500 रूट खोलने की घोषणा की थी, उसके तहत कोटा में रूट तो खुले हैं, लेकिन माननीय विधायक महोदय का जो क्षेत्र है उसमें जो रूट खुले हैं, उस रूट में किसी ने परमिट लिये नहीं हैं इसलिए उस जगह बसें संचालित नहीं हो सकीं। लेकिन फिर भी माननीय विधायक महोदय यदि किसी रूट के बारे में कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसकी जांच करा लूंगा और जांच कराने के बाद उस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पच्चीस प्राइवेट बसें तो सुल्तानपुर से कोटा चलती हैं। दूसरा मेरा यह कहना था कि परमिट तो दिये हैं आपने 06 और श्योपुर से बसें चल रही हैं दस, जिनको हमने आईडेंटीफाई करके माननीय प्रभारी मंत्रीजी की मीटिंग में जब मैंने यह विषय उठाया तो उस पर जांच हुई और जांच के बाद यह बात सामने आई कि बारह बसें जो अवैध रूप से बिना परमिट के, इस श्योपुर से कोटा रूट के लिए रवाना होती हैं और जिन पर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। पहला प्रश्न तो मेरा यह है। और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो रूट आपने नये आईडेंटीफाई किये हैं उन रूट्स पर प्राइवेट बसें चल रही हैं। राजस्थान रोडवेज से हम जब भी प्रयास करते हैं तो वो यह कहते हैं कि हमारा यह

(श्री विद्‌याशंकर नन्दवाना)

रूट प्रोफिट में नहीं आ रहा है, जबकि स्थितियां इस प्रकार की हैं कि सारे प्राइवेट बस वाले सौ रुपये का नोट देकर जाते हैं इनके टिकट का जो प्राइवेट है उसको और वो गाड़ियां निकाल कर ले जाते हैं। जब कलेक्शन ही नहीं आएगा, जब राजस्थान रोडवेज को प्रोफिट ही नहीं मिलेगा तो ये आपका माइनस फीगर हमेशा बना रहेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिये। आप सीधा प्रश्न कीजिये।

श्री विद्‌याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): तो इन प्राइवेट बसों को रोकने के लिए श्रीमान् मंत्री महोदय, क्या प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे तो इसमें क्या कार्यवाही करेंगे? यह मुझे बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के जवाब में माननीय सदस्य को बताया कि 11 रूट इनके विधान सभा क्षेत्र में खोले हैं। वहां मात्र एक व्यक्ति ने परमिट लिया था लेकिन उसने भी लाइसेंस लिया नहीं है। ये परमिट था रोडगंज से सनावदा वाया रोहन पीपल्दा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस बात को माननीय सदस्य प्राइवेट बसों के लिए कह रहे हैं। मुझे भी ध्यान है मैं भी एक बार जब आपके विधान सभा क्षेत्र में दौरे पर गया था, माननीय विधायक महोदय भी साथ थे। उस समय आपने यह बात मेरे सामने रखी थी। मैंने उस समय विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर जांच भी करवायी थी और मैं आज आपके माध्यम से यह आश्वस्त करता हूं कि यदि वहां किसी प्रकार के, इस तरह के वाहन चल रहे होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसको चैक करवा कर कार्यवाही भी करेंगे और जो माननीय सदस्य का सुझाव है उसके हिसाब से काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री हीरालाल नागर। लेकिन पीपल्दा से इधर-उधर मत जाइयेगा। यह पीपल्दा का सीधा-सीधा सवाल है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): नहीं, बिलकुल नहीं। पीपल्दा में जितनी भी बसें माननीय अध्यक्ष महोदय, जा रही हैं वो सब कोटा से ही जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: कीजिये आप सवाल कीजिये पर पीपल्दा से इधर-उधर नहीं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): मेरा विधान सभा क्षेत्र व दीगोद वगैरह सब उसी में पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: करिये-करिये। सवाल करिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय आपके आदेशानुसार कोटा जिले के कुछ मार्गों पर सर्वे रिपोर्ट तैयार करके मंगवायी गयी थी, जिसमें कोटा से छबड़ा वाया देवली बपावर, कोटा से छीपाबड़ौद वाया बपावर-सांगोद-कैथून और कोटा से मनोहरथाना वाया इकलेरा-खानपुर-सांगोद-देवली तथा कोटा से सवाईमाधोपुर वाया गुड़ला-खातौली-इटावा...।

श्री अध्यक्ष: इसमें पीपल्दा कहीं नहीं आया।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): नहीं, वो ही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, देखिये इधर-उधर के सवाल का क्या जवाब देंगे, तैयारी नहीं है क्या फायदा।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): वहीं से जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, तथा कोटा से नीमोला-इटावा-सुल्तानपुर।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। श्री संदीप शर्मा। अगला सवाल।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): वो ही क्षेत्र है, माननीय अध्यक्ष महोदय। वाया पीपल्दा तो बिलकुल है, विधान सभा क्षेत्र वो ही है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पीपल्दा का नाम आपने अब लिया है। श्री संदीप शर्मा। बैठिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): सवाईमाधोपुर भी वाया गुड़ला वो जाती है खातौली-इटावा होकर जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ही रूट है।

श्री अध्यक्ष: पीपल्दा का नहीं आया। बैठिये। मैं जवाब दिलवा देता हूं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्रीजी, मेरा एक और प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हीरालाल जी, आप बिराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। मैं जवाब दिलवा देता हूं जो भी इनके पास है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय, एक और है गुड़ादीप, मण्डावरा,

(श्री हीरालाल नागर)

ये उसी क्षेत्र का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं है तो मंत्री जी सब जानते हैं उनसे लगा हुआ क्षेत्र है अगर वो चाहें तो जवाब नहीं दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जानकारी से लेना-देना नहीं है प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। आप विराजिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): स्पष्ट संबंध है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं है। मैंने पुकार लिया है नया सवाल श्री संदीप शर्मा। ये आप जवाब दे दीजिये उनका। कृपया बैठिये। हां, इनका जवाब दे दो, फिर वो श्री संदीप शर्मा का है।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य का भी कुछ क्षेत्र पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के रूट पर आता है। सुल्तानपुर तक के कुछ गांव आते हैं तो कुछ गांवों के अन्दर से इनकी कुछ बसें जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन बसों के बारे में या जिस क्षेत्र के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ये अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो निश्चित रूप से उन रूट्स के बारे में भी मैं चैक करवा लूंगा और चैक करवाने के बाद माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा, करेंगे आप सवाल?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): नहीं, हो गया, साहब।

श्री अध्यक्ष: हो गया, चलो ठीक है। श्री कैलाश भंसाली, आप जोधपुर से पीपल्दा कैसे पहुंच गये?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): पीपल्दा नहीं रोडवेज का सवाल है। पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने इंटरनेशनल अड्डा बनाने की घोषणा की थी उसमें...

श्री अध्यक्ष: नहीं, पीपल्दा से संबंधित। अगला सवाल श्री राजेन्द्र सिंह भादू। नहीं कैलाश जी, विराजिये।

वन क्षेत्र में निर्मित सरकारी भवनों को पट्टे देने की योजना

380. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

(1) क्या सरकार वन क्षेत्र में निर्मित सरकारी भवनों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश में वन भूमि पर बसे निवासियों के निर्माण को स्थाई कर, उसी खसरे/चक के अन्दर रकबाराज भूमि अपने कब्जे में लेकर बसावट हो चुकी कॉलोनियों का नियमन कर राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) जी नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सरकारी भवनों को पट्टे जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन (डाइवर्जन) भारत सरकार की स्वीकृति से ही किया जाता है।

(2) जी नहीं। ऐसी आवासीय बस्तियां जो कि वनभूमि पर बसी हुई हैं, अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। वन भूमि पर बसी हुई आवासीय बस्तियों के अतिक्रमण को नियमित किये जाने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मार्ग-निर्देशिका के एनेक्स्चर-IV (जिसकी प्रति परिशिष्ट-"ए" पर संलग्न है) में दिनांक 25.10.1980 से पूर्व के अतिक्रमणों के केवल ऐसे प्रकरणों का नियमन किए जाने का उल्लेख है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व ही निर्णय ले लिया गया था। किन्तु किन्हीं कारणोंवश इनकी पूर्णरुपेण अथवा आंशिक रूप से नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र के नियमन के लिए यह भी आवश्यक शर्त है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध तत्समय प्रचलित वन अधिनियम के तहत प्रथम अपराध रिपोर्ट दर्ज की गई हो। उक्त एनेक्स्चर-IV के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार दिनांक 24.10.1980 के पश्चात् के किसी भी अतिक्रमण के प्रकरण को नियमित नहीं किए जाने के निर्देश हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-1, आपके यहां भी वन विभाग है क्या?

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): हां, बहुत है साहब।

श्री अध्यक्ष: चलिये-चलिये। हां, कीजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न सरकारी भूमि के ऊपर वन विभाग की भूमि के ऊपर सरकारी भवनों का निर्माण। आज से 20-30 साल पहले राज्य सरकार द्वारा या ग्राम पंचायतों द्वारा, जलदाय विभाग द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा वन विभाग क्षेत्र के अन्दर ऐसे भवनों का निर्माण कर दिया गया। एक प्राइमरी स्कूल खुला वहां दो कमरों का निर्माण करके स्कूल का संचालन शुरू कर दिया, लेकिन जो काम आज से चालीस साल पहले हुआ था, चालीस साल के बाद में उन दो कमरों में उतने बड़े गांव का काम चल नहीं सकता। इतने विद्यार्थी उसके अन्दर कैसे बैठ पायेंगे और वो भूमि जिस पर भवन का निर्माण हुआ वो वन विभाग की थी। आज जब हम उस विद्यालय के विस्तार के बारे में बात करते हैं और जब हमने विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने शिक्षा के संबंध में रात में इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं तो जब हम उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हैं उसके लिए हमें कक्षा कक्षों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम उन भवनों का निर्माण नहीं करा सकते, क्योंकि वो भूमि वन विभाग की है।

एक तो मेरा यह प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में हम उसमें क्या कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिये, हमारे गांव में पीने के पानी के लिये जिन जलदाय योजनाओं का विस्तार करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में औषधालय बनाने के लिये हमें और भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। वन विभाग की भूमि होने की वजह से....

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, यह डिमांड पर चर्चा हो रही है क्या, हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, यह पूरा समय चाट जायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसमें निर्माण कैसे किया जाये? दूसरा...

श्री अध्यक्ष: एक का जवाब आने दीजिए, फिर दूसरा कर लेना। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 के तहत 25.10.1980 से पहले कोई भी वन की भूमि जहां पर कोई गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्कीम थी या कोई ऐसा मामला था जहां पर एफआईआर के केसेज दर्ज हैं, फोरेस्ट यूज के लैंड के बारे में केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसम्बर, 1996 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंड मार्क जजमेंट था द फेमस गोदा बर्मन केस। लकीर तो पूरी खिंच गई है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है परंतु जहां पर यह जो फोलोइंग केटेगिरी हैं, स्कूल हैं, डिसपेंसरी हैं, हास्पिटल हैं, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन लाइन हैं, ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है, माइनर इर्रिगेशन कैनाल्स हैं, नोन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जीएसएस है, इन सब चीजों के लिये जो अभी फोरेस्ट लैंड पर है, अगर एक हैक्टेयर से कम जमीन है तो उसको पैनल्टी क्लाज के तहत जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वह अपनी एप्लीकेशन दर्ज करे। जैसा स्कूल का आपने बोला है, यह अगर एक हैक्टेयर से ज्यादा है तो यह केन्द्र सरकार को जाएगी। और कुछ वायलेशन है, कई बार केन्द्र सरकार माफ भी कर देती है। जो भी प्रस्ताव आप हमें देंगे अगर एक हेक्टेयर से कम है तो उसका समाधान हम यहां निकालेंगे, नहीं तो केन्द्र सरकार को भेजकर यह जो स्कूल वगैरह हैं, इनको रैगुलराइज कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिन गांवों में, शहर में, कस्बों के आसपास वन विभाग का क्षेत्र था और आम जन की जानकारी नहीं थी, उन्होंने 1980 से पहले ही निर्माण कर रखा था, जैसा कि एनेक्स्चर(4) में दिया हुआ है, इसके अनुसार अगर 1980 से पहले का निर्माण है तो उसमें एक कमेटी गठित करने का प्रावधान भी है। क्यों नहीं कलेक्टर की अध्यक्षता में वन विभाग के अधिकारी उसमें बैठे और उस सारी भूमि को जिस पर आज 1980 से पूर्व या 1980 तक, 25.10.1980 तक जो लोग काबिज हैं, इसमें तो यह लिखा हुआ है कि अगर उसमें उस वक्त का प्रकरण या...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए सीधा सीधा।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसमें हम क्या करेंगे? अगर सरकार इस तरह की भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वापस चाहती है तो जो लोग वहां बसावट कर चुके हैं, इतनी बड़ी आबादी बस चुकी है, क्या सरकार उनके पुनर्वास की योजना रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताया था कि 25.10.1980 से पहले यदि कोई गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्कीम है या कोई मामले में अगर एफआईआर दर्ज हैं, ये मामले कंसीडर हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पूरे देश में नैग्लेजिबल या निल ही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री गोतम मीणा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, वन क्षेत्र में बसे हुए आदिवासी जो पट्टे से वंचित हैं, उनको कब तक पट्टा देने का विचार रखते हैं? साथ ही बीपीएल परिवार जिनको मुख्य मंत्री आवास और प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, क्या उनको मकान बनाने के लिये पट्टा देने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीपीएल, वगैरह के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसा मैंने बार-बार बोला है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो वन अधिकार पत्र है जो ट्राइबल रिसाइड करते हैं फोरेस्ट एरिया में, माननीय सदस्य को मैं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 की कॉपी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा प्रश्न तो आ गया। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे जो इंदिरा आवास, मुख्य मंत्री आवास और प्रधान मंत्री आवास आ रहे हैं वह गरीब परिवार जो पहले

(श्री फूलसिंह मीणा)

भी बना चुके हैं, अब उसमें शौचालय भी बना लिया। मगर जो अभी आ रहे हैं उसमें हमारा बीडीओ कहता है कि जब तक पट्टा नहीं होगा या वन विभाग की कोई परमिशन नहीं होगी तो जो भवन 1,48,290 रुपये में बनने वाला है मुख्य मंत्रीजी ने अभी बांसवाडा में उद्घाटन किया है, वैसा भवन वन विभाग में रहने वाले को भी मिले, मंत्री महोदय ऐसी कोई योजना है जिससे उनको यह मिलेगा?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं अमीर गरीब का मामला नहीं है, कोई अलग स्कीम का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वह क्लीयरकट है और पिछले दो प्रश्न में मैं सेम यही जवाब दे चुका हूं कि यह संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तलाजी रावत। आप वन विभाग में कहां पहुंच गइ? आपके है क्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वन विभाग से ही संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जो वन क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी कितने ही वर्षों से रह रहे हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे स्कूल भवन, पशु केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि की अनुमति क्यों नहीं मिलती है? जबकि यह तो लिखा हुआ भी है कि मिलनी चाहिये, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिये। जो हजारों वर्षों से रह रहे हैं, क्या उनको पट्टा देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों वर्षों से रहते हैं, कितने वर्षों से रहते हैं, 1980 कटऑफ डेट मैंने बता दी है और फोरेस्ट भूमि में मैंने आपको केटेगिरी भी बता दी, स्कूल, डिसपेंसरी, हास्पिटल, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन लाइन, ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, माइनर इर्रिगेशन कैनाल, स्किल अपग्रेडेशन, जीएसएस, कम्युनिकेशन पोस्ट, पुलिस स्टेशन आउट पोस्ट, अपग्रेडिंग एण्ड वाइंडिंग ऑफ रोड्स, यह डाइवर्जन के थ्रू आज भी परमिशन प्राप्त हो रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री हीरालाल।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जैसलमेर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आपने पहले तो बटन दबाया नहीं आप अब उठे हैं मैं आपको चांस दूंगा।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में पूर्ववर्ती समय में, सैटलमेंट के समय में ढाणियों की बसावट थी, उसके बाद वह जमीन वन विभाग को दी गई। क्या उक्त ढाणियां जो पूर्व समय से बसी हुई हैं, उनको नियमन करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, आप विराजिए, जवाब नहीं आएगा। हां आप बोलिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मान्यवर मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वन विभाग में जमीन के पट्टे नहीं दिये जाये यह माननीय मंत्री महोदय का कहना है, लेकिन कई वर्षों से आदिवासी किसान मकान बनाकर, कुआ बनाकर परम्परागत रीत से खेती करते चले आ रहे हैं, उनका क्या होगा? यह माननीय मंत्रीजी मुझे जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): बोल दिया साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री हीरालाल।

टोंक जिले में ईसरदा बाँध बनाने की योजना

381. श्री हीरालाल (निवाई): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध के भरने के पश्चात् पानी ओवरफ्लो होकर अन्य राज्यों में चला जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी का सदुपयोग करने के लिये ईसरदा बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह भी सही है कि बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी का सदुपयोग करने हेतु प्रस्तावित ईसरदा बांध की संशोधित तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के लिये प्रस्ताव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? प्रस्तावों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) (जल संसाधन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी का सदुपयोग करने के लिये ईसरदा बांध का निर्माण केवल पेयजल हेतु ही किया जाना है। दौसा जिले के समस्त पांच शहर क्रमश: दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुवा एवं लालसोट तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समस्त 1079 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत इस बांध के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 530.00 करोड़ की जारी हुई थी।

ईसरदा बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के अंतर्गत कराया जाना है। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु वर्ष 2013 में स्वीकृति उपरान्त नये भूमि अवाप्ति एक्ट-2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2012 के स्थान पर बी.एस.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856.00 करोड़ होना माह जनवरी, 2016 में अवगत कराया है।

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग द्वारा बांध के निर्माण की उक्तानुसार संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856.00 करोड़ होना माह जनवरी, 2016 में अवगत कराया है। संशोधित प्रस्ताव का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) वित्त विभाग को उक्त बांध के निर्माण हेतु संशोधित अनुमानित लागत के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाकर निर्देशानुसार प्रस्तावित राशि की वर्षवार व्यवस्था एवं आयोजना विभाग की सहमति बाबत कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: ईसरदा बाँध के बारे में पूछिए।

श्री हीरालाल (निवाई): हां, ईसरदा बाँध के बारे में। बीसलपुर बाँध हमारे जिले का है। यह बनास नदी मेरे क्षेत्र से भी गुजरती है।

श्री अध्यक्ष: हां पूछिए।

श्री हीरालाल (निवाई): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो बीसलपुर बाँध बना है, उसके इस बार तीन बार 15 चैनल गेट खोले गए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, वह बिलकुल सही जवाब दिया है। पहले इस बाँध की 530 करोड़ रुपए की लागत थी, जो बी.एस.आर. बढ़ने के बाद 1856 करोड़ रुपए हो गई। बाँध तीन बार भर गया। उसके तीन बार गेट खोलने पड़े। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ईसरदा डेम बहुत जल्दी बनाया जाए, जिससे पानी की समस्या से और फ्लोराइड पानी से जनता को मुक्ति मिले। मेरा यही एक निवेदन है। आपने जो बताया है, वह बिलकुल सही है, पर इसकी 1856 करोड़ रुपए लागत आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जल्दी बन जाएगा तो जनता को फ्लोराइड पानी पीने से मुक्ति मिलेगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के खंड-3 में यह बताया है कि 'प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाकर निर्देशानुसार प्रस्तावित राशि की वर्षवार व्यवस्था एवं आयोजना विभाग की सहमति बाबत कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है' वहां से कार्यवाही पूरी होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे मैं सहमत हूं और मेरा आपके माध्यम से इनसे प्रार्थना है कि यह बाँध जल्दी तैयार हो जाए ताकि जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ईसरदा डेम बनाए जाने का निर्णय कब

(श्री अजीत सिंह)

हुआ? कितनी राशि की डी.पी.आर. बनी? इसके माध्यम से कहां-कहां पेयजल आपूर्ति होनी है? अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है और कितनी राशि खर्च होने पर यह योजना पूर्ण होगी? एक सवाल तो यह है। आपको बीसलपुर बाँध से टोंक जिले के वंचित इलाकों में नहर माध्यम से सिंचाई की क्या कोई कार्य योजना है? दूसरा मेरा निवेदन है कि ईसरदा डेम से टोंक विधान सभा क्षेत्र के गांव डूबने की स्थिति में आते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि शायद यह 530 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 1800 से 1900 करोड़ का हो चुका है। क्या इसमें चैक डेम बनाकर हमारे गाँवों को बचाया जा सकता है? ऐसा मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कितना पैसा खर्च हुआ? मैं, माननीय सदस्य से निवेदन करूँ कि अभी तक 199.32 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इस ईसरदा बाँध के निर्माण का उद्देश्य दौसा जिले की पाँच तहसीलों के 1079 गाँवों, जिनमें लालसोट तहसील के 302 गांव, बसवा तहसील के 299 गांव, महुवा तहसील के 161 गांव, दौसा तहसील के 248 गांव और सिकराय तहसील के 139 गांव एवं बांदीकुई, दौसा, लालसोट, महुवा कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराना, इसका मूल उद्देश्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी 530 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी, परंतु भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013... बी.एस.आर., 2012 के स्थान पर बी.एस.आर., 2014 लागू हो जाने के कारण इसकी संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1856 करोड़ रुपए की बनाई गई। नया भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2014 लागू हो जाने के कारण नई संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई थी। इसके कारण डिले हुआ है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हमने वर्षवार व्यवस्था करने के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी है और आयोजना विभाग से भी सहमति लेने के साथ-साथ जब भी प्रक्रिया पूरी होकर फाइल आएगी, उसके बार अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री राजेंद्र गुर्जर।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारा अभी वर्तमान में ईसरदा कोपर डेम बना हुआ है। उसमें बोर पड़ गया। उससे आज भी कई गांव पीने और सिंचाई के उपयोग में लेते हैं। वह पानी बहता हुआ सीधा नदी में निकल रहा है। अभी ओवरफ्लो हुआ था, उससे सारा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे उसकी मरम्मत के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराना चाहते हैं? दूसरी बात, बीसलपुर बाँध से जो ओवरफ्लो पानी बहकर जाता है। मेरे टोंक जिले का गलवा बाँध जो कि उनियारा क्षेत्र में आता है। उसमें छह करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे जो पानी बहकर जाता है, उसका उपयोग हो जाए तो क्या गलवा बाँध को बीसलपुर बाँध से जोड़ने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जल संसाधन विभाग से संबंधित है और ईसरदा बाँध तो बिलकुल नया बनेगा। हम पैसा देंगे, जल संसाधन विभाग बनायेगा। इसलिए इसके संबंध में इस क्वेश्चन का जवाब यह है।

प्रश्न संख्या 382

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, डॉ. किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप अपनी मनमानी करते रहें।+++

(माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं पुकारा)

(कृपया प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: क्या हुआ? अगला जवाब। श्री दर्शन सिंह।

प्रदेश के पैट्रोल पम्पों द्वारा की जा रही मिलावट की जांच

383. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(1) टोंक, बूंदी एवं राजसमन्द जिलों में इण्डियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम व रिलायंस के कितने-कितने पैट्रोल पम्प कितनी मासिक औसत डीजल पैट्रोल बिक्री के साथ किनके द्वारा कब से

(श्री दर्शन सिंह)

संचालित किये जा रहे हैं?

(2) गत 3 वर्षों में समय-समय पर उक्त पैट्रोल पम्पों की जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग, जिला प्रशासन तथा तेल कम्पनी द्वारा की गई जांच, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पैट्रोल पम्पों पर लगने वाली मशीन की निर्माता एवं रख-रखाव का जिम्मा संभालने वाली कम्पनी की कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला रसद विभाग, बांट एवं माप विभाग तेल कम्पनी व पम्प पर लगने वाली मशीन की निर्माता व रखरखाव की जिम्मेदारी संभलाने वाली कम्पनी की पैट्रोल पम्प मालिकों से मिलीभगत तथा रसद विभाग के अधिकारियों की व्यस्तता के कारण पैट्रोल पम्पों पर उपभोक्ताओं को कम व मिलावटी डीजल, पैट्रोल दिया जा रहा है? यदि हां, गत 05 वर्षों में उक्त पैट्रोल पम्प के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त पैट्रोल पम्पों की समय पर जांच नहीं करने वाले जिला रसद, बाट माप विभाग के अधिकारियों, पम्प निर्माता व मेन्टीनेंस कम्पनी तथा पैट्रोल पम्प संचालकों व सम्बन्धित तेल कम्पनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) टोंक, बून्दी एवं राजसमन्द जिलो में संचालित पैट्रोल पम्पों की संख्या निम्न प्रकार है:-

नाम जिला	इण्डियल ऑयल	भारत पैट्रोलियम	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम	रिलायन्स	कुल
टोंक	49	13	28	4	94
बून्दी	31	14	16	2	63
राजसमन्द	30	15	6	3	54
कुल	110	42	50	9	211

विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) गत 03 वर्षों में जिला रसद विभाग, बांट एवं माप विभाग तथा तेल कम्पनियों द्वारा की गई जांच/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अधिक संख्या में होने के कारण सदन में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग तथा तेल कम्पनियों द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार यह सही है कि पैट्रोल पम्प पर लगने वाली मशीनों के रख-रखाव की प्रत्यक्ष रूप से निर्माता कम्पनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। निर्माता कम्पनी पैट्रोल पम्प पर लगी हुई मशीनों का रख-रखाव ऑयल कम्पनी के साथ की गई शर्तों व नियमों के आधार पर करती है, जिसके अन्तर्गत अगर निर्माता कम्पनी की सर्विस इत्यादि में कोई दोष इत्यादि पाया जाता है तो उक्त निर्माता कम्पनी पर जुर्माना किया जाता है।

(4) तेल कम्पनियों की पैट्रोल पम्प मालिकों से मिलीभगत तथा रसद विभाग के अधिकारियों की व्यस्तता के कारण पैट्रोल पम्पों पर उपभोक्ता को कम डीज़ल या पैट्रोल नहीं दिया जा रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बाट-माप विभाग एवं तेल कम्पनियों द्वारा जिला टोंक, बून्दी एवं राजसमन्द में संचालित पेट्रोल पम्पों के कुल 1023 निरीक्षण किये गये, जिनमें अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये तथा बाद सुनवाई प्रतिभूति राशि जब्ती एवं चेतावनी पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई।

(5) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ के निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड तय किये हुए हैं, इनके अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

शहीद दिवस पर शहीदों को नमन

यह सदन देश की आजादी के लिए ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आक्रामक तेवर अपनाने वाले क्रांतिकारी भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरू की शहादत को नमन करता है।

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने वाले भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरू को लाहौर जेल में 23 मार्च, 1931 को सायंकाल 7.33 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजादी के दीवानों के इस बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। स्वतंत्रता के नायकों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देशवासियों में वैचारिक क्रांति का शंखनाद किया ताकि देश आजाद हो सके और भारतवासी एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से देश की आजादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले अमर शहीदों की शहादत को नमन करता हूं।

यूनाइटेड किंगडम की संसद पर हुए आतंकवादी हमले के मृतक

यूनाइटेड किंगडम की संसद एवं वेस्टमिंस्टर पुल पर दिनांक 22 मार्च, 2017 को आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में एक सुरक्षाकर्मी सहित 04 लोगों की मौत हो गई तथा लगभग 40 व्यक्ति घायल हो गए। हमले के समय संसद की कार्यवाही चल रही थी। लोकतंत्र के मंदिर पर की गई इस कायरतापूर्ण कार्यवाही की यह सदन कड़ी निंदा करता है। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से इस हमले में लोगों की हुई मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं। कामनवैल्थ कंट्रीज के संगठन का सदस्य है भारत उस नाते तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवदेंना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गैर आबादी गांव ढाणियों में विद्युत कनेक्शन दिए जाने के संबंध में।

(2) डा. किरोडी लाल, सदस्य की ओर से जिला अलवर में अमन बाग रिसोर्ट द्वारा सरकारी भूमि व दलितों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ शहर में पुरानी क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को नहीं बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम पंचायत पालावाल जाटान, ग्राम झर व ग्राम पाडासोली तहसील बस्सी में राशन डीलर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(5) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में।

(6) श्री रमेश, सदस्य की ओर से प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों के प्रमाण पत्र नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री भँवर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में नव चयनित स्कूल व्याख्याताओं को नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अंजू देवी धानका,श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश व श्री भंवरसिंह को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से पिण्डवाड़ा में ई.एस.आई. डिसपेंसरी खोलने के संबंध में।

(2) श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में वन विभाग की चारागाह व सिवायचक भूमि पर बसी बस्तियों का भू रूपांतरण कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

(3) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की मुख्य सड़कों की मरम्मत करने के संबंध में।

(4) श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद (सीकर) में किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाये जाने के संबंध में।

(5) श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर शहर में गौरव पथ बनाए जाने के दौरान अन्य विभागों द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य नहीं किए जाने से गौरव पथ निर्माण में आ रही बाधा के संबंध में।

(6) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में मनाये जाने वाले फूलडोल उत्सव को पर्यटन विभाग के कैलेण्डर में शामिल किए जाने के संबंध में।

(7) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से प्रदेश में संविदा पर नियुक्त कार्मिकों का आर्थिक शोषण रोकने हेतु पुन: एम.आर.एस. से नियुक्तियां देने के संबंध में।

(8) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से फतेहपुर के छतरिया

बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था करने के संबंध में।

(9) श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धाराओं में पुन: संशोधन कर कृषकों को ऋण प्रदान किए जाने के संबंध में।

(10) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के बीसलपुर में गौ-संरक्षण हेतु गौ-अभयारण्य बनाये जाने के संबंध में।

(11) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के खेल स्टेडियम की जर्जर स्थिति सुधारने के संबंध में।

(12) श्री नरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किसानों को नहीं होने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवदेन कर रहा था कि आज पुलिस और न्याय प्रशासन पर बहुत महत्वपूर्ण मांग है, माननीय सदस्यों की लिस्ट भी काफी लंबी है इसलिए ये 295 पढ़े हुए मान लिए जाएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। रात को भी बारह- सवा बारह बज गए थे। क्या सदन की सहमति है कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 23 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 46 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 04 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री ज्ञानचंद पारख, पाली शहर में गत वर्ष हुई अतिवृष्टि से हुए सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पर आपदा कोष से मुआवजा राशि दिलाने तथा भविष्य में बाढ़ से बचाव के उपाय किए जाने के संबंध में।

(2) श्री मेवाराम जैन, पुलिस चौकी चवा को बायतू से हटाकर सदर थाना बाड़मेर व उसके साथ पाँच पंचायतों को जोड़ने के संबंध में।

(3) श्री गोतम कुमार, प्रदेश में विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हैल्पर का मानदेय बढ़ाने के संबंध में।

(4) श्री हीरालाल, पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन पंचायत समिति का कार्यालय स्थापित करने के संबंध में। यह तो आप बहुत बार बोल चुके हैं, आज भी बोलेंगे?

श्रीमती अंजू देवी धानका।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बस्सी में राशन डीलर द्वारा की जा रही अनियमितता

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय यहां रखने जा रही हूं उसकी शिकायत लिखित में मैंने विभाग में कई बार दी है लेकिन अब तक दो महीने में किसी मामले में कार्यवाही नहीं होने की वजह से मुझे यहां दुबारा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। बस्सी ग्राम पंचायत पाडासोली मे डीलर है वह कभी भी दुकान नहीं खोलता है। जब उससे सामग्री का रिकार्ड मांगा जाता है तो वह कहता है कि खो गया है। अगर खो गया है तो विभाग के पास तो रिकार्ड है कि विभाग द्वारा उसे वितरित करने के लिए कितनी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई थी? यह जानकारी भी मैंने मांगी थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

इसके अलावा टेटड़ा पंचायत में, यह मामला टेटड़ा का है। टेटड़ा की कई बार शिकायतें आपके पास आईं लेकिन उन पर भी कार्यवाही नहीं हुई है। वहां पर कभी भी, टेटड़ा में दो घंटे के लिए डीलर सिर्फ बैठक में गया था और उसका पूरा रिकार्ड उपलब्ध था, डीएसओ वहां पर गया और उसने उसको सस्पैंड कर दिया बावजूद इसके कि उसके पास पूरी खाद्य सामग्री का पूरा रिकार्ड था।

इसके बिलकुल उलटा जब वह झर में गया, झर एक ग्राम पंचायत है। वह जब वहां खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए गया तो वहां पाया कि डीलर उसके सामने ब्लैक कर रहा था। वहां पर तेल का ब्लैक हो रहा था और किसी दूसरे टैम्पो में सारे ड्रम उलटे जा रहे थे, जिसमें डीएसओ ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूं। यह तीन ग्राम पंचायतों की अलग-अलग शिकायतें मैंने लिखी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामले पर मैं यहां पर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, कि पालावाल जाटान एक ग्राम पंचायत है, 130/2005 दुकान नम्बर है। उसमें राशन डीलर जो सामग्री दे रहा है, वह उपभोक्ता तक पहुंच नहीं रही है। मेरे पास पूरा रिकार्ड है और राशन कार्ड की कॉपीज हैं जहां पर राशन कार्ड दिया नहीं गया है, लेकिन उनके पास मैसेजेज आ रहे हैं कि उनका राशन उठाया जा रहा है। इसमें लोगों ने अपने फोन नम्बर और डिटेल के साथ दिया है कि उनके राशन कार्ड पर ये-ये राशन उठाया जा रहा है, जबकि इनमें से किसी भी उपभोक्ता का नाम ही खाद्य सूची में जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बावजूद उनके नाम से राशन उठाया जा रहा है। यह पालावाल जाटान का मामला है, जिसकी शिकायत भी मैंने दो महीने पहले की थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि खाद्य निरीक्षक बस्सी का होने के बावजूद इतनी सारी अनियमितताएं हो रही हैं। फिर निरीक्षक के मूक दर्शक बने रहने के कारण खाद्य सामग्री की काला बाजारी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। जिनकी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, डी.एस.ओ. उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं उनको तुरन्त जाकर सस्पैण्ड कर रहे हैं।

मैं एक बात और यहां पर मेन्शन करना चाहती हूं कि सरकार ने जो

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

पी.ओ.एस. मशीन लगाई, दुकानदार उसमें भी हेराफेरी करके उपभोक्ताओं को सामग्री वितरित नहीं कर रहे हैं। फिर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पी.ओ.एस. मशीन से पहले क्या हाल रहा होगा कि उपभोक्ता को मालूम भी नहीं है और उसके नाम से राशन उठाया जा रहा है। ई-मित्र से मैंने यह पूरा रिकार्ड निकलवाया है। सभी लोगों ने यह लिखकर दिया है कि उनके नाम से राशन उठाया जा रहा है।

इसके अलावा एक जो शिकायत डीलरों की प्राप्त हो रही है कि बिल्टी की जो कम्प्यूटराइज्ड रिसीट दी जाती है, खाद्य गोदाम से जो निकलती है एफ.सी.आई. से, वह पक्की निकलती है। लेकिन डीलर के पास पहुंचते-पहुंचते, वह कच्ची रसीद उनको देते हैं। जब डीलर उससे पक्की रसीद मांगता है तो उसे सस्पैण्ड करने की धमकी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाये कि जो डीलर हैं उसको पक्की रसीद मिले क्योंकि जब वज़न तुलवाने की बात आती है तो उनके साथ झगड़ा होता है कि अगर आप वज़न तुलवाने की बात करोगे या पक्की रसीद मांगोगे तो आपको सस्पेण्ड कर दिया जायेगा। उसे पक्की रसीद ही मिले, ऐसा आप प्रावधान करें।

इसके अलावा मैं आपसे मांग करती हूं कि दुकान संख्या 130/2005 और झर और पाड़ासोली, इनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर जांच करवायें और रिकवरी करायें। मैं इस स्थगन के माध्यम से आपसे निवेदन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी, रेस्पोंड करेंगे?

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने तीन दुकानों के बारे में यहां चर्चा की है। एक दुकान तो झर पंचायत की है, एक पाड़ासोली की है और एक पालावाल जाटान की है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि पालावाल जाटान की दुकान की जो शिकायत की है, दुकान नम्बर 130/2005, इसके डीलर रमेश चन्द मीणा की शिकायत की है। हमें शिकायत 30 जनवरी, 2017 को प्राप्त हुई। इस शिकायत के मामले में मैं

(श्रीमति बाबूलाल वर्मा)

आपके माध्यम से सूचित करूंगा कि इसमें हमारे हैड आफिस मुख्यालय से जांच दल गठित करके 07 फरवरी को इस पर कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे दिये थे। इस पर जब जांच दल गया तो वहां दुकान बंद थी, लेकिन फिर भी उसका सारा रिकार्ड जब्त करके, उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही की जा रही है। यह मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं।

दूसरी दुकान, जो आपने पाड़ासोली के लिये कहा है, यह दुकान श्रीमती रामप्यारी के नाम से है। इस पर 22.03.2016 को ...(व्यवधान)...

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मंत्रीजी, यह दुकान उसके नाम से है, चलाता कोई दूसरा है। यहां तक कि दस्तखत उस डीलर के नहीं हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बैठिये, आप बैठिये।

इसकी शिकायत हमें 22.03.2016 को प्राप्त हुई थी, जिसको 30.03.2016 को ही निलम्बित कर दिया गया था। इसकी जांच अभी प्रक्रियाधीन है।

तीसरी जो बात झर पंचायत की है, इसकी जांच हमारे ई.आई., बस्सी के द्वारा 26.06.2016 को की गई है। इसमें जो अनियमितता पाई गई है, उसमें निश्चित रूप से जांच करके कार्यवाही चल रही है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो प्रकरण आपने मुझे यहां बताये हैं, प्रधान कार्यालय से एक जांच दल गठित करके तीनों दुकानों की मैं जांच करवा लूंगा और उसमें दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करूंगा।

(समय: 12:14 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

टेटड़ा के लिये आपने कुछ कहा है, वह शायद गलत कर दी है तो इस मामले की भी मैं जांच करवा कर निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आप मुझे समय अवधि बता दीजिये क्योंकि दो महीने तो होने वाले हैं और आप जांच कराएंगे। जांच तो मैं पूरी आपके सामने रख देती हूं। मैंने ही करा ली है पूरी जांच तो। पूरा रिकार्ड निकलवा रखा है लोगों के दस्तखत हैं, जिनके नाम से सामग्री उठ रही है।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)
फिर अभी जांच करने में बाकी रह क्या गया है। आप टाइम पास कर रहे हैं। दो महीने हो चुके हैं और अब आप डैड लाइन दे दो कि इतने टाइम में हो जायेगा।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्या यह विषय मेरी जानकारी में लायी है, मैं निश्चित रूप से बिलकुल, जल्दी से जल्दी इस पर जांच कराकर कार्यवाही करूंगा।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): जानकारी तो आपको दो महीने से है। मैं जानकारी आज नहीं दे रही हूं। आप खुद इसको मान रहे हैं कि आपको जानकारी थी। लेकिन दो महीने से अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप तुरन्त प्रभाव से उसको निलम्बित करें या मुझे यह डैड लाइन दीजिये कि हां, इतने दिन में हो जायेगा। अभी भी आप कह रहे हैं, आज जानकारी में लाये हो। आज थोड़े ही लाई हूं। आप खुद कह रहे हैं कि दो महीने हुए हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निलम्बित कर दिये गये हैं। निलम्बित करके उस पर कार्यवाही चल रही है। उसको अटैच करके दूसरे डीलर से राशन बंटवाया जा रहा है। कार्यवाही निश्चित रूप से करेंगे। मैं फिर भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराता हूं कि जांच दल गठित करके, यहां अलग से जांच दल गठित करूंगा और उस पर जो भी कार्यवाही होगी, कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अभी जांच करने की... अब फिर वही आप बात कर रहे हैं कि जांच... जांच तो ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराज जाओ।

आप जांच दल गठित करके, उस जांच की जो रिपोर्ट है, वह आप सदन में पेश कर दीजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बिलकुल, सर।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): Thank you, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखरामजी।

प्रदेश में शराबबंदी

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शराबबंदी को ले करके भा.ज.पा. के विधायक रहे हुए छाबड़ा साहब, उन्होंने अपनी शहादत दी। प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ सम्प्रदाय हैं, उन जातियों व सम्प्रदायों में शराब निषेध है। उसका पूरा बहिष्कार करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शराब नीति लागू की गई। लागू करते वक्त, दुकानें खोलते वक्त यह ध्यान में नहीं रखा गया कि जिस गांव में दुकान खोली जा रही है, पूरी की पूरी आबादी शराब का बहिष्कार करती है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रतिबंध है, फिर भी दुकानें खोली गईं। आज पढ़ी-लिखी जो नई पीढ़ी है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब दुकान गांव में ही आ गई तो मन तो बिलकुल ही बहल जाता है, ऐसे कठोर विषय पर, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, राजस्थान से बिहार प्रदेश गरीब है, गरीब होते हुए भी वहां के राजनीतिक दलों पर, नेताओं पर पब्लिक का जो दबाव बना, तब जा करके वहां शराबबंदी हुई। गुजरात में शराबबंदी शुरू से चल रही है। राजस्थान पहले ड्राई एरिया था, फिर शराब के ठेके खोले गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नशा समाज को नाश करता है।

नशा काट लेवीं नसां, नशे कियो सब नास,
नशे पटकिया नर्क में, अड़ी नशे में सांस।

कब उसको शराब की बोतल मिले, कब उसको संतुष्टि हो, यह दिन भर 24 घण्टे उसके दिमाग में रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, शराब केवल मात्र आपके समाज तक ही सीमित थी। जो आम लोग थे, वे शराबबंदी की पालना करते थे। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप क्या बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... क्या हो गया?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं सही निवेदन कर रहा हूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ...(व्यवधान)... आप भी लेते हैं। आप नहीं लेते होंगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, वैसे तो इसका सेवन कहां-कहां होता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इसके कई और नाम भी हैं। इसलिये आपने इसको एक पर्टिकुलर समाज तक ही सीमित क्यों किया?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनको अपने 29 नियम भी नहीं मालूम हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, नहीं, मेरा वह ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्षजी, बहुत सम्मानपूर्ण तरीके से बिलकुल ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सुखरामजी, मैं यह पूछ रहा हूं आपको अपने बीस, नौ, विश्नोई, 29 नियम याद हैं क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अपन तो, ना सिर्फ विश्नोई समाज से, अपने कहां दारू होती थी। आप बैठो। दारू का पता नहीं है दारू कैसे पीते हैं, आपको पता ही नहीं है। ...(व्यवधान)... मैं यह बात कह रहा हूं कि पर्टिकुलर समाज को पीने का तरीका पता था।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्षजी, देवता भी सुरापान करते थे। शायद, विश्नोईजी, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)... देवता सुरापान करते थे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन समाज के लोगों को बिलकुल रीति-रिवाज का पता था। कैसे पीना है, कैसे करना है, किस तरह से रहना है। मेरा निवेदन है कि जो पहले पीते थे, एक बोतल चार घण्टे से पीते थे। अब तो पव्वा लिया और सीधा डाल दिया। पीने का तरीका ही पता नहीं है। इसलिये मैं, उप सचेतक से निवेदन कर रहा हूं, आपको पता नहीं है दारू कैसे पीते हैं। आपको पता नहीं है, इसलिये मेरा निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दारू जब पीते हैं, तब गिलास टकराते हैं। एक कवि से यह पूछा गया यह गिलास टकराने का अर्थ क्या हुआ। बहुत बढ़िया दोहा कहा, "मद पीते मुजरो करे, उण नो करो विचार। अक्ल कहे जी ठाकरां, जाती करो जुआर।" अक्ल कह रही है मैं तो जा रही हूं, आप आपके पीओ दारू।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसे हालत गांवों में बने हुए हैं तो आपकी मार्फत में सरकार से जानना चाहूंगा कि इस शराबबंदी की बात पर

(श्री सुखराम विश्नोई)

एक कानून बना था कि 50 परसेंट से ज्यादा आबादी यदि पक्ष में मतदान करती है तो शराबबंदी लागू होगी और वह आबकारी अधिकारी को लैटर भेजते हैं जिला कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी होता है। गांव के लोग कलेक्टर को शिकायत करते हैं, कलेक्टर आबकारी अधिकारी को भेजते हैं तो वह सर्वे करते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सास बहू से चोर मराये और चोर बहू का भाई। मतलब, सास अपनी बहू से कहती है कि तू चोर को मार और चोर उसका भाई है तो वह चोर को थोड़े ही मारेगी? आबकारी अधिकारी से कह रहे हैं कि आप सर्वे करके दो कि रिपोर्ट सही है या झूठी है या असत्य रिपोर्ट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 35 पंचायतों में आज की तारीख में पूरे प्रदेश के अंदर दरख्वास्तें प्रशासनिक अधिकारी को, जिलाधीश को दे रखी हैं। उन्होंने आबकारी अधिकारी को भेजी और आबकारी अधिकारी ने रिपोर्ट पेश की है। यह जो रिपोर्ट पेश की गयी है, यह रंजिशवश रिपोर्ट पेश की गयी है। इसमें रंजिश है। मतलब ठेका बंद करवाने के लिए रिपोर्ट नहीं की है, मतदान के लिए रिपोर्ट नहीं की है, केवल-केवल मात्र रंजिशवश कि इसका ठेका चल रहा है इसलिए रिपोर्ट की है। जान-बूझकर गलत रिपोर्ट पेश की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले साल भर में शराब की, सरकारी शराब की बिक्री घटी है। कहीं पर 20 परसेंट घटी है, कहीं पर 30 परसेंट घटी है। घटी इसलिए है, इसके दो कारण हैं, एक तो कुछ जागरूकता आई और कुछ जो हरियाणा निर्मित दारू यहां पर आती है राजस्थान के अंदर, जो गुजरात जाती है, वह सस्ती मिलती है, इसलिए पुलिस की मोनिटरिंग नहीं होने से, उस वजह से यह बिक्री घटी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जो मतदान होता है, उस मतदान का बाकायदा चिन्ह दिया जाता है। हाथ है, फूल है, कुछ भी है परंतु इनका जो चुना हुआ बैलेट है, बैलेट का आप नमूना देखो- हां और ना। यह बैलेट का नमूना है। हां और ना। गांव की आबादी अनपढ़ है, औरतें अनपढ़ हैं। शराब की जो शिकार होती हैं, वह शिकार ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं इसलिए महिलाएं जितनी भी हैं, 50

(श्री सुखराम विश्नोई)

परसेंट महिला वे पूरी की पूरी शराबबंदी चाहती हैं और ऐसे माहौल के अंदर यह बैलेट जब पकड़वाया जाता है, कि हां में टिक मार्क करो, ना में टिक मार्क करो तो किस तरह से मतदान किया जाए? इस हां और ना की जगह एक जगह दारू की बोतल रखी जाए, और दूसरी जगह नहीं रखी जाए तब तो औरतें मतदान करेंगी। यह बैलेट का नमूना है, इसको भी चेंज किया जाए और जो शिकायतें प्रदेश में आई हैं, उन शिकायतों को रंजिशवश कहकर उनको निरस्त किया गया है, उनकी पुन: जांच की जाए और इसका प्रचार-प्रसार किया जाए कि जो आबादी... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने यहां पर जो साथी विधायक बैठे हैं, माननीय सदस्य कहीं 20 परसेंट से जीत कर आए हैं, कोई 25 परसेंट से जीत कर आए हैं, यू.पी. में तो चार पार्टियां चुनाव लड़ी तो कोई 25 परसेंट वाला जीत गया, कोई 19 परसेंट वाला जीत गया और 05 साल तक बाकायदा विधायक रहता है और ऐसे मतदान के लिए 51 परसेंट मतदान चाहिए। कितना मतलब, एक गलत तरीका अपनाया गया है तो कम से कम वह जो आबादी है, उसका भी अनुपात किया जाए। औरतों से मतदान करवाया जाए, आदमी से हटा दिया जाए। केवल औरतें ही मतदान करें और औरतों के कितने मतदान हों, तब जाकर निर्णय लिया जाए, ऐसी व्यवस्था मैं सरकार से आपके मार्फत चाहता हूं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे सीधा ठाकुरों का नाम लेकर आरोप लगाया है, वह तो विलोपित करें और सर्व समाज की एक ....(व्यवधान)....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ठाकुर कोई जाति नहीं होती है। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। एक मिनट, आप विराज जाओ। आप भी विराज जाओ। इन्होंने किसी भी समाज पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने आसन को कहा कि आप जिस समाज के हैं तो आसन तो आप सबका है। किसी एक व्यक्तिगत समाज से नहीं बना हुआ। मानव समाज का आसन है इसलिए आरोप जिस पर लगा है, आप अपने-अपने विवेक से चिंतन कर लीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री मदन राठौड़)

महोदय, विश्नोई में 20 और 9, 29 नियम होते हैं। विश्नोई का मतलब 20 और 9 तो 29 नियम भी याद हैं कि नहीं आपको? उसमें शराब पीना मना है। आज आप पूरे नशे में बोल रहे थे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं-नहीं, मुझे तो याद है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, इस विषय पर लगभग 2013 में ही गुरुशरण छाबड़ा का अनशन जब हुआ था, उस अनशन के समय, मार्च के महीने में ही यह अनशन हुआ था 2013 में। एक कमेटी बनाई गयी थी सी.एस.राजन की अध्यक्षता में, दो एम.एल.ए भी उस कमेटी के मैम्बर थे और उन्होंने 12.09.2013 को अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने 15 सुझाव दिये थे। जिन 15 ही सुझावों पर गुरुशरण छाबड़ा के साथ भी बैठकर कि ये जो निर्णय किये हैं, जिसको आप ठीक मानते हो, उनकी सहमति के बाद इस प्रक्रिया का आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर इसको लागू किया, 15 में से 15 ही। उसमें जो सबसे पहले, जिस तरह आपने भाषण दिया, देने के लिए देना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेकिन सरकार की मंशा को भी समझने का प्रयास करें। उन्होंने जो निर्णय किया, यह आपका पहले जो-

"The Rajasthan Excise (Closure of Country Liquor Shop by Local Option) Rule, 1975." जिसमें तीसरा रूल है,

'Option of Closure by Voters in Panchayat' - "A liquor shop in any Panchayat Circle shall be closed, if the voters in the Panchayat Circle opt for such closure with not less than 2/3 of the total number of voters." जब पहला ही यह प्रश्न था कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए।

सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट करके अब 51 परसेंट पर ही अगर वोटर के आधार पर यह तय होता है कि उस जगह के लोग उस लिकर की, दुकान को वहां पर नहीं चाहते, उसकी पालना कर ली। दो जगह पर चुनाव हो गये और दोनों जगह पर चुनाव होकर काछबली पंचायत समिति, राजसमंद में वोटिंग हुई और वोटिंग होने के आधार पर वहां कैंसिल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कर दिया। रोजदा पंचायत, जयपुर में वोटिंग हुई, वोटिंग के आधार पर दुकान बंद कर दी। उस कानून में यह भी है कि 20 प्रतिशत लोग अगर गांव के इस बात की इच्छा जाहिर करते हैं कि हमारे यहां पर शराब की दुकान बंद हो तो एस.डी.ओ. उसकी रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट के आधार पर वोटिंग की तारीख तय हो जाती है। मैं सोचता हूं कि अब तो आपका और मेरा काम है कि जनता अगर इसका लाभ लेना चाहे तो ले, केवल इस जिद के ऊपर कि यह पीना या नहीं पीना, इस तर्क-वितर्क में नहीं पड़ता हूं। कारण क्या है कि 1977 में जब मैं एम.एल.ए. बनकर आया था तो 1978 में हमने पहला कानून बनाया था। उस समय हमने राजस्थान में शराबबंदी की थी लेकिन वापस मजबूरन होकर उसको खोलनी पड़ी। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि खोली जाए या नहीं खोली जाए लेकिन जो 15 बिंदु उन्होंने तय किये थे, उसका अक्षरश: पालन किया।

पहला जो मैंने आपको बताया कि 51 परसेंट के आधार पर। सार्वजनिक स्थलों पर मद्‌य-सेवन पर जुर्माना जो पहले पुलिस एक्ट के तहत 50 रुपया लगता था, उसको एक्ट में अमेंडमेंट करके पहली बार में 500, फिर 05 हजार और फिर 10 हजार, उसकी पालना होगी। उसके आदेश जारी हो गये। यह जो अहाते के अंदर पीते थे, उसको चेंज कर दिया। जो 15 सुझाव राजन समिति ने दिये, उनको सेंट-परसेंट स्वीकृत किए और उसके बाद गुरुशरणजी छाबड़ा का जब दुबारा फिर अनशन हुआ तो 01.04.2014 को पुन: कहने पर उनकी सहमति से एक कमेटी का फिर गठन किया राजेन्द्र राठौड़ की अध्यक्षता में। उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिये, उनकी पालना की। मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार की भी मंशा यह है कि वास्तव में जनता जिसको अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करती, लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारा विश्वास है, लोकतांत्रिक तरीके से अगर उसका उपयोग करना चाहे तो आपको कानून में अधिकार दे दिया। केवल इसको कह कर ही सारी शराबबंदी के आदर्श पर भाषण करना एक अलग बात है, पर उसको निभाना एक दूसरी बात होती है। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि भाषण वे देते हैं जो स्वयं इसका उपयोग करते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कैसी बात कह रहे हो?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपका नहीं कह रहा हूं मैं। जो वहां पर पब्लिक मीटिंग में आते हैं, उनमें से कई लोग ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपने भाषण थोड़े ही दिया। आपने तो अपना वक्तव्य दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके बारे में या किसी माननीय सदस्य के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम तर्क-वितर्क के आधार पर विषय को समझाने का प्रयास करते हैं, आचरण से समझाने का प्रयास नहीं करते इसलिए हम इसमें असफल होते हैं। मैं सोचता हूं कि लोकतांत्रिक तरीका दे रखा है। राजस्थान की जनता कोई भी अपने गांव में अगर दुकान बंद करना चाहे, डेढ़ सौ मीटर से दूर दुकानें खोली जाए, नेशनल हाईवे की सारी दुकानें बदल दीं। यानी, कुछ दुकानें बंद करनी थीं, बंद कर दी, और भी जिस प्रकार की जनता की मांग आएगी तो उस पर विचार करेंगे और विचार करके जनता के हित में फैसला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

प्रदेश में सिलिकोसिस के मरीजों के प्रमाण-पत्र

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिलिकोसिस बीमारी से पूरे प्रदेश में लगभग 19 जिलों में लगभग 40 लाख लोग पीड़ित हैं। सिलिकोसिस ऐसी बीमारी है, जैसे जो व्यक्ति खनन का कार्य करता है, खनन कार्य करने के दौरान जब वह हथौड़ी-टांकी चलाता है, सब्बल चलाता है तो उससे सैण्ड के जो छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, वह बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनकी साइज 0.5 माइक्रोन से लेकर 0.9 माइक्रोन तक होती है और उसको हम देख भी नहीं सकते। वे धीरे-धीरे फैंफड़ों में जमा हो जाते हैं और उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वे कण हमारे फैंफड़ों का जो लचीलापन है, उसको समाप्त कर देते हैं। फिर जब आदमी को दो-तीन साल बाद पता लगता है तब उसको सांस की बीमारी हो जाती है, खांसी हो जाती है। फिर जब वह डॉक्टर के पास जाता है, पहले तो डॉक्टर समझ नहीं पाते कि बीमारी क्या है तो डॉक्टर टी.बी. का इलाज कर देते हैं। उस टी.बी. के इलाज से उसकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है हमने पहले भी सदन में इस सिलिकोसिस की बीमारी के मुद्दे को रखा था और कहा था कि पूरे

(श्री रमेश)

प्रदेश में 35 से 40 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। न इलाज हो रहा है, न समय पर शिविर लग रहे हैं। इन्होंने एक काम जरूर किया कि 40 न्यूमोकोनयोसिस के बोर्ड का गठन कर दिया और इतिश्री कर ली। वहां पर सी.एम.एच.ओ. सही समय पर शिविर नहीं लगवाता है, न कलक्टर ध्यान देता है कि सरकार को रिपोर्ट करें हम कि इतने मरीजों के प्रमाण पत्र बन गये हैं या यह जांच नहीं हो पा रही है या सरकार से पैसा नहीं आया है तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में न्यूमोकोन्योसिस का जो बोर्ड बना है, वह सिर्फ एक फोर्मेलिटी के तौर पर बना है, क्योंकि इसमें सरकार ने कोई ऐसा बजट का भी विशेष प्रावधान नहीं किया है। पाँच से दस परसेंट पैसा दे रहे हैं जबकि बीमार लोगों की संख्या ज्यादा है। लोग रोजाना एन.जी.ओ. और दलालों के माध्यम से कभी भरतपुर, कभी कोटा, कभी जयपुर और जो कुल 19 जिले हैं, उनमें आपको बता दूं करौली, धौलपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, नागौर, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, चित्तौड़, अलवर, अजमेर, ये 19 जिले हैं। इस तरह से यह बीमारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है और यह बीमारी कैंसर और एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका कोई इलाज नहीं है, यह लाइलाज बीमारी है। उसके बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं है। सरकार समय पर लोगों के लिये शिविर लगवाये, लोगों की जांच करवाये। आज मान लिया जाये कि जयपुर का आदमी भीलवाड़ा में काम करता है और वहां जांच कराने के लिये जाता है तो वहां का बोर्ड कहता है कि आप जयपुर जाइये। कोई करौली का आदमी जयपुर में काम कर रहा है तो वह कहते हैं कि करौली जांच करवाइये। कभी कहते हैं कि आपका डिजिटल एक्सरे होगा। कभी कहते हैं आपके बीमारी नहीं है। लोगों को जांच के बहाने वहां भगाया जा रहा है और स्थिति यह बन रही है कि लोग मर रहे हैं। उनका न तो इलाज हो रहा है, न उनको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। जो लोग एन.जी.ओ. के माध्यम से या दलालों के माध्यम से पैसा देकर, दस हजार से तीस हजार रुपये देकर वह प्रमाण पत्र भी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद में वह कलेक्टर के यहां जमा होता है। कलेक्टर को समय नहीं है। कलेक्टर को चिंता नहीं है इस गरीब के प्रति, कि इस गरीब की मृत्यु साल से दो साल

(श्री रमेश)

में होना निश्चित हो जाता है। जिसके बीमारी चिन्हित हो गयी, उसका एक साल से दो साल में मरना निश्चित हो जाता है लेकिन न सरकार गंभीर है, न कलेक्टर गंभीर है, न कहीं किसी भी जिले का सी.एम.एच.ओ. गंभीर है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि समयबद्ध शिविर लगें, समयबद्ध प्रमाण पत्र बनें और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके विशेष शिविर लगाये जायें और उनकी विशेष व्यवस्था की जाये। चिन्हित व्यक्तियों को समय पर कलेक्टर सरकार को रिपोर्ट दे कि इतने प्रमाण पत्र बना दिये हैं।

अब मैं आपको करौली जिले के लोगों की सूची बताता हूं कि 902 लोग अभी वेटेड हैं, इन्तजार कर रहे हैं कि हमें पैसा मिलेगा क्योंकि सरकार ने जो नोर्म्स तय किया है कि जो जिन्दा व्यक्ति है, सिलिकोसिस से पीड़ित है और उसका प्रमाणित हो जाता है, उसको एक लाख रुपये दिये जाते हैं और जिसको प्रमाण पत्र मिल गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको तीन लाख रुपये दिये जाते हैं। लोग इन्तजार करते करते, चक्कर काटते-काटते मर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे करौली जिले में आज की तारीख में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात-आठ हजार लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और ज्यादातर वे एस.सी. समाज के हैं, उसके बाद ओबीसी आती है, एस.टी. के कम लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस बीमारी से जो खनन का कार्य करते हैं, वे एस.सी. के लोग ज्यादा हैं और उनकी मृत्यु हो रही है तो करौली जिले में लगभग 10 हजार लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और पूरे राजस्थान में विभिन्न जिलों में 35 से 40 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। लोग प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उम्मीद करते है कि हमें पैसा मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति को कोई सहारा मिलेगा और ऐसी पीढ़ियां भी हैं कि गांव में पूरी औरतें विधवा हो गयीं और उनके आदमी जो खनन कार्य में थे, उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में थी। 20 से 25 वर्ष की उम्र के लोग मर गये। इससे वे महिलाएं विधवा हो गयीं।

मेरे करौली विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है महू, वहां करीब 80 प्रतिशत महिलाएं विधवा हैं। ऐसे ही एक मदनपुर हैं उसमें भी ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं और उनके लिये रोजी-रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है। न तो

(श्री रमेश)

उनको नरेगा में काम मिलता है, न सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की गयी है कि पशुपालन या डेयरी विकास के माध्यम से कोई इनको रोजगार दिया जाये या उनको कोई आर्थिक सहायता दी जाये या सरकार के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि जिस व्यक्ति की इस सिलिकोसिस की बीमारी से मृत्यु हुई है, उसको बी.पी.एल. की श्रेणी में जोड़ा जाये, जिससे कम से कम उसको राशन तो मिल जाये। सरकार की तरफ से कोई मदद तो मिल जाये, लेकिन सरकार इस विषय में बिलकुल गंभीर नहीं है। सरकार का एक ही दवाब है कि कम से कम प्रमाण पत्र बनाओ और लोगों को इधर-उधर डुलाते रहो। लोग अपने आप परेशान हो जायेंगे। एन.जी.ओ. भी यही काम कर रहा है कि हम 20 परसेंट लेंगे या 30 परसेंट कमीशन लेंगे। वह दलालों के माध्यम से जयपुर या कोटा मेडिकल कालेज, भरतपुर संभाग या जहां भी इन्होंने न्यूमोकोनयोसिस बोर्ड बना रखे हैं, वे कुछ भी काम के नहीं हैं। कुछ तो बेकार ही फालतू में बैठे हुए हैं क्योंकि डॉक्टर्स इस बोर्ड को फालतू चीज मानते हैं कि भाई फालतू के लोग आयेंगे। ज्यादातर लोगों का कैंसिलेशन कर देते हैं, भगा देते हैं। कुछ दो-चार लोगों के देख लेते हैं, उनको कह देते हैं कि दिया जायेगा। जैसे-तैसे आदमी परेशान होकर सारी सीमाओं से आगे बढ़कर, पैसा देकर सर्टिफिकेट बनवाता है और कलक्टर के यहां पहुंचने के बाद वह जमा हो जाते हैं। उसके बाद वह लोग चक्कर काटते-काटते मर जाते हैं। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं रामजीलाल पुत्र श्री मटरू निवासी गुबराना जिला करौली रामकुमार जाटव पुत्र श्री शिवचरण जाटव ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: वैसे सम्मानित सदस्य, स्थगन पर आपको अपने दो मिनट के लिये विचार प्रकट करने के लिये निवेदन किया जाता है।

श्री रमेश (सपोटरा): ये कुछ ऐसे नाम थे जिनको आज तक पैसा नहीं मिला और वे काल के ग्रास बन गये। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है और जो परिवार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, जिनके आदमी मर चुके हैं या जांच में प्रमाणित हो चुका है, उनको शीघ्र पैसा दिलवाये और उनके रोजगार की सरकार व्यवस्था करे और सिलिकोसिस से जो व्यक्ति पीड़ित है, उसको बी.पी.एल. में जोड़ा जाये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप सत्ता पक्ष की सदस्या हैं। स्थगन पर? आप विराजो।

श्री रमेश (सपोटरा): बोल लेने दो साहब, गंभीर विषय है, बोलने दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट के लिये परमिशन दे दो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): स्थगन पर है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्या, विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं यह कहना चाहती हूं माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका मैं थोड़ा सा उत्तर देना चाहती हूं। यह कह रहे हैं खनन का, सिलिकोसिस की बात कही। इन्होंने जोधपुर का नाम लिया इसलिये मैं बोलना चाहती हूं कि इनको जानकारी नहीं है कि जोधपुर में कितने कैम्प लग रहे हैं और सबसे ज्यादा माइंस हैं जोधपुर के अंदर। वहां पत्थर की खानें हैं। वहां सबका इलाज हो रहा है, डॉक्टर रोज आ रहे हैं, कलेक्टर साहब रोज आ रहे हैं और प्रधान मंत्रीजी की योजना के हिसाब से कैम्प लगा हुआ है। उनको मास्क बांधने को दे रहे हैं, जैकेट पहनने को दे रहे हैं। ये माननीय सदस्य ऐसे ही कह रहे हैं। जब जोधपुर का नाम लिया है तो जोधपुर की जानकारी रखकर नाम लो। खाली भाषण देने से कुछ नहीं होगा। जोधपुर की जानकारी लेकर नाम लो। कैम्प कितने लग रहे हैं, मालूम है आपको?

श्री रमेश (सपोटरा): हमारे यहां तो कोई इलाज नहीं हो रहा है। 902 लोगों को आज तक एक रुपया भी नहीं मिला है। आपको मालूम नहीं है। हमारे यहां चलो जब पता लग जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रमेश जी ने कहा कि सिलिकोसिस बीमारी के पीड़ितों को प्रमाण-पत्र देने में सरकार गंभीर नहीं है, यह बिलकुल आपका गलत ख्याल है।

श्री रमेश (सपोटरा): सही कह रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बीच में मत बोलो, आप बोले, जब मैं नहीं बोला। आप एक बार सुन लीजिए।

सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित रोगियों को प्रमाण-पत्र देने के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों में वर्ष 2013 से और समस्त जिला चिकित्सालयों में दिसम्बर, 2014 से तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों का न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड कार्यरत है। उक्त बोर्ड द्वारा नियमित रूप से सिलिकोसिस रोगियों का परीक्षण कर नियमानुसार प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। वर्ष 2016 तक जिला स्तर पर गठित न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा 4200 प्रमाण-पत्र और मेडिकल कॉलेज द्वारा 4974, कुल 9174 प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

और आप कितने गम्भीर हैं? 2008 से 2013 तक आपकी सरकार थी और उसमें आपने बोर्ड बनाना भी उचित नहीं समझा ये जो दोनों बोर्ड बनाये हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बने हैं। इसमें जो भी प्रमाण-पत्र मिलते हैं उनको डाइग्नोसिस होने पर, बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् एक लाख रुपये मिलता है और मृत्यु होने पर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता, जिसमें डेढ़ लाख रुपये तो नकद और डेढ़ लाख रुपये उसके परिजनों को, जो भी उसकी विधवा है, उनको जिला प्रशासन के माध्यम से दिया जाता है। और कोई स्पेसिफिक शिकायत आपके पास हो कि वो सिलिकोसिस से मरा, उनका प्रमाण-पत्र बना और उसके बाद भी उसको पैसा नहीं मिला तो आप मेरे को लिस्ट दे देना, उनकी जांच करके और उनको करवा देंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा तो आपसे इतना सा निवेदन है, ज्यादा नहीं है। मैं एक्चुअल में बोल रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा, कोई आरोप नहीं लगा रहा। मेरे जिले में कम से कम दस हजार लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनका विशेष शिविर लगवा कर आप जांच करवा दें, प्रमाण-पत्र दिलवा दें और 900 लोग कलेक्ट्रेट में प्रमाण-पत्र जमा करवा चुके, उनको पैसा दिलवा दें। यह निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो इस प्रकार के लोग आपकी नजर में हैं उनकी लिस्ट दे देना, उनकी जांच करवा लेंगे और उनके प्रमाण-पत्र नहीं बने हैं तो प्रमाण-पत्र बनवा देंगे। आप मेरे को लिस्ट दे देना।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, जो प्रमाण-पत्र बन चुके हैं, कलेक्ट्रेट में जमा हो चुके हैं उनका पैसा दिलवा दें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रमाण-पत्र जिनके बन गये उनको एक लाख रुपये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है और ऐसे लोगों को यदि सहायता नहीं मिले तो आप मेरे को लिस्ट दे दो, तो कलेक्टर से बात करके और उनको दिलवा देंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): बिलकुल, बिलकुल, मैं अभी ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और सरकार बिलकुल सीरियस है।

श्री रमेश (सपोटरा): अभी दे नहीं पा रहे हैं पैसे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी पांच साल की सरकार में आपने कुछ नहीं किया। यह खनन कार्य आज से तो चालू नहीं हुआ, यह तो बहुत समय से चल रहा है।

श्री रमेश (सपोटरा): अभी मात्र 65 लोगों को पैसा दिया है तीन साल में आपने।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुन तो लो।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, वो सुन लिया, सब पता है मुझे। आपको जानकारी नहीं है, मंत्रीजी। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारी गम्भीरता इस बात से लगती है कि हमने आने के बाद इस बोर्ड का गठन किया, आपने तो बोर्ड का भी गठन नहीं किया।

श्री रमेश (सपोटरा): पूरी जानकारी रखो, फिर बताना मुझे। जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जानकारी दे दी आपने, मंत्री महोदय?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां।

श्री उपाध्यक्ष: कनक्लूडेड? कन्क्लूड कर गये आप? श्री भंवरसिंह जी।

प्रदेश में नव चयनित स्कूल व्याख्याताओं को नियुक्ति

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन के

(श्री भंवरसिंह)

द्वारा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आर.पी.एस.सी. के द्वारा जुलाई, 2015 में स्कूल व्याख्याताओं की भर्ती निकाली गयी जिसमें 13091 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गयी। उसके बाद में आर.पी.एस.सी. द्वारा जुलाई, 2016 में आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, 2015 के सभी 19 विषयों के समस्त परिणाम सितम्बर, 2016 में घोषित हो गये तथा कुल 19 विषयों में से 8 विषयों की नियुक्ति अक्टूबर, 2016 में ही हो गयी। जिसमें से 13 हजार में से 1200 स्कूल व्याख्याताओं ने तत्काल ज्वॉइन कर लिया, उनका पदस्थापन कर दिया गया और 12 हजार स्कूल व्याख्याता शेष रह गये।

कुछ अचयनित अभ्यर्थियों के कारण मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शेष 11 विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गयी लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2017 को समस्त अचयनित अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए चयनितों की नियुक्ति एवं काउंसलिंग प्रक्रिया के आदेश दे दिये गये।

इसके बाद शिक्षा विभाग शेष 11 विषयों की नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है जिससे मजबूर होकर जो स्कूल व्याख्याता हैं, उनका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के सामने धरना चल रहा है और उसी दौरान दिनांक 11.02.2017 से आमरण अनशन, महा पड़ाव शुरू कर दिया गया है उपाध्यक्ष महोदय।

दिनांक 14.02.2017 को संभागीय आयुक्त, बीकानेर व निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा आमरण अनशन को इस आश्वासन के साथ समाप्त करवा दिया गया कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीर है और दिनांक 16.02.2017 तक आपकी स्वीकृति प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। परन्तु इस सम्बन्ध में आज तक शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है और न ही सरकार द्वारा कोई उचित कारण बताया जा रहा है, जो नियुक्ति नहीं देने का कारण हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दौरान व्याख्याताओं द्वारा सरकार को प्रशासन के माध्यम से बार बार ज्ञापन भी दिये गये लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। दिनांक 21.02.2017 से 63 चयनित व्याख्याता,

(श्री भंवरसिंह)

जिसमें महिला व्याख्याता भी शामिल हैं, अनशन पर बैठ गये तथा हजारों नव-चयनित व्याख्याता महापड़ाव पर बैठ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, 21 फरवरी से फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया जो 25 फरवरी को बीकानेर प्रवास के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ द्वारा उक्त स्कूल व्याख्याताओं को शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन देकर तुड़वाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद आज दिनांक तक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। नव-चयनित स्कूल व्याख्याताओं का धरना 84 दिन से लगातार चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के हजारों पद रिक्त हैं और चूंकि यह शैक्षणिक सत्र पूरा हो रहा है और अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है और छात्र-छात्राओं का बिना व्याख्याताओं के यह शैक्षणिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, दसवीं क्लास के बाद के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका। मैं समझता हूं कि आगामी जो शिक्षण सत्र है उसका कार्य बाधित नहीं हो, वो समय पर अगले शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर सकें, उनको स्कूलों में व्याख्याता मिल सकें।

मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा, आपके द्वारा जिस प्रकार से उक्त स्कूल व्याख्याताओं को कहा जा रहा है कि एस.बी.सी. आरक्षण की वजह से यह भर्ती रोकी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एस.बी.सी. आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में एस.बी.सी. को जो पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है उसकी सीटों को सुरक्षित रख करके शेष पदों पर स्कूल व्याख्याताओं की काउंसलिंग की जाए और उनको नियुक्ति दी जाए। वे 84 दिन से भूखे-प्यासे बीकानेर में शिक्षा निदेशालय के आगे बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का विषय है, बीकानेर जिले के भी इसमें व्याख्याता हैं और शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आप एक तरफ एस.बी.सी. आरक्षण की वजह से तमाम भर्तियों को रोकने की बात कर रहे हैं, वहीं सुनने में आया है कि आर.ए.एस. की जो परीक्षा है, अभी 27-28 मार्च को होने जा रही है, तो मेरा एक बार पुन: निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण भी

(श्री भंवरसिंह)

चाहूंगा कि करीब 12 हजार जो नवचयनित स्कूल व्याख्याता हैं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जाए, उनको भी समय पर नियुक्ति दी जाए और हमारे राजस्थान के जो हजारों स्कूल हैं, जहां 50 प्रतिशत से भी ज्यादा स्कूल व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं, उनको भी भरा जाए। जनहित में इस विषय में तत्काल कोई निर्णय लिया जाए, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो कल मांग संख्या- 24 में इसमें विस्तार से शिक्षा पर चर्चा हो चुकी है और इस विषय पर भी मैंने जो कुछ सरकार की ओर से रखना था, मैंने कहा है और यह विषय महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण है इसलिए कल रात को बारह-सवा बारह बजे तक यहां चर्चा हुई।

इस विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सही है कि टोटल व्याख्याताओं के 47 हजार 328 पद स्वीकृत हैं उनमें से 16,842 पद खाली हैं। जिसके आधार पर हमारी सरकार ने 13,098 पदों को विज्ञापित किया। दिनांक 30.09.2015 को आरपीएससी को अर्थना भेजी। उसके बाद 16.10.2015 को परीक्षा भी हो गई। जुलाई, 2016 में परीक्षा परिणाम जारी किया। इन सारे खाली पदों में से 50 प्रतिशत डीपीसी के होते हैं और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के होते हैं। सरकार की मंशा थी इसलिए सरकार ने 2016-17 की डीपीसी करवा दी। कल मैंने कहा कि 2017-18 की डीपीसी भी हम तुरंत इस अप्रैल में करवाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2016 के परीक्षा परिणाम आते ही हमारी सरकार ने तुरंत नियुक्तियां देनी शुरू की। इसमें से 1,150 अभ्यर्थियों को हम नियुक्तियां भी दे चुके। लेकिन इस दौरान खुले प्रश्न-पत्र के विवाद को लेकर कोर्ट में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्थगन दिया। इस स्थगन के कारण यह नियुक्तियां रुकी रहीं। 8 फरवरी, 2017 को हाई कोर्ट ने उनकी रिट याचिकाएं खारिज कीं। इसके कारण पर एलिजिबल बने। हमने उसके पहले काउंसलिंग भी और विषयों की करवाई। लेकिन बीच में जैसा आपने एसबीसी का जिक्र किया उसके, कारण से जो राज्य सरकार का

(श्री वासुदेव देवनानी)

निर्णय था, यह पहले हाई कोर्ट में स्ट्रक डाउन हुआ। उसके बाद एसएलपी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरिम आदेश भी जारी हुआ। इन सारी चीजों, सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम आदेश और हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन और सारी परिस्थितियों को हमारा कार्मिक विभाग परीक्षण करवा रहा है। हमारी नियुक्तियां देने की नीयत है। अगर हमारी नीयत नहीं होती तो तुरंत इतने लोगों को नियुक्तियां नहीं देते। हमने तुरंत काउंसलिंग प्रारंभ नहीं की होती। हम तो चाहते थे। हमारे यहां काउंसलिंग की सारी व्यवस्था है। जिस भी दिन इसका परीक्षण करवाकर के दे देंगे, उसी दिन हम काउंसलिंग करवाकर नियुक्तियां दे देंगे।

आपसे ज्यादा चिंता राज्य सरकार को है। आपने कहा कि स्कूल, शिक्षा विभाग हमारा है। हर विद्यार्थी की पढ़ाई की चिंता हमें है। अगर व्याख्याता पहुंचेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। इसकी चिंता मुझे भी है, सदन को भी है और सरकार को भी है। आप निश्चिंत रहें। जल्दी से जल्दी, जैसे ही परीक्षण होकर के हमारे पास ओपिनियन आ जाएगी, हम तत्काल इनकी काउंसलिंग करवाकर इनका पदस्थापन कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय। श्री ज्ञानचन्द पारख।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पाली में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त, 2016 को पाली शहर में एक दिन में साढ़े 11 इंच बरसात हुई। इस बरसात का क्रम रुका नहीं और 10 अगस्त को भी 07 इंच बरसात पाली शहर में और हुई। जो पहले दिन बरसात हुई थी, उसका पानी भरा हुआ, वह पास नहीं हुआ और दुबारा बरसात हुई तो पूरा पाली शहर पानी से लबालब हो गया। अनेकों आवासीय बस्तियां भी पानी से भर गई। भारी वर्षा का यह पानी कई दिनों तक बस्तियों में भरा रहा। कई बस्तियों से पानी पास करवाने के लिए नए रास्ते बनाने पड़े। उनके लिए सड़कों को तोड़ना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी दो तरफ से आया। आसमान से भी पूरा पानी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
बरसा और आसपास के क्षेत्रों में जो भारी वर्षा हुई तो खेतों का पानी निकलकर के जवाई नहर, जो पाली शहर के बीच से गुजरती है, उसके माध्यम से भी शहर में बड़ी मात्रा में पानी आया। एक लोरिया फीडर जो हमारे पाली शहर के बीच में स्थित है, उसके माध्यम से भी शहर में बड़ी मात्रा में पानी आया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊपर का पानी और आसपास का पानी, यह पाली शहर में तबाही के लिए बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर का पानी, आसमान का पानी रोकना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम सबने विचार किया कि जो नहर के जरिए पानी आ रहा है, जो लोरिया फीडर के जरिए पानी आ रहा है, उसको अगर हम रोक देंगे तो शायद यह तबाही कुछ कम हो जाएगी। माननीय उप सचेतक जी भी गवाह हैं, ये रात को हमारे साथ थे। इन्होंने ही हमें सुझाव दिया था कि नहर के पानी को रोकना बहुत जरूरी है। मदन जी राठौड़ उप सचेतक हैं वह, हमारे नगर परिषद के सभापति और मैं, रात भर नहर के आसपास घूमे और ऐसा पाइंट चिह्नित किया कि यहां से अगर नहर को तोड़ दिया जाए तो इसका पानी नदी में डाला जा सकता है। पाली शहर में जाने से रोका जा सकता है। हमने वह काम करके पानी को पाली शहर में आने से रोका।

उसी प्रकार हमने लोरिया फीडर का पानी भी रोका। उसके लिए भी एक कच्ची नहर बनाई और उसका पानी भी हमने नदी में डाइवर्ट कर दिया। यह दो बड़े काम होने से शहर की तबाही में कुछ कमी आई। वरना यह पानी नहीं रुकता तो पता नहीं पाली शहर की जनता को कितने इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते। यह लोरिया फीडर भी कच्ची है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह जो तबाही हुई, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, उसमें कई मकान तो गिरे ही, साथ में जो डामर की सड़कें थीं, वे भी कई दिनों तक पानी रहने के कारण लगभग सारी ही क्षतिग्रस्त हो गईं। उस समय हमारे प्रभारी मंत्रीजी भी पाली आए थे। उन्होंने भी वह नजारा देखा और महसूस किया कि वास्तव में पाली में तबाही हुई है। हमने उनसे विशेष सहायता की मांग की तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि वह निश्चित रूप से पाली शहर की जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं या जो अन्य

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सरकारी संपत्तियां हैं, निजी आवास या मकान हैं जिनमें नुकसान हुआ है, उनको हम मुआवजा दिलाएंगे। जो पानी लोरिया फीडर के जरिए पाली शहर में प्रवेश कर रहा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए भी योजना बनाकर अतिवृष्टि के समय इसको डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाद में बाढ़ में जो नुकसान हुआ, उसका आकलन करके जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के पास भिजवाया। नगर परिषद ने भेजा, सिंचाई विभाग ने भेजा और जलदाय विभाग ने भी भिजवाया। जिला कलक्टर द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों हेतु 19 सितम्बर, 2016 को अपने पत्र क्रमांक सहायता 2016/3959 के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा लेकिन कोई राशि नहीं मिली।

हमने आपदा राहत मंत्रीजी से भी आग्रह किया और माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह किया तो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से एक पत्र आया जिसका नंबर है, पत्र क्रमांक 2016/2346-2347 दिनांक 28 फरवरी, 2017 उसके जरिए हमें सूचित किया कि हमारे यहां कोई प्रस्ताव आपका आया ही नहीं है। जो जिला कलक्टर ने प्रस्ताव भिजवाया उसका पत्र नंबर भी मेरे पास है जबकि आपदा प्रबंधन विभाग ने लिखा है कि हमारे पास कोई पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ। उसकी प्रति भी मेरे पास है। यह पत्र कहां गया? कहां गायब हो गया यह और यह राशि मिली क्यों नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आपदा राहत मंत्रीजी के प्रयासों से 10 जनवरी, 2017 को केन्द्रीय अध्ययन दल भी पाली आया था। उसने पाली शहर की सड़कों और टूटे हुए मकानों को देखा। पाली के आसपास के गांवों में जो फसलों की तबाही हुई, वहां जाकर देखा। हम भी पूरे समय उनके साथ थे। कई लोगों ने उनको अपनी पीड़ा व्यथा सुनाई और जो नुकसान हुआ उसको भी दिखाया। उन्होंने महसूस भी किया कि वाकई में पाली में बहुत तबाही हुई है।

केन्द्रीय अध्ययन दल की जो टीम थी उसने मुझे भी, हमारे सभापतिजी को भी और जो ग्रामवासी, शहरवासी उनसे मिलने आए थे, उनको आश्वासन भी दिया कि निश्चित रूप से वह केन्द्र सरकार से बात करके, जो नुकसान हुआ है, उसके एवज में एक अच्छा पैकेज पाली के लिए दिलवाएंगे लेकिन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आज तक कुछ नहीं हुआ।

(13.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और हुई कि पाली शहर की लगभग 10 हजार की बहुत बड़ी आबादी जिसमें बजरंग बाड़ी, रूणिचा कॉलोनी और हैदर कॉलोनी भी है। यह पूरी बस्ती अतिवृष्टि से और बाढ़ की वजह से पाली शहर से लगभग 25 दिनों तक कटी रही, कहीं बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि प्रस्ताव गया है हमारे यहां से, चाहे वह क्षतिग्रस्त सड़कों का हो या कच्ची लोरिया फीडर जो पाली शहर में तबाही मचाता है उसको नदी में डाइवर्ट करने का हो, चाहे जवाई नहर जहां हमको तोड़ना पडा फाटक लगाकर कभी अधिक पानी आए तो उस पानी को नदी में ट्रांसफर करने का हो, चाहे खड़ी फसलें जो नष्ट हो गईं उनके नुकसान का हो, चाहे बजरंग बाड़ी, हैदर कॉलोनी, रुणिचा कॉलोनी, जो हर बरसात के समय शहर से कट जाती हैं, वहां कोई पुलिया निर्माण हो जाए, ताकि वहां भी अतिवृष्टि के समय या बरसात के समय जाया जा सके। यह मेरा राज्य सरकार से निवेदन है। यही मेरा कहना है, धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीड़ा जाहिर की वह शत प्रतिशत सही हो सकती है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग का अपना तौर-तरीका है। उस तौर-तरीके के आधार पर रिपोर्ट आती है तो उस पर तो एक्शन होता है। आपने जिस रिपोर्ट को भेजा है वह हमारे यहां भी है। आपके सभापति ने 19.08.2016 को एक पत्र कलेक्टर को लिखा। उस पत्र में उन्होंने एक लिस्ट लगाई है कि हमारी यह-यह सड़क है और इतने-इतने लाख रुपए का हमारा नुकसान है। कलेक्टर ने उसी रिपोर्ट को अपने स्वयं के दस्तखत से, यह जो इनकी रिपोर्ट थी यह तो 19.08.2016 की थी और कलेक्टर ने 19.09.2016 को जैसा प्रस्ताव था, वैसा का वैसा हमको फारवर्ड कर दिया।

सामान्य तौर पर आपदा प्रबंधन का जो तौर-तरीका है, इसमें सारी चीजों की सूचना मंगवाते हैं तब जाकर हम उसका पैसा निर्धारित करते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अब उसमें हमारे जो कॉलम बने हुए हैं, रोड का वर्गीकरण किसमें है, क्षति की दिनांक और वास्तविक वर्षा क्या है, वर्षा कितनी हुई है, किस तारीख को हुई है, क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन, कहां से लेकर कहां तक है, शहरी सड़क है या सामान्य सड़क है, वास्तविक चौड़ाई कितनी है, दर हमारी तय है, हम आपदा में मदद तो करते हैं लेकिन पूरा रिपेयरिंग करने का हमारे यहां प्रावधान नहीं है। हमारे यहां कोई सड़क यदि ज्यादा डैमेज हुई तो एक लाख रुपया है, यदि कम डैमेज हुई तो साठ हजार रुपए है। उसके हिसाब से प्रस्ताव बनकर भी नहीं आया था, और कितनी राशि क्या चाहिए, सब इसमें और इसके साथ ही प्रस्ताव उपखंड अधिकार द्वारा इस प्रोफार्मा में अनुमोदित होकर आना था।

19.08.2016 का प्रस्ताव आपके कलेक्टर ने यूं का यूं अपना फारवर्डिंग लैटर लगाकर 19.09.2016 को एक महीने बाद हमारे पास भेज दिया। हमारे पास जब यह प्राप्त हुआ तो हमने कहा कि जिस प्रपत्र में हमको चाहिए उस प्रोफार्मा में नहीं है। कलेक्टर ने हमारे इस पत्र के बाद 28.10.2016 को पुन: अपना अतिवृष्टि का प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में अतिवृष्टि तिथि, वर्षा की सूचना नहीं थी, अत: प्रस्ताव लौटाया गया। जिला पाली में पुन: प्राथमिकता निर्धारित कर दिनांक 28.10.2016 को प्राप्त प्रस्ताव में उक्त प्रस्ताव शामिल नहीं था नगरपालिका का, बाकी प्रस्ताव था।

इसलिए जो बाकी उन्होंने प्रस्ताव दिया जिले का वह हमारे पास है। उन्होंने अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग से हमारे पास प्रस्ताव भेजा है वह 346 कामों का भेजा है और उस पर हमने 13 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर दी। आपका प्रस्ताव जिस प्रोफार्मा में हमें प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्त ही नहीं हुआ तो हमारा क्या दोष है।

आपका एक प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ उसकी पूर्ति कर दी। निजी मकान जो क्षतिग्रस्त हुए थे पाली शहर में, उनका हमने 41 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। मैं सोचता हूं कि प्रस्ताव जिस प्रोफार्मा में आना चाहिए था, वह नहीं आया। आपने तो अपनी चाहे जैसे 32 करोड़ का प्लान भेज दिया नगर पालिका को, क्या आपदा राहत 32 करोड़ रुपया एक नगर पालिका को भेज

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सकता है? आपके इस प्रस्ताव का करूं क्या? हमने तो वापस सूचित कर दिया। अगर आपको भेजना है तो प्रोफार्मा में भेजो। कहां से कहां तक सड़क है। आपने तो उसकी लंबाई-चौड़ाई लिख दी। अब लम्बाई-चौड़ाई कौनसे घर से कहां तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह प्रोफार्मा हमारे डिपार्टमेंट की ओर से सारी जगह जाता है। आपके वहां के कलेक्टर ने ही, पीडब्ल्यूडी के जो बाकी गांवों के प्रस्ताव हैं वह इस प्रोफार्मा में भरकर भेजे। जो प्रोफार्मा में भरकर आए उनकी हमने राशि दी, जो प्रोफार्मा में भरकर नहीं आए उसमें हमारा क्या दोष है?

हमारी एक कट ऑफ डेट है, इस तारीख तक जो प्रस्ताव आते हैं उनकी हम पूर्ति कर पाते हैं। कोई दो साल बाद हमें लिखे कि हमारी इस सड़क की रिपेयरिंग करो, तो हम कर नहीं सकते। हमारे नियमों में नहीं आता है।

माननीय सदस्य, मदद हम करना चाहते हैं, और की है हमने। ऐसा नहीं है, जहां-जहां से प्रस्ताव आएं हैं, एक भी जिले के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि उसका प्रस्ताव जिस प्रोफार्मा में आना है, जिस तरीके से आना है, जिस प्रकार के अधिकृत अधिकारी के द्वारा आना है, उन सबको हमने राजस्थान में सप्लाई किया है और 101 करोड़ रुपया तो केवल अब तक जिन जिलों को गया है, वह रोड रिपेयरिंग के लिए ही गया है। अगर आपका भी प्रस्ताव आता तो दो-चार करोड़ जो हमारी सीमा में आता तो हम जरूर करते, हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन प्रस्ताव जिस प्रोफार्मा में आना था उसमें नहीं आने की सूचना कलेक्टर को दे दी। वापस बनाकर भेजने का काम उनका था।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मंगवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है क्योंकि नुकसान पाली को हुआ है। आप जिला कलेक्टर को पाबंद करें कि आपके निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्ताव बनाकर भेजे। कमी उनकी है और नुकसान पाली को हो रहा है। कुछ प्रस्ताव लोरिया फीडर के भी हैं, जवाई नहर के भी हैं, वे भी डिपार्टमेंट ने जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवाए हैं। इन दोनों ने पाली में तबाही मचाई है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आपके विभाग का कोई दोष नहीं है, मैं आपके विभाग का दोष नहीं कह रहा हूं पर सरकार हमारी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि नीचे विभाग के अधिकारियों ने कोई प्रस्ताव सही प्रपत्र में नहीं भिजवाया है तो उनको पाबंद करो, मंगवाओ और नियमानुसार जो राशि बनती है वह राशि दिलाकर आप हमारी मदद करो। यही हम आपसे चाहते हैं, और दूसरी बात तो चाहते नहीं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि आपके आए हुए प्रस्ताव को हमने कलेक्टर के पास वापस भेजा कि यह आपका प्रस्ताव प्रोफार्मा में नहीं है। कलेक्टर ने उसका हमको जो रिप्लाई दिया, दसवें महीने में अट्ठाईस तारीख को उनका वापस प्रस्ताव लौटकर आया, उसमें ये ग्रामीण सड़कें तो प्रस्ताव के अंदर थीं और शहर, नगर पालिका की इस प्रोफार्मा में दुबारा अभी तक सूचना नहीं आई है। मैं आपको इसका पढ़ देता हूं। प्राप्त प्रस्ताव में अतिवृष्टि की तिथि और वर्षा की सूचना ....

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सरकार की ओर से जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश दें कि वह सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भेजे। आप निर्देश देंगे, तो बिलकुल भेजनी पड़ेंगी उनको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने तो भेज दिया न? मैंने तो प्राप्त प्रस्ताव में वर्षा की तिथि....

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं भी प्रयास करूंगा उनको भिजवाने का।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): "प्राप्त प्रस्ताव में अतिवृष्टि की तिथि और वर्षा की सूचना नहीं थी अत: प्रस्ताव लौटाया गया। जिला पाली से पुन: प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 28.10.2016 को प्राप्त प्रस्तावों में उक्त प्रस्ताव शामिल नहीं था। अत: नगरपालिका का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ।" इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कलेक्टर से प्रस्ताव मंगवाने की जिम्मेदारी एमएलए साहब की है या सरकार की है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कलेक्टर की स्वीकृति में आता है और यह राजस्थान के सभी कलेक्टरों को एक आदेश जाता है। अगर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्र का इस प्रोफार्मा में भरकर भेज सकता है, तो यह काम उन्हें नगरपालिका के साथ बैठकर, भरकर भेजना था प्रोफार्मा में, अगर नहीं भेजा तो उसका दंड मैं क्यूं भुगतूं? ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उन्होंने नहीं भेजा, उसका दंड पाली वाले क्यों भुगतें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कलेक्टर को दंड दो उसका। एमएलए साहब को दंड दे रहे हो इसका।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उन्होंने नहीं भेजा तो उसका दंड पाली वाले क्यों भुगते? मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप एक बार उनको कहो, आप उनको निर्देश दो भेजने के लिए।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप अब विराज जाएं। सम्माननीय सदस्य, आपका विवेचन यह है कि आपदा का जो आपने प्रस्ताव भेजा था वह कलेक्टर साहब ने एक निहित जो उसका प्रपत्र है उसके आधार पर नहीं भेजा। आपदा मंत्रीजी ने दुबारा उनको भेजा कि आप उस प्रपत्र को पूरा कराकर भेजें, आज तक नहीं आया। यही है विषय या इसके अलावा भी है? ...(व्यवधान)... नुकसान की भरपाई उस प्रपत्र के भरने के उपरांत ही होगी न? आपदा मंत्रीजी यह कह रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जिम्मेदारी किसकी है?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं, आसन भी कुछ करेगा कि नहीं?

आपदा मंत्रीजी से आसन निवेदन करता है कि प्रपत्र न भेजने का कारण, और कारण यदि ढिलाई है और केयरलैसनैस है तो कार्यवाही करें और सुनिश्चित करें।

माननीय सदस्य, मेवारामजी जैन।

चवा पुलिस चौकी को बाड़मेर सदर थाने के अधीन किया जाए

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के तहत आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों की मांग पर आज से 4 साल पहले एक नई चवा चौकी स्वीकृत की गई, जिसके अंदर तीन ग्राम पंचायतें हैं सांसटा, सरनू और

(श्री मेवाराम जैन)

सरनू चमनजी। तीन ग्राम पंचायतें जो पुलिस थाना सिणधरी में आती थीं, सीओ गुढ़ामालानी बैठता था और कोर्ट बालोतरा लगती थी। दो ग्राम पंचायतें हैं चवा और आदर्श चवा, उनका पुलिस थाना बायतू, सीओ हैडक्वार्टर बाड़मेर और कोर्ट बाड़मेर है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन पाँच ग्राम पंचायतों के लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि तीन ग्राम पंचायतों के लोगों को सीओ के लिए गुढ़ामालानी, पेशी के लिए बालोतरा और दो को बायतू जाना पड़ता था, जबकि ये पाँच ग्राम पंचायत बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र की हैं। बाड़मेर तहसील है, पंचायत समिति है, एसडीओ हैडक्वार्टर एक है। ये पाँच पंचायतें चवा चौकी में होकर बाड़मेर का सदर थाना है उसमें इनको डालना था। जान-बूझकर, पता नहीं किस कारण बाड़मेर सदर की जगह इनको बायतू डाल दिया, जबकि बायतू का इसमें एक गांव नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि किसी को इसमें परेशानी नहीं है, किसी विधान सभा क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है। वहां की जनता की सुविधा के लिए, जो आज से चार साल पहले यह चौकी बनी, जिस उद्देश्य के साथ बनी, कृपया इन्हें बाड़मेर सदर में शामिल करें ताकि जनता को इस तरह से 150-150 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इसलिए मेहरबानी करके आज इसकी घोषणा करें, आज आपकी डिमाण्ड भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की जनता परेशान है, उनको कितनी दूर जाना पड़ रहा है। उनकी सुविधा देखते हुए आज तत्काल घोषणा करने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा, विभाग भी उसे सही मानता है कि वास्तव में कहीं चूक रही है क्षेत्र का निर्धारण करते समय। लेकिन चूंकि यह सारे राजस्थान की परमेशचंद जी की कमेटी बनायी हुई थी थानों की, तहसील की, पंचायत समिति की, विधान सभा क्षेत्र की बाउण्ड्री ठीक हो। एक-दूसरे के क्षेत्र को लांघकर व्यक्ति को न जाना पड़े और उसके कारण से उनका अतिरिक्त आने-जाने में पैसे का व्यय नहीं हो। इस बात को लेकर कमेटी बनायी है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल की है। आपका प्रस्ताव भी वहां के एसपी ने, जैसा आप बोले हैं, वैसा का वैसा भेजा हुआ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है। मैं सोचता हूं जिस समय उस कमेटी का निर्णय होगा आपकी इस बात की पूरी पालना होगी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): चार साल हो गये इस बात को। जिस उद्देश्य से यह चौकी बनी है (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कमेटी का निर्णय अभी तक, एज ए होल का हो रहा है, केवल एक व्यक्ति का नहीं और एक थाने का नहीं। हम पूरे राजस्थान में कोशिश यह कर रहे हैं कि थाना, पंचायत समिति, कोर्ट है, एसडीओ हैडक्वार्टर सब एक ही लाइन में आयें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सब एक ही लाइन का मामला है। इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। जान-बूझकर बायतू में डाला है। इसमें न तो कोई खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, न कोई प्रभावित हो रहा है, न आपको कोई एक्स्ट्रा कांस्टेबल लगाना है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट आते ही इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इसके लिए तो दो-चार साल लग जाएंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है। जब भी इसका निर्णय होगा आपके प्रस्ताव पर निश्चित विचार होगा। आज मैं एकदम नहीं कह सकता क्योंकि सारे राजस्थान की सीमाओं का ही नया निर्धारण हो रहा है। उसमें आपका प्रस्ताव वहां के एसपी के द्वारा आया है वह बिलकुल ठीक है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आज करते तो बढ़िया रहता।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

प्रदेश के विद्यालयों में कुक-कम-हेल्पर के मानदेय में वृद्धि

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि राज्य के विद्यालयों में कुक-कम-हैल्पर काम कर रहे हैं जिनका वर्तमान में मानदेय एक हजार रुपया है। आज के इस महंगाई के जमाने में कैसे वे अपना परिवार चला सकते हैं, यह आपको भी विदित होगा। 40 बच्चों पर

(श्री गोतम कुमार)

एक कुक-कम-हैल्पर की नियुक्ति की जाती है। 40 बच्चों का भोजन बनाने में कितना परिश्रम लगता होगा, वह भी रोज मीनू के हिसाब से। आपने 6 दिन का मीनू तय कर रखा है और उस पूरे मीनू के हिसाब से एक आदमी 40 बच्चों का भोजन बनाता है। आज हम अपने घर-परिवार में भी कोई छोटा-मोटा आयोजन करें और उसमें 30-40 जनों का भोजन रखें और किसी मजदूर को अगर अपन बुलाएं तो 1000-1500 रुपये से कम नहीं लेगा। एक दिन की मजदूरी भी वह 1000-1500 रुपया लेगा। ऐसी स्थिति में कुक-कम-हैल्पर कैसे काम करेगा? एक तरफ हम राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात कर रहे हैं। उसी विद्यालय में काम करने वाले अध्यापकों की एक-एक लाख रुपये तनख्वाह हो जाएगी और सुबह से चूल्हे पर लगते हुए, गैस पर काम करते हुए, बर्तन मांजते हुए, कैसे वे एक हजार रुपये में काम करेंगे। इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है।

हम भी कभी स्कूलों में जाते हैं, पोषाहार देखने के लिए कभी जाते हैं, तो वहां कई कुक-कम-हैल्पर हमने देखे हैं जो अपने बच्चों की तरह, माताएं होती हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वे बच्चों को बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं, उनके बर्तन भी साफ करती हैं, 40 बच्चों के बर्तन साफ करने हैं, इतनों का भोजन बनाया है उनके जूठे बर्तन इकट्ठे कर साफ करने का काम इतने कम मानदेय में कर रहे हैं। यदि अपन जयपुर को देखें या विधान सभा में खासाकोठी से केंटीन में कुक काम कर रहे हैं वे कुक ग्रेड-पे लेकर, कम से कम 30-40 हजार की तनख्वाह लेकर काम करते हैं। 40 हजार की तनख्वाह लेने के बाद बर्तन साफ करने के लिए नीचे आदमी अलग होते हैं, सब्जी की कटाई करने के लिए आदमी अलग होते हैं। कुक-कम-हैल्पर अपने लिए नि:शुल्क काम कर रहा हो ऐसा प्रतीत होता है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, इस पर थोड़ा विचार करें। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में उनके लिए संवेदनशीलता रखते हुए 200 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि 200 रुपये

(श्री गोतम कुमार)

ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। मेरा आग्रह है कि इन मानदेय को बढ़ाएं क्योंकि पूरे राजस्थान में एक लाख से भी ज्यादा कुक-कम-हैल्पर इन विद्यालयों में काम कर रहे हैं। उनकी संख्या को देखते हुए, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में 750 कुक-कम-हैल्पर काम कर रहे हैं। आपके द्वारा ही प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है कि एक लाख कुक-कम-हैल्पर हैं। वे लगातार हमारे पास तीन साल से आ रहे हैं। हर बार अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं कि इस बार के बजट में हमें कुछ मिलेगा, इस बार के बजट में कुछ मिलेगा।

मेरा आपसे आग्रह है जब बजट पारित हो, इस बजट के पारित होने की जब घोषणा हो, तब इन कुक-कम-हैल्पर के मानदेय को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इसकी घोषणा हो, ऐसी मैं आशा रखता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करता हूं कि अभी इस पर कोई आश्वासन दिलाने की कृपा करावें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: I cann't allow, Sir. On 'parchi' it is very clear.

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इंपोर्टेंट इश्यू है।

श्री उपाध्यक्ष: No supplementaries.

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): कल आपने ही कहा सबको साथ लेकर चलेंगे तो उन कुक-कम-हैल्पर को भी साथ लेकर चलें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संपूर्ण प्रदेश में 68685 राजकीय व मदरसा सहित विद्यालय हैं जिनमें भारत सरकार की योजना के अनुसार मिड-डे मील की व्यवस्था है व लगभग 62.78 लाख विद्यार्थियों को हम मिड-डे मील उपलब्ध कराते हैं। कक्षा एक से लेकर पाँच तक के बच्चों के लिए 100 ग्राम और कक्षा 6 से 8 के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें भोजन पकाने की लागत एक से पाँच वाले के लिए 4.13 रुपये और 6 से 8 वाले के लिए 6.18 रुपये है। इसमें केवल ईंधन, दाल, सब्जियां, तेल आदि सम्मिलित हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसके लिए भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार ही इसका मानदेय तय करती है। उस एक हजार रुपये में केन्द्र मद व राज्य मद 60:40 के रेशो में है। 60 परसेंट केन्द्र से आता है, 40 परसेंट राज्य सरकार देती है। इस विषय पर मैंने एच.आर.डी. मंत्री महोदय से भी बातचीत की है और पत्र भी लिखा है। वहां भी यह विचाराधीन है। हमारी संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे होकर अपनी ओर से 200 रुपये प्रति कुक का अभी बजट में बढ़ाया भी है।

इसके लिए जैसा आपने आपने कहा कि 50 विद्यार्थियों तक एक, 50 से 150 तक दो, 150 से 400 तक तीन, 400 से 550 तक चार, 550 से 700 तक पांच, इस प्रकार से कुक, यानी एक स्कूल का सम्पूर्ण एक न बनाकर विद्यार्थियों की संख्या पर भी आधारित है।

इसीलिए हम इस पर निश्चित रूप से संवेदनशील हैं, माननीया मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं। उन्होंने बढ़ाया है और जैसे ही भारत सरकार से इस विषय में अनुमति आयेगी या वहां प्रावधान होगा तो हम राजस्थान में भी इसका प्रावधान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल जी।

पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन पंचायत समिति का गठन

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीपलू उपखण्ड में नव पंचायत समिति गठित करने हेतु आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे उस पिछड़े हुए उपखण्ड पीपलू में पंचायत समिति बनाई जाए।

मेरे पीपलू उपखण्ड में 07/1996 में तहसील का गठन हुआ, 06/2000 में उपखण्ड बना। पीपलू की जनसंख्या एक लाख 20 हजार के करीब है, टोंक की जनसंख्या भी इतनी ही है। 50 पंचायतों से मिलकर टोंक में पंचायत समिति का निर्माण बहुत पहले हुआ। अभी 25 पंचायतें पीपलू उपखण्ड की हैं और 25 पंचायतें टोंक उपखण्ड की है। मेरे उपखण्ड में 13

(श्री हीरालाल)

वार्ड हैं और टोंक पंचायत उपखण्ड में 12 वार्ड हैं। भौगोलिक दृष्टि से पीपलू उपखण्ड काफी पिछड़ा हुआ है और जो 50 पंचायतें हैं उनमें 25 पंचायतें मेरे पीपलू की हैं, वो टोंक मुख्यालय से काफी दूर, 50 से 60 किलोमीटर के करीब दूर है। जब बरसात का समय आ जाता है तो गैलोद पंचायत टोंक से 15 किलोमीटर दूर है लेकिन बनास नदी आने से बरसात के मौसम में चार महीने तक इतना पानी आता है कि वो रपट तो टूट ही जाती है लेकिन बीमार होने पर, आवश्यक काम होने या पंचायत समिति की मीटिंग होने पर गैलोद साइड के, डोडवाड़ी के, गैलोद के, ज्वाली पंचायत के सरपंच आने-जाने में काफी असुविधा महसूस करते हैं।

मेरा पीपलू उपखण्ड पंचायत समिति के मानदण्डों को पूरा करते हुए भी, जिला प्रशासन के कुछ अफसरों की अनदेखी से पंचायत समिति नहीं बन पाया जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। पंचायत समिति में 50 पंचायतें हैं जिनमें 25 पीपलू उपखण्ड की शामिल हैं जिससे क्षेत्र काफी वृहद् हो जाता है। इसी कारण पीपलू उपेक्षित रहा। टोंक में नगर परिषद् भी है और वहां पंचायत समिति का मुख्यालय भी है। टोंक में शहर की काफी आबादी है और 25 पंचायतें हैं वो 60-65 किलोमीटर दूर है तो उस दृष्टि से भी पीपलू पंचायत समिति बनना चाहिए। टोंक में मुख्यालय होना न्यायोचित नहीं है। पीपलू उपखण्ड के अधिकतर गांव टोंक मुख्यालय से काफी दूर पड़ते हैं। पीपलू उपखण्ड पर एस.डी.एम. कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, उप कोष कार्यालय, पुलिस निरीक्षक का ऑफिस, सभी तरह के बैंक, बड़ौदा बैंक, सैण्ट्रल बैंक, भूमि विकास बैंक, को-आपरेटिव बैंक, निजी क्षेत्र में महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका माध्यमिक विद्यालय आदि सभी तरह के कार्यालय हैं और अधिकतर काम पीपलू उपखण्ड के लोगों का पीपलू स्तर पर ही निष्पादित हो जाता है तथा केवल पंचायत समिति के काम की वजह से ही टोंक जाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन है कि जब पंचायत समिति के सारे

(श्री हीरालाल)
मानदण्डों को फुलफिल करने वाले कार्यालय वहां पर हैं तो वित्तीय भार भी बहुत कम पड़ेगा और इसलिए पंचायत समिति का मुख्यालय वहां होना आवश्यक है। वहां पर पर्याप्त स्थान है, जगह है और राज्य सरकार पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप नवीन पंचायत समिति का गठन करवाना चाहते हैं क्या? तो विराज जाओ। मंत्रीजी समझ गये यह तो।

श्री हीरालाल (निवाई): नवीन पंचायत समिति का गठन करने के लिए ही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ, क्योंकि यह तो अभी पिछली बार हुआ था, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब आप दो मिनट विराज जाओ। मेरे ख्याल से मंत्रीजी बात समझ गये, जहां तक आप लाना चाह रहे थे।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा अवसर दें जिससे मैं भी अपनी बात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष: जहां तक मैं सोच पा रहा हूं इसका एक लाइन का उत्तर आयेगा। फिर भी आप पूरी विवेचना कर दें।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं तो पांच मिनट मांग रहा हूं आपसे, और आप दें।

सुराज संकल्प यात्रा में माननीया मुख्य मंत्री महोदया भी वहां से गुजरी थीं और उस क्षेत्र को उन्होंने नजदीकी से देखा था। तत्कालीन जिला कलेक्टर को मैंने माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी पत्र दिया और माननीय मुख्य मंत्रीजी के पत्र की प्रति पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी दी गई थी। लेकिन जिला प्रशासन और प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास द्वारा उस पत्र पर गहनता से विचार नहीं किया गया। अगर उस पत्र पर गहनता से विचार किया जाता तो मेरे यहां पंचायत समिति बन जाती।

वहां पर तत्कालीन ए.डी.एम. मिस्टर किशोर कुमार प्रभारी थे, वो बार-बार कहते रहे कि नियमों में नहीं आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री हीरालाल)
नियमों की बात मैं करूं तो मेरा निवेदन है कि तहसील केकड़ी की सरवाड़ में 20 पंचायतों पर पंचायत समिति का गठन किया गया, खण्डार विधान सभा क्षेत्र का चौथ का बरवाड़ा है जहां पर 22 पंचायतों को शामिल कर पंचायत समिति बनाई गई।

तो मेरे पीपलू उपखण्ड के साथ जो इस तरह का अन्याय हुआ है उसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी इस सिलसिले में मिला और उनका भी सकारात्मक रूख था। चूंकि वो वहां से पधारी थीं, गुजरी थीं कि बनना चाहिए तो मैं आपके माध्यम से बार-बार यही निवेदन करूंगा कि मेरे यहां पीपलू में नवीन पंचायत समिति का गठन किया जाए।

आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप निर्देश प्रदान करें कि कोई सकारात्मक उत्तर तो दे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप घोषणा कर दें, 2020 में चुनाव होंगे जब पंचायत समिति गठित हो जाएगी। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने माना है कि वहां के कलक्टर साहब द्वारा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने प्रेषित नहीं किया गया है। जिस समय पुनर्गठन का काम किया था उस समय 05.11.2014 को 723 नई पंचायतें बनाईं, 47 नई पंचायत समितियां बनाईं और उस समय अगर इनका प्रस्ताव आता तो उस पर राज्य सरकार विचार करती।

अब चूंकि आज के दिन कोई भी पंचायतों या पंचायत समितियों के पुनर्गठन का कार्य नहीं चल रहा है और मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि यह पुनर्गठन का कार्य या नई पंचायतों का कार्य तभी होता है जब चुनाव के थोड़े दिनों पहले राज्य सरकार की मन्शा अनुसार प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अभी इस प्रकार की कोई न तो प्रक्रिया है, न कोई चुनाव

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
है। चुनाव भी जनवरी-फरवरी, 2015 में हो गये। अब इस समय इसके बारे में कुछ कहना गलत होगा।

मैं सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जब भी पंचायत समितियों का पुनर्गठन होगा, उस समय आपकी पीपलू पंचायत समिति के बारे में भी विचार किया जायेगा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि 20 और 22 पंचयतों पर बना दी तो यहां भी तो कहीं आपने सोचा होगा? मेरे यहां तो 25 पंचायत हैं। आपने 20-22 पंचायतों पर बना दीं।

यह तो सही है, आपने कहा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। यह तो जनरल शब्द है, रटा-रटाया शब्द आपने बोला। आप यह बोलो कि हम बनायेंगे। चुनाव बाद में हो जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ना, अभी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन ही नहीं है, किसी प्रकार के कोई पुनर्गठन का या नई पंचायतें या पंचायत समिति बनाने का राज्य सरकार की तरफ से कोई विचार ही नहीं है। जब होगा, तब देखा जायेगा और उस समय...

श्री हीरालाल (निवाई): जो आपने 20 और 22 पंचायतों पर बना दी वहां पर तो आप लिबरलता बरती ना, तो मेरे साथ भी आप बरत सकते थे। मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह। 20-22 का जवाब दें आप।

श्री उपाध्यक्ष: कनक्लूड हो गया मंत्री महोदय?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हां, पूरा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: कोई और विचार है आपके जेहन में?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमान् घनश्याम तिवाड़ी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर के पृथ्वीराज नगर में पेयजल व्यवस्था

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर, जयपुर तथा आसपास की आवासीय कालोनियों में पेयजल व्यवस्था के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में जलापूर्ति के अल्पावधि समाधान हेतु समय-समय पर जन प्रतिनिधियों/विकास समितियों की मांग पर विकास समिति द्वारा विद्युत संबंध का डिमांड नोट जमा कराने की शर्त पर तथा भविष्य में नलकूप का समस्त संचालन एवं संधारण का कार्य विकास समिति द्वारा किये जाने की शर्त पर पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में कुल 29 नलकूप एवं एक हैण्डपम्प का निर्माण किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीर्घकालीन उपायों के तहत पृथ्वीराज नगर एवं आसपास के क्षेत्र के निवासियों को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना है। इस कार्य हेतु पेयजल परियोजना के कार्य की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

1. मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन का कार्य:- परियोजना हेतु मुख्य पाइप लाइन के कार्य हेतु राशि रुपये 343.07 करोड़ की योजना की तकनीकी क्लीयरेंस तकनीकी समिति की 629वीं बैठक दिनांक 02.06.2016 के द्वारा जारी की गई। योजना के क्रियान्वयन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से हिस्सा राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। योजना में बनने वाले पम्प हाउस एवं स्वच्छ जलाशय हेतु आठ स्थान चिह्नित किये गये हैं। इनमें से छह स्थानों पर भूमि आवंटन हो चुका है व शेष दो स्थानों पर आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है।
2. वितरण तंत्र:- योजना के अन्तर्गत वितरण तंत्र के प्रस्ताव दो भागों पृथ्वीराज नगर (उत्तर) एवं पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) में विभाजित हैं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) पृथ्वीराज नगर (उत्तर) के तहत (अजमेर रोड से सीकर रोड के मध्य का भाग सम्मिलित है) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य मैसर्स याशी कन्सल्टेंसी, जयपुर को दिया गया है। योजना में बनने वाले चिह्नित हैडवर्क्स के अनुसार संशोधित परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगतिरत है एवं माह मार्च, 2017 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना में बनने वाले हैडवर्क्स हेतु 38 स्थान चिह्नित किये गये हैं। इनमें से 22 स्थानों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन कर दिया गया है एवं शेष 16 स्थानों पर आवंटन की प्रक्रिया जारी है।

(2) पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) के तहत (डिग्गी मालपुरा रोड से अजमेर रोड के मध्य का भाग सम्मिलित है) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य मैसर्स पी.डी.कोर, जयपुर द्वारा प्रगतिरत है एवं माह मार्च, 2017 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना में बनने वाले हैडवर्क्स हेतु 26 स्थान चिह्नित किये गये हैं। इनमें से 11 स्थानों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है एवं शेष 15 स्थानों पर आवंटन की प्रक्रिया जारी है।

परियोजना हेतु अभी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। योजना पर कार्य आवश्यक भूमि आवंटन एवं वित्तीय संसाधनों की स्वीकृति/उपलब्धता के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पृथ्वीराज नगर के एक हिस्से के लिए 343 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कराई और उसका पैसा जयपुर विकास प्राधिकरण से मांगा है। जहां तक मेरी जानकारी में है कि क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने केवल एक किश्त 60 करोड़ रुपये की पीएचईडी को दे दी है और बाकी किश्तें छह-छह महीने के हिसाब से देने पर अपनी सहमति व्यक्त की है? एक।

नम्बर दूसरा, यह जो आपने दक्षिण का हिस्सा बताया, उस हिस्से के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए तीन घोषणाएं आपने पहले की थी। एक तो विधान सभा नगर के लिए इसी सदन में, ''क्या यह सही है कि विधान सभा नगर के लिए 29.4.2016 को पेयजल के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है?" लेकिन उस पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। दूसरा, "भांकरोटा, पृथ्वीराज नगर, मदरामपुरा, गुर्जरों की तलाई, गोरधन नगर के आसपास बसी कालोनियां, सीतापुरा का क्षेत्र और चक गेटोर श्योपुर के आसपास का क्षेत्र, बीसलपुर पेयजल योजना से वंचित है, उसके लिए गुर्जरों की तलाई के लिए 22.2.2017 को 87 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है लेकिन तकनीकी और टेण्डर की कार्यवाही की जानी शेष है। तीसरा, "इसी प्रकार मदरामपुरा पेयजल के लिए आपके द्वारा बताया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण से उसकी हिस्से की राशि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जब आवश्यकता होती है तो ट्यूबवैल के लिए सोसायटी से लिखाकर हम ले लेते हैं और फिर आप करते हैं। यह 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें टोटल अभी 29 ट्यूबवैल लगे हुए हैं। यह सारा का सारा क्षेत्र है, जिसमें अब नीचे पानी भी नहीं है इसलिए बीसलपुर की पेयजल सप्लाई के अलावा इस योजना का कोई आधार नहीं है।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो योजना आपने स्वीकृत की है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

यह बात सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है, मैं माननीय गृह मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार मैंने पृथ्वीराज नगर के नियमन का या आवंटन का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। उसके जवाब में माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था कि इसके बाद अब माननीय सदस्य को दुबारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगाना पड़ेगा और वह नहीं लगाना पड़ा और वह ऐतिहासिक काम पूरा हो गया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं चाहता हूं कि आगे वाला जो विधान सभा का सत्र आये तो इसी प्रकार का धन्यवाद मैं आपको दूं। आपने कहा कि पेयजल का सारा काम पूरा कर देंगे और मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, विशेष रूप से सदन का यह जो पटल है, वह विकास में कितना सहायक होता है। सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की रँगाई-छपाई के बारे में दो बार उसको नष्ट करने का, उठाने का आ गया। इसी विधान सभा के प्रश्न में, एक बार कांग्रेस के समय और एक बार भारतीय जनता पार्टी के समय प्रश्न लगे, ध्यानाकर्षण लगा और वह रँगाई-छपाई इस विधान सभा के माध्यम से बच गई।

इसी प्रकार से इसी विधान सभा के माध्यम से पृथ्वीराज नगर का नियमन हो गया और इसी विधान सभा के माध्यम से अगर पेयजल का पूरा काम हो जायेगा, तो आम जनता को भी और माननीय विधायकों को भी पता लगेगा कि यह सदन का पटल विकास में कितना बड़ा सहायक है, और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

अत: मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो कुछ मैंने आपको बताया है और जो कुछ आपने बताया है, उसको समयबद्ध तरीके से अगर लागू करा देंगे तो सांगानेर विधान सभा क्षेत्र भी और जयपुर की बाकी कालोनियां भी इसमें शामिल हैं, वह आपकी बहुत-बहुत आभारी रहेंगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा है कि एक किश्त जेडीए से 60 करोड़ रुपये की आई है और बाकी की किश्तें आना बाकी है, शेष है। जैसा हमारा समझौता हुआ, उसके अनुसार 343.07 करोड़ की यह योजना है, इसमें से 315 करोड़ रुपये जेडीए को देने है और 60 करोड़ रुपये आये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 31 मई के पहले-पहले हम प्रक्रिया पूरी करके इसको कार्यरूप में गति पकड़ाने का काम करेंगे। यह तो एक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मंत्रीजी, जे.डी.ए. के पास में तो पैसा ही नहीं है, दोगे कहां से आप?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अब वो पैसा है कि नहीं है, जो समझौता हुआ है उसके आधार पर हम लेंगे और 60 करोड़ रुपये हमारे पास आये हुए हैं और आगे की कार्यवाही करेंगे।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जैसा कि माननीय सदस्य ने गोरधन नगर और उसके आस-पास की कॉलोनियों को बीसलपुर योजना से जोड़ने की बात कही है, तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि ये नियमित विभागीय जलापूर्ति से लाभान्वित नहीं हैं। विभाग द्वारा क्षेत्र में मांग के अनुसार बीस टैंकर प्रतिदिन उपलब्ध कराये जा रहे हैं और बीसलपुर से लाभान्वित करने हेतु डीपीआर बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

ये जो गोटन नगर और इसका, द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा, प्रथम चरण में इसका काम नहीं है।

ये दूसरा, जो आपने मदरामपुरा और गुर्जरों की तलाई की बात की है, मदरामपुरा का लगभग आधा क्षेत्र बीसलपुर परियोजना में लाभान्वित है। शेष क्षेत्र के लिए डीपीआर तैयार की जा चुकी है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार निर्णय लिया जाएगा। गुर्जरों की तलाई हेतु पेयजल समस्या के समाधान हेतु रुपये जैसा आपने कहा कि 87 लाख के प्रस्ताव 22.2.17 को स्वीकृत किये गये हैं। शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जाएगी और ये उक्त दोनों, मदरामपुरा और गुर्जरों की तलाई, ये प्रथम चरण में सम्मिलित हैं।

आपने जैसा कहा गोविन्दपुरा जेडीए कॉलोनी में बीसलपुर परियोजना के बारे में, तो मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि ये द्वितीय चरण में सम्मिलित है।

जैसा भांकरोटा और इसके आस-पास बसी कॉलोनियों में बीसलपुर परियोजना के बारे में कहा, यह भी द्वितीय चरण में सम्मिलित हैं। सैक्टर-7 के आस-पास एवं चक गैटोर के आस-पास बसी बस्तियों को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने की बात है, यह भी द्वितीय चरण में सम्मिलित है। मंगल विहार, गोपालपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टंकी बनाने के लिए आबंटित जमीन का आपने जिक्र किया है तो ये भी प्रथम चरण में सम्मिलित है और ये गौशाला टोंक रोड का आपने कहा है वो भी प्रथम चरण में सम्मिलित है। जो विद्या नगर के लिए आपने कहा, 4 करोड़ 84 लाख की आपने कार्ययोजना पर कार्य करना बताया है तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि ये प्रथम चरण में सम्मिलित है और इसके ऊपर भी हम कार्यवाही करेंगे।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि जो द्वितीय चरण है, प्रथम चरण का तो मैंने आपको बता दिया कि 343 करोड़ मुख्य इन्फ्रा के लिए और बाकी कलस्टर के लिए पूरा का पूरा पैसा जे.डी.ए. देगा और इन्फ्रा के लिए 315 करोड़ देगा। द्वितीय चरण के लिए मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि हमारी 1978 करोड़ की वित्त पोषित करने के लिए 'जायका' के साथ चर्चा चल रही है और 'जायका' ने टेंटेटिवली एग्री कर लिया है और ज्यों ही ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, उसके बाद में द्वितीय चरण का भी काम शुरू किया जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि सांगानेर विधान सभा के पूरे क्षेत्र में अगर यह 'जायका' वाला काम हो जाए और ये प्रथम चरण का काम हो जाए, इसके बाद में पूरे विधान सभा क्षेत्र को बीसलपुर का पानी मिल जाएगा, लेकिन इसका समय थोड़ा बता दो मंत्री महोदय, कि प्रथम चरण जो आपने मार्च, 2017 कहा है तो मार्च, 2017 इस समय चल रही है और द्वितीय चरण का भी मार्च, 2017 कहा है वो भी मार्च, 2017 अभी चल रही है। इसलिए मार्च के बाद अप्रैल से आप इसका काम प्रारंभ करा दें, तो ये डेढ़ वर्ष में पूरा हो जाएगा और आपको ही धन्यवाद मिल जाएगा, नहीं तो इसमें अगर समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा तो फिर किसी दूसरे मंत्री को धन्यवाद देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप ही धन्यवाद लो। तो इसका काम शीघ्र आप चालू करा दें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि ये जो 31 मार्च कलस्टर की डीपीआर बनने का है, उसका मैंने जिक्र किया है और प्रथम चरण का काम जो इन्फ्रा का काम है उसके काम की डीपीआर तो बन गयी है और 343 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। तो वो-वो नहीं है, वो तो दूसरे की डीपीआर की बात कर रहा हूं। और दूसरे की जो डीपीआर बनेगी उसके बाद में ज्यों-ज्यों आगे समय आएगा, करेंगे। पर प्रथम फेज का जो इन्फ्रा का काम है उसका अब मैं आपको बता रहा हूं कि 31 मई के पहले-पहले प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी करके उसको गति पकड़ाने का काम करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री भागीरथ चौधरी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

समिति प्रतिवेदन

पर्यावरण सम्बन्धी समिति (वर्ष 2016-17) का प्रतिवेदन (क्रम सं.3)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण संबंधी समिति वर्ष, 2016-2017 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री नन्द किशोर जी महरिया।

(अनुपस्थित) श्री केसारामजी चौधरी।

याचिका

गुड़ा ठाकुरजी (मारवाड़ जंक्शन) में नदी पर क्षतिग्रस्त रपट के स्थान पर पुलिया का निर्माण

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति रानी के ग्राम गुडा ठाकुरजी की नदी पर टूटी हुई रपट के स्थान पर पुलिया निर्माण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता।

(अनुपस्थित) श्री रतन लाल जलधारी।

सीकर शहर की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों का नवीनीकरण

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सीकर शहर के वार्ड नं. 17, 19 एवं 20 स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बाण्डियावास से मीणा धर्मशाला, बाण्डियावास होते हुए मीणाओं के कुएं तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण एवं सड़क के दोनों तरफ टूटी हुई कच्ची नाली को पक्की करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

व्यवस्था

याचिका प्रस्तुतकर्ता सदस्यों की अनुपस्थिति अत्यन्त गम्भीर

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक नहीं हैं, उप सचेतकजी आप अपनी सीट पर पधारो। आसन आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है। चार याचिकाओं का आज उपस्थापन होना था। कृपया करके अटेंडेंस रजिस्टर देख कर बताइये, इनमें जो आज नहीं आये अभी जो सदन में याचिका का उपस्थापन नहीं कर रहे हैं, क्या वो आज सदन में उपस्थित हैं या नहीं? और आसन पहले भी कह चुका है कि इस प्रकार की सूचनाएं जब उनके पास चली जाती हैं और बगैर लिखित में कोई कारण बताये वो नहीं आते हैं, आसन इस पर नियमानुसार बहुत कड़ी कार्यवाही करेगा और मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि अगर इसमें कोई नियम नहीं बना हुआ है तो हम नियम बना कर कार्यवाही करेंगे।

विभागीय प्रतिवेदन व लेखों का समय पर सदन पटल पर नहीं रखा जाना संसदीय प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन

मैं सदन की इजाजत से एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गृह मंत्री महोदय, मैं आपका और पर्यावरण मंत्री महोदय आपका। दो दिन पहले आपकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही में कृषि मंत्रीजी ने आपके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत करनें थे वो उन्होंने प्रस्तुत किये थे तो प्रतिवेदन में मैंने, आसन ने उनसे यह आग्रह किया था कि प्रतिवेदन जो उनका आया है वो 2014-15 का है, जबकि प्रतिवेदन आना चाहिए था 2015-16 का। आसन की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि दो दिन के अन्दर-अन्दर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पांच बजे आज दो दिन पूरे हो जाएंगे।

तो मैं पर्यावरण मंत्री महोदय, आपका ध्यान, आसन आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि यह विधायिका के और विधान सभा के नियमों का उल्लंघन है। मैं आपको और सदन को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि पहले भी 2014 में, 2015 में, 2013 में और 2016 में आसन द्वारा बार-बार यह हिदायत दी गई। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि आइंदा इस प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। सामान्य पब्लिक को राइट ऑफ

(श्री उपाध्यक्ष)

इन्फोर्मेशन का अधिकार 2005 के बाद मिला। संविधान के गठन के उपरांत, लागू होने के उपरांत इस सदन को राइट ऑफ इन्फोर्मेशन का अधिकार संविधान से मिला हुआ है और अगर कोई भी विभाग या विभाग का अधिकारी समय पर सूचना नहीं पहुंचायेगा तो कठोरतम कार्यवाही करने को आप आसन को बाध्य कर रहे हैं।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपके एक बोर्ड को 2001-02 के बाद में लेखे, ऑडिटेड अकाउंट्स भी आज तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

यह गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हैं, इसलिए अगले चौबीस घंटे के अन्दर-अन्दर लिखित में अपना जो भी उत्तर है आप सदन में पेश करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी व्यवस्था दी हुई है और निश्चित रूप से आपने चौबीस घंटे का समय दिया था कि चौबीस घंटे के अन्दर-अन्दर ये...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। ये दो विषय हैं मंत्री महोदय, प्रगति प्रतिवेदन का न आना यह एक विषय है और आपके ऑडिटेड अकाउंट्स यहां पेश नहीं होना, यह दूसरा विषय है। आपका आखिरी में ऑडिटेड अकाउंट आया था 2001-02 का यानी 12 साल से 15 साल के अकाउंटस आज तक विधान सभा में पेश नहीं हुए। It is absolutely a very serious negligence and the Chair is now asking you that you better take some remedial measures, otherwise the Chair will be forced to take cognizance on this issue.

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गलती हुई है उसके लिये मैं क्षमा चाहूंगा और कल सुबह तक वर्ष 2015-16 का पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वह सदन के पटल पर पेश कर दिया जायेगा. My sincere apologies.

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको एक और रैफर कर देता हूं। आपका एक्ट है The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 इसके सैक्शन 40 को आप अच्छी तरह पढ़ ले, 38, 39 और 40 को। "39 (2) Every State Board shall, during each financial year, prepare, in

(श्री उपाध्यक्ष)

such form as may be prescribed, an annual report giving full account of its activities under this Act during the previous financial year and copies thereof shall be forwarded to the State Government within 4 months from the last date of the previous financial year and that Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature within a period of 9 months from the last date of the previous financial year." और 40 का सब-सैक्शन (7) यह बात कहता है "The State Government shall, as soon as may be after the receipt of the audit report under sub-section (5), cause the same to be laid before the State Legislature."

You have to first identify when the audit took place when the report was printed and why was there negligence by the authorities concerned. It is not the Ministry. It is the Department and the authorities concerned. Now I wish that you take an action that should be remembered and you should go at the angle of the State Legislature.

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): My sincere apologies. ......उपाध्यक्ष महोदय, I will look into this matter and I will ensure that it will never happen.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट एक्सचैकर अनुपूरक अनुदान मांगों में आता है। रिवाइज एस्टीमेट भी इसी में सैंक्शन होते हैं। अगर आडिटेड अकाउंट्स 2001 से पेश नहीं हो, तो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड जिसको संविधान के आधार पर हम यूज कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उस स्थिति में उस हैड में ड्रावल नहीं हो सकती जब तक कि यह कम्प्लीट नहीं हो, यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ। सदन के सदस्यों के तो यह ध्यान में आया नहीं था, जो आपका अधिकार था और क्योंकि आसन का यह कर्तव्य होता है कि आपके अधिकारों का संरक्षण करे और कभी-कभी

(श्री उपाध्यक्ष)
आपका ज्ञानवर्धन भी कर दे। अब चूंकि रिकार्ड पर कोई चीज आ जाएगी, उसके उपरांत क्या कार्यवाही करनी है, तब करेंगे।

आय व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18। अनुदान की मांग पर विचार व पारण। श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

एक मिनट आप विराज जाये। He has a point of information.

सूचना

ग्राम सेवकों का विधान सभा के बाहर धरना-प्रदर्शन

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान के ग्राम सेवक 11 सूत्री मांगों को लेकर बाहर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च का महीना समाप्त होने जा रहा है, इसलिए आप सरकार को कहे कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान करे।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार को आपकी सूचना मिल गई है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन की प्रस्तुति

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,23,75,06,000/-(सात अरब तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 6 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

मांग संख्या 16 - पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,04,29,62,000/-(बावन अरब चार करोड़ उनतीस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल। एक मिनट विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ...

मांग संख्या 17- कारागार की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक मांग रख देता हूं उसके बाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,40,76,000/- (एक अरब छियालीस करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि कल मैंने मांग की थी कि भरतपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में सरकार को सुओमोटो स्टेटमेंट देना चाहिये। आपने व्यवस्था की, मंत्रीजी देने के लिये हां भर के गये थे। सायंकाल आपने व्यवस्था दी कि अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि आज माननीय मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे। अब गृह मंत्रालय पर बहस हो रही है तो उसके साथ जोड़ने से इसका अर्थ नहीं निकलेगा। यह घटना एक अलग घटना है और इस घटना के बारे में सारे राजस्थान में उत्सुकता है, इसलिए इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, जब तक माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य नहीं आयेगा, तब तक सदन इससे अवगत नहीं हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा आप मांग पारण के उपरांत इस पर वक्तव्य दें दे क्योंकि मैंने अब नाम पुकार लिया है और

(श्री उपाध्यक्ष)

आपने प्रस्ताव मूव कर दिया तो बीच में आपका वक्तव्य आना उचित नहीं रहेगा, मांग पारण के उपरांत आप इस विषय पर वक्तव्य अलग से दे दीजिए।

बनवारी लाल जी सिंघल।

मांग संख्या 6, 16 व 17 पर विचार

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16, 17 एवं मांग संख्या 6 पर मैं अपनी बात एक सत्य वचन के साथ रख रहा हूं। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचना भी बढ़ेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्ष में राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान के माननीय गृह मंत्रीजी की मजबूत इच्छा शक्ति के चलते जिस प्रकार से पिछले तीन वर्ष भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराध में आशातीत कमी आई है, पिछले पाँच वर्ष के मुकाबले अगर हम इसका कम्पेरीजन करें तो पिछले पाँच वर्ष में राजस्थान अपराधों की जद में चला गया था। आये दिन जिस प्रकार की घटनाएं पिछले पाँच वर्ष में हुईं, इस राजस्थान में जो भय का माहौल उत्पन्न हुआ, उस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय गृह मंत्रीजी ने अपनी इच्छा शक्ति से जिस प्रकार से काबू पाया है इससे अपराधों में भारी गिरावट दर्ज हुई है जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय गृह मंत्रीजी बहुत धन्यवाद के पात्र है।

यूं तो इस सदन में अखबारों में प्रकाशित किसी समाचार को वरीयता नहीं दी जाती, किन्तु चाहे प्रदेश का न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो वहां भी अनेक बार ऐसे अवसर आये हैं कि अखबारों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर कोर्ट ने भी सुओमोटो कोग्नीजेंस लिये हैं, इसलिए मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित पिछले पाँच वर्षों की कुछ घटनाओं की ओर सदन का ध्यान अपनी बातचीत में आकर्षित कर रहा हूं।

21 नवम्बर, 2010 का एक समाचार पत्र राजस्थान स्तर का, देश स्तर का है, शहर में 7 घंटे में 8 बाइक चोरी। दलित अत्याचार में प्रदेश में अव्वल। 18.7.2007 का यह समाचार पत्र मेरे हाथ में है, साढ़े पैतालीस प्रतिशत की अपराध दर पिछले वर्ष राजस्थान में। हर चौथे दिन हत्या, यह

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

24 जुलाई, 2013 का समाचार पत्र मेरे हाथ में है। 25 जुलाई, 2013 हर चौबीस घंटे में एक अपहरण, ये पिछली सरकार के कारनामे हैं। यह प्रमुख समाचार पत्रों में है, कोई छोटा मोटा समाचार पत्र नहीं, यह देश के प्रमुख समाचार पत्रों की घटनाओं का उल्लेख इस सदन में कर रहा हूं। हाईवे पर बढ़ा दुर्घटनाओं का ग्राफ। कहां से आ रहे हैं अवैध हथियार, 20.6.2012 का यह समाचार पत्र है। 10 लाख की शराब पकड़ी। एक समाचार पत्र 4 जनवरी, 2010 अपराध में जयपुर देश में तीसरा और दिल्ली 12वें स्थान पर, यानी अपराध में जयपुर देश में तीसरे स्थान पर आया पिछली सरकार के कार्यकाल में। जयपुर में जो कंकाल मिलने की घटना हुई थी, उसने पूरे जयपुर शहर को नहीं, पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन अखबारों का उल्लेख भी मैंने इसीलिए किया है ताकि हमारे सामने वाली बैंचेज पर बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं, वे इस सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर जबरदस्ती रिकार्ड पर आने की कोशिश करते हैं, मैंने सिर्फ इसलिए यह उदाहरण दिया है।

(14.00 बजे)

मैं अपनी बात शुरू करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पिछले पाँच वर्ष में संगठित गिरोहों के द्वारा राजस्थान में वारदात की जाती थी, उन गिरोहों को तोड़ने में वर्तमान सरकार ने भारी सफलता दर्ज की है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय गृह मंत्रीजी और पूरे पुलिस बेड़े को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पूरी योजना बनाकर इस राजस्थान को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है, यह राजस्थान आसपास के उन प्रदेशों में जिन प्रदेशों में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसीन हो गई है। एक प्रदेश में अभी मात्र सात दिन पहले सरकार आसीन हुई है, जिसने अपना जलवा पूरे देश और दुनिया को दिखाना शुरू किया है और हमारे पड़ौसी प्रदेश हरियाणा में पिछले दो वर्ष पूर्व सरकार बनी और मैं यह बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इन पिछले दो वर्षों में जिस तरह की हरियाणा के अपराधियों की राजस्थान में आवाजाही थी, उसमें भारी गिरावट आई है। हरियाणा में जो सरकार बनी, उसने भी वहां पर अपराधों में नियंत्रण किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सरकार है, इसलिए अपराध को नियंत्रण करने में बहुत मजबूत कदम उठाए गए हैं, इसीलिए हरियाणा के अपराधियों का राजस्थान में आना-जाना कम हुआ है। लेकिन पिछली बार जो सरकार थी उस समय, यहां पर भी उन्हीं की सरकार थी और वहां भी सरकार उन्हीं की थी। आये दिन निर्बाध गति से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अपराधियों का राजस्थान में आना-जाना होता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान-हरियाणा-उत्तर प्रदेश-दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत मिलती-जुलती है। बस, ट्रेन और दूसरे निजी वाहनों से आना-जाना निरंतर चलता रहता है। इस कारण लोग आते थे और अपराध करके निकल जाते थे और राजस्थान देखता रह जाता था, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने पड़ौसी सरकारों के साथ मिलकर जिस तरह से वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, निश्चित रूप से राजस्थान में अपराधों के नियंत्रण में हमको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी, आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे यह बात भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में अपराधियों के पास आधुनिकतम हथियारों की खेप कहां से आ रही है? कहां से नहीं आ रही है? अपराधी आते हैं तो किसी के हाथ में एस.एल.आर. होती है, किसी के हाथ में कोई नई आधुनिक गन होती है। हमारी जो पुलिस है, इस पुलिस के पास, न जोश की कमी है, न वर्तमान में नफरी की कमी है। अगर कमी है तो वर्तमान में आधुनिक हथियारों की कमी है। वर्तमान में संसाधनों की कमी है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप हमारी इस जांबाज पुलिस को राजस्थान में आधुनिक हथियारों से लैस करिए। वर्तमान में जो हथियार देश और दुनिया में उपलब्ध हैं, उन सब हथियारों को खरीदकर इस राजस्थान की पुलिस को दीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस के इस देश में अद्‌वितीय पुलिस साबित होने में किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं हो सकता।

माननीय गृह मंत्रीजी, आज हम 12वीं और13वीं सदी के पुलिसिंग सिस्टम से काम नहीं चला सकते, क्योंकि वर्तमान में बड़ी तेजी से अपराधियों का आधुनिकीकरण हो रहा है। लोग नए-नए तरीकों के हथियार

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

लेकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं यह बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं, उसके पड़ोसी जिले और मेरा जिला, वहां तो आजकल अवैध हथियार बनाने वाले लोग ऐसे हथियार बनाते हैं कि बड़ी से बड़ी फैक्टरी से निकला हुआ हथियार उनके सामने बौना नजर आता है। इसलिए राजस्थान की पुलिस को हम ऐसे संसाधनों से लैस करें कि किसी प्रकार के हथियारों से लैस यदि कोई अपराधी हो तो उस अपराधी को हमारी पुलिस मौके पर ढ़ेर कर सके। हमारी राजस्थान पुलिस का उन अपराधियों के सामने इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए कि उन लोगों को यह डर लगे कि अब राजस्थान की पुलिस, वह पुलिस नहीं रही है जिसके पास घिसे-पिटे हथियार होते थे। समय आने पर वे हथियार नहीं चलते थे। उन हथियारों को जंग लग जाती थी। आज आपने हमारी पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की पुलिस को, हमारे राजस्थान के अधिकारियों को लगातार मनोबल प्रदान कीजिए और राजस्थान पुलिस के एक-एक सिपाही को आप आधुनिक हथियारों से लैस करिए। निश्चित तौर पर राजस्थान, एक नया राजस्थान बनने की ओर अग्रसर है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह राजस्थान नहीं रुक सकता। आप उचित तरीके से हथियारों की खेप की, इसके लिए जो भी फंड की आवश्यकता है वह आप करिए। राजस्थान की सरकार पैसा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। आप स्वयं नए हथियार खरीदकर राजस्थान की पुलिस को संसाधनों से युक्त करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे अपराधों में कमी आएगी। वह दिन भी दूर नहीं है, जब आपके निर्देशन व संरक्षण में यह राजस्थान निश्चित रूप से अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा है, ऐसा मेरा विश्वास है।

इसके साथ-साथ, माननीय गृह मंत्रीजी, अनेक बार यह देखा जाता है कि राजस्थान पुलिस की कई बार ऐसी खबर छप जाती है 'गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, अपराधी निकल गया' पुलिस करना चाहती है, अगर कोई वाहन स्टार्ट नहीं हुआ, वाहन पुराना है या कोई टैक्निकल खराबी आ गई। समय पर सर्विस नहीं हुई। इसके कारण अनेक बार राजस्थान की पुलिस के लिए नीचा देखने की स्थिति आती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नई

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

स्टाइल के बहुत वाहन आ गए हैं। नई तकनीक के बहुत वाहन आ गए। नए वाहन उपलब्ध कराइए और नए वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे राजस्थान की पुलिस, जो मोटर साइकिल पर पेट्रोलिंग करती है, सिगमा के रूप में करती है, क्यू.आर.टी. के रूप करती है और अनेक बहुत सारी हमारी व्यवस्थाएं जो राजस्थान की पुलिस ने तय कर रखी है, उनके द्वारा करती है। माननीय गृह मंत्रीजी, नए वाहन उपलब्ध करवाकर इस राजस्थान की पुलिस को और मुस्तैद बनाने की आवश्यकता है।

एक पुराना उदाहरण हम देखते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक आनंदपाल नाम का अपराधी, जो इस राजस्थान की पुलिस को छकाने के काम में लगा हुआ है। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं और न कोई शिकायत कर रहा हूं। अगर हमारी पुलिस के पास समान प्रकार के साधन व वाहन उपलब्ध होते तो आनंदपाल क्या, आनंदपाल की पीढ़ियां राजस्थान की पुलिस के हाथ से छूटकर जाने की स्थिति में नहीं थी। चूंकि हमारे पास वाहनों की कमी थी, इसलिए उस दिन अपनी कार्यवाही करके वह आनंदपाल एक बार क्या निकला, वापस पुलिस के हाथ आने की स्थिति में नहीं बचा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सिगमा के रूप में मोटर साइकिल हो, चाहे हमारे थानों पर वाहन हों, या फिर पुलिस बेड़े के अधिकारियों के वाहन हों। ये इस प्रकार के होने चाहिए कि किसी भी अपराधी की गाड़ी से इनकी स्थिति कमजोर नहीं रहे।

माननीय गृह मंत्रीजी, इसके साथ-साथ अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि सिगमा के वाहन मोटर साइकिल का पैट्रोल तय कर रखा है। एक मोटर साइकिल को पाँच-छह सौ रुपए महीने का पैट्रोल मिलेगा या किसी जीप को इतना पैट्रोल मिलेगा, किसी वाहन को इतना पैट्रोल मिलेगा। इस लिमिट को भी माननीय गृह मंत्रीजी और सरकार राजस्थान की जनता के हित में तोड़ने का काम करें। कोई लिमिट नहीं हो। पुलिस को जितना पैट्रोल और ईंधन की आवश्यकता हो, यह राजस्थान की सरकार या राजस्थान का गृह मंत्रालय इस पुलिस के जाबांज लोगों को उपलब्ध कराए ताकि इस लालच के कारण से या फिर इस डर के कारण या इस लोभ से कारण से कि मेरी जेब से पैसा

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

खर्च हो जाएगा, मैं क्यों पकड़ने जाऊं? या किसी भी फरियादी को हमारे थाने का कोई एस.एच.ओ. या कोई जांच अधिकारी यह कहे कि आप अगर गाड़ी लेकर आएंगे तो मैं अपराधी को पकड़कर ला सकता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान का यह भी कलंक मिटना चाहिए। राजस्थान की पुलिस को जितने भी डीज़ल और पैट्रोल की आवश्यकता है, उसको आप उपलब्ध कराएं। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की आवश्यकता है और वर्तमान में जिस तरह की आपने पुलिसिंग दी है। मैं अपने साथी विधायक, जो हमारे आस-पास के जिलों से आते हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं कि हमारे जिले में जिस तरह से अपराध पर नियंत्रण है। क्योंकि अलवर जिला...

माननीय गृह मंत्रीजी, पिछले हाउस में मैंने क्वेश्चन लगाया था, जब हम और आप विपक्ष में बैठते थे। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि अलवर जिला और किसी मामले में आगे हुआ या नहीं हुआ लेकिन पूरे राजस्थान में 2012-13 के आंकड़े हैं। अलवर अपराध के मामले में पूरे राजस्थान के आंकड़े से दुगुने से ज्यादा आगे हुआ था। हमको शर्म आती है कि उस समय ऐसी सरकार थी, जिस सरकार का ध्यान नहीं था। उसमें हमारे यहां से तो केंद्र के मंत्री भी थे, अलवर जिले से राजस्थान की सरकार में केबिनेट मंत्री भी थे और उसके पश्चात् राजस्थान सरकार के तत्कालीन केबिनेट मंत्री के विधान सभा क्षेत्र में जैसे ही सूरज ढलता था तो कोई व्यक्ति आकर जा नहीं सकता था या फिर जाकर आ नहीं सकता था। स्थिति यह होती थी कि सूरज ढल गया। कोई व्यक्ति अलवर से भिवाड़ी, तिजारा होते हुए दिल्ली-गुड़गांव जाने की हिम्मत नहीं करता था और अगर कोई दुस्साहसी व्यक्ति हिम्मत करता था तो उसको रास्ते में पकड़ कर, उसके साथ गोलीबारी, बलात्कार और कुछ भी लूटपाट की घटनाएं, यह आम बात थी। मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी मेहनत करके उन सब लोगों की पहचान करने का काम किया है। उन सब लोगों को सीख़चों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। आज कोई भी आदमी का निर्बाध गति से आना-जाना संभव हुआ है, चाहे रात को बारह बजे आए। यह समाजकंटकों से मुक्त हो गया।

अभी एक-डेढ़ महीने पूर्व की घटना है, जिसका जिक्र मैं इस सदन में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

करना चाहता हूं। हमारा एक सुनार परिवार रात को दिल्ली से आ रहा था। कुछ बदमाशों ने उनको रोका, उनकी गाड़ी को जंगल में लेकर गए, लूटपाट की। मैं अलवर के पुलिस बेड़े को, अलवर के पुलिस अधीक्षक और राजस्थान पुलिस के उच्चाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय गृह मंत्रीजी आपको भी। सुबह जैसे ही सूचना अखबारों से मिली, मैं उस परिवार के घर गया। मैंने जाकर बातचीत की। परिवार ने मुझको बताया कि जैसे ही हमने रात को सूचना दी, पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्यवाही शुरू की। मैंने जब सुबह उनके घर पहुंचकर एस.पी. साहब से बात की तो एस.पी. साहब ने बड़े इतमीनान और बड़े भरोसे के साथ कहा, विधायक जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप, अपने लोगों को भरोसा दीजिए। हम सात दिन के अंदर-अंदर सारे अपराधियों को लाकर यहां अलवर के थानों में टिका देंगे। हम पहचान कर चुके हैं। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राजस्थान की पुलिस का आज जनता के बीच में यह विश्वास कायम हुआ है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभी परसों की एक घटना है। माननीय गृह मंत्रीजी, कल मैंने आपकी जानकारी में आपके चैम्बर में जाकर यह बात कही। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अलवर के एक बड़े उद्योगपति जिनका केवल अलवर, राजस्थान और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में राखी का कारोबार है। परसों रात को उनको एक कॉल आया। उस कॉल में उनको जान से मारने की धमकी देकर पैसे मांगे गए। मुझे पता नहीं लगा। कल सुबह जब उठा और मैंने अलवर का अख़बार खोलकर देखा तो मुझे सूचना मिली कि कोई ऐसी छोटी-मोटी घटना हुई है। मैंने परिवार से बातचीत की तो परिवार ने बताया कि कोई कॉल आई थी और उस कॉल पर किसी रवि पुजारी नाम के इंटरनेशनल डॉन ने उस परिवार को गोली मारकर पैसे वसूलने की बात की थी। अलवर की पुलिस, राजस्थान की पुलिस और माननीय गृह मंत्रीजी आपको धन्यवाद करता हूं। जैसे ही परिवार ने पुलिस को परसों रात को सूचना दी, पाँच मिनट के अंदर पुलिस का पूरा बेड़ा उस घर के बाहर था और उस परिवार को यह विश्वास दिलाया कि किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई नेशनल या

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

इंटरनेशनल डॉन आपके परिवार का बाल भी बांका करने की स्थिति में नहीं है। कल जब मैंने आपको इस घटना से अवगत कराया तो आपने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर जिस तरह से उच्चाधिकारियों से बात करके मुझको और मेरे शहर के उस व्यापारी को आश्वस्त करने का काम किया, मैं जितने शानदार शब्दों में आपका धन्यवाद करूं उतना कम है।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): हो जाएगा तब देना ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कैसे हो जाएगा ...(व्यवधान)... नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य। आप किसी को उत्तेजित करने की कोशिश नहीं करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय गृह मंत्रीजी बजट 2017-18, मैं सुबह पढ़ रहा था, बिन्दु 293 में हमारी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, आगामी वर्षों में कांस्टेबल के रिक्त पदों के विरुद्ध पुलिस विभाग में 5 हजार 500 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में आप ५ हजार 500 कांस्टेबलों की भर्ती कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपसे मिलकर इस बाबत एक मांग की थी। माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान की पुलिसिंग जांबाज तरीके से तो निश्चित रूप से मजबूत है। लेकिन आज जो कमी है वह यह है कि हमारे पुलिस थानों में जब कोई फरियादी जाता है तो माननीय गृह मंत्रीजी फरियादी को अगर एफआईआर दर्ज करानी है तो बेचारा जो कांस्टेबल है जिसने फील्ड की ट्रेनिंग ली है पर कम्प्यूटर की ट्रेनिंग नहीं ली वह बैठकर उस एफआईआर को टाइप करता है। एफआईआर टाइप करने में उसको डेढ़-दो घंटा लगता है। इसके पीछे कारण है, राजस्थान की पुलिस के अधिकतम थानों में नाकारा टाइप के कम्प्यूटर हैं। नये कम्प्यूटर दिए जाने की आवश्यकता है। मैंने शहर के जितने भी थाने हैं उन सब थानों को एक-एक कम्प्यूटर विथ मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, अभी पिछले दिनों दिया था। सारे थानों को मैंने तो कम्प्यूटर के मामले में आधुनिक किया था लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी थानों को

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आधुनिक कम्प्यूटर दिए जाए। 5500 कांस्टेबल की भर्ती का संकल्प राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने बजट में दिखाया है मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि कम से कम 5500 कांस्टेबल और भर्ती करिए, जिनका काम नोन फील्ड हो। जिनको कोई वर्दी लगाने की आवश्यकता नहीं हो। जिनको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं हो। जिनको थानों के बाहर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं हो। जिनको किसी भी तरह से मोटर साइकिल पर सिगमा में जाने की आवश्यकता नहीं हो। जिनको किसी भी तरह से कोई जलवा-वलवा हो जाने पर कहीं ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं हो। उनकी जिम्मेदारी हो तो केवल थानों में बैठकर एफआईआर दर्ज करने की हो। उनकी जिम्मेदारी हो तो थानों में बैठकर मेल चैक करने की हो। उनकी जिम्मेदारी हो तो पुलिस के उच्चाधिकारियों को थानों द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने की जिम्मेदारी हो। साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जा सकता है, इसकी जांच करके, साइबर क्राइम को रोकने में विभाग को सक्षम बनाने के लिए नोन फील्ड कांस्टेबल हो। आज बेरोजगारी बहुत है। सरकार ने भी अपना संकल्प दोहरा रखा है। सरकार ने संकल्प ले रखा है कि हम इतनी भर्ती नये युवाओं के रोजगार के लिए करेंगे।

मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कम्प्यूटर का जमाना है, आज आई. टी. का जमाना है, कम्प्यूटर मे दक्ष बच्चे हैं, बी.टेक है, आई. टी. आई. है, चाहे पोलिटेक्नीक है, चाहे इनफोर्मेशन टैक्नोलोजी के हैं, चाहे वह ई.सी. के हैं, सी.एस. के हैं, इन सब बच्चों को आप नोन फील्ड कांस्टेबल के रूप में भर्ती करेंगे तो मैं समझता हूं आज जो स्थिति आती है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को फोन पर गाली दे दी, मोबाइल पर गाली दे दी, आज इंटरनेट काल हो गई, इसको पकड़ने में हमारा वर्तमान का कांस्टेबल या वर्तमान का प्रमोटेड एएसआई है माननीय गृह मंत्रीजी, वह बिलकुल सक्षम नहीं है। आप नोन फील्ड कांस्टेबल के रूप में राजस्थान में इन युवाओं की भर्ती करिए जो कम्प्यूटर से, मोबाइल उपकरणों से इस प्रकार से लैंस है कि वह मिनटों में ऐसी वारदातों को खोलने की स्थिति में है। दस मिनट में एफआईआर को टाइप करने की स्थिति में है। पाँच मिनट में उसको डिलीवर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

करने की स्थिति में है। कोई मेल आया तो उसको निकालकर अधिकारियों की टेबल पर रखने की स्थिति में है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपके पास अधिकतम जो सिपाही भर्ती है वह एक मेल को चैक करने की स्थिति में नहीं है। अधिकतम आपके एएसआई स्तर के लोग, सब इंस्पैक्टर तक के लोग आपके मेल चैक करने की स्थिति में नहीं है। किसी फैक्स का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे नोन फील्ड कांस्टेबल को भर्ती करिए, जिनको वर्दी से मुक्त रखिए। हथियार से मुक्त रखिए। फील्ड से मुक्त रखिए और उनको उठाकर थाने पर बिठाइये। राउण्ड द क्लाक एक-एक आदमी भी अगर एक थाने पर आप राउण्ड द क्लाक लगाएंगे, तीन आदमी एक थाने पर, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की पुलिस का विश्वास जनता में और बढ़ेगा। ये लोग राजस्थान की पुलिसिंग को बैटर बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे।

माननीय गृह मंत्रीजी, आजकल जिस तरह से इंटरनेट का जमाना है, आजकल लोग इंटरनेट काल कर देते हैं। इंटरनेट काल पकड़ में नहीं आती। कहां से आ गई, रिकार्ड नहीं होती। वाट्सएप काल कर देते हैं, वाट्सएप काल पर अगर किसी को धमकी दे दी, वाट्सएप काल रिकार्ड नहीं होती। दूसरी इंटरनेट काल है, दूसरे उपकरणों पर वह रिकार्ड नहीं होती। जब तक आपके पास आई. टी. एक्सपर्ट का बेड़ा नहीं होगा।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं दावे से कह सकता हूं हम राजस्थान की वर्तमान सरकार पुलिस को जिस तरह की बनाना चाहती है मुझे लगता है कि वर्तमान संसाधनों के चलते हम उसको वैसा बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नोन फील्ड कांस्टेबल की भर्ती करिए। आईटी, कम्प्यूटर साइंस, इस तरह के एक्सपर्ट हैं, इन लड़कों की भर्ती करके आप राजस्थान को और आगे पहुंचाने का काम करिए।

साइबर क्राइम, आज की तारीख में यह गंभीर समस्या है। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं एक अख़बार का हवाला देते हुए अपनी बात को रखूंगा। राजस्थान पत्रिका हमारे राजस्थान का और देश का है लेकिन यह समाचार दुबई का है, जो राजस्थान पत्रिका में छपा है। इस समाचार में छपा है वाट्सएप पर गाली देने पर 44 लाख रुपये का जुर्माना। यह समाचार मेरे

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हाथ में है। कोर्ट का फैसला भी इस पर हुआ। माननीय गृह मंत्रीजी, यह गंभीर विषय है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल हर आदमी फेसबुक, वाट्सएप, मैसेंजर यूज कर रहा है और कितनी सारी एप्लीकेशन हैं जिनको यूज कर रहा है। कोई भी आदमी आज देश के प्रधान मंत्री के लिए, देश के किसी भी मंत्री के लिए, राज्य के मुख्य मंत्री के लिए, राज्य के मंत्री के लिए, क्षेत्र के विधायक के लिए, सांसद के लिए, कुछ भी लिख दें, कोई जिम्मेदारी नहीं।

माननीय गृह मंत्रीजी, प्रदेश में आईटी एक्ट लाया जाना बहुत जरूरी है, आपके हाथ में है। आप आईटी, जो अपराध इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी से संबंधित है, उनके लिए आप कानून लेकर आइये। आज अगर हम पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस कहती है कि इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए मजबूत कानून लाइये ताकि पुलिस इन धाराओं के अंदर लोगों को उठाकर बंद करेगी, उनके खिलाफ चालान होंगे, उनका सज़ा होगी तो ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लगेगा। वरना जिस तरह की स्थिति बन रही है,आने वाले समय में कोई भी जन प्रतिनिधि अपनी इज्जत को बचाने की स्थिति में नहीं बचेगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी आरोप लगा दें, उसकी कोई काट किसी के पास नहीं है। सामने वाला एक मिनट में उसको हटा देता है, डिलीट कर देता है। मैं यह कहना चाहता हूं बहुत बड़ी आवश्यकता है।

आज तेजी से जमाना बढ़ रहा है। आज थ्री जी, फोर जी आ गए और हम अभी वन जी पर ही चल रहे हैं। जब तक हम साइबर क्राइम को रोकने की यह व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक।

आज एक नया व्यापार शुरू हुआ है। इतना बड़ा व्यापार है। लोग भोले-भाले लोगों को फोन करते हैं कि मैं फलां बैंक से बोल रहा हूं, आपके एटीएम का नम्बर बताइये। गांव के भोले-भाले लोग या शहर के भी लोग तुरंत अपना एटीएम का पूरा नम्बर बता देते हैं। फिर वह कहते हैं कि आपका एटीएम बंद होने वाला है, अपना कोड और बताइये, वह अपना कोड बताते हैं और सामने वाला अपने आफिस में बैठा-बैठा उसके एटीएम नम्बर, पासवर्ड से तुरंत पैसा ट्रांसफर कर लेता है, यह व्यापार शुरू हो गया। वह

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

भोला-भाला आदमी बड़ी उम्मीद के साथ कुछ दिन तो थानों में चक्कर लगाता है कि मुझे मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। मैं दोषारोपण नहीं करते हुए यह कहना चाहता हूं उसको पकड़कर लाने के लिए हमारी पुलिस के पास संसाधन नहीं है। लोगों ने किस तरह से सिम किसके नाम से ली, बिना किसी आइडेंटीफिकेशन के ले ली। हम लोग यात्रा करते हैं, टोल पर जाते हैं वहां अपना कार्ड दिखाते है, टोल बूथ पर बैठा हुआ आदमी हमारे कार्ड को तुरंत कापी कर लेता है। क्या पता वह सिम मेरे ही नाम से निकली हो। क्या पता वह सिम गृह मंत्रीजी आपके नाम से निकली हो। कल को पता लगे कि जिस नाम से उसने फोन किया था वह सिम गुलाबजी कटारिया साहब की निकली या बनवारी लाल सिंघल की निकली या विश्वनाथ मेघवाल की निकली।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में इस तरह के साइबर क्राइम को रोकने की आवश्यकता है। इसको रोकने का यही तरीका है कि हम इस सिम को, मैंने पूर्व में भी एक क्राइम मीटिंग में आपसे निवेदन किया था। देश में, राजस्थान में जितनी भी मोबाइल कम्पनी हैं, वे जब भी सिम कार्ड जारी करें, आधार से लिंक करने की योजना अगर राजस्थान की सरकार लागू करेगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार के साइबर क्राइम पर रोक लगेग अन्यथा कोई भी व्यक्ति आया, किसी के नम्बर से कॉल किया, उसकी जांच करते हैं तो पता लगता है कि यह तो बेचारे एक चरवाहे की सिम थी जो बकरी चराता है। उसके राशन कार्ड को किसी ने मांगा, कॉपी ली, राशन कार्ड से सिम ले आया। उसने किसी के बिजली के बिल को लिया, बिजली के बिल से सिम ले आया। टेलीफोन बिल से सिम ले आया, तो इस तरह की घटनाओं को अगर हम रोकना चाहते हैं तो राजस्थान में मोबाइल के प्रयोग पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा।

साइबर क्राइम को रोकने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोबाइल सिम जारी हो तो आधार कार्ड से लिंक करके हो। मोबाइल सैट बिके तो वह भी आधार कार्ड से लिंक करके बिके ताकि किसी भी व्यक्ति का सैट किसी गलत उपयोग में पकड़ा जाए तो तुरंत प्रभाव से आधार कार्ड से उसका नम्बर सामने आए। किसी भी सिम से कोई काल हुआ, किसी ने

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

किसी को धमकी दी, गलत काम किया, किसी ने किसी से पैसा लूटा, तुरंत प्रभाव से उसका आधार नम्बर लिंक होगा। सिम का नम्बर डालते ही आधार कार्ड सामने आएगा। आधार कार्ड सामने आते ही वह व्यक्ति तुरंत पकड़ में आ जाएगा।

माननीय गृह मंत्रीजी, वर्तमान में जो स्थिति हो रही है, वह यह हो रही है कि किसी व्यक्ति के अकाउण्ट से पैसा निकला, वह पुलिस थाने में गया, पहली बात तो पुलिस उसकी एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं करती कि किस तरह पकड़ेंगे, क्या करेंगे? यदि वह कर भी लेती है तो करने के बाद थोड़े-बहुत दिन वह बेचारा घूमता है। बड़ी उम्मीद से घूमता है। आपके पास भी चक्कर लगाता है और थोड़े-बहुत दिन बाद जब उसको लगता है कि कुछ होने की स्थिति नहीं है तो माननीय गृह मंत्रीजी, वह गरीब अपने घर में बैठने की स्थिति में आता है। इस राजस्थान को और सुरक्षित करने के लिये यह आवश्यकता है कि इस साइबर क्राइम को रोकने के लिये सब 200 सदस्यों का, राजस्थान के सांसदों का, देश के सांसद, विधायकों का, सबका मान-सम्मान रखने के लिये, देश के प्रतिष्ठित व्यापारियों का, सबका मान-सम्मान रखने के लिये साइबर क्राइम को रोका जाना, माननीय गृह मंत्रीजी, बहुत जरूरी है। आजकल जो यह हथियार हमारे हाथ में आया, हर आदमी के हाथ में आया, यह हथियार मोबाइल है। इस पर रोक लगाई जाना सम्भव नहीं है। लेकिन इसके प्रयोग पर हम बंदिशें लगाकर, आधार कार्ड से लिंक करके इस मोबाइल को वर्जित कर सकते हैं।

आई.टी. एक्ट के बारे में मैंने आपसे माननीय गृह मंत्रीजी, कहा है, एक विशेष जो व्यवस्था आजकल प्रदेश में है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कॉपीराइट एक्ट है माननीय गृह मंत्रीजी, उस कॉपीराइट एक्ट में जो प्रावधान हैं, उसका राजस्थान में दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग इस स्तर पर होता है, गृह मंत्रीजी, आज चाहे मैं हूं या यहां 200 सदस्य बैठे हैं, मेरे साथी हैं या कोई सांसद हैं या कोई भी व्यक्ति है, साधारण चलता हुआ सड़क पर कोई आदमी है या ग्रामीण अगर कोई खेत में हल भी चला रहा है तो वह भी अपने खेत में अपने मोबाइल को रख कर गाने सुनता है। उस गाने को जब वह सुनता है तो उसको यह पता नहीं कि यह

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

गाना किसी कॉपीराइट एक्ट में आ रहा है क्या। राजस्थान की पुलिस में मैंने यह देखा है, उच्चाधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, थाना स्तर तक के लोग क्या करते हैं, आजकल कुछ संगीत कम्पनियां, जो देश की हैं, उन्होंने एक बिजनस बना लिया, वे थानों में जाते हैं। थानाधिकारी से बातचीत करते हैं। आपस में उनकी कुछ थोड़ी-बहुत बातचीत बैठ जाती है। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं, जहां डाउनलोडिंग का काम होता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मोबाइल में भजन लोड करता है, कोई व्यक्ति किसी के मोबाइल में गाने लोड करता है, ऐसे व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं। उसके तो कम्प्यूटर सैट में 10-20-50 हजार गाने हैं। लेकिन वह संगीत कम्पनी का आदमी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन की बात करता है। एक साधारण एप्लीकेशन देता है माननीय गृह मंत्रीजी, और उस एप्लीकेशन के आधार पर वह संबंधित थाने का एस.एच.ओ. उस व्यक्ति को उठाकर ले आता है और उसको थाने में बंद करता है। कोई एफ.आई.आर. नहीं करता। थोड़ी-बहुत देर में वह व्यक्ति अन्दर थाने में बैरक के पीछे जाने के डर से तुरन्त प्रभाव से बात करता है संगीत कम्पनी के मालिक से या उसके एजेण्ट से, रिप्रजेंटेटिव से कि आप बताइये मुझको क्या करना है। मुझको छोड़िये, मैं तो व्यापारी हूं, अच्छा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, इज्जतदार आदमी हूं। वह संगीत कम्पनी का आदमी उससे कहता है कि तू मेरा लाइसेंस ले ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस कॉपीराइट एक्ट को पूरा पढ़ा है। कॉपीराइट एक्ट में जो प्रावधान हैं, वे यह हैं, किसी भी चीज को एज-इट-इज, हूबहू नकल करना ही कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। आज कोई भी व्यक्ति सौ फिल्मों के 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार गाने अपने कम्प्यूटर में रखता है और उनमें से किसी ग्राहक के सलेक्शन पर गाने लोड करता है It is not a violation of Copyright Act. तो इसमें भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कॉपीराइट एक्ट के बारे में राजस्थान के प्रत्येक थाने को निर्देशित करें कि इन संगीत कम्पनियों के कहने से, इन संगीत कम्पनियों की शिकायत पर इस प्रकार से भोले-भाले दुकानदारों को लाकर थानों में बैठाने का काम नहीं करें। कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माननीय गृह मंत्रीजी, तभी है, जब

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

किसी फिल्म की सी.डी. को, डी.वी.डी. को, किसी कैसेट को एज-इट-एज कोई भी व्यक्ति उसी के नाम से कॉपी करे, खुद के नाम से भी नहीं, उसी के नाम से कॉपी करे, फोटो-स्टेट करे या उसको बिलकुल टैम्पर करके बेचने का काम करे, उसी स्थिति में कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होता है कि उसके कॉपीराइट को उसने तोड़ा है और उसने उसका अपने स्वयं के लिये गलत इस्तेमाल करके उसका उपयोग किया है। अगर कोई व्यक्ति, एक फिल्म के सौ गाने हैं, उसमें से दो गाने अगर खरीदता है, दो गाने दूसरी फिल्म से खरीदता है, It is not a violation of Copyright Act. तो मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, अपनी पुलिस को, राजस्थान की पुलिस को इस कॉपीराइट एक्ट का इन संगीत कम्पनियों के दबाव में उल्लंघन करने से भी रोकने की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

गृह मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान एक जन समस्या, बिलकुल साधारणतया आम लोगों के सामने जो आती है, हैलमेट और सीट बेल्ट, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, आप राजस्थान के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा चाहते हैं, यह राजस्थान का पुलिस बेड़ा एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा चाहता है। लेकिन प्राय: देखने में आता है, हम लोग हाई-वे पर यात्रा करते हैं, पूरा हाईवे क्रोस करते हैं, दो-दो, तीन-तीन जिले क्रोस करते हैं। आदमी अपनी मोटर साइकिल के शीशे पर हैलमेट को लटका कर आता है। जयपुर शहर की सुरंग आने से या घाट की घूणी आने से पहले मोटर साइकिल के शीशे से हैलमेट को उतारता है, सिर पर रखता है। और जयपुर शहर में घुसता है। माननीय गृह मंत्रीजी, एक्सीडेंट की सम्भावना हाईवे पर है। जयपुर शहर में इसलिये रखता है सिर पर हैलमेट कि पुलिस पकड़ेगी, चालान करेगी। केवल चालान के डर से कोई व्यक्ति हैलमेट लगाये! हाईवे पर चैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, हमने दूर-दूर तक सब जगह देख रखा है।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस सुरक्षा चाहती है। चालान के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना राजस्थान की पुलिस का कोई उद्देश्य नहीं है। यह मैं जानता हूं और मैं अच्छी तरह परिचित हूं आपके विचार और व्यवहार से। आपको इस राजस्थान की पुलिस

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

को इस चालान की प्रक्रिया से रोकना पड़ेगा। चालान की प्रक्रिया से हमारे आज जो युवा बच्चे हैं माननीय गृह मंत्रीजी, गम्भीरतापूर्वक बड़े दु:ख के साथ मैं आपको यह शिकायत दर्ज करवा रहा हूं। आज राजस्थान की नई युवा पीढ़ी चोर बनने पर मजबूर हो रही है। वह इसलिये हो रही है, एक बच्चे को पकड़ा। पकड़ते ही उसको यह भी उसको अवसर नहीं दिया जा रहा कि उसकी मोटर साइकिल के कागजात कहां हैं, वह कल कागजात लाये, जबकि पुलिस एक्ट में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है तो उसको उसके कागज, पेपर प्रोड्यूस करने के लिये उचित समय दिया जाता है। यह एक्ट में प्रावधान है। लेकिन राजस्थान में हमारे पुलिस के लोग, जो सड़कों पर खड़े हैं, वे तुरन्त प्रभाव से उसका चालान रगड़ते हैं और वह चालान रगड़ने की मजबूरियां इसलिये भी हो गयीं, आजकल हर आदमी की जेब में मोबाइल है और मोबाइल में नेताजी का नम्बर है, या किसी अधिकारी का नम्बर है। वह पुलिस के लोग समझते हैं कि अभी तुरन्त किसी नेताजी से बात करायेगा। यह जब तक नेताजी को फोन लगाये, तब तक इसका चालान खींच दो। चालान खिंच जाता है और वह बच्चा अपने परिवार को बताता तक नहीं है कि मेरा पन्द्रह सौ और दो हजार रुपये का चालान हो गया। मैं समझता हूं पिछले दिनों कुछ बच्चे पकड़े गये थे, जिन बच्चों ने यह कहा था, चैन स्नेचिंग में पकड़े गये थे।

(14.26 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

उन्होंने इस बात की शिकायत की कि इस चालान का भुगतान करने के लिये इस अपराध में जाने की मजबूरी हमारी रही। माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान का युवा अपराध की जड़ में नहीं जायेगा। इस चालान की व्यवस्था को रोकिये। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर अपना कागज प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको उचित समय मिले। उसको उचित तरीके से टाइम मिले कि अपने दस्तावेज लाकर प्रस्तुत करे। लाइसेंस की अनिवार्यता जरूर होनी चाहिये कि लाइसेंस उसके हाथ में हो। यह शहरों में से आप चालान की शिथिलता दीजिये। हाईवेज पर आप सख्ती कीजिये। कोई भी व्यक्ति हाईवे पर बिना सीट बैल्ट और हैलमेट के नहीं पकड़ा जाये।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हाईवे पर आराम से दौड़ रहे हैं। जैसे ही जयपुर शहर निकला, सीट बैल्ट उतार दी। जयपुर शहर निकला, हैलमेट उतार दिया। जयपुर शहर आया, हैलमेट और सीट बैल्ट लगा लिया। तो चालान से हम केवल रेवेन्यू इकट्ठा करें, ऐसा नहीं होना चाहिये। वाहन चैकिंग के समय भी किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाते समय उसके दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय, गृह मंत्रीजी, जरूर दिया जाये।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं लॉ एण्ड ऑर्डर फोर्स के अलग से गठन की भी, मैं समझता हूं कि यह भी राजस्थान की सरकार के लिये एक माइलस्टोन साबित होगा। लॉ एण्ड ऑर्डर फोर्स का मतलब यही है, माननीय गृह मंत्रीजी, अक्सर देखा जाता है, कोई भी मेला है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, थाने की पूरी फोर्स को उस क्षेत्र में वहां से भेज दिया। कोई घटना हो गई, पूछा जाता है तो पुलिस के द्वारा बताया जाता है, यह भी पुलिस की मजबूरी है। पुलिस कहती है कि साहब, क्या करें, वहां मेला हो रहा है, वहां झगड़ा हो गया, वहां आग लग गई, वहां बलवा हो गया, वहां शांति-व्यवस्था खराब होने का खतरा था। इसलिये पूरी फोर्स को वहां भेज दिया गया है। साहब, क्या करें। ऐसी स्थिति में अगर दूसरी घटना हो जाती है तो पुलिस को नीचा देखना पड़ता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सीमित करें। आप, सीमित करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पहला ही तो मैं वक्ता हूं और बहुत कम समय हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपको 32 मिनट हो गये, आप सीमित करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी मैं करता हूं, कन्क्लूड करता हूं। जेल में मैं शुरू करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट और है आपको, एक मिनट में।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, दस मिनट, ऐसे नहीं। पहला वक्ता हूं, साहब।

माननीय गृह मंत्रीजी, मांग संख्या 17, जेलों के आधुनिकीकरण किये जाने की दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा जो उपाय किये गये हैं, उसके लिये

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने स्वयं ने मेरे क्षेत्र में उद्घाटन किया। साढे पाँच करोड़ रुपये की लागत से आपने जेल में आधुनिक बैरक बनाने का जो काम किया है, वह निश्चित रूप से माइलस्टोन है। आजादी के बाद से हमने तो पहली बार देखा है कि जेल में इस प्रकार के भी चेंजेज हो रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग जो किसी भी अपराध के कारण से, या कई बार ऐसा होता है अपना अपराधी नहीं होना साबित नहीं कर पाते, वे जेल के अंदर टिके हुए हैं। ऐसे लोग, जिनसे देशी कमोड पर बैठकर शौच के लिये भी नहीं जाया जाता था, ऐसे लोगों के लिये आपने जो आधुनिक बैरक बनाई हैं, उनमें वैस्टर्न कमोड लगाकर जिस तरह से लोगों को जेल का जीवन भी सुगम बनाने का आपने काम किया है, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का गृह विभाग धन्यवाद का पात्र है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन बैरकों को आपने बिलकुल बदबूदार व्यवस्था से बाहर निकालने का काम किया है। आज जो व्यक्ति इनके अन्दर चला जाता था, वह ऐसा समझता था कि नर्क के अंदर है। कोई व्यक्ति सज़ा भुगत रहा है, लेकिन कम से कम उसको ऐसा माहौल तो मिले कि उसको विभिन्न प्रकार की संक्रमण की बीमारियां नहीं मिलें। मैं आपको इसके लिये धन्यवाद करता हूं।

माननीय गृह मंत्रीजी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जैमर लगाये जाने की बड़ी आवश्यकता है। लम्बे समय से, चाहे पिछली सरकार थी या वर्तमान सरकार है, जैमर की लगातार घोषणाएं तो आप करते आ रहे हैं, लेकिन इस निर्णय को आपको कड़े दिल के साथ, एक साथ करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश की जेलों को एक साथ जैमर से युक्त करना पड़ेगा। क्योंकि अपराधी आज भी, कभी भी, मौके-बे मौके, तुरन्त अंदर जेल से फोन लगाते हैं। गैंग चलाने की घटनाएं भी कई बार प्राप्त होती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं जेलों के अन्दर शत-प्रतिशत...(व्यवधान)...साहब थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है, आप जल्दी उठेंगे, प्लीज।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका बहुत समय हो गया। और भी माननीय सदस्य सुझाव दे देंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कर रहा हूं, कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री सभापति: सारे सुझाव आप अकेले को थोड़ी देने हैं। बाकी सदस्य भी सुझाव देंगे न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कर रहा हूं, साहब, अभी कन्क्लूड करता हूं। आज कैदियों की पेशी को ऑनलाइन करवाये जाने की व्यवस्था ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप। आप समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं करता हूं, अगले दो-तीन मिनट में ही कर रहा हूं।

अधिकतम समय में देखा जाता है कि जो गैंग है, वह अपने किसी भी साथी को छुड़ाने के लिए किसी भी प्रकार के हमले कर देते हैं। पूरी व्यवस्था उनकी जानकारी में होती है। कुछ लोग अंदर के भी सैट हो जाते हैं इसलिए ऐसा एक कक्ष वहां पर विकसित किया जाए जिसमें आराम से जेल के अंदर से कोर्ट में उसकी पेशी ऑन-लाइन हो ताकि इस तरह की जो घटनाएं रोज-रोज हो रही हैं, ये नहीं हों। एक, माननीय गृह मंत्रीजी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन-जिन शहरों की ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। श्री जोगाराम पटेल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सर, मैं दो-तीन मिनट में कन्क्लूड कर रहा हू। माननीय सभापति महोदय, दो-तीन मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं। मैं बिंदु-बिंदु रख रहा हूं मात्र।

श्री सभापति: मैंने दूसरा नाम पुकार लिया। माननीय सदस्य, आप बैठें। श्री जोगाराम पटेल। बाकी सुझाव आप लिखित में दे दें। बाकी लिखित में दे दें। श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिस विषय को लेकर रोजाना राजस्थान में, राजस्थान की विधान सभा में, हर शहर और गली में कहीं न कहीं जिक्र आता है। चाहे वह न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में हो, चाहे वह पुलिस से संबंधित हो, आते रहते है, और उन दोनों के बाद जो कार्यवाही शुरू होती है, वह कारागार है।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रदेश है, 32 लाख किलोमीटर और 32 लाख से भी ऊपर करीब 33 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 3 लाख 42 हजार किलोमीटर का यह क्षेत्र विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का, जिसके एक तरफ बहुत बड़ा पाकिस्तान का बोर्डर लगता है, जिसके एक तरफ पंजाब और हरियाणा का बोर्डर लगता है, जिसके पूर्वी दिशा में उत्तर-प्रदेश जो यू.पी. के नाम से प्रसिद्ध है, उसका बोर्डर लगता है, दक्षिण में मध्यप्रदेश और पूर्व दक्षिण में गुजरात का बोर्डर लगता है। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले इस प्रदेश में राजस्थान की पुलिस अपना पूरा कर्तव्य निभा रही है। मैं आज जिस महकमे की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, मैं जिस ओर आपको निवेदन करना चाहूंगा वह पुलिस है।

एक महत्वपूर्ण सर्वे के अनुसार, जब सर्वे किया गया, तब पता लगा कि करीब 22 लाख 63 हजार 222 पद हिंदुस्तान में पुलिस विभाग के स्वीकृत हैं और उनमें से लगभग 17 लाख 61 हजार कार्यरत हैं, लेकिन सर्वे में जो तथ्य आए हैं वह बहुत गंभीर एवं गौर करने योग्य हैं। सर्वे में यह आया है कि 90 परसेंट पुलिस वाले ऐसे हैं जो आठ घंटे से अधिक अपनी ड्यूटी करते हैं। यह भी सर्वे में आया है कि 68 परसेंट ऐसे हमारे अधिकारी और पुलिस कर्मी हैं जो ग्यारह घंटे से अधिक अपनी नौकरी करते हैं। सर्वे में यह भी आया है कि 28 परसेंट हमारे ऐसे अधिकारी हैं या हमारे ऐसे पुलिस के कर्मी हैं जो 14 घंटे या उससे अधिक अपनी सेवाएं देते हैं। मैं उस पुलिस के बारे में आज आपके सामने निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं यह भी निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं माननीय सभापति महोदय, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शांति-व्यवस्था रखनी हो, चाहे नागरिकों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे अपराधों का अन्वेषण और चालान का मामला हो, सभी तरह के मेले, सभी तरह की प्राकृतिक आपदाएं, नागरिकों की सुरक्षा, सभी तरह की परीक्षाएं, सभी तरह के चुनाव इन सबमें व्यवस्था का भार, आखिर दारोमदार अगर किसी पर जाता है तो वह पुलिस पर जाता है और आजकल तो बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के एग्जाम चल रहे हैं, प्रारंभ हुए है, बोर्ड के पेपर कहां पर रखे जाएंगे? स्पष्ट उत्तर है कि

(श्री जोगाराम पटेल)

पुलिस थानों में रखे जाएंगे तो ऐसे में इसके बारे में मैं यह भी आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, मैं आभार भी व्यक्त करूंगा राजस्थान सरकार का, मैं जिस महकमे की ओर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि होली के दिन हम सब आराम से गुलाल उड़ाते हैं, घर में खेलते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, मिठाई खाते हैं। हम दीपावली के दिन सब परिवार वाले मिलकर पटाखे छोड़ते हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए जाते हैं। हम दीपावली और होली के अलावा और कोई जो भी त्योहार आता है, हम एक-दूसरे को मिलते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, वह बहुत बड़ा-बड़ा टाइम लेकर, चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाए या और कहीं जाए, उतना ही नहीं, हम गणतंत्र दिवस के दिन सभी आराम से यहां पर अच्छी-अच्छी ड्रेस पहनकर हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।

माननीय महोदय, इतना ही नहीं, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए तो हम सुरक्षित स्थान पर जाएंगे लेकिन इन सबकी सेवा करने वाला एक हमारा हिंदुस्तान का यह कर्मचारी है, कहीं भी उसकी ड्यूटी लगाओ तो वह ड्यूटी करेगा। उस महकमे के संबंध में आज आपके सामने विचार हो रहा है, उसका नाम है पुलिस कर्मी।

आप अनुमान लगायें, विचार करें, बहुत कुछ हम कह सकते हैं, बहुत कुछ गलतियां भी हम निकाल सकते हैं, यह स्वाभाविक भी है, और है भी सही, सुधार की आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं हैं कि गलतियां नहीं हैं लेकिन आप अनुमान करें कि दीपावली के दिन जब पूरा परिवार दीपावली मना रहा है, होली के दिन जब आप सब गुलाल उड़ा रहे हैं, आपका चेहरा दूसरा हो जाता है। चाहे स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है, आप आराम से मना रहे हैं। आपके घर में शादी है, आप उसे मना रहे हैं। बाढ़ आ गयी, तूफान आ गया, आग लग गयी, आप सब सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं। आपका इधर से कहीं अपराध हो गया, बाहर से हो गया, अंदर से हो गया, आप सब सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं और एक आदमी से अपेक्षा करते हैं कि वह आपकी सुरक्षा करे, वह है पुलिस। उस पुलिस के बारे में आज आपके सामने ये सारी बातें हो रही हैं। मैं यह भी निवेदन करना

(श्री जोगाराम पटेल)

चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जिस पुलिस के बारे में हम ये बातें कर रहे हैं, उस पुलिस का बजट प्रावधान क्या है? उस पुलिस के संबंध में हम क्या दे रहे हैं? उस पुलिस की व्यवस्था क्या है? हमारे यहां राजस्थान में जो एक व्यवस्था है, उसके अनुसार लंबा-चौड़ा महकमा नहीं है। हमारे यहां पर पुलिस की रेंज है, पुलिस के दो आयुक्त है, 241 वृत्त हैं, 861 थाने हैं और पुलिस की 1215 चौकियां हैं, इन सबके आधार पर हम यह सब कुछ करने की स्थिति में हैं। हमारा जो पाकिस्तान का बोर्डर लगता है, हमारा पंजाब और यू.पी. का बोर्डर लगता है, मध्यप्रदेश का बोर्डर लगता है, इन सबके बावजूद भी हमारे पास 1008, 387 पुलिस कांस्टेबल और पुलिस के हमारे अधिकारी इसमें मिलाकर हैं। इस महकमे के अंदर स्वीकृत पदों के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई विशेष, पिछली बार भी जब मैंने इसी मांग पर निवेदन किया था तो इनकी नफरी 1008 पर 387 थी तब, अब 1008 पर 603 है, 387 से 603, करीबन 300 कर्मियों की आपके यहां पर भर्ती हुई है एक साल के अंदर, अपेक्षा है कि अभी जनसंख्या को देखते हुए और अधिक, चाहे वह कांस्टेबल का पद हो, चाहे हैड-कांस्टेबल का पद हो, चाहे वह ए.एस.आई. का हो, चाहे सब-इंस्पैक्टर का हो, चाहे वह सी.आई. का हो या इसके ऊपर के सारे पद हों, हम प्रयास करें कि जनसंख्या के अनुपात में, बढ़ते हुए अपराध के अनुपात में इनकी भी सेवाएं बढ़ाएं, इनकी नफरी बढ़ाएं और नफरी बढ़ाने के साथ ही साथ इनको भी एक मानवीय अधिकार के तहत कि इनकी ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, कितना लगाया जाना चाहिए, कितनी सेवाएं ली जानी चाहिए, इस बारे में भी विचार कर आप लगायें।

अभी एक दूसरी अन्वेषण रिपोर्ट आई है, उसमें यही अध्ययन किया गया है कि इनके स्वयं के जो व्यक्तिगत परिवार हैं, इनके व्यक्तिगत संबंध है, दूसरे जो इनके कानून हैं, उनकी पूर्णरूप से अवहेलना हो रही है। इसलिए मैं दूसरा निवेदन यह कर रहा था कि इन सबके बावजूद पुलिस जो बजट मिल रहा है और सामान्य सेवाओं के साथ जो पुलिस का बजट आ रहा है, उसमें और महकमे भी साथ हैं। यह वर्ष 2012-13 में 511.4 करोड़ रुपये का बजट था, वर्ष 2013-14 में यह बढ़कर 630.20 करोड़ का बजट हुआ,

(श्री जोगाराम पटेल)

वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर 943.79 का बजट हुआ, और वर्ष 2015-16 में 914.66 करोड़ का बजट हुआ और वर्ष 2016-17 में 1148.3 का बजट हुआ, पर इस सबमें दूसरे महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल हैं और इस वर्ष आपने इसको बढ़ाकर के 1300 करोड़ रुपये का बजट अनुमानित किया है, उसके लिए तो हम आपका आभार करते हैं। हम सब दूसरा आपसे यह निवेदन भी करते हैं कि आपने इस संबंध में बहुत ही बढ़िया प्रयास भी किये हैं।

आपने गत वर्ष 7 करोड़ 56 लाख रुपये जेल भवनों के निर्माण पर भी लगाये हैं। 124.57 करोड़ रुपये आपने पुलिस थानों में बिल्डिंगों के निर्माण में भी लगाये हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का हम अलग से, जो बिल्डिंग बन रही है जोधपुर में, उसको अलग से, 165 करोड़ अलग से निकाल दें, आबकारी विभाग में 9.94 का अलग से निकाल दें तो बाकी सारे महकमों में पुलिस के वेलफेयर फंड के लिए, पुलिस बिल्डिंग फंड के लिए, पुलिस नफरी बढ़ाने के फंड के लिए, पुलिस की वर्दी के संबंध में, पुलिस की सुविधाओं के संबंध में अभी जो बजट है, वह बहुत ही कम है। मेरा यह निवेदन रहेगा माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे कि इस बजट को बढ़ाने के संबंध में पूरी तरह से कार्यवाही की जाए और जब यह बजट बढ़ेगा, नफरी बढ़ेगी तब ही राजस्थान में जो अपराध रुक रहा है, उसके संबंध में कार्यवाही होगी।

मैं उस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि कितने परसेंट अपराध बढ़े और कितने परसेंट अपराध घटे हैं। माननीय सभापति महोदय, कभी भी अपराध समाप्त नहीं होंगे। रामायण-महाभारत काल में भी ऋषि मुनि को राजा रामजी को लेने के लिए आना पड़ा कि मेरे यहां पर यज्ञ नहीं करने देते हैं, दुष्ट आते हैं, मेरे यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं। महाभारत काल में भी ऐसा ही था और जब रामायण काल और महाभारत काल में भी अगर अपराध थे तो अपराध तो इस कलियुग में भी रहेंगे। हां, उनको मिनिमाइज कितना किया जा सकता है, उस पर प्रभावी कार्यवाही कितनी की जा सकती है, यह विचारणीय बिंदु अवश्य है।

माननीय सभापति महोदय, बाकी जो विषय है, मैं उन पर नहीं जाकर कुछ बातें यह भी करूंगा कि हमारी इस पुलिस का जो भाग है, चाहे रेलवे

(श्री जोगाराम पटेल)

है, चाहे आर.ए.सी. है, चाहे ए.सी.बी. है, हमारा फिंगर प्रिंट ब्यूरो है, इन सबमें भी हमको विशेष रूप से नफरी बढ़ाकर इनको भी इफैक्टिव करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो भाग हैं, उनको भी हम और आगे बढ़ाएं।

अब मैं पुलिस के संबंध में जो विशेष निवेदन है, वह कहना चाहूंगा। वह पहला तो यह है कि आपने पुलिस के कल्याण के संबंध में जो अभी योजनाएं शुरू की हैं, वे अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हैं। चाहे पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना हो, यह योजना केन्द्र सरकार ने शुरू की थी और यह धीरे-धीरे बढ़ तो रही है, आप इसमें प्रयास भी खूब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस आधुनिकीकरण के संबंध में जो प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये, जो कार्यवाही बढ़नी चाहिये, वह अभी भी नहीं हुई है। वर्ष 2016 में 2308 लाख का जो प्रावधान किया था, 10 पुलिस थाने आपने बनाये, 11 चौकियां भी आपने बनायी, आपने एडिशनल एस.पी. के 2 कार्यालय भी बनाये, सी.ओ. सर्किल के 9 कार्यालय भी बनाये, पर फिर भी अभी तक यह बहुत ही कम है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिये पुलिस आधुनिकीकरण योजना के संबंध में बजट को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपका आभार भी व्यक्त करूंगा इस मौके पर सभापति महोदय, आपकी मेहरबानी से और पुलिस की तत्परता से जोधपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुड़ी का थाना बनकर तैयार है। वह आधुनिक, सबसे बैस्ट थाना होगा राजस्थान का। बोरानाड़ा का थाना बन रहा है, लेकिन हमारे जोधपुर में रातानाड़ा में करवर में और राजीव गांधी थाने में, इनके थाने बनने आवश्यक हैं। हमारे कई सी.ओ. सर्किल के आफिस बहुत छोटे-से कमरे में चल रहे हैं, इसलिये सी.ओ. सर्किल आफिस में भी, महिला थानों के लिये भी बिल्डिंग की आवश्यकता है। वाहन खरीद के संबंध में हमारे साथी सदस्य ने आपके सामने बताया, हथियार खरीदने के संबंध में बताया। इस बारे में मैं आपसे विशेष निवेदन नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट में जो 26 थाने, 40 चौकी हैं, उनमें जिनके भवन नहीं है, उनके संबंध में आप कार्यवाही करें।

(श्री जोगाराम पटेल)

मैं दूसरा एक यह निवेदन करना चाहता था कि आज की तारीख में सबसे अधिक जो चुनौती पुलिस के सामने है वह तीन-चार पोइंट पर है। हालांकि पुलिस कार्यवाही कर रही है। लेकिन फिर भी वह जो कार्यवाही है, वह पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा एक नया क्राइम शुरू हुआ है जैसे पहले जमाने में जो क्राइम चलते थे जैसे भू-माफिया, बजरी-माफिया, जल माफिया, तस्करी, एन डी पी एस एक्ट वाले, ये सब चलते थे।

आजकल नया अपराध शुरू हो गया है, जिसकी ओर आपका ध्यान मेरे साथी सदस्य ने दिलाया वह है साइबर क्राइम का। दूसरा है, हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग का क्राइम। यह एक नये तरह का अपराध पैदा हुआ है और यह पुलिस के लिये चुनौती है। जहां तक साइबर क्राइम का मामला है, इस साइबर क्राइम के संबंध में मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत विचित्र तरह का अपराध है और इसमें हम खुद भी एक्सपर्ट नहीं हैं तो हमारे पुलिस वाले एक्सपर्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, जितना उनको ज्ञान दिया जा रहा है, वह उसके अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। मोबाइल फोन, कम्प्यूटर व इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण फर्जी बैंक अधिकारी बनकर डेबिट व क्रेडिट कार्ड का जो धंधा चल रहा है, वह गोपनीय जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक तो वह। दूसरा फर्जी बीमा अधिकारी बनकर बीमा लोन के नाम पर संदिग्ध बैंक खातों में से रुपया प्राप्त कर लेना। तीसरा, लाटरी खुलने की झूठी सूचना देकर एवं नौकरी देने के फर्जी विज्ञापन देकर चार्ज वसूल कर रहे हैं। चौथा एक्सपोर्टर, व्यापारियों, विदेशी ग्राहकों को फर्जी ई-मेल भेजकर जो राशि वसूल कर रहे हैं, वह। इसके साथ ही फेसबुक, वाट्स-एप एवं अन्य सोशल साइट पर झूठे, भ्रामक और अश्लील विज्ञापन देकर, फोटो देकर, वीडियो देकर जो कर रहे हैं, इसको रोकने की बहुत ही आवश्यकता है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में कार्यवाही की है, कर भी रहे हैं। रोजाना जैसा यह अपराध आ रहा है, उसका इन्वेस्टीगेशन भी हो रहा है, परन्तु इसके बावजूद भी राज्य में साइबर क्राइम के प्रभावी अनुसंधान के लिये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो गठित किया गया है, जो दिनांक 15.02.2017 को प्रारम्भ भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वह आज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त है,

(श्री जोगाराम पटेल)

पूर्ण नहीं है। हमको इस संबंध में अभी एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और थाने खोलने और अनुसंधान करने की जरूरत है।

राज्य स्तर पर ए.टी.एस. व एस.ओ.जी. ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, इसके लिये तो वे वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। यह जो हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के काम को पहली बार राजस्थान के बाहर निकाला। सबसे पहला अपराध जोधपुर में हुआ था, माउंट आबू में घटना घटी, उसके बाद जयपुर में जो हुआ, वह आप सबके सामने है। उसका अभी मैं निवेदन करूंगा। राज्य स्तर पर विभिन्न पुलिस अधिकारियों में जो ट्रेनिंग दी गयी है, वह अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में और प्रभावी कार्यवाही करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैं शोर्ट में निवेदन करूं। यह जो हाई प्रोफाइल केस हो रहे हैं, उनमें रेप का केस बताकर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसको ले गये, फंसा दिया। इससे रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही है। अब मैं धन्यवाद भी दूंगा आज इस मौके पर राजस्थान के सभी पत्र-पत्रिकाओं को भी, उन्होंने अवेयरनैस लाने के लिये खूब प्रकाशित किया है। इसमें प्रोपर्टी व्यवसायी, बिल्डर, डॉक्टर, होटल संचालक, ठेकेदार, रिसोर्ट का मालिक, प्रोफेसर हैं, इन सबके बीच में करोड़ों के लेन-देन का मामला हुआ। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो लड़की अपने ऊपर रेप का केस बता रही है, वास्तव में वह रेप का केस नहीं है, वह ब्लैकमेलिंग का केस है। यह तो राजस्थान की पुलिस ही है जिसने अंदर से निकालकर इस केस को बाहर उजागर किया। जोधपुर में अब्दुल हक, जो अपने आपको पत्रकार कहता था, उसके मार्फत और उसके दूसरे ने मिलकर जब माउंट आबू का केस बना तो पुलिस ने अंदर से निकाला। जो एक नया अपराध डवलप हुआ है, उस नये अपराध के लिये भी मेरा निवेदन है कि पुलिस को सावधान हो जाना चाहिये, चाहे साइबर क्राइम का हो, चाहे ब्लैकमेलिंग का मामला हो।

इसके साथ में तीन-चार बिन्दुओं पर पुलिस को और सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज डण्डे वाली पुलिस नहीं है, आज माइंड वाली

(श्री जोगाराम पटेल)

पुलिस है। डण्डे और माइंड की पुलिस में बहुत फर्क होता है। डण्डे वाली पुलिस का जमाना था, तब डण्डे से काम चलता था। डरा-धमका दो और वह स्लोगन भी चलता था 'अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास'। अब साइबर क्राइम के साथ ही क्रिमिनोलॉजी में हम कैसे एक्सपर्ट बने। क्रिमिनोलॉजी में एक्सपर्ट बनने के साथ हम इन्वेस्टीगेशन करे उस स्टेज पर, चालान करे उस स्टेज पर और कोर्ट में उसका सपोर्ट करके उस क्रिमिनल को सज़ा दिलाएं, उस स्टेज तक हमको क्रिमिनोलॉजी में भी हमारे एक्सपर्ट अधिकारियों की जरूरत है और वह जो हमारे एक्सपर्ट अधिकारी होंगे, वह अन्ततोगत्वा उस आरोपी को, उस मुलजिम को सज़ा दिलवायेंगे और सज़ा का प्रतिशत बढ़ेगा, तब ही भय व्याप्त होगा।

हमारी फोरेंसिक साइंस भी अभी इतनी डवलप नहीं हुई है। मेरा विशेष निवेदन है कि जो भी फोरेंसिक साइंस से संबंधित हैं, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से गृह मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि इस संबंध में बहुत काम हुए हैं, लेकिन अगर हम दूसरे देशों और दूसरे राज्यों से कम्पेरिजन करें तो इसमें हम अभी इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसीलिये फोरेंसिंक साइंस के मामले में भी हमको और आगे बढ़ने की जरूरत है।

एक विशेष निवेदन मेरा है कि अभी तक कभी किसी के घर में कोई कांस्टेबल चला जाए तो उस घर में दूसरे लोग दूसरी निगाह से देखते हैं कि आज पुलिस वाले कैसे आ गये। चाहे वह हमारे परिवार का ही कोई सदस्य है, वह हमारा ही साथी है। अगर हमारा कोई पटवारी, कोई आर.आई. कोई तहसीलदार, एस.डी.ओ., वह जाए तो कभी नहीं पूछते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता कि आये होंगे कोई काम होगा तो। लेकिन अगर कोई पुलिस का अधिकारी, वर्दीधारी जाता है तो उस परिवार को लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। हमको विश्वास पैदा करना है। वह हमारे परिवार का ही सदस्य है, वह हमारे राजस्थान का निवासी है, वह हमारे सपोर्ट के लिये आया है, हमारे किसी काम के लिये आया है और इसके लिये साइकोलोजिकल पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारे अधिकारियों के स्तर पर तो बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसको बिठाया जाता है, बातचीत की जाती है, लेकिन अभी

(श्री जोगाराम पटेल)

भी हमारे पुलिसकर्मी, जो हैड कांस्टेबल तक ही या ए.एस.आई. लेवल तक ही, वह जो फरियादी जाएगा तो एक बार तो वह पहले ही डांट देते हैं तो लोग ज्यादा डर जाते हैं। हमें उनमें एक विश्वास पैदा करना है। फरियादी आपके पास आया है, एक्यूज भी आ सकता है, थाने में कोई भी आ सकता है, जन प्रतिनिधि भी आ सकते हैं, कोई सपोर्टर भी आ सकते हैं। हम अगर दो मिनट के लिये विश्वास पैदा करें, अगर उसको संतुष्ट करें तो ५० प्रतिशत अपराध तो दर्ज ही नहीं होंगे। पर इस स्टेज पर मेरा विशेषकर गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि इसकी ट्रेनिंग, मैंने एक अध्याय में पढ़ा था फोरेन में, उसको इन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जैक्ट भी हमारे पुलिस अधिकारियों को सिखाना है कि आपको पॉलिटिकली कैसे बिहेव करना है। हो सकता है वह अभी घर से लड़कर आया हो, परिवार से या पत्नी-भाई से लड़कर आया है, पड़ोसी से लड़कर आया है या वह बहुत ही पीड़ित है। वह उग्र भी हो सकता है। यह स्वाभाविक है वह उग्र होगा उस स्टेज तक। लेकिन अगर उसको एक गिलास ठंडा पानी पिलायेंगे, बिठायेंगे, जिस तरह से सांत्वना देते हैं तो हो सकता है कि आधे घंटे बाद में, उसका जो रूप था, वह रूप समाप्त हो जाएगा और इस पर बहुत ज्यादा हमको थीसिस करने की आवश्यकता है। हम किस तरह से एक फरियादी का या थाने में आने वाले हर नागरिक का विश्वास जीते और जब हम नागरिक का विश्वास जीतेंगे तो ही अच्छा होगा और इसी का पार्ट है साइकोलोजी। आप आने वाले की साइकोलोजी स्टडी नहीं कर पा रहे। क्या वो जानबूझ करके किसी को फंसाने के लिए आ रहा है? क्या वास्तव में वो अपराधी है? क्या वास्तव में वो फरियादी है? अपराधी, फरियादी और सपोर्ट में आने वाले लोगों की अगर अपन साइकोलोजी स्टडी कर लेंगे तो अपने आप ही धीरे-धीरे जाकर हमारी पुलिस, जो काम बहुत अच्छा कर रही है, सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है लेकिन फरियादियों में विश्वास पैदा करने वाला काम अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि हम फरयादियों में नया विश्वास पैदा करें। इनको हम कैसे रोकें, साइबर क्राइम और हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग वाले जो केसेज हो रहे हैं। यह बढ़ेंगे, यह रुकेंगे भी नहीं।

(श्री जोगाराम पटेल)

आज जो नये क्राइम हैं, बजरी माफिया, खान माफिया, यह दो तो राजस्थान पुलिस के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। हर जगह, हर स्टेज पर, विधान सभा में रोजाना इस बात को लेकर के विवाद जरूर-जरूर आ रहा है, आरोप और प्रत्यारोप भी इसी बात को लेकर के लगते हैं चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे वो खान माफिया हो।

पहले नकल माफिया था, पर मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की पुलिस को या राजस्थान के सम्बन्धित सभी विभागों को कि धीरे-धीरे करके उस पर अंकुश लग गया। अब ऐसी कोई शिकायतें नहीं आ रही हैं कि कोई नकल माफिया है और वो नकल करा करके इतने पैसे लेते हैं। लेकिन जिस तरह से नकल माफिया पर नकेल कसी गयी है, वैसी नकेल हम बजरी माफिया, खान माफिया, हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग हैं उनके ऊपर और साइबर क्राइम वाले, इन चार-पांच क्राइम पर लगा दें तो राजस्थान में अपराध का ग्राफ बहुत कम आ जायेगा। लड़ाई-झगड़ा होना, चोरी होना, यह होना, यह तो सब रहेगा। यह तो धीरे-धीरे जितना कम कर सकें, वो कम ही होगा।

साथ ही साथ मेरा निवेदन और भी है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि प्रदेश में ज्यादातर अपराध वो लोग करते हैं जो जेल से छूटकर आने के बाद फिर पकड़े जाते हैं, दूसरे दिन आप खुद ही अख़बार में देखते हैं जेल से छूटते ही आया और 81 मोटर साइकिलें चुरा ली और जेल से छूटते ही आया, यह काम कर दिया औरे ज्यादातर ऐसे हैं कि जेल में बैठे-बैठे अपनी गैंग चला रहे हैं। इनके ऊपर हमको रोक लगाने की आवश्यकता है। ये बहुत लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

फरार मुलजिम, आपका आंकड़ा दिनों-दिन बढ़ रहा है, अब 60 हजार हो गया। 60 हजार आपके जो फरार अपराधी हैं, उनको पकड़ना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उनको पकड़ना है। जो स्थायी वारंटधारी है, जो 15 हजार 975 का पिछले वर्ष का आंकड़ा था वो बढ़ा है, घटा नहीं है।

साथ ही साथ तामील नहीं कराने की वजह से, चाहे वो गवाही का तामील है, चाहे वो वारंट की तामील है, चाहे वो एक्यूज्ड की तामील है, उसकी वजह से कोर्ट में मुकदमों का जो निस्तारण होना चाहिए वो

(श्री जोगाराम पटेल)

निस्तारण कम हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद इसके लिए दूं कि केस डायरी की जो स्कीम बनायी, उससे इफेक्टिव सज़ा का प्रतिशत तो बढ़ा है लेकिन फिर भी डिस्पोजल का जो टाइम लगना चाहिए, अभी थोड़े दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल का टारगेट तय किया सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कि जितने भी पेंडिंग केसेज हैं, वो तीन साल के अन्दर डिस्पोजल किए जाएं। हम उसमें सहयोग करें। गत वर्ष जो आपके 60 हजार 611 से बढ़कर 62 हजार हो गये, इस बार आपके और यह बढ़ गया है इसलिए मेरा निवेदन इसमें भी है।

सभापति महोदय, दो मिनट। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा आपके इस विंग को, एएसबी विंग को भी, राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो, चाहे कितना ही बड़ा कोई जनप्रतिनिधि क्यों न हो, चाहे कोई अधिकारी या कर्मचारी क्यों नहीं हो, सबसे अधिक अगर कोई प्रकरण बने हैं तो वो राजस्थान में बने और इफेक्टिव प्रकरण बने हैं जिससे एक भय पैदा हुआ है कि राजस्थान भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनेगा। इस ओर, गृह मंत्रीजी, आपने जो प्रभावी कार्यवाही की है, चाहे कौन है, किस पद का है, किस कास्ट का है, किस एरिया का है, इन सबके बावजूद आपने एक नजर से देखा है कि वो भ्रष्टाचारी है तो अन्दर जायेगा। इसीलिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सम्बन्ध में बहुत स्पेशल कार्यवाही की है पर दो-चार ऐसे अपराधी नामजद हैं, वो कितने ही वर्षों से नहीं पकड़ा जाए, बाकी सब लोग आनन्दपाल का नाम लेंगे, मैं आनन्दपाल का नाम नहीं लूंगा लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग हैं। मैं यह कह सकता हूं ऐसे कई नामचीन हैं, बी.वी. मोहंती हो, मधुकर टण्डन हो, इन्दिरा विश्नोई हो, ऐसे अनेक लोग हैं जिनका दस-दस सालों से अभी तक कहीं पता ही नहीं लग रहा। इससे हमारी छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है। हमको पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कहां गये? अगर देश छोड़कर चले गये, विदेश चले गये, देश में हैं तो कहां हैं? ऐसे अनेक लोग हैं जो नामचीन अपराधी हैं और हमारी पकड़ में नहीं आए तो इससे हमारी पुलिस पर यह धब्बा भी लगता है।

अंत में मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात पूरी करूं। माननीय

(श्री जोगाराम पटेल)

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के मामले में इस वर्ष बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। चाहे किसान हो, चाहे वामपंथी संगठन हो, चाहे बिजली, खाद, बीज हो, इनको लेकर किसी तरह का कोई बड़ा आन्दोलन नहीं हुआ और आन्दोलन होने भी नहीं दिया गया। साथ ही श्रमिक संगठन हैं, सेवा संगठन हैं, छात्र हैं, युवा संगठन हैं, राजनीतिक दलों द्वारा, अन्य संगठनों द्वारा ऐसा कोई बड़ा बलवा वगैरह-वगैरह नहीं हुआ, इसके लिए, माननीय गृह मंत्रीजी, आप वाकई ही बधाई के पात्र हैं।

लेकिन एक चीज और पनप रही है। हमारे खुद के अपने अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक पाकिस्तान से मिलकर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को दे रहे हैं और इस सम्बन्ध में आपने खूब लोगों को पकड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अपने नागरिक हैं, हमारे अपने पोस्ट-ऑफिस के कर्मचारी हैं, अपने प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कर्मचारी हैं और वो पाकिस्तान से मिलकर चाहे वो चिमनाराम हो, चाहे वो किशन देवपाल हो, चाहे वो नरेन्द्र कुमार हो, मैं नाम गिनाऊं तो आपने कोई 100-50 की लिस्ट दी है। लेकिन मैं इस बारे में, माननीय गृह मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह एक नयी चुनौती हमारे सामने पनप रही है कि पाकिस्तान हर सैक्टर में हमको मात देने के लिए इसको भी पनपा रहा है इसलिए इस सम्बन्ध में भी हमें विशेष प्रयास करने चाहिए। बस दो मिनट।

अंत में जो निवेदन करूंगा वो यह है। हम सबका यह कर्तव्य हो जाता है, मैं यह भी कहता हूं कि पुलिस की ड्यूटी है कि वो नागरिकों के साथ सम्मान करे, जन प्रतिनिधियों का सम्मान करे लेकिन आखिर पुलिस कब तक पिटती रहेगी? इस विषय को भी गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। कितनी ही घटनाएं हैं, जिन घटनाओं में यह रोज का पुलिस का मनोबल कायम रखने के लिए आवश्यक है कि पुलिस नहीं पिटे। अगर पुलिस ही पिट जायेगी तो फिर अपने पिटने की नौबत आ जायेगी इसलिए इस विषय में भी गम्भीरता से विचार करके, चाहे वो अलवर का केस हो, बीकानेर का हो, बाड़मेर का हो, चाहे जालौर का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे भरतपुर के हों, इन सारे केसेज की, 15 केसेज हैं इस साल के अन्दर-अन्दर जो गणना करने योग्य घटनाएं हैं, अन-गणना करने योग्य घटनाएं तो बहुत होंगी,

(श्री जोगाराम पटेल)

आपस में हुआ होगा, थोड़ा-बहुत छोटा-मोटा हुआ होगा लेकिन यह गणना करने योग्य है। अब हमारे समाचार पत्र भी इस बारे में लिखते हैं कि आखिर पुलिस कब तक पिटती रहेगी? इस सम्बन्ध में भी, माननीय गृह मंत्रीजी, हमको विचार करना है।

आखिरी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है रोड एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट वाला विषय भी बहुत गम्भीर है। पिछली बार आपने जो आंकड़े दिये थे कि इतने हजार लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एक आदमी का मर्डर होता है तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं और कई वर्ष तक या कई पीढ़ी उसको याद रखती है और एक साथ एक परिवार के सारे के सारे, आठ, दस, पन्द्रह, बीस, सब लोगों की एक साथ जिंदगी चली जाती है और वो परिवार बर्बाद हो जाता है, चाहे उस ड्राइवर की गलती थी या नहीं थी लेकिन इस सम्बन्ध में भी सख्त कानून की आवश्यकता है। एक बार एक्सीडेंट करे, दारू पीकर करे, गलती से हो, अन-गलती से हो, दोबारा हो, इस सम्बन्ध में भी हमें बहुत जल्दी ही करना है।

दो बातें विशेष रूप से, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। पुलिस थानों में पड़े पुराने वाहन, विभिन्न प्रकार के थाने ऐसे भरे हुए पड़े हैं कि कबाड़ खाना लग रहा है। आप इसका सख्त कानून बनाए और तुरन्त इस पर एक अभियान चलाकर सारों का डिस्पोजल करें। जो वैल्युएबल आर्टिकल हैं और अन-वैल्युएबल आर्टिकल हैं, वो भी खूब पड़े हैं और उनका भी आप डिस्पोजल कराए। अगर आप इनका डिस्पोजल करा दें तो आधा काम पुलिस का कम हो जायेगा।

इन सब बातों की ओर ध्यान देते हुए, अंत में दो लाइन से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जुडीशियरी ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है केस के डिस्पोजल के मामले में। जेलों में सुधार की बहुत ही गुंजाइश है। जोधपुर की जेल अभी तक बाहर शिफ्ट नहीं हुई है। माननीय गृह मंत्रीजी, मेरा पुन: आपसे आग्रह है, पिछले पांच साल से यह विषय चल रहा है, बिलकुल सेंट्रल जेल में आयी हुई है, पाकिस्तान के खूंखार आतंकी भी वहीं हैं, पंजाब के वहीं हैं, सारे हिन्दुस्तान के सबसे खतरनाक जो अपराधी हैं वो जोधपुर की जेल में हैं। वो सुरक्षित नहीं है, छोटी है, जेल में रहना बहुत मुश्किल है

(श्री जोगाराम पटेल)

और उस जेल में बहुत बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत मुश्किल हो रही है। उस जेल को बाहर शिफ्ट किया जाए। यह भी मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, टाइम कितना है मेरा?

श्री सभापति: दस मिनट।

(15.00 बजे)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): चलो ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग की मांग संख्या 16 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान में सुराज का जो एजेंडा पेश किया उसमें प्राथमिकता के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को रखा। मैं इस बात के लिए भी मुख्य मंत्रीजी का और गृह मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि पिछले शासन में लोगों का पुलिस के ऊपर से इकबाल उठ गया था, उसको कायम करने में वह सफल रहे।

सभापति महोदय, हमने पिछला समय भी देखा है कि किस प्रकार से दंगे-फसाद राजस्थान में हुए। यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी की जलाकर हत्या कर दी गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गृह मंत्रीजी को और यहां के पुलिस बेड़े को कि हमारे 3 वर्ष के शासन काल में कोई सांप्रदायिक या सामाजिक वातावरण खराब नहीं हुआ। हमारी पुलिस निश्चित रूप से लोगों का विश्वास जीतने में सफल रही। कानून का राज और पुलिस का इकबाल दोनों ही हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हमारी सरकार ने और पुलिस बेड़े ने यह करके दिखाया है।

सभापति महोदय, मैं 2014 से लेकर अब तक की बात करूं तो 2016 में प्रदेश में आईपीसी के तहत दर्ज अपराधों में कमी आई है। 2014 में अपराधों का आंकड़ा 2,10,418 था जो कि 2 वर्षों में घटकर 1,80,398 ही

(श्री प्रताप सिंह)

रह गया है। इन 2 वर्षों में अपराधों में 14.27 प्रतिशत कमी आना बड़ी बात है। मैं हमारी सरकार और राजस्थान के पुलिस बेड़े को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर मेहनत की। उसी का नतीजा है कि आईपीसी के मुकदमों में 14.27 प्रतिशत में कमी आई है।

प्रदेश में महिला अत्याचारों में इन 2 वर्षों में करीब 11.88 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों में 13.13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के मुकदमों में 15.12 प्रतिशत कमी आई है। सड़क दुर्घटनाओं में 4.18 प्रतिशत, सड़क दुर्घटनाओं में जो मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसमें करीब 0.43 प्रतिशत और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या में करीब 7.8 प्रतिशत कमी आई है। हमारे शासन का काम करने का तरीका यही है कि पुलिस को हमने राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर करके अपराधों में कमी लाने की कोशिश की है। उसी का यह नतीजा है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, पुलिस ने दुर्घटनाओं को रोकने एवं सड़क सुरक्षा के लिए भी जो नवाचार किए हैं, उनके रिजल्ट भी आए हैं। जो नवाचार किए हैं उसमें राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों पर हैलमेट की अनिवार्यता, शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। दोपहिया वाहनों की अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वाहन चलाते समय चालकों की बात करने अथवा मैसेज करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है। लेन जागरूकता हेतु अभियान चलाया है।

सभापति महोदय, यही नहीं, सड़क दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो 2016 में दुर्घटनाओं की संख्या में करीब 1,000 की कमी आई है। घायलों की संख्या में करीब 2,100 की कमी आई है। मृतकों की संख्या में करीब 45 से 50 की कमी आई है। यही नहीं, गत 2 वर्षों में गत 2 अक्टूबर से तथा इस वर्ष 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा हेतु जनजागृति अभियान चलाया गया है। दुर्घटना संभावित जो 184 ब्लैक स्पॉट थे, उनको चिह्नित करके दुरुस्त करवाया है। यह सब राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिए हमारी पुलिस ने काम किया है, उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

(श्री प्रताप सिंह)

सभापति महोदय, जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, अभी 5,500 कांस्टेबलों की भर्ती करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में की है। मैं उसका तो स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि नफरी को जनसंख्या के आधार पर रिवाइज किया जाना चाहिए। 2001 की जनगणना के मुकाबले में 2011 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन पुलिस की नफरी उस अनुपात में नहीं बढ़ाई है। इसका साइड इफेक्ट भी पुलिस के ऊपर होता है। पुलिस के छोटे कर्मचारियों पर इसका असर अधिक होता है। उन पर वर्क प्रेशर बढ़ता है और इस कारण से वे अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं। उससे कई तरह की परेशानियों का सामना विशेषकर पुलिस के छोटे कर्मचारियों को करना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके ड्यूटी ऑवर्स फिक्स किए जाएं। मेरा तो यह भी निवेदन है कि उनको एक वीकली ऑफ दिया जाए ताकि वे तरो-ताजा रहकर स्पीड से अपने कार्य को कर सकें।

सभापति महोदय, यही नहीं, 9, 18, 27 के आधार पर पुलिस में उनको वेतनमान तो मिल जाता है लेकिन उनका प्रमोशन समय पर नहीं हो पाता है। इससे जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनकी कार्य क्षमता पर असर होता है। अगर उनको प्रमोशन समय पर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उनके कार्य करने की जो एफिशिएंसी है उसमें सुधार आएगा। मेरा गृह मंत्रीजी से यह भी निवेदन है कि इनकी डीपीसी समय पर करवाएं। आप उनको वेतनमान तो दे ही देते हो। खाली प्रमोशन के आधार पर उनकी पोस्ट अपग्रेड कर दी जाए तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी हमारे राजस्थान के लोगों को मिलेगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान)... गृह मंत्रीजी नहीं हैं। ...(व्यवधान)... गृह मंत्रीजी कहां है? ...(व्यवधान)... उनको बुलाओ जिनके विभाग पर चर्चा हो रही है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपको कैबिनेट मंत्री नहीं दिख रहे हैं? ...(व्यवधान)... कमाल हो गया। सबकी

(श्री कालू लाल गुर्जर)

जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, एक कैबिनेट मंत्री ही बहुत हैं ...(व्यवधान)... तीन-तीन कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, विपक्ष के लिए तो एक भी ज्यादा है। ...(व्यवधान)... आपकी संख्या देखते हुए तो एक कैबिनेट मंत्री ज्यादा है। ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हम इतने लम्बे-चौड़े नजर नहीं आ रहे आपको?

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप बैठे। ...(व्यवधान)... आपके कहां गए मैम्बर? ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं कि राजस्थान में डैड बोडी के साथ प्रदर्शन करने का प्रचलन बढ़ रहा है। चाहे मौत किसी भी कारण से हुई हो पर इस प्रकार का प्रचलन बढ़ा है। किसी न किसी प्रकार से जितना संभव हो, ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस प्रकार का भी मेरा निवेदन है।

साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। बीएसएफ के जवान ने किया था कि अधिकारी हमसे बेगार करवाते हैं, हमको वह काम करवाते हैं जो हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं हैं। ऐसा राजस्थान में भी देखा गया है और मेरा स्वयं का अनुभव भी है कि हमारे बड़े अधिकारी जो हमारे सिपाही वर्ग के हैं, जो ट्रेनिंग में है, उनसे घरों पर काम करवाते हैं, बेगार करवाते हैं। निश्चित रूप से हमारे छोटे कर्मचारी हैं, पुलिस के छोटे वर्कर हैं उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि कहीं जिस प्रकार का बीएसएफ के एक जवान ने वीडियो वायरल किया, उस प्रकार का यहां पर भी कोई पुलिस का हमारा जवान इस प्रकार का वीडियो वायरल न कर दे, उससे निश्चित रूप से हमारे राज्य की भी बदनामी होगी। और पुलिस की भी बदनामी होगी, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं एक-दो और बातें अपने क्षेत्र की करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। गृह मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं, पर मेरी बात को सुन रहे होंगे या कोई उसको नोट कर रहा होगा।

(श्री प्रताप सिंह)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 3.9.2014 को एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अपराध संख्या है 313/14 उसके बाद में जो मुकदमे दर्ज हुए, उनमें तो चालान भी पेश कर दिए गए, मुलजिम भी अरैस्ट कर लिए पर पता नहीं किस कारण से इस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या कारण है और कौन अधिकारी दोषी है? मेरा आपसे निवेदन है कि इस मुकदमे में आप निश्चित रूप से पारदर्शिता के आधार पर कार्यवाही करवाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी जब जवाब दें तो निश्चित रूप से इस मुकदमे के बारे में जरूर बताएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि रेत माफिया की बहुत बात होती है। रेत माफिया जगह-जगह पनप रहा है, मेरे क्षेत्र में भी पुलिस के संरक्षण में रेत माफिया पनप रहा है। उसको बताते हुए मुझे दु:ख है कि अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस वाले जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होती है उस व्यक्ति को बता देते हैं कि फलां चन्दजी का फलां चन्दजी के पास टेलीफोन आया है। पर ट्रक और पर ट्रोली के हिसाब से रिश्वत लेकर भारी पैमाने पर मध्यप्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली पार्वती नदी है, उससे रेत की ढुलाई हो रही है। इससे सरकार का राजस्व भी मारा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों में चोरी की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है तो मेरा निवेदन है कि आप इस पर भी रोक लगाने की चेष्टा करें।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, कोटा में कोचिंग चलती है, पूरे देश में यह मशहूर है और पूरे देश के बच्चे वहां पर आते हैं। करीब डेढ़-दो लाख बच्चे वहां पर रहते हैं। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जो बच्चे वहां पर रहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन ढंग से करवाएं और साथ ही साथ हॉस्टल के अलावा जो लैंड लोर्ड अपने घरों में दो-दो, चार-चार बच्चे रखते हैं, उनका भी आइडेंटिफिकेशन ढंग से करवाएं। चूंकि कोटा में कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, आप सब लोगों के सामने भी सब बातें हैं। इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कोटा में कोचिंग की वजह से नए-नए अपराध पनप रहे हैं, विशेषकर चैन स्नेचिंग और मोबाइल चोरी के, मैं समझता हूं कि इसकी थाने में रिपोर्ट होती होगी या नहीं होती होगी, पर ऐसा कोई दिन

(श्री प्रताप सिंह)

नहीं जाता, जिस दिन 15-20 मोबाइल बच्चों के छीनकर इधर-उधर नहीं जाते होंगे। इस पर भी आप रोक लगाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव माननीय सदस्यों से भी है कि छबड़ा में मैंने पाँच लाख रुपए पुलिस को प्रमुख चौराहों पर सीसी टीवी कैमरे लगाने के लिए दिए हैं ताकि अपराधी प्रवृत्ति का कोई आदमी आए तो उस पर अंकुश लगाया जा सके, इससे मोनिटरिंग कर सके। इसमें मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का इस बात में सहयोग करें और अपने एमएलए फंड से पुलिस को निश्चित रूप से एक साथ नहीं दे सकें तो अपने पास अभी भी वक्त है, आपमें से कई लोग एमएलए फिर बनेंगे, हर साल पुलिस को कुछ न कुछ देते रहें तो पुलिस को जो फंड की कमी है उसमें भी उनको फायदा मिलेगा और जो अपनी समस्या है चोरी की, मोटर साइकिलें चोरी की या छोटी-मोटी वारदातें होती हैं, उन पर भी निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं बारां जिले से आता हूं। बारां जिले में मध्यप्रदेश के तीन जिलों की सीमा लगती है, श्योपुर, गुना और शिवपुरी। मेरे क्षेत्र का करीब पौने दो सौ, दो सौ किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है। वहां पर बामला एक गांव है मध्यप्रदेश के बोर्डर पर, वहां पर बहुत पहले करीब चार-पांच साल पहले आरएसी की एक फोर्स लगी हुई थी। वह बोर्डर पर घूमती थी, पैट्रोलिंग करती थी उससे वहां पर अपराधों में कमी आई थी और वह फोर्स हटने के बाद निश्चित रूप से वहां पर कई प्रकार के अपराध बढ़े हैं और हमारा मध्यप्रदेश से लगता हुआ बोर्डर है, वहां पर जो कौमें रहती हैं वे भी जरायम पेशा हैं, सांसी, कंजर, पारदी, इस प्रकार के लोग रहते हैं। उनकी आवाजाही और बेझिझक इस प्रकार से आते हैं, रात देखते हैं न दिन देखते हैं, किसी के भी घर में चोरी करके ले जाना, सरेआम फायरिंग कर देना, इस तरह की वारदातें हमारे क्षेत्र में होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस फोर्स को वापस लगवाएं ताकि लोगों में भय का वातावरण भी समाप्त हो और चोरी डकैती की जो घटनाएं बढ़ रही हैं इन पर भी निश्चित रूप से रोक लगे।

(श्री प्रताप सिंह)

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं मेरे क्षेत्र की मांग करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे क्षेत्र के दो बड़े थाने हैं, एक छीपा बड़ौद और बापचा, दोनों बड़े थाने हैं। छीपा बड़ौद थाने में करीब 105 गांव आते हैं और बापचा में 107 गांव आते हैं। वहां की भौगोलिक दृष्टि से एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है और बरसात में तो किसी भी कीमत पर जाने की पोजीशन में भी नहीं रहते इसलिए पाली जो पुलिस चौकी है और सारथल पुलिस चौकी है इनका अपग्रेडेशन करके इनमें पुलिस स्टेशन की स्थापना करवाई जाए।

दूसरा, जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया कि हमारा बारां जिलां मध्यप्रदेश की सीमा से बहुतायत से लगा हुआ है। और दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक एडिशनल एसपी का कार्यालय छबड़ा में हो तो हमें क्राइम रोकने में मदद मिलेगी। इतना ही कहते हुए आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 6, 16 और 17 न्याय प्रशासन, पुलिस और कारागार पर चर्चा हो रही है। इस राजस्थान प्रदेश की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी कोई भी पार्टी ज्यादा बहुमत में आ जाए तो वह अपनी मर्जी से काम करती है। (व्यवधान) वही कह रहा हूं मैं। इतना बड़ा बहुमत भी नहीं आना चाहिए कि सरकार मदमस्त हो जाए। जिस पर चर्चा हो रही है उस विभाग का मंत्री नहीं हो, वे आराम फरमा रहे हों।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये नोट कर रहे हैं। अभी-अभी गये हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): नोट से कुछ नहीं होता। इसका मतलब यह है, हम यही मान लेते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, मंत्रीजी थोड़ा नाश्ता करने के लिए गए हैं। आपको इतनी देर में ही सब कुछ हो गया।

(श्री कालू लाल गुर्जर)
खाना भी नहीं खाना चाहिए। आपका मतलब है खाना भी नहीं खाए। आप कहते तो आपको पहले बुला देते।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप निश्चिंत रहो। आपकी बात नोट कर रहे हैं, मंत्रीजी को बता देंगे और आपको जवाब भी दिला देंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सदस्य, आपको जवाब देने के लिए हमारे विधायक ही काफी हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने भी कहा और विधायकों ने भी कहा, लेकिन कभी बात आ जाती है सीआई या थानेदार बदलने की तो आपका गृहमंत्री भी नहीं बदल पाता है। (व्यवधान) बात मत करो आप, ज्यादा बात हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको कोई बात कहनी है, आसन की ओर इंगित करके कहें।

श्री रमेश (सपोटरा): आज राजस्थान प्रदेश में अपराध की बात करें तो बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया वातावरण है क्योंकि हमारे गृह मंत्रीजी कहते हैं कि अपराध को हमने 25 प्रतिशत घटा दिया है और ऐसी स्थिति कर दी है इस राजस्थान प्रदेश की कि आंकड़ों और डाटा में तो हम देश में बहुत आगे पहुंच गये हैं, लेकिन जयपुर जैसा शहर आतंकवादी, आईएसआई का शरणस्थली बन गया है। लोग बाहर अपराध करते हैं, जयपुर में फरारी काटते हैं। इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में रहा तो आने वाले समय में राजस्थान शांतप्रिय माहौल वाला प्रदेश, बिहार जैसा न हो जाए। रही पुलिस की बात, पुलिस प्रशासन का सिस्टम एक अलग है। अब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राज में है, कांग्रेस पार्टी राज में है। इनको जो करना है तय कर लिया। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं वे सीएम लेवल पर होते हैं। कुछ राजकीय पावर होते हैं, बाकी तो जो सिस्टम है वही चलता है। यहां हमारे माननीय विधायक बैठे हैं, आज भी सत्ता पक्ष की थानेदार नहीं सुनता और वे रोजाना शिकायत करते हैं मंत्रियों को, गृह मंत्री को और सीएम को। फिर भी थानेदार नहीं बदल रहा है यह भी हम जानते हैं। जिस प्रकार का आज पूरे प्रदेश में वातावरण है कि बाल अपराध में राजस्थान तीसरे नम्बर पर

(श्री रमेश)

आ गया है। एससी, एसटी में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। उत्पीड़न प्रकरण राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं का लगातार बढ़ना, यह शासन की नाकामी को दिखाता है। नाबालिगों के साथ सर्वाधिक गैंग रेप राजस्थान में हुए। राज्य में रोजाना तीन से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन एकमात्र साईबर थाने को पूर्णकालिक एसएचओ भी नहीं दिया जाता है। दिल्ली के बाद जयपुर में सर्वाधिक गैंग रेप। कोटा हत्या व तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। अपराधों के मामलों में जयपुर चौथे नम्बर पर है जहां 2015 में 26288 घटनाएं, जिनमें हत्या, बलात्कार, दुष्कर्म व अन्य अपराध हुए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहर जिसे हम राजस्थान की राजधानी कहते हैं असुरक्षित शहरों में चौथे नम्बर पर है। दुष्कर्म के प्रकरणों में जयपुर तीसरे नम्बर पर है। चोरी के प्रकरणों में जयपुर चौथे नम्बर पर है। राज्य में सर्वाधिक 63013 प्रकरण कोर्ट के दखल के बाद दर्ज हुए, यह राज्यों में पहले नम्बर पर आता है। एक तरफ हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हमने अपराधों में घटोतरी कर दी है तो दूसरी तरफ जनता कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करवा रही है। उसमें पहले नम्बर पर हैं कि 63013 प्रकरण थानों पर एसएचओ या इंचार्ज ने मुकदमे दर्ज नहीं किये। जनता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इसमें पहले नम्बर पर हैं। गृह मंत्रीजी होते तो उनको बधाई देता कि इतने सारे लोग कोर्ट में गये।

राज्य में पिछले 6 सालों में साढ़े पाँच हजार से अधिक शव ऐसे मिले जिनकी मौत की गुत्थी आज तक भी नहीं सुलझी है। इनकी शिनाख्त नहीं हो पायी है और पुलिस ने लास्ट में एफआर लगा दी है। प्रकरण आप लोगों को मालूम है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं कि यदि साधारण आदमी पर केस दर्ज हो जाए तो पुलिस खाल उतार लेती है, लेकिन अशोक सिंघवी जैसे के मोबाइल का लॉक तक नहीं खोल पायी। साधारण आदमी होता तो सब उगलवा लेती, लेकिन ऊंची पहुंच वाला था, बड़ा अधिकारी था, पुलिस कुछ नहीं कर पायी।

इसी प्रकार बलात्कार में तो सबसे नम्बर वन पर राजस्थान चल रहा है, लेकिन अपहरण की घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं क्योंकि लोग थाने में

(श्री रमेश)

एफआईआर दर्ज कम कराते हैं डर के मारे। कैसे न कैसे हमें हमारा आदमी मिल जाए, बरामद हो जाए, ले-देकर छुड़ा लें। फिर भी 2015 में 5226 अपहरण के मुकदमे दर्ज हुए। धीरे-धीरे एक ऐसा बिजनस बन गया है कि बिना काम किये हुए लाखों-करोड़ों में लोगों को पैसे मिल जाते हैं और इस तरह पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और लोग पैसा कमा रहे हैं तथा अपहरण के केस बढ़ रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री तक आप हमारा संदेश पहुंचा दें कि आनन्दपाल 3 सितम्बर, 2015 से पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। आज उसे 19 महीने पूरे होने को आ गये। पुलिस उसका सुराग तक नहीं लगा पायी। हमारे गृह मंत्री ने एक बात कही कि चलो, आनन्दपाल तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने 66 अपराधी पकड़ लिये। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनन्दपाल इनके पकड़ में नहीं आ रहा है। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इनको किसका सहयोग मिल रहा है, कितने ऊंचे रसूखात हैं, क्यों पकड़ में नहीं आ रहा? यह भी एक गंभीर मुद्दा है। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा शंकरजी। मैं कह रहा हूं कि इतना गंभीर मुद्दा है कि एक अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, पूरे राजस्थान की पुलिस उसके पीछे है तो कहीं न कहीं इस पुलिस सिस्टम में गड़बड़ है या हमारे राजनैतिक सिस्टम में गड़बड़ है, कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। यहां तक लोग कहते हैं कि जो हमारे पुलिस के अच्छे अधिकारी हैं वे वहां पर पहुंच जाते हैं बिलकुल पाइंट पर और उससे 5 मिनट पहले वह अपराधी भाग जाता है। इससे जाहिर होता है कि आईजी लेवल के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से यह आनन्दपाल नहीं पकड़ा जा रहा है। उसको ऐसे कैसे खबर लग जाती है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह अपराध बढ़ते रहे और अपराधी पकड़ा नहीं गया तो आज तो मैं यहां विधान सभा में बोल रहा हूं, कोई एमएलए भी किसी अपराधी के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। अभी भी कुछ ऐसे अपराध हुए हैं, ब्लैकमेल काण्ड, रवनीत कौर, आनन्द शांडिल्य, अनिल यादव, नवीन, इसमें बड़े हाई प्रोफाइल लोग इन्वाल्व थे। कुछ लोग, वो कहें राजनीतिक लोग, भारतीय जनता पार्टी या

(श्री रमेश)

कांग्रेस की बात करें तो वो उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी वकील की वकालत कर रहे हैं कि यह निर्दोष है, इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान में धीरे-धीरे यह ब्लैकमेल वाला सिस्टम चला है यह बहुत बड़ा बिजनस हो गया है।

यहां राजस्थान में पूरे भारतवर्ष के लोग, महिलाओं के द्वारा, जो रमीज वाला कुकर्म, पोर्न फिल्में हैं, इस तरह का बिजनस या इस तरह लोगों से ठगी के जो कार्यक्रम हैं जिनमें महिलाओं को भेजना है उसमें बड़े-बड़े अधिकारी भी पिस रहे हैं, कुछ राजनेता भी हैं। अब केस सुलझ नहीं रहा, केस उलझ गया है पर हमारे कुछ अधिकारी हैं जिन पर हमें विश्वास है कि इन केसों का खुलासा होगा। आनन्दपाल भी पकड़ा जाएगा। पकड़ा नहीं जाएगा, जिन्दा नहीं आएगा तो मरा हुआ आएगा क्योंकि कुछ लोगों को डर है कि जिन्दा आ गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। हम चाहते हैं कि पुलिस इसको शीघ्र पकड़े। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सारा काम पुलिस ही बुरा करती है, पुलिस अच्छा काम भी करती है। आसाराम को पकड़ कर लाई, एक अच्छा काम किया, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं लेकिन उसमें कुछ बात और सुनने में आई कि जिन लोगों ने, हमारे जो पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने हवाई जवाज का किराया दिया उनको आज तक नहीं मिला तो ऐसे लोग अच्छा काम करते हैं तो पुलिस और गृह मंत्री उनको सहयोग करें।

जिस तरह से रमीज वाले केस में पुलिस थाने में बच्चे को लेकर उसके परिवारजन वहां रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। दूसरा बच्चा जाता है, वहां कहते हैं कि कुत्ते को छोड़ दिया, भगा दिया जाता है। इस तरह जब पुलिस कमिश्नर के पास ये लोग जाते हैं तब एफ.आई.आर. दर्ज होती है तो ऐसे एस.एच.ओ. या वहां का जो इन्चार्ज है या जिसने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को एस.एच.ओ. लगाओ और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

अभी एक खबर आई थी हनुमानगढ़ से कि जितेन्द्र सिंह कोई

(श्री रमेश)

विधायकपुरी या विद्याधर नगर का इन्चार्ज है, मुझे ध्यान में नहीं है, पर उससे अपराधी कार छुड़ाकर ले गये तो ऐसे कायर आदमी को आपने इन्चार्ज बना दिया। और जब वो आदमी लड़ नहीं सकता है तो आम जनता की रक्षा कैसे करेगा और उसको आपने इन्चार्ज बना रखा है। किसलिए इन्चार्ज बना रखा है? क्या वो किसी भूमाफिया की कार थी? किसकी कार थी? वो कार किसने खरीदी या इसकी थी तो वो कहां गया और उसके पास खुद की सर्विस रिवॉल्वर नहीं थी क्या? इसके बारे में गृह मंत्रीजी जांच करवाओ कि मुद्दा क्या था और वो वहां पर क्यों गया? इस तरह का जो वातावरण बना है उसमें पुलिस की मिलीभगत से अपराधी मौज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपके गृह क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा है। अब कितने सालों से चल रहा है? मैं नहीं कहता कि आपने समय में ही चला है। पता नहीं पाँच साल से चल रहा है, सात साल से चल रहा है तो मैं आपको भी दोषी नहीं ठहराता लेकिन 5-6 साल से या 3 साल से, जितने सालों से वो नशीली दवाइयों का कारोबार चल रहा है और किसी को भनक ही नहीं है। उस डिपार्टमेंट को पता नहीं है, ड्रग कंट्रोलर को पता नहीं है, आपकी आई.बी. को पता नहीं है, आपके पुलिस का जो स्पेशल सिस्टम है उसको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। रीको में जिन्होंने प्लॉट दिया है या जो उद्योग वहां चल रहे हैं, उनके आस-पास के लोगों को पता नहीं है कि यहां इस तरह की ड्रग्स, मेंड्रिक्स दवाइयां बन रही हैं जो एक स्टूडेंट से लेकर बॉलीवुड तक सप्लाई हो रही है और उसकी कीमत जो मैंने अखबारों में पढ़ा, वो 4700 करोड़ है और 23500 किलो पकड़ी गई। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं न कहीं, किसी न किसी को तो जरूर पता होगा कि यह इस तरह का अवैध धंधा चल रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। उस एरिया के इंचार्ज या उस एरिया के सम्बन्धित विभाग के जो लोग हैं, चाहे ड्रग कंट्रोलर हो, चाहे रीको का हो या जो बीट का आपका सिस्टम है उसके अनुसार आपको इसकी जानकारी करवानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए कि कौन दोषी है और उसके खिलाफ कार्यवाही हो। क्योंकि आज पकड़ लिया,

(श्री रमेश)

वहां से बाहर की टीम ने आकर पकड़ लिया डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू टीम ने, वो तो बड़ी बात है पर हमारे लोगों को तो पता ही नहीं लगा और हमारे गृह मंत्रीजी ने कहा कि छोटी सी चूक हो गई है, कोई बात नहीं। आप कह तो देते हो क्योंकि आप जिस प्रकार वक्तव्य देते हो, क्योंकि आप दिल के बिलकुल साफ हो, अच्छे आदमी हो, अनुभवी हो, आपको बात पकड़ में आती है, समझ में आती है लेकिन यह सरकार आपसे बार-बार असत्य बुलवा लेती है, आपसे कुछ भी कहलवा देती है।

अभी गुर्जरों का एस.बी.सी. वाला आंदोलन चल रहा है तो आपसे कोई भी बयान दिलवा देंगे। जो काम नहीं कर सकते उसमें स्पष्ट कहो कि यह काम नहीं हो सकता। आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आप कहो कि हम देंगे, लेकिन आप कोई भी स्टेटमेंट दे देते हो। यहां विधान सभा में, सदन में आप आश्वासन दे देते हो। सदन में आश्वासन दिया तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। काफी मामले हैं, आप जांच करवा लेना, जितनी बार आपने विधान सभा में आश्वासन दिये हैं उनकी पूर्ति हुई या नहीं, वो काम सरकार के अधिकारियों ने किया या नहीं किया, इसकी भी आप जांच करवा लें। आप कह तो देते हैं कि यह काम हो जाएगा, हम जांच करवा लेंगे लेकिन होता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस राज्य में बाहर से नशीली दवाइयां आ रही हैं, चरस आ रहा है, गांजा आ रहा है और अभी दौसा में भी इस तरह की 5 करोड़ की एम्फेटेमाइन मिली थी। इसके अलावा अजमेर में कश्मीर से लाई 13 किलो चरस भी पकड़ गई और प्रदेश के पुष्कर और अजमेर में रेव पार्टियां करवाने वालों में कुख्यात तस्कर राजू मुरूगन ने पैर पसार लिये हैं। राज्य पुलिस उसका नेटवर्क तोड़ने में विफल रही है। हिमाचल प्रदेश से जयपुर तक चरस माफिया अपना जाल बिछाये हुए हैं।

कई चीज कभी-कभी ऐसी आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आपको पाक-साफ और अच्छी चरित्रवान पार्टी बताती है लेकिन जिस विधायक को सज़ा दिलवाने में या कानून का सहयोग करने में, एक अपराधी का सहयोग करो और उस अपराधी की पत्नी को, जिस पर भी केस दर्ज है,

(श्री रमेश)

उसको आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे रहे हो और आप कहते हो कि हम बहुत पाक-साफ हैं। ऐसे ही एक हरिराम रणवां, यू.आई.टी., सीकर का चेयरमैन, यह भी कोई भूमाफिया है और एस.ओ.जी. में इसका भी कोई दर्ज था। इस तरह के केस लग रहे हैं और ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हो, ऐसे लोगों को चेयरमैन बना रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं है।

सबसे गम्भीर बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधायक भी और काफी लोग इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि हमारी रामगंजमण्डी से आने वाली विधायक, उनके साथ जो हुआ, सदन में बार-बार कहूं कि उनके साथ जो घटना हुई, उसके बारे में आज तक न माननीय मुख्य मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया और न गृह मंत्री ने बोला कि क्या हुआ है। आप यह तो कह देते हो कि अगर उसकी गलती नहीं है तो सी.आई. को मैं वापस लगा दूंगा। हम यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो घटना हुई, विधायक के पति ने थप्पड़ मारा, उसी समय सी.आई. थप्पड़ मार देता तो बात हमारे समझ में आती कि उसने भी थप्पड़ मार दिया, इसने भी मार दिया पर बाद में बिठाकर, अलग से शांति वार्ता के लिए बुलाकर फिर विधायक को पिटवाया जाता है, पति को पिटवाया जाता है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लो आप मुजरिम हो, कोर्ट में खड़े हो, मजिस्ट्रेट आपको न्याय का फैसला सुना रहा है या आपकी कोई बात सुन रहा है या कोई बहस चल रही है और कोई आदमी मजिस्ट्रेट के जूते मार दे, थूक दे या थप्पड़ मार दे तो क्या मजिस्ट्रेट उसको फांसी की सज़ा सुना देगा? तो पुलिस ने हाथों-हाथ थप्पड़ मारा, एक ओर पूरी पुलिस टूट पड़ी उन पर और उनको बेरहमी से पीटा गया। वो आपकी सत्ता पक्ष की विधायक हैं। गलती किसकी है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि गलती आपकी पुलिस की है या विधायक की है या विधायक पति है, उसको दण्ड मिलना चाहिए, लेकिन इसका खुलासा करना चाहिए। आज आप रिप्लाई में जवाब देना कि इसमें यह हुआ और हम यह करने जा रहे हैं। अब चुप रहने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि हम विधायक की बात कर रहे हैं। विधायक की बात आ गई है तो आगे भी मैं उस बात को बढाऊंगा। कुछ विधायक ऐसे हैं, जिनके ऊपर गम्भीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं और 15-20 सालों से चल रहे हैं। सीआईडी सीबी में डले

(श्री रमेश)

हुए हैं। विधायकों के वारंट निकले हुए हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो माननीय सभापति महोदय, चाहे विधायक हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, जो कानून बना है वह आम आदमी के लिए बना है, वही विधायक के लिए बना है। अगर ये गम्भीर केस दर्ज हैं तो इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस बात के लिए लोकायुक्त भी आपको चेता चुका है कि इन केसों का आप फाइनल डिसीजन करें, इन केसों का निपटारा करें लेकिन सरकार चुप बैठी हुई है। 15-20 साल से ये केस चल रहे हैं, और आगे भी चलेंगे।

इसी तरह से आपका एक मैटर और आया है। बीजेपी के शहर जिला उपाध्यक्ष उदयपुर के बेटे को दुष्कर्म के आरोप में पकड़ने वाले पुलिसकर्मी को पीटा गया और आरोपी को वहां से भगा दिया। इसके बाद भी बीजेपी के नेता के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

कल रात को आदर्श नगर, जयपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। वहां कोई ट्रेनिंग चल रही है। वहां दारू पार्टी हुई और जनता कालोनी के लोगों के ऊपर दारू की बोतलें फेंकी गई, उत्पात मचाया गया। वह पहले से ही जो कांस्टेबल है या पुलिस के सिस्टम में जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको यह तो सिखाओ कि जनता से कैसा व्यवहार करें। ट्रेनिंग में यही सिखायेंगे कि मारपीट करनी है तो मारपीट की ट्रेनिंग उन्होंने चालू कर दी। दारू पीकर हंगामा कर दिया तो ऐसे जिन्होंने हंगामा किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

दूसरी घटना, जो पूरे प्रदेश को शर्मसार करती है पंछी के नंगला की घटना। पुलिस ने देह व्यापार के ठिकानों पर दबिश दी। 300-400 लोग गये और वहां पर मार-पिटाई कर दी और लोग कह रहे हैं, वहां तो फायरिंग भी कर दी। उस फायरिंग से और लोगों की धर-पकड़ में मार-पिटाई के डर के मारे तीन बच्चियां उस तालाब में कूद गईं। उनमें से दो की मौत हो गयीं, एक को बचा लिया गया तो ऐसे प्रशिक्षु आईपीएस, इनको ऐसी ट्रेनिंग मत दो जो शुरुआत में ही लोगों को मरवा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। एक बड़ी घटना हो गई। वहां अपराधी लोग और भी हैं। भरतपुर में कम अपराध हैं क्या? अपराधियों को पकड़ते। वहां 300-400 और इतना बड़ा स्टाफ ले जाने

(श्री रमेश)

की क्या जरूरत थी? इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं, गृह मंत्रीजी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा अधिकारी हो, एक तरह से यह हत्या हुई है, डूबी नहीं हैं। पुलिस के डर के मारे वह बच्चियां मर गई हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

इसी तरह धौलपुर जेल में दो डकैत ग्रुप हैं। वहां झगड़ा हो गया। वहां कह रहे हैं कि सीसी टीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। वहां काम चल रहा है और वहां लोग लड़ रहे हैं। वहां पर आपका पूर्व विधायक बी.एल. कुशवाह और दूसरा धारासिंह है, वह चोटिल हो जाते हैं तो पहले तो वह आपका बी.एल. कुशवाह सेवर जेल में था, फिर धौलपुर पहुंच गया। फिर शायद वह ऐसा है कि अस्पताल में उसको भर्ती के लिए बात हो गई है तो जब तक चुनाव प्रचार चलेगा तो आईसीयू में रखो, प्रचार करवाओ तो थोड़ा-सा शर्म करो माननीय गृह मंत्रीजी कि अपराधी को अपराध की जगह जहां हो, वहीं उसको रहना चाहिए।

इसी तरह हनुमानगढ़ की कोर्ट में सरे आम गोलियां चल गई। दो लोगों को मारने का प्रयास किया गया। एक की मृत्यु हो गई और आपके एसीबी के अधिकारी हैं, इन्होंने एक अच्छा काम किया कि बड़े-बड़े आईएएस अफसरों को पकड़ा, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि बड़े-बड़े लोगों को पकड़ा। लेकिन जो आगे कार्यवाही होनी थी, वह कार्यवाही नहीं हो पाने की वजह से बड़े अधिकारियों को जमानत मिल गई और जब आगे बढ़ने लगा कि कुछ लोग, हो सकता है राजनैतिक लोग और मंत्री लोग भी पकड़े जायें तो उन अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया और दूसरी जगह लगा दिया, किसी को तो कोने में लगा दिया, किसी को एसओजी में लगा दिया तो जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे थे, इसमें कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको वहीं लगाते, वह आगे प्रोग्रेस देते। चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, गलत काम करता है तो उसको पकड़ा जाये। लेकिन ऐसा लगता है कि जो एसीबी है, वह ऐसे काम कर रही है जैसे सरकार चाहती है। सरकार चाहती है किसको फंसाना है, किसको बचाना है तो उस प्रकार काम कर रही है।

उसका उदाहरण एक मैं आपको देना चाहता हूं कि एलईडी बल्ब का

(श्री रमेश)

एसीबी ने केस दर्ज किया। जो बल्ब 80-90 रुपये का आता है, वह 972 रुपये का और 18 वाट का बड़ा बल्ब था, वह 3300 रुपये का था। उसमें एसीबी ने केस दर्ज किया लेकिन जिस प्रकार जो उन्होंने कार्यवाही की, उसमें जिम्मेदार व्यक्ति चीफ इंजीनियर सी.एम. चौहान था। अब एसीबी केवल एफए, जो फाइनेंशल एडवाइजर है, जो लेखाधिकारी है, एफए को ही फंसाना चाह रही है तो इसमें आप जांच करवाओ क्योंकि उनके एप्रूवल से टेण्डर होते हैं। एक्सईएन, एसई है, टीए है, एकाउंटेंट है, वह सारा सिस्टम है। एक एफए ही उसमें दोषी नहीं है क्योंकि उनको पता रहता है। एक इंजीनियर बैठा हुआ है, उसको पता है कि यह 100 रुपये की चीज है और हम 900 रुपये का बिल दे रहे हैं। इसका कैसे दे रहे हैं? जो 1,000 रुपये की चीज है, उसको 3,000 रुपये में कैसे दे दें? यह जानकारी इंजीनियर को भी होती है और वहां एप्रूवल होता है, उसके बाद रेट कांट्रेक्ट होता है...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जांच प्रभावित करने वाला विषय यहाँ पर मत बोलो।

श्री रमेश (सपोटरा): जांच प्रभावित नहीं है। मुझे पता है उसके फैक्ट्स, मैं बताऊं क्या वर्क आर्डर? सारी चीज मेरे पास रखी हैं और आप चाहें तो मैं मंत्रीजी को टेबल कर सकता हूं। मेरे पास है। आप कहें तो बता दूं? मेरे पास है। इसका रिकार्ड भी है। वर्क आर्डर भी है। सारी चीजें हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं बिना तथ्य के।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): लेकिन यह सदन इसके लिए नहीं है। आप तो इस मांग पर बोलिये।

श्री रमेश (सपोटरा): मांग पर ही बोल रहा हूं। भ्रष्टाचारी को बचाया जा रहा है। गृह विभाग में ही एसीबी आती है माननीय उप मुख्य सचेतक। जो मैं बता रहा हूं कि एक अधिकारी को बचा रहे हो, एक को फंसा रहे हो, यह कौनसा काम है। यह पुलिस का ही तो काम है। गृह मंत्रीजी का काम नहीं है क्या? सरकार का काम नहीं है? किसका काम है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सीमित करें। ऐसा नहीं हो कि बीच में आपको रोकना पड़े।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, सीमित कर रहे हैं साहब।

दूसरा, राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं। 350 से अधिक मासूम लापता हैं लेकिन पुलिस विभाग केवल मुस्कान और मुस्कान-2 आपरेशन चला रही है। उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई है तो राज्य में सैकड़ों बच्चे गुम गये हैं और हम चौराहे पर देखते हैं, कोई बच्चा भीख मांग रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, किसी तरह की कोई चोरी-चकारी कर रहा है। इस पर हमारी सरकार का या पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है कि जो बच्चे गायब हो गये हैं, उनमें अगर हमारी पुलिस गई है तो बाहर घूमकर जरूर आ गई है, सैर-सपाटा जरूर हो गया है लेकिन कोई परिणाम आने चाहिए थे, रिजल्ट आना चाहिए था, वह नहीं आ पाया है। बस इतना कह देते हैं कि सामाजिक बुराई है और इसको टाल दिया जाता है तो ऐसे प्रकरणों को खुलासा हो और हमारे जो बच्चे गायब हो गये हैं, उनके प्रति पुलिस संवेदनशील होकर काम करे क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस प्रणाली को फेल बताया है।

राज्य में बंगलादेश से लड़कियां लाकर, उनको बेचने और दिल्ली के प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा मानव तस्करी के गंभीर प्रकरण भी सामने आये हैं। बड़े पैमाने पर बच्चों की तस्करी साबित होने के बाद राज्य पुलिस केवल आपरेशन स्माइल चलाकर ही संतुष्ट है। राज्य में आईएसआईएस भी पैर पसार रहा है, इस पर मैं पहले बोल चुका हूं।

राज्य सरकार ने दागी छवि के 83 पुलिसकर्मियों की छंटनी तो कर दी और उनको नौकरी से निकाल दिया लेकिन जो अधिकारी हैं खास तौर पर, उच्च स्तर के अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका भी गृह मंत्रीजी जवाब दें कि ऊपर के लोग भी भ्रष्ट हैं या खराब हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए तो ऐसे प्रकरण बहुत हैं माननीय गृह मंत्रीजी कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस जगतपुरा, प्रतापनगर के इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म होने पर एडीजी स्तर के अधिकारी ने पीड़िता के घटना के समय कपड़ों को जब्त करने के नाम पर जला दिया और उसके बाद उससे राजीनामा का दबाव। सरकार ने प्रकरण सामने आने पर कार्यवाही नहीं की। इसी तरह...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मैं पहला व्यक्ति हूं मेरी पार्टी की तरफ से। आप पहले जो बोले हैं न...

श्री सभापति: आप पहले व्यक्ति हो, इसका मतलब यह है कि आपको सारा समय दे दिया जाए। सत्ता पक्ष के पहले माननीय सदस्य को जितना समय दिया है उतना समय आपका हो गया है।

श्री रमेश (सपोटरा): पाँच-सात मिनट बोलूंगा, साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री रमेश (सपोटरा): पाँच मिनट। पाँच मिनट।

श्री सभापति: नहीं, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें आप।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में एफआईआर नं.8/2016, जिसमें राजेन्द्र और उसके परिवार के चार जनों की आत्महत्या का केस दर्ज हुआ, लेकिन वह आत्महत्या नहीं थी, हत्या हुई थी और उसके लिए वहां की जनता ने और मुझे भी बुलाया गया। हमने वहां भूख हड़ताल की 6 दिन। उस समय प्रशासन ने और एस.पी. ने हमसे कमिटमेंट किया था कि यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसका नारको टैस्ट करवाएंगे तो तय हो गया, लेकिन जब बात आई नारको टैस्ट की तो जो मुलजिम था वो मुकर गया तो उसमें आप की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। जिस पर शक था उन्होंने नाम लिखाया उसका और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाद में कोर्ट में जाकर 30/2017 के द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का तो माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी जिले से बाहर जांच करवा दें, जिससे यदि वास्तव में दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो और नहीं दोषी हैं तो हम यह नहीं चाहते कि किसी को जबरदस्ती फंसाया जाए।

इसी तरह आपके करौली महिला थाने में एफआईआर नं.124/2016 महिला थाने में दर्ज हुई 11 नवंबर, 2016 को और 16.11.2016 को 164 सीआरपीसी के तहत उसके बयान दर्ज हो गये और उस समय उस पीड़िता की उम्र 15.1.1999, थी उस समय पीड़िता नाबालिग थी और उसके साथ

(श्री रमेश)

गैंग रेप हुआ। आज तक अपराधी नहीं पकड़े गये। अपराधी ऊंची अप्रोच के हैं, सरकार उनसे डरती है और भय का वातावरण बना कर राजीनामे का प्रयास कर रहे हैं और करौली जिले का पूरा वातावरण भय का बना हुआ है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ राजस्थान के विभिन्न जिलों में मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे अपराधियों के पास हथियार के लाइसेंस हैं जबकि आम आदमी अपराध कर देता तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाता, लेकिन ऊंची अप्रोच वाले हैं, बड़े अपराधी हैं तो उनके पास हथियार भी हैं, दबंग भी हैं और कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर रही है। सरकार सहमी हुई है या डरी हुई है इसलिए एक पीड़िता के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं है और ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): बस हो गयी, साहब।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। माननीय सदस्य, आप बैठें। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है।

श्री रमेश (सपोटरा): साहब, थोड़ी सी।

श्री सभापति: आपकी बात अंकित नहीं होगी अब। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, न्याय प्रशासन, पुलिस और कारागार पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं न्याय प्रशासन से प्रारंभ करता हूं। निश्चित रूप से कोर्ट की पेंडेंसी में कमी आयी है, लेकिन इस ओर एक कदम और आगे चलना चाहिए जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र में ईवनिंग कोर्ट के माध्यम से केसों की पेंडेंसी को कम किया जा रहा है, उसी तर्ज पर यहां पर भी यह कोशिश होनी चाहिए इसमें बार-बार गांव से आता है और वहां तारीख पर तारीख हो जाती है, उस पीड़िता पक्ष को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है इसलिए इस ओर कदम हमें उठाना चाहिए।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरे आहौर में आहौर उपखंड और तहसील हैडक्वार्टर है। वहां पर तीन थानें हैं और तीन थानों के लगभग तेरह सौ पचास केस जालौर एसीजेएम फर्स्ट में चलते हैं। मैंने आहौर में मुन्सिफ कोर्ट या एसीजेएम कोर्ट की मांग की है तो मुझे, और वास्तव में आवश्यकता है। 1300 केसेज जो जालौर की एक खाली कोर्ट एसीजेएम फर्स्ट में सिर्फ आहौर के ही केस चलते हैं तो या तो उस कोर्ट को यहां जालौर से आहौर में ट्रांसफर कर दीजिये। जगह और बिल्डिंग दोनों की मेरे पास उपलब्धता है।

माननीय सभापति महोदय, ये जो गृह विभाग है, वास्तव में इस विभाग का सारे राजस्थान प्रदेश के हर विभाग से डाइरेक्ट-इनडाइरेक्ट संबंध है। सरकार एक अच्छे प्रशासन, अच्छी कानून व्यवस्था देने का प्रयास करती है और उसके तहत वो पुलिस का प्रबंधन एक बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए तैयार रहती है। कमियां आती हैं और यह सदन इसके लिए ही है कि इसमें और कुछ सुधार कैसे किया जाए। इसकी एक सकारात्मक सोच का डिस्कशन होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से अभी प्रतिपक्ष के बंधु बोल रहे थे कि ये आतंकवादी और आईएसआई वास्तव में यह देखो तो इसमें कहीं न कहीं नकेल कसी है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अब आनन्दपाल वाला विषय यहां बार-बार उठता है, लेकिन आखिर जन्मदाताओं की जड़ तक तो जाना पड़ेगा न। आपके कांग्रेस के शासन में बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि भरतपुर जेल में जब वो बंदी था, 12 लाख रुपये खर्च करके उसके लिए स्पेशल जीप बनवाई आप लोगों ने। यह क्या है? उसको और मजबूत करने के लिए और अब आनन्दपाल, आनन्दपाल चिल्ला रहे हो। यह कहना ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, सुनने की ताकत रखो 12 लाख रुपये खर्च करके आप लोगों ने जीप क्यों मंगवायी थी उस आनन्दपाल जैसे अपराधी के लिए? यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। अशोक गहलोतजी की सरकार में बनी वो। उस जीप के लिए 12 लाख रुपये खर्च हुए। हम उस बात पर बिलकुल तयशुदा है, उस अपराधी को पकड़ने में अगर कहीं न कहीं देरी हो रही है तो पुलिस की निश्चित रूप से हम कमजोरी स्वीकार करते हैं।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से जवाबदेह हमारी व्यवस्था बन रही है और पुलिस के सिस्टम को मजबूत जब तक नहीं करेंगे। अब राजस्थान में हम चाहते हैं कि पर्यटन बढ़े, व्यापार बढ़े, निवेश बढ़े लेकिन इन सबके पीछे पुलिस का सिस्टम और कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा तो इन सबके लिए पुलिस को मजबूत करना जरूरी है। अब उसको मजबूत करने के लिए जो-जो भी कदम हमें उठाने चाहिए वो उठा रहे हैं। अभी जैसे मैं विस्तार से आंकड़ों में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो आपराधिक स्थिति है इसमें 2014, 2015, 2016 में सम्पूर्ण अपराधों में कमी आयी है। 2014-15 में 14.27 प्रतिशत और 2015-16 में 8.93 प्रतिशत चाहे वो हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, डकैती हो, लूट हो, बलात्कार हो, बलवा हो, नकबजनी हो, चोरी हो, एकाध में बढ़ा है लेकिन ओवरऑल हमारा जो क्राइम है वो घटा है और उसके घटने के साथ-साथ जो चालानी प्रतिशत है, वो भी हमारा बढ़ा है इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा और सबसे पहली बात अच्छी पुलिस को ट्रेंड करने के लिए आज दिन तक क्या था कि प्रदेश में ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। यह पहली बार गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश से बाहर आपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था करके बाहर भेजा और अपने लिए पुलिस की फौज तैयार की। आईपीएस, आरपीएस तो बाहर जाते ही हैं, इसमें सीआई, एसआई, एएसआई, हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इन सभी के लिये ट्रेनिंग सेंटर में जगह नहीं होने के बाद उनको बाहर ट्रेनिंग की व्यवस्था की। यह भी एक अच्छा कदम है।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग में जो बजट सुधार के लिये दिया है, 11 प्रतिशत इसमें अधिक आवंटन किया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसमें और अधिक बजट दें। वास्तव में सारे विभागों को अगर कहीं न कहीं मजबूती देता है तो वह गृह विभाग देता है। 5500 कांस्टेबल की भर्ती और उदयपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिये, जेल सुधार के लिये भी किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमें कहीं न कहीं और सुधार करना पड़ेगा

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

यह जो आदतन और संगीन अपराधी हैं इनसे सच उगलवाने के लिये थर्ड डिग्री अपनायें तो मानवाधिकार आ जाता है, कुछ पोलिटिकिल बातें भी आती हैं। उनसे सघन रूप से पूछताछ करने के लिये हमारे पुलिस अधिकारियों को कहीं न कहीं मजबूत करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो ब्लैकमेलिंग वाला चला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी राजस्थान की एसओजी की टीम को, जिन्होंने इस प्रकार के स्कैंडल पकड़े हैं और यह निश्चित रूप से बहुत ही मजबूती लायेंगे और इन अपराधों में बहुत कमी आ जायेगी। ये अपराध बंद भी होने चाहिये।

इससे ही जुड़ा हुआ विषय है 354 के हर केस में 164 के बयान करा दिये जाते हैं, वह आवश्यक है, लेकिन स्थिति को देखना चाहिये। होता यह है कि दो व्यक्तियों में आपस में बोलचाल हुई है, कोई महिला बीच में आ गई, उसके लिये 354 केस बना दिया जाता है, 164 के कोर्ट में बयान कराये जाते हैं और बाद में उसकी ब्लैकमेलिंग होती है और सांठ-गांठ होती है। इस बात पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

अपनी जो जेलें हैं इनमें 'ए' केटेगिरी की जो जेल है वह सेंट्रल जेल है। सारे अपराधियों में 10 परसेंट हार्डकोर अपराधी हैं। आपने अजमेर में हार्डकोर अपराधियों के लिये एक अलग से जेल बना दी है, पर मेरा मानना है कि इन 10 परसेंट हार्डकोर अपराधियों की संख्या मुश्किल से दो-ढाई हजार होगी, इनके लिये अलग एकदम जंगल में ऐसी जेल बनाई जाये, जहां पर कहीं पर भी मोबाइल का टावर न पकड़े। इसकी भी व्यवस्था हमें करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, सज़ा के प्रावधान में तीन लोगों की कड़ी होती है, इसमें पुलिस, न्यायपालिका और जेल, इनकी समन्वय मीटिंग के भी हमें कहीं न कहीं प्रयास करने चाहिये जिससे कैदी की मानसिकता और अपराध करने का उसका कैसा तौर-तरीका है, उस पर भी डिस्कशन हो जाता है।

हमारे जिले लेवल पर जो बड़े अपराध होते हैं उनमें बाद में गवाह बराबर गवाही नहीं दे पाता है और उसके कारण से उन अपराधियों की जमानत हो जाती है। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से महीने, दो महीने उनके पीछे

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

पड़कर उनको पकड़ती है। जिला लेवल पर ऐसा सेल होना चाहिये जिसमें गवाहों को ट्रेनिंग दी जाये, जिससे जो यह आदतन और बड़े अपराधी हैं उनको जमानत नहीं मिल पाये।

माननीय सभापति महोदय, बड़े अपराधियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में काफी कुछ किया है, लेकिन इसमें और करना पड़ेगा जो हार्डकोर अपराधी हैं उनको लाने-ले जाने के लिये पुलिस का जाब्ता आगे-पीछे रहता है। एक सीओ, एक एडिशनल एसपी, नाना प्रकार का जाब्ता साथ में रहता है। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत एक जगह से दूसरी कोर्ट में ले जाते हैं। इस चीज को बंद करने के लिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से उसके बयान कराओ। माननीय न्यायालय के कहने के बाद आपको हथकड़ी लगाने के लिये परमिशन लेनी पड़ती है, इसमें कानून बनाना चाहिये कि जैसे 302 के अपराधी हैं, बहुत बड़ी डकैती के अपराधी हैं या हार्डकोर अपराधी है उनके अगर हथकड़ी लगाने की आवश्यकता है तो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, यह उनको अधिकार मिल जाये। इससे कई बार अपराधी छूटकर चले जाते हैं।

सीकर, जयपुर, जालौर, बीकानेर की घटनाएं हुईं, अपराधी भाग गये। कहीं न कहीं हमें विचार करना पड़ेगा उस अपराधी को लाने-ले जाने के लिये, किसी जाति का अपराधी है, उसके साथ एएसआई उसी जाति का, मुंशी भी उसी जाति का, कांस्टेबल भी उसी जाति का तो फिर कहीं न कहीं गड़बड होने के चांस रहते हैं, इन बातों का भी ख्याल करना चाहिये।

सीसीटीवी कैमरे के लिये तो मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद, उन्होंने जेलों में इसके लिये काफी पैसे दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, केस आफिसर सिस्टम को और मजबूत करो। जिस भी एसएचओ के हल्के में अगर कोई अवैध धंधा बाहर की विजिलेंस ने पकड़ लिया तो उस एसएचओ के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिये, उसकी जवाबदेही होनी चाहिये चाहे वह शराब तस्करी हो या अन्य कोई भी अवैध धंधा हो।

अभी माननीय सदस्यों के साइबर क्राइम के बारे में भी कहा। इसमें हमारे पुलिस थानों में जो कांस्टेबल लगा रहे हो, उनमें कंप्यूटर एक्सपर्ट भी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

होना चाहिये। हर थाने में कम से कम दो तीन ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट कांस्टेबल रहे जिससे आने वाले साइबर क्राइम में तुरंत कार्यवाही कर सकें। हमारे मारवाड़ में चिटफंड और क्रेडिट सोसाइटीज के घपले आजकल बहुत चल रहे हैं। इस पर भी कहीं न कहीं लगाम कसने की आवश्यकता है।

अनुसंधान अधिकारी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि छोटे-मोटे अपराध जैसे नकबजनी है। उसमें एक एसएचओ का चित्तौड़ में पदस्थापन है और उसका ट्रांसफर हो गया जैसलमेर, पेशी के लिये उसको वापस चित्तौड़ आना पड़ता है, उसका भी कहीं न कहीं रास्ता निकालो। या तो कुछ अपराधों में चालान के साथ आईओ के बयान कोर्ट में हो जाये, ऐसा कोई सिस्टम कोर्ट के साथ बैठकर तैयार करना चाहिये। इसमें पैसों की भी बहुत हानि होती है और समय भी बिगड़ता है। जो आईओ 10 साल बाद पेशी पर जायेगा, वह वहां फाइल देखेगा, दस लोगों से पूछेगा, याद करेगा, अगर चालान के समय आईओ के कोर्ट में बयान हो जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे केसों का निस्तारण भी बहुत जल्दी होगा।

माननीय सभापति महोदय, चोरी का जो माल पकड़ा जाता है, जैसे किसी गांव में 8-10 चोरियां हुईं। चोरी करने वाली टीम कहीं न कहीं सुनार से संबंधित होती है। वह सुनार और चोर मिलकर यह सारा विषय करते हैं। पुलिस की दौड़-भाग से सुनार पकड़ में आते हैं। चोर भी पकड़ में आते हैं, अगर माल सोना है तो जेवरात के बदले वह गलाकर सोना दे देता है। अब आप बताओ कि वह माल पीड़ित पक्ष को जायेगा क्या? नहीं जा सकता है इसलिए कोई न कोई सिस्टम बनाओ कि सुनार के पास माल पकड़ा है तो जिस पीड़ित पक्ष के घर में चोरी हुई है, उस रेशो में उनके पास कैसे माल पहुंचे? इसका भी कोई न कोई निस्तारण करने का तरीका देखिए।

माननीय सभापति महोदय, न्यूज और मीडिया के सामने.. मान लो अभी अपराधियों को पकड़ा है और अनुसंधान प्रारंभ है और मीडिया के सामने सारी चीज बोल देते हैं कि सी.सी.टी.वी. कैमरे थे, वे तो नकाब पहने हुए थे। बाहर के प्रदेशों में इन चीजों को अनुसंधान के समय तक, जब तक वे सारे अपराध साबित नहीं होते तब तक उनको पूरा बंद रखा जाता है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

मीडिया के सामने आपके अधिकारी आकर सारी चीजें, कैसे हुआ, क्या हुआ? उससे क्या होता है कि जो अपराधी हैं और उसके साथ के दो लोग सचेत हो जाएंगे। इसलिए मीडिया के सामने कम-से-कम आएं और आना है तो जितना बताना है उतना ही बतायें। यह ऐसे ही बैठे-बैठे एक विचार आया कि मीडिया के सामने जैसे ही अधिकारी आए..

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान की पुलिस अपने आपमें मजबूत है। नफरी कम है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यदि बजट बढ़ेगा तो नफरी बढ़ेगी। लेकिन जो ड्रेस कोड है, उसकी भी कोई आचार संहिता बनी हुई है। अगर अधिकारी बैल्ट लगाएगा तो सर पर कैप होना जरूरी है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अधिकारी बैल्ट लगाए हुए है और सर पर कैप नहीं हैं तो उससे ड्रेस का अनुशासन गड़बड़ होता है। इसलिए ड्रेस की जो आचार संहिता बनी हुई है, उसका ध्यान रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस दो मिनट। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल या उनके नीचे के स्टाफ के लिए कोई-न-कोई प्रस्ताव लेकर, चाहे उनके लिए मैस भत्ता हो, वह बढ़ाइए। अब आपके यहां पर पचास रुपए साइकिल भत्ता, यह क्या होता है? साइकिल कौन कांस्टेबल यूज करता है? उनके पास तो मोटरसाइकिल रहती है तो उस पचास रुपए साइकिल भत्ते की जगह दौ सौ रुपए मोटर साइकिल भत्ता कर दो पैट्रोल के लिए। काम तो आएगा, काम तो करेगा। मतलब यह टैक्निकल फाल्ट है कि आप साइकिल भत्ते के नाम से पचास रुपए दे रहे हो। बताओ उनके पास साइकिल है या नहीं? नहीं है, साइकिल। इसको बढ़ाकर दो सौ रुपए कर दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बातें बहुत संगीन हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी सारी बात दो मिनट में पूरी कर दें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): डेढ़ मिनट में। माननीय सभापति महोदय, कुछ बड़े अपराध के पीछे अपने पुलिस अधिकारी भी कहीं न कहीं ब्लैकमेल कर लेते हैं। जैसे लाडनूं-सुजानगढ़ में पैट्रोल पंप की लूट हुई। उसमें चार-चार शहर बंद हो जाते हैं। मतलब, पैट्रोल पंप की लूट वाला यदि अपनी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

रिपोर्ट थाने में लिखाने जाता है और थाने में ए.एस.आई. बैठा हुआ है, फिर भी वह एक घंटे तक खड़ा रहता है। ए.एस.आई. अपने सी.आई. से बात करता है। सी.आई. कहता है कि इनको पकड़कर मारो और उनको अंदर डाल देता है तो यह तो गड़बड़ है। यदि मान लो वह पैट्रोल पंप की लूट वाला व्यापारी सही नहीं होता तो उसके पक्ष में चार-चार बड़े कस्बे बंद नहीं होते। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं पुलिस भी..

वहां पर ऐसी बातें आती हैं कि यह तो आनंदपाल को पकड़ने वाला है, इसलिए इसको छूट है। नहीं, ये गलत है। 'अपराधियों में डर होना चाहिए, लेकिन आम जन में विश्वास भी होना चाहिए', यह पुलिस ने तैयार किया, इसमें कोई कमी नहीं आए।

सभापति महोदय, एक विषय और है। आज से डेढ़ वर्ष पहले बहुत ही संगीन अपराध मारवाड़ की धरती पर हुआ। पहले तो मैं अपने जालौर जिले में.. मतलब यह कि ब्लाइंड मर्डर। उन्होंने ऐसे-ऐसे अपराधों को दक्षिण भारत में जाकर सुलझाया है, इसलिए मैं, मेरे जिले की पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा।

जी.आर.पी. के साथ भी अपन कहीं न कहीं अन्याय कर रहे हैं। आज जी.आर.पी. के साथ, ए.एस.आई. का थाना और हर एक जगह मुंशी है। उनके पास वॉकीटाकी नहीं है। आर.पी.एफ. के पास वॉकीटॉकी है, आपके जी.आर.पी. के पास वॉकीटॉकी नहीं है तो उनका भी कहीं न कहीं सुधार करो और जी.आर.पी. के जो बोर्डर के थाने हैं, वे सी.आई. रैंक होने चाहिए। वहां से ही अपराधी अंदर आता है। ट्रेन के माध्यम से भी अपराधी अंदर आता है, इसलिए उनका भी आप कोई न कोई सुधार करिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में एस.ओ.जी. ने ब्लैकमेलिंग वाला मामला सुलझाया है, लड़कियों के स्कैण्डल वाला। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि डेढ़ वर्ष पहले की बात है। यहां से तीन लड़कियां चलती हैं और रानीवाड़ा बड़गांव के पास जाती हैं। उनमें से एक लड़की वहां एक दुकानदार से कहती है कि मैं पीछे रह गई हूं, मेरे पास किराया नहीं है और वह उस दुकानदार से किराया लेकर जाती है। फिर उसको तीन दिन बाद फोन करती है कि मेरे लोग मिल गए हैं। आप

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

अपने पैसे ले जाओ। वह दुकानदार आबूरोड़ जाता है। वे एक होटल में चाय-पानी व नाश्ता करते हैं। (व्यवधान) एक मिनट। संगीन अपराध है। अपराध है, सुनिए तो सही। ऐसा थोड़े ही चलेगा। ऐसा नहीं। माननीय सचेतक महोदय एक बार सुनिए। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा संगीन अपराध है। वे लड़कियां फिर कहती हैं कि पालनपुर के रास्ते पर छोड़ दो। छोड़ने के बाद वे बनीपार्क थाने में जीरो नंबर की कम्पलेन लिखवाती है और उस जीरो नंबर की कम्पलेन के बाद वह केस आबूरोड़ जाता है। रानीवाड़ा एस.एच.ओ. तीन लोगों को पकड़ता है, दो लोगों को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद एक व्यक्ति को चार दिन बिना रिपोर्ट के वहां पर बिठाया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि जयपुर जाओ और इस वकील से मिलो और समझौता कर लो। वह समझौता करता है और बाद में 164 में वे लड़कियां बयान देती हैं कि हमारे साथ में ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है और उस व्यापारी से तीस से चालीस लाख रुपए का लेनदेन करके 164 का बयान देती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। श्री रामलाल शर्मा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सभापति: अब आपकी बात अंकित नहीं होगी। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है। श्री रामलाल शर्मा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सभापति: अब आपकी बात अंकित नहीं होगी। माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें। श्री रामलाल शर्मा। अंकित नहीं होगी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सभापति: अब आपकी बात अंकित नहीं होगी। आप बैठें। माननीय सदस्य, आप बैठें। श्री रामलाल शर्मा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, न्याय, प्रशासन, पुलिस और कारागार की मांग संख्या 16 और 17 के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। कई माननीय सदस्यों के नाम अपनी बात रखने के लिए सूची में हैं। आप दस मिनट में, आपको जो भी बात कहनी है। मैं पहले से आपका समय निर्धारित कर देता हूं। आप दस मिनट में अपनी पूरी बात कर दें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैंने कौनसा अन्याय किया है, जो दस मिनट के लिए बाँध रहे हो?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): एक निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अच्छे सुझाव हैं तो देने चाहिए। नई बात भी कहनी चाहिए, पर अपने-अपने क्षेत्र की कहानी कहेंगे कि वह एफ.आई.आर. दर्ज हुई, उसमें हुआ.. यों तो कहते ही जाएंगे। सभापति महोदय, ऐसे तो आप एक-एक सदस्य को आधा घंटा क्या एक घंटा भी दोगे तो भी कम पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना रिपीटेशन के अपनी नई बात जो कहना चाहे, वह कह दें।

श्री सभापति: आसन ने दस मिनट का समय निर्धारित कर दिया है। दस मिनट के बाद उनकी बात अंकित नहीं होगी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, अगर समय-सीमा में बाँध रहे हो तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे आज मांग संख्या 6, 16 और 17 पर अपनी बात कहने का मौका दिया। हमारे सामने वाले कांग्रेस के लोग हैं, वे बहुत ज्यादा परेशानी और दु:ख अनुभव कर रहे हैं कि यह हो गया, वह हो गया हमारी सदस्या को लेकर। वह तो एक छोटी-सी बात थी। पूरे सदन को विश्वास है कि हमारे गृहमंत्री उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो भी उसमें होगा, अच्छी कार्यवाही उसमें भी हो जाएगी। ये अपनी बात को भूल जाते हैं कि पिछली बार हम जब विपक्ष में थे, कांग्रेस के एमएलए नाथूराम सिनोदिया थे, उनके बेटे को अपहरण करके भूमाफियाओ ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया और वह उस पर कुछ नहीं कर पाए थे। हमने देखा था, उनको वहां खड़े होकर रोते हुए। सब लोग यहां थे। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं

(श्रीमती अनीता)

दिया। अब बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए बन रहे हैं। मैं तो इनके लिए एक ही बात कहना चाहती हूं।

शुक्र गुजार हूं आईना बनाने वालों का,
जिसने भ्रम तोड़ा है खुद को खुदा मानने वालों का।
जब भी सवार हो भूत, घमण्ड, हिंसा का तुझ पर,
देख लेना आईना एक बार, अपने अक्स को निहार लेना।

सभापति महोदय, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय है, इसीलिए अपराध रोकने, पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने, अपराधियों के विरुद्ध आयोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राज्य सरकार की है। मैं बड़े गर्व के साथ आज इस सदन में कह सकती हूं कि वसुंधरा जी सरकार के तीन वर्ष सफल रहे हैं। इन तीन वर्षों में अपराध रोकने, कम करने में हमारी सरकार बहुत ज्यादा सफल हुई है।

आप आंकड़ों की भी बात करेंगे तो भी मैं इस बात को कह सकती हूं कि हमारे भरतपुर के अंदर ही, चोरी के अपराध 2014 में 1579 हुए। 2015 में 1419, वह घटकर दिसम्बर, 2016 तक 1256 हुए। निश्चित रूप से चोरी में कमी आई।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): आपके यहां सब ठीक है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनीता (नगर): बिलकुल बंद हो गई साहब, सब लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी-अच्छी नौकरी कर रहे हैं।

बलात्कार 2015 में 244 थे, दिसम्बर 2016 में घटकर 186 हो गए। हत्या के मुक़दमे 2014 में 99 दर्ज हुए, 2015 में 86 हुए, 2016 में 92 के करीब दर्ज हुए। 2014-15 व 2016 में जाएंगे तो उनमें भी घटते हुए नीचे आ रहे हैं। डकैती का वैसा ही है। 2015 में 2 हुई, 2016 में 3 हुई। लूट 2014 में 29 हुई थी, 2015 में 27 हुई और 2016 में 19 हुई। टोटल भी आप देखेंगे तो ये अपराध घटते हुए स्तर पर है। जितनी निरोधात्मक कार्यवाही की, पुलिस अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम दे सकती है।

(श्रीमती अनीता)

जो कर सकती है, अपराधियों में भय का वातावरण पैदा कर सकती है। उनको यह लगे कि यहां पर अपराध नहीं किए जा सकते हैं और अपराधी क्षेत्रों को छोड़कर और जगह चले जाते हैं। यहां अपराध कम करने की बात है। मैं मुक्त कंठ से इस सदन के द्वारा हमारे गृह मंत्री और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री को बहुत बधाई देना चाहती हूं।

अगर किसी भी विकासशील प्रदेश की हम बात करें, हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़े तो विकास के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कानून व्यवस्था की मजबूती। कानून व्यवस्था की मजबूती जहां पर होती है, शांति व्यवस्था जहां पर होती है, वही प्रदेश आगे बढ़कर विकास की ओर अग्रसर होता है, जैसे हमारी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है।

मैं कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में हमारे प्रदेश में महिलाएं बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। देश को आजाद हुए चाहे 68 साल हो गए हों लेकिन महिलाएं आज अपने आपको स्वतंत्र महसूस करती हैं, महफूज महसूस करती हैं। वह इसलिए करती हैं कि पढ़ने या नौकरी करने के लिए उनको बड़े शहर में जाना पड़े या दूसरी जगह उनको परिवार से अलग रहना पड़े तो आज वह स्वतंत्र रूप से रह भी सकती है, महफूज रह सकती है कि आज कानून उनके साथ है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, इससे उनके मन में आत्मविश्वास है कि आज हम आत्मविश्वास के साथ अपने प्रदेश में कहीं भी पढ़ने जा सकते हैं, नौकरी के लिए जा सकते हैं। और भी किसी काम के लिए जाना है तो महफूज होकर वह सब जगह चली जाती हैं।

किसी भी देश या प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजस्थान प्रदेश में भी पुलिस इसी व्यवस्था को बेखूबी संभाल रही है।

(16.25 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

पूरे प्रदेश के अपराधों की बात करें तो उसमें 15 प्रतिशत तक अपराध रोकने के लिए आज हमारी सरकार कामयाब हुई है। कांग्रेस की सरकार में

(श्रीमती अनीता)

प्रदेश की जनता अपने आपको अपराधियों से घिरी हुई महसूस करती थी। हत्या, लूट हो, चाहे महिलाओं से ज्यादती के मामले हों, कांग्रेस सरकार इसमें नाकामयाब थी। वहीं हमारी सरकार ने इसमें बहुत अच्छी रोकथाम की है और लोगों में विश्वास हासिल करने में कामयाब रही है।

आज भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली में बहुत सुधार कर दिया आपने। शहरों के गली-मौहल्ले, चौराहे कैमरे की नजर में होते हैं। वहां सब लोगों को रहता है कि हम कैमरे की नजर में है। अपराधियों में भय रहता है हमारी रिकार्डिंग हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कर भी लिया तो पुलिस तुरंत पकड़ लेगी और बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए भय के कारण वे नहीं करते हैं। महिलाएं प्रदेश में बेखौफ होकर घर लौटती हैं। रात हो, दिन हो, महिलाएं अपने काम के लिए आ जा सकती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वे सुरक्षित रहें, इसके लिए बहुत सारे नवाचार किए हैं। अभी एक वुमन पुलिस स्टेशन खोला। पहले महिला थाना जयपुर पूर्व के अंदर था उसको एक और वुमन पुलिस स्टेशन में परिवर्तित किया गया है और एक नया रूप दिया गया है। इस थाने का पूरा स्टाफ, महिला पुलिसकर्मी हैं। पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनी जाएगी। उसका समाधान करने के लिए उनको बहुत सुविधा है। यह सातों दिन, चौबीस घंटे लगातर काम करता है। किसी महिला को कोई आवश्यकता पड़े तो वह सुविधा केन्द्र के रूप में वहां जाकर अपनी परेशानी का अंत कर सकती है, समाधान कर सकती है।

इसी थाना परिसर में एक स्नेह आँगन लगाया है जो “One-stop Crisis Management for Children" सेंटर भी संचालित होता है जिसमें बाल श्रम से जो बच्चे पकड़े जाते हैं, घरेलू हिंसा के है, भिक्षावृति से है, देहशोषण से, घर से भागे हुए बच्चे रहते हैं, उनके पुनर्वास की योजना भी सरकार ने शुरू की है। जो यह बताती है कि यह सरकार कितनी संवदेनशील है महिलाओं व बच्चों के लिए। अपने आपमें यह एक मील का पत्थर है।

हमारी सरकार ने एक विशेष महिला पुलिस दल का भी गठन किया है।

(श्रीमती अनीता)

सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसलिए महिलाओं का एक सुरक्षा दल बनाया जो इन चीजों पर ध्यान देता है।

महिलाओं की समस्याएं आती हैं जैसे छेड़छाड़, फोन पर परेशान करना, गुपचुप उनका पीछा करना, फेसबुक, ट्विटर पर परेशान करना, अश्लील हरकत करना, इन सबके खिलाफ इस सरकार ने निरोधात्मक तथा प्रभावी कार्यवाही आज तक की है। "राज महिला सुरक्षा एप" हमारी सरकार ने बनाया है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस एप में मुसीबत के समय महिला अगर पैनिक बटन को दबा देती है तो उस बटन के द्वारा उसके परिवार, उसके संबंधी हैं, उनके पास में लगने वाला पुलिस थाना है वहां पर उसका मैसेज चला जाता है, महिला मुसीबत में होती है तो उसकी सहायता के लिए वे लोग वहां पर पहुंच सकते हैं।

महिलाओं के साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि वृद्धजन हैल्प लाइन, यह भी बहुत अच्छा नवाचार हमारी सरकार ने शुरू किया है। इस हैल्प लाइन के जरिए पुलिस वृद्धजनों की सहायता करती है, उनको सुरक्षा के साथ-साथ यह अहसास करवाती है। जो वृद्ध अकेले रहते हैं, उनके बच्चे दूर विदेश में या कहीं नौकरी के लिए, कमाने के लिए गए हैं, वह उनको नहीं कह सकते तो पुलिस उन लोगों का ध्यान रखती है। ऐसी ही एक काउंसिल की व्यवस्था सरकार ने की है जो मैं समझती हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है जिससे हमारे वृद्धजन बहुत अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। सभापति महोदय, आप जब बोलते हैं तब टाइम नहीं देखते, और मुझे टाइम दिखा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जो सोशल मीडिया है, आज हर उम्र और वर्ग के लोगों का सोशल मीडिया से झुकाव और जुड़ाव देखा गया है। झुकाव और जुड़ाव है तो इसको भी सरकार ने एक ऐसे एप के रूप में, नवाचार के रूप में एक्सेप्ट किया है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, समस्या है और थाने पर जाकर वह नहीं कह सकता है या अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो फेस बुक और ट्विटर के द्वारा भी वह अपनी बात को पहुंचा सकता है। यह एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूं कि हमारी सरकार का, आज के युग में, तकनीकी युग में समाधान है, अपराधों

(श्रीमती अनीता)

को रोकने का। इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आमजन अपने सुझाव भी दे सकते हैं और शिकायत की कार्यवाही भी इसमें निश्चित रूप से कर सकते हैं।

निश्चित रूप से यह सही है कि हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति क्राइम में इन तीन वर्षों में जो कमी आई है, उसके बारे में सभापति महोदय, मैं आपको आवश्यक रूप से बताऊंगी कि दहेज के लिये जो हत्याएं होती थीं, उन दहेज की हत्याओं में भी कमी अब आई है। जो दहेज के लिये सुसाइड हो जाता था महिलाओं का, उसमें भी बहुत आमूलचूल कमी आई है। दहेज प्रकरण 498 में दर्ज होते थे, उसमें भी कमी आई है कि 2014 में 15905 थे, जो घटकर अब 2016 के अन्दर 13811 आ गये हैं। मैं समझती हूं कि हमारे यहां पर सरकार अच्छी है, सरकार होने का जो फायदा है, जिस सरकार को जनता चुनती है कि हम ऐसी सरकार चुनें, जिससे हमारे को सुरक्षा मिले और हमारी प्रगति हो, यह ऐसी सरकार वसुन्धराजी के राज में चल रही है।

हमारे बहुत सारे कांग्रेस के लोग बहुत सारी बातें उठाते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि रेप के भी जो मामले थे, जो 2014 में 3760 थे, वे अब घटकर 3656 हो गये। ये भी अपने आपमें बहुत नीचे गिरकर आये हैं। मोलेस्टेशन का भी यही है, किडनैपिंग का भी है, टोटल में भी हम मानें तो यह समझते हैं कि कम से कम 12 प्रतिशत महिलाओं के अपराधों में हमारी सरकार उनको रोकने और उनको न्याय दिलाने में कामयाब हुई है। यह बहुत बड़ी हमारी एक बात है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहती हूं कि गृह मंत्री महोदय, हमारे यहां पर आपने, जब हम विपक्ष में थे, हम बहुत ज्यादा हल्ला मचाते थे कि हमारे यहां पर हर रोज गोकशी होती है और, गांव वाले सामने आकर, रोज झगड़े करते हैं, रोज एफ.आई.आर. दर्ज होती हैं। आज मैं इस बहस के माध्यम से हमारे गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने हमारे यहां पर छह रक्षा चौकी मंजूर की हैं। आज मैं इस बात को गर्व से कह सकती हूं कि हमारे यहां पर गोकशी की जो वारदातें थीं, वह न्यूनतम पर आ गई हैं क्योंकि लोग मानते तो नहीं हैं,

(श्रीमती अनीता)

जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन न्यूनतम पर वे आ गयीं। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मेवात क्षेत्र में रहते हैं। हमारे वहां पर इतने तरीके के क्राइम्स होते हैं कि अपने आपमें उनकी एक कहानी-सी बन जाती है। लोग उसको सुनते हैं कि यह क्राइम कैसे हुआ तो उसका अपना रहता है। **(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)**

लेकिन हमारे पूरे शहर में, पूरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने मेरे कोटे से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये। वह भी अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस को मिल रही है। मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहती थी कि हमारे यहां पर जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं और जो परमेशचन्द्रजी की कमेटी है, उस कमेटी में भी नगर को सी.ओ. सर्किल विचाराधीन है, क्योंकि वह सारे नोर्म्स जो आपकी कमेटी के हैं उसको पूरा करता है इसलिये मैं बिलकुल यह चाहूंगी कि अगर परमेशचन्द्रजी की कमेटी की रिपोर्ट आ गई हो तो आज आप सी.ओ. सर्किल, नगर में खोलने की यहां पर घोषणा करेंगे। इससे पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा इसका एक मैसेज चला जायेगा।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनीता (नगर): बस, दो ही बातें कहना चाहती हूं सभापति महोदय।

श्री सभापति: कह दीं।

श्रीमती अनीता (नगर): मैं आपका, चेयर का बहुत आदर करती हूं। दो ही मिनट लूंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो वुमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं। वुमन ट्रैफिकिंग का इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि पुलिस में कोई बात पहुंच भी जाती है, कोई चली भी जाती है तो वह घर में बैठ करके, पैसे से और आर्थिक रूप से दबा करके उसको रोकने का काम करते हैं। मैं आपके ध्यान में डालना चाहती हूं कि हमारे यहां पर जो वुमन ट्रैफिकिंग का काम है, वह एक सेमला गांव है, उसके अन्दर हो रहा है। आप अगर नोट कर लेंगे और पुलिस से कहेंगे तो उनके विषय में काम हो जाएगा। वह रुकना

(श्रीमती अनीता)

चाहिये क्योंकि पूरे देश भर की महिलाओं को वे ला रहे हैं और जिस तरीके से वे व्यापार कर रहे हैं, वह भी अपने आपमें बहुत शर्म का विषय है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि नगर शहर में जो हमारा लड़कियों का स्कूल है, कन्या सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, वहां पर आसपास में बहुत सारे मनचले युवक, अक्सर स्कूल टाइम में आते-जाते हैं और वहां खड़े रहते हैं। उनके लिये भी कोई विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। पुलिस जाती है लेकिन जब हमने कह दिया या शिकायत कर दी, तब गये। नियमित रूप से इस बात को देखना चाहिये कि लड़कियां अगर वहां पढ़ने के लिये आ-जा रही हैं तो वहां पर उनके खिलाफ नियमित रूप से कोई ऐसी कार्यवाही होनी चाहिये जो उनको रोक सके।

श्री सभापति: अब तो हो गया आपका?

श्रीमती अनीता (नगर): बिलकुल। सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि डीग जेल के अन्दर हमारे मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा रिनोवेशन करा के लाखों रुपये वहां पर लगाये। वहां बहुत अच्छा काम हुआ। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुखरामजी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 06, 16, 17 पर आपने बोलने का समय दिया, आपको धन्यवाद।

अपराध आदमी के मन और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विषय है। आदमी के अन्दर, सुर और असुर, दोनों तरह की वृत्ति रहती है। आदमी के संस्कार ठीक हों, रहन-सहन ठीक हो, वातावरण ठीक हो और पोजिटिव विचार सदैव दिमाग में आते रहें, वह कभी अपराध की तरफ नहीं बढ़ता है। अगर उसका रहन-सहन ठीक नहीं है, उसमें संस्कार नहीं हैं, विशेषकर शिक्षा से ही संस्कार की वृत्ति होती है, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं हैं और संस्कारित स्त्री-पुरुष तैयार नहीं होंगे, अपराध पर कण्ट्रोल नहीं होगा।

"संस्कार सूं जुड़ी नहीं जिण शिक्षा रो रूप
वा विद्‌या कण विद करे, उत्तम गुणियो स्वरूप"

(श्री सुखराम विश्नोई)

गुणवान स्त्री-पुरुष तैयार नहीं हो सकते, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, आदमी की संगत सही नहीं है और वह आदमी पढ़ा-लिखा नहीं है तो परिवार से फ्रस्ट्रैट हो करके वह अपराध की तरफ बढ़ता है। सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि अपराध कठोर दण्ड से नहीं रुकता है। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो अरब कण्ट्रीज हैं, उसमें आदमी के बदले आदमी, आदमी मारा है तुझे फांसी होगी, हाथ के कटे हाथ, आँख फोड़ दी तो आँख के बदले आँख, तो भी अपराध नहीं रुकते हैं। जब तक समझ पैदा नहीं होगी, और समझ शिक्षा से पैदा होगी।

हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं, जैन धर्म से हैं, 'अहिंसा परमो धर्मः' और स्वभाव से ही बिलकुल अहिंसक हैं। हम कभी उनसे मिलते हैं किसी बात को ले करके, मैं इनके मुंह पर बड़ाई नहीं करना चाहूंगा, बिलकुल सही बात कहने वाले हैं परन्तु माननीय सभापति महोदय, सही आदमी की नीचे कम चलती है। सही आदमी होता है, वह नीचे का जो सिस्टम बना हुआ है, वह सिस्टम किस तरह का बना हुआ, माननीय सभापति महोदय, आज मैं खुले तौर से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे पुलिस अधीक्षक लगाये हुए हैं, सभी ने बंधी ले रखी है। जरूर कहना है। मेरे जालौर में पहले एस.पी. थे, मतलब एक तस्कर ने हरियाणा में मकान दिया, उसने मकान ले लिया। तमाम लोग, छोटे से लगा करके, एस.पी., डिप्टी, थानेदार जो आते हैं, करीब-करीब किसान वर्ग से आते हैं, छोटे तबके से आते हैं। उनके पिताजी का स्तर देखा जाये तो उनके पास क्या सम्पत्ति थी? आज जो डी.जी. बने हैं, आई.जी. बने हैं, एस.पी. बने हैं, उनका स्तर आज देखा जाये, कितनी प्रोपर्टी उन्होंने कमाई है, कितना धन कमाया है? मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दो तरीके से पुलिस कमजोर हुई है। एक तो राजनेताओं के प्रभाव से, टेलीफोन करते हैं, उनकी नियुक्ति करवाते हैं। पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, तब तक पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ेगा।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जो आर्थिक लालच में आते हैं। लालच में अधिकारी नहीं आयें, तब जाकर आगे बढ़ाये जायें। जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाये। चाणक्य के पास एक आगंतुक गया, मेहमान

(श्री सुखराम विश्नोई)

गया। चाणक्य ने वह दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया। उसने पूछा कि दूसरा दीपक जलाने का क्या तात्पर्य है। यह तो राजा का दीपक है, यह मेरे खुद का दीपक है। इतनी ईमानदारी अपनी पुलिस में जायेगी, और वह जायेगी उनको संस्कार देने में, उनकी स्पेशल क्लासेज लगाने से, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक मन नहीं मानता है। बाकी, आप 70 साल का इतिहास उठाकर देख लो, जिन्होंने राजनीति में अनैतिक तरीके से पैसे कमाये, चाहे अधिकारी के तौर पर पैसे कमाये, उनका परिवार देख लो, उनके लड़के देख लो, उनकी स्थिति देख लो, उनका बुढ़ापा देख लो। कल अख़बार में पढ़ा, मतलब कई लोग आश्रम में बैठे हैं। उनका पूरा परिवार बैठा है और वे आश्रम में बैठे हैं। यह स्थिति बनी हुई है इसलिये जो अनैतिक रूप से पैसा कमाते हैं, उनका हश्र गलत तरीके से होता है। कबीर दासजी ने एक दोहा कहा है कि- कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भये उदास। जो ईमानदारी से रह कर जो अधिकारी, राजनेता जो भी ईमानदारी से सेवा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे उनका परिवार आगे बढ़ेगा, उनमें कोई तकलीफ नहीं आएगी और आराम से नींद ले पाएंगे तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत कि जो भी अधिकारी हैं, आज आप ईमानदारी की बात करते हो, एक पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर हम कहते हैं तो मुझे गनमैन नहीं मिलता परंतु एस.पी. के पास दस-दस है। एक कुत्ता नहला रहा है, एक गाय को साफ कर रहा है, गाय का दूध दुह रहा है, एक सब्जी लेने जा रहा है, एक बूट पॉलिश कर रहा है, एक सफाई कर रहा है, यह हालात बने हुए हैं। एक कांस्टेबल का मोरल होता है और उस आदमी से आप बूट पॉलिश करवाओ, उस आदमी को कुत्ता घुमाने के लिए ले जाओ, वह गाय दुहता है, वह सब्जी लेने जाता कांस्टेबल तो कम से कम इतनी जब तनख्वाह मिलती है तो अपने खुद के पैसों से खुद काम करना चाहिए। महात्मा गांधी खुद काम कर सकते हैं तो एक पुलिस का अधिकारी, दूसरे अधिकारी खुद काम करेंगे, इतनी ईमानदारी उनके जीवन में होगी, तब ही जाकर अपनी पुलिस ईमानदार होगी। अकेले गृह मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक अधिकारी ईमानदारी का झंडा लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, इतनी मादक पदार्थों की तस्करी होती है, चाहे दारू की ले लो, चरस की ले लो, भाँग की ले लो, गांजा की ले लो, स्मैक की ले लो, तमाम चीज होती हैं लेकिन एस.पी. ठान ले, डी.जी. ठान ले कि मेरे यहां कोई नहीं जाएगा, कौन अड़ता है? कौन ट्रक लेकर जाएगा? बंधी होती है बाकायदा। एक तस्कर एस.पी. से बैठकर बात करता है, फिर किस तरह का मोरल रहा है? माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक इन चीजों को जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, मोरलिटी का, एक नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे तब जाकर, आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ बिलकुल ही मतलब, जो गलती करेंगे वह गलती कबूल करेंगे। यहां पर गलती भी कर लेंगे और कबूल भी नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ अपराध कम हुए हैं। अपराध कम होने के कई कारण हैं। मान लीजिए जैसे हत्या के मामले कम हुए हैं, दूसरे कई कम हुए हैं परंतु कुछ अपराध बढ़े भी हैं और वह अपराध बढ़े हैं तो सामाजिक पतन, नैतिकता कम होने से बढ़े हैं। जैसे मान लीजिए दहेज का मामला है, दहेज में 2014 में अपराध कम थे, 408 थे, अब 463 हो गये। बलात्कार के अपराध 2014 में 3759 थे तो मतलब, यह आज तक दिसम्बर तक 3744 हो गये। जुआ के अपराध बढ़े हैं। जो दिमागी अपराध है, दिमाग जो खुराफाती है, खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है, ऐसे अपराध बढ़े हैं। साइबर अपराध बढ़े हैं। लूट के अपराध बढ़े हैं। चीटिंग के अपराध बढ़े हैं। गृह मंत्रीजी, ये अपराध इसलिए बढ़े हैं कि आदमी खाली है, आदमी के पास काम नहीं है। जब आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, तो या तो वह चोरी करेगा, बलात्कार करेगा या दूसरी घटनाएं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जो सिस्टम है, इनमें जो केस दर्ज हुए हैं, उनको निस्तारण का जो सिस्टम है, वह भी हत्या के मामले में चालान, 1551 हत्याएं हुईं माननीय गृह मंत्रीजी, चालान चार्जशीटेड 875 ही हुए। लूट 970 हुई, यह 540 हुए। नकबजनी 530 हुई, मतलब 5301 हुई और उसमें 1500 हुई और चोरी, चोरी के अंदर तो महत्वपूर्ण मामला है, माननीय सभापति महोदय, चोरी का मुकदमा दर्ज होता है तो

(श्री सुखराम विश्नोई)
कई बार हमें थाने में टेलीफोन करना पड़ता है। मोटर-साइकिल चोरी हो गयी या इसके घर में चोरी हो गयी, आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते हो? सीधा सी.आई. कहता है कि साहब, चोरी में बरामदगी नहीं होती है, हमारे ऊपर से आदेश आता है इसलिए चोरी का मुकदमा दर्ज मत करो।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि 2 अरब 38 करोड़ 75 हजार रुपये की चोरी हुई उसमें बरामद हुई सिर्फ 1 अरब 37 करोड़ 5 हजार रुपये की, इसका मतलब नकबजनी, वह नकबजनी लूट के अंदर चोरी का अनुपात, बरामदगी का अनुपात कम रहा है। कम इसलिए रहा है कि पुलिस मुस्तैद नहीं है। न तो रात्रि को गश्त करती है क्योंकि रात को गश्त करे सिटी के अंदर तो चोरी, लूट, डकैती हो नहीं सकती। गश्त कम करती है और गश्त कम करने से, मोनिटरिंग नहीं होने से ज्यादा चोरियां हुईं।

एस.सी. एस.टी. का मामला है माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि कई लोग बहला-फुसलाकर एस.सी. एस.टी. के मुकदमे करवा देते हैं परंतु एस.सी. एस.टी. के हाल ही जो मुकदमे दर्ज हुए, पूरे प्रदेश में 158 हुए हैं, उसमें एक सोचने का विषय है कि केवल मात्र 39 केसों में चालान हुआ, बाकी में चालान नहीं हुआ और एस.सी. एस.टी. में बलात्कार की घटनाएं भी ज्यादा हुई हैं। उसमें भी चार्जशीट भी कम हुई है तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे मादक पदार्थों के हों, चाहे अवैध शराब का हो, जब तक जो पुलिस का कप्तान है जिले का, वह सख्त नहीं होगा, वह ईमानदार नहीं होगा तब तक, गृह मंत्रीजी, मेरी मंशा है, हम चाहते हैं कि आप एकदम सभी को ईमानदार नहीं कर सकते, कोई जादू की छड़ी नहीं है परंतु जो भी पुलिस में आए, उसका परिवार, उसका चरित्र, मेरा मतलब उसका समाज का आधार, तब जाकर उसको अपाइंटमेंट दिया जाए कि आप ईमानदारी से काम करोगे, तब ही जाकर आगे बढ़ पाओगे।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत निवेदन है कि जो बच्चे हैं, जो बाल अपराधी हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, कई बाल अपराधी संप्रेषण गृह से भागे हैं परंतु बच्चे छोटे होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, वहां का अधीक्षक

(श्री सुखराम विश्नोई)

होता है, वहाँ का कर्मचारी होता, वहां का जो केयरटेकर होता है, उसको भी पूरी जानकारी होती है, फिर भी ईंटें तोड़कर छोटे बच्चे भागते जाते हैं। सुधरने के लिए तो उस गृह में आते हैं और वहां दीवार तोड़कर के जाते हैं। न जाने वह कितने बड़े अपराधी बनेंगे? तो इस तरह के जो बाल संप्रेषण गृह हैं, वहां पर जो अधिकारी रखे जाएं, केयरटेकर रखे जाएं, अधीक्षक रखे जाएं, उनकी खुद की योग्यता सही हो, वह खुद सही आदमी हो, वह खुद सही हो आदमी बिलकुल उनको प्यार दे, उनसे इस तरह बाप और मां की तरह व्यवहार करे तब जाकर वह उस गृह में टिकेंगे। कहीं स्कूल गये, वापस नहीं आए। कहीं खेलने गये, वापस नहीं आए। कहीं गांव गये तो वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि वह जो संप्रेषण गृह था वहां पर ज्यादतियां थीं, वह सही नहीं था, खान-पान सही नहीं था इसलिए घर से ही वापस नहीं आए। इस तरह से जो संप्रेषण गृह है, वहां पर इस तरह के अधिकारी नॉमिनेट किये जाएं ताकि वे आपकी भी बात सुनें।

मेरा आप लोगों से निवेदन है माननीय सभापति महोदय, अध्यक्षजी से, यह पुलिस, कई ऐसी घटनाएं होती हैं माननीय गृह मंत्रीजी, यह जो अपनी विधान सभा में, मैं यह कहना चाहूंगा कि विधान सभा में अगर कोई आतंकवादी आना चाहे, आराम से आ सकता है। गृह मंत्रीजी, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई जांच-पड़ताल नहीं करे, न कोई गनमैन खड़ा है, न कोई सुरक्षा है, इसकी सुरक्षा की जाए। गेट पर बाकायदा बख्तर-बंद व्यवस्था की जाए।

पुलिस की ड्रेस पहन कर आ गया। कहीं जेल में आ गया नोटिस तामिल करवाने के लिए, पुलिस में है ही नहीं। थानेदार बनकर लूट रहा है कोई। कोई आर.टी.ओ. बनकर लूट रहा है क्योंकि, पुलिस वर्दी का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए आपको क्यू. आर. कोड, एक आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से बनाना चाहिए और वह मोबाइल से जुड़े और जैसे ही उसको पता चले। बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से है, रेलवे में इस तरह से है तो क्यू.आर. कोड का सिस्टम हमारे यहां पर लागू किया जाना चाहिए ताकि कोई भी पुलिस कांस्टेबल या थानेदार बनकर, कांस्टेबल लूट-खसोट नहीं करे और कई जाते हैं जेल में और पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधी को लेकर फरार हो गये तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी, इस तरह का कोड बनाया जाए ताकि, व्यवस्था हो।

(श्री सुखराम विश्नोई)

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो पुलिस की रहने की व्यवस्था है, जब तक पुलिस का जो छोटा कांस्टेबल है, उसके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, वह परिवार सहित रहे वहां पर इसलिए उसके क्वार्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार सहित रहे ताकि उसके बच्चे पढ़े। वह कहां पर बैठा है? 24 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे की ड्यूटी के अंदर, जिनकी ड्यूटी 8 घंटे की है, उनको तो आप मकान देते हो और जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी है, वह परिवार से कब मिलेगा? परिवार के पास कब जाएगा? इसलिए जो छोटे कांस्टेबल है, कांस्टेबल्स के रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि यहां जो पुलिस की व्यवस्था है, इसमें मकानों की व्यवस्था है, यह जो शास्त्री नगर के अंदर पुलिस अकादमी परिसर है, उस परिसर के अंदर आठ क्वार्टर माननीय गृह मंत्रीजी बने हुए हैं। आठों क्वार्टर में बल्लियां लगा रखी हैं कांस्टेबल ने। बल्लियां लगा रखी हैं और उसके अंदर वह परिवार रह रहा है और वह पी.डब्ल्यू.डी. का एक्स.ईएन. कह रहा है कि यह अनफिट है, यह रहने काबिल नहीं है फिर भी जवान उसके अंदर रह रहे हैं। समाप्त करता हूं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं है। मजबूरन रह रहे हैं। मैं मेरी बात को धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज बोलने वालों की कार्य-सूची पूर्ण होने और माननीय मंत्रीजी का जवाब आकर, मांग संख्या- 6, 16 और 17 के पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 6, 16 और 17 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य श्री शंकर सिंहजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6, 16 व 17 पर विचार

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-16, 17 और 6 के ऊपर बोलने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज जो विषय चल रहा है, मांग संख्या-16 के ऊपर मैं मेरी तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी पूर्ववर्ती सरकार में और अभी की सरकार में जो सभी सदस्य आते हैं और यहां पर बोलते हैं कि साहब, आपके टाइम में इतने अपराध बढ़ गये, हमारे टाइम में इतने घट गये, उन बातों को सोचकर कोई अच्छे सुझाव देने चाहिए। पुलिस के नियमों में, पुलिस क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, हमें उनसे क्या अपेक्षा है कि यह सुधार होना चाहिए, ऐसा सुझाव यहां देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, एक तो 498 के प्रकरण हैं, माननीय गृह मंत्री महोदय विराजमान हैं, 498 के प्रकरण अलग-अलग क्षेत्र में हो सकता है संख्या कहीं कम-ज्यादा हो, मेरे वाले क्षेत्र में 498 में दहेज के जितने भी प्रकरण आते हैं, उसमें 90 प्रतिशत बिलकुल फर्जी प्रकरण आते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार में यह है कि लड़की और लड़के के परिवार के लोगों में आपस में खटपट होने की वजह से पुलिस में 498 का मुकदमा दर्ज हो जाता है और फिर दोनों पक्षों को पुलिस के आगे-पीछे घूमकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनको समझाइश के तौर पर इसका समय कुछ दिया जाये, इसमें ऐसा कोई सुधार किया जाये ताकि 498 के प्रकरण होते हैं, आप भी उस एरिये से वाकिफ हैं, तो उनकी संख्या में कमी आये।

साथ में, यह कुछ लोग आवारा होते हैं और लड़कियों को भगाने के लिये जो केस दर्ज होते हैं, उन केस में भी कई बार डाइरेक्ट पुलिस उसको पकड़कर और संबंधित पार्टियों से मिलकर वह सीधे कोर्ट में पेश करके और कोर्ट में लड़के-लड़की की शादी करवा देते हैं। कई मां-बाप ऐसे भी होते हैं, पांचों अंगुली बराबर नहीं होती है, उनकी लड़की घर से गायब हो जाती है और जब तक वह लड़की नहीं मिल पाती है, उनका समाज में जीना हराम हो जाता है, उनके परिवार में तब तक चैन से खाना नहीं खा पाते होंगे।

(श्री शंकर सिंह)

इस प्रकार का एक कोहराम उनके घर में मच जाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों में एक बार जब पुलिस लड़की को पकड़कर लाती है और लाने के बाद में डाइरेक्ट कोर्ट में पेश कर देते हैं और कोर्ट में 164 के बयान होने के बाद वह लड़का सीधे ले जाता है और उसके मां-बाप कोर्ट के बाहर खड़े देखते रह जाते हैं और उनके पूरे परिवार के आंसू टपकते हुए, रोते हुए देख रहे हैं। वह अपराधी, अपराध करके एक तो उस लड़की को उठाकर लेकर भागा, कितने दिन साथ में वह उसको लेकर घूमा और आज पुलिस के ऊपर उनकी उम्मीद थी कि पुलिस को हमने रिपोर्ट दे दी है और मेरी बेटी को पुलिस लेकर आयेगी। हमारे नियम ऐसे बने हुए हैं कि पुलिस भी कहती है कि साहब, हम क्या करें? कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, 164 के बयान कराने पड़ेंगे और नहीं करायेंगे तो फिर हम कैसे छूटेंगे। वह उसको बला मानते हुए डाइरेक्ट कहते हैं। मेरा इसमें सुझाव है कि नियमों के अंदर ऐसी कोई शिथिलता देते हुए आप उसमें 164 के बयान कराने से पहले उस लड़की के माता-पिता, भाई या परिवार का जो सदस्य है, वह एक बार पुलिस के माध्यम से उसको समझाइश करने के लिये भेजा जाये। इससे काफी अपराध कम हो सकते हैं। साथ ही माता-पिता के साथ में जो इस प्रकार कोहराम मचता है, उनके परिवार में मचता है, उससे भी वह बच सके।

इसके साथ में आगे मेरा यह निवेदन है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में कितने अपराध हुए। मैं आंकड़े गिना सकता हूं, मेरे पास में सारे आंकड़े हैं। अभी जिस प्रकार मेरे पूर्ववर्ती भाई बोल रहे थे कि आपके टाइम में पुलिस यह कर रही है। एक वह कौनसा राम है, वह हाथ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा उसको हीरो बना रखा है बिना मतलब का। आप पुराने आंकड़े मत खोलो। मैं तो पिछली बार भी हाउस में था। मुझे मालूम है, आपके मंत्री यहां से बोलते थे कि स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, चोटियां पकड़ लो। वह चोटियां पकड़ने वालों की तो लोगों ने पकड़ीं, वह भी अंदर गये हैं और आपके मंत्री भी चोटियां पकड़ने वाले, थोड़े एक-दो छूटकर आ गये होंगे, बाकी अभी भी अंदर हैं। इसलिये ऐसी बातों पर आपको नहीं जाना चाहिये।

(श्री शंकर सिंह)

हमारी इस सरकार के समय में मैं धन्यवाद देता हूं गुलाबजी कटारिया साहब को, जो गृह मंत्री का कार्य संभाल रहे हैं। हमें नाज है कि हमें ऐसे गृह मंत्री मिले हुए हैं। इनका कोई मिलने वाला भी आ जाता होगा तो उसका भी पक्ष लेकर ये नहीं कहते हैं। कोई अपराधी है तो वह अपराधी ही होगा। गुलाबचन्द जी से मदद लेने के लिये आ गया, हट। यह भाषा, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके अंदर, भगवान की तरफ से भी धन्यवाद रहता है, आपके इस प्रकार के न्याय के लिये पूरे राजस्थान की जनता टुकुर-टुकुर आपकी तरफ देख रही है। मेरा एक निवेदन है कि छोटे-छोटे प्रकरणों में भी आप थोड़ी मदद करेंगे।

प्रकरण ब्यावर में हुआ था, जो जयपुर की इवेंट कम्पनी है, यह कैटरिंग का कार्य करते हैं। बल्दवा परिवार ने ब्यावर में एक प्रोग्राम रखा था और जयपुर की अन्य-अन्य समाजों की लड़कियां, जो जैन समाज से भी थीं, और कोई समाज से थीं, वे कैटरिंग का कार्य करने के लिये गयीं। उनमें कई सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही थीं आई.ए.एस., आई.पी.एस. की। ऐसे लड़के-लड़कियां ब्यावर में कैटरिंग का कार्य करने के लिये वहां आये और उनके साथ में दो पुलिस वाले भी थे और कुछ गांव के लोग भी थे। उन लोगों ने मिलकर वहां पर उन लड़कियों के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की, तब उन लड़कों ने पुलिस वालों को और गांव वालों को पीटा। पुलिस वाले की जब वर्दी के अंदर पिटाई हुई तो उसको बहुत बुरा लगा और वह वहां से भागे कि अब इनका हम बदला लेंगे। बदले की नीयत से कुछ लोगों का गिरोह बनाकर उनके पीछे लगे और उन लड़के-लड़कियों ने होटल खाली किया और दूसरे होटल में रूके तो दो किलोमीटर आगे जाकर भी पुलिस ने पीटा एक्ट का दुरूपयोग करके उन लड़कियों को फंसाया गया। दूसरे दिन कोर्ट से उनकी जमानत हुई। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय को, मैंने फोन किया और कहा कि पुलिस ने बहुत गलत अपराध किया है और पीटा एक्ट बनता ही नहीं है, जबर्दस्ती उनको इस प्रकार के केस में फंसाया गया है।

मैं ऐसे गृह मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज वे लड़कियां, जो निर्दोष थीं, जिनका कोई लेना-देना नहीं, होटल में वे रहने और

(श्री शंकर सिंह)

खाना खाने के लिये रूकी और उनके खिलाफ पीटा एक्ट लगा दिया। ऐसे अधिकारियों को जो सबक दिया है, उसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ में एक और निवेदन था कि जो लोग पुलिस की वर्दी के अंदर वहां पिटे, वे बचे हुए हैं, निश्चित रूप से उनको भी कहीं न कहीं सज़ा मिले ताकि इस प्रकार से अपराध बढ़े नहीं।

इसके साथ ही मैं दूसरा धन्यवाद यह देना चाहता हूं कि आपने पुलिस के सुधार में थानों के अंदर गाड़ी का ड्राइवर हो, अधिकारी जो आई. पी. एस. लगता है, आर. पी. एस. हो, जो डिप्टी लगते हैं, चाहे डिप्टी का पी.ए. हो, एस.पी. का पी.ए. हो, आपने इन सबको चेंज किये हैं, इसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, थानों के अंदर कुछ केस ऐसे फंस जाते हैं साहब, मेरी फाइल निकली नहीं है तो बाबू वही है, अधिकारी भले चेंज हो गया हो, लेकिन बाबू कहेगा उसी रेट पर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आपने यह जो कम टाइम के अंदर इन सबका टाइम पीरियड तय कर दिया कि दो साल से ज्यादा एक जगह नहीं रखेंगे। ऐसा आपने जो फैसला लिया है, मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं। पुराने काफी लोग हमारे वहां पर भी थे, उन सबको भी आपने सुधार करने की कोशिश की है तो मैं उसके लिये भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ में यह भी निवेदन है कि ब्यावर आप पधारे थे, तब भी हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक थाने की और आवश्यकता बतायी थी और आपने घोषणा भी की थी। साकेत नगर थाने के लिये आप पधारे थे। उस टाइम में घोषणा भी की थी तो अभी मेरा निवेदन है कि आप शाम को जब रिप्लाई दें तो ब्यावर में एक थाने की आवश्यकता है। आपके पास में पुलिस के माध्यम से भी प्रस्ताव आया हुआ है।

इसके साथ में एक और निवेदन है कि एक जिला लेवल का न्यायालय ब्यावर में होना चाहिये ताकि काफी प्रकरण वहां पेंडिंग रहते हैं, वे नहीं हों। दूसरा, पुलिस का टाटगढ़ थाना है, जवाजा थाना है, इन थानों में संख्या कम है। उनमें संख्या बढ़नी चाहिये।

(श्री शंकर सिंह)

ट्रैफिक के अंदर मैं आपसे निवेदन करूं, अजमेर में दो विधान सभा क्षेत्र हैं, 6 लाख की जनसख्या है और ब्यावर के अंदर 3 लाख 40 हजार की जनसंख्या है और 6 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक उपाधीक्षक, सी.आई. एक, एस.आई. 4 और ए.एस.आई. 8, हैड कांस्टेबल 16, कांस्टेबल 150, कुल 180 की संख्या है और ब्यावर में 3 लाख 40 हजार की जनसंख्या को संभालने के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि 2 हैड कांस्टेबल हैं और 2 कांस्टेबल हैं, सिर्फ चार की संख्या है। इसलिये निश्चित रूप से वहां कम से कम 100 की संख्या में ट्रैफिक के लिये लगने चाहिये ताकि वहां पर सुधार की कोई व्यवस्था हो सके।

(17.00 बजे)

कई बार चोरी की वारदातें बढ़ती हैं। अभी पिछले एक सप्ताह से कोई 30 लड़के और लड़कियों की ऐसी गैंग आयी हुई है जो पहले लड़कों को फोन करके और फिर उनसे समय तय करके, कहीं पर मिलते हैं, उसके बाद में उस लड़के के नम्बर से उसको ब्लैकमेल करने के नाम पर उससे रकम वसूली जा रही है। ऐसे प्रकरण भी काफी दर्ज हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि पुलिस के मार्फत ऐसी गैंग का पर्दाफाश करके कई लोगों को इससे बचाया जाए।

रात्रि के समय में चोरी की जो वारदातें होती हैं, उनमें भी अपनी तरफ से गश्त बढ़ायी जानी चाहिए कि पुलिस की एक गाड़ी बिना टाइम टेबल के क्षेत्र के अन्दर राउंड ले लेवे, बिना लाइट जलाकर के, क्योंकि लाइट जलाने से अपराधियों को पता लग जाता है। ...(व्यवधान)... लाइट बंद करके। ऊपर की जो उनकी ग्रीन लाइट है उसको नहीं जलाएं।

एक माननीय सदस्य: नीली बत्ती।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नीली बत्ती। बत्ती जलाने से मालूम है कि वो पुलिस की गाड़ी आ गयी, भाग जाओ तो भाग जाएंगे। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)** सभापति महोदय, मैं अच्छी बात ही कह रहा हूं।

श्री सभापति: सारी बातें आपने अच्छी कही हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक मेरा निवेदन है कि अपराध को कम करने

(श्री शंकर सिंह)

के लिए जिस प्रकार शराब की दुकानें हैं, 200 मीटर की दूरी डिपार्टमेंट ने तय की है लेकिन कई जगह पर अधिकृत दुकान के अलावा उस ग्राम पंचायत में, उन गांवों के अन्दर अनधिकृत दुकान और खोल करके एक दुकान की चार-चार, पांच-पांच जगह पर दुकान बना करके घूमते हैं और वो पुलिस की मिलीभगत से ही चल पाती हैं तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उसमें निश्चित तौर पर इस प्रकार की सख्ती की जाए कि एक दुकान है तो वो एक ही लाइसेंसशुदा दुकान के अलावा उसकी कोई भी ब्रांच नजर आये तो पुलिस में शिकायत मिलते ही उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद, शंकर सिंह जी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): साहब, दो मिनट लेऊंगा।

मोटर साइकिलों के ऊपर काफी लड़के कपड़े बांध करके चलते हैं, उसमें वो लड़का है या लड़की है या कोई अपराधी है, वो पुलिस की नजर से बच जाता है। उसके ऊपर भी कहीं न कहीं कानून बना करके वो बंद होना चाहिए।

दूसरा निवेदन यह है, आज गाड़ी पर नम्बर प्लेट लगी हुई है कि यह कोई सरपंच साहब आ रहे हैं, यह प्रधान जी आ रहे हैं कि यह कोई मंत्रीजी आ रहे हैं, उससे पहचान लेंगे लेकिन उसके कई बिना नम्बर से ही जा रहे हैं। जिस गाड़ी के ऊपर कोई नम्बर प्लेट नहीं हो, पुलिस को इस प्रकार का अधिकार दिया जाना चाहिए कि उस गाड़ी के अन्दर चाहे कोई भी हो, एक बार रोके, अपना पूरा आइडेंटिफाई नहीं हो, तब तक उसको आगे नहीं जाने देंगे। इसका ऐसा कोई कारण बनना चाहिए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): दो मिनट, साहब।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद, शंकर सिंह जी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जिस प्रकार काले कांच लगा करके, काली फिल्म लगा करके भी कई अपराधी पुलिस की नजरों के सामने से बचकर चले जाते हैं तो काले कांच लगी हुई गाड़ी के ऊपर रोक लगनी चाहिए। ऐसा मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री केसाराम जी। अब काले कांच बंद करो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, बहुत कुछ बोलना था, आपने कम समय दिया, आपको धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या- 6 न्याय प्रशासन, मांग संख्या-16 पुलिस और मांग संख्या- 17 कारागार पर सदन में चर्चा हो रही है। यह आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और इसमें ये तीनों विभाग एक-दूसरे से इण्टरलिंक हैं। आपस में इन विभागों का तालमेल इस तरह से है कि एक-दूसरे के बिना ये विभाग चल ही नहीं पाते। सबसे पहले यह न्याय विभाग है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, पहले तो पुलिस आयेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): फिर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर न्याय आयेगा और फिर जेल आयेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यों आयेगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप जैसे कहें वैसे लाऊं। आपने जैसा कहा है, चाहे रेल में बैठो, चाहे बस में बैठो, जाना तो जयपुर है।

माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग के मार्गदर्शन में यह पुलिस का बेड़ा 1 लाख 8 हजार 603 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से राजस्थान की कानून-व्यवस्था कायम करने, तत्काल अन्वेक्षण करने, अपराधों पर रोकथाम लगाने में अपेक्षित उत्तरदायित्व निभाते हुए राजस्थान प्रदेश में अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है। ऐसी पुलिस जिसकी अपेक्षा हर व्यक्ति को रहती है, हमारी रात की नींद अगर किसी के भरोसे है तो वो हमारी पुलिस के भरोसे है। हम अगर कोई चैन की नींद सोते हैं तो पुलिस के विश्वास से सोते हैं कि हमारी पुलिस मुस्तैद है और उसी की वजह से हम अपनी रात की नींद को सो रहे हैं और चैन से सोते हैं। मगर इस आपराधिक जगह में जिस तरह के नये-नये अपराध आज के जमाने में आ

(श्री केसाराम चौधरी)

गये हैं उसकी वजह से हमारी पुलिस भी कमजोर साबित होती है उन गुंडा तत्वों के आगे, कि उनकी आधुनिकता के हथियार, साधन और उसके वाहनों के अपेक्षा हमारी पुलिस के पास जैसे भी साधन हैं, सात किक लगाने पर मोटर साइकिल चालू होती है, सेल्फ लगाते हैं गाड़ी चालू नहीं होती है, डीजल होता नहीं है, पैट्रोल होता नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बजट रखना चाहिए।

मैं तो निवेदन करता हूं कि राजस्थान की पुलिस के एक सिपाही का वेतन कम से कम एक बाबू के बराबर तो होना ही चाहिए।

एक माननीय सदस्य: सिपाही का ज्यादा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): भाईसाहब।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसका वेतन 50 हजार रुपये से कम तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी तफ्तीश होती है, इंक्वायरी होती है, थाने में केस दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, उसकी जांच थानेदार कर रहा है मगर उसके पीछे भी सी.आई.डी. लगनी चाहिए कि इस मुकदमा नम्बर में इसमें क्या हुआ है। गांव में कहीं भी घूम जाओ, भ्रष्टाचार का अपने आप पता लग जाता है। हर केस का गांव में पता लगता हैं। कि इस केस में कितने पैसे उठे या किस तरह का क्या हुआ है, मगर हमारे उस सिपाही को और उस अधिकारी को भर पेट पैसे दीजिए ताकि वो न्याय कर सके और अपने न्याय के कारण से अपनी पुलिस की जो छवि खराब होती है उस छवि को बचाये रख सकें।

माननीय सभापति महोदय, अपने होमगार्ड हैं, 30 हजार 714 होमगार्ड स्त्री और पुरुष हैं, उनकी भी क्या तनख्वाह है? कभी बुलाते हैं, कभी गांवों में बैठे रहते हैं, उनकी भी नफरी बढ़ानी चाहिए।

पुलिस में भर्ती ली जाती है तो पुलिस की भर्ती के लिए पुलिस को एडवांस में भर्ती चाहिए। आज भर्ती करते हैं वो दो साल बाद में एक सिपाही बनकर काम आयेगा तो भर्ती के लिए भी एडवांस करनी चाहिए ताकि पुलिस की नफरी में कमी नहीं आए। आज अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध की तुलना

(श्री केसाराम चौधरी)

में जो नफरी है वो बहुत कम है।

आज हमारे यहां सबसे अच्छा कोई काम किसी ने किया है तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया है और उसके अनुसार भ्रष्टाचार ब्यूरो ने, मात्र 1203 कर्मचारी, उसमें फोर्थ क्लास भी शामिल कर दिये मगर उसके रिक्त पदों को देखें तो 941 कर्मचारी और अधिकारियों के भरोसे उन्होंने राजस्थान में जो कार्य किया है गृह मंत्रीजी, मैं आपकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं कि आपने इस बार जिस तरह से बड़ी-बड़ी मछलियों को जाल में डाला है, एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करके राजस्थान में इस तरह का जो उदाहरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पेश किया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। 2016 में 290 प्रकरणों में अधिकारियों, कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया जिनमें 54 प्रकरणों में राजपत्रित अधिकारी तथा 236 अराजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी लिप्त रहे। यह एक बहुत ही बड़ा रिकार्ड है। इसके अलावा ब्यूरो ने 78 अभियोग अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा पद दुरुपयोग करने के आरोप में पंजीकृत किये। उनमें 47 में राजपत्रित अधिकारी व 31 अभियोग अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज करके यह राजस्थान की जनता में मैसेज दिया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसी तरह से कैसे भी अपराधी को, अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार किया है और उसको शिकायत मिल गयी है तो वो भ्रष्टाचारी इस राजस्थान में बच नहीं सकता। इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं, राजस्थान की जनता की तरफ से मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। आत्मरक्षा में हथियार चलाने के लिए आदेश की आवश्यकता होती है। जनतंत्र में जो भी लोग प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके सामने हमारा सिपाही निहत्था खड़ा रहता है। उसको आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है, चाहे उस पर पत्थर पड़े, उस पर लाठी पड़े। पुलिस की वर्दी पर अगर एक पत्थर भी पड़ता है तो पूरे राजस्थान की सरकार पर बट्टा लगता है। सभापति महोदय, जो हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा है, जो हमारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खड़ा है वह हमारा थानेदार पिट जाए, हमारा थानेदार खड़ा-खड़ा जल जाए और हम देखते

(श्री केसाराम चौधरी)

रहें। उसको अधिकार नहीं कि वह अपनी आत्मरक्षा कर सके। इस देश में आत्मरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है। हम ही उसके पीछे लग जाते हैं कि फायरिंग किस आधार पर की? आर्डर नहीं लिये। मगर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमारी पुलिस पिटती है तो बड़ा दु:ख होता है, दर्द होता है।

सभापति महोदय, पुलिस में अलग-अलग काम करने वालों का कैडर अलग होना चाहिए। उनके कैडर में निश्चित रूप से डिफरेंस होना चाहिए। आज अधिकारियों की तो फौज है, मगर सिपाही बहुत ही कम हैं। आप अधिकारी कम कीजिए और थानों में नफरी बढ़ाइए जिससे अपराधी को तत्काल पकड़ा जा सके।

सभापति महोदय, पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की है। अगर उसको आराम करना है तो उसके आराम की कोई व्यवस्था नहीं है। रात को भी टेलीफोन आ गया कि बवाल हो गया, बलवा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है तो उसी वक्त टोपी, बैल्ट डाला और वह मौके पर पहुंचता है। उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। उसको कम से कम महीने में 1-2 छुट्टी तो मिले ताकि वह भी अपने परिवार को, बच्चों को संभाल सके।

सभापति महोदय, एक जो हथकड़ी लगाने का कानून था, वह हट गया। फिर कहते हैं कि अपराधी भाग जाते हैं। हम खुद ही अपनी व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। अपराधी, अपराधी होता है। अपराधी को हथकड़ी नहीं लगायेगा और उसको कहेगा कि भाई, तुम चलो, तुम तो मेरे कंधे पर बैठकर चलो, तूझे जेल ले जाता हूं। चलेगा, कौन चलेगा? कितनी देर तक वह हाथ पकड़े रहेगा? अपराधी भाग जाएगा। हथकड़ी डालने का जो अधिकार न्यायालय को दिया है, वह अधिकार पुलिस अधिकारी को देना चाहिए। यह किस केटेगरी का व्यक्ति है, इसको हथकड़ी लगना आवश्यक है तो उसको हथकड़ी लगनी चाहिए। सबसे बड़ा डर भी वही था। पुलिस का सबसे बड़ा डर वही था कि हथकड़ी की चेन बजती थी तो लोगों में भय होता था कि हथकड़ी लग जाएगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि एक बार कोई चोरी करता है।

श्री सभापति: इतनी देर आपने निवेदन ही किया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अपराधी बार-बार चोरी करता है और फिर छूट जाता है। फिर उसकी जमानत हो जाती है और फिर आकर वह चोरी करता है। वह काम ही यही करता है कि जेल से बाहर निकला और फिर चोरी। वह जब तक जेल में रहता है तब तक आराम होता है। चोरी नहीं होती है। वह जैसे ही बाहर आता है, फिर वापस से चोरियां शुरू हो जाती हैं। चोरी के लिए तो कोई न कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भैसों की चोरियां करते हैं। वहीं ट्रक पकड़े जाते हैं। उनकी बार-बार जमानत हो जाती है और वे छूट जाते हैं। अगर इस तरह से कोई पशुधन की चोरी करता है तो वह जिस व्हीकल का उपयोग करता है, उसकी जमानत कभी होनी ही नहीं चाहिए। वह सीज होना चाहिए। जिस तरह से थानों में दारू के व्हीकल सड़ रहे हैं, उस तरह से वे सड़ने चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आपके पीछे लगी हुई घड़ी रुक नहीं रही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शराब के बिना कोई अपराध नहीं होता है। गुरूशरण जी छाबड़ा शराबबंदी के लिए कहते थे। मैं राजस्थान में शराबबंदी की बात नहीं करता। शराबबंदी हो भी नहीं सकती। शराबबंदी नहीं करके, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर रोक लगाई जाए। घर में बैठकर पी ले। जैसे गुजरात में शराबबंदी है। वहां हो सकता है शराब बिकती होगी। लेकिन बाहर रोड पर कभी कोई शराबी दिखाई नहीं देता। कोई ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है तो वह ज्यादातर शराब के कारण से करता है।

सभापति महोदय, ब्राजील के स्पाइरिओ सेंटो स्टेट में वेतन के कम निर्धारण के कारण से वहां पर पुलिस ने हड़ताल कर दी। वहां पर दुर्दशा यह हुई कि लोगों को मार दिया, बलात्कार, लूट-खसोट हो गई। पूरी अव्यवस्था हो गई। अगर आप पुलिस को वेतन कम देंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा होगा। मेरा निवेदन है कि पुलिस का वेतन बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, मैं मेरी खुद की 2 मांग रख दूं। आप प्रदेश में

(श्री केसाराम चौधरी)

"अतिरिक्त" पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन 3, उप पलिस अधीक्षक कार्यालय भवन 10 और 20 पुलिस थाना भवनों का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से करेंगे। मेरा इसमें निवेदन है कि मारवाड़ जंक्शन का थाना 1925 में बना था। वह जर्जर हालत में है। उस मारवाड़ जंक्शन के थाने के भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करें। इसके अलावा उप अधीक्षक कार्यालय मारवाड़ जंक्शन में खोला जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 पुलिस थाने हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद। आ गया, आ गया बस।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मैं बस मेरी खुद की मांग रख रहा हूं।

गृह मंत्रीजी, जिस तरह से आपने पंचायतों को पुनर्गठन किया, उसी तरह से पुलिस थानों का भी पुनर्गठन करें। मेरा जाड़न गांव शिवपुरा में लगा हुआ है।

श्री सभापति: अब आपकी मांग नहीं है। राजस्थान की मांग आ गई है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसी तरह से कंटालिया, बगड़ी थाने में लगता है और नजदीक में दूसरा पुलिस थाना लगता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अमृतलाल जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरी पंचायत समिति के तो कम से कम उस क्षेत्र में होने चाहिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): सभापति महोदय, मांग संख्या 6 न्याय एवं प्रशासन, मांग संख्या 16 पुलिस और 17 कारागार के संबंध में निवेदन है कि इस वर्ष का जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया, उसमें 11.83 परसेंट की पुलिस विभाग के लिए बढ़ोतरी हुई है।

हमारे यहां कई ट्रेनिंग सेंटरों की कमी थी। ग्राम मोरवानिया, तहसील गिरवा में 500 सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए सेंटर खोला, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और गृह मंत्रीजी को तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा।

इस वर्ष के बजट में 5,500 कांस्टेबलों की भर्ती का प्रावधान किया है।

(श्री अमृतलाल)

साथ ही 2017-18 में 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 10 उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 20 पुलिस थाना भवनों का निर्माण, 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवास, 15 पुलिस उपअधीक्षक आवासों की व्यवस्था की है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन नहीं है। उसका भी बजट आवंटन किया जाए। पुलिस थाना सिमारी और बावलवाड़ा में भी भवन नहीं है। उनके भवनों के निर्माण कराने की भी घोषणा करें। आपने हमें बहुत कुछ दिया है। पिछले वर्ष 2016-17 में 5 करोड़ से अधिक की राशि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दी है। पुलिस थाना सराड़ा का भवन 1 करोड़ 70 लाख रुपये का, पुलिस थाना परसाड़, जिसका भवन 1 करोड़ 68 लाख रुपये, आबकारी थाना निर्माण 97 लाख 50 हजार रुपये, पुलिस चौकी जावर का निर्माण, इस प्रकार से आपने खूब दिया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे पुलिस थाना, पूरी चौक, तहसील और विधान सभा क्षेत्र का परिसीमन करके जैसे उदाहरण के लिए हमारे ग्राम पंचायत भलीचा है और डिकिया है, जिनका पुलिस थाना कानेर है, धावड़ी का पुलिस थाना भींडर है और उनकी तहसील लसाड़िया है और उपखंड कार्यालय, लसाड़िया है तो उससे कई प्रकार की दिक्कतें, कठिनाइयां आ रही हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सलूम्बर जेल का 1960 में निर्माण हुआ है, शहर के बीचों-बीच है और 27 की उसमें स्ट्रेंथ है और आज की तारीख में वहां 50 कैदी भर रखे हैं। बहुत पुरानी है, जर्जर है, शहर के बीचों-बीच है और इसलिए हमने उसके लिए जमीन भी आवंटन कर दी है शहर से बाहर 13 बीघा।

माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान है, पुलिस का हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है तभी काम हो सकेगा वरना मोटी-मोटी बातें हम इस पवित्र सदन में करते हैं, वे भी हमारे ही हैं, वे सिपाही से इन्सपैक्टर तक के लोग रोडवेज में ड्यूटी जाते हैं, उनको मासिक पास की व्यवस्था होनी चाहिए।

महिला कांस्टेबल की ड्यूटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि एक महिला को भेजते हैं, तो जहां भी जाएं, चाहे उदयपुर से जयपुर जाएं, दो महिला कांस्टेबल साथ में जानी चाहिए।

(श्री अमृतलाल)

तीसरा मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको मैस भत्ता कितना अभी मिलता है वह तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन कम से कम दो-तीन हजार रुपए अगर हो तो ये कम से कम चौबीस घंटे ड्यूटी करने वाले हैं, हम देख रहे हैं, विधान सभा में कहां इनका खाना, कहां इनका पीना, कहां इनका नहाना, कहां इनका चलना। इस प्रकार उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक पुलिस थाने पर पार्ट टाइम जो लांगरी काम करता है, उनका भी कोई हिसाब-किताब नहीं है। वह भाग गया, चला गया, पेमेंट समय पर नहीं हो। तो महीना भर तक इंतजार करके दूसरा ढूंढकर लाते हैं, इससे उनके खाने-पीने की व्यवस्था में गड़बड़ हो रही है।

जोन यूनिटों में सफाईकर्मियों को स्थाई करने का जहां मामला है और बीट कांस्टेबल को साइकिल भत्ता, साइकिल का जमाना है ही नहीं और आज तक हम कागजों में साइकिल को दर्शा करके और उनको भेज रहे हैं। तो उनकी व्यवस्था सरकार से, जो भी है, कम से कम उनके लिए मोटर साइकिल और पाँच लीटर प्रति माह तेल तो दिया जाए। इस व्यवस्था पर भी सरकार विचार करे।

पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। उनके मानसिक तनाव रहता है। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, रात-दिन दौड़ते हैं तो उनके साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इनके लिए डीपीसी की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह सिपाही से लेकर ऊपर तक हो, समय-समय पर पदोन्नति होनी चाहिए। ये तनाव रहित रहकर हमारी रात-दिन सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं।

हार्ड ड्यूटी इनकी समस्या है, वर्षों से एक महीने का वेतन देते हैं। वह भी एसपी कार्यालय के चक्कर काटने के बाद हार्ड ड्यूटी का इनको मिलता नहीं है। साल-साल भर हो जाता है, दो-दो साल तक हो जाता है। उसकी भी सहूलियत मिलनी चाहिए। नियम सरल होने चाहिए। यही मुझे कहना है, धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या, शकुन्तलाजी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 6, 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

जैसा अभी सुन रहे थे, बड़े-बड़े वायदे किए जा रहे थे कि इस तरीके से अपराधों में कमी आई है और नए-नए नवाचार किए गए हैं। जैसा बताया गया कि न्याय आपके द्वार अभियान चलाया गया, प्रचार-प्रसार बहुत किया गया, फिर भी आंकड़ों पर और पोर्टल पर तो आप कम्प्यूटर से निकाल सकते हैं कि कितने मुकदमों का समाधान हो गया है। गांव में जाकर देखें तो वहां पर कोई एकाध ही मुकदमा ऐसा होगा जिसका कोई औचित्य नहीं हो, ऐसा समाधान उस पर डाल दिया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा उन कैम्पों में लिया गया कि सौ वर्षों से जो रास्ते हैं या आपसी विवाद हैं, उनका निपटारा किया जाएगा लेकिन कहीं उनका समाधान धरातल पर होता दिखाई नहीं देता है। न्याय आपके द्वार अभियान चला तो और रास्ते और विवाद तो सुलझा सके या नहीं सुलझा सके लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर इन्सान इस धरती पर जन्म लेगा उसको जाना ही है। उस रास्ते पर तो, कम से कम यह जो श्मशान तक जाने वाले रास्ते हैं, उनका ही निपटारा करवा दे। लोग आपस में लड़ते हैं, सिर फूटते हैं, डैड बोडी को लेकर रास्ते में रखे रहते हैं दो-दो, तीन-तीन घंटे तो उसका न्याय ही करवा दें, तो भी अच्छी बात है। उन्हीं के पट्टे देकर कम से कम ग्रेवल करवा दें उनको। यह पता नहीं कब तक करने का विचार है या नहीं है।

मैं तो अपने क्षेत्र की बातकर लेती हूं माननीय सभापति महोदय, नहीं तो पीछे से सचेतक महोदय बोलेंगे कि समय समाप्त। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में अवैध कनेक्शन, पानी की राइजिंग लाइन, खेतों में तोड़कर पानी देते हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, स्कूल में चोरी हो जाती है, किसी सरकारी ऑफिस में चोरी हो जाती है, तो उन पर तुरंत कार्यवाही नहीं की जाती है। गृह मंत्रीजी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सब बातों को और जवाब भी देंगे तो बड़े उससे देंगे। ईमानदारी से, ईमानदारी तो चलो दूसरा पाइंट है, कहेंगे कि मेरे फेफड़ों में हवा है इतनी, दम है, दम रखते हैं।

बानसूर में सीओ ऑफिस खोलने की जरूरत है। नारायणपुर और बानसूर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बड़े कस्बे हैं उनमें रात्रि को गश्त होनी चाहिए। पिछले दिनों डबल मर्डर हो गया था नारायणपुर में तो रात्रि गश्त को बढ़ाया जाए। रिक्त पदों को भरा जाए। वहां पर जो पुलिसकर्मी लगे हैं उनको हथियार और नई गाड़िया देने का प्रावधान करें। यह नवाचार में आता है, तो अच्छी बात है।

पुलिसकर्मियों की मांगे भी, अब कटौती प्रस्ताव है और मांग रखने का भी अधिकार है, तो इसमें हम रखेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि जो एसीएम नहीं है बानसूर में कई दिनों से, तो किस तरीके से केसों का निपटारा कैसे करेंगे? एसडीएम क्या-क्या करेंगे? एडीजे कोर्ट में कितने होंगे, रेवेन्यू के फैसले कौन करेगा? तो इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, न्यायालयों की जो लचर व्यवस्था हो रही है, दो-दो, तीन-तीन वर्षों से तामीलें नहीं हो रही हैं, जमीनों के रिकार्ड वह सैटलमेंट में इधर-उधर हो गए, केस कर रखे हैं, आए दिन चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, फिर अगली तारीख दे दे जाती है गांव वालों को लेकिन उनका कोई निपटारा नहीं हो रहा। अगर ऐसे सैटलमेंट वाले केस हैं, उनका उस कैम्प के अंदर समाधान किया जाए तो गांव वालों को थोड़ा न्याय मिल सकता है। जो राजस्व न्यायालय हैं उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है।

पुलिसकर्मी जब भी देखों तो ऐसा लगता है कि वह डिप्रेशन में हो। ऐसे में पुलिसकर्मियों को या तो छुट्टी नहीं मिलती, पता नहीं, क्या प्रावधान है, यह तो मंत्रीजी जाने, तो इनको छुट्टी देने का प्रावधान रखें।

महिला पुलिसकर्मी हैं उनको आवास मिलना चाहिए और उनके लिए चाइल्ड केयर लीव का समय बढ़ाना चाहिए। जो कि सरकार ने वादा भी किया है। कम से कम महिलाओं का वादा तो निभा देना चाहिए। गृहमंत्री महोदय शायद इसको बढ़ाने का कष्ट करेंगे और मांग में ही बढ़ाएंगे।

पुलिसकर्मियों को जो मैस भत्ता मिलता है, मोटरसाइकिल भत्ता है, स्टेशनरी भत्ता है, वर्दी भत्ता है, इस तरीके के भत्ते पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए जिससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। इस तरह का करना चाहिए।

आमद के लिए एक सिपाही कहीं 10-20 मिनट लेट हो गया तो उसको आमद एसपी के यहां ही करनी पड़ती है। फिर कहेंगे कि पुलिस कम है, दो आमद पर गये हैं। आमद क्या एसपी ही ले सकता है? आमद तो कम से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

कम सीओ भी ले ले या एडिशनल एसपी या थानेदार जिस थाने से संबंधित वह सिपाही है वह ले लो, ताकि उसके एक-दो दिन खराब नहीं हों। वह एक दिन छुट्‌टी पर चला गया तो भी आमद के लिए एसपी साहब के पास ही जाना पड़ेगा। उसको तब तक आमद नहीं मिलेगी जब तक वह एसपी के पास नहीं जाएगा। एडिशनल, एस.पी., सीओ या एसएचओ के यहां भी करें तो इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है।

पुलिसकर्मियों को कभी कोई काम बताएंगे तो कहेंगे मैडम, 24 घंटे की ड्‌यूटी करते हैं। 24 घंटे की ड्‌यूटी करते हैं तो उनके वेतन बढ़ाने का प्रावधान है तो उनसे बैठकर बात करें, ताकि वे तनावमुक्त, आर्थिक व मानसिक रूप से संतुष्ट होकर काम कर सकें।

एक सबसे बड़ा इश्यू है होमगार्ड का। होमगार्ड कर्मियों को जब जरूरत होती है तो बुला लिया है। उन्होंने बार-बार मांगें भी उठायी हैं। उन्हें भी स्थायी किया जाना चाहिए।

जेल में कैदियों को वहां रखा जाता है। वहां पर कम से कम प्रशिक्षण शिविर लगाये जाने चाहिए ताकि वे आगे जाकर कोई दूसरा अपराध नहीं करें।

सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जेल में जैमर होने चाहिए। मोबाइल पहुंच जाता है, जेल में कैदी मौज कर रहे हैं, एक-दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। छोटे व बड़े अपराधियों में फर्क करके उनको अलग-अलग बंद करना चाहिए। वह उसको मारेगा, वह उसको पीटेगा। आये दिन अख़बार में भी पढ़ते हैं, टीवी पर भी देखते रहते हैं।

सभापति महोदय, एक मुद्‌दा ट्रैक्टरों को पकड़ने का। गांव में ट्रैक्टर पर अगर अपना सामान ले जा रहा है तो उसको पकड़ लिया जाता है। मोटरसाइकिल से एक खेत से दूसरे खेत पर जा रहा है तो क्या वह हैलमेट लगाकर जाएगा? घास का भरोटा लेने जा रहा है तो वह हैलमेट लगाकर जाएगा? उसको पकड़ लेते हैं। बुजुर्ग लोग अपना टाइम पास करने के लिए घर के अंदर, चौक के अंदर ताश खेल रहे हैं तो उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। क्या कोई पुलिसकर्मी ताश नहीं खेलते क्या? अगर पकड़ना ही है

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
तो स्टेशन पर जो भीख मांग रहे हैं ये कौन बैठे हैं? आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर पकड़ना है तो उनको पकड़ो। उनका वैरिफिकेशन करो कि ये कौन है, कहां से आये हैं, कौनसे देश के हैं, कौनसे जिले के हैं? उनको पकड़ने का कोई नाम ही नहीं लेता है। इस तरीके का क्या है? कहते हैं ऊपर का ऑर्डर है कि इतनी मोटरसाइकिल पकड़नी है, इतने ट्रैक्टर पकड़ने हैं, इतने ताश खेलने वाले पकड़ने हैं। यह क्या है? ऊपर कौन है? ऊपर मुझे तो कोई चीज दिखायी नहीं दे रही है।

जो पीड़ित लोग हो, चाहे हमारी माननीय सदस्या हो, जयपुर की पूर्व मेयर हो, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो, आपस में ऐसी लड़ाई हो रही है। यह क्या अव्यवस्था हो रही है? पुलिस और जनता का सामंजस्य होना चाहिए। सरकार में बैठे हुए मंत्री महोदय देखें कि कम से कम ऐसी जो अव्यवस्थाएं हैं उनको तो व्यवस्थित करने का कष्ट करें।

आंकड़े गिना दिये। अपराधों में कमी आ गयी है। कौनसे अपराधों में कमी आ गयी है? बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप लिस्ट उठा देखिए, महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए हैं। शायद सबसे ज्यादा आंकड़े राजस्थान के हैं। ऐसे आंकड़े हमने कहीं देखे नहीं है। ये सुरक्षित नहीं हैं। कैसा न्याय है, कैसा राज है यह? यह राज असफल राज है।

मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप मेरी तरफ बार-बार ऐसे कर रहे हैं, इस राज को अगर आंकड़ों में ही चलाना है तो आप आंकड़े गिनते रहिए। जनता आपसे त्रस्त है, जनता आपके अत्याचारों से त्रस्त है, बच्चियां त्रस्त हैं। जो भारत देश की कन्या देवी के रूप में पूजी जाती है, आज वह बेहाल है। इस पर विचार करना चाहिए, कोई कठोर कानून बनाया जाना चाहिए जिससे आगे से कोई भी ऐसा कर्म करने की सोचो, उससे पहले उसकी रूह कांप उठे। ऐसा कानून बनाना चाहिए।

जनता और पुलिस में एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, सामाजिक लोग जो पुलिस की मदद करते हैं, जो बैठकर अच्छी बात करते हैं तो उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर केस लगा देते हैं। इस तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए। पुलिस अगर अपने आपको माने, अगर वह अपने आपमें सोचे तो मेरा मानना यह है कि सरहद की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सीमा पर बैठकर रक्षा करता है वह सैनिक होता है और अंदर आंतरिक मामलों में जो घरेलू हों, रक्षा करता है उसे पुलिस कहते हैं। परंतु सरकार सूनी है। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम जी जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन, मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार।

आज महत्वपूर्ण मांग हैं। इस सदन में सभी विधायकों ने चिन्ता व्यक्त की और आंकड़े पेश किये। अभी दायीं तरफ जो हमारी बानसूर की विधायक हैं शकुन्तला जी, ये बड़ी चिन्तित हैं अपराध के बारे में। मुझे याद आ गया कांग्रेस की गवर्नमेंट 2008 से 2013 के बीच थी, भोपालगढ़ काण्ड हुआ था, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आये थे, वे अपराधी की मोटरसाइकिल पर बैठकर गये थे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): घरों में अपराधी घुस रहे हैं, फिर आप क्या पाइंट कर रहे हैं?

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं अपनी बात कहूंगा, आप नहीं बोल सकते बीच में। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप क्यों बोलते हो बीच में।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप लोकल होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। अपराधी किसके घर गये थे यह बताएं क्या?

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): और अपराध बताऊंगा।

माननीय गृह मंत्रीजी आपको धन्यवाद, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद कि उनकी इच्छाशक्ति से राजस्थान के अपराधों में कमी आयी है। अलवर जिले का मेवात, तिजारा, रामगढ़ और हमारे अलवर ग्रामीण में यह इच्छाशक्ति है कि अपराध घट गये। क्यों? क्योंकि हम अपराधियों की सुनने वाले नहीं है। कांग्रेस के लोग तो सुनते ही अपराधियों की थे। असत्य शिकायत आयी है, यह गलत काम करने वाला नहीं था, इसने सोने की ईंट बेची नहीं, इसको

(श्री जयराम जाटव)

तो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी सदन में सब लोगों ने चिन्ता की है कि अपराध घटने चाहिए। पुलिस भी हमारे भाई हैं। पुलिस अपराध बढ़ाती है क्या? पुलिस तो अपराध को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन हम लोगों की जो व्यवस्था अब तक रही है, हम कहते हैं कि इससे मेरा वोट घट जाएगा, इससे मेरा वोट बढ़ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इच्छाशक्ति की वजह से कोई भी आदमी आया, उसने अपनी बात कही तो उनको सुना। सुनकर उसके निस्तारण के लिए वहां के अधिकारी को कहा कि इसको देखना। लेकिन बदले की भावना से हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने आज तक किसी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए टेलीफोन भी नहीं किया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को, गृह मंत्रीजी व मुख्य मंत्रीजी को। 5500 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अबकी बार बजट में प्रावधान रखा है। इससे ज्यादा धन्यवाद क्या होगा? हमारी राजस्थान की पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनकी हमारे यहां कमी है। पुलिस में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल या एसआई है वह बहुत बिजी होता है।

कांग्रेस के लोग कहते थे, टंकी पर चढ़ जाओ, नौकरी मिल जाएगी। हमारे यहां एक मीटिंग हुई, देखा तो दो आदमी टंकी पर चढ़ रहे हैं। उनको कहा कि टंकी पर चढ़ जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा, मुख्य मंत्री आएंगी तो भला कर जाएंगी। हमारे लोग इस तरह से लोगों को उकसाते नहीं हैं, हम न्यायसंगत बात करते हैं। इसलिए अपराध घटाने के लिए हमारी इच्छाशक्ति है। अपराध आज घटा है राजस्थान में।

मैं मेवात की बात कर रहा था। हमारे जिले में सोने की ईंट बेचने वाले बहुत थे, वे घट गये। हमारे यहां अपराध की राजनीति में धारा 376, 54 है। मेवात में एक विवाद है। झगड़ा हो गया डोल के ऊपर, खेत के ऊपर और मुकदमा दर्ज कराने गया तो दूसरा ले गया कि मेरी लड़की के साथ इस तरह का अपराध किया है। ये झूठे मुकदमे जो दर्ज होते हैं वो निश्चित रूप से आंकड़े बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला अत्याचार निवारण की बात कर रहा हूं कि राजनीति से प्रेरित होकर किसी आदमी को फंसवाना है तो कहते हैं कि तुझे इतनी व्यवस्था कर देंगे,

(श्री जयराम जाटव)

इसके खिलाफ इस तरह का मुकदमा लगा दो। मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारे लोग, हमारे जो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपराधों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

निश्चित रूप से क्राइम, आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे पड़ौस में जो हरियाणा प्रदेश है, दिल्ली है, यू.पी. है, वहां के लोग आकर अपराध करके भाग जाते हैं लेकिन अलवर जिले में 3 साल पहले कांग्रेस के टाइम में चोरी, नकबजनी और लूटपाट हुई और जो हत्याएं हुईं, उनकी बरामदगी इन डेढ़ साल में, दो साल में राजस्थान की पुलिस ने, अलवर जिले की पुलिस ने की है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी पुलिस के अधिकारियों की बात हो रही थी। अधिकारी निश्चित रूप से वहां व्यवस्था के लिए कांस्टेबल रखते हैं, ठीक है क्योंकि बिना अधिकारी के यहां मान लो कोई व्यवस्था नहीं है और कोई आवश्यकता पड़ गई तो निश्चित चाहिए।

मैं गृह मंत्रीजी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं, एक तो जो यह टार्गेट दिया जाता है कि आपको इतनी मोटर साइकिल पकड़नी है, इतनों का चालान करना है, टार्गेट के लिए ताश खेलने वालों को ले आते हैं। तो इस टार्गेट की व्यवस्था को बन्द कर दिया जाए क्योंकि ताश खेलने वाले सब जुआरी नहीं होते हैं। कई लोग गांवों में बैठकर ताश खेलकर अपना टाइम-पास करते हैं तो उनको भी ले आते हैं। हर महीने की 30 तारीख आ गई या 31 मार्च आ गया और अब टार्गेट पूरे करने हैं तो यह गलत है।

अभी हमारे यहां हैलमेट का कानून राजस्थान में बना, उसमें अलवर जिला भी है। निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हैलमेट की व्यवस्था का कानून बनाया है, यह बहुत अच्छा है, पर मोटर साइकिल चलाने वाला है वो हैलमेट को कंधे पर लटका रखा है और खुद बिना हैलमेट के जा रहा है और जब दुर्घटना में मौत हो जाती है तो चार पुलिस के आदमी उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। यह बहुत अच्छा है और कई बार मैंने देखा है कि चार-चार आदमी मोटर साइकिल पर बैठकर जाते हैं। अपराध को जन्म देने वाले हम व्यक्ति हैं। इसलिए जब तक थोड़ी सख्ती, थोड़ा अनुशासन, पुलिस का भय नहीं होगा, वर्दी का भय नहीं होगा तो अपराध बढ़ेंगे।

(श्री जयराम जाटव)

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में बिजली के ट्रांसफार्मर की बहुत चोरी हुई, उनके तार चोरी हो गए लेकिन जितने मुकदमे हुए वो सारे मुकदमें पैण्डिंग हैं और एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उनका माल बरामद हुआ तो ये बिजली के ट्रांसफार्मर जो चोरी हुए वो कहां गये, इसको भी देखा जाए।

मेरे यहां जो मालाखेड़ा थाना लगता है, हमारा सी.ओ. का जो ऑफिस है, डीवाई.एस.पी. का जो ऑफिस है वो शहर में लगता है। मालाखेड़ा बहुत दूर पड़ता है। लक्ष्मणगढ़ भी उसके हिस्से में है, राजगढ़ का हिस्सा भी आता है, थानागाजी का भी आता है तो मैं गृह मंत्रीजी से हमारा डीवाई.एस.पी. का कार्यालय है वो मालाखेड़ा में खुलवाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, हमारे श्यामगंगा पड़ती है वहां से गौ-तस्कर निकलकर सीधे रामगढ़ होकर हरियाणा को निकल जाते हैं, इसलिए श्यामगंगा में एक पुलिस चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं गौ-तस्करी की हमारे जिले में पहले बहुत ज्यादा वारदातें होती थीं, पर इन तीन सालों में सबसे कम वारदात इस बार हुई है और बहुत ग्राफ घटा है। आये दिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण के लोग परेशान होते थे और वो खुद उन तस्करों को रोकते थे इसलिए मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान कारागृह की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, हमारे मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, रैणी और टहला, पाँच पुलिस थाने लगते हैं। मुलजिम अलवर जाते हैं और वहां से वो बहुत दूर पड़ता है, लम्बा टाइम लगता है तो पुलिस वालों को बड़ी परेशानी होती है जब मुलजिमों को लाते-ले जाते हैं। इसलिए एक निवेदन है कि मालाखेड़ा में उप-कारागृह खोलने की व्यवस्था की जाए। यह मेरी डिमाण्ड है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पिछले वर्ष सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय खोला गया है। वहां मालाखेड़ा में हमारे व्यवस्था है और अलवर में मालाखेड़ा के नाम से वो कोर्ट चल रही है। अगर वो कोर्ट मालाखेड़ा में चले तो मुलजिमों को लाने-ले जाने में पुलिस को जो

(श्री जयराम जाटव)

परेशानी है वो नही हो इसलिए मैं इसके लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे कोर्ट में, अदालत में जितने केस हैं, मुकदमे हैं 20-20 साल तक उनके बेटे-पोते भुगतते रहते हैं और जिसका मुकदमा चल रहा है वो ऊपर चला जाता है। इसलिए अपराध में आखिर में न्यायालय में जाते हैं तो इसमें सुधार किया जाए। माननीय सभापति जी, न्यायपालिका को त्वरित न्याय दिलाने के लिए, तुरंत न्याय दिलाने के लिए पाबंद किया जाए, कुछ कानून बनाया जाए। कई ऐसे मामले आते हैं जब मुकदमा दर्ज हो गया, फैसला पोतों के टाइम पर आ रहा है तो जितना न्याय लेट होता है उतनी परेशानी आ जाती है।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय में देरी से उसका महत्व खतम हो जाता है। जो न्याय की इच्छा करता है, 376 का हुआ, 302 का हुआ, झगड़े का हुआ, टंटे का हुआ, चोरी का हुआ और जब कई साल निकल जाते हैं तो वो आदमी देख लेता है कि कुछ होना-जाना तो है नहीं और उसको न्याय नहीं मिल पाता।

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ौस का स्टेट गुजरात है तो गुजरात की तर्ज पर यहां पर भी ईवनिंग अदालतें खोली जाएं, दो टाइम पर खोली जाएं। हमारे यहां पर गर्मियों के दिनों में 12 बजे तक चलती हैं और उसके बाद में सर्दियों के दिनों में 4 बजे बन्द हो जाती हैं। ईवनिंग अदालतें खोलने से निश्चित रूप से जो न्याय में देरी हो रही है उसमें लाभ मिलेगा। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जजों के केसों का निस्तारण होता है तो निस्तारण का जो आपका रिकार्ड है उसको देखना चाहिए और उनको उसके आधार पर प्रमोशन, पदोन्नति मिलनी चाहिए ताकि उनको यह जानकारी रहे कि हमने ज्यादा मुकदमों का निस्तारण किया है तो उससे प्रमोशन मिला है। एक जज फैसला करता है और दूसरा उलट देता है तो उसके बाद में उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आप तो खुद एडवोकेट हैं कि समीक्षा से उसकी तसल्ली हो जाएगी कि इनके साथ गलत तो नहीं हुआ है। मैं यह बात न्याय की कर रहा था।

(श्री जयराम जाटव)

लास्ट में जो हमारा कारागृह का मामला है, उसमें जैमर लगाने की बात आ रही थी। जो मुलजिम या अपराधी हैं वो मोबाइल लेकर जेल में चले जाते हैं, कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। तो जैमर लग जाएगा तो वो मोबाइल काम करना बंद कर देगा।

पुलिस निश्चित रूप से अलवर, राजस्थान की बहुत अच्छी है, जितनी है उतनी ठीक है और व्यवस्था अब इन्हीं के माध्यम से निश्चित रूप से करनी चाहिए। हमारे राजस्थान का मनोबल बढ़ रहा है क्योंकि जब हम हरियाणा जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं और राजस्थान की कहीं बात आती है तो कहा जाता है कि राजस्थान में न्याय मिलता है और राजस्थान की पुलिस अच्छी है।

सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि दस मिनट से ज्यादा तो नहीं हुआ, एक-आध मिनट ऊपर हुई होगी। आपको पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तीनों मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इनको मेरा समर्थन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेन्द्र जी गुर्जर।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस, मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन और मांग संख्या 17 कारागार पर मुझे आपने बोलने...... (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मेरा वो चुनाव चिह्न जो शराबबंदी पर है उसकी फाइल कहां तक पहुंची, थोड़ा दिखवा लें और इनके पक्ष से, पीने वालों के पक्ष के लिए तो इन्होंने डिमाण्ड रखी थी और जो नहीं पीना चाहते हैं उनके लिए गंगाजल का लौटा रख सकते हैं, यह मेरा इनके साथ ही है।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज जिस प्रकार से थाने में आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो वहां लिखा रहता है "आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर", पर आम आदमी जब जाता है तो यह सिर्फ कहावत ही साबित होती है। कई लोग मुकदमा

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

दर्ज कराने जाते हैं तो उससे ठीक तरह का बर्ताव पुलिस के जो वहां के थानेदार हैं या कर्मचारी हैं, वे नहीं करते हैं। उसके कारण पुलिस के प्रति अविश्वास होता है। आप जानते हो कि आज भी जो अंग्रेजों के जमाने की पुलिस थी, उस तरह से लोग सोचते हैं। थाने में जाने से इतने डरते हैं और डरने का कारण यह है कि उनकी बात सुनते नहीं है। कोई अगर जाता है चाहे वह रिपोर्ट दर्ज कराने जाये, उसको आराम से सुनना चाहिए। वह आया है, किसलिए आया है, उसके साथ क्या अपराध घटित हुआ है, कौन अपराधी है? उसकी सुनते नहीं है और उसको डाइरेक्ट धमकाते हैं या इस प्रकार की बात करते हैं तो वह डरता है। मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव है कि जो भी आम जन जाये, उसकी बात सुनी जाये और उसकी पूरी बात सुनकर उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाये। कई बार यह होता है कि हम जांच करेंगे, अनुसंधान करके रिपोर्ट दर्ज करते हैं। बाकी अगर पुलिस चाहती है तो अपने हिसाब से मुकदमा दर्ज कर लेती है। अगर किसी का करना हो तो बगैर किसी के राय-मशविरे के मुकदमा दर्ज कर लेती है। इस प्रकार जो सीधे लोग होते हैं, उनके लिए समस्या है। बाकी अपराधी प्रवृत्ति के लोग जाते हैं, जो सीधे जाते हैं, क्योंकि आदमी सैट रहते हैं। जिस तरह से जाते हैं और जो चाहते हैं, वह करवा देते हैं। जैसा चाहे मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि इस प्रकार की छवि हमारी पुलिस की है, उसमें सुधार होना चाहिए ताकि आम आदमी को लगे कि वास्तव में मैं सुरक्षित हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो युवा हैं, वह नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं जैसे गांजा, अफीम, चरस। मैंने वहां के हमारे एस.पी. हैं, आई.जी. मैडम हैं, उनको भी अवगत कराया है कि मेरे यहां जितने भी युवा हैं, वे इनका शिकार हो रहे हैं और हमारे युवा अफीम, चरस लेकर असमय ही बूढ़े हो गये, कमजोर हो गये, बीमार हो गये और वे मृत्यु को प्राप्त हो गये। क्योंकि अपराध की जननी नशा है। अपराध यहीं से शुरू होता है। अपराध तब शुरू होता है जब उसने कोई मांग की, उसको कुछ चाहिए और वह नहीं मिलता। वह चाहता है पैसा, वह कहां से लाये? वह कमाता नहीं है और कमाता नहीं है इसलिए वह अपराध करता है। अपराध करता है तो नशे की

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

वजह से करता है और उस नशे की वजह से बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है और अपराधी बनने के बाद उसे कुछ सूझता नहीं क्योंकि उसे नशे की लत रहती है। उस कारण हमारे अपराधी बढ़ रहे हैं और हमारे जो बेचारे कई लोग हैं जो उनका शिकार होते हैं। आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार नशे पर अंकुश लगे ताकि अपराध कम हो।

अपराध बढ़ने का एक और भी कारण है कि अपराधी बच जाता है। कई बार अपराधी, चाहे वह 302 का मामला हो, कई बार बाहर से गैंगवार करते हैं या उनके जो पेशेवर अपराधी हैं, वह आते हैं और सुपारी लेकर किसी भी आदमी का मर्डर कर देते हैं या उसको उठाकर ले जाते हैं, फिरौती के रूप में पैसे वसूल करते हैं, तो ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगे। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता है पर क्या होता है कि वह उनको पहचान ही नहीं पाते क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और उस वजह से वे बच जाते हैं और कई बार जब वे पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद भी जब वह उनकी पुलिस शिनाख्त परेड करवाती है जेल में ले जाकर, तो जो बेचारा मुस्तगिस है वह डर के मारे या तो बताता नहीं या पहचान नहीं पाता, उस कारण वे बच जाते हैं। हमारी जो केस आफिसर स्कीम है, उससे काफी हद तक अंकुश लगा है क्योंकि अपराधी उसमें बच नहीं पाता और वह शुरू से लेकर पेशी से लेकर, उसके बयान से लेकर लास्ट तक वह उसका सहयोगी रहता है तो यह केस आफिसर स्कीम कारगर साबित हुई है। इस प्रकार की स्कीम से अपराधियों पर भी अंकुश लगा है।

कई बार अपराधी बचने के कारण ही अपराध बढ़ता है क्योंकि उसके साथी-सहयोगी एक बार अपराध करने के बाद, वह फिर अपराध पर अपराध करते जाते हैं और उससे अपराध बढ़ते रहते हैं। तो अपराध को रोकने के लिए हमें इस तरह का ठोस कदम उठाना चाहिए कि एक बार कोई भी अपराधी एक केस करता है तो इसमें आपको जानता है। सभापति महोदय, जानकारी है कि 302 में आजीवन कारावास है, 307 में है। तो इस प्रकार के केसों में फिर भी बच जाता है, उसको जमानत मिल जाती है। अगर केस आफिसर या अगर अच्छे से बयान लेकर, अगर गवाह हम ट्रेस करते हैं,

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)
उसको सहयोग करते हैं मुस्तगिस को, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको सज़ा 100 परसेंट होती है और इस वजह से केसों में कमी आएगी। ऐसा मेरा सुझाव है।

आज हमारी जो हैलमेट की स्थिति गांवों में चल रही हैं। गांवों में आज कहीं पर भी जाओ तो शहर में तो होती है, गांवों में भी, गांवों के अंदर ही पुलिस अधिकारी चले जाते हैं और वहां जाकर गांव का कोई भी आदमी आता है, चाहे वह खेत पर जा रहा है तो उसको हेलमेट के चक्कर में रोक लेते हैं और उसके साथ वही बात आती है कि साहब, हमको टारगेट की पूर्ति करनी है, टारगेट पूरे करने हैं। तो आम जन में कतई इस प्रकार का रोष है कि एक छोटे से हैलमेट के विषय में या कागज के विषय में इस प्रकार से गांवों में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है। सब लोग उनको बताने के बावजूद भी हमारा काम राजस्व वसूलना थोड़े ही है। हमारा काम तो आम जन को न्याय देना है या आम जन में विश्वास पैदा करना है। हम उसको समझायें कि हेलमेट से आपकी जान भी जा सकती है, इससे आपका नुकसान हो सकता है या हाथ-पाँव भी टूट सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं। इस प्रकार के सुझाव दें, उसको समझायें। यह नहीं कि उसकी रसीद काटी और 200 रुपये जुर्माना करा और फिर छोड़ दिया। तो उससे लोगों में असंतोष है। आपके माध्यम से सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के जो मामले हैं, उसमें शिथिलता लायें और उसको सोचने-समझने का और उसकी मनोस्थिति को समझने का और उसको समझाने का प्रयास करें ताकि वह हैलमेट लगाये ना कि उस पर जुर्माना करके उससे पैसे वसूलने का, अपना यह उद्देश्य नहीं है, ऐसा उसको लगना चाहिए। इस प्रकार का मेरा सुझाव है।

हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं। कई अधिकारियों के यहां लांगरी के रूप में कोई भोजन बनाने वाला, कोई बच्चे खिलाने वाला, कोई गाय की धार निकालने वाला या कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला होता है। हमारे पास वैसे ही नफरी कम हैं और हम उनका उपयोग-सदुपयोग, या तो जहां एक्सीडेंट होते हैं वहां लगायें या ट्रैफिक में लगायें या जहां ज्यादा अपराध है वहां लगायें। उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसा मेरा मानना है कि यह जो

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

नफरी में कमी है उसमें उसको बढ़ावा करें और ऐसे जो दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकारी, उनको यह आदेश दें कि इस प्रकार ठीक नहीं है और इससे जो हमारे सिपाही हैं या जो भी हमारे नीचे के अधिकारी हैं, वे भी अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं और उसका मैसेज भी ठीक नहीं जाता।

हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, वह कई बार कोई जमीन का मामला है या कहीं जमीन में कोई झगड़ा हो रहा है, उसमें जाकर सीधे राठौड़ी करने लग जाते हैं। मेरा ऐसा सुझाव है कि कोई तहसीलदार है, कोई जमीन नापने वाला हो या कोई अपने वहां का अधिकारी हो, उसके बावजूद भी बगैर उसके कई जमीनों पर कब्जे कराने चले जाते हैं। कई बार हमारी बात हुई है कि यह आपका काम थोड़े ही है। शांति व्यवस्था बनाने का काम है पुलिस का। यह थोड़े ही है कि किसी की जमीन दिला देंगे या किसी का मकान दिला देंगे। वह तो कोर्ट में जाये, अपनी कार्यवाही करे। अगर उसके लिए आपसे पुलिस इमदाद मांगता है तो आपको देना चाहिए। सीधी कार्यवाही करे, ऐसे नहीं होना चाहिए।

हमारे सदर थाना पड़ता है नेशनल हाईवे नम्बर-12 पर। एनएचएआई पर एक कट है जो हमारे इण्डस्ट्रीज एरिया में जाता है और वहां पर हमारे पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने वहां ब्लाक रखकर बंद कर दिया, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनको एनएचएआई वाले कहते हैं या उनसे कोई आर्डर आता है कि इस प्रकार इस कट को बंद करना है तो नियम से बंद करें, पर सीधी राठौड़ी करना, इससे कितने लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस का काम यह थोड़े ही है कि हम किसी भी कट को बंद करें। आप एनएचएआई को लिखो, अगर कोई यहां दुर्घटना होती है या कोई भी कारण है तो उसके लिए लिखना चाहिए कि इस कट को बंद किया जाये। नियम से कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान) वही तो मैं बोल रहा हूं। राठौड़ी जिस प्रकार कहते हैं कि पुलिस की राठौड़ी बंद होनी चाहिए। इससे आम जन में रोष होता है और पुलिस के प्रति जिस प्रकार की भावना आती है लोगों में, जिस प्रकार की पुलिस की छवि होनी चाहिए, उससे आम जन में रोष होता है कि किस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं जबकि अपना काम तो लोगों में सामंजस्य बैठाना होता है।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

कई बार धरना-प्रदर्शन होता है, कई बार आंदोलन होते हैं, तो आप ऐसे अधिकारी को भेजो जो समझदार हो, सबको जानता हो। कई बार ऐसा अधिकारी चला जाता है, वहां झगड़ा नहीं हो तो झगड़ा हो जाता है। कोई पत्थर फेंक देता है तो गड़बड़ हो जाये। उसको देखते ही जनता भड़क जाती है। ऐसे मौके पर, जब भी इस प्रकार के आंदोलन हों या किसी भी प्रकार का जाम हो। एक बार मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बालिकाओं के स्कूल में टीचर नहीं था तो उन्होंने जाम लगा दिया। वह सीधे आकर एसएचओ साहब ने लट्ठ बरसा दिये। तो उनकी स्थिति को समझना चाहिए। उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। ये आपकी बच्चियां हैं, इन्होंने जाम लगा दिया है। बैठकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। यह थोड़े ही है कि लाठी के प्रयोग से अपन सब कुछ कर सकते हैं। आप जानते हो कि अब लोकतंत्र है, अपन लाठी के दम पर कुछ नहीं कर सकते। जब तक दूसरे का दिल नहीं जीतेंगे, आम जन से राय नहीं लेंगे, किस प्रकार के यहां लोग रहते हैं। तो तब तक आम जन में कैसे विश्वास होगा। पुलिस को और आम जन को लगना चाहिए कि पुलिस हमारी मदद करने के लिए है, हमारे ऊपर लाठी बरसाने के लिए नहीं है। इस प्रकार आज का जो माहौल है, वह इस प्रकार से है कि हम आम जन का जब तक दिल नहीं जीतेंगे, जनता के सहयोग बगैर पुलिस चल नहीं सकती, यह भी आप मानते हैं। इस प्रकार मेरा यह सुझाव है।

कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस तुरंत कार्यवाही कर देती है और कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें कार्यवाही चलती रहती है। एक मुकदमा है 90/2016 पुरानी कोतवाली का, उसमें 420 का मुलजिम है, उसको थाने में बैठा लिया और उसको छोड़ दिया। मनमर्जी के हिसाब से काम करते हैं। लोगों में असंतोष होता है इस प्रकार के जो कई मामले हैं और हमारे जो थाने हैं, थाने में अच्छे ईमानदार अधिकारी को लगाना चाहिए क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी को लगाने से वहां की व्यवस्था बिगड़ जाती है। मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि अच्छे अधिकारी लगेंगे तो वहां का वातावरण सुधर जाता है और भ्रष्ट अधिकारी लगने से वहां का वातावरण बिगड़ जाता है इसलिए अच्छे अधिकारी को वहां थानों में लगायें, ताकि वहां

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

के आम जन को राहत मिले आम जन को फायदा मिले और उसको यह लगे कि मैं जाऊंगा तो एसएचओ मेरी बात सुनेगा। इस प्रकार के मेरे सुझाव हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री हीरालाल जी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-6, 16 व 17 न्याय, पुलिस व कारागार पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे राजस्थान के गृह मंत्री वाकई में न्यायप्रिय हैं और स्पष्टवादी भी हैं। वो शायद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना एक विशेष स्थान रखते हैं तो इसमें निश्चित ही कोई दो राय नहीं है कि वो निष्पक्षता की भावना से हमारे राजस्थान में पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। हमारे पुलिस महकमे में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत फोरेन्सिक विंग की स्थापना की जा रही है। गृह विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5,653 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान है जो 2016-17 के बजट अनुमान से 11.83 परसेंट ज्यादा है। राजस्थान में माननीय पूर्व डीजीपी आदरणीय ज्ञानप्रकाश जी पिलानिया, जो अपने सिद्धांतों के लिए अपनी नीतियों के लिए मशहूर रहे हैं। वो थाने को मंदिर बनाना चाहते थे। उनकी एक सोच थी कि थाने मंदिर बने। पिलानियाजी की सोच थी कि थाने मंदिर बनने चाहिए। वास्तव में उनकी सोच बहुत बढ़िया थी। अगर थाने मंदिर हो जाएं तो यह प्रजातंत्र में रामराज आ जाए। हमें भी यह देखना होगा कि पिलानियाजी ने थानों को मंदिर बनाने की बात सोची उसमें हम कहां तक पहुंचे और कहां तक उस बात को हम क्रियान्वित करने के लिए तत्पर हैं। आज जनता में संदेश जाना चाहिए कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। आज एक जनता का साधारण आदमी, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो थाने में चला जाए, क्योंकि अगर थाने में अच्छा व्यवहार होगा तो निःसंकोच जाकर वो अपनी बात कहेगा, तो मैं यह निवेदन करूंगा माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कि पुलिसकर्मियों को भी शिक्षा देने की बात है तो नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए। उनको ट्रेनिंग दी जाए कि नैतिक शिक्षा क्या होती है। जिस तरह से उनको योग शिक्षा दी

(श्री हीरालाल)

जाती है जिस तरह से उनको परेड के लिए आवश्यक है रिफ्रेशर कोर्स होता है, तो नैतिक शिक्षा की भी उनको एक ट्रेनिंग दी जाए या रिफ्रेशर कोर्स टाइप उनके लिए किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के मेरे साथीगण आज...

श्री सभापति: माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, सुनें इनको।

श्री हीरालाल (निवाई): महत्वपूर्ण वक्तव्य नहीं है साहब, मैं तो सजेशन दे रहा हूं इनको। महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले तो प्रतिपक्ष के और बहुत मेरे विद्वान साथी हैं। मेरे प्रतिपक्ष के साथी इस तरह की बात करते हैं कि सरकार आने के बाद अपराध बढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से दावे के तौर पर कह सकता हूं कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, हमारी वसुन्धराजी की सरकार आयी है, तब-तब अपराधों में कमी हुई है और जहां ये बात करते हैं अपराधों की कि बीजेपी का शासन आने के बाद अपराधों में बढ़ोतरी हुई है तो मैं प्रतिपक्ष के भाइयों से कहूंगा कि बारां में महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ क्या हुआ? जोधपुर में जेलर को जिन्दा जला दिया तो इस तरह से ये चीजें हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता।

मैं अब सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगों पर आता हूं। चूंकि परमेशचन्द्र समिति के सुझावों के अनुसार नगरपालिका में एक ही थाना होना चाहिए अत: माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निवाई में भी सदर थाना बनना चाहिए। वर्तमान में निवाई थाने की दूरी होने से लोगों को आने-जाने में काफी समय लगता है। कोई घटना कारित हो जाती है तो उसमें पुलिस को भी पहुंचने में समय लगता है। प्रस्तावित सदर थाने की 11 पंचायतों में 2000 की तुलना में 2014 में अपराध बढ़े हैं तथा पुलिस कार्यवाही में भी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस सदर थाने हेतु पुलिस चौकी गुंसी के लिए पर्याप्त जमीन भी है। पुलिस थाना निवाई सदर होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित होने वाले अपराधों, सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य अपराधों में पुलिस संबंधी आवश्यकताओं में

(श्री हीरालाल)

त्वरित कार्यवाही हो सकेगी। मेरा विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर और जयपुर से सटा हुआ है। कोई अपराधी है तो अपराध करने के बाद सीधा वह सवाईमाधोपुर का रास्ता पकड़ लेता है। अगर सदर थाना हो जाता है तो अपराधों पर रोक लगेगी। प्रस्तावित सदर थाने में 11 पंचायत मेरी निवाई की होगी और अभी निवाई वृत्त में थाना बरौनी है जिसमें पराना, देवलीवाची, मण्डावर, हथोना, जोणला, सोयला, हाडीकला, पहाड़ी, नटवाड़ा, रजवास, खंडवा ये गांव भी उससे प्रभावित होंगे तो मेरी पुरजोर मांग है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि निवाई में एक सदर थाना होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के गांव झिलाई, जो कि निवाई का सबसे बड़ा कस्बा है, पिछली बार अस्थायी चौकी स्थापित की गयी थी, जो बौंली रोड पर है, जो सवाईमाधोपुर से मिलती है तो उस अस्थायी चौकी को स्थायी किया जाए।

साथ ही जेल के संबंध में भी सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय केन्द्रीय कारागृहों में सीसीटीवी स्थापित किये गये हैं। तीस उप कारागृहों में चार करोड़ रुपयों की लागत से सीसीटीवी स्थापित किये गये हैं। यह बहुत सराहनीय बात है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 28 फरवरी, 2015 को एक लूट की घटना हुई। 1.3.2015 को मुकदमा दर्ज हुआ। मोटरसाइकिल पर बैठकर दो अपराधी सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग करते हुए भाग गये, जिसमें एक मदन मीणा, मुनीम था वो मौक़े पर मारा गया और सर्राफा व्यापारी का लड़का घायल हुआ। फरवरी, 2015 से आज तक उस घटना का क्या हुआ, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सींधड़ा है जो पुलिस थाना निवाई के अन्तर्गत आता है। 3.3.2016 को मृतक पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा, ग्राम सींधड़ा, पी.एस. निवाई थाना, उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला खतम कर ली, जिसमें राजाराम गुर्जर, बासड़ी, सुन्दर लाल बैरवा, टोंक, लाला शर्मा, मोहनपुरा, वाटिका, श्योजीराम मीणा, भगवान सहाय बैरवा, बुद्धिप्रकाश सैनी, शिवदासपुरा, जयपुर, जिसमें लाला का सुसाइड नोट

(श्री हीरालाल)

लिखा हुआ पुलिस को मिला। उसमें मरने वाले ने लिखा कि इन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी और कहा कि उठा कर ले जाकर तुझे मारेंगे। इस तरह का सुसाइड नोट भी मिल गया, उसकी हस्तलिखित राइटिंग भी पुलिस को उपलब्ध करा दी गई। आज तक उस केस में कुछ भी अता-पता नहीं चला।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह के जो प्रकरण होते हैं वो हमारी पुलिस के लिए वाकई में प्रश्न चिन्ह है तो इन केसों का खुलासा किया जाए पुलिस की वर्दी जनता के सहयोग के लिये है। पुलिस की वर्दी ऐसे ही नहीं है, यह अंग्रेजों के टाइम की वर्दी है। माननीय सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से यह सुझाव है कि ड्रेस कोड भी बदलना चाहिये। पुलिस की वर्दी पहनकर जनता में ऐसा महसूस हो कि यह हमारा सेवक है। उस वर्दी के रोब में पुलिसकर्मी जनता में अच्छी छवि नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। पुलिसकर्मी चाहे वह थानेदार हो, चाहे वह डीवाई एसपी हो, जन प्रतिनिधि चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, उन जन प्रतिनिधयों से उनका टाइअप होना चाहिये, तालमेल हो। कोई बात वह कहते हैं तो उसको अपने संज्ञान में लेना चाहिये। अगर वह गलत बात कहते हैं तो इग्नोर करना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं है। आज कोई भी जिला स्तर पर बैठकर कहीं एमएलए से, कही प्रधान से, जिला प्रमुख से टाइअप नहीं रखते, यह अपने प्रशासन के लिये अच्छी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी है, वह चाहे डीवाई एसपी है, चाहे एसपी है, उनको जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाये और जनता से अच्छा सहयोग किया जाये तभी हमारे देश में और प्रदेश में पुलिस के प्रति अच्छी पहचान बनेगी। आपने मुझे मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मनोज जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन, मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार, तीनों महत्वपूर्ण मांगों पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके

(श्री मनोज कुमार)

लिये आपका बहुत-बहुत आभार। आज हमारे प्रदेश में हमारे आम नागरिक की बात हो, हमारे जन प्रतिनिधियों की बात हो या हमारे पुलिस प्रशासन की बात हो, तीनों मांगें जनता से जुड़ी हुई हैं और अंतिम छोर पर हम लोग पुलिस के भरोसे अपने प्रदेश की, देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारे सामंजस्य की जो बात है, वह महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में हमारी आशा और विश्वास पुलिस पर टिका हुआ है। हर कार्य के लिये पुलिस की आवश्यकता है। उनके सहयोग के बिना किसी भी कार्य को करना संभव नहीं रहा है। हमारे गृह मंत्री महोदय विराजमान नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हमारे पुलिस थाने का सब इंस्पेक्टर और सीआई, हमारे दो थाने के इंचार्ज लगते हैं, सबसे पहले सुधार की आवश्यकता उस अंतिम छोर पर बैठे हुए उस एसएचओ में सुधार करने की जरूरत है। आज जितने भी क्राइम जहां से शुरू होते हैं, उस क्राइम में कहीं न कहीं हमारी भागीदारी उस एसएचओ से जुड़कर रहती है। चाहे वह क्राइम मासिक बंधी का हो, शराब की बंधी है, माइन्स की बंधी है, खनन की बंधी है, लकड़ी के काम करने वाले से बंधी है, जुआ, सट्टा करने वाले से बंधी है। अपराध करने के नाम से छूट देने वाला व्यक्ति जो कानून का रक्षक बनकर बैठा है, वह अंतिम छोर पर छूट देने का काम करता है, सबसे पहला अपराधी इस प्रदेश का वह है। वर्दी में आने वाले व्यक्ति को हम रक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, वह रक्षक की नहीं वर्तमान स्थिति यह हो गई कि वह भक्षक की स्थिति में है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमें उस क्षेत्र के उन अपराधियों की, उन ठेकेदारों की, उन खनन माफियाओं के मोबाइल की लोकेशन लेकर उस एसएचओ के आसपास रहने वाला उसका रीडर, उसका ड्राइवर, उनको अगर आप जोड़कर लोकेशन ले लेंगे तो क्राइम से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्य आपको वहां से मिलेगा। इसलिए हमें वहां जाने की जरूरत है।

हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं, उन तक कम्प्लेंट लेकर आते हैं, उच्च अधिकारियों के सामने हमारा जन प्रतिनिधि जाता है चाहे सरपंच के नाम से भी चला जाये, यह सम्मान के साथ देखते हैं लेकिन आप थाने में चले जाना, आपके एमएलए को, आपके मिनिस्टर को, आपके जन प्रतिनिधि को

(श्री मनोज कुमार)

एक कांस्टेबल भी हेय दृष्टि से देखता है कि जन प्रतिनिधि आ गया, यह किसी न किसी काम को यूं ही कहने आया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक आईपीएस अधिकारी के पास जाते हैं तो वह सम्मान के साथ कहता है कि आइए, अपनी बात बताइए। लेकिन थाने में जाने पर आपको कांस्टेबल यही नहीं कहना चाहता कि बैठिए, आइए, पानी पीजिए। आप परिवादी की बात करते हैं। यह तो जन प्रतिनिधियों का हाल है। आप इस बात पर गंभीरता से विचार करते हुए शुरुआत में जहां धरातल पर अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यालय पर डीआईजी और आईजी की पोस्ट खूब सारी हैं। हमारे यहां मुख्यालय में बैठे हुए हैं। एक डीआईजी या आईजी की पोस्ट के व्यक्ति को, जो उस सर्किल से संबंधित न हो, महीने में एक बार जनता के साथ, हमारे जन प्रतिनिधियों के साथ महीने में एक जन सुनवाई करने जाये। उस क्षेत्र के जितने भी अधिकारियों की शिकायत हों, वह लेकर आये और यहां मुख्यालय में आकर सर्तकता में अपनी सारी रिपोर्ट दे और उसकी जांच की जाये। अगर गलत रिपोर्ट है तो आप उसे नकार दीजिए और उस परिवादी तक अपनी रिपोर्ट भेजिए कि हमें इस तरीके की आपने शिकायत की थी, इसमें जांच में यह पाया गया है। जो दोषी मिले तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह बहुत गंभीर विषय है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, पुलिस थानों में लॉ एण्ड आर्डर और इन्वेस्टीगेशन एजेंसी, दोनों को भी कहीं न कहीं अलग-अलग करने की जरूरत है। लॉ एण्ड आर्डर के अधिकारी पूरे दिन उस व्यवस्था में लगे रहते हैं और इन्वेस्टीगेशन भी हम चाहते हैं तो जो सज़ा का हमारा प्रतिशत है वह इन्वेस्टीगेशन आफिसर अदालत में जाकर नहीं टिक पाता, इस कारण से सज़ा की कमी हुई है।

अभी आंकड़ो की बात कर रहे थे। कांग्रेस के भी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कर रहे थे। आंकड़े चाहे हमारे कितने भी बढ़ जाये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीड़ित व्यक्ति हमारे सामने आकर यह नहीं कहे कि हमारी बात सुनी नहीं गई। मुकदमे दर्ज हो जायेंगे, संख्या बढ़ जायेगी, कोई बात नहीं, संख्या बढ़ने से किसी भी सरकार पर कोई लांछन

(श्री मनोज कुमार)

नहीं लग सकता। अपराध अगर बढ़े हैं, अपराध अगर हो रहे हैं तो पीड़ित व्यक्ति को इस बात के लिये नहीं रोका जा सकता कि निपटारे में समस्या होगी। हमारे मुकदमे ज्यादा दर्ज होने से समस्या आ जायेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

जिस तरह से एक्साइज एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, जुआ एक्ट की बात करते हैं, इन सभी में हम पाबंद करते हैं कि आप टार्गेट पूरा कीजिए। यह कौनसा टार्गेट है। जहां शराब नहीं मिली तो आप टार्गेट क्या पूरा करोगे? इसलिए जबरदस्ती मुकदमे न बनाये जाये। आप जुआ में कहते हैं कि टार्गेट पूरा कीजिए। हम एक तरफ तो क्राइम घटाने की बात करते हैं, दूसरे दिन हम टार्गेट देते हैं। क्राइम का क्या टार्गेट है? अगर मिलते हैं तो पकडिये, गिरफ्तारी कीजिए।

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, किसी भी अपराध की संभावना हो, जहां दो गुटों में आपस में टकराव की स्थिति हो और प्राथमिक स्टेज में पुलिस को अगर सूचना मिलती है तो प्री-प्रोटेक्शन के लिये पुलिस तैयार रहे ताकि वह क्राइम न घटे, उसको पहले रोका जा सकता है, उनमें तालमेल करके रोका जा सकता है, इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाये।

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, अनुसंधान के बारे में माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं एक बहुत गंभीर विषय बताना चाहता हूं। जो भी क्रिमिनल व्यक्ति हैं, वर्तमान की स्थिति यह हो गई कि अपराध करने वाला व्यक्ति जाकर आईओ से तय करता है कि साहब कौनसी धारा तोड़नी है और इसमें कौन-कौनसे नाम रखने हैं और इसकी राशि बता दीजिए, वह इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। छोटे जितने भी अपराध हैं उनमें 100 परसेंट यह की यह स्थिति है।

आर्म्स एक्ट का मामला है, गृह मंत्री महोदय यह है तो लॉ से संबंधित, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कर सके, आर्म्स एक्ट एक ऐसा अपराध है जिसको पुलिस बड़े मुश्किल से पकड़ती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते ही जमानत हो जाती है। एनडीपीएस के मुकदमे में एक अपराधी को पकड़ने के बाद 10 साल की सज़ा, एक लाख रुपये जुर्माना, जमानत का प्रावधान नहीं। पोस्त खाने वाला व्यक्ति 50 वर्ष में भी नहीं

(श्री मनोज कुमार)

मरता और गोली लगने वाला व्यक्ति तुरंत मर जाता है। हथियार मारने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता। इसलिए आर्म्स एक्ट में संशोधन किया जाये या स्टेट गवर्नमेंट अलग से एक्ट लेकर आये। आर्म्स एक्ट में सज़ा का प्रावधान बड़ा हो। 10 साल से कम सज़ा न हो। जमानत का इसमें प्रावधान नहीं हो। इस पर गंभीरता से विचार किया जाये।

मैं मेरे क्षेत्र की एक-दो बात कहना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा सीमा से जुड़ा हुआ है। वहां क्राइम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए एक सदर थाने की मांग करना चाहूंगा। हमारे हरियाणा सीमा पर भांखरा की चौकी हुआ करती थी...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्यूं थाना मांग रहे हो जब थाने में ऐसा होता है ...(व्यवधान)... सब बातें रिकार्ड में आ रही है, ऐसा नहीं बोलो। कहीं होता होगा लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मुख्य सचेतक महोदय, रिकार्ड के लिये ही कह रहा हूं। आप भी अच्छी तरह से जानते हो लेकिन धरातल की बात करने का दम नहीं है आपमें। गृह मंत्री महोदय, हरियाणा सीमा पर भांकरा की चौकी हुआ करती है, उसको लंबे अर्से से बंद कर दिया गया है। उसको दुबारा चालू किया जाए क्योंकि वह सीमा पर है और एक गंभीर मुक़दमे के लिए मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था। उस मुक़दमे के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एफ.आई.आर. नंबर 75/14, 76/14, 77/14, एक परिवादी को गोली लगी और दो साल से लगातार आपकी अंतिम छोर की एस.ओ.जी. ने उसमें अपराध माना, मुलजिम नहीं माना। यह गांव की घटना है। इसलिए इसका इंवेस्टीगेशन चेंज करके सी.आई.डी. आदि जो भी हैं। आप इन तीनों मुकदमों की दुबारा इंवेस्टीगेशन करा दें। जिससे उसको न्याय मिल सके। एक गृह वृत्त क्षेत्र है। हमारे वहां क्षेत्र में कांस्टेबल भी लगे हुए हैं, ड्राइवर भी लगे हैं। मैं कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी जवाब मांगा था और मेरे पास चिट्ठी में जवाब भी आया था कि वृत्त क्षेत्र में कोई भी कांस्टेबल, ड्राइवर नहीं लग पाएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर उन्हें कहीं न कहीं व्यवस्थित किया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भी थाने वृत्त क्षेत्र के हैं, उन लोगों को वहां से हटाया जाए। किसी भी व्यक्ति को वहां पर नहीं लगाया जाए।

(श्री मनोज कुमार)

होम गार्डों की एक मांग है। माननीय गृह मंत्री महोदय, होम गार्ड काफी बार अपन से मांग कर चुके हैं। इनकी जो उचित मांग है, जो कि सरकार पूरी कर सकती है, उसे सरकार करे। माननीय गृह मंत्री महोदय, पुलिस पर जो भार है। पुलिस में नफरी की संख्या बहुत कम है। संबंधित थानों में नफरी बढ़ाई जाए और इन जवानों को हर सात दिन में कम-से-कम एक अवकाश दिया जाए। इनकी हार्ड ड्यूटी होने के कारण इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। इसलिए इनको सात दिन में एक अवकाश दिया जाए। इनके मैस व वर्दी के भत्ते बढ़ाए जाएं, क्योंकि इनकी सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये कम राशि में अपना काम करने के लिए अक्षम हो जाते हैं। इसलिए कांस्टेबल के लिए यह राशि बढ़ाई जाए।

इसके साथ ही मैं न्याय और प्रशासन के बारे में और बात करना चाहूंगा। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, पाँच मिनट। न्याय और प्रशासन में कहना चाह रहा हूं कि हमारी कानून व्यवस्था में पुलिस प्रशासन जो कर रहा है, उसके बाद हमारी दूसरी पोजिशन.. जब हम न्याय में फैसले की बात करते हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारी यह स्थिति हो गई है कि किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अदालत में फैसला जरूर हो रहा है। लंबे अर्से से पद रिक्त होने के कारण, क्योंकि आज भी मैंने एक अख़बार में पढ़ा था कि माननीय केंद्रीय विधि मंत्री ने हमें चिट्ठी लिखी है कि जो रिक्त पद हैं, उनको भरा जाए जिससे लोगों को न्याय मिल सके और हमारे मीडिया पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए? जो मामला मीडिया में आ जाता है, न्यायपालिका उस मीडिया ट्रायल से भी प्रभावित होती है। न्यायाधीश पर मुकदमों का भार इतना हो गया कि सुबह से लेकर पाँच बजे तक सुनते है और उसके बाद फैसले लिखाने की जहां स्थिति है, उसमें भी गंभीरता नहीं रही है क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम एक कानून मानते हैं। लेकिन वह भार इतना होने के कारण व न्यायालय में रिक्त पदों के कारण उनमें सही रूप से निर्णय लिखने में उनकी सक्षमता नहीं रहती। इसलिए जल्द से जल्द रिक्त पद भरे जाएं। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

(श्री मनोज कुमार)

एक-दो बात कारागार की और कह देता हूं। कारागार में विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सारे अपराधी मोबाइल का उपयोग करते हैं। अगर बंद क्षेत्र में अपराधी रहता है और वहां भी वह उपयोग करता है और हमारा पुलिस प्रशासन उसे रोकने में सक्षम नहीं है तो इससे गंभीर और कोई बात नहीं हो सकती है। प्रत्येक जेल में अपराधी मोबाइल रखते हैं, वाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और उससे गेम चलाते हैं। इसे पूर्णत: रोका जाए और वहां के प्रहरी को अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं क्योंकि प्रहरी भी अपराधियों के पास जाने से डरते हैं कि अंदर चले जाएंगे तो अपराधियों को रोकने का कोई साधन उनके पास नहीं है। इसलिए जेल पर बहुत बड़ा नियंत्रण किया जाए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री भँवरसिंह जी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, मांग संख्या - 6, 16 और 17 पर मैं बात करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मांग-न्याय और प्रशासन। सभापति महोदय, बीकानेर संभाग मुख्यालय है और बीकानेर संभाग के चारों जिलों के लोगों को हाईकोर्ट से संबंधित किसी भी तरह का काम होने पर, न्यायिक वाद होने पर जोधपुर जाना पड़ता है जो बीकानेर और बीकानेर संभाग के अन्य जिले गंगानगर, हनुमागढ़ आदि जिलों के लोगों के लिए काफी असुविधाजनक होता है। बीकानेर में हाईकोर्ट की बैंच खोलने की मांग..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये युवा लोग जिस प्रकार की बात कर रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इससे पता चल गया कि आप बुज़ुर्ग हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मेरा निवेदन सुनो।(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आप विराजें। अभी माइक आपको अलाऊ नहीं कर रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मेरा निवेदन सुनो कि घनश्यामजी ने कहा तो बहुत अच्छा कहा। मेरे लिए, किरण जी और वासुदेव जी, सबको युवा मान रहे हैं। आपने युवा किसे कहा? युवा है ही नहीं कोई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी हरकतें युवा जैसी थीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): क्या कहा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हरकतों से समझ जाओ। पुलिस पर बहस चल रही है। पुलिस वाले ऐसे ही तो पकड़ते हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच खोलने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन भी रहा है और बीकानेर संभाग के आम जन की एक बहुत बड़ी मांग भी है। इस संबंध में बीकानेर में वहां के लोगों द्वारा बंद भी रखा गया और अभी पिछले वर्षों में लंबा धरना भी चला। अभी भी जो हर माह आधे दिन का अवकाश रखा जाता है, वह हाईकोर्ट बैंच बीकानेर में खोलने की मांग को लेकर रखा जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इंगित करते हुए बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच खोलने की मांग करना चाहूंगा, जो कि पिछले लंबे समय से विचाराधीन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इस विधान सभा में यह निर्णय हो चुका है कि यह विषय विधान सभा का नहीं है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का विषय है। इसमें दो बार विषय उठ चुका है। इसलिए कृपया दूसरे विषय पर आएं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, पुलिस की कार्यप्रणाली पर और पुलिस, जनता और जन प्रतिनिधियों का आपसी समन्वय बना रहना चाहिए। इस विषय पर कई माननीय सदस्यों द्वारा बात रखी गई है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से पुलिस और जनता का एक तालमेल होना चाहिए। पुलिस थानों में जाने पर लिखा मिल जाता है कि 'अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास'। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि पुलिस थानों में आम जन के साथ दुर्व्यवहार की कई बार घटनाएं हो जाती हैं और समय-समय पर हमने देखा भी है।

(श्री भंवरसिंह)

मैं बीकानेर जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र बज्जू थाने की बात करना चाहूंगा। जहां पर किस प्रकार का व्यवहार आम जन के साथ होना चाहिए। सभापति महोदय, पिछले दिनों एक सी.एल.जी. का सदस्य जब पुलिस थाने में जाता है और उस सी.एल.जी. के सदस्य के साथ, वहां के ए.एस.आई., हैड कांस्टेबल मारपीट करते हैं और उसको लॉकअप में बंद कर देते हैं। वहां की स्थानीय जनता का विरोध भी होता है। जो व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है, उसी को सी.एल.जी. का सदस्य बनाया जाता है। वह व्यापार मंडल का सदस्य था। व्यापार मंडल के द्वारा एस.पी. को ज्ञापन भी दिया गया, उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। माननीय गृह मंत्री महोदय को भी हमने पिछले दिनों इसका परिवाद भी दिया है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो कर्तव्यविमुख कार्मिक होते हैं और जिनके द्वारा थानों में आम जन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, ऐसे लोगों को थानों में नहीं रखा जाना चाहिए। सभापति महोदय, वर्षों से जो जमे हुए कार्मिक हैं, पुलिस के कांस्टेबल हैं, हैड कांस्टेबल हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस थाने का एसएचओ, सीओ, एसपी, सब बदलते रहते हैं लेकिन नीचे का जो सिस्टम होता है, हालांकि माननीय गृह मंत्री और डीजीपी महोदय के द्वारा यह आदेश भी प्रसारित किए गए कि तीन या पाँच साल से अधिक थानों में जो कार्मिक रहते हैं उन्हें एक ही थाने में नहीं रखा जाए। उसके बावजूद किसी न किसी तरीके से वे एडजसटमेंट करके लंबे समय से थानों में जमे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गृह वृत्त में जो कार्मिक है उनको गृह वृत्त में नहीं रखा जाए। दो या तीन साल से एक ही थाने में जो लोग जमे हुए हैं उनको अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं मेरे बीकानेर जिले की बात करना चाहूंगा। बीकानेर में जिप्सम का भारी मात्रा में अवैध खनन होता है। बजरी का अवैध खनन होता है। हमारे माननीय गृह मंत्रीजी और डीजी महोदय बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं और निष्पक्ष बात का पक्ष करते हैं, गलत बात की पैरवी नहीं करते, और इस तरह के अधिकारियों को रखना भी नहीं चाहते। मैं कहना चाहूंगा कि

(श्री भंवरसिंह)

हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे, जैसाकि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि थाने का एसएचओ होता है, शराब-माफियाओं से, चाहे भू-माफियाओं से, खनिज माफियाओं से, तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं वह थाने की या थाने के एसएचओ की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। एसएचओ वह काम तभी कर सकता है जब जिले का पुलिस का कप्तान उससे सीधा लिंक रखे।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज से एक साल पहले और पिछले दो सालों में हमारे बीकानेर जिले में जो पुलिस अधीक्षक रहे, उनके कार्यकाल में जिप्सम, अवैध खनन, शराब माफिया, भू-माफिया का एक खुला ताडंव चला। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर के पुलिस के वर्तमान मुखिया है, उन्होंने निश्चित रूप से जिप्सम के अवैध खनन पर और जो भी अवैध गतिविधियां होती हैं, पुलिस थाने के एसएचओ द्वारा वसूली आदि की जाती है, उनमें निश्चित रूप से उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहूंगा कि नीचे के स्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी समय-समय पर बदलना चाहिए। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

बीकानेर जिले में 200 से भी ज्यादा हथियारों के लाइसेंस बनकर आए हैं। तमाम हिस्ट्रीशीटर, जो जिप्सम के अवैध खनन का काम करते हैं, शराब माफिया हैं, अवैध गतिविधियों में रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों ने ऑल इंडिया के हथियारों के लाइसेंस बना लिए हैं। वे खुले आम हथियार लेकर क्षेत्र में घूमते हैं। उसकी वजह से बीकानेर जिले में, विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारी दहशत का माहौल है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नागालैंड और देश के अन्य राज्यों से इस तरह के हथियारों के लाइसेंस बनकर आ रहे हैं। वह लाइसेंस किस प्रकार से बनते हैं, उनके बनने की क्या प्रक्रिया है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम बीकानेर सहित राज्य के अन्य जिलों में भी इस तरह के लाइसेंस बने है तो उन लाइसेंस की जांच होनी चाहिए। अगर वे गलत लाइसेंस हैं तो निश्चित रूप से लाइसेंस धारकों व लाइसेंस देने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, एक तरफ पुलिस थानों में मुक़दमे दर्ज होते हैं।

(श्री भंवरसिंह)

पुलिस थाने के एसएचओ राजनीतिक प्रभाव से लगाए जाते हैं। वह थाने में आने वाले परिवादी को देखते हैं कि यह कांग्रेस का है या बीजेपी का है, वह इस प्रकार से तफ्तीश करते हैं। उस तफ्तीश में यदि परिवादी को न्याय नहीं मिलता है तो उसकी जांच चेंज करवाने के लिए हम जिले के पुलिस अधीक्षक को कहते हैं। वह जांच चेंज हो जाती है। लेकिन जो मुलजिम होते हैं वह दुबारा जांच चेंज करवा लेते हैं। वह अपराधी जांच चेंज के नाम पर अपने आपको बचा लेता है। दुबारा उच्च अधिकारियों को कहते हैं तो यह कहा जाता है कि तीन बार से ज्यादा जांच चेंज नहीं की जा सकती। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी अनेक जांच है, हमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया जाता है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि तीन से ज्यादा बार जांच चेंज नहीं करेंगे, लेकिन चार बार, पाँच बार, छह-छह बार तक मेरे विधान सभा क्षेत्र के थानों की जांच चेंज हुई है।

सभापति महोदय, होमगार्ड की बात भी करना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने होमगार्ड के बारे में कहा है। लंबे समय से पूरे राजस्थान में अरबन होमगार्ड के जवान काम कर रहे हैं। इन्हें नाम मात्र का मानदेय दिया जाता है और साल में करीब दो महीने या तीन, साढ़े तीन महीने ड्यूटी दी जाती है। सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि अरबन होमगार्ड के जवानों को 12 महीने ड्यूटी दी जाए। ये अपना कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। इनकी आवश्यकता हर जगह है, हर जगह यह काम करते हैं। पुलिस के समकक्ष ही ड्यूटी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। होमगार्ड के जवानों को भी पूरा मानदेय दिया जाए, पुलिस के समकक्ष इनको ड्यूटी भी दी जाए, इनका मानदेय भत्ता है वह भी दिया जाए। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, लास्ट में बॉर्डर होमगार्ड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बॉर्डर होमगार्ड राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर चार जिले हैं, इन चारों जिलों में बॉर्डर होमगार्ड की चार बटालियन है और इनकी कुल नफरी 2600 है। आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, आबकारी, विद्युत, जेल, रेल, खनन विभाग, हाईकोर्ट जयपुर इत्यादि विभागों में ये लगातार सेवाएं दे रहे हैं। आज तक इन जवानों के बारे में

(श्री भंवरसिंह)

किसी के द्वारा सुध नहीं ली गई है। इन्हें सिर्फ नाम मात्र का वेतन दिया जा रहा है। इन्हें मूल वेतन और डीए के अलावा न तो इंक्रीमेंट दिया जाता है, न ही कोई मैस भत्ता मिलता है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि बॉर्डर होमगार्ड के जवान पूरी तरह से हथियार बंद जवान हैं। ये सेना, आर्मी, चुनाव, अन्य राज्यों में भी जाते हैं। लंबे समय से चार बॉर्डर होमगार्ड की कम्पनियों का गठन किया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बॉर्डर होमगार्ड के जवानों को पुलिस के समकक्ष सुविधाएं दी जाएं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इन्हें नियमित भी किया जाए। इनकी उम्र 55 से 60 की जाए। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर सरकार से इनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): धन्यवाद।

श्री सभापति: मास्टर मामनसिंह जी यादव साहब।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 पुलिस पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी प्रदेश, क्षेत्र या देश हो, सुशासन, सुराज, राम राज तभी कायम हो सकता है जब भयमुक्त, अपराधमुक्त और हर जन मानस को यह सुनिश्चित हो कि हम भयमुक्त हैं, हम सुरक्षित है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान तीन साल पूर्व प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, उस ओर दिलाना चाहूंगा।

श्री सभापति: दिला दो।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): पूरे न्यूजपेपर्स में चोरी, डकैती, अपराध...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, विधायक जी वहां बात कर रहे हैं, जबकि व्यवस्था दे रखी थी कि इस तरह ऑफिसर गैलेरी के अंदर कोई विधायक, मंत्रियों के अलावा बात नहीं करें। कैसे खड़े हैं जैसे घर में खड़े हो।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मैं मंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं पूर्व सरकार की बात कर रहा हूं, यह ऐसा कह सकते हैं।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको नहीं कहा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): ठीक है साहब। तीन साल पूर्व की स्थिति को आमजन जब याद करता है, जैसे कोई दुर्घटना हो जाए, सामान्य स्थिति के बाद फिर उसको याद करता है तो उसको एकदम कंपकंपी आती है। रोजाना सुबह-सुबह जब अखबारों में पढ़ते थे तो चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट, खसोट, आपराधिक घटनाएं, तीन चौथाई ऊपर का पेज भरा हुआ होता था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई, माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में यह सरकार बनी तो अहम सवाल यही था कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अपराधियों पर अंकुश, भयमुक्त और शांतिपूर्ण सुरक्षित वातावरण प्रदेश में हो। इसके लिये व्यवस्था हुई। इस काम के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा ऐसे हमारे मंत्री महोदय का चयन किया गया, जो निष्पक्ष, न्यायप्रिय, सबको न्याय, जैसे हमारे प्रधान मंत्रीजी का नारा है, 'सबका साथ-सबका विकास', ऐसे ही हमारे मंत्री महोदय ने 'सबको न्याय', पक्षपात नहीं, अपना हो, पराया हो, अपराधी हो उसको दण्ड मिलेगा, आमजन को न्याय और सुरक्षा मिलेगी, ऐसे हमारे मंत्री महोदय को पदस्थापित किया गया। इनके प्रयास और इनकी योजना से हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में पूरा प्रयास हुआ और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपराधों में 80 प्रतिशत कमी हुई है। कोई इक्का-दुक्का घटनाएं अखबारों में आती हैं। पूरा प्रदेश और विशेष रूप से अलवर और भरतपुर

(श्री मास्टर मामन सिंह यादव)

आपराधिक अड्डा हुआ करता था। वहां पर अलवर जिले के सीमावर्ती हरियाणा क्षेत्र है, जहां पड़ोसी क्षेत्रों में ज्यादा अपराधी बसते हैं और वे राजस्थान में प्रवेश करते हैं और हमारे उस अलवर जिले के ही एक काबिना मंत्री दिल्ली में बैठे थे, और हमारे एक काबिना मंत्री इसी विधान सभा में थे, तिजारा के। अपराधियों को उनका संरक्षण था, इस वजह से और ज्यादा स्थिति खराब हुई। रात को अलवर से या भरतपुर से भिवाड़ी तक अगर जाना होता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि वह सुरक्षित पहुंच जायेगा, या तो लुटेगा या पिटेगा या मरेगा, यह तय था।

आज आप सबको जानकारी है कि भिवाड़ी, तिजारा, अलवर, भरतपुर और जो भी क्षेत्र है, उनके अन्दर शांति-व्यवस्था है। हमारे वहां के क्षेत्र के लोग सब रिश्तेदारों को यह कहने लग गये थे कि छह बजे बाद मत आना। दिन में आना और दिन में भी सम्भल कर आना। इस तरह का भय व्याप्त था। आज मैं सदन के सामने माननीय सभापति महोदय, यह दावे के साथ कहता हूं कि हमारे यहां अपराध बिलकुल खतम हो गया। रात को जाओ, दिन को जाओ, किसी तरह का कोई अपराध नहीं। छोटी-छोटी कोई घटना, छोटी-मोटी अगर हो जाती है, उस पर भी तुरंत कार्यवाही होती है।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है कि भरतपुर में ज्यादा अपराधी बसते हैं। ...(व्यवधान)...

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय सदस्य, आप अपनी बात जब आपका नम्बर आये, तब कह देना ...(व्यवधान)... बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं।

श्री सभापति: बिना अनुमति के बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो।

श्री भजन लाल (वैर): 000

श्री सभापति: आपने बिना अनुमति के बोला है, वह अंकित नहीं हो।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): अलवर, गोकशी की घटना, तिजारा, कामां, अलवर ग्रामीण, नगर, रामगढ़ जैसा इतना क्षेत्र हो गया था, जहां रोज

(श्री मास्टर मामन सिंह यादव)

गोकशी होती थी। आज कोई घटना अखबारों में पढ़ते हो। यह अंकुश आपने लगाया है। इस पर शांतिपूर्ण सुराज, भयमुक्त वातावरण, रामराज्य का जो माहौल तैयार किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय को, सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्ययवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ऐसे निर्भीक, निष्पक्ष और न्यायप्रिय, सबको न्याय दिलाने वाले मंत्री महोदय को बार-बार धन्यवाद। ये घटनाएं, ये इसी तरह रहें, इसको सुनिश्चित करने के लिये, माननीय मंत्री महोदय से, मैं कोई आंकड़ों में ज्यादा नहीं चलूंगा, क्योंकि समय कम मिलता है। फिर बाद में वही कल वाली दिक्कत आयेगी, तो मैं शोर्ट में, संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं माननीय सभापतिजी के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तिजारा, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, कामां और नगर, ये पाँच तहसीलें ऐसी संवेदनशील हैं जहां पर गोकशी का गोरखधंधा पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब भी चोरी-चकोरी कोई अपराधी कर सकता है। इसीलिये आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम, ये पांचों संवेदनशील क्षेत्र हैं, क्योंकि गऊ की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने शपथ लेते ही तुरंत बाद गौ-रक्षा मंत्रालय स्थापित किया, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा धर्म बनता है कि गौ-रक्षा के लिये कम से कम दो-दो चौकी पांचों जगह खोली जायें। माननीय सदस्य विधान सभा क्षेत्र के नाम आपको नोट करा देंगे। वैसे तो चार हैं, लेकिन आपसे ज्यादा, विधायक दल की बैठक में माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि ज्यादा मांग करते हो वह घोंच-पोच हो जाती है। इसलिये सीमित करो, जिससे मिल जाये।

श्री सभापति: सबसे महत्वपूर्ण एक ही कर दें आप तो।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): गौ-रक्षा चौकी, आपसे निवेदन है कि पाटनकला तिजारा में, पाटनकला जो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हुए वे निकाल लेते हैं, और एक किशनगढ़ और तिजारा के बार्डर पर गोठड़ा-अलालपुर। इस

(श्री मास्टर मामन सिंह यादव)

तरह से पाटनकला और गोठड़ा-अलालपुर।

माननीय सभापति महोदय, भिवाड़ी एक बहुत बड़ी नगरी है, इण्डस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। जहां उद्योग बढ़ेंगे, वहां अपराधी भी हो जाते हैं क्योंकि दूसरे स्टेट्स से, दूर-दराज से अपराधी वहां छिप जाते हैं, पता नहीं पड़ता कौन है। दो-तीन साल पहले से ही, दो साल पहले से ही गृह विभाग में चल भी रहा है, प्रपोजल भी चल रहा है, क्योंकि अलवर जिला बहुत बड़ा है। थानागाजी से अलवर तक पौने दो सौ किलोमीटर पड़ जाता है। एक सैकण्ड एस.पी. का प्रपोजल भी आपके विभाग में विचाराधीन है। अगर अलवर में दूसरा एस.पी. कार्यालय स्थापित किया जाये तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा।

भिवाड़ी का लम्बा क्षेत्र है। एक ही थाना फूलबाग, जो बहुत लम्बे दूर तक आ रहा है। इधर तिजारा के थाने में भी कितने ही गांव लगते हैं। दोनों थानों के, तिजारा के पास शेखपुर चौकी है, पहले से ही स्थापित है और भिवाड़ी, फूलबाग थाने की मटीला खिजड़वाल चौकी बनी हुई है। बिल्डिंग सब तैयार है, चौकी का काम चल रहा है। आपके विभाग में यह प्रपोजल भी है। पिछली बार ही खुलने की पूरी उम्मीद थी। इनमें थाना स्थापित किया जाये ताकि दोनों थानों का भार कम हो सके। माननीय मंत्री महोदय, ये मेरी छोटी-छोटी दो-तीन मांगें थीं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): सभापति महोदय, दो मिनट और दे दो, बस।

अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं, इनकी आये दिन शिकायत आती है। पुलिसकर्मियों की, चाहे वह अधिकारी हों या कर्मचारी हों कि इनका व्यवहार खराब है, जन प्रतिनिधि हों या आमजन हों। पहले तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको हमें कुछ सुविधाए देनी चाहिये। जैसे इनको वर्दी अच्छी दो। इनके पास आधुनिक

(श्री मास्टर मामन सिंह यादव)

हथियार होना चाहिये। इनका जो भत्ता है, खाने का भत्ता है वह बढ़ाया जाये। इनको हर तरह की, जो पदोन्नति है या जो भी इनकी सुविधाएं हैं, वह हम इनको मुहैया करायें। उसके बाद अगर कोई पुलिसकर्मी, जनता, जनमानस और जन प्रतिनिधियों की अवहेलना करता है या व्यवहार खराब करता है तो एक शिकायत पेटी हर थाने के बाहर होनी चाहिये।

उस शिकायत पेटी में अपनी दरख्वास्त डालो, ताला बंद हो, एस.डी.ओ. और सी.ओ. सर्किल उनको खोले और उन पर कार्यवाही हो। सात दिन में यह कार्यवाही, माननीय सभापति महोदय, होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद मामन सिंहजी। श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या- 6, 16 और 17 पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

पुलिस प्रशासन में न्याय प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आज हजारों मुकदमे न्यायालय में पड़े हुए हैं, उनका फैसला नहीं हो रहा है। Quriscunses का एक कथन है कि- “Delay defeats the equity.” मतलब मूलभूत अधिकार का हनन होता है, अगर न्याय में देरी होती है तो मेरा निवेदन है कि इसमें प्रशासन को चुस्त किया जाए और हालांकि अब ऑन-लाइन सिस्टम किया गया है, मुकदमों की संख्या और एक-एक न्यायालय में इतने मुकदमे अवश्य सुने जाएंगे यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी यह प्रथा शुरू की गयी है। मैं उसका स्वागत करता हूं और भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन।

न्यायालय में बहुत अपार शक्ति है। वह कानून की व्यवस्था को ठीक रूप से संचालित कर सकते हैं। विशेषकर महिला थाने में जो कर्मी हैं, उनको अच्छे भत्ते दिये जाए, उनको आधुनिक हथियार दिये जाए ताकि पारिवारिक विवादों को सुलटाने में वह अच्छी भूमिका निभा सकें।

सबसे बड़ा आज रोग है नशीली पदार्थों का सेवन। भाँग, गांजा, स्मैक,

(श्री कैलाश भंसाली)

पव्वा और तरह-तरह के आ गये हैं और सौ रुपये के नोट में थोड़ी-सी स्मैक डालकर लोग सिगरेट पीते हैं। कई बार जोधपुर की नई सड़क पर आम बाजार की जो दुकानें हैं, उनमें ऐसे लोग पकड़े गये हैं। उन पर सख्ती से कार्यवाही की जाए और उनको नशाबंदी का संस्कार दिया जाए और लोगों में यह बात हो।

सबसे बड़ी बात है कि मोटरसाइकिल को लेकर, जो ले जाते हैं, जोधपुर के पास गुडा विश्नाई में दो हजार मोटरसाइकिल्स लोगों की पार की हुई लाकर रखी हुई थीं तो यह बहुत शर्मनाक बात है और मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जिन लोगों को, जिनका व्हीकल गया है, उनको वापस जल्दी से दिया जाए क्योंकि उसको देने में पुलिस बहुत ही देरी करती है। वह न्यायालय के थ्रू लेना पड़ता है, उसको थोड़ा त्वरित गति से कैसे दिया जा सकता है, उसकी भी व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में कमिश्नरेट आफिस लगने से बहुत सुविधा हो गयी है। हर बात सीधी कमिश्नर साहब से कहकर हम ठीक करवाते हैं। आज समरसता, रामनवमी, ईद, ताज़िया यह सब शांतिपूर्वक निपट जाते हैं। इसके लिए मैं अशोक राठौड़ साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं।

मेरा यहां एक विशेष निवेदन है, समदड़ी थानान्तर्गत अजीत गांव में अस्थाई चौकी लगायी गयी है। वहां के गांव वालों ने एक मकान भी दे दिया है परंतु वहां कोई अस्थाई तो छोड़कर, कोई कर्मचारी भी नहीं है और थाने में रोज लूटपाट होती है। लोगों के घरों के अंदर जाकर सारा सामान, पाटिया साफ कर देते हैं तो पहले भी मैंने निवेदन किया था कि अजीत गांव में एक स्थाई चौकी बनाई जाए ताकि इसकी व्यवस्था हो सके।

रात्रि में गुंडे तत्व लूट करते हैं। जोधपुर के शास्त्री नगर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि लोगों की मौत भी हुई है क्योंकि तमंचे से

(श्री कैलाश भंसाली)

यह काम कर देते हैं और एक जो महिला है, मुंह पर ढककर मोटरसाइकिल चलाती है, उसको रोका जाए, उसको बाँध दिया जाए। जिस तरह से हेलमेट जरूरी किया गया है, वैसे ही यह भी जरूरी हो क्योंकि मालूम नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का है या अपराधी कौन है?

खेत की खातेदारी में बहुत विलंब हो रहा है। पटवारी पटवार-हाउस में मिलता नहीं है और तहसीलदार तवज्जोह देता नहीं है तो मेरा निवेदन है कि यह काम शीघ्र किया जाए और जिसका हक है उसकी खातेदारी उसको मिलनी चाहिए।

होमगार्ड की महिलाएं जो यहां ड्यूटी पर हैं, वे कह रही थीं कि हमें वर्दी नहीं मिलती है। हमारी सैलरी होमगार्ड की बढ़ाई जानी चाहिए और वर्दी भी दी जानी चाहिए। मैं इस आत का निवेदन करूंगा कि गृह मंत्रीजी ध्यानपूर्वक देखेंगे और कुछ सुविधा उनको उपलब्ध करवाएंगे।

महिलाओं की यौन शोषण की घटना आजकल आम हो गयी है। रोज कोई न कोई किस्सा आ जाता है, अखबारों में सुर्खियां ले लेता है। यह आवश्यक है कि इसको रोका जाए और आजकल महिलाओं का ही नहीं पुरुषों का भी शोषण भी हो रहा है, उसके लिए भी कोई कानून-सम्मत निर्णय लिया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

पारिवारिक मुद्दों में आजकल पुरुषों को दोषी करार देकर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी जाती है और फिर मुंह मांगी रकम लेकर ब्लैकमेल करके रिलीफ दी जाती है और थानेदार, महिला थानेदार काफी इसमें सहयोग जरूर करते हैं।

शास्त्री नगर में तीन दिन पहले दो लोगों ने एक कार को जला दिया। वह एक मनीष जैन की थी और दूसरी एक डाक्टर की कार जला दी गयी। लोग देखते ही रहे और गुंडे जलाकर चले गये तो सख्त कार्यवाही इसमें की जानी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध हुआ है जोधपुर की धरती पर, ऐसा मेरा निवेदन है।

(श्री कैलाश भंसाली)

जी.आर.पी. में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और पुलिस एकेडेमिक जो बनी है, उसका मैं स्वागत करता हूं परंतु उसमें आचार्य और उपाध्याय, रीडर्स और लेक्चरर्स अभी तक नहीं आये हैं, इसमें पूरा स्टाफ दिया जाए, उनको सारी सुविधाएं दी जाएं और हथियार देने का, आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाया जाए।

भोले-भाले लोगों को फुसलाकर जबरन जो धर्मांतरण हो रहा है, उसको रोका जाए, उस पर कार्यवाही की जाए। यू.पी. में नए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि इसको एकदम रोका जाएगा और किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।

आबू रोड के सी.आई. अरविंद चारण की मिलीभगत से हाउस नम्बर ए-10, रीको कॉलोनी में तीन वर्षों से ताला लगवाकर एक सिक्योरिटी को बैठा दिया गया है और कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह एक महिला है 60 वर्ष की, बारबार थाने में जाती है, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गयी। यह बात मैंने गृह मंत्रीजी साहब को स्वयं को बतायी तो उन्होंने कहा कि कागज दीजिए। कागज है ही नहीं, कागज बना ही नहीं थाने में तो इसका आप निपटारा करे।

झालाराम भाकर, ए.एस.आई. बोरूंदा पिछले चार वर्षों से, एक बड़ा डेपुटेशन मेरे पास आया था। प्रमिला चौधरी, पांचाराम गुर्जर आदि ये सब लोग साथ आये थे। उन्होंने कहा कि हम तंग आ गये इस ए.एस.आई. से। झूठे मुकदमे बनाता है, ब्लैकमेलिंग करता है और पैसे लेता है तो उसको तुरंत ए.पी.ओ. किया जाए और उसको वहां से हटाया जाए। इसमें मैंने समीर साहब से भी निवेदन किया था। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

दो मिनट और लूंगा, साहब। गौ-रक्षा के लिए एक चौकी बनाई जाए और मेड़ता में जो बूचड़खाने से सीधे बछड़े रोकने में त्वरित काम किया है हमारे गृह मंत्रीजी ने, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

जोधपुर सेंट्रल जेल में रोज अपराध होते हैं। उनके पास पिस्टल होते हैं, ए.के.47 और तमंचे होते हैं और मोबाइल होते हैं और बंदियों में हमेशा डर रहता है। यहां तक कि एक ए.एस.आई. की वहां पर मौत भी हो गयी। सेंट्रल जेल बहुत पुरानी हो गयी है। सारी जितनी भी खोलियां हैं, उनमें

(श्री कैलाश भंसाली)

अच्छी व्यवस्था नहीं है। पाखाने नहीं हैं जबकि हमारे मोदीजी का यह सपना है। उन्होंने एक जगह कहा था जेल के निरीक्षण में, क्या कमी है? तो उन्होंने कहा था पाखाने नहीं हैं तो यह काम सबसे पहले हो जाए और निश्चित रूप से कराएं। मैं निवेदन करूंगा कि यह काम जल्दी किया जाए।

(19.00 बजे)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, दो बातें और हैं। जो डिपेंडेंट हैं, उनको स्किल लेबर का दर्जा दिया जाये, उनको अच्छा वेतन दिया जाये और काम वहां ही कराया जाये। उनको मन और मस्तिष्क से पोजीटिव और सदाचार व संस्कार देने का काम किया जाये तो एक नई प्रथा शुरू होगी और फांसी की जो सज़ा है, वह कायम रखी जाये उससे लोगों में भय रहेगा। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री बच्चू सिंहजी।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): सभापतिजी, आपने मांग संख्या 6, 16 और 17 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। दिनांक 08.02.2017 की गिरदावल थाने की एक घटना है। एक गुर्जर समाज से बिलोंग करने वाले को अवैध हथियारों से आकर ताबड़-तोड़ ऐसी फायरिंग की और घर में घुसकर एक के गोली मार दी और उनके दादाजी थे, उनको बंदूक के बट से छाती में, पेट में मारा। इससे उनकी पसली में गंभीर चोट लगी। उसके कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। दूसरा उनका भतीजा ही था, तो उसके भी पत्थर डाल-डालकर पैर तोड़ दिये, उसके हाथ तोड़ दिये। इतना बड़ा गंभीर विषय है और आज तक उन अपराधियों में से एक भी अपराधी अभी पकड़ में नहीं आया है। इस घटना को हुए डेढ़ महीना होने का जा रहा है, पर अभी तक एक भी अपराधी पकड़ में नहीं आया। केवल उनके कुछ हथियार पुलिस ने बरामद किये हैं, पर अपराधी कोई भी पकड़ में नहीं आया है। इसका केस नम्बर 54/17 है। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए जिससे ये आगे कोई अपराध नहीं कर पाए। अभी आप अपने उत्तर में बतायें कि कब

(श्री बच्चू सिंह)

तक इनको पकड़ लिया जाएगा? इनके कारण पूरे क्षेत्र में दहशत है और पूरे गांव में ऐसा माहौल बना हुआ है। मैं उनकी संख्या भी आपको बता देता हूं कि वे कितनी संख्या में आये थे, वे कुल 16 अपराधी थे और वह राइफल, पिस्तौल लेकर आये और ताबड़-तोड़ गोलियां चलायीं। मेरे ख्याल से 200 कारतूस फूंके जिससे गांव के लोग भी भागकर चले गये। उनके सामने कोई भी नहीं आ पाया और वह बड़े आराम से पहाड़ पर चढ़कर, पीछे यू.पी. एरिया लगता है और पुलिस ने उस समय कोई भी कार्यवाही नहीं की। पुलिस उनका पीछा नहीं कर पायी और वे यू.पी. में प्रवेश हो गये और यू.पी. में जाते ही लापता हो गये। अब डेढ़ महीना हो गया। आज तक उनमें से एक भी अपराधी पकड़ में नहीं आया। पूरा गांव इतनी दहशत में है और गांव में इतनी दहशत बनी हुई है।

उसके बाद में एक घटना और घटी। तब 6 लोग आये और उनके पास हथियार थे। एक ट्रैक्टर वाले को पकड़ा। ट्रैक्टर वाले ने देखा कि इनके पास हथियार हैं। ट्रैक्टर वाले को रोककर पूछा कि तेरा कौनसा एरिया है? उस एरिया का होता तो वह उसको जरूर मारते, उसने अपने आपको बाहर का बताया तो इसीलिये उसके साथ खाली हाथापाई करके ही छोड़ दिया। उसने आगे जाकर बताया कि 6 आदमी हथियार सहित मुझे अभी मिले और जब गांव में सूचना मिली तो गांव के कुछ लोग आ गये। उनके पास लाइसेंसशुदा हथियार थे। उन्होंने थोड़ी बहुत गोलीबारी की जिससे वे भाग गये। तब तुरन्त ही पुलिस ने क्या काम किया? पुलिस अपराधियों पर तो कोई कार्यवाही कर नहीं पायी पर गांव वालों पर जरूर कर दी। गांव वालों पर अवैध हथियार का केस बना दिया और उनको बंद कर दिया। इसके अलावा पूरा गांव ऐसी दहशत में बैठा हुआ है कि कब वह आ जाएं और कब उनके कुछ नहीं हो जाये। मैं तो गृह मंत्रीजी से यह कह रहा हूं कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़वाया जाये।

इसके साथ ही रूदावल थाने पर लोग लगे हैं। रूदावल थाने में कोई भी एस.एच.ओ. आता है, मेरे ख्याल से तीन साल तो मुझे हो गये, ऐसा छांटकर लगाते हैं जो सबसे कमजोर हो। हमेशा ही उस थाने की समस्या रही है कि वहां पर थानेदार घटिया से घटिया चुनकर भेजते हैं। इसके

(श्री बच्चू सिंह)

अलावा भी तीन साल के मेरे कार्यकाल में मोटरसाइकिल काफी संख्या में चोरी हो चुकी हैं, पर उस थाने से एक भी मोटर साइकिल अभी बरामद नहीं हुई है। मेरा तो यही निवेदन है कि वहां पर मजबूत थानेदार लगाए जिससे वह अच्छा काम करें, अच्छी तरह से वहां पर पब्लिक को सेवा दें।

इसके अलावा रूदावल थाना एक संकड़ी-सी गली में अंदर बाजार में चल रहा है। वहां पर बाहर हनुमानजी के मंदिर के साथ ही मैन रोड पर दो से तीन बीघा जमीन है। उसके लिए बजट की मैं हमेशा से मांग करता आ रहा हूं। अब की बार बजट दें जिससे वह थाना बाहर शिफ्ट हो जाए तो जनता को भी राहत मिलेगी और थाने वालों को भी मिलेगी।

मेरी एक और मांग है, बयाना में महिला थाना खुलवाने के लिये गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि वह महिला थाना भी खुलवायें। आपने बोलने के लिये समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री नवीनजी पिलानिया। कृपया पाँच मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं-नहीं, सभापति महोदय, मैं तो आपको धन्यवाद भी नहीं दे पाया हूं और आपने मेरे पर पाबन्दी लगा दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब व्यक्ति बोल रहे हैं। मेरे चार विधायकों की तरफ से बोल रहा हूं और आपने पहले ही मुझ पर पाँच मिनट की पाबन्दी लगा दी। मैं आपको धन्यवाद भी नहीं दे पाया। आप कृपा करके मुझे डिस्टर्ब न करें। मैं इतने अच्छे मूड में बोलना चाह रहा था। आज 23 मार्च है। शहीद-ए-आजम भगत सिंह को याद करते हुए मैं अपनी बात चालू करना चाहता हूं और ऐसे विभाग पर बात हो रही है, पुलिस विभाग, जब से मैं पैदा हुआ और जब से मैंने होश सँभाला है, जब से मैं बालिग हुआ हूं, खाकी वर्दी ही देखी है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे गर्व है राजस्थान की पुलिस पर। ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिये न सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मेहरबानी करियेगा। आपने मुझे भिड़ते ही छेड़ दिया और गुस्सा दिला दिया। मैं तो बहुत प्यार से बोलने वाला था। आज मैं प्रशंसा करूंगा और सुझाव दूंगा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आप कृपा करिये।

(श्री नवीन पिलानिया)

पुलिस विभाग जो है, कोई भी सरकार हो, पूरे देश की सरकार और पूरा देश का समाज राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता उसकी रीढ़ की हड्डी है तभी इसे होम डिपार्टमेंट और गृह विभाग कहा जाता है। इतने महत्वपूर्ण विभाग पर मैं सबसे पहले गृह मंत्री महोदय, आपको बधाई देता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में आंकड़ों में कमी आयी है। पुलिस विभाग के कांस्टेबल से लेकर शीर्ष अधिकारी, डी.जी. साहब तो अभी यहां विराजमान नहीं हैं, सबको बधाई देता हूं, उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई और बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर मैं सुझाव देना चाहता हूं, जिससे उनमें सुधार की गुंजाइश है। उनको मैं उजागर करना चाहता हूं, थोड़ा-सा आप गौर फरमायें। मैं अब की बार राजस्थान के आंकड़ों की बात बिलकुल नहीं करूंगा। पिछले दफा की जब हम देखते हैं, तकलीफ हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं राजस्थान में अगर हम देखें, बाकी जगह कम हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो क्राइम कमिटेड अगेन्सट शिड्यूल्ड कास्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश में 8 हजार 358 हैं, हम 6 हजार 998 हैं तो हमारा जो प्रतिशत है रेट ऑफ टोटल क्राइम का, वह इस मामले में बहुत ज्यादा है। वह 57 प्रतिशत है जबकि कंट्री का जो स्टेट्स का एवरेज है वो 22 है, इस पर सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता रहा हूं।

क्योंकि जयपुर में कमिश्नरेट है They are working very well. We are proud of them. जोधपुर में भी आपने कमिश्नरेट बना दिया। मैं थोड़ा-सा तुलनात्मक सिर्फ यह बताऊंगा कि हिन्दुस्तान भर के शहर जो हैं, ये 53 शहरों की लिस्ट है, आप समझ सकते होंगे, मैं एन.सी.आर.बी. की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको लेकर बोल रहा हूं। लेकिन उसमें सिर्फ यह उजागर करना चाहता हूं जो इंसिडेंस ऑफ टोटल क्राइम है जयपुर का, वो 26 हजार 288 जिसका क्राइम रेट, माननीय गृह मंत्री महोदय, 855 है। इन शहरों का एवरेज है 420, यह काफी ज्यादा है। हमें इस पर और सुधार करना चाहिए। एक चीज जो चौंकाने वाली इस दफा निकली है, पिछले साल की तुलना में वो इतनी नहीं थी, वो जोधपुर का आंकड़ा है। जोधपुर अकेले का आंकड़ा 11 हजार 822 है और उसका जो क्राइम रेट परसेंटेज है वो

(श्री नवीन पिलानिया)

जयपुर के 855 से बहुत ज्यादा है, 1038, यह एक अलार्मिंग चीज है। इसको जरा दिखवाएं तो ठीक रहेगा।

इसी तरीके से मैं बात करता हूं जो मर्डर के हैं वो भी जयपुर में 114, महानगरों को छोड़ दें तो उसमें भी हम काफी आगे हैं और इसी तरीके से जोधपुर में भी यह आंकड़ा बढ़ रहा है। मैं और ज्यादा नहीं कहकर इतना-सा सिर्फ यह इन शहरों की तुलना कर रहा हूं।

टोटल रेप्स की मैं बात करता हूं। इसमें जयपुर 279 were reported. Jodhpur 152 were reported, but जोधपुर की जो क्राइम रेट है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, वो 13.4 है जबकि इन सभी शहरों का पूरे हिन्दुस्तान का एवरेज 3.7 है। तो 13.4 और एवरेज 3.7, माननीय मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे तो हालत सुधरेंगे।

अब मैं थैफ्ट की बात करता हूं। जयपुर में थैफ्ट 7388, इसकी जो क्राइम रेट है वो 240.4 है, माननीय, और इन सभी शहरों का एवरेज है वो 124 है। तो तकरीबन दुगुना है थैफ्ट में। ऑटो थैफ्ट में भी वो ही हालत है, मेरे सामने फिगर है लेकिन मैं उसको नहीं करूंगा।

एक चीज जरूर जो बड़ी अजीब है वो फोर्जरी के मामले हैं। फोर्जरी में अचम्भा करता हूं, जोधपुर में 1196, यह पूरी कंट्री का हाईएस्ट है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये किस टाइप की फोर्जरी के केसेज हैं? क्या जमीन के कोई जाली कागजात बनाये जा रहे हैं? क्या है? इस पर आप थोड़ा-सा गौर फरमा लें।

अब केवल एक बिंदु जो मैं समझता हूं जरूरी है, जिस पर आप ध्यान दें और पुलिस विभाग के आला अधिकारी ध्यान दें, बस वो आपको बताता हूं और फिर मैं सिर्फ दो मिनट प्रशंसा की बात करूंगा।

यह एक आंकड़ा है, एन.सी.आर.बी. की यह रिपोर्ट है, गृह मंत्री महोदय। राजस्थान में जो केसेज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन थे पिछले साल के, वो 16 हजार थे और केसेज नये इस साल में आये हैं reported during the year. ये 1 लाख 98 हजार है साहब। कोई दिक्कत नहीं है। क्राइम कितना हो रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके आगे जो टोटल

(श्री नवीन पिलानिया)

केसेज बन गये 2 लाख 14 हजार। अब इन 2 लाख 14 हजार में cases ended as final FR falls. गृह मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा ध्यान दें और अधिकारियों से भी मैं निवेदन करता हूं। यह 2 लाख 14 हजार में से राजस्थान में 43 हजार 543 एफ.आर. फॉल्स केस हैं। अब मैं आपको बाकी प्रदेशों का बताता हूं। हम से जो सबसे ज्यादा दूर है न 43 हजार से, वो दूर है हरियाणा जिसमें 10 हजार हैं। 43 हजार से जो नैक्स्ट नम्बर है वो है हरियाणा 10 हजार। बिहार में एफ.आर. फॉल्स जो हैं वो केवल 6300 हैं। आप अचम्भा करेंगे, उत्तर प्रदेश में एफ.आर. फॉल्स जो हैं पूरे साल के 4400 हैं। कहां 43 हजार, कहां 4440 ...(व्यवधान)... साहब, वो आंकड़ा वहीं से पढ़कर बता रहा हूं। पूरा महाराष्ट्र, जिसमें बहुत ज्यादा क्राइम है, एफ.आर. फॉल्स 3 हजार, मतलब पांच-छह हजार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं कैपिटल दिल्ली का आंकड़ा आपको बताता हूं। माननीय सभापति महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा एक टॉपिक कम्प्लीट भी नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, यह इतना गम्भीर विषय है इस पर माननीय गृह मंत्री चिन्तन करेंगे। गृह मंत्री महोदय, दिल्ली का आंकड़ा है Delhi UT which is huge 3 लाख 4 हजार 97, इसमें एफ.आर. फॉल्स जो है 2886, आप अपना आंकड़ा तो सोचियेगा 43 हजार फॉल्स एफ.आर. हैं। बाकी आप सारे देश का देखियेगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे झूठ बोलने वाले जो हैं वो राजस्थान में रहते हैं। इसमें कहीं न कहीं कोई चीज अपने को देखनी होगी, आपको देखनी होगी, इसलिए यह बिंदु उठाया था।

इसी तरीके से मैं दूसरा पाइंट, इसी से जो जुड़ा हुआ पाइंट है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, ऐसे नहीं करें। मैं पाइंट तो कम्प्लीट करूं। मैं पाइंट तो कम्प्लीट करूंगा You have to give me time.

श्री सभापति: So much time you have already taken.

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): दूसरा जो पाइंट है इसमें कहा गया है, जो cases in which charge-sheets were not laid but Final Report as true थी, एफ.आर. ट्रू थी लेकिन वो अदम पता थी या अदम सबूत थी। इनकी संख्या 31 हजार 238 है। 43 हजार तो आपने एफ.आर. फॉल्स में

(श्री नवीन पिलानिया)

निकाल दिये और यह जो हैं, मानते हैं कि यह केस सही थे, एफ.आर. ड्रू लेकिन इनमें हम आगे कुछ कर ही नहीं पाये। हम चार्जशीट नहीं दे पाये, 31 हजार का यह आंकड़ा है तो इस पर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइयेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय, एक और चीज है। अभियोजन के बाद में जो हमारे को ... **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

नहीं, नहीं, सभापति महोदय, आप ऐसे गला मत घोंटियेगा। आप ऐसे गला मत घोंटिये। मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपना भाषण पूरा करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। लोगों को आपने जेल पर बोलने दिया, लोगों को आपने बाकी चीजों पर बोलने दिया ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपने 11 मिनट ले लिये हैं। माननीय सदस्य, आपको ध्यान है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बिलकुल नहीं दिये हैं मेरे को।

श्री सभापति: हम तो नोट करते हैं, ऐसा नहीं चलता है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, मैं अभी भ्रष्टाचार पर बोलूंगा। ए.सी.बी. की बात मेरे को जरूरी रखनी है। यह एक महकमा है।

श्री सभापति: मैं दूसरा नाम पुकारूंगा। हां, एक मिनट में पूरी कर लें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, ऐसे समय हमें भी देना जिद करने पर। ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय गृह मंत्री महोदय, अभी वैश्विक संगठन ट्रांसपेरेंसी इण्टरनेशनल ने एशियन प्रांत में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का जो ताजा अध्ययन मार्च, 2017 में प्रकाशित किया है उसमें भारत को सर्वाधिक घूसखोर वाला देश बताया गया है। कहा गया है कि देश में 69 परसेंट को पिछले साल 2016 में सरकारी सेवाओं का उपयोग लेने के लिए घूस देनी पड़ी। अब मैं सिर्फ आपके दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री मान सिंह जी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सिर्फ दो मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री मान सिंह जी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यहां की ए.सी.बी. की मैं सिर्फ दो मिनट बताना चाहता हूं। नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 6, मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 पर चर्चा चल रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय गृह मंत्री महोदय, वर्ष में दर्ज परिवाद जो थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और परिवाद दर्ज के एवज में जो एफ.आई.आर. दर्ज की गयी वो केवल 3 परसेंट थी, They were only 3%.

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर माननीय गृह मंत्रीजी के नेतृत्व में अपराध जिस प्रकार से घटे है ...

(अध्यक्षपीठ ने संकेत से माननीय सदस्य श्री नवीन पिलानिया का भाषण अंकित करने से मना किया।)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): .... राजस्थान का जिस प्रकार का वातावरण बना है उस वातावरण को राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के गृह मंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान की पुलिस ने...

श्री सभापति: आप बोलिये मान सिंह जी। बोलिये। माननीय मान सिंह जी, कंटीन्यू करें। मैं दूसरा नाम पुकारूं?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपसे

(श्री मान सिंह)

ज्यादा जोर से बोलना आता है। माननीय सदस्य, समय पूरा हो गया, बैठ जाएं प्लीज Not to be disturbed Hon'ble Member.

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस के राज में 2,013 मुकदमे दर्ज हुए। उनमें से मात्र 160 में चालान पेश हुआ। लेकिन हम 3 साल का रिकार्ड देखते हैं तो इसमें चालान का और रिकवरी का प्रतिशत बढ़ा है, उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(अध्यक्षपीठ द्‌वारा संकेत से माननीय सदस्य श्री नवीन पिलानिया का भाषण अंकित करने से मना किया गया।)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह विधान सभा को हाईजैक कर रखा है ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में बलात्कार की घटनाएं हुईं, चोरी की घटनाएं हुईं ...(व्यवधान)... जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बलात्कार के आरोपों में जेल गए ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की है, उसी के साथ-साथ जो हमारी मांग संख्या 6 है, मैं उस पर भी ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान की जनता जिस प्रकार से पुलिस पर विश्वास करती है, उसी प्रकार से अपेक्षा करती है कि हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर भी उसके साथ में न्याय हो। जिस प्रकार से लंबित मुकदमों के प्रकरण पड़े हुए हैं और पिछले समय में देखा गया कि हमारी जुडिशियरी ने किस प्रकार से फैसले किए। जनता यह सोचती है कि इस मुकदमे में

(श्री मान सिंह)

अदालत यह फैसला करेगी और जनता को जब फैसले का पता लगता है तो कई बार ऐसा लगता है कि जुडिशियरी में किस प्रकार से फैसले होते हैं।

गरीब की बात को, जनता की बात को न्याय प्रणाली के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज मेरे सवाई माधोपुर जिले में जो बजरी खनन का मामला है, उसके अंदर जो गरीब ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं, उसके मामले में सवाई माधोपुर और दौसा के एस.पी. को आए दिन माननीय अदालत में हाजिरी देकर के उस गरीब के ट्रैक्टर की बात की जाती है। इस संबंध में मैं माननीय न्यायालय से अपील करूंगा इस प्रदेश की जनता न्याय प्रणाली में विश्वास करती है और न्याय दिखना भी चाहिए।

(19.22 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जो ग्राम न्यायालयों की घोषणा की है, उसमें गंगापुर की भी घोषणा की थी। वह ग्राम न्यायालय वहां पर खुले। इसी के साथ में जो एडीजे कोर्ट है, उसमें वकीलों के लिए लाइब्रेरी की भी मैं मांग करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में जो हमारी पुलिस की मांग है, उसके संबंध में मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से देना चाहूंगा। आज हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसके अंदर इलेक्ट्रोनिक सिस्टम से और लाइटिंग सिस्टम से जयपुर में ट्रैफिक को कंट्रोल किया है, उस प्रकार की व्यवस्था अन्य शहरों के अंदर भी होनी चाहिए। उसका रिकार्ड होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नौजवानों पर छोटी-छोटी चीजों के मुकदमे लगते हैं। उनके संबंध में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 141, 323, 341 के जो मुकदमे हैं उनके अंदर जब वह नौजवान नौकरी लगता है तो उसमें पुलिस को रियायत करनी चाहिए। नौजवान को हमें बचाकर रखना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहूंगा। राजस्थान का जो नौजवान बजरी के नाके पर, दारू की दुकान पर और टोल नाकों पर काम करता है, उनके लिए हमारी सरकार स्किल डवलपमेंट के द्वारा छोटे-छोटे रोजगार की बात करती है। क्यों नहीं

(श्री मान सिंह)

हम नौजवान के लिए पुलिस पब्लिक स्कूल की व्यवस्था करें, जिसमें हो कि वहां उनको एक साल की ट्रेनिंग देकर के, चाहे कोई सिक्योरिटी में जाए, बैंक की नौकरी में जाए तो उसके माध्यम से जाएगा। इससे हमारे नौजवान को एक रास्ता मिलेगा। आज जब वह सिक्योरिटी की नौकरी में जाता है तो वहां भी एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है। तब वह नौजवान मजबूर होकर बजरी के ठेके पर, टोल नाके पर, दारू के ठेके पर जाता है। इस प्रकार से हम हमारे सिविल डिफेंस के काम को भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे यहां 2 बच्चे तालाब में डूब गए थे। सिविल डिफेंस के 2 लड़कों ने रेस्क्यू फोर्स को फेल करके, उन बच्चों को वहां से निकालने का काम किया। ऐसे सिविल डिफेंस के नौजवानों को भी हमें पुलिस के माध्यम से तरक्की देकर उनका भी हौसला अफजाई करना चाहिए। हमारी नौजवान शक्ति को पुलिस के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अपराध भी घटेगा, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पुलिस को संबल भी मिलेगा।

आज थानों में जो नफरी है, मेरे यहां कोतवाली में ही 60 पुलिसकर्मियों की कमी है। आये दिन सी.आई. बाल नोंचता रहता है। वह कहता है कि मेरे पास नफरी नहीं है। उसके पास में निश्चित रूप से पूरी नफरी होनी चाहिए। उसके पास में पूरे साधन भी होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारे थानों में नफरी बढ़े। भरतपुर संभाग में अकेले गंगापुर और हिण्डौन में रिकार्डेड एक हजार के लगभग प्रति वर्ष एफआईआर हैं। ऐसे में वहां नए थानों की आवश्यकता है। मैं मांग करूंगा कि गंगापुर में उदई मोड़ एक नया थाना खोला जाए। जिससे कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को हम कंट्रोल कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा, जिस प्रकार से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हार्डकोर अपराधियों का डीएनए टैस्ट ले लेते हैं। उनका डीएनए नोट कर लेते हैं और कम्प्यूटर के माध्यम से अपराधों पर कंट्रोल करने का काम है, राजस्थान के अंदर भी इस पर अमल करना चाहिए। इस बारे में सोचना चाहिए कि हार्डकोर अपराधी जब

(श्री मान सिंह)

कभी भी गिरफ्तार हो तो उनका डीएनए लेकर करें। इसके माध्यम से बहुत बड़ा कंट्रोल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो सीएलजी की व्यवस्था है, उसमें पुराने लोग ही चले आ रहे हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपस में अच्छी वार्ता करते हैं। सीएलजी हमारी अच्छी व्यवस्था है और यह पुलिस एवं आम जनता के बीच का माध्यम है। अब की बार जितने भी हमारे सीएलजी बनें, उनको अगर हम अच्छी प्रकार से बनाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेन्टेन करने में हमें और मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा, यह जो हमारा साइबर अपराध है, उसके बारे में मेरे से पहले कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं करूंगा लेकिन यह एक गंभीर विषय है। इस साइबर अपराध के बारे में हमारे यहां थानों पर एक्सपर्ट होने चाहिए। कई बार हम पूछते हैं तो वह कहते हैं कि जयपुर से इत्तला ली है। वहां से हमने मंगाया है। वहां से डाटा चैक करने वाला आएगा। यह एक्सपर्ट कम से कम वहां होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक पुलिस आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड है, इसका जो गठन किया है, इसमें जानकारी आनी चाहिए कि कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण आए और उनमें यह नतीजा हुआ। जनता में इस प्रकार का मैसेज जब जाएगा, जनता में यह बात जाएगी कि पुलिस भी उसी प्रकार से काम कर रही है जिस प्रकार से हम चाहते हैं। मैं यह चाहूंगा कि पुलिस की व्यवस्था में सुधार हो और इसमें जो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है, वह और बढ़े और राजस्थान अपराधमुक्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा। कई बार परिवारों में बच्चियों के अपहरण के मामले होते हैं। उनके अंदर कानून इस प्रकार का है कि भले परिवार की बच्ची कभी चली जाती है और उसकी एफआईआर होने के बाद में अगर वह बालिग होती है तो उसके बयान कोर्ट में होने के बाद पुलिस मजबूर हो जाती है। हम लोग भी कई बार देखते हैं और पुलिस भी कहती है कि यह गलत हुआ है। ऐसे मामलों में कई बार पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाती है। हम लोग भी नहीं देख

(श्री मान सिंह)

पाते। ये मामले ऐसे हैं जिनमें संसेटिव होकर के कोई रास्ता इस प्रकार से निकलना चाहिए कि इससे जनता को लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले करौली और सवाई माधोपुर एक जिला था इसलिए गंगापुर में जिला हैडक्वार्टर है सैल्स टैक्स का। आबकारी का कार्यालय भी वहां है। जिला जेल भी वहां है। मैंने पिछली बार भी अनुरोध किया था और माननीय गृह मंत्रीजी ने बजट में घोषणा भी की थी। डीजी जेल यहां मौजूद हैं और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गंगापुर में जिस प्रकार से जेल के अंदर कैदी रहते हैं, जिस दुर्दशा में रहते हैं उनको पानी तक की व्यवस्था मैंने की। उसको यदि आप स्थानांतरित करें तो हमारी नगर परिषद भवन बनाकर देने को तैयार है। जमीन के मामले में हमारी बजाय सरकार अपने स्तर पर जमीन अलाट कराए। नगरपरिषद, गंगापुर सिटी उसको बनाकर देने को तैयार है। इससे गंगापुर में बहुत ही दिक्कत हो रही है क्योंकि वह शहर के बीचों-बीच में है। पूरा हमारा पानी का ट्रांसमिशन का काम है वह रुका हुआ है, बरसात का पानी उसमें भर जाता है और पूरी तरह से बड़ी समस्या है, यह पूरी तरीके से असुरक्षित है क्योंकि पहले भी दो बार वह टूट चुकी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस जेल के मामले को गंभीरता से लेकर इसको बाहर स्थानांतरित कराने के लिए जमीन अलाट करा दें, बनाकर हम देंगे, चाहे उसमें कितना भी पैसा लगे, क्योंकि यह नगर परिषद के लिए बहुत जरूरी है, उसके विकास के लिए जरूरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं आपसे एक मांग का और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे थाने का हो गया और हमारा जो कोतवाली थाना है, यह 1941 का बना हुआ है। उसमें बैठ नहीं सकते, उसकी रिपेयरिंग हो जाए। और एक सदर थाना जो नया खुला है उसकी बिल्डिंग के लिए गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस बिल्डिंग की व्यवस्था कराएं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीत लाल।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पर एक गलत चीज चली गई है मेरे पिताजी के बारे में, मैं प्लीज उसको

(श्री नवीन पिलानिया)

क्लीयर करवाना चाहता हूं। निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि पिलानियाजी ने थानों को 'मंदिर' बनाने के लिए कहा था, वह 'मंदिर' का नहीं कहा था, 'सेवा के मंदिर' बनाने का कहा था, यह रिकार्ड में करेक्ट करा लें, धन्यवाद।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 6, 16 और 17 पर बोलने के लिए स्वीकृति दी है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैंने सारी चर्चा माननीय सदन में सुनी और समझा कि केस बन रहे हैं, लेकिन अभी मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी और इनके सहयोगी मिनिस्टरों के द्वारा जो कायदा बनाया है, न्याय आपके द्वार, जितने भी केस बनते हैं वह न्याय नहीं मिलने के कारण कहीं न कहीं एक-दूसरे से वाद-विवाद का केस बनता है। इसलिए न्याय सही ढंग से मिले। कोर्टों में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोर्ट न्याय न करके फैसले सुनाती है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए क्योंकि यह हमारी भारत की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति टूटने पर केस बनते हैं। भारत की संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, मेरा ऐसा मानना है। माननीय गृह मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पंचायती राज की स्थापना हुई। पहले अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों में राज में पहले ज्यादा जेलें थीं या फिर पंचायती राज होने के बाद ज्यादा जेलें बनी हैं? सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में थाने बढ़ाओ तो पंचायती राज के अंदर पंच फैसला होगा तो थाने कम होने चाहिए, वाद-विवाद कम होने चाहिए पर थाने बढ़ाये जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा ऐसा आग्रह है कि पहले-पहले जो आँगनबाड़ी केन्द्र खोला तो हमारी सरकार ने कानून बनाया कि आँगनबाड़ी इसलिए बनाई गई कि जो लड़के पढ़ने से वंचित रह गए हैं, उन लड़कों को स्कूल की तरफ रवाना करो। इसके बाद सरकार ने कानून बनाया कि 6 से 14 साल का लड़का या लड़की कोई भी रह गया तो उसको साक्षर करो ताकि वह पढ़ जाए। यह आँगनबाड़ी केन्द्र का सारा कानून बनाया था कि लड़के स्कूल में जाएं लेकिन वह अब ऑफिस बन गए हैं, विभाग बन गया तो यह हमारे यहां कानून इस

(श्री नवनीत लाल)

तरह से अव्यवस्थित हो जाते हैं। मेरा ऐसा आग्रह है कि अभी सरकार की तरफ से अन्तरजातीय विवाह, अन्तरजातीय विवाह भारतीय संस्कृति की रीति है, अन्तरजातीय विवाह भी चल रहा है और हम केस भी कम करना चाहते हैं तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि भगवान राम और रावण का विवाद हुआ। अभी कई माननीय सदस्यों ने एफआईआर की बात बताई तो मैं सोच रहा था बैठे-बैठे कि क्या भगवान राम ने एफआईआर कराई थी? हमारे देश में भारतीय संस्कृति और मर्यादा टूट रही है इसलिए इस प्रकार के केस बनते हैं तो मेरा इस प्रकार का आग्रह है कि पंचायती राज के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों पर माननीय गृह मंत्री महोदय आपसे आग्रह है कि आप हमारे इलाके से वाकिफ हैं कि ग्राम पंचायतों के द्वारा जो समझाइश की जाती थी वह टूट गई। अब ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पावर दिए जाएं। केस ग्राम पंचायतें ही निपटाएं। थानों में मामले कम जाएं, ऐसा एक सामाजिक रीति का रिवाज तय किया जाए। इस पुलिस महकमे को मैं समाज सुधार की तरह से मानता हूं। यह समाज का सुधार है, क्योंकि यह विभाग जिसमें सारे समाज के अधिकारी हैं, माननीय गृह मंत्रीजी समाज सुधार के जिम्मेदार हैं आप। मेरा आपसे आग्रह है कि समाज सुधार में कमी आने के कारण ये केस बढ़ रहे हैं इसलिए समाज सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे यहां थानों में कांस्टेबल बढ़ाने की घोषणा की है बजट में, जिसके लिए मैं आपका आदर करता हूं और थाने बढ़ाने की व्यवस्था की गई। अंत में मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से आग्रह है कि अपने यहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, जहां आदिवासियों का इलाका है, वहां पर व्यक्ति खेत-खलिहान में झगड़ जाते हैं। मेरा ऐसा आग्रह है आपसे कि पुलिस के अधिकारियों को ऐसा कहा जाए क्योंकि खेत में झगड़ा होता है, किसी का माथा टूटता है, किसी का हाथ टूटता है और बीच में कोई महिला आ गई तो बलात्कार का केस हो जाता है तो इतने बड़े विवाद हो रहे हैं, किसी का माथा टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, उसमें बलात्कार तो हो नहीं सकता तो पुलिस के अधिकारियों को यह समझना चाहिए यह केस सही है या नहीं है, यह सोचना पड़ेगा क्योंकि

(श्री नवनीत लाल)

खाली कागज-पत्री पर धारा जोड़कर केस बना दिए जाते हैं तो मौके पर यह देखना चाहिए कि ऐसे मौके पर बलात्कार नहीं हुआ होगा लेकिन इस बात के लिए अधिकारी भी नहीं सोचते हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे आदिवासी इलाकों में जो केस बनते हैं, वे इस तरह से नाजायज केस बन जाते हैं तो इस पर रोक लगाने का आपसे आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि मैने जो कट मोशन प्रस्ताव दिया है, उसमें विधान सभा क्षेत्र घाटोल में, शाहपुरा, भगतपुरा, बनाला, ये गांव हैं, यह थाना भूंगड़े में है, इनमें आवागमन की दृष्टि से बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है तो इन तीन-चार गांवों को सदर थाना बांसवाड़ा में डाला जाए ताकि वहां के पुलिस अधिकारियों को आवागमन में सुविधा हो सके और वहां की जनता को भी थाने में जाने में सुविधा होगी।

इसी प्रकार से ग्राम पंचायत, पुर गांव कुवानिया और भमोरवोड ऐसे गांव हैं, खमेरा थाने से इनका सम्बन्ध है लेकिन यह भूंगड़ा थाने में डाल रखे हैं तो मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इन गांवों को आप व्यवस्थित रूप से खमेरा थाने में डालें ताकि इनको आवागमन की सुविधा ठीक रहे। ऐसा मेरा आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह भी कहूंगा कि हमारे यहां समाज सुधार के हिसाब से जो कमेटियां चल रही हैं उन पर ज्यादा बल दिया जाए। माननीय गृह मंत्रीजी, आप आदिवासी इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारे इलाके में क्या-क्या स्थिति है और क्यों केस बनते हैं? इस पर विशेष पुलिस के अधिकारियों को पाबंद किया जाए। कोर्ट सज़ा कर देती है, व्यक्ति को जेल में रख दिया जाता है लेकिन जेल में रखने से वह सुधरा कि नहीं सुधरा तो मेरा ऐसा आग्रह है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक ऐसी कमेटी बनाई जाए कि जेलों में रहा हुआ जो व्यक्ति सज़ा भुगतने के बाद बाहर आ जाता है, वह वापस आकर के फिर ज्यों का त्यों केस बनाते हैं क्योंकि पुलिस से उसकी जान पहचान हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसी एक कमेटी बनाई जाए पुलिस विभाग के अधिकारियों की कि जेलों में जो व्यक्ति रहे हैं, उनका किस प्रकार का व्यवहार जेल में रहा और वह सुधरकर जेल से बाहर निकलते हैं या

(श्री नवनीत लाल)

बिगड़कर निकलते हैं? इनकी व्यवस्था सही जब तक नहीं होगी, तब तक केसों पर रोक नहीं लगेगी क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति टूटती है तब ही ज्यादा केस बनते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि समाज सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए और अन्तरजातीय विवाह पर भी सोच समझकर काम करना चाहिए ताकि केस कम बने। यही मेरा आग्रह है। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री समारामजी गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 6, 16 पर जो बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू पड़ता है और मैं मांग संख्या 6 पर न्यायालय के बारे में पहले बताऊंगा। हमारे यहां एडीजे कोर्ट था। वहां पहले घोषणा हुई थी। आबूरोड में एडीजे कोर्ट था ही, बाकी फिर भी आबूरोड में ही दूसरी दफे घोषणा हुई। हमारे पिण्डवाड़ा के सारे केसेज होते हैं वे आबूरोड ही जाते हैं। हमारे जो वनवासी आदिवासी लोग हैं उनका आर्थिक नुकसान होता है। एडीजे कोर्ट पिण्डवाड़ा उपखण्ड में खोला जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार आपके माध्यम से निवेदन किया था कि हमारे पिण्डवाड़ा आबू के लोग हैं, उनको वहां से आबूरोड की 50-60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। पिण्डवाड़ा उपखण्ड बहुत बड़ा है। आबूरोड से भी ज्यादा केसेज पिण्डवाड़ा के होते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एडीजे कोर्ट पिण्डवाड़ा उपखण्ड में खोला जाए।

हमारा जो ग्रामीण न्यायालय था, पूर्ववर्ती सरकार के समय बाली व पिण्डवाड़ा के बीच किनारे पर खोला गया था, लेकिन उसमें कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। हमारे पिण्डवाड़ा तहसील व उपखण्ड मुख्यालय पर काफी सारी व्यवस्था है, कार्यालय भवनों की भी कोई कमी नहीं है। वहां ग्राम न्यायालय में मजिस्ट्रेट लगाया जाय तो हमें आर्थिक नुकसान नहीं हो और सारे केस निपटे।

हमारी सरकार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। न्यायालय आपके द्वार में 35-40 वर्षों के पुराने केस भी निपटाये गये थे। हमारी सरकार ने यह पहला कदम उठाया। बाप-दादों का जमीन का पुराना वाद-विवाद था, हमेशा वकीलों के चक्कर काटते थे, उन केसों के लिए हमारी सरकार ने

(श्री समाराम गरसिया)

आते ही इस प्रकार के कैम्प लगाये, उसके माध्यम से सारे निपटाये गये। हमारा जो पिण्डवाड़ा उपखण्ड है उसमें सारी व्यवस्था हो जाय।

मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूंगा। मैं गृह मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार महकमे को सँभाला है, और भी महकमे को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे आदिवासी व किसान भाइयों के लाइसेंस नहीं बनते हैं। जैसे टोपीदार व 12 बोर बंदूक के लाइसेंस बनाने का हर थाने में निर्देश दें ताकि हमारे किसान लोगों को किसी प्रकार की दुविधा न हो। हमारे आदिवासियों में बहुत ही आवश्यकता होती है। कई पुरानी बंदूकें थानों में पड़ी हुई हैं बाप-दादों की, लाइसेंस नहीं है। आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बंदूकें थानों में पड़ी हैं उनके नाम निकालकर उनके बेटे-पोतों के नाम से करवायी जाये।

थानों में रिनुअल के मामले अटके रहते हैं। उनमें रिनुअल जल्दी नहीं होता है जिसके कारण कई लाइसेंस निरस्त होते हैं। आपके माध्यम से वह भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम वह रिनुअल हो जाए तो उनके लाइसेंस निरस्त न हो। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहूंगा कि रिनुअल के अबकी बार जो पैसे बढ़ाएं हैं उनको वापस कम करें। हमारे आदिवासियों को बंदूकें जानवरों के भय के कारण रखनी पड़ती है। दो-तीन सालों के पैसे ज्यादा होते हैं। उनको वापस कम करने का भी मेरा निवेदन है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह, न्याय और कारागार की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभी लोग प्रदेश में पुलिस की स्थिति की बातें कर रहे थे। हमारे यहां जो पुलिस की नफरी है, उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में हमारा 30वां नम्बर है। यह हालात ठीक नहीं है। अपने प्रदेश में जहां न तो बेरोजगारों की कमी है, न खजाने की कमी है और न नीयत की कमी है। इसलिए जनता को बड़ी राहत मिलेगी और बेरोजगारों को भी फायदा होगा। इन पदों को जितना जल्दी भरा जाये वह प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा। जो कर्मचारी आज के दिन लगे हुए हैं, पिछली बार भी मैंने

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

इसी मांग में कहा था और माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि अगली साल यह स्थिति नहीं होगी। आज भी गृह मंत्रीजी, स्थिति वही है। एक बीट कांस्टेबल की क्या हालत है यह वही जानता है। उसे बीट के अलावा 20 ड्यूटी दी जाती है। आपने पिछली बार वादा किया था कि अगले साल तक इसे सुधार देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है। जो अधिकारी फील्ड में लगे हुए हैं उनके भी हालात चैक करने वाले हैं। कम से कम जो लगें वे तो अच्छे ढंग के लगें।

हमारे सीकर जिले का एक उदाहरण देता हूं। दो साल पहले महानिरीक्षक, पुलिस हैडक्वार्टर ने ऑर्डर किया था क्योंकि जो एसआई था, उसके ऊपर हत्या का नामजद मुकदमा है। एसीडी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। दो साल पहले रेंज चेंज करने का ऑर्डर हुआ था, लेकिन आज भी वह सीकर पुलिस में एसपी का रीडर बनकर महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा है। यह किस तरह की गवर्नेंस है, किस तरह की सतर्कता है, कुछ समझ में नहीं आता। आपके ऑर्डर के बावजूद अगर कोई दो साल रिलीव नहीं होगा तो फिर किस तरह से मंत्रालय चलेगा, भगवान भरोसे बात है।

अभी हमारी माननीय सदस्या, दलित महिला चन्द्रकांता जी के साथ जो कुछ हुआ, गलती किसकी थी, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है, कम से कम उस बारे में एक स्पष्टीकरण तो देना चाहिए कि वहां क्या हुआ था, क्यों हुआ था और अब क्या हो रहा है।

भरतपुर में कल-परसों पेपर में पढ़ा था कि दो लड़कियां तालाब में पुलिस के डर से कूदकर मर गयी। अगर वे पुलिस के डर से कूदी हैं तो यह बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी और कारण से कूदी हैं तो बात अलग है। दिल्ली के बाद जयपुर सबसे ज्यादा गैंगरेप वाली जगह हो गई। कोटा हथियार तस्करों का अड्डा बन गया, क्योंकि हमने जो वादे किये थे, माननीय गृह मंत्रीजी, आप पूरे प्रदेश में सुराज यात्रा में पधारे थे और आप उस कमेटी के सर्वेसर्वा हैं। आपने राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड बनाने का वादा सुराज यात्रा में किया था, घोषणा की थी। आज तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। एफआईआर के जल्दी निस्तारण के लिए विशेष अन्वेषण

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

टीम का गठन किया जाना था, उसका कुछ नहीं हुआ। मानवजनित आपदाओं के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स की बात थी, अब तक कुछ नहीं हुआ। इस तरह से हम जनता से वादा करके तीन साल बाद आज उसी हालात में खड़े हैं, लोगों ने इतना जबर्दस्त बहुमत दिया है, हमें कुछ सोचना चाहिए।

महिलाओं के साथ उत्पीड़न व दुष्कर्म के प्रकरणों में प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात थी, कुछ नहीं हुआ। होमगार्ड का मानदेय बढ़ाने की बात कही गयी थी, संकल्प किया गया था, कुछ नहीं हुआ।

सड़क पर इस तरह के काम हो रहे हैं जिसमें हाईवे के अलावा पुलिस की भी जिम्मेदारी है। टांटियावास में तीन साल तक लगातार एक साइड में टोल चला है, जो जेडीए की कॉलोनी में गाड़ियां जाती थीं। हजारों लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आखिर यह क्या है? किसी को अपनी कॉलोनी में जाने के लिए टोल देना पड़ेगा? अब हाईकोर्ट के आदेश से वह उठा है तो यह अपने सबके लिए शर्मनाक है, यह बढ़िया चीज नहीं है।

इसी तरह से हमारे खूड़ी में टोल लगा है। ऐसी दादागीरी चल रही है, इस तरह के लोग वहां बैठते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आईडी नहीं है। अब तो हालात यह हो गये कि गहने पहनकर औरत गाड़ी में अकेली जा रही हो तो आगे टोल से खबर कर दी जाती है कि कुछ कर ले। ऐसी घटनाएं कई हो चुकी हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए वरना आगे जाकर बहुत बुरे हालात होंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि जिस पारदर्शिता की हम बात करते हैं वह असलियत में नहीं है।

गत जनवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक मुकदमे 303488 दर्ज हुए। पूरे प्रदेश में 188171 मुकदमे इस्तगासा के जरिये दर्ज हुए। आप मानो कि 10 लाख थाने गये होंगे उनमें से सिर्फ पौने दो लाख इस्तगासा के लिए पहुंच गये। रोजाना 261 लोग कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज कराते हैं। यह किस तरह की पारदर्शिता है? क्या तकलीफ आ रही है पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की? जो होगा उसमें जांच रिपोर्ट दे देंगे। आते ही भगा देते हैं। अभी जैसे मंदिर की बात बता रहे थे, हालत यह हो रही है कि जो ज्यादा भेंट चढ़ा दे उसको तो पहले दर्शन, बाकी बाहर जाओ तो इस पर आप थोड़ा

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

सा गौर फरमायें। यह एक लाख 88 हजार 171 की जो दो साल की फीगर है इस्तगासे के द्वारा दर्ज होने की, यह हर हाल में कम होनी चाहिए। मुकदमे अपने कोई ज्यादा हो जाएंगे तो कोई अपराध बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहां हम फीगर की बात करते रहें कि पहले मुकदमे इतने थे और अब इतने हैं। अपना काम है जनता को राहत देने का और वो काम पहले होना चाहिए इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

बीट कांस्टेबलों की सूची भी पूरी तरह से अपडेट नहीं है जो मैंने पहले ही बताया था। पुलिस हिरासत व जेलों से अपराधी जिस तरह से फरार हो रहे हैं और पकड़ने के लिए लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी अब तक बहुत दूर हैं।

ऐसे ही प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और वो लोग की-पोस्टों पर बैठे हैं। हमारे जयपुर में ही एक आर.टी.ओ. लगी है जो एक दिन ए.सी.डी. जाती है, दूसरे दिन आर.टी.ओ. और फिर तीसरे दिन ए.सी.डी. जाती है और दलालों के साथ बैठकर बयान दे रही हैं तो ऐसे लोगों को यदि हम की-पोस्टों पर रखेंगे तो भ्रष्टाचार के हालात जो होने हैं वो तो और बुरे होने ही हैं। प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसमें ज्यादातर मामले दर्ज नहीं होने की आमजन से शिकायत प्राप्त हो रही है। ललिता कुमारी के मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संगीन मामला हो तो एफ.आई.आर. दर्ज करें और कार्यवाही करें। उसके बाद भी 97.4 प्रतिशत मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है। अब यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा हम दे रहे हैं या अपने आप ही लग रहा है? जनवरी, 2014 से मार्च, 2016 तक ब्यूरो के पास 16278 परिवाद आये और उनमें से मात्र 51 में एफ.आई.आर. दर्ज हुई, बाकी सब डिपार्टमेंटों को लौटा दिये, इधर-उधर भेज दिये। तो जब 16 हजार में से सिर्फ 51 लोगों की सुनवाई होगी तो कैसे प्रदेश का भला होगा, इसलिए इस पर आप थोड़ा सा नम्र तरीके से विचार करें। आपका अनुभव बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से आपके अनुभव से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा।

चौकियों की जो स्थिति है उसमें कई चौकियां तो हाईवे के ऊपर लगी हुई हैं। सीकर में एक नोर्थ चौकी कहलाती है जिसने आधा हाईवे रोक रखा

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

है। अब हम जनता को ट्रैफिक सिखा रहे हैं, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, जागरूकता दे रहे हैं और खुद सड़क रोककर बैठे हैं। कौनसा थाना कब बेरिकेडिंग लगा दे, कब चैकिंग लगा दे, कोई नियम नहीं हैं। कुछ आदेश होते होंगे एस.पी. लेवल से, ऊपर के लेवल से, नीचे के लेवल से पर चाहे जब डण्डा लगा दिया और वसूली शुरू कर दी। तो इन चीजों को अपने को निश्चित रूप से खतम करना पड़ेगा।

हमारे फतेहपुर क्षेत्र के दो गांव हैं आलमास और स्वरूपसर, जो पिछले 30-40 साल से एक दूसरे थाने में हैं। उनके सारे काम फतेहपुर में पड़ते हैं। उपखण्ड, तहसील, ग्राम पंचायत और सिर्फ थाने के लिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर वो फतेहपुर में एड हो जाएं तो ठीक रहेगा।

सरकार ने गत बजट में फतेहपुर में ए.डी.जे. कोर्ट बनाया उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए एक भवन और बन जाए तो जनता को, कोर्ट कर्मचारियों को, वकीलों को, सबको सुविधा रहेगी।

हमारे यहां एक रामगढ़ उपखण्ड है जो जिले का सबसे दूरस्थ है। उसमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की मांग है। अगर सम्भव हो तो पूरी की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज तक की समस्त मांगों में कभी अवसर नहीं दिया गया और आज की अनुदान की मांगों पुलिस, न्याय व कारागार पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद और आभार।

उपाध्यक्ष महोदय, समय का अभाव होता है। सुबह से इन्हीं अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है और मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने अपने-अपने नॉलेज और क्षेत्र की व्यवस्थाओं के हिसाब से सारी मांगें भी कर लीं और जो-जो इनको सुधार के लिए सुझाव देने थे वो भी दिये और हमने बैठकर सुने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अनुदान की मांगों पर ही चर्चा है और

(श्री पूरणमल सैनी)

महामहिम राज्यपाल महोदय के पक्ष में सदन से मांग की जा रही है तो मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के लिए बहुत ज्यादा कोई बड़ी मांग नहीं होगी पर माननीय गृह मंत्रीजी से मांग करूंगा जो पिछले लगातार तीन सालों पर अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मांग करता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बबाई में एक चौकी है जिसके लिए पिछले चार वर्षों से भवन बनकर तैयार है और उसको केवल शिफ्ट करने की जरूरत है। पूरा उस पर खर्चा किया जा चुका है तो मैं चाहूंगा कि उसको शिफ्ट करें और वह क्राइम के हिसाब से भी बैठता है तो उसकी हम थाने के रूप में मांग करना चाहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि थाना खेतड़ी नगर के नीचे जसरापुर और उधर के गांव लगते हैं जो काफी दूर, करीब 25 से 30 किलोमीटर थाना क्षेत्र से दूर हैं और थाना क्षेत्र में ही पड़ते हैं तो मैं मांग करूंगा कि जसरापुर में वैसे अन-ऑफिशियली चौकी हमारे अधिकारियों ने शुरू करवा दी है पर मैं मांग करना चाहूंगा कि बजट में इसका प्रोविजन करके जसरापुर में परमानेंट चौकी फरमाई जाए।

तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र हरियाणा से लगता क्षेत्र है। वहां क्राइम नहीं हो तो लम्बे दिन तक नहीं हों और दूसरा, मेरा विधान सभा क्षेत्र खनिज सम्पदा का भी क्षेत्र है तो खनिजों का दोहन जब खेतड़ी से हो रहा है तो निश्चित रूप से वो दिल्ली या दूसरे राज्यों के लिए सप्लाई होता है तो उसका रूट हरियाणा है और उन यातायात के साधनों के माध्यम से हरियाणा के लोग हमारे इस विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की सीमाओं में घुसकर क्राइम को अंजाम देते हैं। मैं चाहूंगा कि उधर सीमा पर टीबाबसई के नाम से एक चौकी है जिसको मेहाड़ा में लेकर आ गये, जो वहां भवन रहित चल रहा हैं इसलिए या तो उसको बसई में शिफ्ट किया जाए या फिर विभाग उसकी जरूरत मेहाड़ा में समझता है तो उसका वहां पर भवन निर्माण कराया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय का बहुत अभाव है। मैं सुबह से ही सुन रहा हूं और मैं वो चीजें रखना चाहूंगा जो अब तक सदन में नहीं आई हैं, बाकी चीजें आ गई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, जैसे अपने

(श्री पूरणमल सैनी)

यहां राजस्थान प्रदेश में एक फोरेंसिक लेबोरेट्री की व्यवस्था है और जैसे किसी के साथ किसी प्रकार की घटना कारित हुई और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेने के लिए 3-3 वर्षों तक प्रार्थी इंतजार करते रहते हैं कि कब रिपोर्ट आये और घटना कारित करने वाले के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि ये जो लेबोरेट्री है इसका समय निश्चित किया जाए। इसमें अगर अभाव है तो और दूसरी लेबोरेट्री बढ़ाई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी मांग करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा जो भी कार्यवाही इस प्रदेश में की जाती है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उनको कलेक्ट करके यह तय कर लेता है कि इनके खिलाफ चालान जाना है तो सारा सदन इस बात को जानता है कि उसके लिए राज्य सरकार या विभिन्न कमेटियों के द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को चालान करने के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभावशाली लोगों के द्वारा या राज के लोगों के द्वारा प्रेशर में और बड़े लम्बे समय तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि Management is everything for any field of life, business and the political.... संवैधानिक दृष्टि से भी मैं कहना चाहूं तो मैनेजमेंट की कमी के चलते और जब चार-चार वर्षों से और माननीय कटारिया जी काफी सीनियर मंत्री हैं और सदन में भी काफी ताल ठोककर कहते हैं कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता लेकिन उसके बावजूद भी इतने-इतने दिनों तक लम्बित रहते हैं। इनके द्वारा दी गई किताबों में, 2013-14 में भी और, 2014-15 में भी अध्ययन किया तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि यह अन्वेषण ब्यूरो जब भी अनुमति राज्य सरकार से मांगता है तो अविलम्ब चालान जिनमें किया जाना है, उनको दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज, मैं रखना चाहूंगा, वैसे समस्त माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए जो-जो भी प्रोटोकॉल में चीजें मांगी हैं। जैसे मेरे पूर्व वक्ता के रूप में

(श्री पूरणमल सैनी)

फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है कि हर कहीं बेरिकेडिंग्स हो जाती है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए अगर हम कहीं सोच करें, विचार करेंगे तो महसूस करते हैं कि समस्त विभागों से और पुलिस विभागों के कार्मिकों का जबकि उनसे 24-24 घंटे ड्यूटी ली जाती है, चाहे राजस्थान की विधान सभा के सामने जो आज की तारीख में कार्यरत कार्मिक हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं कि हमने सदन का समय अगर बढ़ा लिया, एक्सटेंशन कर लिया तो तब तक यहां पर वो लोग भूखे रहकर रुकेंगे।

(20.00 बजे)

हालांकि उनको भत्ता दिया जाता है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो मूल रूप से मांग करना चाहूंगा कि पूरे विभाग के समस्त कर्मचारियों की, हर स्तर के कर्मचारियों की समीक्षा की जाये और वास्तव में उनकी डिमांड के अनुसार या उनकी आवश्यकता के अनुसार कमेटियों का निर्धारण करके कि उनकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से उनकी तनख्वाह, मानदेय और पेंशन का निर्धारण तय किया जाना चाहिए। दूसरे और भी उनके भत्ते हैं, उनको भी तय किया जाना चाहिए और अवकाश की बात करें तो उनमें भी, जो भी उनके लिए देय हों, आराम से वह दिया जाना चाहिए, यह मैं मांग करूंगा।

चौथी बात, सदन में सुबह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चाएं हैं और जो भी माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए जब खड़ा होता है तो वह सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय को या अध्यक्ष महोदय को या सभापति महोदय को धन्यवाद देने से पहले, माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देने में कोई पैसा नहीं लग रहा, हम भी दे देंगे लेकिन मेरी अपनी सोच के लिए, मेरे लिए सोचने का विषय यह रहा कि किस बात का धन्यवाद? माननीय गृह मंत्रीजी का ही नहीं, समस्त विभागों के जो भी मंत्री हैं या जो भी कार्मिक-अधिकारी हैं, उनकी अपनी मोरल ड्यूटी होती है, उनका नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन इस देश और प्रदेश के लिए करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये इतना ही सब कुछ कर रहे

(श्री पूरणमल सैनी)

थे तो धन्यवाद हमारी खेतड़ी की जनता भी दे सकती है और प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य भी दे सकते हैं, दूसरे दलों से जीतकर आने वाले माननीय सदस्य भी दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे ही सिम्पैथी है। मैं तीन दिन से किसी डिमांड पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं पाँच मिनट ज्यादा ले लूंगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 बजे निपटने वाला सवा 10 बजे निपट जायेगा। बार-बार इशारा करने की आदतें बंद कीजिये, माफी चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं स्थगन के माध्यम से इस सदन को पहले भी अवगत करवा चुका हूं और आज तक मैं विरोध की बात नहीं कर रहा लेकिन मैं वास्तविकता और धरातल की बात करना चाह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की 70 वर्ष की आजादी, जो लगभग अगस्त में पूरी होने जा रही है, 70 वर्ष की आजादी के बाद भी आज तक चाहे आप झुंझुनूं जिले की बात कर लो, इस राजस्थान प्रदेश में 33 जिले हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें आप पहले कह चुके, वह फिर वापस कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दूसरा, आपके एक माननीय सदस्य बसपा से बोल चुके हैं। आप भी बोलेंगे, दोनों का बोलना कोई आवश्यक भी नहीं है। फिर भी उदारमना माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आपको अनुमति दे दी है, तो ठीक है। आप लेकिन वही बात, अब धन्यवाद पर इतनी लम्बी चर्चा कर रहे हो कि धन्यवाद क्यों दे रहे हो? यह क्या बात हो गई।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, विराजें। आप मुझे सदन की व्यवस्था देने वाले नहीं हो। आपकी अगर कोई मांग और डिमांड है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मांग करें आप। माफी चाहता हूं। आप विराजें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम स्थगनों के

(श्री पूरणमल सैनी)

माध्यम से भी आते हैं और जब इनको कड़वी बात लगती है... आप विराजें माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, यह कौनसी बात हुई? मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। हां, फरमाओ उप मुख्य सचेतक महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं नहीं, यह नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस के भी जब सचेतक महोदय यहां विराजमान हैं और सचेतक ने सवेरे एक सूची दे दी, उसके बाद में प्रत्येक सदस्य आ-आकर आसन के सामने अपनी पर्ची दे रहा है और वह अनुमति प्राप्त करना चाहता है। मैं सोचता हूं कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

दूसरी बात, हमने जो सूची दी है हमारे हां पक्ष की तरफ से, उस सूची में से एक सदस्य नहीं बोले, बाकी सूची के हिसाब से ही बोल रहे हैं और जो समय निर्धारित किया है, सबने अपने नियमित रूप से उसी व्यवस्था के अनुरूप काम किया है और बसपा के दो माननीय सदस्य हैं और दोनों ही बोलेंगे क्या? यह तो कोई बात नहीं हुई। आपकी भी यदि पर्ची आती और व्यवस्था के हिसाब से आती तो वह आपको अनुमति मिलती लेकिन आप अब धन्यवाद पर इतना लम्बा बोल रहे हैं कि धन्यवाद किस बात का, क्यों दे रहे हैं? यह सदन का समय जाया कर रहे हैं। मैं सोचता हूं और जो विषय आपने स्थगन के माध्यम से उठा दिया, उसी विषय पर फिर से बोल रहे हैं, यह तो कोई, मैं सोचता हूं कि सदन का समय जाया कर रहे हैं। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इतना समय माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय खराब करते रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माफी चाहते हुए, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। एक मिनट विराजो आप। और किसी को कोई राय देनी है? वैसे यह आपके स्वविवेक का विषय है, किस मांग पर आप किस प्रकार से अपने मन की बात को अभिव्यक्त करते हैं, आसन आप पर प्रतिबंध नहीं लगाता लेकिन आपसे अपेक्षा यह करता है कि जिस विषय पर और जिस मांग का यह विषय है, उस मांग तक सीमित

(श्री उपाध्यक्ष)

रहकर अगर आपके मन में कोई संशय है या आपके मन में कोई अभिव्यक्त करने की बात है तो उसको स्पष्ट रूप से, सादगीपूर्वक आप अभिव्यक्त कर सकते हैं।

अब आसन इस बात के लिए समस्त सदस्यों को सूचित करता है, नियमों में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। और आप वर्जित हैं। अब डायस पर कोई एप्रोच नहीं करेगा। जिसे जो भी स्लिप देनी है, नीचे टेबल पर देगा। वह रूटीन में जहां जानी है, वहां जायेगी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं मेरी अपनी बात को रखते हुए यह जानना चाह रहा था कि क्राइम की जो बातें चल रही थीं कि प्रदेश में क्राइम बढ़ा है या घटा है, इस बात को मैंने रेज करते हुए और स्थगन का मैंने माध्यम लिया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना मैं यह चाह रहा हूं कि इस प्रदेश में क्राइम बढ़ा होगा, घटा होगा। मैं पूरे प्रदेश के आंकड़ों में नहीं गया लेकिन मैं झुंझुनूं जिले में रहता हूं और मैं खेतड़ी में रहता हूं। खेतड़ी से अगर मैंने बात स्टार्ट की तो मैं परसों-तरसों की घटना बताऊं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि खेतड़ी में बाडा की ढाणी में एक राजपूत समाज की नवविवाहिता के साथ, दहेज का मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके साथ इतना बड़ा कुठाराघात हुआ और उनका मर्डर तक हो गया, मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन आज तक चार दिन लगातार हो गये और उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं झुंझुनूं की अगर बात करूं तो हमारे अकेले झुंझुनूं जिले में मात्र जनवरी और फरवरी महीने में उन नाबालिग और बालिग लड़कियों पर, जो दलित समाज की लड़कियां रही होंगी, आठ प्रकरण विभिन्न थानों के माध्यम से दर्ज हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यही नहीं है। मैं आपको कल-परसों कह रहा था कि बाली और पाली जिले की हम अगर कहीं बात करें तो उसके साथ जो किया गया, वह किया गया और अंत में उसका मर्डर करके उसे बाँध में डाला गया है। आज तक उन दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

(श्री पूरणमल सैनी)

हुई। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि हम नारको टैस्ट करवा रहे हैं, कब तक वह नारको टैस्ट होगा? आज तक तो वह नारको टैस्ट हो नहीं पाया और जो आरोपी हैं, वह जैसे थे, वैसे के वैसे ही घूम रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं बात कर रहा था। अगर हम आगे बढ़ें, 70 साल की आजादी की बात इसलिए कर रहा था, यह हरियाली में पैदा हुए माननीय सदस्य हैं। यह देश वर्गों का देश रहा और जातियों का देश रहा, इसलिए जो सवर्ण जाति में पैदा हुए, उन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं पड़ी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप लोगों से अपील करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, 70 साल की आजादी के बाद, आज भी यह कहां प्रोविजन है कि कोई मेघवाल समाज का बेटा-बेटी अपनी शादी में और घोड़ी पर सवार होकर अगर कहीं तोरण मारने जाये या अपनी बिंदोरी निकालते हैं, वह निकालने जाये और उसको बीच रास्ते में टोका जाये और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद और उन दबंग लोगों के खिलाफ आज तक हमारी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, समय का अभाव है, मैं समझ सकता हूं कि आप कहते नहीं हैं। मैं माफी चाहते हुए निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से कि मेरे द्वारा विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में की गई मांग चाहे पुलिस क्राइम हो, आपको नहीं लगता है तो चौकियां और थाने नहीं बढ़ायें और न ही खोलें लेकिन मेरी मांग है कि आप हर जगह दलील देते हैं और आज के प्रथम वक्ता के रूप में हमारे दलित समाज से आने वाले माननीय सदस्य, आज ये भ्रम में खोये हुए हैं कि बढ़ा-चढ़ाकर बातें करते रहते हैं लेकिन आज की तारीख में क्राइम अगर कहीं बढ़ा है तो वहीं चौथे वर्ग की और शूद्र वर्ग की जातियों के लोगों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस मांग में आज मांग करूंगा कि अन्याय और अत्याचार जो भी दलित समाज वर्ग के साथ, शूद्र वर्ग की जातियों की बच्चियों के साथ हो रहे हैं, उन पर कंट्रोल फरमायें। इतना ही सब कुछ कहते हुए आपको धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानित दो सदस्य और हैं और आप दोनों के ही कटौती प्रस्ताव हैं। हनुमान बेनीवालजी, आपका कटौती प्रस्ताव है और धीरजजी, आपका भी है। समय का अभाव है। संयमित और सीमित और मर्यादित आचरण को अभिव्यक्त करने की आपको आसन गुजारिश करता है। श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-6, न्याय प्रशासन, 16-पुलिस और 17-कारागार की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के अंदर आम जन सुरक्षित है, इस बात से उस प्रदेश की साख को नापा जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में 273.9 की क्राइम रेट के साथ राजस्थान छठे स्थान पर रहा और वर्ष 2015 में जोधपुर 1038.8 की क्राइट रेट के साथ तीसरे व जयपुर 855.5 की क्राइम रेट के साथ पांचवें स्थान पर रहा। वर्ष 2015 में राजस्थान अनुसूचित जाति अपराध में 57.3 की दर से देश भर में अव्वल रहा जो कि राष्ट्रीय दर का 22.3 प्रतिशत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित जनजाति अपराधों में 29.4 प्रतिशत की दर से देश भर में एक नम्बर पर है। देश के कुल 10914 केसों में से 1207 राजस्थान में दर्ज हुए। जनजाति अपराधों में राजस्थान लगातार नम्बर एक पर बना हुआ है। वर्ष 2012 से 2015 तक देश भर में अव्वल रहा। महिला अपराध के संबंध में राजस्थान 81.5 प्रतिशत की दर से चौथे स्थान पर तथा बलात्कार के 3644 केस दर्ज किये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अन्दर यह दोष नहीं देना चाहता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अन्दर ही अपराध बढ़े हैं, लेकिन जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना था 1997-98 में उसके बाद से मुझे अच्छी तरह याद है राजस्थान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, प्रदेश के अन्दर अपराध बढ़े हैं। प्रदेश के अन्दर आपने जो रिसर्जेंट राजस्थान कराया 2006-07 के अन्दर और इस बार जो रिसर्जेंट राजस्थान हुआ उसके अन्दर एमओयू हुए और ज्यादातर एमओयू इसलिए निरस्त हो गये कि राजस्थान में कोई भी बाहरी व्यक्ति पैसा लगाना नहीं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चाहता। उनको लगता है कि राजस्थान वो प्रान्त हो गया जो पहले शान्त प्रान्त की श्रेणी में आता था। पहले जब हम स्कूल-कॉलेज में पढ़ते थे तो गैंगवार की बात हम नहीं जानते थे। गैंगवार की जब बात आती थी तो बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम आता था और कट्टा और पिस्तौल के बारे में लोग नहीं जानते थे। कट्टा तो हम समझते थे कि कोई सीमेंट का कट्टा होता होगा या कोई जिप्सम का कट्टा, लेकिन आज आप कहीं भी चले जाओ, पाँच-दस-पन्द्रह हजार रुपये के अन्दर कट्टा-पिस्तौल मिल जाता है। सरेआम लोग लेकर जा रहे हैं और हम सबको एक बात सोचनी होगी कि आज सबसे ज्यादा जो घटनाएं बढ़ी हैं और जो दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। आज छोटे मासूम बच्चों के साथ, मासूम बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और जो बलात्कार करने वाले अपराधी हैं, वो कोई नजदीकी रिश्तेदार हैं, कोई उनके परिवार का आदमी है जो घर पर आता रहता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब विश्वास तो पूरी तरह से खतम हो गया। अब हर व्यक्ति हर समय अपने बच्चों का ध्यान थोड़े रख पायेगा। इस मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए जो बच्चों के साथ, बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ ऐसे कुकृत्य करते हैं। इसमें अपना जो ये सिस्टम है, आप चालान पेश करते हो तो कई जगह देखते हैं कि दुष्कर्म के मामलों में, बलात्कार के मामलों में साठ दिन के अन्दर, 48 घंटों में चालान पेश कर देते हो और कई कोर्ट साठ दिन, नब्बे दिन और ऐसा कभी-कभी उदाहरण होता है कि वो फैसला दे देते हैं और सज़ा भी दे देते हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय लोगों को मिलना चाहिए। इन अपराधियों के अन्दर मैसेज जाना चाहिए। उन मानसिक रोगियों के अन्दर यह मैसेज जाना चाहिए कि दुबारा अपराध करने से पहले हजार बार दूसरे लोग सोचें, ऐसा कड़ा दण्ड इन लोगों को मिलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उम्र कैद की सज़ा होती है फांसी की सज़ा होती है तो हाई कोर्ट उम्र कैद में बदल देता है और सुप्रीम कोर्ट बरी कर देता है तो इससे अपराधियों के हौंसले बढ़ जाते हैं। पहले सरकार ने एक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

स्कीम चलायी थी ऑफिसर केस स्कीम और उसके अन्दर निश्चित रूप से किसी केस को ऑफिसर केस स्कीम के तहत लिया जाता था और कोई लगातार क्राइम कर रहा है, हार्डकोर अपराधी है तो वहां का एस.पी., डी.जी.पी. और होम मिनिस्टर चाहे तो ऊपर के निर्देश से या एस.पी. अपने स्तर पर भी उस केस को ऑफिसर केस स्कीम के तहत लेकर वो गवाहों की गवाहीं करवाता, क्योंकि बड़े अपराधियों से गवाह भी डरते हैं। वो गवाही देना नहीं चाहते। न्याय में बहुत देरी लगती है जिसकी वजह से लोग इन अपराधियों से दुश्मनी लेना नहीं चाहते। ऑफिसर केस स्कीम को सरकार को त्वरितता और अच्छी मॉनिटरिंग करके वापस लागू करना चाहिए और बहुत बड़े स्तर पर करके और मॉनिटरिंग करके तो निश्चित रूप से आम जन के अन्दर पुलिस का विश्वास बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर पुलिस पीड़ितों को टरकाने में कितनी अव्वल है। आज थाने में कोई फरियादी फरियाद लेकर जाता है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता है और पहले तो कोर्ट से इस्तगासा के जरिये हो जाता था लेकिन आजकल न्यायालय भी सीधे मुकदमे का आदेश नहीं देता। उसमें भी पहले जांच कराते हैं, फिर देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में 2015 तक 1 लाख 60 हजार मामले इस्तगासे के जरिये दर्ज हुए थे जिसमें साठ हजार सिर्फ राजस्थान के हैं। हमें सोचना होगा कि गरीब आदमी अगर थाने में जाकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मानता हूं कि कई जगह लोग झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आदी हो जाते हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले में तो थानेदार, डीवाईएसपी या एसपी को पूरा अधिकार है कि वो जांच के अन्दर रख सकता है, लेकिन कोई गरीब आदमी पर अगर मामला होता है तो उसको एफआईआर कराने में भी अगर पूरी ताकत लगानी पड़े, एमएलए की सिफारिश करानी पड़े तो मुझे नहीं लगता कि उसको न्याय मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आनन्दपाल इस प्रदेश में सबसे बड़ा हार्डकोर अपराधी है, वो फरार हो गया और राजस्थान की पुलिस कितना ही कुछ कर ले, गृह मंत्रीजी कितने भी वक्तव्य दे लें लेकिन जब तक आनन्दपाल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक राजस्थान की जनता इस बात को नहीं मानेगी कि प्रदेश में कुछ हो रहा है। पुलिस कुछ कर रही है। आप बार-बार कह रहे हो कि उसके साथियों को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 सितम्बर, 2015 को वो नागौर से फरार होता है और 22 मार्च, 2016 को वो नागौर में मेरी कांस्टीट्युएंसी के अन्दर पुलिस पर गोलियां चलाकर भाग जाता है। उसकी न तो प्रशासनिक जांच की जाती है और जब उस पूरी चार्जशीट और उस पूरे मामले को देखा और उस मामले की ...(व्यवधान)... एक मिनट साहब, बोलने दो न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम वहां गये, मौके पर थे और एक समझौता वहां पर हुआ था। डीजीपी साहब से बात हुई। गृह मंत्रीजी से भी हुई थी। बहुत बड़ी पब्लिक प्रेस कांफ्रेंस वहां हुई थी कि इसको शहीद का दर्जा मिले, इस बारे में तो अपने विधान सभा में भी चर्चा हुई थी कि शहीद का दर्जा देने का हम प्रयास करेंगे, उसको भेजेंगे। फौज के अन्दर तो जो आदमी लड़ते हुए मुठभेड़ के अन्दर शहीद हो जाता है, उसको शहीद का दर्जा देते हैं, लेकिन राजस्थान की पुलिस के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मैं यह भी मांग करूंगा कि जो पुलिसकर्मी दुर्दान्त अपराधियों से लड़ते हुए ऐसी घटनाओं में अगर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनको शहीद का दर्जा मिले। उस बात को लेकर वहां हजारों लोगों ने हाईवे जाम किया। मैं भी वहां था और वहां आईजीपी, अजमेर भी थी और एसपी नागौर भी थे। एक बात बहुत हुई कि इसको शहीद का पैकेज मिलेगा और एक दिन की तनख्वाह पूरी जो अजमेर रेंज की थी, उसकी एक दिन की तनख्वाह उसके पीड़ित परिवार को देनी थी और एक इन्जर्ड और था उसको भी दस लाख रुपये देने थे लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक करोड़ रुपये का चन्दा इकट्ठा कर लिया नागौर के अन्दर से, दूसरे लोगों से, कि हमें शहीद की मदद करनी है और जो आई.जी. ने घोषणा की वहां प्रेस कांफ्रेंस में, वो पैसा उस शहीद के परिवार को आज तक नहीं मिला। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपका आई.जी. आपके नीचे वहां प्रतिनिधित्व कर रहा था सरकार की तरफ से, अगर जो घोषणा उन्होंने पब्लिकली की है, उन्होंने माइक के ऊपर यह कहा था कि यह स्पेशल पैकेज हम इस शहीद के परिवार को देंगे, लेकिन उस समय नहीं दिया।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। डीजीपी भी यहां विराजमान हैं आप उस शहीद के परिवार को राहत दिलायें जो पैकेज की घोषणा आपने की, वो पैकेज दें और जो सारी बात आपने कही थी, उस शहीद परिवार के लिए यह काम होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल के बीहड़ों में डकैत गैंग बनाकर खुली धमकियां दे रहे हैं। व्यापारियों का अपहरण व चौथ वसूली का पूरा नैटवर्क चला रहे हैं। गैंग में कई महिला डकैत भी हैं। वो ये कहते हैं कि जीते-जी तो समर्पण नहीं करेंगे तथा जल्द ही बड़ी वारदात कर पुलिस को जवाब देंगे। केदार गुर्जर, पप्पू गैंग, दस्यु पूजा, सीमा परिहार अनेकों डकैत आतंक के पर्याय हैं। जयपुर में कमिश्नरेट में जो हाई प्रोफाइल ब्लेकमैलिंग मामले में राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का नाम आया, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आनन्द चंदेल नामक व्यक्ति ने तो ब्लेकमैलिंग से जयपुर के राजा पार्क में नौ मंजिला फ्लैटों का निर्माण कर दिया जिससे सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के निजी सम्बन्ध हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद जयपुर, जोधपुर दोनों में अपराध बढ़े हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस का काम कम ...(व्यवधान)... आप दो मिनट बोलने दो, साहब ऐसे क्यों कर रहे हो। दो मिनट बोलने तो दो, साहब।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे बोलते जा रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या बोल दिया मैंने?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सत्ताधारी लोगों के और बड़े-बड़े नेताओं के हाथ हैं। ऐसे कैसे, ऐसे मत बोलो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो किसी का नाम ले लिया क्या मैंने? सुबह से सभी बोल रहे हैं, मैं ही बोल रहा हूं क्या? मेरे बोलते ही आपको तकलीफ होती है मदन जी, क्या बोल दिया ऐसा मैंने?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आसन ने आपको मर्यादित रहते हुए बोलने के लिए कहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब आप आसन की बात, तो आप मुझे निर्देश दोगे क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): तो फिर आप ऐसे तो नहीं, सदन का समय बरबाद नहीं करें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो बार जीते हो आप। ऐसे मत करो। आ गये होंगे मोदी लहर के अन्दर, हैं न?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जैसे चाहें आप हाईजैक नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये अब आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब बताओ साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, साहब। मदन जी, आपके +++। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस का काम कम, भूमाफियाओं की सेवा ज्यादा करता है। सामान्य अपराधों को दर्ज करने में रुचि नहीं होती जबकि जमीनों से संबंधित मामलों की सालों तक थानों के स्तर पर अनुसंधान में जांच की जाती है। मैं राजस्थान में कम से कम इस कमिश्नरेट और राजस्थान के सौ सी.आई. और थानेदारों को जानता हूं जिनकी सम्पत्ति सौ करोड़ से लेकर तीन सौ करोड़ रुपयों तक होगी, सी.आई. और थानेदारों की अब आप बताओ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले भी मेरे से पूर्व वक्ता राजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने कहा था कि निश्चित रूप से आपको इस ओर ध्यान देना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का विश्वास आम जन में बढ़े। लोगों की स्थिति तो यह हो गयी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि लोग थानेदार को फोन करने के बजाय चाहते हैं कि कोई छोटा-मोटा, गुंडा, दादा होता है न, उसके घर पर जाकर कहते हैं कि तू मेरा मामला सुलटा दे, यह थानेदार तो आधे से ज्यादा खुद ले लेगा। यह स्थिति है राजस्थान में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कमिश्नर जो पहले थे +++ को तो कमिश्नर कम बिल्डर अधिक माना जाता था। इन्होंने रिकार्ड तोड़ भूमि विवादों में मध्यस्थता के मामले ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह अधिकारियों का नाम लेना वर्जित है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह विधान सभा में कोई सदस्य है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे चलेगा? आप थोड़ा संभालिये इनको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): यह गरिमा के खिलाफ है कि हम यहां पर किसी भी अधिकारी का इस तरह से नाम लें। यहां नाम उनका लिया जाये जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नियम और प्रक्रिया में पहले नोटिस दें, वह जवाब देंगे उसका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह कोई एमएलए थोड़े ही है, उसको नोटिस कैसे देंगे। एमएलए पर आरोप लगायें तो नोटिस देना पड़ता है। किसी का नाम ही मत लो, फिर आप दीनदयाल जी उपाध्याय और इन सबके नाम लेते हो, सुबह से शाम करते हो, यह क्या बात हुई।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप आरोप लगा रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कोई बात तो कहने दो मुझे। आपकी जानकारी में तो लाऊं, चुनाव में जाओ जब लोग आपको वोट दें।

श्री उपाध्यक्ष: आसन आपको एक बात की हिदायत देता है आप पदनाम का उपयोग करके किसी भी ऐसे विषय पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, सीधा किसी पर आरोप लगाना, आसन आपको इसकी स्वीकृति नहीं देगा। आप मंत्री महोदय का ध्यान किसी विशेष बात पर आकर्षित करना चाहते हैं, आप कीजिए, पदनाम से कीजिए, लेकिन आप सीधा आरोप नहीं लगायेंगे। कृपया इस मर्यादित आचरण का अनुसरण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा सिर्फ सदस्यों पर आरोप लगाते हैं तब नोटिस देना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: अब पाँच मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मुझे नहीं पता कि बाहर के लोगों का भी नाम लेने से पहले वह सारा करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर कमिश्नर +++, आईजी अजमेर मनमाने तरीके से ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आपने नाम ले लिया क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने नहीं लिया नाम। दंपत्ति कहा है मैंने। नाम कहां लिया? मनमाने तरीके से ...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, अब आप विराज जाओ। I won't allow you. अब आप विराज जाओ That's it.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं मेरी बात खतम करूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कनक्लूड कर लें और इसका रिपीटिशन नहीं होगा अदरवाइज आसन आपको इस बात की कभी भी स्वीकृति नहीं देगा कि आप अपनी बात को यहां अभिव्यक्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है उपाध्यक्ष महोदय। पुलिस थानों में लोगों को एफआईआर के संबंध में गुमराह किया जाता है। अनेक मामले दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। पुलिस थानों में आम जन की मदद के लिये न्याय मित्रों की नियुक्ति सरकार करे उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान पुलिस की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ इंटेलीजेंस विंग को भी सशक्त करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां हार्डकोर क्रिमिनल पासा के आरोपी 22 मार्च को मुख्य मंत्री से मिलने 50 लोगों के साथ चले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय पर स्पष्टीकरण हो गया और पूरा वक्तव्य भी आ गया This is mere repetition. यह सबके इमेजिनेशन है और आपका स्पेक्युलेशन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वीजा लेकर पाकिस्तान से आये हजारों नागरिक लापता हो गये, इसलिए पुलिस को सख्त होने की आवश्यकता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा 30 जून, 2016 को पुलिस मुख्यालयों पर निर्देश भेजकर बाल श्रम से मुक्त कराने के लिये ऑपरेशन मुस्कान-2 चलाने को कहा। मगर अधिकतर जिलों की पुलिस ने इसमें औपचारिकता ही निभाई।

उपाध्यक्ष महोदय, फागी थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में जमीन विवाद के अंदर पुलिस की मौजूदगी में महिला की जीप चढ़ाकर हत्या कर दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर आम जनता द्वारा पुलिस के बारे में जो अनुभव साझा किया गया, उसमें यह बात सामने आई कि 40 प्रतिशत थानों के स्टाफ से जनता संतुष्ट नहीं है, जिसमें 8 पुलिस थाने जयपुर कमिश्नरेट के है। यह पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस के थानों द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम, 2007 की पालना नहीं हो पाई।

उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन घटनाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। 14.12.2016 को नागौर जिले के लाडनूं थाने में पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाने आये पीड़ितों को पीटा और 151 में बंद कर दिया।

टोंक जिले के उनियारा थाने में दर्ज एफाआईआर 37/2017 में पुलिस ने बलात्कार व हत्या ...(व्यवधान)... बनवारीजी, आप 40 मिनट बोले थे, कुछ ध्यान तो रखा करो। एफआईआर 27/2017 में पुलिस बलात्कार व हत्या के मामलों में पूरी घटना को गलत तरीके से लेकर अपराधियों को संरक्षण दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में सिविल लाइन थाने में दर्ज 279... एक मिनट मदन जी, गृह मंत्रीजी का ध्यान तो दिलाऊं, गृह की ही तो मांग है, फिर क्या पीएचईडी पर बोलूं? उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में सिविल लाइन थाने में दर्ज 279/2016 में मुकेश जोशी हत्याकांड हुआ था, जो बहुत चर्चित हत्याकांड था। पुलिस ने उसमें एक नाबालिग को मुलजिम बनाया केस को कमजोर करने के लिये। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जो उसकी होटल की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, पूरी जांच इस मामले की हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यह मैं निवेदन करुंगा।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भरतपुर जिले के नगर थाने में दर्ज एफआईआर 22/2015 में 302 के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मेरी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, घनश्याम जी तिवाड़ी, डा. किरोड़ी लाल जी मीणा, इन सबको सुरक्षा दे रखी थी। वापस आपने जो एग्जामिन कराया, उस एग्जामिन में आईजी और एसपी ने यह रिपोर्ट दी कि इनको सुरक्षा की आवश्यकता है। उसके बावजूद भी सब सुरक्षा हटाना, यह बदले की भावना से इस तरह से सरकार को कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम जन प्रतिनिधि हैं, मैं मेरी बात नहीं करता हूं, मुझे तो इतना..., उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो सारी बातें ध्यान हैं कि मेरे को तो कोई आवश्यकता वाली बात नहीं है, लेकिन गृह मंत्रीजी को इस बारे में ध्यान देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को गुस्सा बहुत आता है। आप गुस्सा हमारे पर नहीं करें, आप गुस्सा अपराधियों पर करें। पुलिस के जो नाकारा अफसर हैं, जो नाकारा पुलिसकर्मी हैं उन पर गुस्सा करें और प्रदेश में जो दुर्दांत खतरनाक अपराधी घूम रहे हैं, आनंदपाल फरारी प्रकरण की रिपोर्ट भी आप सदन में रख रहे हैं। गृह मंत्रीजी, आपने कहा था कि इस रिपोर्ट को रखवाऊंगा, आपने खुद ने कहा, लेकिन अब आपने मेरे सवाल के जवाब में कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। उस रिपोर्ट को कहां रखवाओगे, यह तो बता दो। सदन में नियम नहीं है, बाहर आ नहीं रही है। उसमें कौन-कौन दोषी थे। एक एसपी के खिलाफ कार्यवाही कर ली, लेकिन आईजी और नागौर के एसपी भी उसमें दोषी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करते गृह मंत्रीजी, तब राजस्थान की जनता में मैसेज जाता।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा हम चाहते हैं कि राजस्थान के जवान को रोजगार के साधन मिले क्योंकि जवान को आप रोजगार के साधन दे देंगे तो उसको किसी गैंग का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं होगी। आज राजस्थान का जवान सबसे ज्यादा गैंगवार में लिप्त हो रहा है। इसमें कहीं कमी रही है तो राजस्थान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सरकार की सोच की कमी रही है। आप चाहो तो अपराध पर पूरी तरह से लगाम हो सकती है लेकिन आपको गुंडे बदमाशों को, यह भ्रष्ट ऐसे नाकारा लोग हैं, इनका भी आपको निपटारा करना होगा। मेरे नागौर में 50 फर्जी टीसी के सरपंचों के प्रकरण हुए। एसपी ने एक ही सदर थानाधिकारी से जांच कराई। 2014-15 में पूरे जिले की जांचें एक अधिकारी से कराई और 9 करोड़ रुपये वसूल लिये और वह डीआईजी बन गये और आपने उसको डीवाई एसपी बना दिया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, साल में यह कितनी बार बोल चुके हैं यह चीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कब बोल दिया?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कितनी बार बोल चुके, मैं प्रोसीडिंग निकाल कर दिखा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। जब अनेकों-अनेक बार एक बात को बोल चुके हैं तो फिर दुबारा बोलने का क्या अर्थ है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह तो अब बोला हूं। अभी तो मेरे पास पूरे कागज हैं, सब अलग-अलग हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजें आप। अब कन्क्लूड कर दें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अगर इस देश में राजस्थान की साख वापस बनानी है तो आपको अपराध पर अंकुश लगाना होगा।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, सम्माननीय सदस्य, अब विराज जायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): खाली हमारे पर गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजें आप। सम्माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें आप। विराज गये क्या आप? वैसे तो आपका नाम धीरज है। श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं दयालु आसन का धन्यवाद करता हूं और उसके साथ ही मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस या पूरे देश की पुलिस, हम अगर इन पर आरोप लगायें तो यह इनका अपमान होगा और हम अगर इनकी तारीफ करें तो जो इनसे प्रताड़ित हैं, उनका अपमान हो जायेगा। यह देव और दानव का सम्मिश्रण है। दोनों की राशि एक है, देव और दानव। इनमें देव तत्व भी है और दानव तत्व भी है। कई लोग ऐसे हैं जो वर्दी इसलिए पहनते हैं कि उनको वर्दी में भगवान दिखता है और कई लोग वर्दी इसलिए पहनते हैं कि अपने कारनामों को उस वर्दी के पीछे छुपाना चाहते हैं। लेकिन जब-जब राजस्थान में क्राइम की बात उठती है, चाहे सरकार कोई सी भी रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, आदि अनादि काल से जब-जब राजस्थान में क्राइम की बात बढ़ती है तो चाहे अधिकारी हो या नेता, हम क्या करें? हमारे पास नफरी की बहुत कमी है। नफरी हमारे पास पर्याप्त हो तो हम क्राइम पर कंट्रोल कर लेंगे। नफरी आपके पास पर्याप्त है। अगर नफरी की आपके पास कमी होती तो एक-एक एस.पी. के घर पर बीस-बीस सिपाही क्यों लग रहे होते? एस.पी. की वर्दी प्रेस कराने वाला राजस्थान पुलिस का सिपाही, एस.पी. के जूते पॉलिश कराने वाला राजस्थान पुलिस का सिपाही, एस.पी. की पत्नी को मार्केट ले जाना वाला राजस्थान पुलिस का सिपाही, एस.पी. के घर के कुत्ते घुमाने हैं, उसके लिए राजस्थान पुलिस का सिपाही, बच्चों को खिलाना है तो राजस्थान पुलिस का सिपाही। इतनी सक्षम राजस्थान की सरकार, जो लगातार उन्नति की तरफ बढ़ रही है और ऐसा विभाग जिसमें आदमी लाठी और बंदूक इसलिए थामता है कि मैं गरीब को न्याय दिलाऊंगा। उस सिपाही को खुद को ही न्याय नहीं मिल रहा है।

वह सिपाही इस अरमान के साथ पुलिस में भर्ती होता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, प्रदेश की सेवा करूंगा। वह देश व प्रदेश की सेवा तो भूल गया, बंदूक उठाना भूल गया, लाठी पकड़ना भूल गया। उसके हाथ में चाय-प्लेट का कप थमा दिया। एस.पी. के ऑफिस में कोई मिलने जाएगा। एस.पी. घंटी बजाएगा तो बेचारा सिपाही अंदर जाकर उसको पानी पिलाएगा। चाय पिलानी है तो वह भी सिपाही पिलाएगा। उस सिपाही को आप थाने में तो भेज नहीं रहे हो। उसको आपने अधिकारियों की सेवा में लगा रखा है।

(श्री धीरज गुर्जर)

आपके 20 सिपाही एस.पी. ने रोक लिए। चार-पाँच सिपाही एडिशनल एस.पी. ने रोक लिए। पाँच-पाँच सिपाही डी.वाई.एस.पी. ने रोक लिए और मौका लगा तो दो-दो सिपाही थानेदार ने रोक लिए। अब आप सोचो, आपके पास नफरी की कमी नहीं होगी तो क्या होगा? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस का सिपाही इसलिए भर्ती नहीं होता है कि उसके हाथ में हम चाय के कप-प्लेट पकड़ा दें। उसको पानी का गिलास पकड़ाने वाला बना दें। आज एम.ए. और बी.ए. पढ़ा-लिखा हुआ लड़का, उसके मन में सपना होता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, प्रदेश की सेवा करूंगा और क्राइम पर लगाम लगाऊंगा। इसलिए गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह सिर्फ आप कर सकते हैं। पुलिस के अंदर और कारागार के अंदर भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कैडर होना चाहिए ताकि जो फोर्थ क्लास के काम हैं, वह काम फोर्थ क्लास का आदमी करे और जिसको सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है, वह इन अधिकारियों और परिवारजनों की सेवा नहीं करे, बल्कि थानों के अंदर लगकर लोगों को न्याय दिलाए।

आज पुलिस का सिपाही 24 घंटे, तीस दिन तक काम करता है, लेकिन उसकी पे-ग्रेड है, वह थर्ड-ग्रेड से भी कम है। मैं आज सदन के अंदर यह कहना चाहता हूं, यह मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन वह सिपाही.. क्योंकि सिपाही की ऊपर की आमदनी भी कम होती है। बेचारा वह छोटी-छोटी मार मारता है और आप उसको पैसा नहीं दोगे तो वह जनता को मार मारेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वह जनता के ऊपर मार नहीं मारे, वह जनता को नहीं लूटे तो उसकी कम-से-कम थर्ड ग्रेड की पे तो होनी चाहिए। आप इसके अंदर भी देखिए। पुलिस की परीक्षा एक है। कारागार के अंदर जो अधिकारी लग रहा है। गृह मंत्रीजी, राजस्थान में आपकी सरकार ने दस आर.पी.एस. अधिकारियों को जेलों के अंदर एडिशनल डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगा रखा है। इसमें कितना दुराचार है? पुलिस का एक सिपाही जो कारागार सेवा के अंदर भर्ती होता है, उस आदमी की तनख्वाह साधारण सिपाही से भी कम है। पे-ग्रेड में पुलिस और कारागार में ही अंतर है। जबकि पंजाब देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो। आप आस-पड़ौस के राज्य देख लो। उनमें पुलिस और कारागार सेवा का पे-ग्रेड बराबर है। उसके बाद

(श्री धीरज गुर्जर)

जो सिपाही जेल में रहता है, कारागार सेवा का है। वह अधिकारियों के बीच में इतनी खतरनाक ड्यूटी करता है और उसके संसाधन भी सीमित हो जाते हैं। बाहर घूम रहा सिपाही तो छोटा-मोटा ट्रैफिक के अंदर ही कमा लेगा। ठेले वाले से ले लेगा। उसको कोई जांच मिलेगी तो उस जांच में ही ले लेगा, लेकिन जेल के अंदर जो बैठा हुआ है, उसके साधन सीमित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जेल-कारागार के हमारे लोग हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दें। वैसे आप उदारमना हैं। मेरे हिसाब से आपने इसमें कोशिश की है, लेकिन गृह मंत्रीजी, आप एक निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आप सक्षम हैं। मैं आपसे मांग करूंगा कि जो कारागार सेवा है... (व्यवधान) आपको अभी थानेदार का कारनामा बताऊंगा। सबसे ज्यादा जरूरत सिपाही को ही है।

आज 24 घंटे ड्यूटी के कराने के बाद। आपने दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तो यह नियम कर रखा है। पाँच दिन का वीक है। पाँच दिन काम करेंगे और दो दिन आराम करेंगे। पुलिस का जो सिपाही भर्ती हो रहा है, वह कोई चपरासी तो है नहीं। आजकल एम.ए., बी.ए., एलएल.बी. किए हुए लड़के सिपाही बन रहे हैं। तो आप क्यों नहीं इन सिपाहियों को, हमारे राजस्थान में आप इनको हफ्ते में छुट्टी नहीं दे सकते? यह हम जानते हैं क्योंकि पुलिस को क्राइम भी पकड़ना है। अधिकारियों की सेवा भी करनी है, अधिकारियों की नौकरी भी करनी है, धरने-प्रदर्शन भी कराने हैं, जुलूस भी निकालने हैं, धार्मिक आयोजन भी कराने हैं, चोरियां भी पकड़नी हैं। आपने सिपाही को 24 घंटे काम करने वाली मशीन की तरह बना दिया। उस आदमी को महीने में कम-से-कम दो छुट्टियां तो दो। हर रविवार आप छुट्टी नहीं दे सकते, यह मजबूरी जानते हैं लेकिन उस सिपाही को कम-से-कम महीने में दो छुट्टियां और थर्ड-ग्रेड पे सिस्टम तो हम उनके लिए लागू कर ही सकते हैं।

इसके साथ-साथ, जो आदमी 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। उसको हम कहते हैं कि हम तेरी पदोन्नति परीक्षा से करेंगे। आप विभागीय पदोन्नति क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब हर विभाग के अंदर डी.पी.सी. के माध्यम से पदोन्नति हो रही है तो इन सिपाहियों से आप परीक्षा दिलाकर कौनसा न्याय

(श्री धीरज गुर्जर)

कर लेंगे? इनको तो अनुभव से सीखना है और जो इनकी परफोर्मेंस है, उसके आधार पर इनको आप विभागीय पदोन्नति देंगे तो निश्चित रूप से ये सिपाही आपका गुणगान करेंगे और रोडवेज का.. हम इनका वारंट जारी करते हैं, हम इनको फ्री पास नहीं देते हैं, यह हमारी पुलिस का उजला चेहरा है और मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि निश्चित रूप से अगर पुलिस नहीं हो तो एक दिन में तबाही आ जाएगी। लेकिन पुलिस जब ऐसी पुलिस बन जाती है कि चंद्रकांता मेघवाल जी, विधायक जो हमारे सदन की हैं, हमारी साथी हैं। उनको कोटा के अन्दर.. वह एक ही वीडियो सामने आया है। मदन जी, आप खड़े मत होना। आज तो पुलिस का ही दिन है। उस विधायक को आप लोग सदन में आने भी नहीं दे रहे हैं कि सदन में अगर आएंगी तो कोई इसके पक्ष में बोल जाएगा। क्यों उसके साथ मारपीट हुई? और जब उसके साथ मारपीट हो गई, पूरे राजस्थान के थानों के अंदर मैस बंदी क्यों हो रही है? जब कहते हैं कि पुलिस अनुशासन का काम करती है, अगर आपने किसी के साथ मारपीट की हो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों आपने किसी के साथ मारपीट की? आपने विधायक के पति के साथ मारपीट कर दी तो विधायक के पति की बहुत बड़ी गलती हो गई क्या? हर आदमी अपने कार्यकर्ता के लिए थाने के अंदर जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरी उपमा मैं राजस्थान पुलिस को इस तरह की दूंगा कि जिस तरह से चाँद होता है। अंधकार में अगर चाँद नहीं उगे तो अँधेरा ही अँधेरा छा जाएगा। वह चाँद छोटा-सा होता है, लेकिन उसकी रोशनी से पूरा अंधकार गायब हो जाता है। जिस तरह से उस चाँद के अंदर दाग है, उस तरह से इस पुलिस के चेहरे के ऊपर भी दाग है। अगर आपके अंदर देवता विद्यमान हैं तो आपके अंदर दानव भी निवास करते हैं और वे दानव वर्दी वाले गुंडे बनकर, क्रिमिनल-इन-यूनिफोर्म बनकर लोगों को लूटने का काम करते हैं। थानों के अंदर बलात्कार हो जाते हैं। थानों के अंदर ज़मीनों के सौदे होते हैं। थानों के अंदर जब यह रेट चलती है कि यह थाना पाँच लाख रुपये का, यह थाना दस लाख रुपये का, यह थाना पंद्रह लाख रुपये का और यह थाना बीस लाख रुपये का। ये रेट कौन तय करते हैं? आपके विभाग के वे भ्रष्ट अधिकारी, जो अपना पेट भरने के लिए राजस्थान को

(श्री धीरज गुर्जर)

बदनाम करना चाहते हैं। अपना पेट भरने के लिए उस वर्दी पर दाग लगा देते हैं, जिस वर्दी के लिए अच्छे लोग पसीना बहाते हैं, जिस वर्दी के लिए लोग खून बहाते हैं। मैं आपसे आज इस सदन में यही कहना चाहता हूं कि अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है।

भरतपुर के अंदर जो दो-तीन दिन पहले घटना हुई, सेवर थाने जैसे घटनाएं होती थीं। वे कितने बड़े अपराधी थे, जिनको पकड़ने के लिए तीन-चार सौ पुलिस वाले गए और ऐसी गलतियों के ऊपर हम इसलिए पर्दा डाल रहे हैं कि नहीं, यह बोलने वाला हमारी सरकार को बदनाम कर रहा है या कोई अधिकारी यह सोचे कि हम अपने छोटे कर्मचारी को इसलिए बचा लेंगे, क्योंकि अगर वह कर्मचारी सामने आएगा तो हमारी पुलिस बदनाम हो जाएगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने से जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो कि रिश्वत नहीं लेते, उनका दामन दागदार होता है। उनके दिल को ठेस पहुंचती है कि हम ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं तो क्यों नहीं, हम भी इनके जैसे बेईमान बन जाए और जो तालाब की बेईमान मछलियां होती हैं..।

उसका छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हमारे भीलवाड़ा का ही है। हमारे भीलवाड़ा में एक पुलिस अधिकारी सी.आई. थाना कोतवाली में लगा हुआ था। सत्ता पक्ष के आदमियों ने ही उसकी शिकायत की। हम तो करेंगे नहीं। गृह मंत्रीजी ने उसको हटा दिया। लेकिन वह तीन दिन भी बाहर नहीं रहा, तीन दिन भी लाइन में नहीं रहा। तीन दिन के अंदर उस कमाऊ पूत को अधिकारियों ने वापस सुभाष नगर थाने में लगा दिया। गृह मंत्री के आदेश से जो आदमी भ्रष्टाचार से हटता है, उस सी.आई. को तीन दिन के अंदर भीलवाड़ा पुलिस वापस उसी थाने में लगा देती है और सी.आई भी कैसा, जिसके खिलाफ पाँच-पाँच निंदा प्रस्ताव अधिकारियों ने दे रखे हैं। एक वर्ष की वेतन वृद्धि डी.ओ.पी. जयपुर ने रोकी, एक वर्ष की वेतन वृद्धि जोधपुर आई.जी. ने रोकी। परिनिन्दा पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा। परिनिन्दा, अजमेर आई.जी. और हालिया एस.पी. ने तीन वर्ष की वेतन वृद्धि रोकी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनको फील्ड पोस्टिंग कतई नहीं मिलनी चाहिए। उनको गृह मंत्री अगर हटा देता है तो उन अधिकारियों की हिम्मत देखिए कि वे

(श्री धीरज गुर्जर)

अपने उस कमाऊ पूत को थाने के अंदर लगा देते हैं। वह कमाऊ पूत भी ऐसा कि मांडल पुलिस उसको मुजरिम मानकर 16 फरवरी को आदेश निकालती है कि यह कोर्ट में उपस्थित हो और हम इसके बयान लेंगे। गृह मंत्रीजी, आप चाहें तो मैं सब कागज, बहुत बड़ा पुलिंदा है, यह आपके सामने टेबल कर दूंगा या आप व्यक्तिगत लेना चाहें तो मैं दे दूंगा। ये हमने आर.टी.आई. के थ्रू निकलवाए हैं। इसके साथ-साथ उस अधिकारी की शिकायत एक महिला ने पोर्टल पर कर दी तो उस महिला के पति को तीन दिन तक थाने में उठाकर ले आए और उसका मोबाइल थाने में लाकर बंद कर दिया और तीन दिन बाद उस आदमी का मोबाइल चालू करके उसको दिया। अगर कोई ईमानदार अधिकारी जांच करे। क्योंकि जोधपुर में इसी अधिकारी के ऊपर थाने में आत्महत्या करवाने के लिए एक केस दर्ज हुआ कि इसने भगतासरी थाने के अंदर पोस्टिंग के दौरान, एफ.आई.आर. संख्या 149/14 इस अधिकारी के खिलाफ दर्ज हुई, जिसमें एक आदमी ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे ने इसके डर से आत्महत्या कर ली। चूंकि उस आदमी को इस जांच के दौरान..

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं जिस अधिकारी के बारे में, इतनी जानकारी तो मेरे को नहीं है चूंकि मैं भीलवाड़ा का हूं। लेकिन अभी हाल ही हमारे वहां भीलवाड़ा में गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड में हमारे माननीय सदस्य के कुछ रिश्तेदार थे और उनके खिलाफ जो कार्यवाही है, यह उसका दु:ख यहां पर बयान कर रहे हैं। हकीकत यह है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं,नहीं, सुन लो। मैं आपको जो बता रहा हूं यह मेरी किसी से कोई द्‌वेषता नहीं है। मैं आपके सामने वही तथ्य रख रहा हूं। शिकायत भी मैंने सत्ता पक्ष की नहीं की। मैंने कहा कि सत्ता पक्ष के आदेश से ही हटा और सत्ता पक्ष के आदेश से ही लगा लेकिन जो आदमी फील्ड में पोस्टिंग नहीं हो सकते हैं, मेरे किसी रिश्तेदार का कोई मामला नहीं है। किसका है यही जाने।

मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं चाहे माण्डल थाने में हो, चाहे अतिरिक्त

(श्री धीरज गुर्जर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डल में है। अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा में परिवाद संख्या 110/16 और 42/16, मैं तो आपको एक बानगी प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। आज पुलिस के जैसे हालात हैं, वह आप किसी से छिपे हुए नहीं है। भरतपुर में भी घटनाएं हो रही है। इससे ज्यादा अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो राजस्थान के नहीं, हिन्दुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका क्राइम का वातावरण सट्टेबाजों को इतना अच्छा लगा कि पूरे देश के सट्टेबाज जयपुर की फाइव स्टार होटल में इकट्ठे होते हैं। वहां इकट्ठे होकर वह अपने सट्टे के लेन-देन का हिसाब करते हैं। इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी चंद मछलियां ही हैं जो पुलिस को बदनाम करती है। बाकी पुलिस नेता की ड्यूटी भी करती है, पुलिस धरना-प्रदर्शन की ड्यूटी भी करती है, क्राइम की ड्यूटी भी करती है। हर सरकार यह कहती है कि हमारे समय में अपराध घटा। कोई सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि अपराध घटेगा। यह तो अपराधी की मर्जी पर है। अपराधी को मौका लग गया तो वह अपराध कर देगा। अपराधी को मौका नहीं लगा तो वह अपराध नहीं कर पाएगा। लेकिन अपराध होने के बाद आपकी भलमंशा कितनी है, इस सच्चाई को आप कैसे झुठलाओगे कि गांव के गरीब आदमी, जिनको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है, मोटरसाइकिल चोरी के अंदर एक आदमी को पकड़ेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी के ऊपर अंगुली उठाऊ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो गरीब आदमी है उस बेचारे को उठा लिया। एक बार चोरी में उसको मुलजिम बना दिया। उसके माथे 20 चोरियां मंढ दी। 20 मोटरसाइकिल उसके माथे मंढने दी। यह माथे मंढने का खेल कब तक चलेगा, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। मैं यह नहीं कहता कि आप लोग गलत काम करते हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके हाथ से कोई निर्दोष आदमी फँसता है तो उस निर्दोष के लिए हमें ईमानदारी से मदद करनी चाहिए।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कारागार के हमारे कार्मिक हैं, जब आपने जेल के अंदर आरपीएस अधिकारियों को लगाया, 10-10 अधिकारी

(श्री धीरज गुर्जर)

आपने सुपरिंटेडेंट जेल लगा रखे हैं। उनकी तनख्वाह ज्यादा है और उसी परिस्थिति में जो जेल सुपरिंटेडेंट काम कर रहा है उसकी तनख्वाह कम हो जाती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कारागार के जो कार्मिक हैं चाहे सुपरिंटेडेंट हो चाहे इनके सिपाही हो, इनकी भी आपको तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। पुलिस की सुविधा के लिए अगर हम सब मिलकर काम करेंगे क्योंकि आज सिपाही भी जिस तरह से रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं कि मुझे बैठना है। जिस तरीके से मुलजिम जेल में रहते हैं उसी तरह से हमारे सिपाही भी बैरक के अंदर रहते हैं। पुलिस रेंक की आप हालात देख लो, वह एक खाट के ऊपर सोते हैं। थाने में बैरक देख लो, एक बैरक के अंदर सात-सात, आठ-आठ पलंग बिछाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को कब तक फायदा मिलता रहेगा? अगर कोई ज़िले का एसपी लग गया तो ज़िले की पूरी पुलिस उसकी है, हर नेता उसका है, हर व्यापारी, उद्योगपति उसका है। उसकी सेवा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो पुलिस का सिपाही है, उसकी अगर हम सेवा करेंगे तो फिर हमारी पुलिस होगी, वह जातियों की पुलिस नहीं होगी। फिर हमारी जो पुलिस होगी, वह भ्रष्टाचार की पुलिस नहीं होगी। जनता की जेब में हाथ डालकर 100-200 रुपये निकालने वाली पुलिस नहीं होगी। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता हमें सदन के अंदर इस विश्वास के साथ भेजती है कि इस सदन में बैठकर हम सार्थक बहस करेंगे और उस सार्थक बहस के परिणाम से हम किसी अंजाम की तरफ पहुंचेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने अपनी बात को सभ्य शब्दों में रखने का प्रयास किया, फिर भी कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफी चाहता हूं। राम-राम सा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी, विधि राज्य मंत्री।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधि विभाग मांग संख्या 6 की इस चर्चा में माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव सदन में रखें हैं। लगभग 113 कटमोशन मेरे विभाग में आए हैं। निश्चित रूप से मैं उनका गहन प्रशिक्षण करके कोशिश करूंगा कि आने वाले दो दिन में, जो भी आपने कटमोशन दिए, इस विधान सभा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

में आपने अपनी बात रखी है, वह दो दिन के अंदर आप तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आगे उस पर उचित कार्यवाही करवाऊं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधि विभाग, जिस तरह सरकार के विभिन्न विभाग है उनमें से यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग द्वारा विधिक मामलों में राय देना, विधिक प्रारूपण, विधिक साहित्यकरण, प्रचलित विधि के प्रकाशन व व्यवस्था संचालित की जाती है। लोक अदालत व विधि सहायता संबंधित मामले में भी प्रशासनिक देखरेख की व्यवस्था की जाती है। विधि विभाग राज्य सरकार की समस्त विधिक कार्यों की देखभाल का दायित्व भी निर्वहन करता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय में बजट में 2016-17 हमारी सरकार ने लगभग 658 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस का अंतिम बजट था 2013-14 में, आपने मात्र 437 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान रखा था। बजट 2016-17 में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए और मरम्मत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालय के लिए सरकार ने 118 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, एडीशनल कोर्ट्स में, मुंसिफ कोर्ट्स में जहां भवन निर्माण निधि है, वहां भवन भी बना रहे हैं, लिटिगल शेड भी बना रहे हैं, जिससे आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राज्य के विधिक कार्य कलापों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान विधिक राज्य अधीनस्थ सेवा में कुल 585 पद हैं और राजस्थान विधि रचना में राज्य अधीनस्थ सेवा में कुल 36 पद हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में हमारे वहां 50 स्वीकृत पद है। वर्तमान में 33 माननीय न्यायाधीश कार्यरत हैं। मैं यह सब इसलिए बताना चाहूंगा कि मैं इस पूरे विभाग के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुंसिफ कोर्ट तक पूरा बताना चाहूंगा।

वर्तमान में जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायालयों में जिला स्तर के डीजे और एडीजे के 415 पद में से 349 न्यायाधीश कार्यरत हैं। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लगभग 338 पद में से 284 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सिविल न्यायाधीश के 450 में से 432 न्यायाधीश कार्यरत हैं। 2016-17 में 27 पद हमने स्वीकृत किए थे। उनकी हमने 10.02.2017 को विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसको भर सकेंगे। सिविल न्यायाधीश के लगभग 72 पदों के लिए 08.03.2017 को विज्ञप्ति आदेश जारी कर दिए। मुंसिफ़ कोर्ट और एसीजेएम कोर्ट में कमी है, वह भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी।

कई माननीय सदस्यों ने यहां अपने कटमोशन के माध्यम से भी अपनी मांग रखी है। कई जगह तो क्रमोन्नत की बात की है कि हमारे न्यायालय मुंसिफ कोर्ट से सीजेएम कोर्ट बन जाए या एसीजेएम कोर्ट बन जाए। माननीय सदस्यों ने यह भी बात रखी कि सीजेएम कोर्ट से हमारे एडीजे कोर्ट बन जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए हमने कई मापदण्ड़ रखे हैं। तत्कालीन सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया है। उस प्रारूप के तहत हमने यह रखा है कि जिला स्तर और अपर जिला न्यायालय के लिए 1000 से 1200 प्रकरण होने चाहिए। मुख्य और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर 1200 से 1500 प्रकरण होने चाहिए। सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए 1700 से 2000 प्रकरण उस कोर्ट में होने चाहिए। फिर भी हम इसका परीक्षण करवा कर, आज भी नये कोर्ट्स खोलने की जो परम्परा है, हम उस पर पूरा मंथन करके, परीक्षण करके उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं। उनके आदेश, स्वीकृति आने पर ही, और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही हम नये कोर्ट्स खोलते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 2014 से अभी तक 58 नवीन न्यायालयों की स्थापना की है। इसमें 14 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों की स्थापना की है, 06 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना की है, दो विशिष्ट न्यायालय, महिला उत्पीड़न प्रकरण के न्यायालय हमने शुरू किये हैं, 06 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना की है। 25 विशिष्ट न्यायालय, एन.आई. एक्ट प्रकरण न्यायालयों की स्थापना की है, 04 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

एक खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के न्यायालय की हमने स्थापना की है। इसी प्रकार 19 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्रमोन्नत हमने किया है। यह हमने 2014 से लेकर 2016 तक किये हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम न्यायालय भी हमने शुरू किये हैं। राजस्थान में वर्तमान में 45 ग्राम न्यायालय स्थापित हैं, जो मुख्य ग्राम सम्बन्धित विवाद, जैसे गोचर सम्बन्धित विवाद है या कोई सम्पत्ति विवाद है या कुए या ट्यूबवैल का पानी, वाटर चैनल, वन सम्पत्ति आदि से सम्बन्धित सुनवाई इस ग्राम न्यायालय के द्वारा हम करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में उन्होंने तीन अपर जिला और सेशन न्यायालय खोले हैं। पोकरण जिला जैसलमेर में, कोटपूतली जिला जयपुर में और बारां में अपर जिला और सेशन न्यायालय खोला है।

04 सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले हैं। भुसावर, जिला भरतपुर में, भीनमाल और सांचौर, जिला जालौर में और सपोटरा जिला करौली में। एक विशिष्ट न्यायालय, पास्को एक्ट, जयपुर में खोला है। सात पारिवारिक न्यायालय खोले हैं, करौली, सिरोही, बाड़मेर, धौलपुर, जालौर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। दो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रतापगढ़ और करौली में इस बजट में हम खोलने जा रहे हैं। इसके साथ जो सेण्टर की स्कीम है, वैकल्पिक वाद निस्तारण कैम्प के माध्यम से हमने 28 स्थानों पर ऐसे कैम्प खोले हैं, जिनमें 23 केन्द्रों पर हमने आलरेडी भवन उपलब्ध करा दिये हैं और केन्द्र हमने शुरू कर दिये हैं। जहां आम व्यक्ति अपना मुकदमा फाइल होने से पहले या मुकदमा दर्ज होने के बाद में अगर कोर्ट ऐसा महसूस करता है कि यह विवाद आपसी समझाइश के तहत या कोई मीडिएटर, इसमें मीडिएटर बन कर अगर दोनों पार्टियों की समझाइश करे या इनकी आपस में एक राय बनाये तो ऐसे प्रकरणों के लिये 28 वैकल्पिक वाद निस्तारण केन्द्र हमने खोले हैं। इनमें 23 के हमने भवनों का निर्माण कर दिया है और प्रक्रिया चल रही है।

न्यायालयों के लम्बित प्रकरणों के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में आज की

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

तारीख में एक लाख 13 हजार 854 केस लम्बित हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में एक लाख 40 हजार 875 प्रकरण लम्बित हैं। कुल मिलाकर राजस्थान उच्च न्यायालय में 02 लाख 54 हजार 729 प्रकरण पैंडिंग हैं। राजस्थान के अधीनस्थ, जो हमारे सिविल और क्रिमिनल के कुल लम्बित प्रकरणों की मैं संख्या बताना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 15 लाख 73 हजार 986 ऐसे प्रकरण हमारे लम्बित हैं। इसके लिये राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसे निर्देश दिये हैं, जिसके तहत पाँच साल के पूर्व के जितने भी ऐसे केस हैं, जो क्रिमिनल और सिविल एक्ट के केस हैं, इनके प्रति सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उन्होंने कहा है कि उनको जल्दी से जल्दी, ऐसे प्रकरण जो लम्बित प्रकरण हैं, जो पाँच साल से ज्यादा समय से लम्बित हैं, उनको तीव्र गति से न्याय दिलाने के आदेश सुनाये हैं। इससे मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी इनको न्याय मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने गवाहों के बारे में, साक्षियों की सुरक्षा के बारे में काफी बातें यहां कही हैं। मैं इस मौके पर सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यकाल में एक नई स्कीम शुरू की है, जिसमें एक साक्षी को हम कैसे सुरक्षा दे सकें। जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ में कोई साक्षी है, उसके लिये हमने एक नई स्कीम शुरू की है, जो गृह विभाग को भेज दिया है। इसको लागू तो गृह विभाग करेगा, पर इसके ड्राफ्टिंग के काम को हमारे विभाग द्वारा किया गया है। इसमें हमने यह भी कोशिश की है कि साक्षी की पहचान को छिपाने की बात की है। साक्षी को सुरक्षा देने के लिये उसके घर पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना, अलार्म आदि लगाना तथा घर में नियमित रूप से पुलिस पैट्रोलिंग करना, साक्षी को न्यायालय तक आने के लिये वाहन और एस्कोर्ट उपलब्ध कराना और सुरक्षा प्राप्त साक्षियों को विचारण के लिये अभियुक्त के सामने नहीं लाना और विचारण के लिये बंद कमरे में वह अपना विचार दे सकता है। इस तरह से हमने यह साक्षी सुरक्षा स्कीम गृह विभाग को भेजी है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं।

राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, हमारी सरकार ने इसके माध्यम

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

से ऐसे कई नवाचार शुरू किये हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन नवाचारों के तहत 2014 और 2016 में केन्द्र सरकार के द्वारा इस राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का जो काम हमने किया है या जो हमने नवाचार किये हैं, केन्द्र सरकार ने इसकी प्रशंसा भी की है और हमको इसके लिये अवार्ड भी मिला है। पूरे हिन्दुस्तान में सभी राज्यों की तुलना में इस प्राधिकरण के माध्यम से काम किया गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में है, जहां हमारा जिला न्यायाधीश है, वह इसका अध्यक्ष है और वह इसके माध्यम से, कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन करके, अगर उसकी सलाह की जरूरत है या सहायता की जरूरत है। इस प्राधिकरण के समक्ष पेश होकर विधिवत तरीके से अपना आवेदन करेगा, तो किसी व्यक्ति की सवा लाख रुपये से कम इन्कम है तो निश्चित रूप से प्राधिकरण उसको, सर्वोच्च न्यायालय में अगर उसकी अपील है या अलग, विभिन्न न्यायालयों में उसकी अपील है तो उसके लिये जो भी उसका खर्चा होगा, अच्छा वकील खड़ा करने के लिये जो भी पैसे की आवश्यकता होगी तो इस प्राधिकरण के माध्यम से इसको दिया जायेगा। इन केसेज में खास तौर से कोई व्यक्ति एस.सी., एस.टी. का सदस्य है, संविधान के अनुच्छेद के तहत शोषण से ग्रस्त है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से असमर्थ है, कोई औद्योगिक कर्मकार है या कोई जातीय हिंसा, प्राकृतिक आपदा या सताया हुआ व्यक्ति है, वह भी विधिक सेवा प्राप्ति का अधिकारी है। वर्तमान सरकार ने अपने इस शासनकाल में, 2014 से 2016 तक कुल 20 हजार 203 व्यक्तियों को विधिक सहायता से लाभान्वित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से शिविर लगाये हैं। ये जिला नहीं, तालुका और पंचायत समिति नहीं, गांवों में भी हमने ऐसे शिविर लगाये हैं, पम्पलैट्स बांटे हैं, जिससे आम व्यक्ति को, जो गरीब है या अशिक्षित है, उस वर्ग को भी संविधान और कानून के बारे में ज्ञान हो और समय पर उसको न्याय प्राप्त हो सके। 2014-2016 में कुल 27 हजार 60 शिविर हमने आयोजित किये हैं, जिससे लगभग 26 लाख 74 हजार 129 व्यक्तियों को हमने लाभान्वित किया है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

विगत सरकार ने अपने शासनकाल में 2010-2013 में 39 हजार ऐसे शिविर आयोजित किये, जिसमें उन्होंने 30 लाख 22 हजार 660 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। 2014-2016 में 26 हजार 128 लोक अदालतें हमने आयोजित की हैं, जिसमें 08 लाख 10 हजार 246 प्रकरणों का निस्तारण इनके माध्यम से किया है।

स्थाई लोक अदालत, जनोपयोगी सेवा, यह वर्तमान में हमारे शासनकाल में हमने 02 हजार 45 ऐसे स्थाई लोक अदालतों का आयोजन किया है, जिनमें 03 हजार 20 प्रकरणों का निस्तारण किया है।

(21.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हमने राजस्थान सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, विधिक प्राधिकरण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद निस्तारण के भी कोर्ट्स शुरू किये हैं, जिसमें मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि यह अल्टरनेट डिस्प्यूट के लिए हमने ऐसे कोर्ट्स खोले हैं। न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई आपसी विवाद है जो फाइल होने से पहले ही, मतलब, समझाइश के तहत हम अगर उसको सुलटा सकते हैं तो उनके लिए हमने ऐसे कोर्ट्स भी शुरू किये हैं जिससे अदालत में आने से पहले या अदालत में आने के बाद में भी ऐसे आपसी समझाइश के तहत हम मिडिएटर्स को, जिसको 40 घंटे की हमने ट्रेनिंग दे रखी है, वह कोई वकील भी हो सकता है या कोई जुडिशियल सर्विसेज का जज भी हो सकता है, उनकी ट्रेनिंग हमने करवायी है। इसके तहत, आपसी समझाइश के तहत लोक अदालत लगाकर हम ऐसे प्रकरण का आपस में समझौता करवा सकते हैं। वर्तमान सरकार के शासन काल में वर्ष 2014 से 2016 तक 79 हजार 682 प्रकरण मध्यस्थता केन्द्र के न्यायालयों से प्राप्त हुए, जिनमें 6205 प्रकरण हमने निस्तारित किये हैं।

इसके अलावा हमने जो नवाचार किया है, हमने विधिक सेवा केन्द्र भी, मतलब, सभी मुंसिफ कोर्ट और ए.सी.जे.एम. कोर्ट तक भी हमने सेवा केन्द्र खोले हैं। कोई भी व्यक्ति तक अगर अपनी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है या उस तक नहीं पहुंच रही है या उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, तो वह एक सिम्पल कागज पर लिखकर उस रजिस्टर में अपने

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

को इन्द्राज करके वहां छोड़कर जा सकता है। उससे हमारे जो भी जुडिशियल न्यायालय हैं, वह उसका पूरा ध्यान रखते हुए, उन ऐसे व्यक्ति को उनका पूरा हक दिलवाने का काम कर रही है। इसके तहत हमारे पास 54 हजार 383 आवेदन पत्र विधिक सेवा केन्द्र में प्राप्त हुए हैं जिनमें 46 हजार 169 ऐसे आवेदन-पत्रों का निस्तारण हमने किया है।

समाज के विभिन्न कमजोर वर्ग के लिए इस सरकार में राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2011 में लागू हुई है। वर्तमान सरकार ने 2014-15, 2016-17 और जनवरी, 2017 तक कुल 2185 व्यक्तियों को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत हमने 19 करोड़ रुपये की सहायता ऐसे पीड़ित प्रतिकार को मुआवजा के रूप में भुगतान किया है, जो विगत सरकार के 2012 से लेकर 2014 तक 286 व्यक्तियों को मात्र 1 करोड़ 86 हजार रुपये ही प्रतिकार राशि या मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया है।

इसके अलावा हमने मेगा विधिक चेतना और लोक कल्याणकारी योजना भी शुरू की है। हमने ऐसे मेगा शिविर स्टार्ट किये हैं, जो चेतना शिविर हमने स्टार्ट किया है, जहां सरकार की लोक कल्याणकारी योजना के बारे में हमने आम आदमी की जानकारी तक लाने के लिए ऐसे शिविर के आयोजन किये हैं। हमने 172 ऐसे मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया है, जिससे 72 लाख 55 हजार 293 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देश-3, नई योजना है, राज्य में 2016 से प्रारंभ हुई है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016 में 1103 शिविरों का आयोजन किया गया है जिसमें 76212 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। इस विधि कार्य का आम जनता तक कैसे प्रचार-प्रसार हो सके, कैसे आम व्यक्ति को सुगम सुलभ न्याय मिल सके, इसको हमने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से भी साक्षर किया है, जिसका प्रचार भी किया है, जिससे आम व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज मिले।

इस सरकार ने आठ मोबाइल वैन भी खरीदी हैं जिसके तहत हम चाहते हैं कि सभी ग्रामीण क्षेत्र में, जहां लोगों को संविधान के बारे में या कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको पैम्फ्लेट्स बांटकर या उनको जानकारी देने का काम हमने किया है। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

अलावा, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बाल विवाह के बारे में है, डायन प्रथा है, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां हैं उनका भी त्याग करने के लिए इस मोबाइल वैन के द्वारा हमने प्रेरित किया है। राजस्थान में यह मोबाइल वैन सभी जगह प्रचार-प्रसार कर रही है।

इस विधिक जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश यह भी की है कि आज स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी किस तरह से हम जानकारी दे सकते हैं, शुरू से ही उनका कैसे ज्ञान-वर्धन रहे, उनको हमने ऐसे शिविर लगाकर, इस तरह से पेंटिंग उसके माध्यम से की है, वाद-विवाद हमने रखा है, खेल प्रतियोगिता हमने उनके सामने रखी है। 2014 में 36 हजार विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है, 2015 में यह एक लाख 72 हजार 514 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है और 2016 में जो प्रतियोगिता आयोजित की है, उसमें 2 लाख 52 हजार 253 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। उसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि राजस्थान राज्य विधि प्राधिकरण के माध्यम से हम किस तरह से नवाचार कर सकते हैं, किस तरह से आम व्यक्ति तक उसको कानून के बारे में जानकारी, न्याय के बारे में जानकारी, किस तरह से हम गरीब व्यक्ति को, कैसे उसको फायदा दिलवा सकते हैं, उसके बारे में हमने पूरा भरपूर प्रयास किया है और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के आने के बाद में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, जिस तरह से फाइल वर्क बढ़ रहा है और जिस तरह से अदालतों के कक्ष में जो भंडार फाइलों का खड़ा हो रहा है, उसको मेनटेन करना एक बहुत बड़ी जवाबदारी या जिम्मेदारी हो गयी है। उसको सुरक्षित रखना यह भी बहुत बड़ी एक जवाबदारी है।

इसके तहत हमारी मुख्य मंत्रीजी ने डिजिटाइजेशन के लिए जो अभी उच्च न्यायालय में शुरू किया है, इसके लिए सरकार ने एक करोड़ 83 लाख रुपये आवंटित किये है, जिसका डिजिटाइजेशन का काम, हमने उच्च न्यायालय में काम शुरू किया है और धीरे-धीरे हमारी कोशिश रहेगी कि इस डिजिटाइजेशन को हम अधीनस्थ कोर्ट्स में भी शुरू करेंगे।

इसके अलावा केन्द्र सरकार की स्पोंसर्ड स्कीम है ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से आपको, जो दैनिक कार्य है, जो कोर्ट में फैसले

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हुए हैं या जो बहस हुई है, उसके बारे में भी जानकारी के लिए हमने कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को जोड़ा है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने 9 करोड़ 97 लाख रुपये हमको दिये हैं। ये 2015-16 में स्वीकृत किये थे और हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इसको, शेष राशि 11 करोड़ 85 लाख रुपये स्वीकृत 23.01.2017 किये हैं। जिससे आने वाले समय में कोर्ट की पूरी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जुडिशियल जो अधीनस्थ कोर्ट हैं, जो मुंसिफ कोर्ट है या ए.सी.जे.एम. कोर्ट हैं, आपको नेट के माध्यम से पूरी जानकारी मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति जो लिटिगेन्ट है, उसको बारबार पेशी पर जाना या पेशी पर उपस्थित रहना या उसकी कब नैक्स्ट पेशी है, उसकी पूरी जानकारी भी उसको नेट के माध्यम से मिल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कटमोशन के माध्यम से नोटरी पब्लिक के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मुझे कहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार 800 नोटरी पब्लिक की नियुक्ति हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। 06.09.2016 को हम अधिसूचना जारी कर चुके हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले एक महीने के अंदर-अंदर हम नोटरी पब्लिक की जो भी नियुक्तियां हैं, इसको पूरी कर लेंगे। एक कमेटी फॉर्म कर लेंगे और उस कमेटी फॉर्म करने के बाद में जो भी हमारे पास आवेदन आए, उसमें जो भी व्यक्ति होगा उसको हम नियुक्ति जल्दी दे देंगे।

इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने अपने कटमोशन के माध्यम से या अपनी बात रखते हुए यह कहा है, नवीन कोर्ट्स खोलने की उन्होंने बात की है या क्रमोन्नत करने की बात की है। मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि कोई भी आपकी नई कोर्ट खोलना है तो इसके लिए मापदंड बन चुके हैं और इस मापदंड के अनुसार हम परीक्षण करके राजस्थान उच्च न्यायालय में भेजते हैं। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही, हम कोई भी कोर्ट यहां राजस्थान में खोल सकते हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भावना है, उसका मैं पूरा परीक्षण करके और यथासंभव आपके प्रस्ताव को आगे भिजवाने, उच्चतम न्यायालय तक भिजवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

और मैं कोशिश करता हूं कि आपको वहां से स्वीकृति मिल जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कटमोशन के माध्यम से उदयपुर में और जो लंबे समय से यह मांग चल रही है कि वहां एक स्थाई बैंच खोलने की बात हमेशा चलती है और उदयपुर और कोटा में स्थाई बैंच खोलने की बात चल रही है, लंबे समय से इसकी बात चल रही है। बीकानेर की भी बात अभी आयी है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इसके लिये स्टेट री-आर्गनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 के अनुसार स्थायी न्यायालय बैंच की स्थापना महामहिम के द्वारा, माननीय राज्यपाल और न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से की जाती है। ऐसे जितने भी प्रस्ताव थे, हमने आगे भेज दिये हैं और उन पर लीगल ओपिनियन कर विचार किये जा रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने यह बात भी रखी है, कनिष्ठ विधि अधिकारी को शीघ्र नियुक्ति देने की बात की है। जो 72 पद थे, मैंने आपको अभी बताया कि 08.03.2017 को इनके आदेश भी जारी कर दिये हैं और इनकी ट्रेनिंग चल रही है। वह ट्रेनिंग खत्म होते ही हम इनको नियुक्ति दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं, उनका उत्तर प्रत्येक माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा और मैं सदन से यही प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन को पारित करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री। आसन आपसे यह भी निवेदन करता है, क्योंकि बहुत-से सदस्यों ने भरतपुर वाले प्रकरण का जिक्र अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया है तो उसका आप जो भी जवाब देना चाहते हैं, तो आप इसी मांग के साथ उसको भी सम्मिलित करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के 94 माननीय सदस्यों ने मांग संख्या-16 पर 261 कट मोशन दिये हैं और ऐसे ही जेल पर 60 माननीय सदस्यों ने 120 कट मोशन दिये हैं। मैं आपको कल तक तो इनके जवाब नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन परसों आपको निश्चित रूप से इन सारे कट मोशंस का जवाब आपके घर पहुंच जाएगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इन कट मोशन को पुलिस में जब श्रेणीवाइज बांटने का प्रयास किया तो सबसे अधिक 110 तो केवल पुनर्गठन, नये पुलिस थाने, चौकियां, इसी को लेकर लगभग 137 प्रस्ताव ऐसे हैं। मैं सोचता हूं इस बारे में परमेशचन्द्र कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके आधार पर जो काम चल रहा है, उस आधार पर हम निर्णय करेंगे कि इन क्षेत्रों का बंटवारा किस तरह से किया जाये। नये खोलने के बारे में तो जो आर्थिक संसाधन जितने हमें प्राप्त होंगे, उसी के आधार पर करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिये बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस विभाग के अपने कट मोशन के द्वारा भी और 26 माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपने विचार रखकर सुझाव भी दिया और जहां कहीं कमी लगी हमारे काम में, उसको भी इंगित करने का प्रयास किया। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आपके इन दोनों ही सुधारों को साथ में लेकर विभाग की वर्किंग को और अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार।

उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जब बोलते हैं तो ऐसा सोचते हैंकि हम सब राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र हैं और इसलिये जो बोल रहे हैं, वह बिलकुल लोहे की लकीर है। मुझे इस बात का बहुत दुःख होता है। यह दुःख इसलिये होता है कि किसी पर पत्थर फेंकना तो बहुत आसान है। मन में दर्द कहीं है और चोट कहीं कर रहे हैं। इसमें भी शब्दों का चयन ऐसा करते हैं कि जैसे इस दुनिया में शायद पहली बार ही ऐसा देख रहे हैं। जिन लोगों की उम्र 40 और 50 साल हो गयी, उन्होंने अपना पूर्व का राज भी देखा होगा और अभी का भी देखा होगा। यह तो नहीं है कि मेरे आने के बाद ही ये सारे अपराध घटित हुए हों और इन अपराधों में जो कमी रही, वह मेरे द्वारा ही रही। मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि किसी अच्छी बात को अच्छे ढंग से भी कही जा सकती है, लेकिन अपनी वाक्-पटुता के आधार पर अगर कोई आदमी किसी चीज को सुधारने का प्रयत्न करेगा, तो सुधरेगा तो बाद में, दर्द पहले पैदा करेगा। मैं सोचता हूं कि यह सदन सुधार के लिये आपको और मुझे प्रेरित करता है कि अपने अच्छे सुझावों के द्वारा हम इस सारे काम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिये अगर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रयत्न करेंगे तो शायद ज्यादा लाभकारी रहेगा।

आप और हम सब जानते हैं कि जब पुलिस जागती है, तब आप सो सकते हो। अगर आपको पुलिस की आवश्यकता नहीं लगती तो फिर यह इतने जो प्रस्ताव आये हैं, आपने जो प्रस्ताव दिये हैं, उनमें से 137 प्रस्ताव तो इस बात के ही हैं कि हमारे यहां थाना-चौकी खोली जाए, यह स्थान यहां से मिलाया जाये। अगर आपको यह लगता है कि नहीं, हमारा काम ही इतना घटिया है कि हमको तो जीने का ही अधिकार नहीं है तो आप वह सुझाव देते, ताकि हम इस डिपार्टमेंट को बोरी में बंद करके पैक कर देते। लगता ऐसा है कि केवल और केवल यह सोचते हैं कि मैं ही अच्छा वक्ता हूं। वक्ता हैं, भगवान ने आपको वाणी दी है तो अच्छी वाणी का उपयोग अच्छे ढंग से करो। दर्द हमारे कहीं है और चोट हम कहीं कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह कोई सुधार के रास्ते पर नहीं जाएगा। मन की तुष्टि जरूर हो जाएगी कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया।

इसलिये अपराध के बारे में मैं यह गारण्टी तो नहीं दे सकता हूं कि आगे कल से अपराध नहीं होंगे। पहले भी कोई नहीं दे पाया और आज भी मैं नहीं दे पाऊंगा। अपराध घटित होता है तो अपराध पर कार्यवाही कैसे होती है, उस पर काम कैसे होता है, इसके प्रयत्न करने के लिये एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे। सम्पूर्ण राजस्थान की अगर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक करेंगे तो मैं अकेला भी ठीक नहीं कर सकता हूं, मेरे पुलिस के अधिकारी भी ठीक नहीं कर सकते हैं और पुलिस भी ठीक नहीं कर सकती है। आप सब लोगों का भी सहयोग होगा और राजस्थान की सात करोड़ जनता का भी अगर ईमानदारी से सहयोग होगा, तो आज से चार कदम और अच्छी जगह मिलेंगे।

लेकिन इसमें दखलदांजी करते हैं तो हम ही करते हैं। अगर इसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे मैं करता हूं, चाहे मेरे अधिकारी करते हैं, चाहे आप करते हो, चाहे जनता करती है। अभियुक्त को बचाने का प्रयत्न कौन करता है? ऐसी तो हमने सौगन्ध नहीं खा रखी है कि हमको अभियुक्त को बचाना है। हमने कोई धंधा चला रखा है क्या? या हम कोई धंधा करने निकले हैं यहां? हम देश की सेवा करने के लिये निकले हैं, धंधा करने वाले लोगों में से नहीं हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस कारण से मन को बहुत पीड़ा होती है कि जिस ढंग की बात कहकर के आप अपनी वाक्-पटुता का परिचय देते हो, उससे मन को प्रसन्नता नहीं होती। मैं आपकी हर बात को, जो आपने कही है, उसको अक्षरश: नोट करूंगा। जितनी मेरे में क्षमता और बुद्धि है, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा और आज मैं आपको इस सदन के माध्यम से कह सकता हूं कि आज जो मेरे पास डी.जी. हैं, जो होम सेक्रेट्री हैं और सेक्रेट्री हैं, इससे अच्छी ईमानदार टीम आपको राजस्थान में दुबारा नहीं मिल सकती। हम सब लोग ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न करने का ही परिणाम आया कि अपराध घटे हैं।

मुझे भी थोड़े दिन बाद 40 साल इस सदन में आते हो जायेंगे, ऐसा कोई साल नहीं देखा, जिसमें अपराध घटा हो। राज आपका भी रहा और राज हमारा भी रहा। आज हम गृह मंत्री हैं, पहले भी थे, लेकिन कहीं न कहीं दो-चार-पाँच प्रतिशत अपराध हर साल बढ़ता रहता है। न अपराध हिन्दुस्तान में कम हुआ, न किसी राज्य में कम हुआ। यह पहली बार अपनी जिन्दगी के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि लगातार तीन वर्षों से अपराध में कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है। यह एक अच्छा संकेत है।

यानी सब लोगों ने प्रयत्न किया, इसके कारण से भी और आप सब लोगों का भी सहयोग मिला। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप अच्छे मन से सहयोग देंगे। केवल अभियुक्त को बचाने के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अभियुक्त को गिरफ्तार कराने में अगर आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, तो मेरे लिये आप वरदान की तरह साबित होंगे और मैं आपके काम को चार कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं।

आपने कहा, दोनों कमिश्नरेट, आज मैं आपको बहुत इत्मीनान से कह रहा हूं कि यह बात सही है कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2015 तक की थी, उसमें हमारा अपराध का ग्राफ और जयपुर का भी अधिक था, जोधपुर का भी था, लेकिन मैं आज बहुत संतोष के साथ कह रहा हूं कि यह जो 2016 का अपराध का आंकड़ा है, इसमें जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
में 15 से लेकर 20 प्रतिशत अपराध घटा है। चालानी प्रतिशत, जो यहां पर पेंडेंसी थी, वह पहले 30-32 प्रतिशत थी, आज जयपुर की पेंडेंसी 7 प्रतिशत पर आयी है। हम कुछ काम करते हैं। केवल-केवल वही चीज उठाना, जहां से गंदगी आए और उसके आधार पर अपने भाषण को ताकत देने का प्रयास करना, यह आपके हित में हो सकता है, पर प्रदेश के हित में नहीं हो सकता।

इस कारण से मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी का इस बात में आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान के बजट को धीरे-धीरे जिस गति से इस पुलिस महकमे में बढ़ाया है, वह वास्तव में एक सही दिशा की ओर आया है। 2009 से लेकर विभाग में जो बजट था 2131 करोड़ था जो 2012-13 में आ कर 2746 करोड़ हुआ, अर्थात् 4 साल में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हमने जब आपसे चार्ज लिया है 2013-14 से लेकर, 3361 से आज की तारीख में जो बजट पेश हुआ है वो 5170 करोड़ है, 54 प्रतिशत वृद्धि है।

हर सरकार चाहती है कि अपने प्रदेश को विकास की ओर ले जाना है तो उसका लॉ एण्ड आर्डर अच्छा होगा तो वह विकास की ओर और आसानी से और तेजी से बढ़ेगा और इसके लिए प्रयत्न किया, उसके कारण से वास्तव में यह लगा। आज की तारीख में हमारा जो पुलिस बजट है वो हमारे बजट का 2.7 है और अगर इस दृष्टि से हिन्दुस्तान के बजट को देखें, वहां की अलग-अलग राज्यों की दृष्टि से तो हम 21वें पायदान पर हैं। हमारा बजट 21वें पायदान पर है लेकिन उसके बाद भी हमने इस बजट में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि देने का प्रयास किया है।

अब आप यह देखें कि राजस्थान की स्थिति है क्या? हमारा राज्य बहुत बड़ा है। आबादी की दृष्टि से देश का 6 परसेंट है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 प्रतिशत हिस्सा है। 10 प्रतिशत हमारे पास भूमि है, 6 परसेंट हमारे पास जनसंख्या है लेकिन उसकी तुलना में हमारे पास जो पुलिस बल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
है वो देश के बाकी राज्यों की तुलना में, आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट यह तो उठाते हो कि यहां महिला अपराध इतना हो गया, यों हो गया, ये भी तो हो कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें हमारी स्थिति क्या है? आज की तारीख में भारत में 100 वर्ग किलोमीटर पर 54 पुलिस की प्रजेंस आती है, हमारे यहां राजस्थान में 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 27 की प्रजेंस आती है। हम हिन्दुस्तान के राज्यों में इस दृष्टि से 24वें पायदान पर है, प्रति 100 किलोमीटर हमारी पुलिस की प्रजेंस कितनी है। अगर आबादी की दृष्टि से हम आंकें तो देश की आबादी की दृष्टि से एक लाख पर 138 है, हम भी उसके आसपास हैं, 134 हमारी भी पुलिस फोर्स है लेकिन फिर भी हम 21वें पायदान पर हैं।

मैं सोचता हूं कि जितनी हमारे पास नफरी चाहिए, आपने कहा कि नफरी बढ़ानी चाहिए। यह बात सही है पर नफरी भी बढ़ानी ऐसी नहीं चाहिए कि आपने भर्ती तो कर लिया और उनकी ट्रेनिंग की कहीं जगह नहीं है, तो एक साल तक घर बैठे पैसे देओ। यह तो कोई समझदारी नहीं हो सकती। मैं सोचता हूं जितनी कैपेसिटी हमारी उनको ट्रैन करने की है, बिना ट्रेनिंग के तो उनको हम काम पर लगा नहीं सकते, तो केवल सलैक्ट करके, हमारी राजस्थान की ट्रैन करने की केपेसिटी साढ़े चार हजार की है और 11 हजार जो हमारी भर्ती हुई, उसको हमने साल भर तक चलाने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूं कि यह पुलिस की प्रजेंस है।

अब हमारे सामने कई चुनौतियां हैं जो आप और हम, सब महसूस करते हैं। यह अपराध क्यों घटित होता है और कितनी दर्दनाक स्थिति में होता है, इसका दु:ख कौन ऐसा इन्सान होगा जिसको थोड़ी-बहुत भी, अगर रहमदिल है तो उसके मन में पीड़ा तो होती है। मेरे प्रदेश में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ में जो अपराध हुए हैं इन समय में, वो वास्तव में मुझे भी बहुत पीड़ा देते हैं। लगता है कि इन्सानियत की गिरावट की पराकाष्ठा आ गयी है, लेकिन फिर भी घट गये। अब उसको मैं ये कहूं कि मैं कल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
से एक भी नहीं दूंगा, यह झूठा दावा हो जायेगा। इतना मेरे पास हल नहीं है कि हर जगह और हर आदमी के दिमाग को मैं पहचानूं और वहां मैं पुलिस का एक आदमी खड़ा कर दूं। समाज को भी सहयोग करना पड़ेगा, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार की घटना नहीं हो, इस प्रकार का वातावरण बनाना पड़ेगा। तब जाकर हम इन बच्चियों को बचा सकेंगे।

दूसरा, आपने देखा होगा कि यह जो भूमि माफिया जितने लोग हैं, वो भूमि माफिया कोई भी हो सकता है लेकिन उन भूमि माफियाओं के कारण से जिस प्रकार के झगड़े और टंटे पैदा होते हैं, यह सौभाग्य है कि इस साल थोड़ा कम हुआ। बाकी तो पहले के साल में तो डेली, जब मैं बैठता हूं तो सात-आठ, सात-आठ जमीनों के ही विवाद आते हैं। इसका पट्टा उसने ले लिया, उसका पट्टा उसने कब्जा कर लिया, उसने वहां बेच दिया, उसने दुबारा कर दिया तो यह भू-माफियाओं की जो गैंग है इस गैंग पर कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। और वो कोई अनजान हैं, ऐसी बात भी नहीं है, आपके और मेरे, सबके ध्यान में रहते हैं हमेशा लेकिन कई बार हम उनकी निकटता के कारण से थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, अगर थोड़ा सख्त हो जाएं तो बीमारी का इलाज बहुत जल्दी निकाल सकते हैं।

अब आजकल एक नया स्वभाव पड़ा है बिना मेहनत के लखपति बनने का। अब यह भी क्राइम का एक कारण है। साइबर क्राइम और क्या है? इसी प्रकार से और कुछ धंधे हैं जिसमें आदमी रातों-रात पैसे वाला बनना चाहता है। उसके कारण से भी क्राइम बने हैं।

फिर राजस्थान का दुर्भाग्य है कि झूठे मुकदमे, जैसा आपने बताया कि हमारे यहां 43 हजार एफ.आर. लगी। अब वास्तव में हमारे यहां झूठे मुकदमे दर्ज होने का भी और विशेषकर 156(3) में जितने मुकदमे हमारे यहां आते हैं, हम हिन्दुस्तान के टोप राज्यों में से हैं जो 156(3) के थे। अब की बार हमने इसके लिए कहा है कि अब कहीं भी दूसरी जगह जाने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की जरूरत नहीं है। आप एस.पी. के पास जाओ, आपकी रिपोर्ट जरूर दर्ज होगी, वो बाद में एफ.आर. लगे या कुछ भी होगी, या मेरे पास में आयेंगे, जो भी दर्ज कराना चाहें, संख्या बढ़ती है या घटती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन किसी आदमी के मन में कोई पीड़ा है। लेकिन हमारे यहां उपयोग क्या हो रहा है? हमारे यहां उपयोग हो रहा है कि किसी के खिलाफ झगड़ा तो है खेत का और मुकदमा बनता है 376 का। अब यह जो लोग अक्ल सिखाते हैं और जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उसके कारण से सामने वाले की तो इज्जत उतार दी आपने। आपमें से कोई भी एक किसी महिला को खड़ा कर दे, कल गुलाबचन्द कटारिया के घर मिलने गया और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हो गया मेरा, हो गया मेरा, 376 में निहाल हो गया मैं तो। पर केवल अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए इसका दुरुपयोग कर लिया न। और इस कारण से ये जो 376 के अधिकांश मुकदमे फेल होते हैं और बाद में समझौता करके, पैसा ले-दे कर के और अपना काम समाप्त कर देते हैं तो यह झूठे मुकदमे दर्ज कराने का भी हमारे यहां जबरदस्त रिवाज चल रहा है।

फिर क्या है कि जो जन आन्दोलन हैं, आन्दोलन करो, किसी को कोई एतराज नहीं, लोकतंत्र में हरेक को आन्दोलन करने की जरूरत है पर आन्दोलन करते समय लाठी चार्ज नहीं हो तो न्यूज नहीं छपेगी, इसलिए कहीं न कहीं कम्पा करते हैं और फिर लाठी पाते हैं। फिर आकर हल्ला करते हैं कि लाठी चार्ज कर दिया। तो पुलिस क्या करेगी, हाथ बांध करके मेरी पुलिस पिटती रहेगी? आपको हक है, भाषण देओ, अपनी बात कहो, हर प्रकार से अपनी संख्या जुटाओ, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन जब तक धक्कम-मुक्का नहीं है और जब तक टीवी का ऊपर फोटो, फोकस नहीं आये, तब तक अपना चैन नहीं करता है। इसलिए जबरदस्ती किसी न किसी से कैसे टंटा पैदा हो। इस आन्दोलन के कारण से भी हमारे कई अपराध घटित हो जाते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फिर अपने यहां माफिया गिरोह की कोई कमी नहीं है। कोई शराब माफिया है, कोई और किसी तरह का माफिया है। अगर अच्छे और सज्जन लोग इन माफियाओं को शरण देना छोड़ दें न, तो आधा क्राइम तो वैसे ही खतम हो जाए। यह माफिया किसी न किसी की छत्रछाया में पनपते हैं और उस छत्रछाया में ये अपना जीवन गुजारते हैं। अगर इनको लगे कि हमको कहीं से संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो तो तीन दिन में सीधा हो जायेगा। किसी न किसी वट वृक्ष की छाया के कारण से वो इस प्रकार का काम करते हैं।

जब से प्रारम्भ हुआ, तब से हमने अपनी अपराध नियंत्रण की कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं और उसके हिसाब से काम करने का प्रयत्न किया है। आधुनिक तकनीक, आई.टी. का अधिक से अधिक उपयोग हमारा पुलिसमैन कैसे करे, हम अपराधों को और अपराधी को ढूंढ़ने में किस प्रकार से करें, यह हमारी प्राथमिकता थी। यह संगठित अपराध और हार्डकोर जो अपराधी हैं, उन पर हम प्रभावी नियंत्रण कैसे कायम करें, उसके लिए हमने अपनी प्राथमिकता में इसको रखा है।

सड़क दुर्घटना के क्षेत्र में, हमारे यहां राजस्थान में मर्डर 1500 के आसपास होने लगे, कभी 1200 थे, आजकल 1500 है लेकिन हमारे यहां एक्सीडेंटल डेथ 10 हजार है। मैं सोचता हूं जिसका मर्डर होता है उसके पीछे तो कोई कारण होगा, किसी के मन में कोई गुस्सा होगा उसके कारण से किया, लेकिन यह 10 हजार लोग तो बिना किसी कारण से मौत के घाट उतर रहे हैं और उनका पूरा परिवार तहस-नहस हो रहा है। केवल और केवल यातायात के नियमों का पालन नहीं करना, उसको तोड़कर जाना। अब आपको हम बारबार कहते हैं हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ लेकिन आपको लगता है ये अपने को माथे पर वज़न काहे को रखना है। लेकिन इसके कारण से 35 परसेंट डेथ, आपको आश्चर्यजनक फिगर लगेगा, वो केवल टू-व्हीलर पर जो डेथ हुई है वो राजस्थान में 35 परसेंट है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
क्या इसको रोका नहीं जा सकता है? इसमें कौनसा वज़न लगता है और कौनसा आफत है? लेकिन जैसे ही जहां पुलिस दिखती है वहां टोपा पहन लेते हैं, नहीं तो पीछे रख देते हैं। अब हमने यह आग्रह कोई हमारे लिए थोड़े ही किया। हम तो चाहते हैं कि आदमी की जिंदगी को कैसे बचाया जाए, उसके लिए प्रयत्न करते हैं पर नहीं लगाते।

महिला, बच्चों और कमजोर वर्ग के अपराधों का त्वरित अन्वेक्षण हो और जल्दी से जल्दी चालान पेश हो, यह हमारा प्राथमिकता बिंदु है। वांछित अपराधी, फरार पी.ओ., स्थायी वारंटी, पेरोल, इनकी गिरफ्तारी के लिए निरन्तर, निरन्तर अभ्यास और निरन्तर अपनी पुलिस को लगाकर इसमें करने की प्रशासनिक प्राथमिकताएं भी हम तय करके आगे बढ़े हैं।

आर्थिक एवं साइबर क्राइम के प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस परिश्रम...

हमारे पुलिस हैडक्वार्टर पर जो भी व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन्हीं को तो ट्रैन करेंगे। जहां-जहां से भी हमें थानों से या जिलों से अच्छे नौजवान मिलते हैं, मेरा यह सौभाग्य है कि आज की तारीख में जो हमारा कांस्टेबल सलेक्ट हो रहा है, वह कई बार एम.ए. पास होता है, एम.एस.सी. किया हुआ होता है, वैल-क्वालीफाइड होता है। लेकिन वह कहीं ओवरएज के चक्कर में ना फंस जाए, इसलिए उसे जहां रास्ता मिलता है, वहां जाने का प्रयत्न करता है। हम उन अच्छे लोगों का भी प्रयोग करके इस साइबर क्राइम को रोकने की दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बीट प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय सदस्य नरेन्द्रजी ने कहा। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें जिस अप-टू-मार्क तक जाना चाहिए, उतना हम नहीं जा पाए हैं। एक तो उसके लिए जिस प्रकार की एफिशिएंसी और ट्रेनिंग चाहिए उतने हमारे पास साधन नहीं हैं।

मालखानों में आप जहां थानों में जाओगे, वहां अंबार लगा हुआ है। इसको कैसे कम करें? ताकि कम से कम जो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
किसी आदमी का नहीं, उसको बचाने के लिए हमने प्राथमिकता में रखा है।

पुलिस थाना, पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता हो, यह हमारी प्रशासनिक और प्राथमिक प्राथमिकताओं में है।

विभाग की पदोन्नति समिति समय पर सुनिश्चित हो, इसमें मैं अभिमान तो नहीं करता हूं, लेकिन आगे बताऊंगा आपको कि हमने प्रयत्न किया है कि जिस व्यक्ति को प्रमोशन में जो हक मिलना चाहिए, वह हक उसे निश्चित रूप से मिले। मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा कि कोर्ट की कई अड़चनें थीं, वह भी टाल करके हमने इस काम को आगे बढ़ा दिया।

यह जो मैं आपको कह रहा हूं तो यह आंकड़े मैंने तैयार नहीं किए हैं। जैसे आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट देखते हैं तो भगवान के लिए आप हमारे लिए भी दो शब्द बोल लेते ना। इतनी माथापच्ची की, यह खराबी निकाली, वह खराबी निकाली। एक-दो अच्छाई भी निकाल देते, जो कि हमने प्रयत्न किए हैं। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप और मेरा दोनों का धर्म है कि राजस्थान की जनता की जितनी हो सके, उतनी हम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सुरक्षा कर सकें। यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यह हम सबका धर्म है। उसको हमें करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, 2004 में जब मैं ही गृह मंत्री था तो उस समय राजस्थान का टोटल आईपीसी क्राइम 1,45,579 था। 2008 में जब मैंने छोड़ा था तो उस समय राजस्थान का क्राइम 1,51,117 हो गया था, अर्थात् 5,638 की वृद्धि हुई, मतलब, वृद्धि का परसेंटेज 3.8 है। उसके बाद जब हम छोड़कर गए। आप लोग दनादन बरसात करते हो कि यह हो गया, वह हो गया। लॉ एंड आर्डर खराब हो गया है। देश बिलकुल जल रहा है। राजस्थान डूब रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने आपके आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जब मैंने आपको 2008 में चार्ज दिया था तब 1,51,117 का टोटल क्राइम था राजस्थान का और जब आपने छोड़ा है, उस फीगर पर एक निगाह तो डालो भले आदमी, 1,96,224 का फीगर। कभी किसी ने देखने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
की कोशिश की कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? किधर जा रहा है? क्या हो रहा है? यह वृद्धि कितनी है? यह 45,107 की वृद्धि है। यह 30 प्रतिशत की दर से क्राइम बढ़ा है।

इसके बाद आपने देखा होगा कि हमने फिर प्रयत्न किया और यह अपराध धीरे-धीरे, एकदम नहीं आया, जब आपके समय 2012-13 में 14 प्रतिशत बढ़ा और हम पहले साल 2013-14 में उसको 7 परसेंट पर लाए। उसके बाद 2014-15 में (-)5.6 किया। उसके बाद अब (-)8.9 किया। आज की तारीख में 2015-16 का जो फीगर आया है वह 1,80,398 अर्थात् जो आपने हमें सुपुर्द किया उसमें से 15,826 आईपीसी के अपराध कम हुए हैं। जो कि सारा मिलाकर के (-)8.9 है। यह हमने कोशिश की है। कोई क्राइम के आंकड़ों के घटने या बढ़ने से राज्य कोई बहुत सुरक्षित हो गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ना ही इसका अभिमान करता हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): गृह मंत्रीजी, पैसे लिए बिना पुलिस कोई काम नहीं करती। रात में आप चले चलो, जयपुर के बाहर ही चले चलेंगे और आपको बता देंगे कि पुलिस पैसे कैसे लेती है। हम यह भी कह रहे हैं कि अच्छा काम भी करती है। सरकार आपसे असत्य बुलवा रही है, यह उम्मीद से ज्यादा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य जो पुलिस आज मेरे पास है, यह कोई 3 साल का बच्चा नहीं है मेरे पास।

श्री रमेश (सपोटरा): वह तो हम भी मान रहे हैं लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बार-बार नहीं, लेकिन कहने से पहले सामने वाले को उंगली दिखाओ तो चार उंगली अपनी तरफ भी आती हैं। अगर आज यह गिरी हुई है और इसका पतन हो गया है, तो थोड़ा दोष आपका भी होगा ना।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कुल आईपीसी अपराध है वह 2014-15 में देश में 3.4 अपराध बढ़ा है। आपने नेशनल क्राइम रिपोर्ट में से उठाए हैं, मैंने भी उसी में से निकाला है जबकि राजस्थान में इस अवधि में 5.86 प्रतिशत की कमी आई है। एक तरफ देश के अंदर 3.4 प्रतिशत अपराध बढ़ा है और हमारे यहां (-)5.8 हुआ है। यह कुछ सही सिंबल तो है। 2015 में कुल आईपीसी अपराध की दृष्टि से महाराष्ट्र आगे रहा है। महाराष्ट्र में अपराध 9.3 प्रतिशत है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, इन सबका 6.7 प्रतिशत है और हम माइनस में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो हमारी स्थिति क्राइम की दृष्टि से थी, वह हम चौथे नंबर पर थे। आज हम पांचवें नंबर पर आए हैं। एक कदम नीचे तो उतरे। एक कदम नीचे उतरने के लिए भी कुछ किया होगा, तभी तो आया होगा।

अपराध दर की दृष्टि से राजस्थान छठा राज्य है जहां अपराध की दर 273 प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर है। जो अभी भी राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। राष्ट्रीय स्तर में 1 लाख की आबादी पर 238 है और हम अभी भी 273 पर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों का सकारात्मक सहयोग रहा और हमारी टीम ने भी जो मेहनत की है, जब हम अगले साल आपसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से देश के एवरेज से हम नीचे होंगे। ऐसा मेरा मन कहता है और हम सब लोग प्रयत्न करेंगे।

महिला अत्याचार की दृष्टि से शकुंतलाजी से लेकर के सबने दे बरसात, दे बरसात, महिला अत्याचार, महिला अत्याचार, अब आप आंकड़े तो देखते नहीं हो। अपनी शक्ल कांच में देखो तो तुरंत पता लग जाए कि कैसी है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शक्ल देखने की क्या बात है? जो है वो तो हैं ही आंकड़े मौजूद। आपको गिनवा देंगे कल आंकड़े।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तो अच्छे मूड में हैं आप भी। अच्छे मूड हैं बिलकुल आज आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि 2003 के अंत में महिला अत्याचार जो हमारे यहां रिकार्डेड हैं, वह 12,178 हुए थे और 2008 में यह 15,174 हुए। इस अवधि में कुल वृद्धि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

24 प्रतिशत है। 2009 से 2013 में जो हमने आपको सुपुर्द किया था वह 15,174 पर सुपुर्द किया था और आपने जब हमें वापस सुपुर्द किया तब राजस्थान का महिला क्राइम 29,150 था अर्थात् 92 परसेंट था। कितना था? 92 परसेंट।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप आंकड़े गिन लो। नैट से निकाल लो। नहीं तो मैं उपलब्ध करा दूं आपको कि कितने बढ़े हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर मेरा कोई फीगर गलत हो तो आप मुझे कल भी करेक्ट कर देना। मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं सदन में माफी मांग लूंगा, अगर मैंने कोई गलत स्टेटमेंट देकर गलत आंकड़े दिए हैं। निश्चित रूप से आपके सामने सदन में खड़े होकर माफी मांग लूंगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हमने कौनसे गलत दिए हैं? महिला और बच्चियों पर जो अत्याचार बढ़े हैं उनके आंकड़े उठाकर के देख लीजिए। कल प्रस्तुत कर देंगे आपको कि कौनसे बढ़े हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2014 में, यह जो क्राइम रिपोर्ट अभी आई है, 2014 में महिलाओं के प्रति अत्याचारों में प्रदेश का देश में उत्तर प्रदेश और बंगाल के बाद तीसरा स्थान था। 2015 में हम अब अपराधों में गिरावट के कारण से चौथे स्थान पर आए हैं। एक पायदान नीचे उतरे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माननीय सदस्यों ने कहा कि एस.सी., एस.टी. पर इतना हो रहा है। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरा ही एक तरह से कर दिया कि जैसे बहुत बड़ा पाप मैंने कर दिया हो। मैं आपको एस.सी. अत्याचार के बारे में बता रहा हूं। 2004 में जब मैंने चार्ज लिया था तो 4,329 अपराध दर्ज हुए थे और 2008 में जब छोड़ा था तो 4,302 अर्थात् थोड़ा-सा कम था। उसके बाद 2013 में जब वापस इन्होंने हमको जो सुपुर्द किया तो राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति अपराध 6465, अर्थात् आपका जो ग्राफ बढ़ा एसटी के प्रति अपराध में, वह 50 परसेंट बढ़ा है। अभी 2016 में जो अपराध आया है वह है 5135। इसका मतलब (माइनस) 20 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति अपराध घटा है। इस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आंकड़े के कारण से मैं अच्छा हो गया, मैं इसको नहीं मानता, मैं इस पर विश्वास भी नहीं करता हूं पर आप चूंकि रोज-रोज मुझे छेड़ते रहते हो, यह हो गया, यह हो गया, तब मैंने कहा कि आपकी पूरी जन्म पत्री लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग थोड़े ठंडे रहेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक साल बाद छेड़ा है, एक साल बाद, रोज-रोज का क्यों कहते हो?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसी तरह से एसटी के प्रति अपराध के बारे में, 2004 में 1031 अपराध थे, 2008 में 1038, 31 से 38 यानी 7 अपराध मेरे पाँच साल के कार्यकाल में बढ़े, अर्थात् अपराध का पर्सेंटेज क्या हुआ, जीरो पॉइंट वन, यह अपराध बढ़ा, और 2013 में आप हमें सुपुर्द करके गए तो 1651, यानी, 59 प्रतिशत अपराध आपके सामने एसटी के प्रति बढ़ा। अभी मैंने इन तीन सालों में प्रयत्न करके 2016 में 1196, अर्थात् (माइनस) 28 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति अपराध घटा है। ऐसा नहीं है, हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं, वह करना हमारा कर्तव्य है। हम कोई एहसान नहीं करते हैं प्रदेश पर। प्रदेश की जनता ने हमको चुना है तो उसने हमें कुछ सेवा करने के लिए चुना है, यहां का मजा लूटने के लिए नहीं चुना है। मैं उस पक्ष का आदमी भी नहीं हूं।

इसी तरह से सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध, जिसको आप बार-बार, बार-बार कहते रहते हो, सम्पत्ति सम्बन्धी, सम्पत्ति सम्बन्धी, इसकी स्थिति क्या है? मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2016 में सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध में राज्य में लूट के प्रतिशत में कमी आई है। नकबजनी में 14.8 प्रतिशत की कमी आई, चोरी में 5.7 प्रतिशत की कमी आई, यह सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध हैं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लूट का प्रतिशत वह का वह रहा?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): लूट में न बढ़ा न घटा। लूट के बारे में जितना फीगर पहले था उतना ही आज है। ...(व्यवधान)... मैं बता दूंगा लूट में भी आपको। लूट में पहले का 61.12 है और यह भी अब 62.3 है और यह भी बराबर।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अब इसी में बरामदगी पर्सेंटेज, यह राजस्थान के बारे में आपको दो शब्द अच्छे बोलने चाहिए कि वास्तव में हमारा चालानी पर्सेंटज है सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों का, वह 75 पर्सेंट है, रिकवरी पर्सेंटेज हमारा 54.6 है, जबकि देश के अन्य राज्यों में, मैं आपको इसलिए गिना रहा हूं कि आप बार-बार एनसीआर की बात करते हो, एनसीआर की रिपोर्ट की बात करते हो, एनसीआर की रिपोर्ट, एक ही कागज पकड़ा कर बार-बार, पिछली बार भी पकड़ाया था आपके हाथ में, तब मैंने आपको उत्तर दिया था। अब की बार मुझे पता था कि इनके पास और तो कुछ मिलेगा नहीं, राजस्थान के बारे में, इसलिए उसी एनसीआर को ऊँचा करो और वह ...(व्यवधान)... है न। मैं ना थोड़े कर रहा हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आंकड़े कोई गलत तो मैंने नहीं बताए। मैं रिपोर्ट से कोई आंकड़ा बता रहा हूं तो उसमें इतनी तकलीफ क्या हो गई? मैं आसन से गुहार करता रहा। मैं पुलिस के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप पन्द्रह मिनट बोले हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बरामदगी का परसेंट मैंने बताया 54.6, मध्य प्रदेश का उसी रिपोर्ट में है, केवल 25.6 परसेंट, उत्तर प्रदेश का है, 35.3 परसेंट, पश्चिम बंगाल का है केवल 16 प्रतिशत, महाराष्ट्र का है केवल 5 प्रतिशत, सम्पूर्ण भारत का बरामदगी पर्सेंटेज है 16। जहां हिन्दुस्तान का बरामदगी पर्सेंट सम्पत्ति अपराध में 16 है, वहां हमारा 54.6 है। मतलब, यह इतना आसान नहीं है कि कोई चोरी दो मिनट में खड़े-खड़े बरामद हो जाए और पड़ा हुआ मिल जाए। यह सबसे कठिन काम है लेकिन फिर भी बराबर इस बात की मोनिटरिंग करते हैं कि हमारा बरामदगी पर्सेंटेज कैसे बढ़े।

यह अपराध में कमी लाने का सबसे बड़ा और अच्छा रास्ता है कि स्थानीय और विशेष अधिनियम में यदि प्रभावी कार्यवाही हो और अधिक कार्यवाही हो, उतना ही अपराध पर कंट्रोल होता है। लेकिन इस दृष्टि से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अभी तक भी जिस मंजिल तक हमको जाना चाहिए, वहां तक जा नहीं पा रहे हैं। इसमें एक्साइज एक्ट है, जुआ एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, पीसी एक्ट है और अन्य एक्ट हैं, इन सारों में मिलाकर जितनी प्रभावी कार्यवाही होगी, उतनी ही अपराध पर चैक लगाने के लिए हमारे को सुविधा रहेगी। वर्ष 2012-13 में जो वृद्धि हुई वह केवल एक प्रतिशत हुई, 2013-14 में इसमें माइनस में चले गए, (माइनस) छह प्रतिशत पर आए हम; मतलब, कम हुआ, बढ़ना चाहिए। स्थानीय लोकल अधिनियम के यदि ज्यादा केसेज बनेंगे तो कंट्रोल होगा। वर्ष 2014-15 में मैंने इसको सीधा बढ़ाया, बीस प्रतिशत अधिक केस दर्ज हुए हैं। वर्ष 2015-16 में फिर अठारह परसेंट मुकदमे दर्ज हुए, यानी अड़तीस परसेंट स्थानीय अधिनियम के तहत केसेज बने, जिसके कारण से अपराधों का जो ग्राफ घटा है वह इस कारण से घटा है। इसी कारण से अपराधों में कमी आई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपके निरोधात्मक कार्यवाही जो होती है, 105, 107, 51, 110 ये जो सारे सैक्शन हैं, इसमें 109, 110, 122, 137 यह जो सारा है, आपने देखा होगा कि वर्ष 2012-2013 में इसमें भी कार्यवाही हुई है और 13 प्रतिशत अधिक है, 2013-14 में 16 प्रतिशत अधिक हुई। फिर उसके बाद वर्ष 2014-15 में हमारा डाउनफाल आया, 12 प्रतिशत ही रह गया, जबकि 16 प्रतिशत एक तरह से था और उसके बाद फिर 11 प्रतिशत हुआ। इसमें अगर और बढ़ेगा तो निश्चित रूप से क्राइम घटेगा।

जयपुर के बारे में आप कहते हैं, हमारे अच्छे जिले हैं जहां निरोधात्मक कार्यवाही अधिक हुई, उसमें जयपुर पूर्व है, जयपुर पश्चिम है। जयपुर पूर्व में 67 परसेंट अधिक केस दर्ज हुए, जयपुर पश्चिम में 61 परसेंट अधिक केस दर्ज हुए। कोटा शहर में 44 प्रतिशत अधिक कार्यवाही हुई है, जिसके कारण से जो अपराध का ग्राफ दोनों साथ लगाएंगे जिले का...। इतने अपराध घटने के बाद भी राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें अपराध बढ़ा है, उनमें अपराध हमारे एवरेज से भी बढ़ा है तो इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है।

मैं सोचता हूं कि 'पासा' अधिनियम के तहत हमारे को अधिकार है कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो हैबिचुअल ऑफेंडर है और निरन्तर अपराध करता जाता है, उसका केस बनाकर के भेजें तो उसको एक वर्ष तक हम अंदर रख सकते हैं और उसकी रिव्यू होती है, जो जज के साथ कमेटी बनी हुई है, उसमें से रिव्यू होकर फाइनल निर्णय उनका होता है। उसके बाद उसको हम कर पाते हैं। गत 3 वर्ष में, ये जो हमारे 3 वर्ष गुजरे हैं, उसमें 59 लोगों को पासा के अंदर बंद किया है। इसके पहले आपके पूरे 5 साल में 27 लोग बंद हुए। हमने कोशिश की है और उसमें भी जिस केस के बारे में खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिसका नाम लिया और जिसको गिरफ्तार करने के लिए हमने अपना केस बनाया, हमारे यहां से भी रिकमंड होकर गया और उसके बाद कमेटी ने भी, सेशन जज के पास कमेटी है उसने भी रिकमंड किया, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पहले उसको स्टे किया, बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट से ऊपर तो मैं नहीं हूं। मेरी भी अपनी शक्तियां हैं, जितना मैं कर सकता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो पुरानी बात है। आपने नहीं बनाया है, वह तो पाँच साल पुराना है। उसके मुकदमे तो सवा सौ दर्ज हो गए। वापस कर लो, साहब। अब क्या हो गया?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो केस आपने यहां डिस्कस किया न ...(व्यवधान)... अब ऐसा है कि केवल पाँच जिले ऐसे हैं जहां से हमको केसेज तो प्राप्त हुए लेकिन वह अप-टू-मार्क नहीं थे, झालावाड़, बूंदी, राजसमसंद, उदयपुर और गंगानगर, इनके प्रस्ताव बनकर आए हमारे पास, लेकिन वह जिस मापदंड को पूरे करने चाहिए थे वह पूरे नहीं हुए तो हम हर किसी के गले में घंटी भी नहीं डालते हैं कि आ गया, तो उसका गला ही उड़ा दो। नियम में आता होगा तो कर पाएंगे, नहीं आता तो नहीं। हम नहीं करेंगे रिजेक्ट, तो वहां जो कमेटी बनी हुई है वह रिजेक्ट कर देगी। उससे अच्छा है कि छह जिले हमारे हैं जिनसे हमें अभी तक एक भी केस प्राप्त नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हर जिले से इस प्रकार के जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो लगातार अपराध कर रहे है, उनके साथ सख्ती करें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में हमको सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आप साम्प्रदायिक हो, आप साम्प्रदायिक हो। बस हमारे ऊपर एक चिट्ठा लग गया, भले ही हम काम कुछ भी करें या न करें, पर एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा था वर्ष 2009 से 2013 में जो आपका कार्यकाल था, 24 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं, 74 जगह साम्प्रदायिक तनाव हुआ। हमारा जो यह कार्यकाल अभी रहा है, इस कार्यकाल में, इन तीन वर्षों में केवल 24 की जगह 8 साम्प्रदायिक घटनाएं घटीं और 74 की जगह 27 जगह तनाव की स्थिति आयी। इसका मतलब इसको कंट्रोल करने का पुलिस ने प्रयास किया। उसके कारण से यह सफलता मिली है।

गुमशुदा के बारे में आप सब लोगों ने चिंता की, सबको दर्द होना स्वाभाविक है। जो बच्चा-बच्ची या कोई भी गायब होता है उसको ढूंढना हमारा धर्म होता है, लेकिन सेंट-परसेंट हमको सफलता मिल जाती, इतना भी अभिमान हम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि हमने कुछ किया नहीं। आपने देखा होगा कि जो बालक गुमशुदा होता है उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, तलाश करते हैं और उसके बाद भी अगर 4 महीने से अधिक समय निकल जाता है तो हमारी यहां की कमेटी है एंटी ह्यूम ट्रैफिकिंग कमेटी है, इस कमेटी में यह केस चला जाता है। फिर इसकी मॉनिटरिंग यह करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 2014, 2015, 2016 में मेरे यहां जो पुरुष गुम हुए हैं वे 9838, महिलाएं गुमी हैं 19223, नाबालिग लड़के गुमे हैं 2564, नाबालिग लड़कियां गुमी हैं 4742, इन तीन सालों में सारा मिलाकर, जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई वह दर्ज हुई 36367। इसमें से हमने जो प्रयत्न किया तीन वर्षों में, हम 7306 बालक और बालिकाओं को वापस ले आये और 29061 पुरुष और महिलाएं गायब हुईं, उनको हम वापस लेकर आये। आज की तारीख में 702 बालक और बालिकाएं हमारे यहां अभी तक हम नहीं ढूंढ पाये और जो पुरुष व महिलाएं हैं उनमें 5027 को आज भी हम ढूंढने में असफल हैं। इसका मतलब जहां आपका फिगर 36 हजार था उसको हम 5 हजार पर लाये हैं। इसका मतलब हमने काम तो करने का प्रयास किया। अगर यही जिम्मेदारी मैं आपको इसका एडीजे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लगाकर दे दूं तो क्या आप जादू की डण्डी घुमा दोगे, जो सब आ जाएंगे? कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन मैं सोचता हूं हम रोजाना इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं हर महीने में कि हमारी स्थिति कहां है। इसका हमने प्रयत्न किया।

हमने ऑपरेशन स्माइल-प्रथम, यह हर साल की 1 जनवरी, 15 से 31 जनवरी, 15 तक, यह पूरा महीना इसका काम करते हैं। 166 बच्चे स्कैन किये, इसमें से 320 गुमशुदा श्रेणी में पाये गये। इनमें से 80 बच्चों को उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया और शेष को बालगृह में रखा। ऑपरेशन मुस्कान प्रथम, यह स्माइल प्रथम है, डेट का अंतर है। एक हम करते हैं जनवरी से लेकर जनवरी एंड तक और एक करते हैं जुलाई से लेकर जुलाई के एंड तक। इसमें भी हमने जो आपरेशन मुस्कान किया था तो हम 545 गुमशुदा बच्चों को लाये। 373 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया। इसी तरह से ऑपरेशन द्वितीय में हमने फिर 2016 में जो किया, वह 2015 का था यह 2016 का है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, 16 में हम 446 बच्चे लाये। उसमें से 52 बच्चे अन्य राज्यों से भी लाये। केवल यहीं से नहीं, दूसरे राज्यों में जो बच्चे चले गये उनको भी ढूंढकर लाये। उस अभियान में हमने 720 बच्चों को बालाश्रम से मुक्त कराया। ऑपरेशन मुस्कान द्वितीय में भी हमने जनवरी, 16 से लेकर 31 जुलाई तक जो किया, उसमें हम 486 गुमशुदा लाये थे और 629 बच्चों को, जो कहीं काम कर रहे थे उनको मुक्त कराकर किया।

इस अवधि में बाल भिक्षा उन्मूलन के लिए भी हमने प्रयास किया। 543 बच्चे जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे, उनको भी हमने ट्रैक किया और हमने उनसे हटाकर उनके परिवार को या हमारे आश्रम भेजा। इस सारे काम के लिए हमारी पुलिस को एक तरह से पुरस्कार और सम्मान भी मिला है।

अखिल भारतीय कमाण्डो प्रतियोगिता हुई थी राजस्थान की, इसमें एक तरह से राजस्थान राज्य की कमाण्डो टीम को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला। व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कमाण्डो चीता पुरस्कार राजस्थान के कमाण्डो हरिराम को मिला। एथलीट में भी श्रीमती सपना, उप निरीक्षक, पुलिस ने ब्राजील में आयोजित ओलम्पिक खेलों में भारतीय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एथलीट टीम में भाग लिया। सपना 35वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर वॉक में स्वर्ण पदक, वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप 15 में 'ए' क्लास टीम में 64वें अखिल भारतीय पुलिस एथलीट प्रतियोगिता, 2015 में 10 किलोमीटर इवेंट में रजत पदक प्राप्त किया।

राजस्थान का बैण्ड, अखिल भारतीय पुलिस बैण्ड प्रतियोगिता 2016, जो अभी ब्रास बैण्ड टीम का हुआ, पहला पुरस्कार मिला राजस्थान को। 2015 में द्वितीय पुरस्कार मिला था, द्वितीय से हम प्रथम स्थान पर आये।

घुड़सवारी, पुलिस घुड़सवारी टीम द्वारा 33वें अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर एवं 34वें अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में भी तृतीय स्थान प्राप्त किया।

शूटिंग, 10वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में 2016 में राजस्थान की पुलिस टीम को दो कांस्य पदक मिले।

तीरंदाजी, 5वीं अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2016 में तीन स्वर्ण, चार रजत और चार कांस्य पदक हमारी पुलिस को मिले हैं।

कुश्ती प्रतियोगिता, 64वें अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में 2015 में राजस्थान पुलिस टीम द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। सारे क्षेत्रों में हमारे लोग आगे बढ़े हैं, इसके लिए वे सब बधाई के पात्र हैं।

आवास की दृष्टि से आपमें से कई लोगों ने अनुभव किया और मैं भी अनुभव करता हूं कि वास्तव में पुलिस का जो कांस्टेबल है, वह सबसे ज्यादा तकलीफ में है। कई बार आप और हम किसी थाने में जाते हैं तो देखते हैं वह सीढ़ियों पर टेका लेकर नींद निकालता हुआ दिखायी देता है। वास्तव में उसकी पीड़ा बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैंने पिछली बार प्रयत्न किया था कि लोन लेकर भी ये बनाएं। मैंने 563 करोड़ रूपये का लोन नाबार्ड से लिया था और 10 हजार क्वार्टर बनाये थे। उसके बाद आपका पाँच साल का कार्यकाल रहा। किसी ने उधर झांकने की भी कोशिश नहीं की कि यह भी कोई काम है। दुर्भाग्य है। वास्तव में आज जिस पुलिस से आप काम लेना चाहते हो उसकी सुविधा का ध्यान नहीं करोगे और उसे केवल दौड़ाओगे। जैसे आप लोग कहते हैं कि वीक में एक छुट्टी होनी चाहिए, यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन परिस्थितियां अलाऊ नहीं कर रही हैं। बाकी कौन ऐसा आदमी होगा जो उनको कष्ट देने का काम करेगा।

आपने देखा होगा, अबकी बार भी, हमको पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार क्वार्टर देकर 190 करोड़ रुपया दिया और अभी भी हमको 115 करोड़ रुपया मिला। 62 करोड़ रुपया हमको और मिला है। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 10 उप अधीक्षक कार्यालय, 20 पुलिस थाना भवनों का निर्माण, इसके लिए 50 करोड़ रुपया मिला। इसी प्रकार पांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवास, 15 उप अधीक्षक आवास के लिए 12 करोड़ रुपये मिले। इसी प्रकार 62 करोड़ रुपया हमको इस बजट में भी मिला। हम कोशिश करते हैं जितना हमको मिल सकता है, हम उनकी सुविधा के लिए करते हैं।

आपने देखा होगा, राजस्थान में जो हमारी आर्म्ड पुलिस है, बटालियन है, इस बटालियन के लिए, आपके पास भी समय रहा, हाडी रानी बटालियन का हम गठन करके गये थे, उसके बाद आपने प्रयत्न नहीं किया कि इस बटालियन को और बढ़ाया जाए। हमने दो बटालियन बढ़ाने का प्रयत्न किया। पहाड़ी में खनिज विभाग के द्वारा 14वीं बटालियन का नया सलेक्शन करके उनको लगाया। अभी हमने प्रतापगढ़ में एक और महाराणा प्रताप आरएसी बटालियन की केन्द्र सरकार से सैंक्शन ली है।

नियुक्तियों की दृष्टि से भी अगर आप देखें वर्ष 2013 से लेकर, आप लोगों ने भी नियुक्तियां कीं 18623, जो आपने किया उसको मैं किनारे नहीं रख रहा हूं। हमने भी एक तरह से इन 3 वर्षों में, केवल हमारा अभी तीन वर्ष हुआ, आपका 5 वर्ष में 18 हजार। हमने 13655 लोगों को नियुक्ति दी है। विशेषकर अभी-अभी हमने टीएसपी क्षेत्र में 520 और सहरिया क्षेत्र में 222 बच्चों का और सलेक्शन किया है जिनको बहुत जल्दी हम नियुक्ति देंगे।

अनुकम्पा नियुक्ति की दृष्टि से भी इन तीन वर्षों में हमने 619 बच्चों को काम दिया है। मुख्य मंत्रीजी का आभार आप और मैं भी प्रकट करता हूं कि इस बार उन्होंने हमको 5500 नये कांस्टेबल भर्ती करने के लिए

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्वीकृति दी क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी है। अगर हम इन बच्चों को सलेक्ट कर लें तो हम इनको ट्रेनिंग नहीं करा सकते, हमारे पास जगह नहीं है। पिछली बार तो हम लोगों ने कुछ प्रयत्न करके, कुछ बच्चों को अन्य जगह भेजकर, मैं आगे बताऊंगा।

(22.00 बजे)

पदोन्नति की दृष्टि से, अब आज कर्मचारी चाहता क्या है कि उसे समय पर पदोन्नति मिल जाए। आप और मैं भी अगर सर्विस में हों तो इसी लालसा में रहते हैं। आपने पूरे 5 साल में, 2009 से 2013 तक 3965 लोगों की पदोन्नति कीं और हमने केवल 3 वर्ष में 12452 लोगों की पदोन्नति कीं। हमने उनकी हर सुविधा का ध्यान रखकर काम करने का प्रयास किया है। पहली बार आपने देखा होगा कि पुलिस में जिनकी छवि खराब है उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया क्योंकि ये दागी लोग हैं वो सारे डिपार्टमेंट का बदनाम करते हैं लेकिन मैं हर आदमी को दागी बताकर उसको तुरंत नहीं निकाल सकता, मुझे भी एक प्रक्रिया के अन्दर चलना पड़ेगा और वो पूरी होने के बाद ही मैं निकाल सकता हूं। नियम 244 (2) में हमने 82 अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दी। गत दो वर्ष में विभागीय कार्यवाही में भी 349 व्यक्तियों को वृहद् दण्ड दिये गये जिनमें 34 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया, 23 व्यक्तियों को सेवा से पृथक् किया गया एवं 22 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। ये ऊपर के अधिकारी हैं। वो नीचे सी.आई. तक थे और ये नीचे के थे।

कांस्टेबल में 5 साल से अधिक का हमने नियम बनाया। आप में से कई ने सुझाव दिया कि लम्बे समय तक एक ही थाने पर व्यक्ति रहता है तो कुछ न कुछ वहां खराबी आना शुरू होती है तो हमने नीतिगत फैसला किया और हमने सारे एस.पी. से यह सर्टिफिकेट मंगाया कि अब उनकी रेंज में कोई भी ऐसा कांस्टेबल से लेकर ऊपर का अधिकारी तो नहीं है जो उसी थाने पर घूम-घूमकर आ जाता है। यह शिकायत हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक ने भी की और बाकी लोगों ने भी की, तो हमने इसका पूरा प्रयास किया और आज की तारीख में 5 साल से अधिक कोई व्यक्ति नहीं है। अगर गलती से भी कहीं बैठा है, मैं यहां सदन में बोल रहा हूं और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपकी जानकारी में हो, तो निश्चित रूप से आप मुझे दें। मैं उस एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही करूंगा क्योंकि मैंने पहले से उससे सर्टिफिकेट ले रखा है कि उसके यहां पाँच साल से अधिक कोई भी व्यक्ति किसी एक थाने पर नहीं है।

यह CCTNS जो स्कीम थी, हम हिन्दुस्तान में सबसे पीछे थे। यानी इस योजना के आधार से सारे के सारे थाने ऑनलाइन होकर, हर प्रकार की जो मुझे जानकारी है, वो तुरन्त एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, इसके लिए हमको केन्द्र सरकार से 122 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ लेकिन हम आज की तारीख में हिन्दुस्तान में सबसे अंतिम पायदान पर आ गये हैं। पहले हम और बिहार दो थे लेकिन वो भी हमसे आगे निकल गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी 31 मार्च तक, अभी तक हमने हमारे राजस्थान के लगभग 840 थानों को तो जोड़ दिया है, केवल अब हमारे पास कुछ थाने बाकी बच गये हैं जिन पर कनेक्टिविटी नहीं है तो उनको भी जोड़कर सारा का सारा इस सिस्टम के आधार पर पूरा का पूरा पुलिस का और क्रिमिनल का रिकार्ड एक जगह इकट्ठा करने का हम काम कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। बाकी जो कुछ भी पैसा है वो हमको केन्द्र सरकार देगी और अगर केन्द्र सरकार नहीं देगी तो हमने राजस्थान सरकार से भी स्वीकृति उस पैसे की ले ली।

सबसे बड़ा अगर कोई काम है, जो मैंने आपको कहा न कि प्रशिक्षण ही पुलिस की जान है। दुर्भाग्य से हम सब लोगों का ध्यान इससे हट गया क्योंकि पुलिस की एफिशिएंसी और उसका शरीर और बाकी सब चीजें तभी ठीक रहेंगी जब वो इन-सर्विस भी ट्रेनिंग में जाए और वो अपने आपको ठीक करे। ये जो आपने 11617 लोगों को सलैक्ट कर रखा था, उसमें से हमारी कैपेसिटी 4500 की थी। हमने पहली बार प्रयत्न किया, हमने कहा कि कोशिश करो कि कहां-कहां अपने बच्चों की ट्रेनिंग करा सकते हैं। वो वैसे ही घर बैठे हैं और रोज आकर पूछते हैं कि हमें कब कराओगे, हमें कब कराओगे और जब तक ट्रेनिंग नहीं होती, तब तक उसकी नौकरी पक्की नहीं होती। आपने देखा कि हमने बी.एस.एफ. जोधपुर में 836 बच्चों की करायी, बी.एस.एफ. इन्दौर में 505 बच्चों की करायी, बी.एस.एफ. टेकनपुर में 499

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बच्चों की करायी, सी.आर.पी.एफ. नीमच में 499 बच्चों की ट्रेनिंग करायी, सी.आई.एस.एफ. बहरोड़ में हमने 955 बच्चों की ट्रेनिंग करायी, पंचकुला में हमने 527 बच्चों की ट्रेनिंग करायी, भोपाल में हमने 527 बच्चों की करायी, गोरखपुर में हमने 635 बच्चों की करायी और ऐसा करके हमने ये जो 4900 बच्चे वैटिंग में बैठे हुए थे, जो हमारे सलेक्टशुदा थे, उनको हमने ट्रेनिंग कराकर काम पर लगा दिया तो हमने कोशिश की कि हमारी जो रिक्तता है, वो पूरी हो।

अभी हमको दो नये प्रशिक्षण संस्थान और मिले हैं। पिछली बार हमने कोशिश की है कि कुछ स्ट्रेंथ हमारी अलग-अलग जगह बढ़ाई जाए। हमने इन-सर्विस ट्रेनिंग भी करायी 9176 पुलिसकर्मियों को। PCC, प्रमोशन कैडर के कोर्स 4847 को, रिफ्रेशर कोर्स 8706 को और विभिन्न कोर्स में हमने 46 हजार 515 लोगों की ट्रेनिंग करायी। आपका जो पूरे पाँच साल का कार्यकाल रहा, हमने केवल तीन साल में ही 46 हजार लोगों की इन-सर्विस ट्रेनिंग करायी और आपने पूरे पाँच साल में 34 हजार करायी। जब तक आप किसी चीज की मॉनीटरिंग नहीं करोगे तब तक किसी भी चीज में गति नहीं आती है। गति लाई जा सकती है बार-बार उसको मॉनीटर करने पर।

हमारे अन्वेषण जल्दी हों और संगठित अपराध को हम ठीक तरह से कंट्रोल कर सकें तो 10-10 अनुसंधान अधिकारियों की टीम तैयार हुई है। इन चयनित अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और अब जिलों में 830 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जा चुके हैं, जो जाकर जिलों में प्रशिक्षण करायेंगे।

आप और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा कि हमारे यहां के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो कोई कमजोर ट्रेनिंग सेंटर नहीं हैं। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण संस्थान उत्तर क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुआ है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए राजस्थान पुलिस के तीन प्रशिक्षण संस्थान, पहला आर.पी.ए. जयपुर जो राजपत्रित अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है वो, दूसरा, आर.पी.टी.सी. जोधपुर अराजपत्रित अधिकारियों को और तीसरा, पी.टी.एस. किशनगढ़ को उत्तर क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रथम घोषित किया गया है। तीनों श्रेणियों में क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के क्लासरूम हमने स्थापित किये हैं।

जिसके बारे में आप और हम सब चिंतित है क्योंकि आज अपराध का तरीका बदलता जा रहा है। जब तक साइबर क्राइम पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। इसीलिए हमने, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें हमने 210 बच्चों का सलेक्शन करके, छांटकर यहां लाये और उनको ट्रेनिंग करायी। आप और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि यह जो वर्ष 2016 का है, उसमें 70 वर्ष में सबसे बड़ा बैच, पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं उनका हमारे यहां पर 45 का बैच पहली बार निकला और जिसकी ट्रेनिंग हमारे यहां ही हुई।

अच्छे व्यवहार के लिए, जिसकी आप और और मैं सब शिकायत करते हैं। आप और मुझे कलेक्टर, एस.पी., डीवाई.एस.पी., एडिशनल एस.पी. से बात करने में झिझक नहीं होती लेकिन थाने में अगर कभी आपको और मुझे जाने का योग पड़ जाए तो जाने के पहले एक बार मन डगमगा जाता है। उसका कारण यह है कि व्यवहार में जितना सुधार का प्रयत्न करना चाहिए उसमें हम अभी तक उतने सफल नहीं हुए। इस बार हमने सारे जिलों से 80 लोगों का सलेक्शन किया, उसको ट्रेनिंग देकर तैयार किया और उसके बाद अब नीचे हम व्यवहार के बारे सुधार कर रहे हैं।

आत्मरक्षा की दृष्टि से हमने 500 महिला पी.टी.आई. को बुलाकर हमारे यहां पर ट्रेनिंग करायी और उसके बाद जाकर 2 लाख 3 हजार बच्चियों का आत्मरक्षा प्रशिक्षण का काम उन्होंने पूरा किया।

राजस्थान पुलिस अकादमी में पहली बार 19 करोड़ रुपये, सैंक्शन कभी से पड़ा था लेकिन बीसलपुर का पानी हमारे आर.पी.ए. को नहीं मिल पाया तो हमने प्रयत्न करके उस आर.पी.ए. को दिलाया।

सड़क दुर्घटना के बारे में मैंने कहा है न कि वास्तव में सड़क दुर्घटना की दृष्टि में हमने कई कदम उठाये थे लेकिन उन कदमों के बाद में भी मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे इस प्रयत्न से 2016 में कुल दुर्घटना में 1006 की कमी आई है, घायलों की संख्या में 2050 की कमी आई और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मृतकों की संख्या में 45 की कमी आई। उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का आभार कि उन्होंने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाकर निरन्तर उसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं और बार-बार इस अभियान को आगे चला रहे हैं जिसके कारण से यह हुआ है।

नवाचार की दृष्टि से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैंने सम्भागवाइज बैठक ली है। एक राउण्ड पहले सातों सम्भागों का और दोनों कमिश्नरेट का केवल पुलिस अधिकारियों ने और मैंने किया था और खाली समझने का प्रयास किया कि थाने तक की स्थिति क्या है। सैकण्ड बार में जब मैंने की तो पाँच सम्भाग में की। केवल बाड़मेर और जैसलमेर पाँच सम्भाग में से छूटा हुआ है, उन सबमें जनप्रतिनिधियों को बुलाया। मुझे दु:ख इस बात का है कि जनप्रतिनिधियों की जो संख्या वहां उपस्थित रहनी चाहिए वो फिफ्टी पर्सेंट से भी बिलो आती है। मैं तो आपको साल में एक बार या दो ही बार कष्ट देता हूं, अगर आप आयेंगे और आपका सी.ओ. अपने थानों की रिपोर्ट रखेगा तो उसमें जो कमी-खामी आपको दिखेगी, अगर आप वहां सुझाव दोगे तो आप और हम मिलकर उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

जन सुनवाई का काम एस.पी. लेवल पर रोजाना 12 से 1 बजे के बीच में होता है। अगर वो नहीं करता तो एडिशनल एस.पी. को वहां पर बैठकर करना होगा।

गश्त और नाकाबंदी का जो हमने प्रयोग किया है, विशेषकर डी.जी. साहब ने इसमें विशेष प्रयास किया और उसके कारण से कई संगीन अपराधी राजस्थान में उस नाकाबंदी में एक तरह से हमारे हाथ में, पकड़ में आये हैं।

मैं सोचता हूं कि महिलाओं की हैल्प लाइन हमने तैयार की है ताकि वह कहीं से भी अगर उसके लिए करेगी तो उसको मदद पहुंच जायेगी।

कार्य मूल्यांकन प्रणाली हिन्दुस्तान में पहली बार कोई राज्य शुरू करने वाला है तो वह राजस्थान है। हमने हर महीने, हर थाने को, हर सीओ को, हर एसपी की रैंक क्या आती है। मापदण्ड हमने बना रखे हैं, उसको हर महीने की, अगले महीने की 10 तारीख को वह पिछले महीने की देख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सकता है और उसके कारण से एक-दूसरे के बीच में जो कम्पीटिशन प्रारम्भ हुआ, उसके कारण से यह अपराध का ग्राफ धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। जब देश के प्रधान मंत्रीजी के सामने यह प्रजेंटेशन हमारे डीजी साहब ने हैदराबाद में किया, तो सारे राजस्थान में हम जिस सिस्टम में हमारे थाने का मूल्यांकन करते हैं, उनको ग्रेडिंग देते हैं, वह सारे देश में उन्होंने लागू की।

यह जो पेंडेंसी कम हुई है, ऐसे ही कम नहीं हो गई। इस पेंडेंसी को कम करने के लिए 15 जनवरी को हमारी जो पेंडेंसी थी, वह 14.6 थी, हमने 732 विशेष दल गठित किये और उन सबको लगाकर हमने यह पेंडेंसी को 7.04 पर लाये हैं क्योंकि पेंडेंसी जब तक कम नहीं होगी, तब तक लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हो सकेगी।

पुलिस जवाबदेही समिति हम लोगों ने बना दी। जिस पुलिस आयुक्त के बारे में आपको संदेह है और आपने जिस क्राइम रिपोर्ट के आधार पर कहा कि जयपुर की हालत बड़ी खराब है लेकिन जयपुर ने बहुत प्रयत्न किया और अच्छा प्रयत्न किया। जेएलएन रोड पर आटोमैटिक स्पीड वायोलेशन सिस्टम हमने लगा दिया। ज्योंही यह लगा, 100 किलोमीटर से अधिक की स्पीड से जाने वाले लोगों के चालान हुए, 32 मुकदमे बने और उसके कारण से जेएलएन मार्ग पर जो एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही थीं, वह सारी की सारी चैक हो गईं।

उसके बाद महिला थाना जो हमारा है जयपुर का, वह पूरा का पूरा महिला थाना है, कांस्टेबल से लेकर उसकी इन्चार्ज तक सभी महिला हैं। ऐसा पहला प्रयोग हमने किया है ताकि वहां पर महिलाएं अपनी बात को आसानी से आकर कह सके।

हमने प्रयोग शुरू किया अलग-अलग जिलों में कि उस जिले के थानों की टीमें बनाकर उनकी प्रतियोगिता कराई जाये। यहां जयपुर में 64 टीमों ने क्रिकेट में भाग लिया और उनके कारण से नौजवान, एक तरह से पुलिस के मित्र बनकर काम करें, अच्छे लोग हमको मिले, इसका प्रयास किया।

फेसबुक और ट्विटर पर जयपुर आयुक्त ने एक पेज बना रखा है जिसमें उसने क्रमश: 18,000 फेसबुक पर हैं और 1,300 फोलोअर्स तैयार

किये ताकि मैसेज तुरंत कोई कन्वे करना चाहे या वह करना चाहे तो हमें मिले।

सीनियर सिटीजन का एप, राजस्थान में पहली बार अगर कहीं बना है तो जयपुर में बना है ताकि जिनके बच्चे कहीं रहते हैं और वह अकेले बूढ़े, रहते हैं। उन सबको 3,000 लोगों को हमने अपनी आनलिस्ट पर लिया। वह चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, हम चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं ताकि एक तरह से उनको...

इसी तरह से यह जो महिला सुरक्षा एप है, इसमें हमको 448 शिकायतें महिलाओं की प्राप्त हुईं, जिनकी हमने हैल्प की।

इसी तरह से अभय कमांड सेंटर, राजस्थान का पहला अभय कमांड सेंटर हमारे यहां कमिश्नरेट में तैयार हो गया, जहां एक ही जगह बैठकर सारे के सारे 600 के लगभग हमने कैमरे लगाये हैं। इन कैमरों के आधार पर सारा जयपुर दिखाई दे, इस आधार पर हमने किया। अब हम बीकानेर और अजमेर में अप्रैल तक वहां भी तैयार कर देंगे दोनों संभाग हैडक्वार्टर पर। भरतपुर और कोटा में मई तक कर देंगे और जोधपुर और उदयपुर को जून तक अर्थात् सातों संभागीय मुख्यालय पर यह जो हमारा एक तैयार हो जायेगा, इसके कारण से सारे के सारे नवाचारों को हम चला सकते हैं।

ऐसे कई सुलझे और अनसुलझे प्रकरण हैं, मैं शायद उसमें आपको अधिक बात नहीं कहकर, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस यूनिट ने सबसे बढ़िया काम किया, उसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यह जो एफएसएल टीम है, जो नमूनों की जांच करके रिपोर्ट देती है और जिसके आधार पर सज़ा का परसेंटेज बढ़ता है और काम को काफी गति मिलती है।

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2004 में जब मैंने यह चार्ज लिया था, तब सैम्पल की पेंडेंसी 18,230 थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयत्न करके उसको 10,765 पर लाये थे। वापस आपने इसको बढ़ाकर 12,907 पर की और अभी बी.बी.अरोड़ा को हम रिटायर होने के बाद भी वापस लेकर आये कि एफएसएल यूनिट अच्छी तरह से काम करे और मुझे कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता है कि आज की तारीख में 6,271 केवल पेंडिंग हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बाकी सारी पुरानी जितनी भी थीं और 2015 के पहले का एक भी केस ऐसा नहीं है, जिसकी जांच होकर रिपोर्ट नहीं बनी तो वास्तव में इसके लिए मैं पूरी की पूरी एफएसएल की टीम को धन्यवाद देता हूं और विशेषकर अरोड़ाजी को, जिन्होंने मेहनत करके, छुट्टी के दिन में कोई नहीं आता लेकिन यह सबका सवाल बन गया था तो लोगों ने छुट्टी के दिन आकर भी, अपने सैम्पल्स को जांचा है। एफएसएल की जो यूनिटें हैं, वह कई जगह अब बन गई हैं। अब तक रिकार्ड के अनुसार यह पहला साल है 2016 का, जिसमें एक ही साल में हमने 38,578 प्रकरण का निस्तारण किया है।

सभी जो रिक्त पद हैं, वे भरे हैं। रिटायर्ड लोगों को भी हम वापस लेकर आये हैं। अभी हमारा पोलीग्राफ है। यूनिट तो तैयार हो गई पर हमारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं था तो हमने साइंटिस्ट को, केवल कभी-कभी आकर जाये और जितनी क्षमता में उसको हमको देने का है, उसके तहत वह आता है। उसने पोलीग्राफिक यूनिट संभाली।

डीएनए टैस्ट हमारे यहां शुरू हो गया था लेकिन कई बार हमारे पास साइंटिस्ट नहीं होने के कारण, कई बार हमें डीएनए के लिए हैदराबाद भेजना पड़ता था। बीच में हमारे पास साइंटिस्ट उपलब्ध भी हो गया। गवर्नमेंट के केस जो जाते थे, उस पर भी 1,000 रुपये की फीस लगा दी। हमने अभी सरकार से आग्रह किया और अब यह सरकार का खर्चा नहीं लगेगा, इसके कारण से डीएनए टैस्ट भी हमारे यहां अच्छी प्रकार से हो जायेगा।

बीकानेर, अजमेर की विज्ञान प्रयोगशाला हमारी तैयार है। अभी हमने 20 करोड़ रुपये लगाकर अजमेर में और 18 करोड़ रुपये लगाकर बीकानेर में हमारी साइंस लेबोरेटरी तैयार हो रही है। हमारी 20 मोबाइल यूनिट्स हैं, वे भी अपनी जगह काम कर रही हैं तो एफएसएल ने अच्छा काम किया है।

मैं सोचता हूं, जिसके बारे में आप सबने तारीफ की भ्रष्टाचार ब्यूरो की। मैं भी आपके साथ, अपने मन से उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने पकड़े हैं तो कोई बड़े दिग्गज पकड़े हैं, छोटे-मोटे को मारने से कोई मतलब नहीं निकलता। मैं इस पक्ष का ही नहीं हूं कि आपने किसी को पकड़ा, 200 रुपये लेते हुए कांस्टेबल को पकड़ लिया। अब वह अखबारी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

न्यूज जरूर बन जायेगी लेकिन वास्तव में जिस प्रकार के संगीन केसों को इन लोगों ने मेहनत करके निकाला है, वह वास्तव में इस विभाग के लिए एक तरह से बहुत ही गर्व की बात है। चिकित्सा विभाग में नीरज के. पवन के खिलाफ केस बना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मुख्य अभियन्ता सुबोध कुमार के खिलाफ केस बना। परिवहन विभाग के ओवरलोड वाहनों के आवागमन के लिए जुर्माना राशि 10 से 15 लाख रुपये लेते हुए भ्रष्टाचार संबंधी केस मदन मोहन शर्मा के खिलाफ बनाया। खान विभाग में अशोक सिंघवी के खिलाफ केस बना। जे.पी.मीणा, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के खिलाफ केस बना। भारत भूषण गोयल, उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को 3.50 लाख रुपये रिश्वत में पकड़ा। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर की भर्ती प्रकरण को लेकर के लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के सोलंकी और उसकी टीम को गिरफ्तार करने के लिए सारे कागज बनाये और 3,000 पेज की चार्जशीट बनाकर, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की जो फर्जी डिग्री का प्रकरण था, उसको भी खोलने में हमारी इस टीम ने महत्वपूर्ण काम किया है। वैसे ब्यूरो की और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर मैं उन सबको बंद करता हूं।

जिस कारागार के बारे में आपका और मेरा सबका है कि वास्तव में बहुत प्रयत्न किया है लेकिन अभी भी जिस प्रकार से आपकी और मेरी मंशा है, उसके अनुसार हम उस मंजिल को नहीं पा रहे हैं।

60 माननीय सदस्यों ने 120 हमारे पास कटमोशन्स भेजे हैं। मैं उन सबका उत्तर आपको परसों तक जरूर भेज दूंगा।

हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या जो है वह अत्यधिक प्रिजनर्स की है और उसके कारण से कई ऐसी जेलें हैं, जहां केपेसिटी से ढाई गुना, तीन गुना तक लोग उसमें हैं आज भी। उनको हल करने के लिए हमने प्रयत्न किया। वैसे 2013 में जहां हमारी केपेसिटी 16,622 थी, आज की तारीख में हमारी जेल की केपेसिटी 19,874 की बनी है। उसके लिए हमने कई जगह नई जेल बनाई है। लगभग 39 हमने बैरकों का निर्माण किया है जिसके कारण से हमारी क्षमता बढ़ी है और लगभग 4848 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है और लगभग 3,200 की हमारी केपेसिटी नई बनी है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमने अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में 37 करोड़ रुपया लगाकर 100-100 महिला बैरकों का निर्माण किया है।

अजमेर में राज्य के हार्डकोर बंदी, ये जितने भी आपके जो नामी-गिरामी लोग हैं, इन सबको हमने वहां की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद कर रखा है।

बजट घोषणा 2017-18 में डूंगरपुर में...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हाई सिक्योरिटी जेल के बारे में पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय। एक मिनट। इसके अंदर क्या है कि हाई सिक्योरिटी जेल में डालने के कोई नोर्म्स बने हुए होंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हां, नोर्म्स बने हुए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कई जिले के कारागृह से राजनैतिक द्वेषता से हाई सिक्योरिटी में डाल देते हो, कई हाई सिक्योरिटी के जो बंदी हैं...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है, आपको अगर कोई ऐसा डाउट लगता है तो आप मुझे लिखिये, मैं जिम्मेदार...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कम से कम हाई सिक्योरिटी जेल को तो साहब, राजनीति का अड्डा नहीं बनायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): भैया, कई लोगों को वहां बहुत तकलीफ हो रही है। वह हिल नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए कइयों को भरभेटे आ रहे हैं क्योंकि पहले तो चाहते वो ही करते चले जाते, अब वो ऐसे जाम हो गये हैं कि वहां से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए दर्द हो रहा है उनको।

अभी हमको इस नयी बजट घोषणा में डूंगरपुर में और अकलेरा में 28 करोड़ रुपये मिले जिससे हम नयी जेल की बैरक का निर्माण करेंगे। अभी हमको शौचालय के लिए 16 करोड़ रुपये मिले हैं। जेल शिफ्टिंग का भी काम हम कर रहे हैं। कुछ जेलें ऐसी हैं जो शहर के अन्दर आ गयी हैं या ओवरक्राउडेड एरिया में है। ऐसे 16 स्थान हमको मिल गये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन 16 जेलों को बनाकर इनको बाहर शिफ्ट करें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पहली बार जेल के कैदियों को, अब तक बीस रुपये, तीस रुपये जब वो काम करते थे उद्योगशाला में तो उनको मिलते थे। हमारा ध्यान इस ओर गया और आज की तारीख में एक सौ तीस और एक सौ पचास रुपये वहां उद्योगशाला में काम करने की एवज में उनके खाते में पैसे जाते हैं।

हमने 4 जी जैमर सात केन्द्रीय कारागृह जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, गंगापुर, उदयपुर में, ये सारे के सारे बीस करोड़ के हमने जैमर लगाये ताकि इसके कारण से उसको चैक किया जा सके। कारागृह सुरक्षा में हमने आधुनिक मुलाकात कक्ष बनाये हैं।

शौचालय की दृष्टि से भी जो बार-बार इस बात का आता है कि आपके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। 52 कारागृहों में 737 शौचालयों पर और 49 कारागृहों में 684 शौचालयों के लिए हमने दस करोड़ रुपये की राशि लगा करके यह सुविधा उनको उपलब्ध करायी है।

नौ केन्द्रीय जेलों में किचन का आधुनीकरण किया है तथा उन्हें स्वचालित रोटी बनाने की मशीन उपलब्ध करायी है।

जयपुर में 'असहाय' नाम से स्टोर हमने शुरू किया है जहां हमको दो महीने में लगभग दो लाख का सेल हुआ है।

वर्ष 2016 से 26 खुले जेल शिविर हम चला रहे हैं। जहां पहले हमारे पास खुले शिविर में 651 कैदी थे, आज की तारीख में 1337 हैं और कुछ जगह हमने गौशालाओं को भी खुली जेल के रूप में डिक्लेयर किया है और 6 गौशालाओं को भी हमने इन लोगों को देकर उनको चलाने का प्रयास किया है। बंदियों के भोजन, नाश्ते में भी परिवर्तन किया है। आपका कट मोशन था, उसमें यह था कि पहले केवल एक सब्जी सवेरे देते थे। अब हम सवेरे भी दाल और एक हरी सब्जी या कढ़ी और हरी सब्जी उनको हम देते हैं। उनको नाश्ते में भी हमने बदला है। मीठी थूली देते हैं, पोहा देते हैं, अंकुरित चना देते हैं, मूंग देते हैं, नमकीन खिचड़ी, काला चना, ऐसे कई आइटम हैं और फिर चाय और देकर उनको एक तरह से ठीक तरह से देने का प्रयास किया है।

सबसे बड़ा जिसके बारे में आप रमेश जी बहुत बोलते हो कि फरारी, फरारी, फरारी...

श्री रमेश (सपोटरा): मैं तो साहब, यह कह रहा हूं कि मान लिया हमने बिलकुल, पर अब भूख लग रही है, अब तो छुट्टी करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, आपकी भूख इससे शांत हो जाएगी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप कैदियों को दे रहे हो और भूख इनको लग रही है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं-नहीं। वो तो आपके नेता और मंत्री बहुत बैठे हैं उनके लिए सुविधा की है, सारे अन्दर ही बैठे हैं वो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको कह रहा हूं कि जो बंदियों की फरारी वाली घटना जिसके बारे में बार-बार आता है 2009 से 2013 के बीच में 25 बंदियों की फरारी हुई और आठ अभी भी नहीं मिल पाये। हमारे इस तीन साल के कार्यकाल में सात फरारी हुई और सात फरारी में से केवल एक मुलजिम बाहर है, बाकी सारे के सारे मुलजिम फरारी वाले पकड़े गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वो आप वाला ही बाकी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रहरी भर्ती की दृष्टि से भी हम लोगों ने अभी परीक्षा शुरू की थी लेकिन पेपर आउट हो जाने के कारण से हमारी वो परीक्षा स्थगित हो गयी प्रहरियों की, उसको हमने वापस पटेल यूनिवर्सिटी को दिया है और वो प्रक्रिया में जल्दी होगी।

पदोन्नति की दृष्टि से भी हमने पदनाम परिवर्तन किया है सबका। ये जो मुख्य प्रहरी, सहायक कारापाल, उप कारापाल, इन सबको हमने पदनाम जो दिया है, वह उप कारापाल के नाम से उनको दिया है।

आपत्तिजनक वस्तुएं जो मिलती हैं उसमें रिडक्शन तो हुआ है परंतु हण्ड्रेड परसेंट बंद नहीं हुआ। आज भी 2009 से 2013 के बीच में 2205 मोबाइल मिले थे। अभी हमारे 2014 से 2016 में 359 मिले हैं। सिम कार्ड आपके टाइम पर 982 मिले हैं और अभी 456 मिले। मादक पदार्थ के प्रकरण 83 हुए थे अभी 35 हैं। अन्य निषिद्ध सामग्री आपके टाइम पर 106 मिली थी और अब 18 मिली है। कंट्रोल करने का प्रयास किया है।

मैं आप सबसे केवल इस बात के लिए आग्रह करना चाह रहा हूं कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जेल में और भी कई सुधार की गुंजाइश है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे-जैसे हमारे पास साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं उस तरह से और मैं कहता हूं कि जेल में जितनी डीपीसी करके हमने प्रमोशन दिये हैं वास्तव में इसको कोई देखे तो यह समझ में आएगा कि यह काम पहले भी किया जा सकता था। पहले तो क्या है कि वहां पे-ग्रेड का इतना अंतर हो गया जो माननीय सदस्य ने उठाया मैं इसको स्वीकार करता हूं। कभी पांचवें वेतन आयोग के पहले कांस्टेबल और मेरे प्रहरी की समान वेतन श्रृंखला थी लेकिन पांचवें वेतन आयोग के बाद दोनों की सेलेरी में बहुत बड़ा अंतर हो गया और इसके कारण से जेल सर्विस किसी की भी रुचि का विषय नहीं रहा। मजबूरी में आता है, सलेक्ट हो भी जाता है तो वो रोज प्रयत्न करता है कि मैं किस जगह जाऊं, किस जगह जाऊं और इसके कारण से हमारे यहां जो रिक्त पद रहते हैं, वो लगभग 45 परसेंट पद आज की तारीख में भी रिक्त हैं। ये तो हम आरएसी की टुकड़ी लगाकर किसी तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन अबकी बार हमने कोशिश की है कि इन सबमें और इनके जितने भी अपन भवन बना सकते हैं वो सारा बनाने का प्रयत्न किया।

मैं सोचता हूं कि होमगार्ड के बारे में आपने जो विषय बार-बार उठाया। होमगार्ड की जो हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल के समय मैंने चलाकर के दो-दो घंटे तक उनसे बात की, उनकी हर समस्या को समझने का प्रयत्न किया। उनके सामने ही मैंने आदेश निकाल कर के रिटन आदेश उनको दिया, लेकिन उसके बाद भी वो अड़े रहे और जिस ढंग का, एक वर्दीधारी को यह अधिकार नहीं है इस प्रकार का आंदोलन करना, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। जब लगा कि मेरे को उत्तराखंड में आठ हजार लोगों को भेजना है ड्यूटी के लिए तो उन्होंने लोगों को रास्ते में गाड़ी से उतार दिया, तब जाकर के मैंने 101 लोगों को बर्खास्त किया। उसी समय बारह बजे तो मैंने बर्खास्त किया होगा और तीन बजे तक तो सारे के सारे लोग आ गये, तो वास्तव में हम तो चाहते हैं कि उनकी तकलीफ को हल करें। वो हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन वो ये समझें कि हम चाहे जिस तरीके से, वहां जो उस वर्दी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसमें अगर कार्यक्रम करे तो नहीं। मैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सोचता हूं कि जो मैं उनको काम दे सकता था। जब आपके समय में इनको काम मिला था 6579 को मिला था वह आज की तारीख में 12000 लोगों को काम पर लगा रखा है और कोशिश कर रहा हूं बढ़ाने की।

बॉर्डर होमगार्ड को भी ज्यादा से ज्यादा और मैंने अभी नियम बनाया है कि अगर सत्तर परसेंट से अधिक लोगों को सत्तर प्रतिशत ड्यूटी नहीं मिलेगी, तब तक मैं नया सलेक्शन नहीं करूंगा जिससे कम से कम इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले और इन बच्चों का ठीक तरह से उपयोग हो।

अभियोजन की दृष्टि से भी कई उपलब्धियां हैं। मैं सोचता हूं कि आप सब लोग भी थक गये, विलंब हो रहा है, लेकिन अभी हमने हमारे 291 लोगों को सलेक्ट किया। सलेक्ट करके उनका वेरीफिकेशन भी हो गया, लेकिन कोर्ट के इस निर्णय के कारण से हमने डीओपी को फाइल भेज रखी है उसके कारण से अभी हमारा अपाइंटमेंट देना रुका हुआ है। जैसे ही वहां से निपटेगा हम उन सब लोगों को दे देंगे। मैं सोचता हूं कि हमारे इस अभियोजन ने जितने लोगों की नियुक्तियां की हैं, जितने लोगों को इन्होंने जहां से भी मिल सके, मृतक राज्य कर्मचारी मिला या और कहीं से भी मिला तो मैक्सीमम लोगों को लगा करके और हमने अधिकांश जगह इनकी बिल्डिंग बनाई हैं, ताकि अभियोजन के लिए वहां जो काम करता है उसको और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि जहां-जहां आपके क्षेत्र में कोई एकाध भी अभियोजन का कमरा बना दे तो निश्चित रूप से वहां बैठने वाला व्यक्ति केस की तैयारी ठीक प्रकार से करेगा, पैरवी ठीक प्रकार से करेगा, राजस्थान ही एक तरह से ऐसा राज्य है जिसमें अभियोजन की दृष्टि से जो सज़ा का परसेंटेज है, वो शायद हिन्दुस्तान में सबसे अधिक सज़ा का परसेंटज हमारे यहां पर है तो हमारे लोगों ने काम करके और अपने आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया।

मैं आपसे और इस सदन से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या-16 और मांग संख्या-17 को पारित किया जाए। आप चाहें तो जो माननीय सदस्यों ने रखा है, ये आनन्दपाल को तो नहीं ढूंढ पाये, लेकिन उसके बीस साथियों को हमने पकड़ करके अन्दर कर दिया, जिसके कारण से गैंगवार खतम हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट मंत्री महोदय, आप कह रहे थे न रिपोर्ट सदन में रखूंगा प्रशासनिक जो दीपक उप्रेती की अध्यक्षता में...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि अगर मेरी मंशा नहीं होती तो न्यायिक जांच कराता और वहां की वहां पड़ी रह जाती।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो अब क्या करोगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने प्रशासनिक जांच करायी, रिपोर्ट आ गयी और जिन पर कार्यवाही करनी है वो विभाग ने सारी कार्यवाही कर ली है। इतनी जल्दी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक ही आदमी पर हुई है साहब, आई.जी. पर तो हुई नहीं है कार्यवाही। आई.जी. तो बच गयी वहां पर। आई.जी. तो बच गयी, साहब। अजमेर की आई.जी. को बचा लिया आपने। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो एक विषय और रह गया था जिसके बारे में आपने कहा। पहले मांग पास कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: आप साथ ही बोल दें।

शासकीय वक्तव्य

भरतपुर के सेवर में पुलिस दबिश के दौरान दो युवतियों की मौत

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 27.03.2015 को प्रकरण संख्या 141/2015 धारा 363, 366, 367, 368, 370, 371, 373, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया जाकर कुल 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं 3 अभियुक्तों के खिलाफ धारा 173 के तहत पेंडिंग रखते हुए अनुसंधान पूरा किया। उक्त अभियोगों से संबंधित में विभिन्न जमानत याचिकाओं के निस्तारण के समय माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा एसबी क्रिमिनल बेल नं 7402/15, 6501/15 कृष्णा व अन्य अभियोग संख्या 141/15 थाना सेवर में दिनांक 23.07.2015 को निर्णय पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

निर्णय की पालना में जिला कलक्टर, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2015 को एक विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री जी एस गिल, माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, श्री आलोक शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति भरतपुर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भरतपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय भरतपुर, लुपिन संस्था के सदस्य व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, भरतपुर आदि अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 22.03.2017 को पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर पर प्रकरण संख्या 134/2017 धारा 363, 366, 367, 368, 370, 371, 373, 120बी, कोर्ट का निर्णय यह था कि इनको आप पुनर्वास करो और इनको किसी तरह से सामान्य जीवन में जोड़ने का प्रयत्न करो। जो इस धंधे में लगे हुए हैं, इस धंधे को छोड़कर यह और इनका परिवार आगे बढ़े।

जिला कलक्टर व मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त निर्णय की पालना में जिला भरतपुर में बेडिया जाति के परिवारों के पुनर्वास एवं उत्थान के लिये जिला प्रशासन द्वारा चलाये गये अभियान एवं प्रयास निम्नानुसार है:-

जिले की भरतपुर तहसील के ग्राम पंछी के नगला में देह व्यापार में लिप्त 52 परिवारों के बालक/बालिकाओं को शिक्षित किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला पंछी में नामांकन कराया जाकर शिक्षण कार्य कराया गया है। 6 साल से कम उम्र के बालक/बालिकाओं के लिये आंगनबाडी केन्द्र भी खोला गया है। इस बस्ती में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिये भूमि आवंटन कर भवन निर्माण हेतु सर्वशिक्षा अभियान के तहत 15.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। नगला पंछी के नवीन विद्यालय भवन का दिनांक 20.11.2016 को उद्घाटन किया जाकर प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें वर्तमान में 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी प्रकार मलाह विद्यालय में 23 बच्चे अध्ययनरत हैं।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, भरतपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण हेतु प्राप्त 43 आवेदकों में से 4 आवेदकों को नैक्सस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड हलैना में प्रशिक्षण दिलाया गया है।

अनैतिक व्यापार में लिप्त व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने के लिये 18 महिलाओं को 4 माह प्रशिक्षण दिलाया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की छात्राओं की पोषाक इनके द्वारा तैयार करने का काम इनको दिया गया है। जिला प्रबन्धक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम भरतपुर द्वारा पंछी के नगला में युवाओं की काउंसलिंग करवाई जाकर रोजगार से जोड़ा गया है। इन बस्तियों की महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई एवं अन्य प्रकार के स्वरोजगार से जोड़ने के लिये सर्वे करवाया गया है। शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराकर आवेदन तैयार कराये गये हैं।

गांव पंछी का नगला, सेवर में ग्रामीण पोप योजना से मतलब विभिन्न, ग्राम पंछी का नगला भरतपुर में जिला परिषद, भरतपुर के द्वारा 5 परिवारों को बीपीएल कार्ड भी जारी करवाये गये हैं। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर द्वारा अनैतिक व्यापार में धकेले जाने की संभावना के दृष्टिगत नाबालिग बच्चियों को विधिक प्रावधानों के अध्यधीन शैल्टर होम में समय-समय पर दाखिल करवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अनैतिक देह व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से सूचना प्राप्त होने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कानून कार्यवाही की जा रही है। पुलिस थाना सेवर, जिला भरतपुर द्वारा अवयस्क बच्चियों एवं महिलाओं में वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये निम्न कार्यवाही की गई।

दिनांक 06.06.2015 के उस निर्णय के बाद प्रकरण संख्या 278/2015 धारा 363, 366, 367, 368, 370, 371, 373, 120बी भारतीय दण्ड संहिता का दर्ज किया गया। दिनांक 23.12.2015 को फिर एक दूसरा प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण संख्या 597/2015, उसमें चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर एक प्रकरण दिनांक 27.09.2016 को प्रकरण संख्या 450/216 दर्ज हुआ। इसमें भी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दिनांक 19.01.2017, अभी वाला प्रकरण संख्या 33/2017 धारा 3, 4, 5 पीटा एक्ट में दर्ज कर 3 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया।

सूचना प्राप्त होने पर जिस दिन यह घटना हुई दिनांक 21.03.2017 को, अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भरतपुर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के नेतृत्व में किया गया जिनमें 140 पुलिसकर्मी सम्मिलित थे। मैंने कुछ चीज छिपाई नहीं है। आपमें से कई लोगों को लगता है कि 500 गये, 400 गये और मैं 20 कह दूं। मैं नहीं कह सकता, रिकार्ड के आधार पर 140 गये हैं। इन टीमों द्वारा पंछी का नगला एवं पास के क्षेत्र जिसमें करीब 55 बेडिया जाति के परिवार निवास करते हैं, में दबिश की कार्यवाही की गई। उक्त तीनों टीमों द्वारा ग्राम पंछी का नगला व आसपास के क्षेत्र में दबिश देने के दौरान तीन बेडिया जाति की बच्चियां जो तालाब के पास थीं, पुलिस को देखकर तालाब में कूद गईं। इन सभी बच्चियों को पुलिस द्वारा, स्वयं पुलिस के अधिकारी एडिशनल एसपी कूदे और पुलिस के लोग कूदे हैं, बच्चियों को पुलिस द्वारा बचाने का प्रयास किया गया। श्री धमेन्द्र सिंह, आईपीएस तथा श्री अमर सिंह पुलिस निरीक्षक उक्त दुर्घटना स्थल के पानी के दलदल के गहरे पानी में कूदे तथा तीनों बालिकाएं पायल, सुक्को एवं रचना को पानी से बाहर निकाला एवं इलाज हेतु तत्काल आरबीएम अस्पताल, भरतपुर भिजवाया। डाक्टरों द्वारा दो बालिकाएं सुक्को व रचना को मृत घोषित किया गया।

इस संबंध में पुलिस द्वारा मर्ग संख्या 11/2017 अंतर्गत धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दर्ज की जाकर जांच की जा रही है। दोनों मृतक बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके शव परिजनों को सौंप दिये गये, जिनका दाह संस्कार किया गया। मृतक बच्चियों के परिजनों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा निम्न दो प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

दिनांक 22.03.2017 को पुलिस थाना सेवर, जिला भरतपुर पर प्रकरण संख्या 133/2017 धारा 363, 366, 367, 368, 370, 371, 373 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया। जिसमें 6 अभियुक्तों को नामजद किया गया है।

जिन दो बालिकाओं की डैथ हुई वह नाम मैंने आपको बता दिये। उसमें से एक बच्ची बची है, वह बच्ची जीवित है।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा जो बयान यहां माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा दिलाया गया है, बिलकुल असत्य है क्योंकि मैं स्वयं कल वहां जाकर आया हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सुनने के लिये ही यहां बैठे हैं। आप जो सत्य हो वह बता दो, उसमें क्या दिक्कत है।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): जैसे आपने कहा कि 200 पुलिस वाले नहीं गये, आप वीडियो फुटेज देख लीजिए। डकैतों की शक्ल में नीली ड्रेस पहनकर किस तरह से उन्होंने आतंक मचाया कि गोली मार दो, तब वह बच्चियां डूब कर मरीं। उपाध्यक्ष महोदय, उन पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि मैं न किसी चीज को छुपाना पसंद करता हूं और न छुपाता हूं। आपको और सदन के सब लोगों को लगता है कि इसमें कहीं गड़बड़ हुई है तो संभागीय आयुक्त को जांच दे देता हूं। दो महीने में इसकी रिपोर्ट देकर, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, दिक्कत क्या है।

न्याय प्रशासन - मांग संख्या 6 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,23,75,06,000/- (सात अरब तेइस करोड़ पिचहत्तर लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पुलिस - मांग संख्या 16 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 - पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,04,29,62,000/- (बावन अरब चार करोड़ उनतीस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कारागार - मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 - कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,40,76,000/- (एक अरब छियालीस करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 24 मार्च, 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.40 बजे शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में स्वीकृत पेयजल परियोजनाएं

376. श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जिले में स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्य कब तक पूर्ण करना निर्धारित था? क्या निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं के लिये अब तक कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया और उक्त राशि में से कितना व्यय किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा नर्मदा परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण कर विधान सभा क्षेत्र शिव के रामसर व गडरा रोड के गांवों में पेयजल पहुंचा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की पेयजल समस्या के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न जल योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) अल्पकालिक उपायों के अंतर्गत जिले में तीन वित्तीय वर्षों में 387 योजनाओं की स्वीकृति के विरुद्ध 275 योजनाएं अब तक पूर्ण कर ली गई हैं। इन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्ण करने की निर्धारित अवधि संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(ब) दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत बाड़मेर जिले के 4 शहर/कस्बे (बाड़मेर, बालोतरा, समदड़ी, सिवाना) तथा 1295 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 4 वृहद् पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिले के 4 शहर/कस्बों तथा 1009 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु प्रगतिरत योजनाओं से अब तक बाड़मेर शहर एवं 140 ग्रामों को पूर्ण रूप से तथा समदड़ी कस्बे एवं 143 ग्रामों को आंशिक रूप से स्वच्छ नहरी पेयजल से अब तक लाभान्वित किया गया है। शेष 286 ग्रामों को नहरी स्वच्छ जल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

से लाभान्वित करने हेतु दिनांक 24.01.2017 को कार्यादेश जारी किया गया है।

परियोजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्ण करने की निर्धारित अवधि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

अनुबंधक फर्मों द्वारा पेयजल योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यों की गति धीमी रखने एवं निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर जिले में प्रगतिरत योजनाओं/परियोजनाओं को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार शीघ्र पूर्ण करने के यथा संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) बाड़मेर जिले हेतु तीन वित्तीय वर्षों में स्वीकृत लघु पेयजल योजनाओं पर माह फरवरी, 2017 तक राशि रुपये 40.96 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध रूपये 40.78 करोड़ की राशि व्यय की गई है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

जिले में 4 वृहद् पेयजल परियोजनाओं पर माह फरवरी, 2017 तक रुपये 2240.99 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध रूपये 2215.29 करोड़ का व्यय हुआ है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, शिव की तहसील शिव (वर्तमान में गडरा रोड) एवं रामसर के 205 ग्रामों को सतही जल स्रोत नर्मदा नहर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत संरचनाओं एवं कलस्टर वितरण प्रणाली के कार्यों हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 610.79 करोड़ की जारी की गई। इस परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु मैसर्स एनसीसी लिमिटेड, हैदराबाद को राशि रुपये 639.50 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 01.10.2013 को जारी किया गया। अनुबंधक फर्म द्वारा दिनांक 11.10.2013 से कार्य प्रारम्भ कर अब तक 27.00 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है। कार्यादेश अनुसार उक्त परियोजना दिनांक 10.04.2017 तक पूर्ण की जानी निर्धारित है परन्तु अनुबंधक फर्म द्वारा परियोजना के कार्यों को धीमी गति से निष्पादित करने एवं अन्य कारणों से वर्तमान आंकलन अनुसार यह परियोजना माह मार्च, 2019 तक पूर्ण करनी

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

अपेक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र शिव के 55 ग्रामों सहित तहसील चौहटन के कुल 188 ग्रामों को नर्मदा नहर से लाभान्वित करने हेतु की गई बजट घोषणा की अनुपालना में विभाग की नीति निर्धारण समिति की 197वीं बैठक दिनांक 25.04.2016 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वित्त विभाग द्वारा इसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07.09.2016 को जारी की गई है। परियोजना के बाह्य सहायता अंतर्गत वित्त पोषण सुनिश्चित होने पर परियोजना की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नई नाथ सिलिका माइन्स गेरोटा (सिकराय) का लीज प्रकरण

382. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की तहसील सिकराय के गेरोटा गांव में नई नाथ सिलिका माइन्स का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो उसकी लीज एवं ई.सी. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त माइन्स लीज गेरोटा गांव में स्वीकृत है लेकिन उक्त माइन्स को ग्राम भीमपुरा की राजस्व सीमा में चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त लीजधारक द्वारा तय गहराई से ज्यादा तथा सीमा से ज्यादा वन क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है तथा अभी तक डिमार्केशन कर स्थाई पोल भी नहीं गाड़े गये हैं? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दौसा जिले की तहसील सिकराय के गेरोटा गांव में सर्वश्री नईनाथ सिलिका माइन्स के पक्ष में खनिज सिलिका सैण्ड क्षेत्र 8.645 हैक्टेयर का खनन पट्टा संख्या (एमएल 2/93) स्वीकृत है, जिसमें खनन कार्य चल रहा है। खनन पट्टे की संविदा की प्रति परिशिष्ट 1 एवं पर्यावरण

(राज्य मंत्री, खान)

सहमति (ई.सी.) की प्रति परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा उक्त खनन पट्टा गेरोटा ग्राम के नाम से स्वीकृत किया गया है जो राजस्व ग्राम गेरोटा एवं भावगढ़ में आता है। खनन पट्टा क्षेत्र में इन्हीं राजस्व ग्राम की सीमा में खनन कार्य चल रहा है। उक्त खनन पट्टे को ग्राम भीमपुर की राजस्व सीमा में नहीं चलाया जा रहा है। ग्राम गेरोटा-भावगढ़ से ग्राम भीमपुर करीब 9 किलोमीटर दूरी पर है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त लीजधारक ने तय गहराई से ज्यादा तथा सीमा से ज्यादा वन क्षेत्र में खनन किया है तथा अभी तक डिमार्केशन कर स्थायी पोल नहीं गाड़े हैं। खनन पट्टाधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में अंकित Ultimate pit depth 55 मीटर तक खनन कार्य किया जा सकता है। पट्टाधारी द्वारा वर्तमान तक किये गये खनन की अधिकतम गहराई 36 मीटर है जो कि Ultimate pit depth से कम है तथा खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र में ही है। पट्टाधारी द्वारा वन क्षेत्र में भारत सरकार से वन डायवर्जन कराया जाकर नियमानुसार खनन किया जा रहा है। दिनांक 14.02.2017 को खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण खान विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया गया। मौका रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। मौके पर दो सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये तथा शेष चार सीमा स्तम्भ लगे हुए नहीं होने के कारण पट्टाधारी को सहायक खनि अभियंता द्वारा दिनांक 27.02.2017 को नियमानुसार विधिक चेतना पत्र जारी किया गया है। चेतना पत्र दिनांक 27.02.2017 परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

नाथद्वारा मंदिर मण्डल के लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण

384. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नाथद्वारा मंदिर मंडल में वर्तमान में कुल कितनी जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किस-किसके विरुद्ध किन कारणों से लंबित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नाथद्वारा मंदिर मंडल के पदेन अध्यक्ष एवं तिलकायत के निजी सचिव (मुख्य सचिव) को राज्य सरकार/नाथद्वारा मंदिर मंडल ने मुख्य निष्पादन अधिकारी को आदेश प्रदान करने तथा सीधे पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो कब और किस आदेश के अंतर्गत व नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नाथद्वारा मंदिर मंडल की विभिन्न अचल संपत्तियों/बहुमूल्य ज्वैलरी आदि का भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन नहीं करने तथा उनको बैलेंस शीट में नहीं दर्शाने के लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नाथद्वारा मंदिर मंडल में हो रही आवास, वाहनों एवं निर्माण सहित विभिन्न अनियमितताओं पर कार्यवाही करने तथा नाथद्वारा मंदिर मंडल अधिनियम व नियमों में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त मंदिर मंडल द्वारा किस-किस संस्था/व्यक्ति को किन-किन शर्तों पर भूमि इत्यादि दान दी गई है या नाममात्र के शुल्क व किराए पर आवंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त मंदिर मंडल के मथुरा भंडार के अंतर्गत कुल कितनी अचल

(श्री कल्याण सिंह चौहटन)

सम्पत्ति/बहुमूल्य ज्वैलरी है तथा उन पर वर्तमान में किस-किस का भौतिक कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त मंदिर मंडल के कुल कितने मामले विभिन्न राजस्व/सिविल न्यायालयों/अपीलीय अधिकरणों, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल में 08 कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूची परिशिष्ट 1 पर ए-1 एवं ए-2 पर सलंग्न है।

(2) जी नहीं। नाथद्वारा मन्दिर मण्डल के पदेन अध्यक्ष एवं तिलकायत के निजी सचिव (मुख्य सचिव) को राज्य सरकार/नाथद्वारा मन्दिर मण्डल ने मुख्य निष्पादन अधिकारी को आदेश प्रदान करने तथा सीधे पत्र व्यवहार करने हेतु राज्य सरकार/नाथद्वारा मन्दिर मण्डल द्वारा किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है। सभी ऐसे पत्र तिलकायत महाराजश्री की आज्ञा के हवाले से लिखे जाते हैं। इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल की विभिन्न अचल सम्पत्तियों/बहुमूल्य ज्वैलरी आदि का भौतिक सत्यापन मुखियाजी के स्थानान्तरण के समय चार्ज आदान-प्रदान के रूप में किया जाता रहा है। अलग से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

नाथद्वारा मन्दिर की ज्वैलरी का भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु मन्दिर मण्डल की बैठक दिनांक 25.11.2011 में ज्वैलरी के भौतिक सत्यापन के लिए श्री सुधाकर शास्त्री, अधिकारी, श्री कृष्ण भण्डार, योगेश भाई शाह, सदस्य मन्दिर मण्डल एवं मुख्य निष्पादन अधिकारी की एक कमेटी का गठन किया गया। मण्डल निर्णयानुसार भौतिक सत्यापन के लिए मण्डल सदस्य को समय-समय पर अनुरोध किया गया, किन्तु उनकी व्यस्तता से भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.09.2013 से मन्दिर मण्डल का पुनर्गठन किया गया।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

उक्त अधिसूचना पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 12508/13 दायर हुई एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना पर स्थगन आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् रिट पिटीशन पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2015 को पारित आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.01.2015 से पूर्व मण्डल गठन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 25.09.2013 को विड्रा किया गया। इससे दिनांक 25.09.2013 से 22.01.2015 तक मन्दिर मण्डल के सदस्य अस्तित्व में नहीं रहे, जिससे भी भौतिक सत्यापन का कार्य नही हो सका।

तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.01.2015 जारी कर नये बोर्ड का गठन किया गया। दिनांक 13.02.2017 से पुन: एक कमेटी का गठन किया गया है परिशिष्ट-2 पर 2 पृष्ठों में संलग्न है। उक्त कमेटी शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करेगी।

(4) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल में आवास, वाहनों, निर्माण सहित विभिन्न विभागों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। अनियमितता पाये जाने की स्थिति में वर्तमान में नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, नियम में पर्याप्त कानूनी प्रावधान है तथा इनमें किसी प्रकार के के संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन की आवश्यकता नहीं है।

(5) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल द्वारा जिन-जिन संस्थओं/व्यक्ति आदि को भूमि इत्यादि दान दी गई है/नाम मात्र के शुल्क/किराये पर आवंटित की गई की सूची परिशिष्ट 3 एवं 4 तथा अनुबन्ध की प्रतियॉ परिशिष्ट 5 पर पृष्ठ 7 से 25 तक संलग्न है।

(6) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल की मथुरा भण्डार के अन्तर्गत 21 पृष्ठों की अचल सम्पत्ति की सूची परिशिष्ट 6 पर पृष्ठ 26 से 46 तक संलग्न है, जो मंदिर मण्डल द्वारा किराये पर दी हुई है। मथुरा भण्डार पर किसी प्रकार की बहुमुल्य ज्वैलरी नहीं है।

(7) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल के विभिन्न राजस्व/सिविल न्यायालयों/ अपीलीय अधिकरणों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की सूची परिशिष्ट 7 पर पृष्ठ 47 से 62 तक संलग्न है।

(सूची/विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर में खराब ट्यूबवैलों की मरम्मत

385. श्री विजय बंसल पप्पू बन्डा (भरतपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सही है कि विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पेयजल के स्त्रोत (हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल) लम्बे समय से खराब हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी गर्मी के मौसम के मद्देनजर उक्त खराब हैण्डपम्पों एवं ट्यूबवैलों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में दिनांक 15.03.2017 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं अंतर्गत मरम्मत योग्य खराब पाये गये 9 हैण्डपम्पों संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

क्षेत्र की शहरी पाइप्ड जल योजना अंतर्गत निर्मित समस्त 15 नलकूप वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं।

क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित व संधारित 52 ग्रामीण पेयजल योजनाओं में निर्मित समस्त 56 नलकूप वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित व संधारित की जा रही 19 जनता जल योजनाओं में निर्मित कुल 19 नलकूपों में से 9 नलकूप वर्तमान में बंद हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा प्रदेश में दिनांक 01.04.2016 से चल रहे 40वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान उक्त क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण में मरम्मत योग्य खराब पाये गये कुल 451 हैण्डपम्पों की शिकायतों में से अब तक 442 प्रकरणों में मरम्मत कर सुधारा गया है। उक्त मरम्मत योग्य खराब 9 हैण्डपम्पों सहित क्षेत्र में समय-समय पर खराब होने वाले अन्य हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य अभियान में सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

उक्त क्षेत्र की पंचायत समिति, सेवर के ग्राम खैमरा सहित क्षेत्र के 5 ग्रामों हेतु जनता जल योजना के सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु राशि रुपये 40.00

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 15.09.2015 को जारी की गई थी।

ग्राम खैमरा में उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत एक नलकूप के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं कराने के अभाव में इसका निर्माण नहीं कराया जा सका है। क्षेत्र की शेष 8 बंद जनता जल योजनाओं को पुन: चालू करने हेतु इन योजनाओं से संबंधित बकाया विद्युत राशि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा जमा कराई जाकर विभाग में अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत इन योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव बनाया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कपासन में अजवाइन मण्डी खोलने की योजना

386. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कपासन मुख्यालय की कृषि मण्डी में अलग से अजवाइन मण्डी खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कपासन में अजवाइन मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, कपासन के मण्डी प्रांगण में ही रिक्त 3 बीघा भूमि पर अजवाइन जिन्स विशिष्ठ मण्डी हेतु 6 दुकान मय गोदाम मय प्लेटफार्म, 19 दुकान मय प्लेटफार्म, कवर्ड आक्शन प्लेटफार्म, चैकपोस्ट, गेट, प्याऊ, कियोस्क, टायलेट ब्लाक एवं आन्तरिक सड़कें चिन्हित कर ली गई हैं। अजवाइन जिन्स विशिष्ठ मण्डी हेतु चिन्हित भूखण्डों के प्रथम चरण के आवंटन हेतु मण्डी समिति द्वारा दिनांक 16.3.2017 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

(2)जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, कपासन के मण्डी प्रांगण में

(कृषि विपणन मंत्री)

जिन्स विशिष्ठ मण्डी हेतु चिन्हित भूखण्डों के प्रथम चरण के आबंटन हेतु मण्डी समिति द्वारा दिनांक 16.3.2017 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

बिलाड़ा में सी.डी.पी.ओ. का रिक्त पद

387. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालकों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी कब-कब से व उनका संचालन किस प्रकार किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने कब से एवं उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितनी आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं तथा इनके कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है? यदि हां, तो उक्त योजनाओं का किस प्रकार संचालन किया जा रहा है?

(4) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहायोगिनी का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाऐं के अन्तर्गत संचालित की जा रही योजनाओं एवं उनके संचालन का विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं महिला अधिकारिता द्वारा संचालित योजनाओं एवं उनके संचालन का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। प्रदेश में अन्य विभागों में संचालित महिला एवं बालकों के विकास की योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगिनियों के स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) जी हां। बाल विकास परियोजना अधिकारी, बिलाड़ा का पद दिनांक 14.06.2013 से रिक्त है। उक्त पद का कार्यभार निकट के बाल विकास परियोजना अधिकारी को दिया जाकर कार्य संचालित किया जा रहा है।

(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहायोगिनी का समय-समय पर मानदेय बढ़ाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 400 रु. तथा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 250 रु. की वृद्धि की गई थी। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहायोगिनी का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना

388. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड विस्तार हेतु सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो कब व उक्त स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय हुई तथा शेष राशि व्यय नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पावटा स्थित सब्जी मण्डी को भदवासिया शिफ्ट कर उक्त स्थान पर अन्तरराष्ट्रीय बस स्टैण्ड बनाए जाने की योजना सरकार के प्रस्तावित थी? यदि हां, तो उक्त स्थान से सब्जी मण्डी स्थानान्तरित नही करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भदवासिया स्थित रोडवेज वर्कशॉप को अब तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व उक्त वर्कशाप को अब कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा 2013-14 में राशि 40.00 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर में नवीन बस टर्मिनल के निर्माण कराने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में वित्त विभाग द्वारा 10.00 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त

(परिवहन मंत्री)

ऋण व 10.00 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि निगम को उपलब्ध करवाई जानी थी। राज्य सरकार द्वारा माह सितम्बर 2013 में राशि 5.00 करोड़ रुपये का उक्त मद में ब्याजमुक्त ऋण राजस्थान परिवहन निगम को उपलब्ध करवाया गया। उक्त बस स्टैण्ड के विकास कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि निगम को उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्राप्त राशि में से कोई व्यय नहीं किया गया।

(2) जी हां। पावटा जोधपुर स्थित सब्जी मण्डी को भदवासिया शिफ्ट कर सब्जी मण्डी की भूमि पर बस स्टैण्ड बनाये जाने की योजना प्रस्तावित थी।

जोधपुर में पावटा स्थित फल सब्जी मण्डी प्रांगण की भूमि रोडवेज बस स्टैण्ड के विस्तार एवं विकास के लिये देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक दिनांक 07.02.2013 में निर्षीत किया गया था। बैठक निर्णय की क्रियान्वित हेतु फल सब्जी मण्डी प्रांगण पावटा के आवंटी व्यवसायियों को मण्डी प्रांगण भदवासिया एवं जीरा मण्डी के पास उपलब्ध भूमि मे चिन्हित भूखण्डो का आवंटन, आवंटन समिति की बैठक दिनांक 14.06.2016 में किया जा चुका है। उक्त यार्डो में मूलभूत सुविधाओं हेतु 14 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। पावटा मण्डी प्रांगण के व्यवसाय स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। भदवासिया स्थित रोडवेज वकशॉप को देसुरीयान-विश्नोईयान में स्थानान्तरित किये जाने के लिये निगम को 17 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा उक्त भूमि पर कार्यशाला के लिए चारदीवारी व विभिन्न इकाइयों हेतु प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण कार्य सम्पादित करवाया जा चुका है।

परन्तु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रस्तावित बस स्टैण्ड हेतु पावटा फल-सब्जी मण्डी स्थित 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि का कब्जा निगम को सुपुर्द किये जाने एवं बस स्टैण्ड एवं केन्द्रीय कार्यशाला के निर्माण कार्य हेतु राशि उपलब्ध होने पर निगम की वर्तमान भदवासिया स्थित केन्द्रीय कार्यशाला को स्थानान्तरित किया जा सकेगा जो कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

झाड़ोल के वन क्षेत्र में संचालित परियोजनाएं

389. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के अन्तर्गत वन विभाग के कितने व कौन-कौनसे रेंज आते हैं? उक्त रेंजों में वित्तीय वर्ष 2013-2014 से 2015-16 तक विभिन्न योजनाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी? उक्त राशि से कितने कार्य शुरू हुए, कितने प्रगति पर हैं व कितने शुरू होना शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में वर्तमान में कितने श्रमिक कार्यरत हैं तथा उक्त श्रमिकों को कितने समय का भुगतान कर दिया गया है तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है व क्यों? श्रमिकों की संख्या, पखवाड़ेवार भुगतान व मस्टररोल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के अन्तर्गत वन विभाग की आठ रेंज स्थित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

नाम कार्यालय	रेंज का नाम
उप वन संरक्षक, उदयपुर	1. फलासिया 2. ओगणा 3. झाड़ोल
उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	4. कोटड़ा 5. कूकावास
उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर (उत्तर)	6. कोटड़ा 7. पानरवा 8. मामेर

इस विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि एवं कार्यों से संबंधित रेंजवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 ए, 1 बी, व 1 सी अनुसार है।

(2) वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य स्थानीय ग्राम्य वन सुरक्षा एवं

(वन मंत्री)

प्रबंध समितियों के माध्यम से कराये जाते हैं जिसमें श्रमिकों का सीधा नियोजन वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों द्वारा कराये गये कार्यों के बिल संबंधित उप वन संरक्षक कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने पर बिलों की राशि का भुगतान रेखांकित चैक/डीडी के माध्यम से समिति को किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 में वन विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सभी कार्यों का भुगतान रेखांकित चैक/डीडी के माध्यम से संबंधित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों को किया जा चुका है और कोई भुगतान शेष नहीं है। किन्तु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना में संलग्न परिशिष्ट "2" अनुसार स्वीकृत कार्यों की राशि 34.64 लाख रुपये का भुगतान बकाया है। जनजातीय विकास योजना अन्तर्गत फण्ड प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण

390. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहरी जमीन पर कई मुरब्बों में बिना खाले के अथवा कच्चे खालों से सिंचाई की जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त नहरी क्षेत्र में ऐसे मुरब्बों को चिह्नित कर पक्के खालों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस हेतु पक्का खाला निर्माण करवाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

जालौर जिले में नियम विरुद्ध संचालित क्रैशर

391. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले में कितने ऐसे खनिज क्षेत्र हैं, जिनमें सेन्ड-स्टोन व अन्य पत्थर के क्रैशर लगे हुए हैं? क्या उक्त सभी क्रैशर ऑपरेटरों द्वारा विधिवत विद्युत सम्बन्ध सहित पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त करने के साथ, सभी शर्तों की पालना की जा रही है? यदि हां, तो इसकी जांच कब एवं किसके द्वारा की गई व किस-किस क्रैशर ऑपरेटर के विरुद्ध कब एवं किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में भी पर्यावरण विभाग की विधिवत अनुमति के अभाव अथवा नियमों के विरुद्ध में चल रहे क्रैशर उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में 13 खनिज क्षेत्रों में खनिज मेसनरी स्टोन, रायोलाइट व जस्पर के क्रेशर लगे हुए है, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इन 13 क्रैशरों में से 12 क्रैशरों में विधिवत विद्युत कनेक्शन ले रखा है व 1 क्रैशर में विद्युत कनेक्शन नहीं है, जिसे जनरेटर से संचालित किया जा रहा है। उक्त 13 क्रैशरों में से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 1 क्रैशर में स्थापना सम्मति तथा 4 क्रैशर में संचालन सम्मति जारी की गई है। इन क्रैशरों द्वारा स्थापना/संचालन सम्मति की शर्तों की पालना नहीं करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग बंद करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, का विवरण की परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। 8 क्रैशरों द्वारा स्थापना/संचालन सम्मति प्राप्त नहीं की गई है। इनमें से 4 क्रैशरों के द्वारा स्थापना/संचालन सम्मति प्राप्त नहीं करने अथवा पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं

(राज्य मंत्री, खान)

नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(अ) के अन्तर्गत उद्योग बंद करने के आदेश जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ऐसे क्रैशर उद्योग जिन्होंने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना/संचालन सम्मति नहीं ली है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान नियमों में किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ऐसे उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(अ) के अन्तर्गत उद्योग बंद करने के आदेश जारी करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले में राशन डीलरों द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में अनियमितता

392. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेगें:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में विभागीय अधिकारियों एवं राशन डीलरों की मिलीभगत के कारण समय पर खाद्य सामग्री आमजन को उपलब्ध नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डीलरों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्षों में उक्त जिले में किन-किन राशन डीलरों के स्टॉक एवं सप्लाई आदि की प्रक्रिया की कब-कब एवं किन-किन अधिकारियों के द्वारा जांच की गई व कितने राशन डीलर दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में अधिकारियों, प्रवर्तन निरीक्षकों एवं कर्मचारियों के पर्याप्त पदों के अभाव में सुचारू एवं सुनियोजित राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जनसंख्या एवं राशन कार्ड एवं अन्य विभागीय मानदण्डानुसार जिले में उक्त सभी संवर्गवार पदों का अतिरिक्त आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(2) अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा उचित मूल्य दुकानों के नियमित निरीक्षण किये जाते हैं। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। साथ ही शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच करवाकर शिकायतों का निराकरण किया जाता है। यदि कोई गंभीर शिकायत पायी जाती है, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (मुख्यालय) स्तर से जांच दल गठित कर उच्चस्तरीय जांच करवाई जाती है।

गत तीन वर्षों में अजमेर जिले में जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा की गई जांच एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) अजमेर जिले में जिला रसद अधिकारी के दो पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक पद जिला रसद अधिकारी(द्वितीय) का रिक्त है। जिला रसद अधिकारी के पद का कैडर रिव्यू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमों में संशोधन की कार्यवाही चल रही है।

जिला रसद कार्यालय, अजमेर में प्रवर्तन अधिकारियों के पांच पद स्वीकृत हैं, जिनमें से दो पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को प्रवर्तन निरीक्षकों की पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला रसद कार्यालय, अजमेर में प्रवर्तन निरीक्षकों के 15 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 पद रिक्त हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रवर्तन निरीक्षकों के चयन के लिए अर्थना भेजी हुई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में स्थित लोहार्गल धाम का विकास

393. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों हेतु वर्ष 2016-17 में

(डा. राजकुमार शर्मा)

कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया और उसके विरुद्ध किस-किस धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल पर कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में स्थित लोहार्गल धाम ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख धार्मिक स्थल है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धाम को विकसित करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश के प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2016-17 में राशि रु. 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया।

बजट प्रावधान अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने वाले 6 (छह) कार्यों के लिए 106.81 लाख रु. सार्वजनिक निर्माण विभाग के मद में जमा करा दिये गये तथा आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से कराये जाने वाले कार्य मंदिर श्री केशव राय पाटन के विकास हेतु 150.00 लाख रु. आर.एस.आर.डी.सी. को जमा करा दिये गये एवं विभागीय स्तर से कराये जाने वाले 24 कार्यों के लिए 216.10 लाख रु. का बजट संबंधित सहायक आयुक्तों को आवंटित कर दिया गया है। शेष 27.9 लाख के 3 कार्य टीएसपी क्षेत्र के यथा मन्दिर श्री विजय राघव जी प्रतापगढ़ के लिए 9.09 सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर तथा राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिर श्री वनेश्वर महादेव जी, बांसवाड़ा के 10.00 लाख एवं मंदिर श्री मुरली मनोहर जी, घुघरा, डूंगरपुर के लिये 8.00 लाख सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव को बजट आवंटित किया गया, जिसके विरुद्ध व्यय राशि का अंकन संलग्न परिशिष्ट-1 में किया गया है।

वर्ष 2016-17 में राजकीय निम्नांकित आत्म निर्भर मंदिरों के विकास/मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई:-

1. मंदिर श्री कैलादेवी झीलकावाड़ा 1.54 लाख रु.
2. मंदिर श्री गंगश्याम जी, जोधपुर 6.00 लाख रु.
3. मंदिर श्री मदनमोहन लाल जी, जोधपुर 5.15 लाख रु.

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

4. मंदिर श्री मण्डलेश्वर महादेव, जोधपुर 2.00 लाख रु.

5. मंदिर श्री चारभुजा जी गढबोर 520.00 लाख रु.

विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में स्थित लोहार्गल धाम देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय धार्मिक स्थल नहीं है। लोहार्गल धाम को विकसित करने हेतु वर्तमान में योजना विचाराधीन नहीं है। बजट आबंटन होने पर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम

394. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में पेयजल योजनाओं से कितने ग्रामों को लाभान्वित किया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जल प्रदाय योजनाओं पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी है? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में किन-किन शहरों में पेयजल योजनाओं पर कुल कितना व्यय हुआ? वर्षवार व शहरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में वृहद् पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त पूर्ण की गई अन्य पेयजल योजनाओं अंतर्गत प्रदेश के पेयजल से जिलेवार लाभान्वित हुए ग्रामों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत उक्त अवधि में वृहद् पेयजल परियोजनाओं से 5 कस्बे एवं 1523 ग्रामों को लाभान्वित करने का परियोजनावार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत पूर्ण की गई अन्य पेयजल योजनाओं पर व्यय की गई राशि का जिलेवार एवं वर्षवार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में वृहद् पेयजल परियोजनाओं पर रुपये 7497.36 करोड़ की राशि का व्यय हुआ है। परियोजनावार एवं जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(3) प्रदेश के शहरी क्षेत्र अंतर्गत वृहद् पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पेयजल योजनाओं पर पूंजीगत एवं संधारण मद में कुल रुपये 1488.88 करोड़ की राशि का व्यय हुआ। शहरवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। वृहद् पेयजल परियोजनाओं में व्यय शहर/ग्रामवार न होकर परियोजनावार होता है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्रदूषित पानी से की जा रही खेती को रोकने की योजना

395. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के जोधपुर, पाली, अजमेर व जयपुर के आस-पास स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी व सीवरेज लाइनों से निकलने वाले गन्दे पानी से उक्त शहरों के आस-पास की हजारों बीघा भूमि पर खेती की जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त शहरों में प्रदूषित पानी से की जा रही खेती पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश के जोधपुर, पाली, अजमेर व जयपुर शहरों के आस-पास प्रदूषित पानी को भी खेती में काम में लेने की प्रवृति विद्यमान है।

(2) उक्त शहरों में कृषि उत्पादों की मांग तथा इनके उत्पादन से जुड़े कृषकों के हितों को मध्यनजर रखते हुए शहर के प्रदूषित व गन्दे पानी को उपचार संयंत्रों द्वारा उपचारित कर छोड़ने से समस्या का आशातीत समाधान सम्भव है।

(कृषि मंत्री)

उक्त शहरों में प्रदूषित व गन्दे पानी को उपचारित करने हेतु स्थापित/निर्माणाधीन उपचार संयंत्रों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

396. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में निम्नांकित आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं-

क्र. सं.	परियोजना	संचलित केन्द्र		कुल केन्द्र
		मुख्य	मिनी	
1	भीम	146	08	154
2	देवगढ़	103	03	106
3	राजसमन्द शहर (नगर पालिका देवगढ़)	15	0	15
	कुल योग	**264**	**11**	**275**

(2) जी हां। विभाग द्वारा मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं नोर्म्स के अनुसार प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। भीम परियोजना में जनसंख्या की पात्रता पूर्ण करने वाले ग्राम नवल्या पग, ग्राम सेलीखेड़ा व ग्राम लाम्बाचौड़ा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एकलिंगपुरा से झामर कोटड़ा सड़क को फोरलेन करने की योजना

397. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामिण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में एकलिंगपुरा से झामर कोटड़ा रोड तक सड़क बनाई गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़क पर कलडवास रीको एरिया, उमरड़ा रीको एरिया व झामर कोटड़ा माइन्स के भारी वाहनों का आवागमन रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को फोरलेन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में एकलिंगपुरा से झामर कोटड़ा सड़क की कुल लम्बाई 20 किमी. है, जिसमें से एकलिंगपुरा से बाघदड़ा चौराहा सड़क की लम्बाई 13 किमी. है। जिसका निर्माण वर्ष 1977-78 में किया गया तथा अपग्रेडेशन का कार्य वर्ष 2009-10 में हुआ। बाघदड़ा से झामर कोटड़ा 7 किमी. एस.एच.-49ए का भाग है, जो वर्ष 1977-78 में बनी है। जिसके 4 किमी. का नवीनीकरण वर्ष 2012-13 एवं 3 किमी. का नवीनीकरण वर्ष 2015-16 में किया गया। वर्तमान में डामर सड़क की चौड़ाई 5.50 मीटर है।

(2) जी हां। उक्त सड़क की नवीनतम यातायात गणना 8763 पी.सी.यू. है, जो फोरलेन करने हेतु आवश्यक पी.सी.यू. 10000 से कम है। अत: वर्तमान में उक्त सड़क का फोरलेन निर्माण कार्य किया जाना विचाराधीन नहीं है। उक्त सड़क का फोरलेन निर्माण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

बारां में खेलकूद गतिविधियों पर व्यय राशि

398. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामपाल)

(1) प्रदेश में किस-किस जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला मुख्यालय बारां में खेलकूद की गतिविधियों के लिए गत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्य करवाये गये व उन पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिला मुख्यालय में तैराकी एवं जल क्रीड़ा विकास के लिए क्या कार्य किये गये एवं क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय धौलपुर, कोटा एवं सिरोही पर युवा मामले एवं खेल विभाग/ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/ जिला क्रीड़ा परिषद् के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन स्टेडियम नहीं है।

(2) गत 5 वर्षों में बारां जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति राशि का विवरण निम्नानुसार है:- (राशि लाखों में)

क्र.सं.	प्राप्त हुई स्वीकृतियां			जारी की गई राशि		
	विभाग का नाम जहां से राशि प्राप्त हुई	स्वीकृति संख्या	राशि	परिषद् का पंत्राक	विभाग जिसे राशि जारी की गई	राशि
1.	युवा मामले एवं खेल विभाग	प.11(5)खेल/ 2008 दिनांक 19.08.2008	8.00	524 दिनांक 19.03.2014	राविल	8.00
2.	युवा मामले एवं खेल विभाग	प.10(11)खेल/ 2007 दिनांक 24.11.2011	21.00	317 दिनांक 06.01.2012	राविल	21.00
3.	जिला परिषद् बारां	194 दिनांक 21.01.2010	25.00	524 दिनांक 19.03.2014	राविल	25.00

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

उक्त राशि से स्टेडियम निर्माण एवं उन्नयन का कार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में चारदीवारी का निर्माण, 400 मीटर का ट्रेक, बास्केटबाल, वॉलीबाल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो मैदान, टेनिस कोर्ट, तरणताल एवं कार्यालय भवन का निर्माण करवाया गया है जिस पर राशि रुपये 176.00 लाख जारी किये गये।

(3) जिला मुख्यालय बारां में तैराकी हेतु तरणताल का निर्माण कार्य करवाया गया है।

खैरवाड़ा में नवीन एनीकटों का निर्माण

399. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में घोड़ाखोज बांध, दो नदी बांध, गोदावरी बांध एवं सोमकागदर बांध से जुड़ी मुख्य एवं सहायक नहरों की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त बांधों से निकालने वाली नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए गत तीन वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई? क्या सरकार सिंचाई व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में कौन-कौन से एनीकट कहां-कहां स्वीकृत हुए तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई व कितने नवीन एनीकटों के निर्माण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? उक्त प्रस्तावित एनीकटों की वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा में स्थित घोड़ाखोज, दो नदी बांध, गोदावरी बांध एवं सोमकागदर बांध से जुड़ी मुख्य एवं सहायक नहरों की वर्तमान स्थिति व सुदृढ़ीकरण हेतु गत तीन वर्षो में आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जी हां। निर्मित नहरों से प्रस्तावितानुसार क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार मरम्मत एवं

(जल संसाधन मंत्री)

सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों के दौरान एनीकट निर्माण कार्य स्वीकृत नही हुए हैं। वर्तमान में पंचायत समिति सेमारी में आंवली एनीकट का निर्माण कार्य मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत है।

खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में घाटकोण एनीकट ग्राम पंचायत गदावत पंचायत समिति ऋषभदेव में निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु टी.ए.सी. अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। टी.ए.सी. अनुमोदन पश्चात संसाधन उपलब्धतानुसार स्वीकृति जारी की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं जिले में जारी खनन पट्टे

400. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुन्झुनूं जिले में कब-कब, किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने हैक्टेयर के खनन पट्टे जारी किये गए हैं तथा वर्तमान में उक्त में से कितनी खानों में खनन कार्य चालू है तथा कितनी बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष में कौन-कौनसी खानों के लिए किन-किन को रवन्ना बुक जारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में कुल 485 खनन पट्टे अब तक जारी किये गये हैं। पट्टाधारी का नाम, खनन पट्टे की अवधि एवं क्षेत्रफल का विवरण सहित सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। स्वीकृत 485 खनन पट्टों में से वर्तमान में 180 खनन पट्टों में खनन कार्य चालू है तथा शेष 305 खनन पट्टों में खनन कार्य बंद है।

(2) झुन्झुनूं जिले में प्रभावशील खनन पट्टों में से गत एक वर्ष में कुल 168 खनन पट्टों में पट्टाधारी अथवा पट्टाधारी द्वारा नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधि के आवेदन पर नियमानुसार रवन्ना बुक जारी की गई। सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राशन की दुकानों पर माइक्रो ए.टी.एम. लगाने की योजना

401. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में राशन की दुकानों पर माइक्रो ए.टी.एम. लगाने की योजना है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किन-किन फर्मों से किन-किन शर्तों पर कितनी-कितनी राशि का अनुबंध किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब कब व क्या-क्या? शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस स्तर पर व इससे राजकोष को कितना नुकसान हुआ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर माइक्रो ए.टी.एम. मशीनों की सप्लाई संबंधी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रत्युत्तर अपेक्षित नहीं है।

(3) प्रत्युत्तर अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश के प्राचीन मंदिरों के जीर्णाद्धार पर व्यय राशि

402. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग के अधीन कौन-कौनसे मंदिर पंजीकृत हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत मंदिरों में दिसम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2017 तक प्रतिवर्ष चढ़ावे के रूप में कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा प्राप्त राजस्व का सरकार द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा दिसम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2017 तक प्राचीन

(श्री बाबू सिंह)

मंदिरों को प्रतिवर्ष कितना बजट, किस मद के लिए दिया गया तथा उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार पर किस किस मंदिर पर, कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के 203 मंदिर हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट 1 (पृष्ठ 1 से 23) पर सलंग्न है।

(2) मंदिरों में दिसम्बर, 2013 से अब तक प्रतिवर्ष चढ़ावे के रूप में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:- (राशि लाखों में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1	रा.प्र.प्र.	21.38	26.40	29.20	20.05
2	रा.आ.श्रे.	306.81	379.35	348.90	315.73

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों से प्राप्त राजस्व विभागीय आय मद में तथा राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों से प्राप्त आय निजी निक्षेप खाते में जमा कराई जाती है तथा स्वीकृत बजट अनुसार कार्मिकों के वेतन, यात्रा भत्ता मंदिरों में नेवैद्य आरोगण, प्रकाश (विद्युत व्यवस्था), साफ सफाई, पूजा-अर्चना उत्सव, पोशाक एवं सुरक्षा एवं संचालन, मंदिरों में लगने वाले मेलों की व्यवस्था मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण पर व्यय किया जाता है।

(3) दिसम्बर 2013 से प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत बजट एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 2 (पृष्ठ 1 से 5) पर संलग्न है।

(सूची/विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर जिले में कृषकों को कृषि यंत्रों हेतु देय अनुदान

410. श्रीमती अनिता कटारा (सगवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर जिले में उक्त योजनाओं के माध्यम से गत 3 वर्षों में कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया? संख्या सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कृषि के उपयोग में आने वाले कौन-कौनसे कृषि यंत्रों पर कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? गत तीन वर्षों में उक्त जिले के कितने कृषकों को कृषि यंत्रों पर कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला डूंगरपुर में उक्त योजनाओं के माध्यम से गत 3 वर्षों में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा लाभान्वित कृषकों की सूचियां क्रमश: परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न हैं।

(3) कृषि के उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा कृषकों को कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा देय अनुदान राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-4 एवं 5 पर संलग्न है। विगत तीन वर्षों में जिला डूंगरपुर में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान एवं लाभान्वित कृषकों की सूची क्रमश: परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में किसानों को धोरा निर्माण एवं तारबंदी के लिये देय अनुदान

411. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में किस-किस कृषि कार्य के लिये कितना-कितना अनुदान किस-किस कृषक को दिया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषकों को अपने खेत की तारबंदी या धोरा निर्माण कार्य हेतु पूर्व में अनुदान दिया जाता था? यदि हां, तो किस नियम के तहत तथा इसे बंद करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों को पूर्व की भांति अपने खेत की तारबंदी व धोरा निर्माण करने हेतु अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कृषि कार्यों के उपयोग हेतु कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा योजनावार, कार्यक्रमवार एवं ग्रामवार लाभान्वित कृषकों एवं दिये गये अनुदान का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कृषकों को अपने खेत की तारबंदी या धोरा निर्माण कार्य हेतु कृषि विभाग द्वारा गत वर्षों से ही अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा कृषकों को सिंचाई स्त्रोत से खेत क्यारी तक पानी ले जाने हेतु सिंचाई पाइप लाइन पर लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपये 50/- प्रति मीटर एचडीपीई पाइप पर, राशि रुपये 35/- प्रति मीटर पीवीसी पाइप पर, राशि रुपये 20/- प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड वोवन ले-फ्लेट ट्यूब पाइप पर अथवा अधिकतम राशि रुपये 15000/- प्रति कृषक अनुदान देय है।

(3) कृषकों को अपने खेत की तारबंदी या धोरा निर्माण कार्य हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा नहीं किये जाने के कारण इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तावित नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के कृषकों को बीमा कम्पनियों द्वारा मुआवजे का भुगतान

412. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2016-17 में प्रदेश में कितने किसानों ने फसल बीमा कराया एवं उसके पेटे कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 1 अप्रेल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक कितने कृषकों ने मुआवजे हेतु बीमा कम्पनियों में आवेदन किया और कितने कृषकों को कितनी राशि का मुआवजा बीमा कम्पनियों द्वारा जारी किया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित कृषक/कृषक पॉलिसी संख्या, अधिसूचित बीमित क्षेत्र, कृषक प्रीमियम राशि, राज्यांश एवं केन्द्रीयांश प्रीमियम राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

खरीफ 2016 के बीमा क्लेम की गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 राज्य के सम्पूर्ण 33 जिलों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन किया गया है। इस योजनान्तर्गत खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 में बीमित कृषक/कृषक पॉलिसी संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

खरीफ 2016 के बीमा क्लेम भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं रबी 2016-17 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत पूर्व निर्धारित जोखिम अवधि समाप्ति एवं राजस्व मण्डल से फसल कटाई प्रयोगों के समंक प्राप्ति के पश्चात बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम की गणना किए जाने की प्रक्रिया है। राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से अभी तक फसल कटाई प्रयोगों के समंक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रणथम्भौर व सरिस्का में बाघों की मॉनिटरिंग

413. श्री रमेश (सपोटरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(1) गत पांच वर्षों में रणथम्भौर से कुल कितने बाघ गायब हुए? क्या उनकी सघन जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा सरिस्का एवं रणथम्भौर में बाघ संरक्षण एवं वन क्षेत्र के पास के गांवों के विस्थापन हेतु जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में विगत पांच वर्षों में जिन बाघों के साक्ष्य लगातार प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी विगत परिशिष्ट 1 में दी गई है। बाघों के गायब होने के संबंध में वन्य जीव विशेषज्ञों का आकलन है कि लगभग 20 प्रतिशत बाघों का प्रति वर्ष विभिन्न प्राकृतिक कारणों से मारा जाना अथवा अन्य स्थानों को प्रवर्जन कर जाना सामान्य है।

(2) रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की मोनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियत प्रोटोकाल के अनुसार मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था है। मॉनिटरिंग प्रोटोकाल की प्रति परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है।

(3) टाइगर रिजर्व में जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 तक बाघ संरक्षण हेतु :

(1) सुरक्षा एवं मॉनिटरिंग कार्य किये गये।

(2) वनों पर निर्भरता कम करने के लिये आसपास के ग्रामों में रसोई गैस वितरण किया जा रहा है।

(3) रणथम्भौर बाघ परियोजना में ग्राम कठूली (151 परिवार) व भिड (139) को पूर्णत: विस्थापित किया गया। आंशिक रूप से ग्राम भीमपुरा, डंगरा, उंची गवाडी व कालीभाट विस्थापित किये गये एवं कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में कॉरीडार क्षेत्र के तीन ग्रामों काला खोर्रा, तालड़ा खेत, गढ़ी को वरीयता पर विस्थापित करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

(वन मंत्री)

(4) सरिस्का बाघ परियोजना के क्रिटिकल टाइगर हैबीटाट में बसे कांकवाड़ी, उमरी, सुकोला, डाबली, हरिपुरा, क्रास्का एवं देवरी से माह जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 तक 105 परिवारों को पूर्ण रूप से अन्यत्र विस्थापित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद-अजमेर घाटी को पुष्पघाटी बनाने की योजना

414. श्री रामनारायण (नसीराबाद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नसीराबाद- अजमेर घाटी में पौधारोपण करके पुष्पघाटी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त घाटी का पुष्प पौधारोपण करके किया गया विकास अब पूर्णतया नष्ट हो चुका है? यदि हां, उक्त पुष्प घाटी के नष्ट होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नसीराबाद-अजमेर घाटी में पौधारोपण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं होने से पुष्पघाटी बनाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। वर्ष 1988 से 1991 की अवधि में नसीराबाद-अजमेर घाटी मार्ग पर पौधारोपण किया गया था। परियोजना समाप्ति उपरांत क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा, सड़क चौड़ीकरण कार्य तथा बीसलपुर बांध से पेयजल लाइन बिछाये जाने के कारण रोपित पौधे नष्ट हो गये हैं।

(3) उक्त क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु पृथक् से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, अपितु विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधित कार्य क्षेत्र विशेष की आवश्यकता तथा बजट उपलब्धता अनुसार कराये जाते हैं।

नागौर के खेल मैदान के आधुनिकीकरण की योजना

415. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार क्रिकेट खेल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन मे बनी लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें राजस्थान किक्रेट एसोसिएशन पर कब तक लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान किक्रेट एसोसिएशन तथा प्रदेश के जिला किक्रेट एसोसिएशनों के कौन-कौनसे पदाधिकारी व सदस्य लोढ़ा कमेटी के मानदण्डों व सिफारिशों के अनुसार हटाये जाने हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में एथलेटिक्स खेलों को बढा़वा देने तथा इस प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण के लिये सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला मुख्यालय नागौर पर स्थित खेल मैदान के आधुनिकीकरण व मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनी लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूर्णरूप से लागू कर लिया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2017 को धौलपुर में एवं दिनांक 12 फरवरी, 2017 को जयपुर में आयोजित असाधारण सभा की बैठक में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानते हुए राजस्थान क्रिकेट संघ के संविधान में संशोधन कर लिया गया एवं संशोधित संविधान को रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन हेतु भिजवा दिया गया है।

(2) लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी हेतु अयोग्य उम्मीदवारों की सूची "परिशिष्ट-क" पर संलग्न है एवं लोढ़ा समिति की सिफारिशें जिला क्रिकेट संघों पर लागू नहीं होती है।

(3) प्रदेश में एथलेटिक्स खेलों को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर में एथलेटिक्स

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

खेलों को शामिल किया गया है जिसकी सूची "परिशिष्ट-ख" पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त विगत तीन वर्षों में खेल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को यात्रा व दैनिक भत्ते के रूप में दी गई राशि का व्यय विवरण "परिशिष्ट-ग" पर संलग्न है।

(4) जी हां। नागौर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु निम्नानुसार कार्यकारी एजेन्सी RSRDCC को राशि जारी की गई है:-

स्वीकृति क्रमांक	राशि (लाखों में)	निर्माण कार्य
प.11(4)खेल/2015 दिनांक10.09.2015	200.00	फुटबाल, बास्केटबाल, वालीबाल मैदान, क्रिकेट प्रेक्टिस पिच, एथलेटिक ट्रेक रिपेयर, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट, चारदीवारी, सिटिंग टियर्स एवं टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण।
प.11(7)खेल/2016 दिनांक 18.01.2017	100.00	हॉकी, सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट, खो-खो मैदान एवं 33 केवी लाइन शिफ्टिंग का कार्य

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सैपऊ पंचायत समिति के ग्रामों की सड़कों का निर्माण

416. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति सैपऊ के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरनाथ का नगला से जसवंतपुरा तक (लगभग 2 कि.मी.) आवागमन हेतु कोई पक्का सड़क मार्ग नहीं है? यदि हां, क्या सरकार हरनाथ के नगला से जसवंतपुरा तक पक्की सड़क बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति सैपऊ के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरनाथ का नगला से जसवंतपुरा तक 2 कि.मी. आवागमन हेतु कोई पक्का मार्ग नहीं है। जसवंतपुरा की जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनसंख्या 207 है एवं राजस्व गांव नहीं है जो कि सामान्य क्षेत्र की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बसावटों को सड़क से जोड़ने हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण नहीं करता है। इस सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

भीलवाड़ा जिले में लोक परिवहन सेवाओं हेतु जारी परमिट

417. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में लोक परिवहन सेवाओं हेतु कब-कब एवं किस-किस मार्ग के लिए कौन-कौनसे वाहनों का किस-किस प्राधिकारी द्वारा किन-किन शर्तों एवं उपबंधों के तहत परमिट जारी किये गये एवं सरकार को उक्त वाहनों से कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लोक परिवहन सेवाओं के संबंध में सरकार एवं जिला परिवहन अधिकारियों को समय-समय पर ज्ञापन एवं शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस संबंध में गत एक वर्ष में प्राप्त ज्ञापनों एवं उन पर की गई कार्यवाहियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले में लोक परिवहन सेवाओं संबंधी किस-किस मार्ग के लिए कौन-कौनसे वाहनों को किस-किस प्राधिकारी द्वारा कब-कब परमिट जारी किये गये एवं इससे कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में लोक परिवहन सेवाओं के संबंध में कब-कब एवं किन-किन व्यक्तियों/ संगठनों की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुए? उक्त सभी ज्ञापनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त ज्ञापनों की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या लोक परिवहन सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सेवाओं में बढ़ोतरी हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लोक परिवहन सेवाओं के संबंध में सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.11.2015, 04.05.2016, 14.06.2016, 29.06.2016,

(परिवहन मंत्री)

18.10.2016 एवं 21.11.2016 को परमिट स्वीकृत किए गए। (मार्गों एवं वाहनों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है) लोक परिवहन योजना की निर्धारित शर्तों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त वाहनों से प्राप्त राजस्व की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। लोक परिवहन सेवा के संबंध में प्राप्त शिकायतों, ज्ञापन एवं कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले में लोक परिवहन सेवाओं को प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञापत्रों की सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) लोक परिवहन सेवा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(5) लोक परिवहन सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सेवाओं में बढ़ोतरी हेतु बनाई गई नीति एवं शर्तों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। लोक परिवहन सेवाओं की बेहतर क्रियान्विति के लिए सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट शर्तों की अवहेलना पाये जाने पर परमिट निलंबित एवं निरस्त करने की कार्यवाही को प्रशमित करने हेतु प्रशमन राशि 2000/- रु. से बढ़ाकर 10000/- रु. कर दी गई है। जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

अवैध बसों के संचालन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिए समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को जांच हेतु निर्देशित किया गया हैं। प्रति परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

बस स्टैण्डों के निर्धारण के लिए जिला कलक्टर्स को पत्र लिखे गये हैं। प्रति परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक

418. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में ओवरलोड वाहनों के संचालन को पूरी तरह से रोकने में विफल रही है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क सुरक्षा उपायों की क्रियान्विति हेतु राज्य स्तर पर रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन किया गया है एवं इसके लिए अलग से राशि भी उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो कितनी व उक्त राशि अब तक किन-किन कार्यों पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा नियमित जांच में तथा समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनवरी-17 तक क्षमता से अधिक माल परिवहन पर 81269 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इन वाहनों से रु. 91.23 करोड़ प्रशमन राशि प्राप्त हुई है।

(2) जी हां। यह सही है कि सड़क सुरक्षा उपायों की क्रियान्विति हेतु राज्य स्तर पर रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा उपायों की क्रियान्विति हेतु प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

419. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से 350 तक की आबादी की कितनी बसावटों को कितने रुपये की लागत से तथा कितने किलोमीटर की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य के विरुद्ध कितनी लागत से कितने किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है व उससे कितनी बसावटों को जोड़ा गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त अवधि में उक्त योजना में किन-किन बसावटों को जोड़ा गया व उन पर कितनी राशि व्यय कर कितने किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र में आबादी की किन-किन बसावटों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250-349 तक की आबादी की 1480 पात्र बसावटों को रु. 1611.93 करोड़ की लागत से 4292.71 किमी. सड़कों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इस स्वीकृति के विरुद्ध अब तक रु. 444.19 करोड़ व्यय कर 1093.78 किमी. सड़कों का निर्माण कर 300 बसावटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 250-349 तक की आबादी की 24 स्वीकृत बसावटों में से 3 बसावटों को सड़क से जोड़ दिया गया है तथा अब तक इन 24 सड़कों पर रु. 619.48 लाख व्यय कर 20.61 किमी. सड़क निर्माण कराया गया है। सड़क से जोड़ी गई बसावटों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में आगामी वर्ष 2017-18 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 24 बसावटों में से शेष रही 21 बसावटों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई के गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना

420. श्री हीरालाल (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कितने ग्रामों को जोड़ा गया और किन-किन ग्रामों को जोड़ा जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत 250 तक की आबादी के गांवों को भी सड़क से जोड़ने की योजना है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा

(श्री हीरालाल)

क्षेत्र के इस प्रकार के गांवों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निवाई विधान सभा क्षेत्र सामान्य क्षेत्रान्तर्गत आता है एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशा निर्देशानुसार जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक तथा मरू व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की बसावटों को सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है। निवाई विधान सभा क्षेत्र में 500 व उससे अधिक आबादी के सभी पात्र ग्राम व बसावटों को 1 अप्रैल 2014 से पूर्व ही सड़क से जोड़ा जा चुका है। अत: निवाई विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक किसी भी ग्राम को सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

(2) जी नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में निवाई विधान सभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी में होने के कारण वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से कम आबादी के ग्रामों/बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृतियां नहीं मिल सकी हैं। निवाई विधान सभा क्षेत्र में 250 तक की आबादी के कुल 91 गांव हैं, जिन्हें राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में सड़क से जोड़ा जा रहा है, जिसमें से 48 गांव मार्च 2014 से पूर्व सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 35 गांव वर्ष 2014-15 में जोड़े गये हैं, 3 कार्य प्रगति पर हैं, जो जून 2017 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं तथा 5 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर के पानी के खराब मीटर बदलने की योजना

421. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर के अधिकांश पेयजल उपभोक्ताओं को काफी समय से अनुमानित राशि का बिल बनाकर भेजा जा रहा है? यदि

(श्री संदीप शर्मा)

हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2011 से 31 जनवरी, 2017 तक विभाग के मुख्यालय से कोटा शहर के लिए पानी के मीटर प्राप्त नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) वर्ष 2016 में कोटा शहर के उपभोक्ताओं के विरुद्ध पानी के बिल की कितनी राशि बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कोटा शहर के उपभोक्ताओं के खराब मीटर को बदलकर नये मीटर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा शहर में विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के वर्तमान में कुल 136311 मीटर युक्त जल संबंध जारी किये गये हैं तथा इनमें से 46308 जल संबंधों पर मीटर वर्तमान में क्रियाशील हैं। शेष 90003 जल संबंधों पर मीटर बंद/खराब होने के कारण इनसे संबंधित उपभोक्ताओं को नियमानुसार औसत राशि के पानी के बिल जारी किये जाकर जल राजस्व लिया जा रहा है।

(2) जी हां। कोटा शहर सहित राज्य के समस्त संभागीय मुख्यालयों के शहरों में पानी के बन्द एवं खराब मीटरों को बदलने एवं इनके 7 साल के रख-रखाव के कार्य हेतु कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

(3) कोटा शहर के विभिन्न श्रेणी के जल उपभोक्ताओं पर पानी के बिलों की कुल रुपये 99.82 करोड़ की राशि माह दिसम्बर, 2016 तक बकाया है। श्रेणीवार बकाया जल राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा शहर हेतु स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत बनाये जा रहे प्रस्तावों में जल मीटरों को बदलने के कार्य का प्रावधान भी लिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के गांवों को बीसलपुर योजना से पेयजल की आपूर्ति

422. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न कस्बों एवं ग्रामों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना कब-कब बनाई गई तथा विभिन्न चरणों में किन-किन कस्बों/ग्रामों को इससे लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के विभिन्न चरणों का कार्य कब प्रारम्भ किया गया व कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के विभिन्न चरणों का कार्य समय पर पूर्ण कर कस्बों/ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि हां, तो किन-किन कस्बों/ग्रामों को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना को समय पर पूर्ण नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा कार्यकारी एजेंसी जिम्मेदार थीं तथा उनके विरुद्ध सरकार ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के 4 कस्बों क्रमश: फुलेरा, सांभर, नरैना एवं किशनगढ़-रेनवाल तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 151 ग्रामों सहित जयपुर एवं टोंक जिले के कुल 9 शहर तथा 718 ग्रामों को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से लाभान्वित करने हेतु बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल परियोजना की द्वितीय संशोधित स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 178वीं बैठक दिनांक 11.10.2007 द्वारा राशि रुपये 678.87 करोड़ की जारी की गई। उक्त परियोजना अंतर्गत फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के 4 कस्बों एवं 151 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु 3 पैकेजों के अंतर्गत कार्यादेश जारी किये गये। इन पैकेजों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा इन पैकेजों में सम्मिलित कस्बे/ग्रामों संबंधी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी मंत्री)

(2) उक्त परियोजना के तीन पैकेजों का कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्यादेश अनुसार पूर्ण करने की निर्धारित तिथि संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) परियोजना अंतर्गत उक्त तीन पैकेजों में से 2 पैकेजों के कार्य पूर्ण किये जाकर फुलेरा, सांभर एवं नरैना कस्बे को माह जून, 2009 में तथा 45 ग्रामों को माह दिसम्बर, 2015 में लाभान्वित किया जा चुका है। क्षेत्र के कस्बा किशनगढ़-रेनवाल को माह अप्रैल, 2017 एवं शेष रहे 106 ग्रामों को चरणबद्ध रूप से माह सितम्बर, 2017 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(4) उक्त परियोजना के पैकेजों के कार्य अनुबंधक फर्मों द्वारा धीमी गति से करने एवं निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध की शर्तों के क्लॉज-2 के अंतर्गत अनुबंधित फर्म मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, जोधपुर से राशि रुपये 1.14 करोड़ तथा मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई से राशि रुपये 11.53 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में विभाग द्वारा रोकी गई है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत की ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति

423. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी ढाणियां हैं, जहां रहने वाली आबादी के लिये पेयजल के कोई स्रोत नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आबादी व पशुधन के लिए पेयजल का स्थायी समाधान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायतों से 2 से 5 किमी. की दूरी पर स्थित उक्त आबादी क्षेत्र के लिये जी.एल.आर. बनाकर पाइप लाइन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 153 ग्राम एवं भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार 261 चिह्नित ढाणियां सम्मिलित हैं।

उक्त 153 ग्रामों में से 78 ग्राम जवाई बांध, 19 ग्राम गजनई बांध एवं 17 ग्राम रायपुर-दीपावास बांध आधारित क्षेत्रीय जल योजनाओं से, 19 ग्राम नलकूपों से क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 20 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

क्षेत्र में उक्तानुसार सम्मिलित कुल 261 चिन्हित ढाणियों में से 69 ढाणियां सतही जल स्रोत यथा जवाई एवं गजनई बांध से क्षेत्रीय जल योजनाओं द्वारा, 13 ढाणियां नलकूपों द्वारा तथा 179 ढाणियां हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित ढाणियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभागीय नीति अनुसार उपरोक्त समस्त 153 ग्राम एवं 261 चिन्हित ढाणियां वर्तमान में सतही एवं भू-जल आधारित जल स्रोतों से विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा वर्तमान में लाभान्वित हैं। उक्त क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के समीप की बस्तियों तथा ग्राम/ढ़ाणियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र की ग्राम/ढाणियों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेयजल संबंधी प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार। सतही जल स्रोत आधारित क्षेत्रीय जल योजनाओं तथा नलकूपों से पाइप लाइनों द्वारा जुड़ी ढाणियों में भू-तल जलाशयों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है। शेष ढाणियां हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना

424. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार रायसिंहनगर में उचित पेयजल प्रबंधन हेतु अधिशासी अभियंता का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

जी नहीं। रायसिंहनगर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सृजन करने के कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

रायसिंहनगर, अनूपगढ़ एवं घड़साना उपखण्ड अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य विभाग के अधिशासी अभियन्ता, खण्ड अनूपगढ़ द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है जो उक्त क्षेत्र हेतु भौगोलिक/प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है।

प्रदेश में धोरों को पक्का करने की योजना

425. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश की नहरों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ धोरों को भी पक्का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नहरों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ वाटर कोर्स को पक्का करने का कार्य प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम./ महानरेगा योजनान्तर्गत, जिला सिंचाई कार्य योजना में अनुमोदन उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर के पुराने भवनों की नीलामी

426. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर जिले में 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2017 तक विभाग के पुराने कितने भवनों की नीलामी की गई एवं उससे कितनी आय प्राप्त हुई? वर्षवार, भवन का नाम, स्थान का नाम, नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम व राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नीलामी कार्यक्रम की सूचना स्थानीय विधायक को कब-कब एवं कौनसे पत्रांक द्वारा दी गई तथा नीलामी सूचना कौन-कौनसे पत्र-पत्रिका में प्रकाशित की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर विभाग के अधीन वर्ष 2009 से 31.01.17 की अवधि में दो खण्डीय कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में बैरेक्स एवं स्टोर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की नीलामी की गई, जिसका विवरण प्रपत्र-अ में संलग्न है।

(2) नीलामी कार्यक्रमों की सूचना की प्रति स्थानीय विधायक को देने का विभागीय प्रावधान नहीं होने के कारण मा. विधायक को नीलामी सूचना की प्रति नहीं दी गई।

अधिशासी अभियन्ता, वाटर कोर्सेज खण्ड द्वितीय, इगांनप, जैसलमेर द्वारा नीलामी कार्यक्रम की सूचना निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गई:-

1. दैनिक नवज्योति अजमेर दिनांक 9.1.2015
2. दैनिक महाज्ञान जैसलमेर दिनांक 9.1.2015

अधिशाषी अभियन्ता टीएमसी खण्ड, इगांनप, मोहनगढ़ द्वारा वर्ष 2015-16 में स्टोर गांव अवाय की नीलामी कार्यक्रम की सूचना निम्न समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई:-

1. मरूलहर, जैसलमेर दिनांक 21.8.2015

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

अधिशाषी अभियन्ता, टीएमसी खण्ड, इगांनप, मोहनगढ़ से संबंधित अन्य नीलामी तीस हजार राशि तक की होने के कारण वित्त विभाग के परिपत्र एफ.2(4)एफडी/एक्सपी/।।।/99 जयपुर दिनांक 13.1.2005 के अनुसार किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करवायी गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट में कराये गये कार्य

427. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर की साहवा, कोलायत, गजनेर, फलौदी, पोकरण व बांगडसर लिफ्ट के पायलट प्रोजेक्ट में कार्य कौनसे माह/वर्ष में शुरू किए गए और किस-किस लिफ्ट में पायलट प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो चुका है व किस-किस लिफ्ट में पायलट प्रोजेक्ट का कार्य वर्तमान में लम्बित है? लिफ्टवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त 6 लिफ्टों के पायलट प्रोजेक्ट द्वारा कितनी-कितनी भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जानी थी व उक्त लिफ्ट विशेष का सिंचित क्षेत्र कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के कार्य, साहवा लिफ्ट योजना में मार्च, 2008, कोलायत लिफ्ट योजना में जनवरी, 2008, गजनेर लिफ्ट योजना में जनवरी 2008, फलौदी लिफ्ट योजना में जनवरी 2008, पोकरण लिफ्ट योजना में फरवरी, 2008, व बांगडसर लिफ्ट योजना में फरवरी 2008 में प्रारम्भ किये गये। उक्त 6 लिफ्टों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पायलट प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत साहवा लिफ्ट में 8541 हैक्टेयर, कोलायत लिफ्ट में 7545 हैक्टेयर, गजनेर लिफ्ट में 4592 हैक्टेयर, फलौदी लिफ्ट में 3143 हैक्टेयर, पोकरण लिफ्ट में 1598 हैक्टेयर एवं बांगडसर लिफ्ट में 2030 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जानी थी।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

परियोजना में कुल 16.17 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के अनुसार साहवा लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 102622 हैक्टेयर, कोलायत लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 101461 हैक्टेयर, गजनेर लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 71202 हैक्टेयर, फलौदी लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 35604 हैक्टेयर, पोकरण लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 26327 हैक्टेयर एवं बांगडसर लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 10350 हैक्टेयर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में सरकारी कार्यालयों हेतु भवनों का निर्माण

428. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर जिले में कौन-कौनसे सरकारी कार्यालय किराये के भवन में कब से चल रहे हैं? वर्तमान में प्रत्येक कार्यालय द्वारा कितनी-कितनी राशि किराये के रूप में प्रतिवर्ष दी जा रही है? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन विहीन कार्यालयों हेतु भवन निर्माण के लिये बजट आवंटित कर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी सरकारी कार्यालय किराये के भवन में संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे व कब से? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भवन विहीन सरकारी कार्यालयों के लिये भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में जो सरकारी कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार उक्त भवन विहीन कार्यालयों हेतु भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित कर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है। इस हेतु

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

जोधपुर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी एवं विस्तृत मय नक्शे एवं तकमीने इत्यादि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। जिला कलेक्टर जोधपुर से प्राप्त सूचना अनुसार शेरगढ़ में निम्नलिखित भवन किराये के भवन में चल रहे है:-

क्र. सं.	नाम कार्यालय	कब से चल रहे है
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी शेरगढ़	वर्ष 1984 से
2	सहा. अभि. जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग शेरगढ़	वर्ष 09.04.1985 से
3	सहा. खनि अभियंता बालेसर	वर्ष 12.09.2014 से

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा में राशन डीलरों की नियुक्ति

429. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में राशन की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं व कितनी दुकानें वर्तमान में रिक्त हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की नव सृजित एवं रिक्त राशन की दुकानों पर डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में 136 राशन की दुकानें स्वीकृत हैं एवं 05 राशन की दुकानें वर्तमान में रिक्त है। विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 को जारी किये जा चुके

है। नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015 को जारी की जा चुकी है, जिसके तहत सम्पूर्ण प्रदेश में राशन दुकान डीलर नियुक्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में अन्नपूर्णा भण्डारों की स्थापना

430. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत उचित मूल्य की दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार खोले गये हैं? यदि हां, तो जालौर जिले सहित प्रदेश में कितने अन्नपूर्णा भंडार खोले गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित विधवा महिला को अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिये उचित मूल्य की दुकान से अलग ही 'रूरल मॉल' के रूप में अन्नपूर्णा भंडार आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल 5109 (जालौर जिले में 152) अन्नपूर्णा भण्डार खोले जा चुके हैं, (स्थिति दिनांक 08.03.2017)। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों से सहमति प्राप्त कर एक छत के नीचे उचित मूल्य दुकान के साथ-साथ अन्नपूर्णा भण्डार खोले जा रहे है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित विधवा महिला को उचित मूल्य की दुकान से अलग ही "रूरल माल" के रूप में अन्नपूर्णा भण्डार आवंटित करने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डार खोलने के मानदण्ड

431. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डार योजनान्तर्गत कितने अन्नपूर्णा भण्डार खोले गये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अन्नपूर्णा भण्डार खोलने के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत अन्नपूर्णा भण्डारों पर क्या-क्या वस्तुएं बिक्री की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सीकर जिले में अन्नपूर्णा भण्डारों पर प्रतिमाह कितनी बिक्री की जा रही है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 5109 अन्नपूर्णा भण्डार खोले जा चुके है (स्थिति दिनांक 08.03.2017)। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने के संबंध में नियम/दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) अन्नपूर्णा भण्डार पर बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) सीकर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार बिक्री का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

अन्नपूर्णा भण्डार क्रय-विक्रय अनुबन्ध के तहत उचित मूल्य दुकानदार व आपूर्तिकर्ता फर्म के मध्य होता है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। (विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा मंदिर मंडल द्वारा विस्थापितों को दुकानों का आवंटन

432. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नाथद्वारा मंदिर मंडल में किरायेदारी स्थानान्तरण व विस्थापितों को दुकानें आवंटन से संबंधित कौन-कौनसी पत्रावली किन-किन कारणों से लंबित

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

है? इनके निस्तारण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? आवेदकों के नाम व लंबित रहने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नाथद्वारा मंदिर मण्डल में किरायेदारी स्थानान्तरण व विस्थापितों को दुकानें आवंटन से संबंधित प्रकरणों की बकाया सूची मय कारण परिशिष्ट-1 से 6 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

433. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आशा सहयोगिनियों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) हनुमानगढ़ जिले के कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाये जाना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 बाल विकास परियोजना क्रमश: पीलीबंगा एवं रावतसर संचालित हैं। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2016 तक परियोजना पीलीबंगा में 07 तथा रावतसर में 02 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आशा सहयोगिनी को स्थाई नहीं किया जा सकता है, क्योकिं यह मानदेय सेवा पर स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में सेवा करने वाली स्थानीय महिला होती है।

(3) हनुमानगढ़ जिले में 483 स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

बनाने शेष हैं। परियोजनावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में वार्डों की संख्यानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

434. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद क्षेत्र दौसा में वार्डों की संख्या में विस्तार कर बनाये गये नये वार्डों से एक आंगनबाड़ी केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक वार्ड हो गये हैं? यदि हां, तो किस-किस आगनबाड़ी केन्द्र के पास एक से अधिक वार्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये बनाये गये वार्डों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में नगर परिषद दौसा के नये परिसीमन के अनुसार 05 नये वार्ड बनाये गये हैं, जिससे वार्डों की संख्या 35 से बढ़कर 40 हो गई है। नये वार्ड बनाने के उपरान्त कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक वार्डों के क्षेत्र आंशिक रूप से आ गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं नोर्म्स के अनुसार प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली में अवैध खनन के दर्ज प्रकरण

435. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गयी है तथा कितने प्रकरणों में कितना जुर्माना वसूल किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक अवैध खनन के 12 प्रकरण बनाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त 12 प्रकरणों में से 9 प्रकरणों में संबंधित पुलिस थाने में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध 7 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा 3 प्रकरणों में राशि रु. 5,08,816/- वसूल की गई है, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में संचालित अवैध खानें

436. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जायल विधान सभा क्षेत्र में संचालित खानों में से कितनी खानें वैध व कितनी खाने अवैध हैं? सरकार द्वारा अवैध खानों के विरुद्ध गत 5 वर्षों में कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जायल विधान सभा क्षेत्र में कुल 78 खनन पट्टे एवं 156 क्वारी लाइसेंस संचालित हैं। किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत/जानकारी प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। जायल विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में 12 अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर राशि रुपये 1,27,700/- वसूली की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद में बजरी खनन की निविदाएं

437. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगोद में परवन, कालीसिंध उजाड नदी में पर्याप्त मात्रा में बजरी होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा बजरी खनन की निविदाएं जारी नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों में बजरी खनन हेतु निविदा आमंत्रित करने विचार रखती है? हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला स्तर पर नदियों में बजरी खनन हेतु कितने हैक्टेयर तक अनुमति देने का प्रावधान है? नियमों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र सांगोद में परवन, कालीसिंध एवं उजाड नदी में पर्याप्त मात्रा में बजरी होने के उपरान्त भी खनन विभाग द्वारा बजरी खनन की निविदाएं जारी नहीं की जा रही हैं। उक्त क्षेत्र में खनिज बजरी के खनन पट्टा आवंटन हेतु दिनांक 06.09.2013 को निविदाएं जारी की गयी थीं, जिसमें उच्चतम निविदा राशि रुपये 55,09,999/- की प्राप्त हुई। प्रकरण में सरकार द्वारा एल.ओ.आई. (मंशापत्र) दिनांक 03.12.2014 से जारी किया गया है। एल.ओ.आई. की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। क्षेत्र की पर्यावरण सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) पूर्व में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 11 में खनिज बजरी के खनन पट्टे 10 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल के स्वीकृत किए जा सकते थे। नियम की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। वर्तमान में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 7 में नदियों में बजरी के खनन पट्टे देने हेतु न्यूनतम क्षेत्र 5 हैक्टेयर तथा अधिकतम क्षेत्र 10 वर्ग कि.मी. निर्धारित है। राज्य सरकार खनिज संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खनन पट्टे के अधिकतम क्षेत्रफल की सीमा को बढ़ा सकती है, नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

पिण्डवाड़ा में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी की स्थापना

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 1986 के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय का पिण्डवाड़ा शहर एन.एच. 14 पर बसा हुआ है। जहां पर सीमेंन्ट सहित मार्बल की फैक्टरियां हैं, जिनमें बड़े उद्योग जे.के. लक्ष्मी सीमेंन्ट, बिनानी, वोलकेम इण्डिया लि. जैसी बड़ी कम्पनियां हैं और पूरा रीको क्षेत्र है।

पिण्डवाड़ा सहित आसपास क्षेत्रके लाखों मजदूर कार्य करते हैं, जिनके लिये करीब 20 वर्ष से ESI योजना के तहत 4000 से अधिक पंजीकृत मजदूरों के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जाती है, ताकि उन कमर्चारियों को इस योजना का लाभ मिल सके। मगर उस कटौतीका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका कारण पिण्डवाड़ा मे ईएसआई हॉस्पीटल, डिस्पेन्सरी नही होना है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा कई बार ज्ञापन दिये गये। साथ ही जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर अपनी बात रखी गई, मगर कोई स्थाई समाधान नही हो रहा है।

अगर किसी को ESI योजना का लाभ लेना है तो उसको पिण्डवाड़ो से 50 किमी दूर आबूरोड रीको क्षेत्र में स्थित ईएसआई डिस्पेन्सरी जाना पड़ता है, जिससे आवागमन सहित आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

पिण्डवाड़ा मार्बल की खुदाई कार्य के लिये प्रसिद्ध है। श्रीराम मंदिर, आयोध्या के मार्बल की खुदाई का कार्य इस शहर के कारीगरों द्वारा किया जाता रहा है। खुदाई कार्य की प्रसिद्धि के कारण भारत भर मे विभिन्न स्थानों पर मांग अनुसार यहां के कारीगर कार्य करने जाते हैं, मगर उन स्थानों पर भी ESI योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।

अत: निवेदन है कि पिण्डवाड़ा के मजदूरों का ESI योजना के लाभ दिये जाने के लिये पिण्डवाड़ा मे ESI डिस्पेंसरी के साथ अन्य स्थाई

समाधान की आवश्यकता है। स्थाई समाधान नहीं होने की स्थिति में उनके वेतन से ESI की कटौती को बन्द किया जावे।

समाराम गरासिया
(पिण्डवाड़ा)

मावली में वन विभाग की भूमि पर बसी बस्तियों में सुविधाएं उपलब्ध कराना

माननीय अध्यक्ष महोदय मै आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में 15 ग्राम पंचायतों की अनेक बस्तियां वन विभाग की चारागाह व सिवायचक भूमि पर बसी हुई हैं, जहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा से वंचित हैं।

वन विभाग के नियमों के कारण प्रशासन चाहते हुए भी इन बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि ऐसी बस्तियों का भू-परिवर्तन कर नियमन किया जाना अति आवश्यक है।

इन बस्तियों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत शौचालय एवं प्रधान मंत्री आवास योजना मे स्वीकृत मकान भी नहीं बना पा रहे हैं।

ग्राम धुणीमाता, नाहरमगरा में 40 वर्षों से किसान खेती कर रहे थे। वह भूमि 20 वर्षों से वन विभाग में चली गई है। उन 40 वर्षों तक खेती करने वाले किसान की जमीन का भू-परिवर्तन कर नियमन किया जाना अति आवश्यक है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उक्त बस्तियों में जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से वन विभाग की भूमि का भू-रूपान्तरण कर नियमन की कार्यवाही की जाए। नियमन होने तक यहां के निवासियों को अस्थाई बिजली के कनेक्शन जारी करने के निर्देश विद्युत विभाग व वन विभाग को दिये जावे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

दलीचन्द डांगी
(मावली)

विराटनगर की सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र के गठन के समय 125 राजस्व गांव थे तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 42 थीं जो अब बढ़कर 49 हो गयी हैं। उप तहसील कार्यालय एवं नयी पंचायत समिति कार्यालय भी पावटा स्थापित हो गया है। यह एनएच 8 पर स्थित है। एक मुख्य जिला सड़क क्रमांक एम.डी.आर. 175 भी पावटा होते हुए विराटनगर विधान सभा क्षेत्र मे गुजरती है। विधान सभा क्षेत्र एनएच 8 से एनएच 248ए गुजरता है। राज्य मार्ग आंतेला से खाचरियावास सीकर क्रमांक एस.एच. 83 गुजरता है। एनएच8 से राजनौता, कराना (अलवर), हरियाणा सीमा से नारहेड़ा, पावटा-बावड़ी-विराटनगर, बीलवाड़ी से पालड़ी मोड मैंड, खोरालाडखानी, मनोहरपुर, राडावास, खेजरोली-ढोढ़सर (एनएच11) एम.डी.आर. 188 के रूप में तीन मुख्य जिला सड़के भी गुजरती है तथा एन.एच.8 राजनौता कराना को छोड़कर सभी सड़कें स्वीकृत हुए तीन वर्ष होने को हैं परन्तु एक भी जिला मुख्य सड़क तथा राज्य मुख्य सड़क का निर्माण भी प्रारम्भ नहीं हुआ। सभी सड़के टूटी पड़ी है। राजस्थान में एकमात्र स्टेट हाईवे जो डामर सड़क तो दूर की बात है, ग्रेवल सड़क से भी वंचित है तथा 7 किमी बिलकुल कच्चा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली 16 मुख्य सड़कें नॉनपेचेबल हैं, जिनमें से प्रमुख हैं- नवरंगपुरा से पालड़ी, नवरंगपुरा से विराटनगर वाया तेवड़ी, पालड़ी मोड़ से खोरा लाडखानी, मुख्य आधार सड़क से पणदो, प्रागपुरा से पांछुडाला, कल्याणपुरा से भांखरी तुलसीपुरा से केमरिया, एनएच8 से नीमली वाया बजरंगपुरा, एन.एच.8 से विराटनगर, शाहपुरा से जसवन्तपुरा, जाजैकलां से गोविन्दपुरा धाबाई, एनएच248ए से लुहकानां, एन.एच.8 से लुहकानां, रामपुरा से छापुड़ा खुर्द, जाजैकलां से सांतवास, मुख्य सड़क से भिण्डोर। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि शीघ्र एन.एच.248ए स्टेट हाईवे... तीनों एम.डी.आर सड़कों तथा 16 नॉन पेचेबल सड़कों का शीघ्र बजट स्वीकृत कर सुदृढ़ीकरण एवं दुरस्तीकरण किया जावें। साथ ही प्रमुख बसावटें जिनकी आबादी 500-500 से अधिक हैं, उनकी भारत सरकार से शीघ्र बसावट-कलक्टर योजना में

प्रक्रिया से भेजी गयी सभी 35 सड़कों को केन्द्र सरकार से प्रधान मंत्री सड़क योजना स्वीकृत करया जावें। साथ ही नयी बनने वाली सड़कों की थिकनेस (मोटाई) 20एमएम से बढ़ायी जावे, क्योंकि 20एमएम की थिकनेस का मापदण्ड तब लिया गया था, जब 6 चक्के (टायर) के ट्रक चलते थें। अब 10-14-18-22 चक्कों के ट्रक चलने से सड़कें शीघ्र टूट रही हैं। साथ ही मरम्मत में थिकनेस 12 एमएम से बढ़ायी जावें, जिससे सड़कों के टूटने की अवधि भी बढ़ सकें।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा
(विराटनगर)

धोद (सीकर) में किसानों को प्याज का उचित मूल्य

विधान सभा क्षेत्र धोद में रसीदपुरा प्याज मण्डी की माननीय मुख्य मंत्री राजे जी ने 2007 में घोषणा की थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन काल में कुछ भी नहीं किया। ना ही कभी उसको सम्भाला लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन दिलाकर उसको 5 करोड़ रुपये देकर मण्डी का कार्य चालू कर दिया गया है। इसके लिए धोद विधान सभा के सभी किसानों की तरफ से मुख्य मंत्रीजी को व मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं।

धोद विधान सभा क्षेत्र में काफी गांवो में मीठे प्याज का अधिक व अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होता है। प्याज का उत्पादन भी अधिक है लेकिन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्याज का समर्थन मूल्य हो तथा प्याज का निर्यात करने की योजना सरकार बनाये, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके व प्याज उत्पादन के प्रति किसानों का और अधिक रुझान बन सकें।

गोरधन
(धोद)

ब्यावर शहर में गौरव पथ निर्माण में बाधा

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण किया जा रहा है। गौरव पथ निर्माण के संबंध में स्वायत शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा के आदेश क्रमांक 11882-915 दिनांक 16 फरवरी 2017 द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरो को आदेश दिया गया था कि राजस्थान के शहरी क्षैत्रों में गौरव पथ बनाये जाने के दौरान अन्य विभागों द्वारा, जैसे जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग तथा दूरसंचार विभाग द्वारा समस्त यूटिलिटी शिफ्टिंग का व्यय विभाग स्वयं के द्वारा ही वहन करेंगे तथा गौरव पथ हेतु स्वीकृत राशि सिर्फ गौरव पथ निर्माण में ही खर्च की जाएगी।

लेकिन ब्यावर शहर में विद्युत विभाग द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं कर, पोल शिफ्टिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे गौरव पथ निर्माण में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तथा राज्य सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना अधर में लटका रही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की पालना क्यों नही की जा रही है? इसकी जांच की जाए।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त आदेशों की पालना कराने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जावे, ताकि विभिन्न विभागों द्वारा यूटिलिटि शिफ्टिंग कार्य समय पर पूरा किया जा सकें।

शंकरसिंह रावत
(ब्यावर)

किशनगंज के फूल डोल उत्सव को पर्यटन विभाग के कैलेण्डर में जोड़ना

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रहने वाले आदिवासियों की सदियों पुरानी परम्परा लोगों को चकित करने वाली है। होली के समय यहां होने वाला फूल डोल लोक उत्सव हर किसी के मन को लुभाता है। यह होली के दिन शाम

से शुरू होकर दो-तीन दिन तक चलता है। होली दहन के बाद कस्बे के चारभुजा मन्दिर पर भजन संध्या का भव्य कार्यक्रम होता है। धुलंडी को स्वांग निकाले जाते हैं। कस्बे के चर्तुभुज नाथ मन्दिर से निकलने वाले स्वांग धार्मिक कथानकों पर आधारित होते हैं। इनमें गिद्ध, रावण, हनुमान, कंकाली, बाली, सुग्रीव, अभिमन्यु व साधुओं की जमात प्रमुख हैं। लोकोत्सव के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भी इनका प्रदर्शन होता रहा है। लोगों के मनोरंजन के लिए कलाकार, ढोला मारु, गाडिया लुहार, इत्र फरोश, सेठ-सेठानी, फकीर और कव्वाल का स्वांग करते हैं।

फूल डोल लोक उत्सव की शुरुआत:- यहां के निवासी अयोध्या प्रसाद सक्सेना ने नि:सन्तान होने के अभिशाप से मुक्त होने के लिए सन 1886 में अपने आंगन की तुलसी को पुत्री मानकर उसका विवाह कस्बे के मुख्य मन्दिर में स्थित भगवान चतुर्भुजनाथ की प्रतिमा से करवाया था। उस समय हजारों लोगों ने शिरकत की थी। उस समय परम्परा थी कि विवाह के बाद दूल्हा अपने इष्ट मित्रों के साथ ससुराल में होली खेलने जाता था। ग्रमीणों ने अगले वर्ष इस परम्परा का निर्वहन किया। तभी से यह परम्परा चली आ रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से किये जाने वाले इस लोकोत्सव को देखने लगभग एक लाख लोग एकत्रित होते हैं।

पर्यटन से जोड़ने की मांग:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से कस्बे व स्थानीय लोगों की मांग के अनुरुप माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि विविधता से परिपूर्ण इस लोकोत्सव को बून्दी की तीज व कोटा के दशहरे की तरह पर्यटन विभाग के कैलेण्डर में शामिल करें एवं सरकार के द्‌वारा कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जावें।

सादर।

ललित मीणा
(किशनगंज)

प्रदेश में संविदाकर्मियों का आर्थिक शोषण रोकना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्व में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए सरकार ने उन्हे प्लेसमेन्ट एजेन्सी से हटाकर एमआरएस से नियुक्ति प्रदान की थी। लेकिन अब पुन: संविदा कार्मिकों को प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से नियुक्ति देने का क्या कारण है?

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में चलाई जा रही योजनांए भी राज्य सरकार द्वारा ही चलाई जा रही हैं तथा उन योजनाओं में काम करने वाले एमआरएस से नियुक्त संविदा कार्मिक भी राजस्थान सरकार के ही हैं, जिनका वेतन भी सरकार का है तो प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से नियुक्ति का कमीशन क्यों? यदि इसी तरह प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से नियुक्तियां दी जावेंगी तो पुन: संविदा कार्मिकों का आर्थिक शोषण तो होना ही है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि समस्त संविदा कार्मिकों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए पुन: एमआरएस से नियुक्तियां दी जावे।

रामनारायण गुर्जर
(नसीराबाद)

फतेहपुर (सीकर) में बरसाती पानी की निकासी का समाधान

फतेहपुर कस्बे का आस-पास के गावों के परिवेश में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्थान है। कस्बा फतेहपुर शेखावटी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 व 65 व 52 के मध्य में स्थित है। यह जयपुर, सीकर, चुरू व बीकानेर से रेलमार्ग व बस मार्ग से जुड़ा हुआ है। फतेहपुर शहर की जनसंख्या एक लाख से अधिक है।

फतेहपुर कस्बे के मुख्य छतरियां बस स्टैण्ड पर बरसाती पानी भराव की समस्या काफी वर्षों से है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को यात्रा के दौरान फतेहपुर के छतरियां बस स्टैण्ड से होकर गुजरना पड़ता है। बस स्टैण्ड व पास में ही बाजार होने की वजह से यात्रियों, व्यापारियों व स्थानीय लोगों को आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता

है। फतेहपुर मे बहुत सुन्दर-सुन्दर हवेलिया हैं और उनमें बहुत ही अच्छी कलाकृतियां, भित्तीचित्र बने हुए हैं, जो कि ओपन आर्ट गैलेरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। बरसाती पानी की निकासी होने पर फतेहपुर की हवेलिया सुरक्षित रह सकती हैं। इससे ज्यादा पर्यटक देखने आयेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

बरसाती पानी की निकासी का माकूल इंतजाम नहीं होने के कारण लोगों के लिए आफत खड़ी हो जाती है। बरसात के बाद छतरिया बस स्टैण्ड, बावड़ी गेट, पुराने सिनेमाहाल, मंडावा रोड सहित शहर भर मे पानी जमा हो जाता है। दुकानों में पानी भर जाता है। आमजन को आवागमन में परेशानी का सामाना करना पड़ता है।

अभी MJSA चल रहा है। एक पंचायत में जितना पैसा लग रहा है उतना ही अगर इस पानी निकासी के लिए लगा दिया जाएं तो इस पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। लाखों लीटर पानी भी बच जाएगा व इस समस्या का समाधान भी हो जायेगा।

धन्यवाद।

नन्दकिशोर महरिया
(फतेहपुर)

प्रदेश के कृषकों को ऋण देने हेतु सहकारी संस्था अधिनियम में पुन: संशोधन

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं नाबार्ड के मध्य दिनांक 14.11.2006 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ जो भारतवर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम करते हुए समस्त भारत में एक उदाहरण पेश किया गया। भारतवर्ष के कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने राजस्थान का भ्रमण कर, उक्त समझौते का अध्ययन कर, उन सम्बन्धित राज्यों में भी लागू किया गया।

मुख्य तौर से उक्त समझौते में बिन्दु संख्या 9 के अनुसार, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 में समझौते के अनुसार, आवश्यक संशोधन की शर्त के अनुसार विभिन्न संशोधन पारित किये गये।

समझौते के बिन्दु संख्या 8 (डी) के अनुसार एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिसमें नाबार्ड / आरबीआई / राजस्थान सरकार / मुख्य कार्यकारी (अपैक्स बैंक, सीसीबी बैंक) को रखा गया था। समझौते के बिन्दु संख्या 9.14 के अनुसार सरकार / रजिस्ट्रार द्वारा राज्य की सहकारी संस्थाओं में विशेष परिस्थितियों में ही (गंभीर वित्तीय अनियमितता/न्यायालय के निर्णय/ लगातार तीन वर्षों तक संस्था को हानि पहुंचाना) संचालक मण्डल भंग कर प्रशासक लगाने का प्रावधान किया गया था।

समझौते के बिन्दु संख्या 9.15 के अनुसार राजस्थान में विभिन्न सहकारी संस्थाओं में समय पर निर्वाचन किये जाने के प्रावधान थे।

समझौते के संलग्न परिशिष्टि-ए के पैकेज के बिन्दु संख्या 7.2 (IX) के अनुसार राजस्थान के सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल के निर्वाचन निर्धारित समय-सीमा से पूर्व करने के प्रावधान किये गये थे।

समझौते के संलग्न परिशिष्ट-ए के पैकेज के बिन्दु संख्या 7.2 (VIII) के अनुसार राजस्थान के सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल के भंग करने सम्बन्धी शक्तियों को सीमित किया गया था।

इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम में दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 तथा 26 अप्रैल 2016 को त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कई संशोधन पारित किये गये। जिससे राजस्थान राज्य के काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण (खरीफ एवं रबी) 2016-17 के लिए नाबार्ड द्वारा करीब 4500 करोड़ रुपये राशि का ऋण वितरण करने से वंचित कर दिया गया।

सन 2005-06 से लेकर 2015-16 तक अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में लगातार वृद्धि होती रही है, किन्तु वर्ष 2016-17 में राशि 4500 करोड़ रुपये की कमी आई है। इसका मुख्य कारण त्रिपक्षीय समझौते में वर्णित शर्तों का उल्लंघन कर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम में दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 तथा 26 अप्रैल 2016 को संशोधन करना है। इस संशोधन में मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं में राज्य कर्मचारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करना, सहकारी संस्थाओं का निर्धारित समय पर संचालक मण्डल के निर्वाचन नहीं करवाया जाना, संचालक मण्डल के सदस्यों के लिए

दो कार्यकाल की शर्त को जोड़ना, संचालक मण्डल के सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आदि।

अत: उक्त संशोधनों एवं उक्त त्रिपक्षीय समझोते में वर्णित शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्थान के कृषकों को रुपये 4500 करोड़ के ऋण से वंचित रहना पड़ा है। इसिलए उक्त धाराओं में पुन: संशोधन करवाकर किसानों को राहत प्रदान करावें।

बाबू सिंह राठौड़
(शेरगढ़)

बीसलपुर में गौ-अभयारण्य का निर्माण

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध के समीप वन विभाग की लगभग 250 बीघा भूमि खाली पड़ी है जो किसी भी उपयोग में नहीं आ रही है। यदि यहां गौ-अभयारण्य बना दिया जावे तो यह गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन करने का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। अभयारण्य को सुदंर स्वरूप में विकसित करने के लिए बांध का पानी, बिजली, एवं पशु-चारे की खेती के विकल्प सरलता से मिल जायेंगे। गायों के सड़कों, कस्बों एवं खेतों में लावारिस घूमने से होने वाली सड़क दुर्घटना एवं फसल बर्बादी को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही असंवैधानिक रूप से संचालित बूचड़खानों में गौ-वंश की हत्या के प्रकरणों में भी भारी कमी आयेगी।

मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंहजी ने ग्राम सालरिया में गौ-अभयारण्य की घोषणा की, जिसमें हजारों गावों के पालन एवं संरक्षण करने की योजना बनाई गई। उनका यह निर्णय गौ-माता एवं सामाजिक हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह एक बहुउपयोगी योजना है जिसमें गाय के गोबर एवं गौ-मूत्र से कीटनाशक का निर्माण तथा जैविक खाद का निर्माण, औषधि निर्माण, दुग्ध उत्पादन, दही-छाछ एवं घी उत्पादन करने का कार्य ओर गौ-वंश की नस्ल सुधार करने जैसे विभिन्न कार्य सम्पन्न हो सकेंगे। इसी प्रकार गौ-अभयारण्य में गौबर गैस संयत्र स्थापित कर गौबर गैस एवं

विद्युत उत्पादन के कार्य, पंजीकृत, गौ-शालाओं के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक खाद और गौ-मूत्र औषधि के निर्माण, बेहतर पशु-पालन, चारागाह विकास आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी संभव हो सकेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक बहुआयामी योजना होगी।

अत: मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि बीसलपुर में गौ-संरक्षण हेतु गौ-अभयारण्य बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

राजेन्द्र गुर्जर
(देवली-उनियारा)

राजगढ़ (चूरू) के रा.उ.मा. विद्यालय में खेल स्टेडियम में सुधार

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ में एक खेल स्टेडियम पुराने समय से बना हुआ है। उस खेल ग्राउण्ड में भारत देश के गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस एवं अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं एवं राजगढ़ तहसील खेल के जगत में विश्व पटल पर अपना नाम दर्ज करा चुका हैं और उस राजगढ़ तहसील में एकमात्र खेल स्टेडियम बना हुआ है। जिसकी हालत बहुत की जर्जर स्थिति में हो चुकी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसके उपयोग पर अपनी रिपोर्ट में लिख चुका है कि इसका उपयोग न किया जाए, क्योंकि इससे कभी भी जन हानि हो सकती है। इस स्टेडियम के निर्माण हेतु पूर्व में मेरे द्वारा खेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव महोदय को 2 बार लिख कर दिया जा चुका है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के द्वारा सहमति भी खेल विभाग को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस खेल स्टेडियम के निर्माण की कोई प्रगति नही हुई।

अत: माननीय खेल मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय से विशेष आग्रह एवं गुजारिश है कि हमारे उक्त स्टेडियम का तुरंत प्रभाव से निर्माण कराकर खेल जगत में प्रसिद्ध राजगढ़ तहसील को एक तोहफा देकर हमारी ऊंचाइयों को और आगे बढ़ाने में आपका योगदान भी शामिल हो जाएगा।

अत: तुरंत प्रभाव से इसका निर्माण कराएंगे, ऐसी आशा और विश्वास

के साथ आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।

मनोज कुमार
(सादुलपुर)

मंडावा में कृषकों को जैविक खेतों हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान

राज्य सरकार द्वारा संचालित जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्र्तगत झुन्झुनू जिले के मंडावा विधान सभा क्षेत्र के 11 गाँवो में राष्ट्रीय कृषि विकास, योजना के अन्तर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम वर्ष 2011 से कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें 300 किसानों के यहां कुल 300 हैक्टेयर भूमि पर जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो कि 3 वर्ष तक (कुल 6 फसली सीजन) तक इसे चलाना था।

किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप मे प्रतिवर्ष 5000 रु. प्रति हैक्टेयर मिलने तय थे, जो कि सिर्फ 3 सीजन ही मिले, शेष 3 सीजन का भुगतान किसानों को नही हुआ है। कुल 21 लाख रु. का भुगतान होना है। कृषि विभाग द्वारा बार-बार जांच भी करवा चुके हैं, परन्तु भुगतान नहीं हुआ है।

इसलिए महोदय, किसानों के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नरेन्द्र कुमार
(मंडावा)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-6 मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश कोर्ट स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उप खण्ड मुख्यालय शेरगढ़ में नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

3. ब्यावर शहर में जिला न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

4. विधान सभा क्षेत्र वैर में नवीन A.D.J. कोर्ट खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

5. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

6. कोटपूतली के ए.डी.जे. कोर्ट में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

7. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड मुख्यालय बाप पर न्यायालय

(श्री पब्बाराम)

न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकर सिह राजपुरोहित (आहौर):</u>

8. विधान सभा क्षेत्र आहौर में आहौर उपखण्ड पर मुंसिफ कोर्ट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):</u>

9. उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. प्राकाम्य लिखित अधिनियम (NIA) के तहत उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में एक नवीन विशिष्ट न्यायालय की पृथक् से स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई (अजमेर) में एक नवीन मुंसिफ न्यायालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):</u>

12. ऐडीजे, रामगंजमण्डी को प्रकरण स्थानान्तरण व सुनने का अधिकार दिलाने पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):</u>

13. रायसिंहनगर एवं श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में स्थाई लोक अदालतों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):</u>

14. जिला एवं सत्र न्यायालय चित्तौड़गढ़ के भवन में 50 नवीन कक्ष की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल नागर (सांगोद):</u>

15. सिविल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट कनवास का अपीलीय क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामगंजमण्डी से हटाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल नागर)

16. विधान सभा क्षेत्र सांगोद उपखण्ड मुख्यालय सांगोद पर पृथक से न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के सिविल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट कनवास एवं वरिष्ठ न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट सांगोद एवं सिविल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट दीगोद में वकीलों एवं पत्रकारों के लिए बैठने के स्थान पर शैड की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उपखण्ड सांगोद में अपर जिला न्यायाधीश का कैम्प कोर्ट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

19. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के मुख्यालय नवलगढ़ में एडीजे न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

20. प्रदेश में नोटेरी पब्लिक का Appointment बहुत समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

21. कोटा में माननीय उच्च न्यायालय बैंच की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

22. सांचौर उपखण्ड पर सिविल एवं मुंसिफ कोर्ट को अतिरिक्त जिला न्यायालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

23. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उपखण्ड स्तर पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

24. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के न्यायालय में आने वाले लोगों के

(श्री छोटू सिंह)

लिए पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

25. जैसलमेर जिला मुख्यालय में नये न्यायालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

26. विधान सभा क्षेत्र कपासन के कपासन में ADJ कोर्ट कैम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेंगू):

27. बेगूं न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

28. बीदासर (चूरू) में मुंसिफ न्यायालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

29. मा. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु सुविधाजनक चैम्बर्स एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण व अधिवक्ता वैलफेयर फण्ड में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने और वैलफेयर फण्ड की राशि और बढ़ाने एवं जूनियर अधिवक्ताओं के लिए प्रारंभ में दस वर्ष तक की अवधि के लिए माहवार कुछ राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. कस्बों व बड़े शहरों के मकान मालिकों व किराएदारों के अत्यधिक संख्या में बढ़ते विवादों के निपटारे हेतु बड़े शहरों में एक और किराया अधिकरण व अपीलेट किराया अधिकरण की अदालतें (अधिकरण) खोले जाने व इनमें मांग व मुकदमों के अनुसार स्टाफ बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

31. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के उपखण्ड मुख्यालय इटावा में अति. जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एसीजेएम न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

32. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

33. अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

34. गुढ़ागौड़जी में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

35. बानसूर में सुलभ न्याय उपलब्ध करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

36. जिला करौली के सपोटरा, मण्डरायल, करणपुर में नवीन न्यायालयों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

37. सैपऊ उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. बाडी़ में दस्यु प्रभावित विशेष अतिरिक्त जिला न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

39. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गोविन्दगढ़ कस्बे का कैम्प कोर्ट स्थाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

40. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में हाई कोर्ट बैंच खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

41. न्याय आपके द्वार के माध्यम से ग्रामीण गरीब लोगों को सहयोग प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री नाना लाल अहारी)

42. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की उप तहसील नयागांव में मुंसिफ कोर्ट एवं तहसील सेमारी में ग्राम न्यायालय क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड ऋषभदेव में मुंसिफ कोर्ट खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव में एडीजे कोर्ट खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में न्याय आपके द्वार के माध्यम से ग्रामीण जनता को राहत दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा एवं सेमारी में न्यायालय कार्यालय में प्रतीक्षालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा के अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में तहसील मुख्यालय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

49. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के उपखण्ड पिण्डवाड़ा में स्थापित ग्रामीण न्यायालय को शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू की तहसील पिण्डवाड़ा में ADJ कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

51. प्रदेश में नोटरी पब्लिक के 800 पदों को भरने की विज्ञप्ति लम्बे समय से जारी होने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. प्रदेश में कुम्मट कमेटी की अनुशंषा के अनुसार राजस्थान विधि

(श्री मनोज कुमार)

सेवा के विभिन्न संवर्गों में नवीन पदों का सृजन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. राजस्थान विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारियों के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. राजस्थान विधि सेवा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यानुभव वास्ते नियमों में संशोधन कर कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा करीब 2½ माह पूर्व स्वीकृति देने के बावजूद कैबिनेट मंजूरी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. लोक अदालत में सचिव पद पर लगे हुए अधिकारियों को न्यायिक कार्य देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

56. विधान सभा क्षेत्र मावली में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कैम्प कोर्ट मावली को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

57. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के मुख्यालय झाड़ौल पर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के पंचायत समिति मुख्यालय फलासिया पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

59. बीकानेर जिले के किराये के भवनों में चलने वाले न्यायालयों को स्थायी राजकीय भवन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. बीकानेर न्यायालय में वकीलो एवं आगन्तुकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. राज्य में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. संभाग मुख्यालय बीकानेर में हाई कोर्ट बैंच स्थापित करने की

(श्री भंवरसिंह)

आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर स्वीकृत न्यायालयों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

64. विधान सभा क्षेत्र भीम में ए.डी.जे. कोर्ट में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ ए.डी.जे. कोर्ट के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र भीम में ए.डी.जे. कोर्ट को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

68. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में एडीजे कैम्प कोर्ट बड़ी सादड़ी को स्थायी कोर्ट में परिवर्तन करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

69. विराटनगर एवं पावटा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी वादों के लिए कोटपूतली में घोषित दूसरे एडीजे कोर्ट को पावटा में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के पावटा में कोटपूतली से मुंसिफ न्यायालय स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

71. प्रदेशभर में लंबित मुकदमों का त्वरित निस्तारण करने की समय सीमा निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

72. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ में स्थाई कोर्ट एवं त्वरित न्याय व्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):</u>

73. बांदीकुई में अपर लोक अभियोजक कार्यालय के भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

74. एडीजे कोर्ट बांदीकुई के नये भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. बांदीकुई में मुंसिफ कोर्ट का नया भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. बांदीकुई में एडवोकेट्स के लिये लाइब्रेरी बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल (निवाई):</u>

77. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट एवं पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

78. बीकानेर में हाई कोर्ट खण्डपीठ खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

79. भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय के न्यायालय परिसर का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में ग्राम न्यायालयों को राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता प्रदान करने तथा राजस्व न्यायिक अधिकारियों का पृथक से न्यायिक केडर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. जहाजपुर ACJM कोर्ट को DRC के अधिकार प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. जहाजपुर मुख्यालय पर एडीजे कैम्प कोर्ट प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित मुंसिफ कोर्ट को ACJM में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

84. लोक अदालतों में दबाव बनाकर जुर्म स्वीकार कराकर फैसले कराने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. अनुसूचित क्षेत्र में संविधान की पांचवी अनूसूची तथा पीसा एक्ट के अन्तर्गत तथा अनुच्छेद 244(एक) के अनुसार कानून व्यवस्था लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. उपखण्ड बिछीवाड़ा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

87. फतेहपुर में एडीजे कोर्ट के भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

88. रानीवाड़ा मुख्यालय पर स्थित मुंसिफ न्यायालय को अतिरिक्त सिविल न्यायालयों में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

89. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में खैरवाड़ा न्यायालय में अधिवक्ता केबिन एवं प्रतिक्षालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

90. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में महिलाओं के साथ घटित अपराधों/मुकदमों के निस्तारण के लिए प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

91. कोटा में हाई कोर्ट की बैंच खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. कोटा शहर में स्थित न्यायालय का विस्तार करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

93. प्रदेश में न्याय व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

94. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में हाल ही में बिलाड़ा में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट खोलने पर लोक अभियोजक की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ACJM कोर्ट एवं ADJ कोर्ट में लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजकों हेतु कार्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

96. MACT मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण के अन्तर्गत दौसा मुख्यालय पर रिक्त स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग):

97. एडीजे कोर्ट भवानी मण्डी में पुस्तकालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

98. गंगापुर सिटी एडीजे कोर्ट में वकीलों के लिये लाइब्रेरी की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना):

99. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा और मनोहरथाना तहसील में नये न्यायालय भवन में विधायक कोटे से क्लाइंट शैड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

100. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में J.M. न्यायालय के संबंध पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में A.D.J.M. न्यायालय के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एडीजे न्यायालय के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

103. सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर सिविल न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. तहसील मुख्यालय सिवाना, समदड़ी और सिणधरी पर पब्लिक नोटेरी अधिवक्ता मनोनीत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधिक सेवा के नवाचारों के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

106. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के माण्डलगढ़ मुख्यालय में एडीजे कैम्प कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

107. उपखण्ड मुख्यालय खींवसर में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. II J कोर्ट (न्यायालय) नागौर में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. जिला मुख्यालय नागौर स्थित न्यायालयों के परिसर में आमजन को कानूनी जानकारी हेतु Touch Screen Desktop में IPC की धाराओं का हिन्दी में वर्जन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. जिला मुख्यालय नागौर में महिला उत्पीड़न से संबंधित पृथक् से विशेष न्यायालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. आम जन को विधिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु पुलिस थानों में विधि स्नातक व्यक्तियों की न्याय मित्र के रूप में नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

112. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल में नया न्यायालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

113. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में न्यायालय परिसरों में पक्षकारों की सुविधा के लिये पेयजल/शौचालय एवं छायादार विश्राम स्थलों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 16 - पुलिस पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में लगातार चोरी हो रहे विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर, शिक्षा विभाग के कम्प्यूटर, फर्नीचर व अन्य सामग्री, जलदाय विभाग द्वारा दर्ज अवैध कनेक्शनों के मुकदमों में त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. प्रदेश में गृह रक्षा स्वयंसेवकों को नियमित ड्यूटी, मानदेय में वृद्धि एवं राज्य सेवा में नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-114 पर प्रतिदिन हो रही राहगीरों से लूट को रोकने हेतु हाईवे फ्लाइंग पुलिस की गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति सेखाला मुख्यालय पर नवीन पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):</u>

6. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में महिला एवं पुरूष बैरक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):</u>

8. प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए IT Experts

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

की नवीन भर्ती किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

9. प्रदेश में पुलिस थानों में Non Field Constable जो कि Computer Tranied हो, की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. अलवर जिले में दो पुलिस अधीक्षक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

11. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के साकेत नगर चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (बैर):

12. विधान सभा क्षेत्र वैर में थानों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम झील केलो देवी व कलसाड़ा में नवीन थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

14. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक एवं तिजारा में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

15. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बढ़ते अपराधों की संख्या की रोकथाम हेतु कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम-ल्हावद कुण्ड में नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

17. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पावटा थाने को उपनिरीक्षक थाने से पुलिस निरीक्षक थाने मे क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

18. प्रदेश में राज्य के सीमावर्ती जिलो से अवैध शराब व्यापार को रोकने हेतु विशेष पुलिस फोर्स तैनात करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. पुलिस थाना कोटपूतली व पनियाल में उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षकों के पद बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सदर थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

22. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के नगरपालिका क्षेत्र फलौदी में बढ़ते यातायात को नियन्त्रण करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नफरी में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के ग्रामीण पुलिस थानों को आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के फलौदी कस्बा क्षेत्र में बढ़ते अपराध एवं चोरियों की रोकथाम हेतु निगरानी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड मुख्यालय फलौदी पर आरएसी की बटालियन की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

26. विधान सभा क्षेत्र आहौर में भाद्राजून चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्न्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

27. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में ग्राम झाड़ोल, ग्राम पंचायत मंडावरिया पंचायत समिति अरांई (अजमेर) को पुलिस थाना बोराड़ा से हटाकर पुलिस थाना अरांई क्षेत्र में कराने की आवश्यकता पर

(श्री भागीरथ चौधरी)

चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) शहरी क्षेत्र में पर्याप्त यातायात पुलिस कर्मियों के पद एवं यातायात संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश में गृह विभाग में पुलिस थानों एवं चौकियों आदि के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में गठित डा. परमेश चन्द्र समिति का अनुशंषा प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. वृत किशनगढ़ (अजमेर) के अन्तर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों में पर्याप्त नफरी एवं मंत्रालयिक कार्मिकों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर एक नवीन महिला पुलिस थाने की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

32. प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लक्ष्य के नाम पर जनता को नाजायज परेशान करने, झूठे प्रकरण दर्ज करने पर रोक लगाने एवं मुख्यालय के ऐसे आदेश निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पुलिस विभाग में 03 वर्ष से अधिक नियुक्त पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण कोटा रेंज के बाहर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित वार्ड नं.-04, आंवली-रोजडी नया गांव चौराहे पर पुलिस थाना/पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं थानों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

36. प्रदेश में स्थित पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों एवं क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की प्रोटोकॉल के अन्तर्गत गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

37. पुलिस थाना रायसिंहनगर के लिए नवीन भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):

39. पुलिस थाना भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के नवीन भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

40. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के देवनगर में नया पुलिस थाना एवं खनन क्षेत्र में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने और नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश में घातक मादक पदार्थो के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर मिशन मॉड में कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. प्रदेश में मोबाइल चोरी की एफ.आई.आर. के स्थान पर गुमशुदगी रिपोर्ट लिखने और मोबाइल चोरी के प्रकरणों को खोलने में विभागीय विफलता दूर करने के लिए कार्य प्रणाली दुरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में होने वाली सामान्य मृत्यु के समय में पोस्टमार्टम प्रक्रिया में पुलिस विभाग की कार्यवाही को सरलीकृत करने के लिए आवश्यक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

45. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम राजगढ़ पुलिस थाना, सांगोद में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की पुलिस चौकी दीगोद को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के दीगोद उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पुलिस चौकी दरा को मोडक थाने से हटाकर कनवास थाना, आवा पुलिस चौकी को कनवास से हटाकर देवली थाने एवं चारचोमा चौकी को पुलिस थाना देवली से हटाकर सीमल्या थाना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

49. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

50. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

51. पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

52. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में कांस्टेबलों के वेतन में वृद्धि करने एवं जोधपुर कमिश्नरेट में सी.आई. की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़-बास):

53. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में पुलिस चौकी हरसौली को थाने में क्रमोन्नत तथा जौडिया, मोठूका में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. अलवर जिले के पुलिस थानों में हो रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

55. अलवर जिले के पुलिस थानों का सीमांकन विधान सभा क्षेत्रवार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में अपराध, गौकशी, लूटपाट की समस्याओं की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रमीण):

57. मालाखेड़ा जिला अलवर में पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण अलवर का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

58. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पुलिस चौकी धवा, गुड़ा विश्नोईयान एवं कैरू में स्वीकृत पदों पर स्टाफ लगाने एवं नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. पुलिस आयुक्त, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम कांकाणी, बम्बोर दर्जियान बेरू व दुन्दाड़ा में नवीन पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के अधीन बढ़ रहे साइबर क्राइम्स व अन्य अपराधों को, प्रदेश में हो रहे नाबालिग बच्चों के अपहरण एवं बच्चों द्वारा गैर-कानूनी रूप से कार्य करवाने को रोकने हेतु नवीन सैल स्थापित करने एवं पुलिस थानों में लम्बे समय से जमा अनेक प्रकार के वाहनों, मादक पदार्थो व अन्य वस्तओं के निस्तारण की निश्चित समयावधि तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. पुलिस कमिश्नरेट जयपुर एवं जोधपुर में कार्यरत पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों को दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट की भांति साप्ताहिक अवकाश निश्चित करने, जनता व फरियादियों के प्रति सुसंस्कारित करने, बीट प्रभारी योजना को प्रभावशाली बनाने, लम्बे समय से फरार व वांछित अपराधियों को पकड़ने, पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों को आधुनिक हथियार व संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. राजस्थान पुलिस में लम्बे समय से रिक्त पुलिसकर्मियों के पदों पर भर्ती, विभागीय पदोन्नति, अनुसंधान व कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों की अलग-अलग व्यवस्था करने, दिन-प्रतिदिन बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अलग से और अधिक पुलिस थानों की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

63. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत सरणू, सांजता को पुलिस थाना सिणधरी से निकाल कर पुलिस थाना सदर बाड़मेर में करने के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित पुलिस चौकी चवा को पुलिस थाना सदर बाड़मेर में करने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बढ़ते यातायात दबाव के कारण जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक पुलिस थाना स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में बढ़ती डकैती एवं चोरियों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

67. विधान सभा क्षेत्र सांचोर में नेशनल हाईवे नम्बर 15 पर 24 घंटे पुलिस गश्त लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के सांची एवं चितलवाना में पुलिस स्टेशन में नई गाड़ियां उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

69. दौसा जिला मुख्यालय में प्रमुख चौराहों एवं बाजारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र दौसा में एन.एच. 11 A बनियाना मोड एवं किला सागर पहाड़ तलहटी पर स्थाई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. जिला मुख्यालय दौसा में नगर परिषद क्षेत्र दौसा में अतिरिक्त थाना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र दौसा में नांगल राजावतान वृत्ताधिकारी के नए पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर):

73. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में उप तहसील भनोकर में अपराध-गौकशी-

(श्री मंगलराम)

लूटपाट की रोकथाम के लिए पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेड़ली थाना क्षेत्र में व कठूमर थाना क्षेत्र में रात के 11 बजे तक शराब के ठेके खुले रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन):

75. मारवाड़ जंक्शन के उपखण्ड मुख्यालय स्तर पर उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. मारवाड़ जंक्शन थाने को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. जोजावर चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

78. विधान सभा क्षेत्र भीम में तहसील देवगढ़ के पुलिस स्टेशन को उप निरीक्षक से वृत्त निरीक्षक सर्कल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत कुंसाथल, बल्ली-जस्साखेड़ा, बार व ताल में नवीन थाने खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

80. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के ग्रामों में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

81. विधान सभा क्षेत्र कपासन में थानों के मालखाने में पड़े कबाड़ को नीलाम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड (बेगूं):

82. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जावदा थाना की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

83. प्रदेश में पुलिस व्यवस्था में सुधार व पुलिस के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. राज्य में पुलिस को सुदृढ़ बनाने एवं देय सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में महिला थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नवीन पुलिस थानों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नवीन पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

88. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के उप खण्ड मुख्यालय तालेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

89. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के सभी पुलिस थानों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. प्रदेश में कार्यरत होमगार्डो को पुलिस विभाग में नियुक्ति देकर स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. सुजानगढ़ एवं बीदासर (चूरू) के मुख्य-मुख्य मार्गो एवं बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ (चूरू) में नगर परिषद भवन, गणेश मन्दिर, गौशाला एवं नये बस स्टेण्ड के पास पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. सुजानगढ़ एवं बीदासर (चूरू) में मोटर साईकिल से गश्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

94. बीकानेर जिले में पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की

(श्री भँवरसिंह)

आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. पुलिस लाइन बीकानेर को नवीन स्थान पर स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में पुलिस चौकी दियातरा व बरसलपुर को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. उप अधीक्षक कार्यालय वृत्त श्री कोलायत को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

98. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पुलिस थानों में सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति एवं कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पुलिस थाना इटावा के नये भवन हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम बिनायका में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पुलिस थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां):

102. विधान सभा क्षेत्र बारां में आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुझुनू):

103. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

104. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय गुढ़ागौड़जी में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बढ़ते अपराधों को देखते हुए क्षेत्र

(श्री शुभकरण चोधरी)

के मध्य मणकसास में नया थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए छापोली, चौफूल्या व केड में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बढ़ते अपराध एवं चोरियों की रोकथाम हेतु पुलिस बल बढ़ाने व अधिकारियों के पद बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. बढ़ते यातायात के मध्य नजर उदयपुरवाटी व गुढ़ागौड़जी में यातायात पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):

109. प्रदेश में पुलिस को आधुनिकीकरण करने एवं बढ़ते अपराध के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

110. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पुलिस को नई गाड़ी एवं नये हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में डिप्टी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

113. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के पाली व सारथल में पुलिस स्टेशन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रमेश (सपोटरा):

114. जिला करौली में अवैध खनन एवं आपराधिक तत्वों की रोकथाम हेतु पुलिस को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा

(श्री रमेश)

के लिए।

115. जिला करौली के पुलिस थानों के बजट में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):</u>

116. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बिजौली एवं बटेश्वर (बसेड़ी रोड) पर पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में दस्यु समस्या को देखते हुए थानों में नये वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में नया सदर थाना खुलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):</u>

119. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पुलिस चौकियां खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):</u>

120. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के भील जाति के अभ्यर्थियों को पुलिस में भर्ती कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस थाना खैरवाड़ा को सी.आई. थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस थाना बलीचा एवं पुलिस चौकी गोदावरी, कानपुर, भाणदा, सागवाड़ा, बिलख में खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस ट्रैनिंग स्कूल एवं एम.बी.सी. का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अमृतलाल (सलूम्बर):</u>

124. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नवीन पुलिस थाना गिगंला, सलूम्बर एवं पुलिस चौकी टोकर, सल्लाडा एवं इण्टाली खेडा, उथरदा में स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री अमृतलाल)

125. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में हाड़ी रानी महिला बटालियन की दूसरी बटालियन सलूम्बर में स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

126. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित सभी थानों में गश्त के लिए वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित समस्त थानों में रिक्त पड़े उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं कान्स्टेबल के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना थाना के रोजड़ी में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

129. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के पिण्डवाड़ा में वृताधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

130. प्रदेश के समस्त थानों में महिला कांस्टेबल की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

131. प्रदेश में थानों के रख-रखाव व रंग-रोगन हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

132. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के मोदरा एवं नरसाणा में नवीन थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

133. प्रदेश की पुलिस में आयी गिरावट को सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

134. कोटा शहर में साइबर अपराधों व ठगी की रोकथाम के लिए साइबर थाना व जांच केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

135. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के पुलिस थानों व चौकियों में पुलिस नफरी बढ़ाने व पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में पुलिस थाने व चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

137. प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल के वर्दी भत्ता, मैस भत्ता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल्स को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

139. प्रदेश में पुलिस विभाग में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ तहसील में सदर पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. प्रदेश में पुलिस के समस्त रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

142. पुलिस थाना भीम में मैस भवन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र भीम में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

144. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल आसावरा माताजी में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

145. प्रदेश में पुलिस हिरासत से अपराधियों के भागने के बावजूद अपराधी पकड़ से दूर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चौधरी (बायतु):</u>

146. पंचायत समिति व उप तहसील मुख्यालय पाटोदी, बाड़मेर में पुलिस थानों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

147. उप खण्ड मुख्यालय बायतु में उप-अधीक्षक कार्यालय की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

148. प्रदेश में पुलिस कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा मुहैया कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. प्रदेश में पुलिस कार्मिकों से बेहतर कार्य करवाने के लिए ड्यूटी 10 घंटे की व्यवस्था करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):</u>

150. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के पुलिस थानों व चौकियों में पर्याप्त संख्या में नफरी (कांस्टेबल) लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

151. प्रदेश में गौरक्षा के लिए अलग से गौरक्षा सेल स्क्वायड का गठन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. प्रदेश में पुलिस के मैस भत्तों में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):</u>

153. श्रीगंगानगर की पुलिस चौकी गणेशगढ़ को पुलिस थाना सदर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

154. श्रीगंगानगर की पुलिस चौकी मीरा चौक, सेतिया फार्म एवं गणेशगढ़ को पुलिस थाना (उप निरीक्षक स्तर) में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

155. श्रीगंगानगर के पुलिस थाना पुरानी आबादी को पुलिस निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):</u>

156. बांदीकुई के हाईवे मुकरपुरा चौराहे पर ट्रैफिक सर्किल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. बांदीकुई पुलिस थाने में प्रतीक्षालय व फर्नीचर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती अलका सिंह)

158. बांदीकुई कोलवा व बसवा थाना क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. बसवा व बांदीकुई पुलिस थानों में गश्त हेतु नया वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

160. विधान सभा क्षेत्र भादरा में हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र होने के बावजूद पुलिस थाना भादरा, भिरानी एवं गोगामेड़ी में पर्याप्त पुलिस वाहन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. प्रदेश में सरकार द्वारा स्वीकृत शराब की दुकानों के अलावा अनधिकृत चलने वाली सब ब्रांचों के धड़ल्ले से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. प्रदेश में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी (हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल) को सी.ओ. सर्किल क्षेत्र में पदस्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163. उपखण्ड मुख्यालय भादरा (जिला हनुमानगढ़) में उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र भादरा में हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र होने के बावजूद पुलिस थाना भादरा, भिरानी एवं गोगामेड़ी में पर्याप्त पुलिस जाप्ता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

165. विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू उपखण्ड मुख्यालय निवाई पर सदर थाना खोलने, तहसील पीपलू के झिराना एवं तहसील निवाई के सिरस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

166. बीकानेर में पुलिस थानों का सीमांकन व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर):

167. विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के ग्राम भाडोती व कुण्डेरा में नये पुलिस थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

168. चाकसू कस्बे यातायात पुलिस की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. सहायक आयुक्त पुलिस कार्यालय को बीलवा से चाकसू मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

170. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में पुलिस थानों में नये वाहनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र जायल के पुलिस थाना जायल व अन्य पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र जायल के पुलिस थानों में फर्नीचर व प्रतीक्षा कक्ष की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

173. भीलवाड़ा जिले में आरएसी बटालियन स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर सी.ओ. सर्किल स्वीकृत करने एवं खजूरी उप तहसील मुख्यालय पर नवीन थाना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

175. अमरगढ़ एवं सवाईपुर पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर नवीन पुलिस थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

176. पुलिस विभाग में लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित पुलिस कार्मिको को हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. प्रदेश में पुलिस द्वारा सभी मर्ग कायम किए गए प्रकरणों को सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

178. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र के पुलिस थानों में स्थानीय व अनुसूचित लोगों को पदस्थापन में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. प्रदेश में अनुच्छेद 16(4) क व ख, अनुच्छेद 335 की भावनानुसार भर्ती एवं प्रमोशन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):</u>

180. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थानों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पुलिस थानों की स्थापना किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पुलिस चौकियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):</u>

183. जयपुर में विभिन्न स्थानों पर चयनित संभावित दुर्घटना क्षेत्र/पाइन्ट/चौराहों के संबंध में चर्चा के लिए।

184. प्रदेश में पुलिस द्वारा की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की नाकाबंदी करने व चेक पोस्ट लगाने के नियमों के संबंध में चर्चा के लिए।

185. प्रदेश में मेडिकल फिटनेस एवं अनफिट पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के संबंध में चर्चा के लिए।

186. प्रदेश में नोटबंदी के समय थानों में जमा नकदी निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

187. प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों के पद सृजित करने एवं रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):</u>

188. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम पंचायत सेताड़ा में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में यातायात पुलिस चौकी खोले जाने की

(श्री नारायण सिंह देवल)

आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पुलिस थाना को कस्बे से बाहर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

191. कोटा शहर में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्पेशल थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में संजय गांधी नगर, श्याम नगर, सिंधी कॉलोनी में पुलिस चौकियों के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

193. कोटा शहर में लम्बे समय से कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों को अन्यत्र पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के गुमानपुरा, विज्ञान नगर, अनंतपुरा, दादाबाड़ी महावीर नगर थानों एवं शहर के मुख्य चौराहों पर सर्विस एलायंस सिस्टम न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

195. प्रदेश के ट्रैफिक कर्मचारियों के लिए धूप, बरसात, प्रदूषण से बचने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

196. विधान सभा क्षेत्र सोजत में उप अधीक्षक पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

197. प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

198. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पुलिस थाने बिलाड़ा, बोरूंदा, पीपाड, शहर, डांगियावास में स्वीकृत पुलिसकर्मियों के पदों के रिक्त पड़े पदों के विरुद्ध 30-30 होमगार्ड की तैनाती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अर्जुनलाल)

199. पुलिस थाना बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/बोरूंदा/डांगियावास में पुलिस बैरक एवं पुलिस चौकी कापरड़ा को स्थायी चौकी घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. उपखण्ड मुख्यालय बिलाड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. जोधपुर स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) का कार्यालय बिलाड़ा में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

202. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गांव बनाला, शाहपुरा, भगतपुरा को पुलिस थाना भुगड़ा से हटा कर पुलिस थाना सदर बांसवाड़ा में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम भमरवोड, अमरथून, कुवानीया को पुलिस थाना भुगड़ा से हटा कर पुलिस थाना खमेरा में शामील करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

204. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की पुलिस चौकी ऊंचा नंगला को क्रमोन्नत कर थाना बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

205. भरतपुर जिले में रिक्त पड़े निरीक्षक, उप निरीक्षक के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के थानों पर नये वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

207 महिला थाना दौसा के भवन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग):

208. विधान सभा क्षेत्र डग के भिलवाड़ी में नया थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

209. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में अपराधों की दृष्टि से गंगापुर सिटी में और नये थाने खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

210. प्रदेश के पुलिस थानों में संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के थानों के क्षेत्राधिकार के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212 विधान सभा क्षेत्र चौमूं के थानों में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना):

213. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा शहर में पुराने पुलिस थाने की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

214. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के बसई चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में जसरापुर में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पुलिस चौकी बबाई को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

217. समदड़ी पुलिस थाना के अन्तर्गत अजीत एवं सावरड़ा में स्थाई पुलिस चौकी स्थापित करवाकर पद सहित सम्पूर्ण स्टाफ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. बाड़मेर जिले के पुलिस थानों में पुलिस निरीक्षक लगाने एवं समस्त रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के तीन पुलिस थाने सिवाना, समदड़ी, सिणधरी का नये सिरे से सीमांकन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हमीरसिंह भायल)

220. सिवाना क्षेत्र की पुलिस चौकी पादरू एवं मोकलसर में वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. उपखण्ड मुख्यालय सिवाना (बाड़मेर) में सी.ओ. सर्किल बनाकर पद सहित कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

222. बाल श्रमिकों को न्याय दिलवाने में पुलिस के योगदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ओबरी व पाड़वा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में आये दिन महिलाओं को जिन्दा जलाकर मारने व उन पर अन्य प्रकार के अत्याचार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ व होने वाले अत्याचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में भीलूड़ा ग्राम पंचायत में होने वाली पत्थरबाज खूनी होली को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

227. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की भिनाय पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नागोला में पुलिस थाना खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत खुरवा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत रामगढ़ में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के थानों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (धोद):</u>

231. विधान सभा क्षेत्र धोद में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को महीने में चार अवकाश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र धोद में पुलिस की मोनिटिरिंग करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

233. ग्राम पंचायत धोद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र धोद के सवेद बड़ी में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जगसी राम (रेवदर):</u>

235. विधान सभा क्षेत्र रेवदर पुलिस थाना आबू रोड सिटी क्षेत्र में हो रही चोरियां व अपराध की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र रेवदर थाना आबू रोड सिटी व पुलिस थाना सदर (ग्रामीण) में हो रहे अवैध शराब बिक्री की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आबू रोड रीको क्षेत्र में पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रायपुर में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अजीत सिंह (टोंक):</u>

239. उप तहसील बरवास में पुलिस थाना खोलने व ग्राम अरनिणायाल में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

240. टोंक जिला मुख्यालय पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समुचित गश्त व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. टोंक में पुलिस बैण्ड स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):</u>

242. नागौर जिले में डीडवाना में नयी पुलिस लाइन खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

243. आनन्दपाल फरारी प्रकरण की कार्यवाही की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. गुड़ा भगवानदास जिला नागौर में आनन्दपाल द्वारा गोली से मारे गये कांस्टेबल खुमाराम को समझौते के अनुसार आर्थिक पैकेज व सहायता नहीं देने से परिजनों व जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में चर्चा के लिए।

245. वर्ष 2012-13 में तत्कालीन नागौर पुलिस अधीक्षक व अजमेर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा खुद के चहेतों को नियम व नीति विरुद्ध हैड कांस्टेबल की पदोन्नति देने एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवेहना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

246. कांस्टेबल से निरीक्षक पद तक के कार्मिकों का मैस भत्ता बढ़ाते हुए केन्द्रीय पुलिस के समान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. नफरी बढ़ाने के लिये पुलिस कांस्टेबलों के नये पद सृजित कर भर्ती निकालने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बच्चू सिंह (बयाना):

248. विधान सभा क्षेत्र बयाना की खेरिया मोड़ पर संचालित पुलिस चौकी को नव निर्मित भवन बन्ध-बारैठा पर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र बयाना के थाना रूदावल को भवन निर्माण हेतु बजट देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

250. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किशनगढ़-रेनवाल के थाने को सी.आई. स्तर में क्रमोन्नत करने एवं फुलेरा में नई पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के थानों में नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

252. पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):</u>

253. प्रदेश में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

254. जयपुर पुलिस आयुक्तालय कार्य क्षेत्र में बढ़ते अपराधों एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने एवं उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255. प्रदेश में संगठित आपराधिक गिरोहों एवं भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर एवं पुख्ता कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

256. सीकर जिले के सभी थानों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

257. सीकर जिले के सभी थानों के स्टाफ को प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् बदलने की पुख्ता व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):</u>

258. शास्त्रीनगर चन्द्रशेखर की बगीची, खोले के हनुमानजी, (गलता गेट) तथा सेक्टर-5, भट्टा बस्ती, जयपुर में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा):</u>

259. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में चोरी के दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नशीले/मादक पदार्थो के अवैध रूप से हो रहे विक्रय की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):</u>

261. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अजरका पुलिस चौकी जो बार्डर पर स्थित है, उसको थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 4

मांग संख्या 17 - कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. प्रदेश के कारागारों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. प्रदेश की जेलों में कर्मचारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड बालेसर में नया उप कारागृह खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

4. प्रदेश के कारागारों में कैदियों के लिए बैरकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

5. अलवर जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावार):

6. ब्यावर के केन्द्रीय कारागार में सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

7. प्रदेश की जेलों में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

8. कोटपूतली कारागार का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

9. राज्य के जेलकर्मियों के भत्ते एवं पद बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

10. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उप कारागार फलौदी में कैदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बैरकों का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

11. किशनगढ़ (अजमेर) उपखंड मुख्यालय पर नवीन उप कारागार की स्थापना की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

12. रामगंजमण्डी उप कारागार में कैदियों को न्यायालय लाने तथा ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. रामगंजमण्डी उप कारागार में कैदियों के उपचार हेतु चिकित्सालय एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. प्रदेश की जेलों में स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. रामगंजमण्डी उपखण्ड स्तर पर स्थित जेल के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश की कारागारों में कैदियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

17. रायसिंहनगर की जेल को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):</u>

18. जिला कारागार चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त महिला डैस्क के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):</u>

19. प्रदेश के कारागारों से संचालित होने वाले अपराधों को रोकने के लिए समयबद्ध विशेष कार्ययोजना बनाकर क्रियान्विति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश के कारागारों में डिजिटलाइज्ड़ सुरक्षा मोनिटरिंग सिस्टम और वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग से पेशी की सुविधाएं विकसित करने के लिए विशेष बजट प्रावधानों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश के कारागारों में आदतन-खूंखार-गैंगस्टरों और अन्य भावावेश में अपराध कारित करने के दोषियों के लिए पूर्णतया अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. प्रदेश के कारागारों में कैदियों की मानसिक वृत्तियों मे परिवर्तन के लिए नियमित योग एवं रचनात्मक प्रवृत्ति विकास कार्यशालाओं के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल नागर (सांगोद):</u>

23. उप कारागृह सांगोद में खाली भूमि को लेवल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):</u>

24. जोधपुर सेंट्रल जेल को नये स्थान पर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

25. अलवर कारागार में जेल प्रहरी की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री जोगाराम पटेल (लूणी):</u>

26. प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन युवा व महिला बंदियों को अलग से रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री जोगाराम पटेल)

27. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजायाफ्ता अपराधियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसाय प्रारम्भ करने, उन्हें प्रशिक्षित करने एवं पारिश्रमिक उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. जेल से फरार अपराधियों की पुन: गिरफ्तारी, समय से पूर्व बंदियों की रिहाई, सजायाफ्ता बंदियों को खुले शिविरों में स्थानान्तरित कर रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. केन्द्रीय कारागाह जोधपुर में बन्द उन आदतन, खूंखार अपराधियों व भू-माफियाओं जिनके द्वारा केन्द्रीय कारागार से ही आपराधिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, की रोकथाम हेतु व जेल में उपलब्ध हथियारों, मोबाइल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने, केन्द्रीय कारागार जोधपुर मे 4जी जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में खूंखार एवं अन्य आदतन अपराधियों की जेल से ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी करने, केन्द्रीय कारागार में क्षमता से अधिक कैदी होने से केन्द्रीय कारागार को जोधपुर शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

31. केन्द्रीय कारागार बाड़मेर में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

32. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के मारवाड़ पर कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

33. जैसलमेर कारागार में कैदियों के आचरण में सुधार लाने के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

34. जैसलमेर कारागार से कैदियों को लाने, ले जाने के लिए न्यायालय में पुलिस के स्ट्रोंग पुलिस जवानों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

35. विधान सभा क्षेत्र कपासन के कारागार में अवैध रूप से पहुंचाए जा रहे हथियार, मोबाइल एवं बाहरी वस्तुओं पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

36. जयपुर में स्थित कारागार में महिला बंदियों के लिए सुधारगृह की व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. जयपुर जिले में बालगृह से अपराधियों के फरार होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. शाहपुरा व विराटनगर में कारागार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

39. सुजानगढ़ (चूरू) में उप कारागार खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

40. प्रदेश के कारागारों में प्रहरियों सहित अन्य अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में प्रभावी जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. प्रदेश की जेलों में कैदियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राज्य की जेलों में कैदियों से मिलने आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश की जैलों में कैदियों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

45. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के उपखण्ड इटावा में उप कारागार स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

46. केन्द्रीय कारागृह कोटा में रिक्त पड़े पदों को भरने एवं कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):

47. प्रदेश में कारागार व्यवस्था को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

48. अलवर जिले के कारागार में रोजगार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

49. जिला करौली के कारागार में उन्नत सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. जिला करौली के कारागारों में बजट आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

51. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में उप कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

52. अनूपगढ़ स्थित कारागार में कैदियों की सुविधाओं में विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

53. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में नवीन उप कारागृह खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के कारागृहों में भोजन की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

55. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में स्थित सेंट्रल जेल की वर्तमान बंदी क्षमता 1050 को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

56. विधान सभा क्षेत्र मावली में उप कारागृह मावली को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल)

57. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के मुख्यालय झाड़ोल पर स्थित उप कारागृह में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के तहत उपकारागृह झाड़ोल में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

59. विधान सभा क्षेत्र आहौर के कारागार में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

60. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कारागार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. प्रदेश के कारागारों में अपराधियों के मोबाइल उपयोग पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. राजस्थान के कारागारों में बढ़ते अपराधों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश के कारागारों में अपराधियों से मिलीभगत कर सुविधा उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. प्रदेश के कारागारों में बैठकर अपराधियों द्वारा गैंग चलाने पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतु):

65. प्रदेश में बंदियों की संख्या के अनुपात में सभी कारागारों के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिये।

66. प्रदेश के समस्त कारागारों में बंद सजायाफ्ता एवं विचाराधीन कैदियों के सुधार करने के लिए प्रतिदिन बौद्धिक एवं अध्यात्मिक व्याख्यानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):</u>

67. अलवर केन्द्रीय कारागार की भूमि पर कैदियों हेतु कुटीर उद्योग व बिक्री केन्द्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):</u>

68. श्रीगंगानगर केन्द्रीय जेल को शहरी सीमा से बाहर स्थानान्तरित कर 1500 कैदी क्षमता की अत्याधुनिक जेल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (भादरा):</u>

69. हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र भादरा में स्थित उप कारागार में सुरक्षा की दृष्टि से स्टाफ बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. भादरा उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित उप जेल को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. उप जेल भादरा जिला हनुमानगढ़ में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मंगलराम (कठूमर):</u>

72. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कठूमर या खेड़ली में उप कारागृह बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):</u>

73. अलवर शहर व राज्य की अन्य जैलों में कैदियों की आपस में होने वाली मुठभेड़ व जेल के अन्दर से गैंग चलाने संबंधी समस्या के निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):</u>

74. जिला कारागृह भीलवाड़ा के वर्तमान स्थल को शहर से दूर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. जेल सेवाओं में लगे पुलिस अधिकारियों व आर.ए.सी. के जवानों के समान जेल सेवा के अधिकारियों व कार्मिकों को समान वेतन भत्ते दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर उप कारागृह की स्थापना की

(श्री धीरज गुर्जर)

आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. जेलकर्मियों व अधिकारियों को आपस में त्वरित कम्युनिकेट (संवाद) हेतु उन्हें वायरलैस सैट प्रदान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

78. प्रदेश के कारागारों में निरीक्षण के दौरान लापरवाह कर्मियों एवं ऑफिसरों पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

79. कोटा कारागृह में कैदियों को दिये जा रहे घटिया भोजन एवं उपचार की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. कोटा के केन्द्रीय कारागार में बंद पड़े सी.सी.टी.वी. कैमरों को सही करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. कोटा कारागार में कैदियों के परिजनों को कैदियों से मिलाने के नाम पर अधिकारियों द्वारा की जा रही चौथवसूली के संबंध में चर्चा के लिये।

82. कोटा में प्रस्तावित नवीन कारागृह के शीघ्र निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

83. प्रदेश की जेलों में बिगड़ते हालात के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

84. बिलाड़ा स्थित उप कारागृह में रिक्त पड़े गार्डों के पदों पर नियुक्ति एवं नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. बिलाड़ा स्थित उप कारागृह में बन्दी बैरक एवं शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. बिलाड़ा स्थित उप कारागृह में सुरक्षा की दृष्टि से एवं उप कारागृह को सुदृढ़ीकरण हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे, जैमर एवं विद्‌युत प्रवाहित तारयुक्त चारदीवारी को ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुनलाल)

87. बिलाड़ा उप कारागार में बन्दियों को सुनवाई हेतु लाने ले जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

88. जिला बांसवाड़ा के संबंधित उपखण्ड कार्यालय घाटोल में अस्थाई मिनी कारागृह स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

89. भरतपुर स्थित सेंट्रल जेल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये आर.ओ. लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

90. दौसा जेल में बैरिक के सामने सीमेन्टेड बरामदा बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. दौसा जेल में बंदियों के लिये पेयजल हेतु वाटर कूलर एवं आर.ओ. प्लान्ट लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग):

92. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में नया उप कारागृह बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

93. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर जेल को स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

94. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में क्षमता से अधिक कैदियों के लिए अतिरिक्त जेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की जेल में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना):

97. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा में सजायाफ्ता मुलजिम के लिये खुली जेल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. अकलेरा उप कारागार को झालावाड़ स्थानान्तरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

99. सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजा भोग रहे अपराधियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु जेलों में ही विभिन्न प्रशिक्षण देकर उनकी जीवनशैली को बदलने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. बालोतरा उप कारागार में महिला बंदियों हेतु अलग पुख्ता प्रबंधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. बालोतरा उप कारागार में बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों हेतु अतिथि गृह (विश्राम गृह) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में क्षमता से अधिक कैंदियों को कारागार में रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

104. प्रदेश में कैदियों को विभिन्न प्रकार की सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. प्रदेश में कैदियों की भगवान पर आस्था बनाये रखने हेतु जेलों में धार्मिक आयोजन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कैदियों के उत्थान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

108. जेल प्रहरियों के वेतनमान में पुलिस व आर.ए.सी. के समान

(श्री हनुमान बेनीवाल):

बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. समय-धन की बर्बादी रोकने के लिये हार्डकोर अपराधियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):</u>

110. प्रदेश में जेल प्रहरियों को जेलों में मोबाइल आदि दूरभाष के साधनों को पकड़ने के लिये विशेष प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. नागौर जिला मुख्यालय स्थित कारागार की मरम्मत व आवश्यकतानुसार नये निर्माण के लिये बजट जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. राजस्थान की विभिन्न जेलों में मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के परमानेंट पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री बच्चू सिंह (बयाना):</u>

113. विधान सभा क्षेत्र बयाना की बयाना जेल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):</u>

114. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित कारागारों में विजिटर्स हेतु सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):</u>

115. प्रदेश के कारागारों में नियमों की पालना, आवश्यक सुविधाओं एवं सफाई आदि की वस्तुस्थिति की जांच के लिए समयबद्ध निरीक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. प्रदेश के कारागारों में बढ़ती गैंगवार की घटनाओं पर अंकुश एवं रोकथाम के लिए पुख्ता कार्ययोजना बनाने एवं सख्ती से उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (भीम):</u>

117. प्रदेश में जेलकर्मियों के वेतन भत्ते बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री हरिसिंह रावत)

118. प्रदेश में जेलकर्मियों की नफरी बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र भीम में बंदियों को लाने-लेजाने हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र भीम के उप कारागृह में सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं जैमर लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

121. उदयपुर जिले की मुख्य कारागार को क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।